पंचदश माला, खंड 23, अंक 4

गुरुवार, 15 मार्च, 2012
25 फाल्गुन, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 10 Sept 2014

(खंड 23 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी. के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय–सूची

पंचदश माला, खंड 23, दसवां सत्र, 2012/1933 (शक)

अंक 4, गुरुवार, 15 मार्च, 2012/25 फाल्गुन, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
त्रिनिदाद और टोबैगो के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
सदस्यों द्वारा निवेदन	
केंद्रीय रेल मंत्री के कथित त्याग–पत्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में	3-12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 41	13-20
प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर	20-665
तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60	20-75
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	75-665
सभा पटल पर रखे गए पत्र	665-667
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
19वां प्रतिवेदन	667
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
21वें से 24वां प्रतिवेदन	667-668
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
की गई कार्रवाई संबंधी विवरण	668-669
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
173वां प्रतिवेदन	669

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू-संसाधन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जयराम रमेश 669-670

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु और बस्ती जिले के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यता

श्री जगदम्बिका पाल 670-671

(दो) दिल्ली-लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस का जालंधर और पठानकोट होते हुए जम्मू तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रताप सिंह बाजवा 671-672

(तीन) केरल के कन्नूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर के वितरण और नए एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुधाकरण 673

(चार) आंध्र प्रदेश के विशेष रूप से करीमनगर जिले में सूखे की स्थिति के कारण विपदाग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 673

(पांच) महाराष्ट्र के नागपुर को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत आदर्श शहर के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 673-675

(छह) देश में लघु उद्योग विशेष रूप से मेटल कंटेनर विनिर्माण एककों के लिए मूलभूत केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर 675

(सात) झारखंड में रेल सेवाएं और सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पशुपति नाथ सिंह 675-676

(आठ) बिहार के पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानकों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल 676

(नौ) राजस्थान में उन किसानों, जिनकी फसले पालें और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, को आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 676-677

(दस) बिहार के मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 677

(ग्यारह) ओडिसा के पारादीप में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. की चालू परियोजना से प्रभावित भूमि से बेदखल लोगों के विकास के संबंध में पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति, 2006 के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री बिभू प्रसाद तराई 678-679

(बारह) दिल्ली–गुड़गांव एक्सप्रेस–वे पर टोल प्लाजा हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री कुलदीप बिश्नोई 679

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री एम. आई. शानवास 679-685

श्री हंसराज गं. अहीर 685-688

कुमारी सरोज पांडेय 688-689

श्री गणेश सिंह 689-691

श्री सी. आर. पाटिल 691-692

श्री सतपाल महाराज 692-694

डॉ. रतन सिंह अजनाला 694-698

श्री चार्ल्स डिएस 698-699

श्री बाल कृष्ण खांडेराव शुक्ल 700-701

श्री अब्दुल रहमान 702-706

शेख सैदुल हक 706-710

श्री रमेन डेका 710-712

श्री इन्दर सिंह नामधारी 712-716

श्री मधुसूदन यादव 716-718

श्रीमती रमा देवी 718-720

श्री भक्त चरण दास 720-727

श्री चंदू लाल साहू 727-728

श्री के. सुगुमार 728-730

श्री रामसिंह राठवा 730-732

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी 732-733

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार 733-736

श्री वीरेन्द्र कुमार 736-740

श्री खगेन दास 740-742

श्रीमती ज्योति धुर्वे 743-744

श्री आर. ध्रुवनारायण.................... 744-746

श्री जोस के. मणि.................... 746-748

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी 748-752

श्री एन. कृष्टप्प 752-754

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट 754-755

श्री अशोक अर्गल 755-756

श्रीमती जयाप्रदा 756-761

श्री हरीश चौधरी 761-763

श्री संजय निरुपम 763-771

डॉ. भोला सिंह 771-775

श्री रतन सिंह 775-778

श्री तथागत सत्पथी 778-782

श्री सी. शिवासामी 782-784
श्री राजेन्द्र अग्रवाल 785-788
डॉ. थोकचोम मैन्या 788-791
श्री एस. एस. रामासुब्बू 791-793
श्री वीरेंद्र कश्यप 793-796
डॉ. संजीव गणेश नाईक 796-798
श्री अनुराग सिंह ठाकुर 797-802
श्री ओ. एस. मणियन 802-805
श्री पी. कुमार 805-806
श्री एन. पीताम्बर कुरुप 807-809
श्री प्रेमदास राय 809-811
डॉ. तरूण मंडल 811-813
श्री मानिक टैगोर 813-814
श्री अजय कुमार 814-815
श्री जे. एम. आरून रशीद 815-817
श्री पी. सी. मोहन 818-820
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा 820-824

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 845-846
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 846-856

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 857-858
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 857-860

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी. सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इंदर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

डॉ. गिरिजा व्यास

श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरुवार, 15 मार्च, 2012/25 फाल्गुन, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

त्रिनिदाद और टोबैगो के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर आए त्रिनिदाद और टोबैगो के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव के स्पीकर महामहिम श्री वेड मार्क और सीनेट के प्रेसिडेंट महामहिम श्री टिमोथी हैमल–स्मिथ तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करती हूं।

वे बुधवार 14 मार्च, 2012 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं। हम, अपने देश में उनके सुखद और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकार और वहां की मित्र जनता का अभिनंदन करते हैं और अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी श्री उत्तमराव पाटील के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री उत्तमराव पाटील ने 1980 से 1996 तक सातवीं से दसवीं लोक सभा और 1998 से 2004 तक बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र के यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री पाटील 1972 से 1978 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे।

एक कुशल सांसद के रूप में श्री पाटील बारहवीं लोक सभा के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और कृषि संबंधी समिति के सदस्य रहे। तेरहवीं लोकसभा के दौरान वह उद्योग संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री पाटील भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य भी रहे और उन्होंने ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए अथक कार्य किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता श्री पाटील ने विकास संबंधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

श्री पाटील ने सहकारिता आंदोलन में विशेष रूचि दिखाई और वह श्री शंकर सहकारी चीनी फैक्ट्री, यवतमाल के संस्थापक अध्यक्ष थे।

श्री उत्तमराव पाटील का 68 वर्ष की आयु में 10 मार्च, 2012 को नागपुर, महाराष्ट्र में निधन हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं और मैं अपनी और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा प्रश्न काल आरंभ करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुंरा) : अध्यक्ष महोदया, मैंने प्रश्न काल के स्थगित करने के संबंध में सूचना दी है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैं प्रश्न काल को स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि प्रश्न काल को स्थगित करने संबंधी कोई नियम नहीं है इसलिए मैं आपकी सूचना को स्वीकार नहीं कर सकती।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : कृपया एक बार हमारी बात सुनिए....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष जी, मेरा नोटिस प्रश्न काल स्थगन करने का है। ...*(व्यवधान)* मुझे पांच मिनट अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक अभूतपूर्व स्थिति है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न सं. 41 श्री दानवे रावसाहेब पाटील

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैडम, हम लोगों की बात सुन लीजिए।....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैंने प्रश्न काल स्थगित करने की आपकी मांग स्वीकार नहीं की है। चूंकि इस संबंध में कोई नियम नहीं है इसलिए प्रश्न काल स्थगित नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

केंद्रीय रेल मंत्री के कथित त्याग-पत्र से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, मुझे, रेल मंत्री द्वारा कथित तौर पर त्याग पत्र दिए जाने के मुद्दे पर सर्वश्री बसुदेव आचार्य, गुरूदास दासगुप्त, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री शरद यादव से प्रश्न काल स्थगित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रक्रिया नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत सदस्य प्रश्न काल स्थगित करने की कोई मांग कर सकें। इसलिए मैंने प्रश्न काल स्थगित करने संबंधी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। अतः हम प्रश्न काल आरंभ कर सकते हैं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, सभा के नेता कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उनकी बात सुनिए। कृपया, सभा के नेता की बात सुनिए।

....(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदया, मैं रेल मंत्री के त्यागपत्र संबंधी समाचार, जिसको लेकर माननीय सदस्यगण उत्तेजित हैं, के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमें तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री को संबोधित एक संदेश प्राप्त हुआ है जो कल देर रात प्राप्त हुआ है और सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। जैसे ही सरकार इस पर कार्यवाही करेगी, सभा को इस संबंध में जानकारी दे दी जाएगी....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : महोदया, नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया जाये।....*(व्यवधान)* यह गलत परंपरा है।....*(व्यवधान)* आप नेता प्रतिपक्ष को सुनिये।....*(व्यवधान)* महोदया, पहले नेता प्रतिपक्ष को सुना जाये।....*(व्यवधान)* महोदया, आप नेता प्रतिपक्ष को सुनिये।....*(व्यवधान)* महोदया आप नेता प्रतिपक्ष को सुनिए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी : जहां तक रेल मंत्री के इस्तीफा देने का प्रश्न है माननीय प्रधानमंत्री को रेल मंत्री से कोई त्यागपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही संसद और सभा के साथ साझा करने हेतु कोई सूचना प्राप्त होगी, मैं अवश्य ही सभा को सूचित करूंगा कि मंत्री या तृणमूल कांग्रेस से प्राप्त पत्र पर क्या कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदया, सदन के नेता कभी भी बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): आपने उन्हें बोलने के लिए खड़ा कर दिया। ...*(व्यवधान)* आप हमारी तरफ देखती भी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : हम प्रश्न काल आरंभ करते हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुझे प्रश्न काल स्थगित करने की सूचना प्राप्त हुई है।

....*(व्यवधान)*

श्री टी. आर. बालू (श्री पेरूम्बुदूर) : इतनी उत्तेजना का क्या कारण है?....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए और सुषमा जी आप बोलिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगी।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, आपने उन्हें पहले बुला लिया।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। आप बैठिए, नेता विपक्ष बोल रही हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठिए। आप बैठ जाइए

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : वह अभी भी मंत्री हैं। इसमें आवेश में आने की क्या बात है? वह अभी भी मंत्री हैं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप बोलिये।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष की बात सुनने के बाद जवाब देता है। हम निश्चित तौर पर नेता सदन को सुनते, लेकिन हमारी बात सुनकर फिर वे जवाब दें। अभी तो उन्होंने हमारा प्रश्न सुना ही नहीं। इसलिए मैं आपसे बार–बार यह अनुरोध करती हूं कि जब विपक्ष से कोई खड़ा हो तो उसे बोल लेने दें, हम जरूर नेता सदन को सुनेंगे। हमारी बात सुनकर फिर वे जवाब दें तो संसदीय प्रक्रिया की सही अनुपालना होगी। ..*(व्यवधान)*

महोदया, आज जब हम इस सदन में मिले हैं तो देश में एक संवैधानिक संकट गहराया हुआ है। ...*(व्यवधान)* आप लोग तो परिस्थिति निरपेक्ष हैं। अगर आपको संकटों की समझ होती तो संकटों का समाधान भी हो जाता। ...*(व्यवधान)*

महोदया, कल लगभग 2 बजे रेल बजट की प्रस्तुति यहां समाप्त हुई और 2 बजकर 50 मिनट पर जब हम सदन में दोबारा मिले तब तक देश की राजनीति में भूचाल आ चुका था। सबसे पहले सत्तापक्ष के सहयोगी दल के एक वरिष्ठ सांसद का बयान आया कि यात्री किराये में वृद्धि के कारण उनकी नेता नाराज़ हैं। उसके बाद बयान आया कि उन्होंने रेल मंत्री को, जो उन्हीं के दल से संबंधित हैं, इस्तीफा देने को कहा है। रात को समाचार आया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा है कि वह इनको रेल मंत्री के पद से हटा दें और एक अन्य मंत्री का नाम दिया है ...*(व्यवधान)* जिसको रेल मंत्री बना दें। ...*(व्यवधान)* महोदया, असाधारण घटनाएं इस सरकार में घट रही हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : श्रीमती सुषमा स्वराज क्या मैं स्थिति को स्पष्ट कर सकता हूं?....*(व्यवधान)* यह आपके लिए सहायक होगी। मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, इस सरकार में असाधारण घटनाएं घट रही हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री इस्तीफा देकर कोपभवन में बैठे हैं। सहयोगी दल के मंत्री गांधी जी की मूर्ति के आगे धरने पर बैठे हैं। मेरा सदन के नेता से प्रश्न है कि सदन के नेता यह बताएं कि क्या दिनेश त्रिवेदी आज रेल मंत्री हैं या नहीं? ...*(व्यवधान)* दूसरी बात यह बताएं कि कल जो रेल बजट प्रस्तुत हुआ था, अभी जिन्दा है या मर चुका है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब क्वैश्चन आवर भी मुझे चलाना है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मेरा तीसरा प्रश्न बहुत अहम है। नेता सदन वित्त मंत्री भी हैं। संसदीय प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत रेल मंत्री अकेले बजट नहीं बनाता। यहां बजट होने से पहले वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री फाइल पर उसको समर्थन देते हैं, अप्रूव करते हैं, सहमति देते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि जो रेल बजट सदन की संपत्ति बन चुका है, क्या रेल मंत्री के हटने से प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री उस बजट से पल्ला छुड़ा सकते हैं? ...*(व्यवधान)* सदन की संपत्ति बन चुका रेल बजट आज अधर में लटका हुआ है। रेल मंत्री का भविष्य भी अधर में है, रेल बजट का भविष्य भी अधर में है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि नेता सदन बताएं कि इस असाधारण परिस्थिति में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? ये मेरे प्रश्न हैं जिनका जवाब मुझे चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आप बहुत संक्षेप में बोलें। प्रश्न काल भी चलाना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: पहले प्रश्न काल चलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना उद्वेलित मत होइए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, आप इस सदन की मालिक हैं। मालकिन हैं। ...*(व्यवधान)* कोई फर्क नहीं पड़ता, वे मालिक हैं। हम लोगों का कहना है कि जो विवाद और इस तरह की परिस्थिति बाहर है, उसमें सरकार की तरफ से कोई बयान आए। ...*(व्यवधान)* आप सुनिये तो सही। आज सदन चला तो नेता विपक्ष खड़ी हुई, मैंने तो अभी आपसे थोड़ा निवेदन ही किया है। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बोलिये। आपको बोलने का मौका मैंने दे दिया है।

श्री शरद यादव: मेरा कहना है कि जो परिस्थिति है, उसमें पारदर्शिता और खुलेपन की बात बहुत जरूरी है। यहां प्रणव बाबू बजट रखेंगे तो प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी की सलाह के बिना नहीं रखेंगे। यह साझा सरकारों का दौर है और जिस तरह से विवाद बना है, मैं मानता हूं कि त्रिवेदी जी यहां ममता जी की ताकत और पुरुषार्थ पर यहां बैठे हैं। इन्होंने जो भी किया अच्छा या बुरा, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। मैं तो कल सदन में नहीं था। मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यह क्या परिस्थिति है? आज जो साझा सरकारों की एक तरह से संस्कृति बनी हुई है, उसे कैसे स्मूथ चलाएं और देश का लोकतंत्र कैसे यशस्वी हो? हम लोग अकारण की बातों में उलझ जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि सदन में आज जो परिस्थिति है, जिसको सुषमा जी ने उठाया, वह नहीं होती, यदि सरकार ठीक से मजबूत कदम उठाती। आपका बजट अच्छा है या बुरा, यह तो जब मौका आएगा, जब बोलेंगे। लेकिन, उसी समय आपको यह फैसला करना चाहिए था।

प्रणब बाबू, सरकार जब तक रहे, तब तक इकबाल से रहे और सरकार नहीं रहे तो यह चूं-चूं का मुरब्बा नहीं हो। इससे हम लोगों को भी दिक्कत होती है। आपकी सरकार जिस तरह की परिस्थिति में फंसती है, आपकी सरकार जाए, यह तो हमारी इच्छा है। लेकिन, यह सरकार जब तक रहे, वह तरीके से रहे, यह हम

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहते हैं। आपसे भी निवेदन करते हैं कि हम कभी–कभी बुरी बात ही नहीं, अच्छी बात भी कहना चाहते हैं। यदि आपका आर्शीर्वाद और आपकी ही मुहब्बत नहीं मिलेगी, पहले आप प्रणब बाबू को बोलने के लिए कहेंगी, फिर नेता, विपक्ष को बोलने के लिए कहेंगी, तो हमारी बात कैसे होगी?

अध्यक्ष महोदयाः ठीक है, ठीक है। आपको बोलने के लिए कह दिया न। अब आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, स्थिति काफी असामान्य और अभूतपूर्व है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है जबकि किसी मंत्री से बजट पेश करने के पश्चात त्यागपत्र देने के लिए कहा गया हो। हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है। यह इसलिए भी अभूतपूर्व है क्योंकि, मंत्री समूह की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इस सरकार के मंत्री संसद भवन के सामने धरना दे रहे हैं, मंत्री के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का मंत्री इस्तीफा दे। मैंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना है....*(व्यवधान)* तृणमूल कांग्रेस की अध यक्षा कुमारी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि और उन्होंने मंत्री के स्थान पर अन्य व्यक्ति का नाम सुझाया है *(व्यवध ान)* हमारी यह मांग है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और यह स्पष्ट करें कि सरकार किस प्रकार कार्य कर रही हैं....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरूदास दासगुप्त के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आप लोग बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यह सब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल वही सम्मिलित किया जाएगा जो श्री गुरूदास दासगुप्ता जी कह रहे हैं।

....*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरूदास दासगुप्त जी, आप बोलिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्ता (घाटल) : मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मेरी बात सुनें। विचारों में भिन्नता हो सकती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में एक संकल्पना है.... *(व्यवधान)* मैं कुछ और कहना चाहता हूं। मैं अपने मित्रों की इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं कि किरायों और मालभाड़े में की गई बढ़ोतरी को वापिस लिया जाना चाहिए। मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूं। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को यह कहने का पूरा अधिकार है कि इस बढ़ोतरी को वापिस लिया जाए। वह भी इस देश की नागरिक हैं और हम भी। किंतु मेरे विचार से मुद्रास्फीति की स्थिति में किरायों में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह रेल बजट पर चर्चा नहीं है।

....*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्ता : महोदया, यदि ऐसा ही चलता रहा तो सदन चल नहीं पाएगा। जबकि हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले।

मेरा कहना है कि ''मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व'' जैसी संकल्पना हमारी संसदीय प्रणाली का आधार है किंतु आज इसका उल्लंघन किया जा रहा है। यह हमारी सरकार की छवि बिगड़ रही है। *[हिन्दी]* गवर्नमेंट कमजोर है, हिंदुस्तान की जनता को यह मालूम हो रहा है। *[अनुवाद]* यह नहीं होना चाहिए और यह पहले कभी नहीं हुआ है। मैं 1985 से यहां हूं। मैंने पहले कभी नहीं

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

देखा कि सरकार के सदस्य बाहर धरने पर बैठे हों। यह अभूतपूर्व शर्मनाक घटना है। उनकी मांगों का समर्थन करते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जो हमारे लोकतंत्र का आधार है, इसका संरक्षण किया जाए और सरकार अपनी छवि को बनाए रखे। आज देश के सामने जो चुनौतियां हैं, एक कमजोर सरकार उनका सामना नहीं कर सकती। अतः सरकार को सदन में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : अध्यक्ष महोदया, मैं यहां तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं न कि मंत्री के रूप में।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि न तो तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल न ही तृणमूल कांग्रेस ने श्री दिनेश त्रिवेदी जी से त्यागपत्र देने का आग्रह किया है। मैं यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

दूसरे, यह मामला मेरे दल की नेता कुमारी ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के बीच में है क्योंकि गठबंधन सरकार में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो निर्णय संबंधित दल के नेता और प्रधानमंत्री के बीच चर्चा के बाद ही लिया जाता है। यह मामला भी इसी तरह सुलझाया जाएगा।

तीसरे, मैं स्पष्ट तौर पर यह पुनः कहना चाहूंगा कि संप्रग–II सरकार पूरी तरह से स्थिर है और यह अपना कार्यकाल पूरा करेगी....*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि ....*(व्यवधान)* वह बोल चुके हैं। अब वे मुझे बोलने दें....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदन के नेता जो कह रहे हैं, केवल वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी : अध्यक्ष महोदया, माननीय नेता विपक्ष तथा अलग–अलग राजनैतिक दलों के कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं....*(व्यवधान)* कुछ संवैधानिक मामले हैं, कुछ प्रक्रिया संबंधी मामले हैं और कुछ तथ्यपरक मामले हैं। प्रश्न यह है कि क्या रेल मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। मेरा कहना है कि रेलमंत्री ने त्यागपत्र नहीं दिया। यह सबसे पहला मुद्दा है जिस पर मुझे बोलना है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरा, हमें तृणमूल कांग्रेस के नेता से हमें पत्र मिला है। तृणमूल कांग्रेस संप्रग–II की ही एक घटक है। जो पिछले छह सालों से गठबंधन सरकार चला रहे हैं, वे कितनी बार गठबंधन के सहयोगियों से परामर्श करते रहेंगे और किस प्रकार करेंगे, ये सभी सज्जन जो मेरा विरोध कर रहे हैं, वे इस बात को भली–भांति समझते हैं। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी ममता बनर्जी जी ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जैसे ही इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा, सदन को सभा को सूचित कर दिया जाएगा।

मैं इन सज्जनों के विचारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता जो स्वयं भी गठबंधन सरकार चला चुके हैं बल्कि इससे भी बदतर ढंग से। अतः हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए।

तीसरा मुद्दा संवैधानिक है। निश्चित रूप से रेल मंत्रालय ही रेल बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री इस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। रेल बजट पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति की भी आवश्यकता नहीं होती। इस पर केवल वित्त मंत्री जी की स्वीकृति चाहिए होती है। वित्त मंत्री के रूप में मैं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं। यह अब सभा की संपत्ति है। प्रत्येक माननीय सदस्य इस बात से अवगत है कि धन और वित्त से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव को स्वीकृति देना इस सदन का अंतर्निहित अधिकार है। उसे यह निर्धारित करने का पूरा अधिकार है कि वित्त प्रस्तावों का स्वरूप कैसा हो। यह सरकार के विचाराधीन है, सदन को इस पर विचार करता है। यह सदन की संपत्ति....*(व्यवधान)*

मुझे खेद कि संविधान के ये विशेषज्ञ बदमिजाज बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें नेताओं की भांति व्यवहार करना चाहिए बदमिजाज बच्चों की तरह नहीं....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न – 41, दानवे रावसाहेब पाटील।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः सवाल पूछिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः क्वैश्चन नंबर पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः उनको सवाल पूछने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः जल्दी पूछिए। आप केवल प्रश्न पूछ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : डॉ. संजीव गणेश नाईक

पूर्वाह्न 11.27 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

★41. **+डॉ. संजीव गणेश नाईक :**

श्री दानवे रावसाहेब पाटीलः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राज्य-वार आबंटित, जारी की गई तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके अंतर्गत निर्मित सड़क की लम्बाई कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांवों को शामिल किया गया तथा कितने गांवों को अभी सड़कों से जोड़ा जाना है;

(ग) क्या कतिपय परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 31 जनवरी, 2012 तक कुल 74398 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गई है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस अवधि के दौरान 31 जनवरी, 2012 तक कुल 67,904 करोड़ रु. की राशि खर्च हुई और 2,20,612 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान रिलीज की गई निधियों, किए गए खर्चा तथा निर्मित सड़कों की लंबाई का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों से न जुड़ी 1,58,849 पात्र बसावटों को सड़कों से जोड़ा जाना है। इन बसावटों में से 31.01.2012 की स्थिति के अनुसार 76,830 बसावटों को अभी सड़कों से जोड़ा जाना है। सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों तथा ऐसी बसावटों जिन्हें सड़कों से अभी जोड़ा जाना बाकी है, का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्यों में पीएमजीएसवाई की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य राज्य सरकारों के सुपुर्द किया गया है। ऐसे राज्य पीएमजीएसवाई योजनाओं के निष्पादन में निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक अड़चनों का सामना कर रहे हैं:

(i) अपर्याप्त संस्थागत क्षमता

(ii) संविदा की सीमित क्षमता

(iii) पर्याप्त संख्या में योग्य तकनीकी कर्मियों की अनुपलब्धता

(iv) कामकाज का सीमित मौसम तथा प्रतिकूल जलवायु स्थिति

(v) भूमि की अनुपलब्धता तथा वन क्षेत्रों में आने वाली भूमि की मंजूरी न मिलना

(vi) देश के कुछ भागों में कानून व्यवस्था की समस्या।

अनुबंध–I

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान रिलीज की गई निधियों, किए गए खर्च तथा निर्मित सड़कों की लंबाई का राज्य–वार ब्यौरा

(लंबाई कि.मी. में तथा रु. करोड़ में)

आंकड़े 31.01.2012 तक

क्रम सं.	राज्य	रिलीज की गई निधियां	व्यय	निर्मित सड़कों की लंबाई
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	2,463	2,490	9,526
2	अरुणाचल प्रदेश	942	983	1,878
3	असम	5,339	5,317	8,896
4	बिहार	9,934	8,351	13,328
5	छत्तीसगढ़	3,665	3,094	11,617
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	930	994	4,630
8	हरियाणा	961	962	2,955
9	हिमाचल प्रदेश	1,177	969	5,469
10	जम्मू और कश्मीर	1,756	1,349	2,737
11	झारखण्ड	2,193	1,526	4,504
12	कर्नाटक	2,589	2,668	9,748
13	केरल	551	440	1,018
14	मध्य प्रदेश	8,573	7,924	34,888
15	महाराष्ट्र	4,559	4,018	16,008
16	मणिपुर	545	494	2,054
17	मेघालय	100	112	287
18	मिजोरम	318	321	940
19	नागालैण्ड	198	220	1,076
20	उड़ीसा	7,177	6,596	15,560
21	पंजाब	1,311	1,156	3,182
22	राजस्थान	5,544	4,855	28,033
23	सिक्किम	452	365	678
24	तमिलनाडु	1,194	1,283	6,267
25	त्रिपुरा	1,075	1,115	1,476
26	उत्तर प्रदेश	7,023	7,138	23,575
27	उत्तराखंड	892	738	3,188
28	पश्चिम बंगाल	2,937	2,426	7,094
	कुल योग	74,398	67,904	2,20,612

अनुबंध–II

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों तथा ऐसी बसावटों जिन्हें सड़कों से अभी जोड़ा जाना बाकी है, का राज्य–वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	2001 की जनगणना के अनुसार सड़क संपर्कविहीन पात्र बसावटों की सं.	31.01.2012 तक ऐसी बसावटों की सं. जिन्हें अभी सड़कों से जोड़ा जाना है
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	1,864	512
2	अरुणाचल प्रदेश	802	510
3	असम	10,869	4,354
4	बिहार	20,772	14,562

1	2	3	4
5	छत्तीसगढ़	10,518	4,446
6	गोवा	20	18
7	गुजरात	2,985	520
8	हरियाणा	1	–
9	हिमाचल प्रदेश	3,699	1,838
10	जम्मू और कश्मीर	2,724	1,799
11	झारखण्ड	9,144	6,094
12	कर्नाटक	269	–
13	केरल	435	73
14	मध्य प्रदेश	20,767	10,013
15	महाराष्ट्र	1,755	646
16	मणिपुर	1,004	792
17	मेघालय	756	612
18	मिजोरम	245	118
19	नागालैण्ड	113	24
20	उड़ीसा	20,445	14,107
21	पंजाब	418	12
22	राजस्थान	16,600	6,162
23	सिक्किम	318	152
24	तमिलनाडु	2,203	272
25	त्रिपुरा	1,731	445
26	उत्तर प्रदेश	13,954	2,847
27	उत्तराखंड	2,435	1,794
28	पश्चिम बंगाल	12,003	4,108
	कुल योग	1,58,849	76,830

[अनुवाद]

डॉ. संजीव गणेश नाईक : महोदया, धन्यवाद। भारत के लगभग 33 प्रतिशत गांवों में बारहमासी सड़कें नहीं हैं और बरसात के मौसम के दौरान वे अलग–थलग पड़ जाते हैं। अतः प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उन्हें बारहमासी सड़कों से न केवल जोड़ने बल्कि वहां बारहमासी सड़के बनाने के लिए क्या कदम उठाएं जाएंगें....*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश : अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 लोगों से अधिक आबादी वाली सभी बसावटों....*(व्यवधान)* को भी विशेष समस्या वाले क्षेत्रों में 250 लोगों से अधिक आबादी वाली बसावटों को बारह मासी सड़कों से जोड़ना है....*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.28 बजे

इस समय श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी और कुछ माननीय सदस्य आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

....*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश : किंतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश....जैसे पिछड़े राज्यों में योजना में ध्यान दिया जा रहा है....*(व्यवधान)*। अन्य राज्यों में जहां ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो गया है वहां हम ठोस उन्नयन कार्य आरंभ कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

डॉ. संजीव गणेश नाईक : महोदया, कुछ तकनीकी समस्या के कारण अनेक ग्रामों को अभी भी इस योजना के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह पुनः इन ग्रामों को इस योजना में शामिल करने पर विचार करेंगे. ...(व्यवधान)

श्री जयराम रमेश : अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बसावटों को लिया जाता है, इस योजना में राजस्व गांवों को नहीं लिया जाता हैं जो भी बसावटें जनसंख्या मानदंडों को पूरा करती हैं और मूल मुख्य बस्तियों का भाग होती हैं उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किया जाता है....*(व्यवधान)*। देश में कतिपय ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बसावटों के कार्यक्रमों को ठोस ढंग से पूरा कर लिया है जिनमें उन्नयन कार्य की आवश्यकता है ....*(व्यवधान)* किंतु जैसा कि मैंने कहा उत्तर भारत में और देश के

पूर्वी भाग में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बसावटों को जोड़ने के बुनियादी लक्ष्यों को पूरा किया जाना बाकी है....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मेरी कंस्टिचुअन्सी महाराष्ट्र में वर्धा है, वहां पंतप्रधान सड़क योजना में जो काम हुए उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। सौ करोड़ रुपये की योजना में 35 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। ...*(व्यवधान)* इसके बारे में मैंने कम्प्लेन किया था। आपकी कमेटी आई थी। उन्होंने भी दोष बताए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे संबंधित जो ठेकेदार या अन्य लोग हैं उन पर कब कार्रवाई होगी? ...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, जब भ्रष्टाचार या गुणवत्ता की कमी की शिकायतें आती हैं तो एक प्रणाली है उस प्रणाली के अनुसार हम पहले राज्य सरकारों से टिप्पणी मांगते हैं कि शिकायत पर उनका क्या कहना है? जब हमें राज्य सरकार से जवाब आता है तभी हम कार्रवाई कर पाते हैं। वह कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है? कान्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना या कान्ट्रैक्टर का कान्ट्रैक्ट खत्म करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ...*(व्यवधान)* हम राज्य सरकार को पैसा रोकने के पक्ष में नहीं हैं। यह बात सही है कि कई राज्यों से, खासतौर से वर्धा जिले से भी शिकायतें आई हैं। ...*(व्यवधान)* मेरा सिर्फ यही कहना है कि कार्रवाई करने की प्राथमिक जिम्मेदारी और मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। ...*(व्यवधान)*

श्री इज्यराज सिंह: अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई जाती हैं उनकी गुणवत्ता एवं मापदंड गांवों में रहने वालों के हिसाब से की जाती है एवं एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की दृष्टिकोण से उसकी गुणवत्ता दी जाती है। ..*(व्यवधान)* देश में ऐसे कई ग्रामीण इलाके हैं जहां माइनिंग क्षेत्र है, जहां माइन्स होते हैं। पत्थर से लदे हुए भारी वाहन और माइन्स के अन्य उत्पादन वस्तुओं से लदे हुए भारी वाहन इन सड़कों पर चलती हैं जिससे ये समय से पहले ही बिगड़ जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में कोटा और बूंदी जिले में डाबी क्षेत्र एवं रामगंज मंडी क्षेत्र माइनिंग इलाका है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय की सोच और उनकी सोच इस ओर गयी है कि किस प्रकार इन इलाकों को पहले से ही चिन्हित किया जाए और इन पर विशेष ध्यान देकर ज्यादा मजबूत सड़कें बनाई जाएं ताकि सड़कें क्षतिग्रस्त न हो पाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री जयराम रमेश: अध्यक्ष महोदया, जब सड़कें बनायी जाती हैं तो सड़कों पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होता है। सड़क पर कितना ट्रैफिक है उसका अनुमान लिया जाता है। ...*(व्यवधान)* ट्रैफिक के अनुसार मापदंड बनाए जाते हैं। यह बात सही है कि कई ऐसे ग्रामीण इलाकों में सड़कें हैं जहां खनन की वजह से ट्रैफिक ज्यादा है। ...*(व्यवधान)* मैं समझता हूं कि डीपीआर के वक्त पर इसको नजरअंदाज नहीं किया जाता है और राज्य सरकार की स्टेट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है, जो डीपीआर बनाती है वह जरूर इसको शामिल करते हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

★42. श्री अनंत कुमार हेगड़े :

डा. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरक उत्पादक एककों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2011 के दौरान प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कितने प्रतिशत कमी की गई है;

(घ) क्या उक्त कमी के परिणामस्वरूप उर्वरकों के उत्पादन में कमी आने और उत्पादन लागत में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुमान लगाए गए हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार देश में यूरिया उत्पादक इकाइयों की प्राकृतिक गैस की आवश्यकता को पूर्णतया पूरा किया जाएगा। मंत्रियों की अधिकार–प्राप्त समिति

(ईजीओएम) के निर्णय के अनुसार मौजूदा गैस आधारित यूरिया संयंत्रों को गैस का आबंटन करने में पहली प्राथमिकता दी गई है। यूरिया उत्पादक इकाइयों द्वारा प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल ईंधन और फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है। स्वदेशी गैस आपूर्ति में कमी, यदि कोई हो, को एसपीओटी गैस (आयातित) से खरीद कर पूरा किया जाता है। वर्ष 2011 के दौरान प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण यूरिया के उत्पादन में कोई कटौती नहीं हुई थी।

रसोई गैस की कमी

★43. श्री सुदर्शन भगत :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति हेतु सामान्यतः कितना समय अपेक्षित है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल विपणन कंपनियों तथा गैस एजेंसियों, विशेषकर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या सहित इस संबंध में दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) रसोई गैस डीलरों की राज्य–वार संख्या सहित रिफिल गैस सिलेंडरों की कमी/उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या गैस एजेंसियों का भ्रष्ट गतिविधियों और कालाबाजारी में लिप्त होने का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनी–वार रसोई गैस की कालाबाजारी के लिए दोषी गैस कंपनियों पर कितने छापे मारे गए हैं तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) देश में रसोई गैस रिफिल सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने अपने वितरकों के लिए सामान्य परिस्थितियों में रीफिल बुकिंग से दो कार्य दिवसों के भीतर रिफिल एलपीजी सिलिंडर की सुपुर्दगी करने का मानक निर्धारित किया है। तथापि, मांग में अत्यधिक वृद्धि सहित उत्पाद आपूर्ति में अड़चनों, हड़तालों, सड़क के टूटने, बाढ़, अनियोजित तालाबंदी, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण यह देखा गया है कि वितरण रीफिल एलपीजी सिलेंडर की सुपुर्दगी करने में 15 दिन तक का समय ले रहे हैं।

एलपीजी रीफिलों की आपूर्ति में विलंब की सिद्ध शिकायतों के आधार पर पिछले तीन वर्षों और अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान बीपीसीएल के 77 मामलों सहित 285 मामलों में दोषी एलपीजी वितरकों के विरुद्ध एमडीजी/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

(ख) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने अप्रैल 2011 से जनवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 10,194.84 टीएमटी घरेलू एलपीजी की आपूर्ति की तुलना में 10,982.93 हजार मीट्रिक टन (टीएमटी) की आपूर्ति की है और यह 8.21% की वृद्धि दर्शाती है। दिनांक 12.3.2012 की स्थिति के अनुसार मार्गस्थ स्टाक सहित एलपीजी का अखिल भारतीय आधार पर कुल स्टाक लगभग 264 टीएमटी है जो 6 दिन के कवर के समतुल्य है। दिनांक 12.3.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में बैकलाग 47.37 टीएमटी है।

वर्तमान में, ओएमसीज देश में 942 राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स सहित 11,215 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स का प्रचालन कर रही हैं। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए ओएमसीज वितरकों के परिसर का नियमित रूप से औचक निरीक्षण, रीफिल जांच, ग्राहकों के परिसरों की औचक जांच, सुपुर्दगी वाहनों आदि की मार्गस्थ जांच करती हैं और आवश्यक होने पर एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

एलपीजी की कालाबाजारी की सिद्ध शिकायतों के आधार पर पिछले तीन वर्षों और अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान 756 मामलों में दोषी एलपीजी वितरकों के विरुद्ध एमडीजी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। कंपनी–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

ओएमसी का नाम	की गई कार्रवाई
आईओसी	340
बीपीसीएल	188
एचपीसीएल	228

घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन रोकने के लिए सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" जारी किया है और "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश, 2001" तैयार किए हैं जिनमें एलपीजी की कालाबाजारी/विपथन में लिप्त पाए जाने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था है।

एमडीजी में दोषी वितरकों के विरुद्ध अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाई की व्यवस्था है :

- प्रथम अपराध के लिए 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- द्वितीय अपराध के लिए 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तृतीय अपराध के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

(ङ) देश में कुल एलपीजी खपत का 34.65% अर्थात् 4.295 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक (एमएमटीपीए) का मुख्यतः सऊदी अरब, कतर, कुवैत, आबू धाबी और मलेशिया जैसे देशों से आयात करना अपेक्षित है। ओएमसीज द्वारा आपूर्ति और वितरण श्रृंखला को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। जब कभी बैकलाग होता है, ओएमसीज के भरण संयंत्रों का प्रचालन अवकाश के दिनों और कार्य घंटे बढ़ा कर करने के लिए सरकार के स्थायी अनुदेश हैं।

विवरण

दिनांक 01.02.2012 की स्थिति के अनुसार देश में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की सं.	आरजीजीएलवी की सं.
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	1043	125
2	अरुणाचल प्रदेश	32	0
3	असम	278	0
4	बिहार	385	96
5	छत्तीसगढ़	160	29
6	दिल्ली	316	0
7	गोवा	53	0
8	गुजरात	557	7
9	हरियाणा	302	0
10	हिमाचल प्रदेश	127	3
11	जम्मू और कश्मीर	165	0
12	झारखंड	150	34
13	कर्नाटक	528	26
14	केरल	420	0
15	मध्य प्रदेश	590	55
16	महाराष्ट्र	1068	155
17	मणिपुर	38	0
18	मेघालय	36	0
19	मिजोरम	28	0
20	नागालैंड	32	0
21	ओडिशा	210	38
22	पंजाब	464	0
23	राजस्थान	486	119
24	सिक्किम	8	0
25	तमिलनाडु	743	58

1	2	3	4
26	त्रिपुरा	33	0
27	उत्तर प्रदेश	1265	165
28	उत्तराखंड	179	0
29	पश्चिम बंगाल	521	32
30	अंडमान और निकोबार	5	0
31	चंडीगढ़	27	0
32	दादरा और नगर हवेली	2	0
33	दमन और द्वीव	2	0
34	लक्षद्वीप	1	0
35	पुदुचेरी	19	0
	योग	10273	942

[अनुवाद]

वर्षा जल संचयन

★44. श्री ए. के. एस. विजयन :

श्रीमती अन्नू टंडन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष संचित वर्षा जल का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन देने हेतु प्रयोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए किन्हीं विशेष योजनाओं और उपायों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार वर्षा जल संचयन की अवसंरचना विकास हेतु एक विशेष कोष की स्थापना करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में तेजी से गिर रहे भू-जल स्तर के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) वार्षिक वर्षा जल संचयन की राज्यवार प्रतिशता का रखरखाव नहीं करता है। राज्य के भूमि जल संगठनों और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार भूमि जल पुनर्भरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्षा जल संचयन के बारे में जागरूकता फैलाने तथा बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) योजना के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड निम्नलिखित कार्यकलाप करता है :

- वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम।
- वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम।
- जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- स्कूल, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयों में कक्षा iv, v, vi के बच्चों के लिए जल संरक्षण संबंधी पैंटिंग प्रतियोगिता
- पैम्फलेटों और पुस्तिकाओं का वितरण, प्रदर्शनियों, मेलों में प्रतिभागिता इत्यादि।

इसे अलावा 11वीं योजना अवधि के दौरान जल संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने 100 करोड़ रुपये के परिव्यय से प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को प्रारंभ किया है, जिनमें भूमि जल प्रबंधन और विनियमन की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत वर्षा जल संचयन शामिल है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्ष 2006 में पणधारियों तथा जल प्रबंधकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के मुख्य उद्देश्य से माननीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन किया है।

(घ) वर्षा जल संचयन हेतु अवसंरचना के विकास के लिए विशेष निधियों की व्यवस्था करने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(ङ) 'जल' राज्य का विषय होने के कारण भूमि जल के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए आवश्यक उपाय संबंधित राज्य अभिकरणों द्वारा प्रारंभ किए जाने हैं। तथापि, केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने देश में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं।

★ सीजीडब्ल्यूबी ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण से संबंधित एक नियम पुस्तिका तैयार की है, जिसमें कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के स्थानों के चयन, आयोजना एवं डिजाइन हेतु तकनीकों संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लेख किया है। नियम पुस्तिका को राज्य सरकारों सहित प्रयोक्ता अभिकरणों को परिचालित किया गया है।

★ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूमि जल विकास के विनियमन एवं नियंत्रण हेतु समुचित कानून अधिनियमित करने में सहायता प्रदान करने के लिए मॉडल बिल को परिचालित करना, जिसमें छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने का प्रावधान है। अभी तक 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षदीव एवं पुडुच्चेरी ने भूमि जल कानून अधिनियमित कर लिया है।

★ राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने की सलाह दी गई है। इसके अनुपालन में 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में भवन निर्माण उपनियमों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया गया है।

★ केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा अतिदोहित ब्लॉकों लें 12 राज्यों के मुख्य सचिवों तथा 2 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भूमि जल के कृत्रिम पुनभरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए निदेश जारी किए गए हैं।

★ सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों और शहरी विकास मंत्रालय को निर्देश जारी किए गए हैं।

★ देश में अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों (जल ग्रसित क्षेत्रों को छोड़कर) में आने वाले आवासीय समूह रिहायशी सोसाईटियों/संस्थाओं/स्कूलों/होटलों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने परिवारों में छत की वर्षा जल संचयन प्रणालियों को अपनाने के लिए राज्यों एवं विभागों के माध्यम से निदेश जारी किए गए हैं।

★ देश में (जल ग्रसित क्षेत्रों को छोड़कर) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य के राजमार्गों तथा अन्य सड़कों पर सीआरआरआई द्वारा भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीपीडब्ल्यूडी, राज्य के लोक निर्माण विभागों, भारतीय रेलवे द्वारा, रेलवे ट्रैकों पर, भारत के खेल प्राधिकरण, बीसीसीआई, खेल और युवा मामलों के विभागों द्वारा सभी स्टेडियमों में तथा भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हवाई अड्डों पर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने, भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने के लिए भूमिजल पुनर्भरण उपायों का कार्यान्वयन करने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को निदेश जारी किए गए हैं।

★ केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भूमि जल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन हेतु देश में 82 क्षेत्रों को अधिसूचित किया है। इन अधिसूचित क्षेत्रों में प्राधिकरण/प्राधिकृत अधिकारियों के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के बिना नई भूमि जल निकासी संरचनाओं को संस्थापित करने की अनुमति नहीं है।

विवरण

भूमि जल संसाधनों का राज्यवार वार्षिक पुनर्भरण (आकलन वर्ष 2009)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमि जल संसाधन का वार्षिक पुनर्भरण (बीसीएम/वर्ष)
1	2	3
	राज्य	
1	दिल्ली	0.31
2	पंजाब	22.56
3	राजस्थान	11.86
4	हरियाणा	10.48
5	तमिलनाडु	22.94
6	गुजरात	18.43

1	2	3
7	कर्नाटक	16.81
8	उत्तर प्रदेश	75.25
9	उत्तराखंड	2.17
10	मध्य प्रदेश	33.95
11	महाराष्ट्र	35.73
12	केरल	6.62
13	आंध्र प्रदेश	33.83
14	पश्चिम बंगाल	30.50
15	बिहार	28.63
16	हिमाचल प्रदेश	0.59
17	गोवा	0.22
18	असम	30.35
19	झारखंड	5.96
20	छत्तीसगढ़	12.22
21	ओडिशा	17.78
22	सिक्किम	–
23	जम्मू और कश्मीर	3.70
24	त्रिपुरा	2.97
25	नागालैंड	0.42
26	मिजोरम	0.04
27	मणिपुर	0.44
28	मेघालय	1.23
29	अरुणाचल प्रदेश	4.45
	कुल राज्य	430.44

1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
1	दमन और दीव	0.01
2	पुदुचेरी	0.17
3	लक्षद्वीप	0.01
4	दादरा और नगर हवेली	0.06
5	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.31
6	चंडीगढ़	0.02
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.58
	कुल योग	431.02

रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा और आपातकालीन सुविधाएं

★45. **श्री मानिक टैगोर :**

श्रीमती मीना सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेल यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान चिकित्सा और आपातकालीन सुविधाएं शुरू करने/उनमें सुधार करने की आवश्यकता संबंधी कतिपय मामले ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एक डॉक्टर सहित आपातकालीन चिकित्सा कक्ष/प्राथमिक उपचार कक्ष स्थापित करने तथा एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो उपलब्ध कराए जानेवाले आपातकालीन उपस्कर/संबंधित सामान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) और (ख) जी हां। 16.11.2011 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर जब एक बंद तथा खाली रेक को प्लेटफार्म पर लगाया जा रहा था, उस समय इस पर चढ़ने का प्रयास करते हुए एक यात्री के घायल होने की घटना हुई थी।

(ग) से (ङ) जी हां। रेलवे ने सभी रेलवे स्टेशनों पर जरूरतमंद यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने की एक प्रणाली बनाई है। स्टेशनों पर फ्रंट लाइन रेलवे स्टॉफ प्राथमिक चिकित्सा देने के कार्य में प्रशिक्षित हैं। रेलवे स्टेशनों पर आवश्यकता पड़ने पर रेलवे डाक्टरों की सेवाएं भी उपलब्ध है। स्टेशन मास्टरों के पास नजदीकी अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची होती है, जिनकी सेवाओं का उपयोग आपात स्थितियों में भी किया जाता है। इनके अलावा, केंद्रीकृत दुर्घटना एवं अभिघात सेवा (केट्स) और रेलवे एंबुलेंस का भी उपयोग किया जाता है।

उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र में पांच प्रमुख स्टेशनों में 'इमरजेंसी इक्युपमेंट रूम' की स्थापना की है। इन कमरों में मरीजों के लिए स्ट्रेचर, ट्रॉली और व्हील चेयर, गैस कटर, आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और अन्य बचाव उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य प्रमुख स्टेशनों पर 'इमरजेंसी रिस्पांस रूम' की स्थापना के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

डीजल की खपत

***46. श्री रमेश बैस :**

श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान डीजल और पेट्रोल की खपत में वर्ष–वार पृथक–पृथक कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अन्तर होने की वजह से कार–विनिर्माता डीजल कारों के नए मॉडल लाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डीजल के अलग–अलग उपयोग के लिए अलग–अलग कीमतें निर्धारित करने का है; और

(घ) देश में डीजल की खपत नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल–जनवरी, 2012) के दौरान डीजल और पेट्रोल की खपत में हुई वृद्धि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(आंकड़े टीएमटी में)

वर्ष	डीजल की खपत	डीजल की खपत में % वृद्धि	पेट्रोल की खपत	पेट्रोल की खपत में % वृद्धि
2008–09	51,710	8.5	11,258	9.0
2009–10	56,242	8.8	12,818	13.9
2010–11	60,071	6.8	14,192	10.7
2011–12 (अप्रैल–जनवरी) (अनंतिम)	53,261	7.2	12,350	4.8

(ख) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग ने रिपोर्ट दी है कि उनके पास कार निर्माताओं को डीजल कारों का नया वर्जन लांच करने के लिए ललचा रहे पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में अंतर के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस मंत्रालय का डीजल के विभिन्न उपयोगों के लिए अलग–अलग मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में डीजल द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने डीजल की खपत को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है।

[अनुवाद]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास और पुनरूद्धार

★47. **श्री अम्बिका बनर्जी :**

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एककों के विकास के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ योजना-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बंद पड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एककों का पुनरूद्धार करने का है; और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में बंद पड़े इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एककों का कब तक पुनरूद्धार किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास के लिए योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं एमएसएमई को ऋण प्रवाह सुगम बनाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, अवसंरचना विकास और विपणन तथा ऐसे अन्य कार्यकलापों से संबंधित हैं। इन योजनाओं का पूर्ण ब्यौरा www.msme.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आबंटित और इस्तेमाल की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य-वार आबंटन नहीं किए जाते क्योंकि ये केंद्रीय योजनाएं हैं और औद्योगिक इकाइयों/क्लस्टरों/राज्यों की मांग पर दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) बंद उद्यमों (2009-10 तक आयोजित और 2011 में प्रकाशित सर्वेक्षण के अनुसार संदर्भ वर्ष 2006-07 के लिए पंजीकृत एमएसएमई की चौथी गणना के रिपोर्टों के अनुसार) का राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय रूग्णता के कारण बंद सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के पुनर्वास के लिए कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) द्वारा रुग्णता के कारण बंद हुए एमएसई को पुनर्वास के लिए नए ऋणों सहित ऋणों के पुनर्निर्धारण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

रुग्ण एमएसई की संख्या, संभावित जीवनक्षम उद्यमों और पोषणाधीन उद्यमों की संख्या, साथ ही मार्च 2011 के अंत तक की स्थिति के अनुसार उन पर बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

इकाइयों का पुनरूद्धार उद्यमी की सक्रियता, उद्यमी को उपलब्ध बाजार, उद्यमी के पास उपलब्ध वित्त, इत्यादि सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। अतः, इकाइयों का पुनरूद्धार किया जा सकता है या नहीं और यदि किया जा सकता है तो कब तक, इस बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण-I

एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार आबंटन और उपयोग

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	योजना	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	734.80	408.65	559.70	742.76^	836.00	905.41'	800.00	753.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)	136.01	136.01	122.00	122.00	198.75	200.00^^	4.90	1.00
3	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएससस)	118.59	108.88	163.25	150.36	234.35	249.81^^	344.30	144.53
4	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एनएमसीपी)	33.64	7.13	27.62	14.66	44.29	22.29	40.50	13.74
5	क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी)	23.00	11.74	15.93	13.12	20.46	17.54	44.00	15.13
6	विपणन सहायता	12.60	12.77^^^	10.00	10.00	11.00	10.00	10.00	10.00
7	निष्पादन क्रेडिट रेटिंग	8.81	7.15	40.00	36.80	44.00	44.80^^^	75.00	69.25

29.02.2012 की स्थिति के अनुसार ^ पिछले वर्ष से आगे लाई गई राशि सहित ^^ अनुपूरक मांग पर प्राप्त राशि सम्मिलित है।

विवरण–II

31.3.2007 की स्थिति के अनुसार बंद उद्यमों का राज्यवार वितरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बंद उद्यम
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	142
2	आंध्र प्रदेश	2250
3	अरुणाचल प्रदेश	167
4	असम	6266
5	बिहार	16344
6	चंडीगढ़	559
7	छत्तीसगढ़	15485
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दमन और दीव	24
10	दिल्ली	0
11	गोवा	2754
12	गुजरात	34945
13	हरियाणा	10973
14	हिमाचल प्रदेश	4034
15	जम्मू और कश्मीर	1831
16	झारखंड	3712
17	कर्नाटक	47581

1	2	3
18	केरल	34903
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	36502
21	महाराष्ट्र	41856
22	मणिपुर	929
23	मेघालय	665
24	मिजोरम	669
25	नागालैंड	2395
26	ओडिशा	5744
27	पुदुचेरी	711
28	पंजाब	24553
29	राजस्थान	17342
30	सिक्किम	86
31	तमिलनाडु	82966
32	त्रिपुरा	424
33	उत्तर प्रदेश	80616
34	उत्तराखंड	8219
35	पश्चिम बंगाल	10708
	अखिल भारतीय	4,96,355

विवरण-III

मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार रूग्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की राज्यवार जीवन क्षमता की स्थिति

(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

राज्य/सं.शा. क्षेत्र	कुल रूग्ण इकाइयां		संभावित जीवन क्षमता		गैर-जीवन क्षमता		जीवन क्षमता निर्धारित की जानी है		पोषण के अधीन जीवन क्षमता इकाइयां	
	यूनिट	ओ/एस★	यूनिट	ओ/एस★	यूनिट	ओ/एस★	यूनिट	ओ/एस★	यूनिट	ओ/एस★
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पूर्वी क्षेत्र										
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	0.25	0	0.00	8	0.25	0	0.00	0	0.00
अरुणाचल प्रदेश	109	3.576	15	0.42	94	3.15	0	0.00	0	0.00
असम	506	122.71	35	79.72	461	41.96	10	1.03	3	0.35
बिहार	4872	67.81	473	9.20	4077	53.52	322	5.09	449	8.68
झारखंड	1476	70.65	222	27.55	1238	30.40	16	12.70	76	14.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मणिपुर	23	0.35	1	0.01	22	0.34	0	0.00	1	0.01
मेघालय	276	3.58	1	0.00	275	3.56	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	7	0.80	0	0.00	7	0.80	0	0.00	0	0.00
नागालैंड	23	1.87	2	0.14	21	1.73	0	0.00	0	0.00
ओडिसा	4967	101.58	290	23.28	4660	62.63	17	15.67	177	10.53
सिक्किम	21	2.56	0	0.00	21	2.56	0	0.00	0	0.00
त्रिपुरा	13	1	2	0	11	1	0	0	1	0
पश्चिम बंगाल	7904	721.42	268	130.58	7549	547.94	87	42.90	149	22.24
उप–योग	20205	1097.90	1309	271.11	18444	749.40	452	77.39	856	56.65
उत्तरी क्षेत्र										
चंडीगढ़	147	33	1	11	144	22	2	0	1	11
दिल्ली	4250	297.81	105	55.67	3688	197.41	457	44.73	98	31.89
हरियाणा	344	21	27	4	312	16	5	1	27	4
हिमाचल प्रदेश	575	65	68	34	503	30	4	1	69	34
जम्मू और कश्मीर	1631	37.14	290	6.88	1002	22.18	339	8.08	22	1.81
पंजाब	1478	141.13	198	32.86	1261	68.41	19	39.86	175	21.76
राजस्थान	1743	52.74	195	8.23	1472	32.02	76	12.49	61	0.32
उत्तर प्रदेश	4674	244.30	1286	69.44	3283	167.65	105	7.22	521	39.68
उत्तराखंड	362	9.15	112	1.90	250	7.25	0	0.00	5	0.07
उप–योग	15204	900.23	2282	224.74	11915	561.83	1007	113.67	979	145.31
पश्चिमी क्षेत्र										
छत्तीसगढ़	1052	36.43	46	3.16	968	30.97	38	2.30	50	7.64
दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00
दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गोवा	155	49.02	21	40.07	123	7.71	11	1.24	21	40.07
गुजरात	4321	270.34	540	61.40	3607	183.87	174	25.07	519	40.70
मध्य प्रदेश	8124	107.47	289	11.01	7597	93.75	238	2.71	141	1.70
महाराष्ट्र	8815	876.87	777	137.93	5528	629.49	2510	109.44	714	63.14
उप–योग	22467	1340.13	1673	253.57	17823	945.79	2971	140.76	1445	153.25
दक्षिणी क्षेत्र										
आंध्र प्रदेश	11305	390.43	254	76.52	10706	284.69	345	29.22	232	24.77
कर्नाटक	7034	467.84	505	61.01	5505	338.86	1024	67.97	210	23.79
केरल	5363	241.40	376	45.77	4584	186.90	403	8.73	288	31.46
पुदुचेरी	1457	8.54	2	0.48	1455	8.06	0	0.00	2	0.48
तमिलनाडु	7106	764.78	717	179.78	6086	513.59	303	71.41	686	82.59
उप–योग	32265	1872.99	1854	363.56	28336	1332.10	2075	177.33	1418	163.09
कुल योग	90141	5211.25	7118	1112.98	76518	3589.12	6505	509.15	4698	518.30

*ओ/एसशेष राशि (करोड़ रू. में)

स्रोत : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

नक्सल प्रभावित जिलों के लिए कार्मिकों की भर्ती

★48. श्रीमती सुप्रिया सुले :

श्री संजय दिना पाटील :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने हेतु नक्सल प्रभावित जिलों में नौकरशाहों की सहायता के लिए एक अलग संवर्ग के रूप में गैर–आईएएस अधिकारियों की भर्ती करने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सहभागिता योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रत्येक समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिले में जिला प्रशासन की मदद करने के लिए युवा पेशेवर तैनात करने हेतु "आईएपी जिलों में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित कार्यनीति" बनाने के लिए 13 सितम्बर, 2011 को एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री की ग्रामीण विकास फेलोज (पीएमआरडीएफ) योजना नामक ग्रामीण विकास फेलो योजना की घोषणा की थी। कुछ पेशेवर सहायता की अनुमानित जरूरत के आधार पर राष्ट्रीय कार्यशाला में पीएमआरडीएफ की घोषणा की गई

थी ताकि विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। पीएमआरडी फेलो का दर्जा प्रशिक्षुओं का होगा। इस फेलोशिप से युवा पेशेवरों के क्षमता निर्माण का विशेष अवसर मिलेगा और साथ ही विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को मदद भी मिलेगी। सफलतापूर्वक समापन के पश्चात, फेलो को प्रवीणता प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। पीएमआरडीएफ जिला कलेक्टरों के अधीन कार्य करेंगे और अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे :

i. जिले का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण करना तथा लोगों द्वारा महसूस की गई जरूरतों का पता लगाना;

ii. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) तथा आईएपी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में सहायता करना;

iii. उपर्युक्त कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी तथा मूल्यांकन;

iv. स्थानीय क्षेत्रों आदि में स्वैच्छिक सहयोग के लिए नेटवर्क बनाना।

इस फेलोशिप की अवधि दो वर्ष की होगी जिसे निष्पादन के आधार पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। केंद्र स्तर पर कपार्ट, जो कि मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है, द्वारा पीएमआरडीएफ योजना में सहयोग दिया जाएगा। फेलो का चयन एक प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि तथा आईएपी जिलों के कलक्टर शामिल होंगे। 78 आईएपी जिलों में से प्रत्येक जिले में दो फेलो को तैनात करने का प्रस्ताव है। सभी जिलों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिलों में तैनाती का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

समुद्र जल से बिजली उत्पादन

★49. **श्री नरहरि महतो :**

श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान समुद्र जल से बिजली उत्पादन करने की दिशा में काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लागत प्रभावी विश्लेषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ देश में प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री विलासराव देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में, ओटीईसी और तरंग ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन को उच्च पूंजी लागत तथा विद्युत निर्माण के निम्न स्तर के कारण वाणिज्यिक पैमाने पर लागत प्रभावी नहीं पाया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभार्थी

★50. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य-वार और लिंग-वार कुल कितने कामगारों को रोजगार प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कामगारों को राज्य-वार और लिंग-वार कितनी मजदूरी का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार का इस योजना के बारे में ग्रामीण लोगों में

जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रणाली विकसित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या, श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान पर हुआ खर्च तथा सृजित महिला कार्य दिवसों के प्रतिशत का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा सहित अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन करता है। इन सभी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु देश भर में जागरूकता सृजन के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए किए गए बजट आबंटन में से इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से वृहत पैमाने पर मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं।

विवरण

मनरेगा कार्यनिष्पादन

क्रम सं.	राज्य	रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या				महिला श्रम दिवस का प्रतिशत				मजदूरी पर व्यय (लाख रु. में)			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 16/02/12 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 16/02/12 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 16/02/12 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	5699557	6158493	6200423	4606635	58.2	58.1	57.0	57.7	225796.5	371511.0	335056.2	202428.1
2	अरुणाचल प्रदेश	80714	68157	134527	2381	26.1	17.2	33.3	25.4	2055.8	1166.2	2957.6	2.5
3	असम	1877393	2137270	1798372	1002870	27.2	27.7	26.5	24.8	57941.3	63735.8	50385.2	29678.6
4	बिहार	3822484	4127330	4738464	774277	30.0	30.0	28.5	28.0	84379.9	110872.8	162216.4	33844.5
5	छत्तीसगढ़	2270415	2025845	2485581	2338507	47.4	49.2	48.6	45.3	91005.6	85669.6	115934.3	104123.1
6	गुजरात	850691	1596402	1096223	698168	42.8	47.5	44.2	45.8	14437.3	52249.3	47886.1	26177.8
7	हरियाणा	162932	156406	235281	218332	30.6	34.8	35.6	36.1	8269.4	8907.0	14225.7	12927.3
8	हिमाचल प्रदेश	445713	497336	444247	413693	39.0	46.1	48.3	59.5	20337.8	31213.6	27769.1	22555.6
9	जम्मू और कश्मीर	199166	336036	492277	207129	5.8	6.7	7.5	15.5	5321.8	12005.7	23727.4	8683.4
10	झारखंड	1576348	1702599	1987360	1323293	28.5	34.2	33.5	31.0	67843.6	82304.0	85807.1	53267.0
11	कर्नाटक	896212	3535281	2224468	976339	50.4	36.8	46.0	45.8	23295.9	172303.7	157562.9	84093.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	केरल	692015	955976	1175816	1341199	85.0	88.2	90.4	92.9	18459.6	40954.2	63676.9	63833.4
13	मध्य प्रदेश	5207665	4714591	4407643	2942608	43.3	44.2	44.4	42.5	215621.8	219623.8	214931.9	127147.0
14	महाराष्ट्र	906297	591547	451169	922355	46.2	39.7	45.9	46.1	31377.0	25857.7	26886.9	55796.1
15	मणिपुर	381109	418564	433856	252199	45.9	48.0	35.1	34.1	22299.4	23780.0	27477.2	7903.3
16	मेघालय	224263	300482	346149	274576	41.4	47.2	43.9	41.3	6052.8	11722.1	19925.7	10917.5
17	मिजोरम	172775	180140	170894	167307	36.6	35.0	33.9	23.7	13712.3	17782.5	19239.9	7589.0
18	नागालैंड	296689	325242	350815	228245	36.7	43.5	35.0	22.5	16372.3	29229.3	34396.7	9992.8
19	उड़ीसा	1199006	1398300	2004815	1172044	37.6	36.2	39.4	38.5	39810.4	58671.6	93293.1	43049.4
20	पंजाब	147336	271934	278134	197562	24.6	26.3	33.9	43.8	4412.4	9529.8	9765.3	6772.5
21	राजस्थान	6373093	6522264	5859667	4274896	67.1	66.9	68.3	69.0	426531.9	393048.4	227202.5	147893.8
22	सिक्किम	52006	54156	56401	37482	37.7	51.2	46.7	46.5	2414.7	4129.4	4813.0	1929.0
23	तमिलनाडु	3345648	4373257	4969140	5614541	79.7	82.9	82.6	75.2	95899.8	171082.3	221453.1	185148.3
24	त्रिपुरा	549022	576487	557055	556068	51.0	41.1	38.5	38.2	30057.8	46279.8	38450.1	40519.0
25	उत्तर प्रदेश	4336466	5483434	6431213	6379217	18.1	21.7	21.4	17.2	225446.5	354123.1	351965.3	241915.2
26	उत्तराखंड	298741	522304	542391	334340	36.9	40.3	40.3	43.3	8830.2	18046.0	23467.8	14723.4
27	पश्चिम बंगाल	3025854	3479915	4998239	3639878	26.5	33.4	33.7	31.7	61522.4	140193.0	165658.1	91647.1
28	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5975	20337	17636	13103	39.5	44.9	47.4	46.4	123.9	838.6	745.6	714.5
29	दादरा व नगर हवेली	1919	3741	2290	•	79.1	87.1	85.1	•	0.5	78.7	54.5	•
30	दमन और दीव	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
31	गोवा	•	6604	13897	10582	•	62.7	68.4	75.6	97.1	175.2	512.5	458.8
32	लक्षद्वीप	3024	5192	4507	3183	40.7	37.6	34.3	40.5	145.3	158.2	185.1	156.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	पुडुचेरी	12264	40377	38118	39774	67.0	63.5	80.4	79.6	130.0	689.8	1024.0	964.6
34	चंडीगढ़	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		45112792	52585999	54947068	40962783	47.9	48.1	47.7	49.2	1820003	2557932	2568652	1636851.7

•एन.आर.

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

★51. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**

श्री पी. लिंगम :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कुछ महीनों से सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा इसमें विलंब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा उन प्रभावित कर्मचारियों की संख्या कितनी है, जिनका वेतन बकाया है और आज तक कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) उक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा इस प्रकार की घटनाओं से निप्टने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का घाटे में चले रहे सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का निजीकरण करने और इन उपक्रमों की देयताओं का भुगतान करने के लिए इनकी परिसंपत्तियों को बेचने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) मजूरी सबंधी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने तथा केंद्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने का दायित्व संबंधित केंद्रीय सरकारी उद्यमों और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों का है।

जहां तक भारी उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकारी उद्यमों का संबंध है तो केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के 9 उद्यम अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए आंतरिक संसाधन जुटा पाने में असमर्थ हैं। अतः, भारी उद्योग विभाग इन उद्यमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए इन्हें बजटीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन उद्यमों के कर्मचारियों को 30.09.2011 तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 9 उद्यमों के कर्मचारियों की संख्या तथा 29.02.2012 तक के बकाए वेतन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

घाटा उठाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों का निजीकरण करने और देयताओं का भुगतान करने के लिए उनकी परिसंपत्तियों की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग में नहीं है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

क्र.सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम	31 जनवरी, 2012 तक कर्मचारियों की संख्या	29 फरवरी, 2012 तक बकाया (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	हिंदुस्तान केबल्स लि.	2070	33.38
2.	एच एम टी (वाचेज) लि.	1227	14.28

1	2	3	4
3.	एच एम टी (सी डब्ल्यू) लि.	112	1.37
4.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कं. लि.	270	2.85
5.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	132	1.13
6.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्ट्स लि.	99	0.90
7.	नेपा लि.	1015	9.42
8.	स्कूटर्स इंडिया लि.	820	1.11
9.	एच एम टी बियरिंग्स लि.	76	1.26
	कुल	5821	65.70

नए गैस कनैक्शन

★52. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**

श्री रामकिशुन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गैस एजेंसियों विशेषकर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित गैस एजेंसियों द्वारा नए रसोई गैस कनैक्शन देने से मना करने तथा उपभोक्ताओं पर नए गैस स्टोव, संबंधित सामान, चाय, तेल, आदि खरीदने का दबाव डालने संबंधी दृष्टांतों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन सहित तेल विपणन कंपनियों को नए रसोई गैस कनैक्शनों और अन्य संबंधित सामानों की दरें अपने सूचना पट्टों पर प्रदर्शित करने और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले पत्रों में भी इनका उल्लेख किए जाने संबंधी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इन्हें कब तक रसोई गैस कनैक्शनों के प्राथमिका वाउचरों पर प्रकाशित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों और अप्रैल 2011 से जनवरी, 2012 की अवधि के दौरान, हाट प्लेट या अन्य वस्तुएं/उपकरण की जबरन बिक्री करने, नए एलपीजी कनेक्शनों को पंजीकृत करने से मना करने की सिद्ध शिकायतों के आधार पर, देश में दोषी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध 44 मामलों में विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है।

(ग) सरकार ने घरेलू एलपीजी विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी) बनाए हैं जिनमें अन्य दंडों के साथ-साथ, भावी ग्राहक को हाट प्लेट की जबरन बिक्री के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की व्यवस्था की गई है :-

- प्रथम अपराध के लिए, प्रति ग्राहक जिसको जबरन बेची गई है, 10,000 रु. का जुर्माना और 2000 रु. की वसूली।

- द्वितीय अपराध के लिए, प्रति ग्राहक जिसको जबरन बेची गई है, 25,000 रु. का जुर्माना और 2000 रु. की वसूली।

- तृतीय अपराध के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

(घ) और (ङ) नए एलपीजी कनेक्शन लेने वालो के लिए दरों के ब्यौरे डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में दर्शाए जाते हैं और इसका उल्लेख कनेक्शन जारी करने के लिए भावी ग्राहकों को भेजे जाने वाले सूचना पत्रों में भी किया जाता है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल के भंडार

★53. **श्री महाबल मिश्रा :**

श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कच्चे तेल के भंडारों का ब्यौरा क्या है और ये भंडार देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को अनुमानतः कितने वर्षों तक पूरा करते रहेंगे;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व में कच्चे तेल के भंडारों में तेजी से कमी आ रही है तथा वर्ष 2014 में तेल उत्पादन अधिकतम होने की संभावना है और इसके बाद तेल उत्पादन कम होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कच्चे तेल भंडार बनाए रखने के लिए दीर्घावधि रणनीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) देश में महत्वपूर्ण कच्चे तेल भंडारों की क्षमता-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कच्चे तेल के भंडार स्थापित करने में कितनी सफलता हासिल की गई है और वे भंडार देश की जरूरतों को अनुमानतः कितनी अवधि तक पूरा करते रहेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), आयल इंडिया लि. (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा देश में कच्चे तेल के निकासी योग्य भंडारों का अनुमान 757.4 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) लगाया गया है। अन्वेषण में सफलता के परिणामस्वरूप और सतत आधार पर उत्पादन होने से नए भंडारों में वृद्धि होने के कारण, ये भंडार लगातार बदल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कच्चे तेल का स्वदेशी उत्पादन इस समय देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) कच्चे तेल के अधिकतम उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और अलग-अलग समय में सूचित किया गया है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, 2011 में अतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार जो कहती है कि "तेल के सिद्ध भंडार 2010 के अंत में बढ़ कर 1.47 ट्रिलियन बैरल हो गए हैं, आयल एंड गैस जर्नल के अनुसार या विद्यमान स्तर पर 48 वर्षों का उत्पादन है। शेष निकासी योग्य भंडारों का अनुमान बहुत अधिक लगाया गया है जो लगभग 5.5 ट्रिलियन बैरल तक पहुंच सकता है।"

(ग) देश में अन्वेषण और उत्पादन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने बहु उद्देशीय कार्यनीति अपनाई है जिसमें अन्य कार्यनीतियों के साथ-साथ, ये सम्मिलित हैं: (i) देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ाना, (ii) हाइड्रोकार्बन के गैर परम्परागत स्रोतों का विकास और (iii) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश स्थित तेल और गैस परिसंपत्तियों का अर्जन।

(घ) और (ङ) सरकार 3 स्थानों अर्थात् आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और कर्नाटक में मंगलौर और पाडूर में एक-एक में 5.33 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता के साथ चट्टानी कन्दरा के रूप में भूमिगत कार्यनीतिक भंडार स्थापित कर रही है। इन परियोजनाओं को अप्रैल, 2013 के बाद चरणबद्ध ढंग से चालू किए जाने की संभावना है। कार्यनीतिक तेल भंडारों की क्षमता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं.	स्थान	क्षमता (एमएमटी)
1	विशाखापट्टनम	1.33
2	मंगलोर	1.50
3	पाडूर	2.50

इसके अतिरिक्त कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और ओडिशा राज्यों में लगभग 12.5 एमएमटी के कार्यनीतिक तेल भंडारों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों की खंडपीठें

★54. डॉ. शशी थरूर :

श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों को डिविजनल और सर्किट खंडपीठें स्थापित करने संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किन्हीं राज्य सरकारों से उन राज्यों में स्थित उच्च न्यायालयों के संबंध में ऐसी डिविजनल अथवा सर्किट खंडपीठें स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) उच्च न्यायालय की न्यायपीठों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के निबंधनों में राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार द्वारा विचार किया जाता है जिस पर संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य के राज्यपाल की सहमति होनी चाहिए। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वे प्रधान स्थान से दूर उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करे और उच्च न्यायालय तथा इसकी न्यायपीठों के संपूर्ण व्यय को पूरा करे। संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्च न्यायालय और इसकी न्यायपीठों के दिन–प्रतिदिन के प्रशासन को देखना होता है और समय–समय पर प्रधान स्थान से इसकी न्यायपीठों में न्यायधीशों को प्रतिनियुक्ति करना होता है।

(ख) से (घ) उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के चार प्रस्ताव राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

(i) धारवाड़ और गुलबर्गा स्थित स्थायी न्यायपीठों के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय की दो सर्किट न्यायपीठों की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने सहमति दे दी है। यह सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।

(ii) कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी में सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने सहमति दे दी है किंतु इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही है क्योंकि जलपाईगुड़ी में अस्थायी सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए प्रदान की गई अवसंरचनात्मक सुविधाएं संतोषजनक नहीं पाई गई हैं और न ही इसके परिसर पाए गए हैं।

(iii) तिरुअनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ के गठन के लिए केरल राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सहमति नहीं दी गई है।

(iv) धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सहमति नहीं दी गई है।

समर्पित मालभाड़ा गलियारा

★55. श्री संजय भोई :

श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं की प्रगति की परियोजना–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या हाल ही में उक्त परियोजनाओं की प्रगति की कोई समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां तो उक्त समीक्षा के परिणाम का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए इस समीक्षा के परिणामस्वरूप क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इनके लिए अब तक आवंटित धनराशि/इन पर किए गए खर्च का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) पूर्वी और पश्चिमी माल यातायात गलियारों की स्थिति निम्नानुसार है :–

पूर्वी गलियारा (दानकुनी–लुधियाना, 1839 किमी.)

बजटीय संसाधनों के माध्यम से न्यू करवांडिया–गंजख्वाजा खंड के 66 किमी. में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस गलियारे के लुधियाना–मुगलसराय (1183 किमी.) खंड का वित्तपोषण विश्व बैंक ऋण के जरिए किया जा रहा है। अक्टूबर, 2011 में विश्व बैंक के साथ प्रथम सेक्टर (खुर्जा–भावपुर, 343 किमी.) के लिए ऋण करार पर स्ताक्षर किए गए हैं और निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिसंबर, 2011 में प्री–क्वालीफाइड बोलीदाताओं को सिविल कार्यों के बोली संबंधी दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। रेलवे संशोधन अधिनियम (आरएए), 2008 के अधीन परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। कुल अपेक्षित 4823 हेक्टेयर भूमि में से रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 20 एफ के अंतर्गत, 2822 हेक्टेयर भूमि के संबंध में निर्णय ले लिया गया है।

पश्चिमी गलियारा (जवाहरलाल नेहरू पत्तन टर्मिनल से तुगलकाबाद/दादरी तक, 1499 किमी.)

बजटीय संसाधनों के माध्यम से वैतरणा और सूरत के बीच 54 बड़े और महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस खंड को छोड़कर, शेष संपूर्ण पश्चिमी समर्पित माल यातायात गलियारे का वित्तपोषण जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा अधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण से किया जा रहा है। चरण–I (रेवाड़ी–वडोदरा, 930 किमी.) के लिए वित्तपोषण के लिए टाई–अप कर लिया गया है और पहले भाग के लिए ऋण करार पर मार्च 2010 में हस्ताक्षर किए गए। चरण–I के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 645 किमी. के सिविल कार्यों के लिए प्री–क्वालीफिकेशन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चरण–II (रेवाड़ी–दादरी और जवाहरलाल नेहरू पत्तन–वडोदरा) के लिए ऋण पर बातचीत चल रही है। कुल अपेक्षित 5860 हेक्टेयर भूमि में से रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 20 एफ के अंतर्गत, 3780 हेक्टेयर भूमि के संबंध में निर्णय ले लिया गया है।

(ख) से (घ) मैसर्स डेडिकेटिड फ्रेड कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, योजना आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियमित आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है। 2 फरवरी, 2012 को प्रधानमंत्री कार्यालय में पिछली समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति, ऋण करार और परियोजना कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दों को उठाया गया था और संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए थे।

(ङ) फरवरी, 2012 तक समर्पित माल यातायात गलियारे की परियोजना पर 3478.96 करोड़ रुपये (पूर्वी समर्पित माल यातायात गलियारा–1793.82 करोड़ रुपये और पश्चिमी माल यातायात गलियारा–1685.14 करोड़ रुपये) खर्च किए गए हैं। इसमें से परियोजना कार्यान्वयन पर 815.08 करोड़ रुपये और परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण पर 2663.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

पंचेश्वर विकास प्राधिकरण

★56. श्री पी. विश्वनाथन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचेश्वर विकास प्राधिकरण संबंधी भारत–नेपाल समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार नेपाल के क्षेत्र सहित कोसी तटबंध के पूरे क्षेत्र के रख–रखाव के लिए सहमत हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेपाल सरकार ने फसलों, भूमि और जल संसाधन परियोजनाओं को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोसी नदी के तटबंधों में दरारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जो बिहार के लिए बाचिरस्थायी समस्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जल संसाधन संबंधी भारत–नेपाल संयुक्त

समिति (जेसीडब्ल्यूआर) ने 29.09.2008 से 01.10.2008 तक आयोजित अपनी तीसरी बैठक के दौरान पंचेश्चर बहुउद्देशीय परियोजना के विकास, निष्पादन एवं प्रचालन के लिए महाकाली संधि के अनुच्छेद 10 के अनुसरण में पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) की स्थापना करने का निर्णय लिया और 20 से 22 नवम्बर 2009 तक आयोजित अपनी 5वीं बैठक के दौरान पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया।

(ख) नई दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को आयोजित की गई जल संसाधन संबंधी भारत–नेपाल संयुक्त मंत्रालय आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर) की प्रथम बैठक के दौरान जेएमसीडब्ल्यूआर ने यह सिफारिश की कि पूर्वी कोसी तटबंध के 15 कि.मी. लंबाई के क्षेत्र का रखरखाव भी भारत सरकार द्वारा किया जाए, जिसका रखरखाव वर्तमान में नेपाल सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार को हाल ही के वर्षो में कुछ प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त हुए हैं। चूंकि ये दावे–4–5 दशक पुराने हैं, अतः काठमांडू में भारत के दूतावास ने इन दावों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नेपाल सरकार से कुछ सूचना मांगी है।

(ङ) कोसी तटबंधों का रखरखाव प्रति वर्ष बिहार सरकार द्वारा कोसी उच्च स्तरीय समिति (केएचएलसी), जिसमें भारत और नेपाल के अधिकारी शामिल हैं और जो प्रत्येक बाढ़ मौसम के बाद तटबंधों का निरीक्षण करती है, की सिफारिशों पर किया जाता है।

[हिन्दी]

रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण

★57. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में क्रियान्यनाधीन राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन नीति, 2007 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) हाजीपुर–सगोली, छपरा–मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी रेल खंडों पर रेल लाइनें बिछाने के लिए कितने किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई/अधिगृहीत की जा रही है तथा संबंधित जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त नीति के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और परिवारों को की गई क्षतिपूर्ति/प्रदान किए गए रोजगारों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) शेष पात्र किसानों को कब तक रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा और क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी; और

(ङ) किसानों के पुनर्वास के लिए रेलवे द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी) : (क) राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति, 2007 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, रेखीय अधिग्रहण के मामले में, रेलवे लाइनों से जुड़ी परियोजनाओं और अन्य ऐसी परियोजनाओं, जिनमें परियोजना के लिए भूमि के छोटे टुकड़ों के अधिग्रहण की आवश्यकता होती है या इसका उपयोग अधिकृत मार्ग बनाने के लिए किया जाता है, में प्रभावित परिवार के प्रत्येक खातेदार को अधिग्रहण करने वाले निकाय द्वारा उस अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा, जिसका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाए, लेकिन यह बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा। लेकिन यह ऐसे किसी अधिनियम या कार्यक्रम या योजना, जिसके तहत भूमि, घर या अन्य परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, के अंतर्गत देय मुआवजे या अन्य किसी लाभ के अतिरिक्त होगा।

परंतु उक्त भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यदि भूमि धारक भूमिहीन हो जाता है या छोटे अथवा मार्जिनल किसान की स्थिति में आ जाता है तो ऐसे प्रभावित परिवारों को इस नीति के तहत उपलब्ध अन्य पुनर्वास एवं पुनःस्थापन लाभ प्रदान किए जायेंगे।

(ख) और (ग) मुज्जफरपुर–सीतामढ़ी परियोजना के लिए मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिलों में, भूमि की आवश्यकता है। छपरा–मुज्जफरपुर परियोजना के लिए सारन (छपरा) और मुज्जफरपुर जिलों में और हाजीपुर–सगोली नई लाइन परियोजना के लिए वैशाली, मुज्जफरपुर, पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण जिलों में भूमि की आवश्यकता है। परियोजना–वार अपेक्षित भूमि, पहले से अधिग्रहीत भूमि, जमा कराए गए मुआवजे और प्रभावित किसानों की संख्या नीचे दी गई है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	भूमि का क्षेत्रफल, जिसका अधिग्रहण किया जाना है	फरवरी–12 तक अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल	किसानों की संख्या, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है	राज्य सरकार के पास जमा कराया गया मुआवजा
1	हाजीपुर–सगोली	1861 एकड़	1240 एकड़	597	100.37 करोड़ रु.
2	छपरा–मुज्जफरपुर	947 एकड़	303 एकड़	456	38.17 करोड़ रु.
3	मुज्जफरपुर–सीतामढ़ी	1366 एकड़	1366 एकड़	5827	71.54 करोड़ रु.

अभी तक, भूमि अधिग्रहण के बदले कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया है।

(घ) भूमि गंवाने वाले व्यक्तियों से भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और अपेक्षित मुजावजे का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। रेलवे, राज्य सरकार के अनुरोध पर समय–समय पर भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि जमा कराती है। भूमि गंवाने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार के मामले में मौजूदा नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

नदियों को आपस में जोड़ना

★58. **श्री महेश्वर हजारी :**

श्री तथागत सत्पथी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निदेश को देखते हुए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजना को क्रियान्वित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ गठित कार्य–बल, यदि कोई हो, की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने संबंधी प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्देशों की प्रमाणित प्रति जल संसाधन मंत्रालय में अभी प्राप्त नहीं हुई है। जल संसाधन मंत्रालय (पूर्व में सिंचाई मंत्रालय) ने जल संसाधन विकास के लिए 1982 के प्रारंभ में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) जिसके अंतर्गत दो घटक नामतः हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं, तैयार की थी जिसमें अधिक जल की बेसिनों से जल की कमी वाली बेसिनों/क्षेत्रों, में अन्तर बेसिन जल अन्तरण की परिकल्पना की गई थी। सिंचाई मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन एनपीपी के प्रस्तावों की साध्यता स्थापित करने और उन्हें मूर्त रूप देने हेतु विभिन्न तकनीकी अध्ययन करने के लिए 1982 में की गई थी। एनडब्ल्यूडीए ने हिमालयी घटक के अंतर्गत 14 सम्पर्को और प्रायद्वीपीय नदी घटक के अंतर्गत 16 सम्पर्कों की पहचान की है जो संलग्न विवरण–I में दर्शाए गए हैं।

पांच प्रायद्वीपीय–घटकों अर्थात् (i) केन–बेतवा, (ii) पार्वती–कालीसिंध–चम्बल, (iii) दमन गंगा–पिंजाल (iv) पार–तापी–नर्मदा एवं (v) गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) को उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रारंभ करने के लिए प्राथमिकता वाले सम्पर्कों के तौर पर अभिज्ञात किया गया है। प्राथमिकता वाले एक सम्पर्क अर्थात् केन–बेतवा की डीपीआर पूरी कर ली गई है और पक्षकार राज्यों को भेज दी गई है। संबंधित राज्यों की टिप्पणियों के

आलोक में एनडब्ल्यूडीए ने प्रस्तावों में संशोधन और अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी प्रारंभ कर दी है। केन–बेतवा सम्पर्क परियोजना का राष्ट्रीय परियोजनाओं को स्कीम में शामिल कर लिया गया है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के तकनीकी–आर्थिक अनुमोदन के पश्चात ही अलग–अलग संपर्क परियोजना पूरी करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा की पहचान की जा सकती है।

(ग) दिसम्बर, 2002 में तत्कालीन संसद सदस्य (लोकसभा) श्री सुदेश पी. प्रभु की अध्यक्षता में नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल (टीएफ–आईएलआर) का गठन किया गया था। कार्यबल ने अपना कार्य पूरा कर लिया और साध्यता रिपोर्टों, विस्तत परियोजना रिपोर्टों के पूरा होने की समय सारणी का खाका, परियोजना की अनुमानित लागत, कार्यान्वयन सारणी, ठोस लाभ और फायदों का उल्लेख करते हुए अप्रैल, 2003 में कार्य योजना–। प्रस्तुत की थी। परियोजना के निधियन और निष्पादन हेतु दूसरे विकल्पों का उल्लेख तथा लागत वसूली की विधियों आदि के विषय में सुझाव देते हुए अप्रैल, 2004 में कार्य योजना–।। भी प्रस्तुत कर दी थी। सौंपे गए कार्यों को पूरा कर लेने पर कार्यबल को 31.12. 2004 से समाप्त कर दिया गया था। कार्यबल की सिफारिशें संलग्न विवरण–।। में दी गई हैं।

(घ) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी विभिन्न अध्ययनों के लिए फरवरी, 2012 तक एनडब्ल्यूडीए द्वारा किया गया खर्च 350.5 करोड़ रुपए है।

विवरण–I

एनडब्ल्यूडीए द्वारा साध्यता रिपोर्टों (एफआर) की तैयारी हेतु अभिज्ञात जल अंतरण संपर्कों की स्थिति

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1	महानदी (मणिभद्रा)–गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क	एफआर पूरी की गई
2	गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क*	एफआर पूरी की गई (राज्य द्वारा उनके स्वयं के प्रस्ताव के अनुसार शुरू की गई)
3	गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क	एफआर पूरी की गई
4	गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क	एफआर पूरी की गई
5	कृष्णा (नागार्जुन सागर)–पेन्नार (सोमसिला) संपर्क	एफआर पूरी की गई
6	कृष्णा (श्रीसैलम)–पेन्नार संपर्क	एफआर पूरी की गई
7	कृष्णा (अलमट्टी)–पेन्नार संपर्क	एफआर पूरी की गई
8	पेन्नार (सोमसिला)–कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट) संपर्क	एफआर पूरी की गई
9	कावेरी (कट्टालाई)–वैगई–गुन्डार संपर्क	एफआर पूरी की गई
10	पार्वती–कालीसिंध–चबल संपर्क*	एफआर पूरी की गई

11	दमनगंगा–पिंजाल संपर्क*	एफआर पूरी की गई एवं डीपीआर शुरू की गई
12	पार–तापी–नर्मदा संपर्क*	एफआर पूरी की गई एवं डीपीआर शुरू की गई
13	केन–बेतवा संपर्क*	चरण–I की डीपीआर पूरी की गई
14	पंबा–अचनकोबिल–वैप्पार संपर्क	एफआर पूरी की गई
15	नेत्रावती–हेमावती संपर्क	पीएफआर पूरी की गई
16	बेदती–वर्धा संपर्क	एफआर कार्य शुरू किया गया
हिमालयी नदी विकास घटक		
1	कोसी–मेची संपर्क	पूरी तरह से नेपाल में स्थित
2	कोसी–घाघरा संपर्क	एस एवं आई कार्य प्रारंभ किए गए
3	गंडक–गंगा संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए
4	घाघरा–यमुना संपर्क	एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
5	सारदा–यमुना संपर्क	एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
6	यमुना–राजस्थान संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए
7	राजस्थान–साबरमती संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए
8	चुनार (गंगा पर)–सोन बैराज संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए
9	सोन बांध–गंगा संपर्क की दक्षिणी वितरिकाएं	एस एवं आई कार्य प्रारंभ किए गए
10	मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा (एम–एस–टी–जी) संपर्क	एस एवं आई कार्य प्रारंभ किए गए
11	जोगीघोपा (ब्रह्मपुत्र पर)–तीस्ता–फरक्का (एम–एस–टी–जी प्रत्यावर्ती) संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए
12	गंगा (फरक्का)–सुंदरवन संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए
13	गंगा–दामोदर–सुवर्णरेखा संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए
14	सुवर्णरेखा–महानदी संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किए गए

* प्राथमिकता सपर्क

पीएफआर – पूर्व साध्यता रिपोर्ट; एफआर–साध्यता रिपोर्ट; डीपीआर–विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

एस एवं आई – भारतीय भाग में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

विवरण–II

I. प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन के मानकों के विषय में मार्ग दर्शन देने के लिए कार्य बल ने मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विचारार्थ विषय तैयार किए हैं।

II. राज्यों के बीच जल्दी सहमति बनाने हेतु समुचित तंत्र के मुद्दे पर कार्यबल ने तकनीकी–स्तर पर विचार विमर्श के बाद सहमति के लिए उच्च स्तरीय बैठक करने का सुझाव दिया है जिसमें शेष पड़े मुद्दों पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि डीपीआर चरण में उनका समाधान किया जा सके।

III. नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यबल (टीएम–आईएलआर) ने कहा है कि प्रायद्वीपीय घटकों को प्रारंभ करना ठीक है। डीएफआईएलआर द्वारा अभिज्ञात उच्च प्राथमिकता वाले सम्पर्क इस प्रकार है :

(क) केन–बेतवा संपर्क	उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश
(ख) पार्वती–कालीसिंध–चम्बल संपर्क	मध्य प्रदेश एवं राजस्थान

IV. आईआईएम, अहमदाबाद की रिपोर्ट के आधार पर नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु दो स्तरीय सांस्थानिक/संगठनात्मक ढांचे का सुझाव दिया है साथ ही प्रस्तावित ढांचे में "राष्ट्रीय नदी जल विकास परिषद (एनआरडब्ल्यूडीसी)" नामक परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है जो शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी। प्रस्तावित दो स्तरीय संगठनात्मक ढांचे में पहले स्तर के रूप में नदियों को परस्पर जोड़ने में संबंधी राष्ट्रीय अभिकरण (एनआईएलआर) का प्रस्ताव है तथा क्षेत्रीय अथवा शाखा कार्यालय अथवा सहायक कार्यालय "सम्पर्क उपकरण" के रूप में कार्य करेंगे और संगठनात्मक ढांचे में इनको द्वितीय स्तर के तौर पर रखने का प्रस्ताव है।

V टीएफ–आईएलआर ने निधियन विकल्पों के लिए आईसीआईसीआई से परामर्श किया है। आईसीआई सीआई ने प्रस्ताव किया है कि निधियन सार्वजनिक, सार्वजनिक–निजी और निजी निवेश के माध्यम से हिस्सेदारी में किया जाना चाहिए। सभी संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) की तैयारी के बाद ही वास्तविक आधार पर बिल्कुल ठीक–ठीक अपेक्षित राशि उपलब्ध होगी।

एनडब्ल्यूडीए के अध्ययनों के आधार पर, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अनुमान लगाया है कि नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना की लागत 4,44,331.20 करोड़ रुपए होगी जो वर्तमान कच्चे अनुमान से 21–22% कम है। एनसीएईआर का विचार है कि इस कार्यक्रम में लगभग 35–40 साल लगेंगे। तथापि, आधुनिक निर्माण एवं दूर संवेदी तकनीकों के उपयोग से कार्यक्रम कम से कम 25 वर्षों में पूरा हो सकता है।

VI. नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल द्वारा गठित अन्तर्राष्ट्रीय आयामों संबंधी कार्य समूह ने भी सुझाव दिया है कि इस समय मामले को नेपाल सरकार के साथ उच्च राजनैतिक स्तर पर उठाना जल्दबाजी होगी। बांगलादेश के विषय में यह सुझाव दिया गया है कि ढाका नदियों को परस्पर जोड़ने का मुद्दा संयुक्त नदी आयोग और संभवतः अन्य द्विपक्षीय मंचों पर उठाना जारी रखेगा। भारत अपने उत्तर में संयुक्त नदी आयोग में कही गई बात अर्थात् नदियों को परस्पर जोड़ना एक संकल्पना है एकल परियोजना नहीं है, को दोहराएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

★59. श्री एन. एस. वी. चित्तन :

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या आवंटित धनराशि के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने तथा उपलब्धियों का आकलन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि को कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(च) निधियों के प्रभावी उपयोग और देश के सभी निवास स्थानों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क), (घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के राज्य-वार आवंटन, रिलीज तथा व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कुछेक राज्य प्रापण प्रक्रियाओं में विलंब, बहु-ग्रामीण योजनाएं, जिन्हें पूरा होने में 2-3 वर्ष का समय लगता है चलाने, चुनाव की घोषणा की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू रहने, शुरूआती क्रियाकलापों के लिए समय, कार्यान्वयन प्राधिकरणों को विलंब से निधियों की रिलीज, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष के अंत में निधियों की रिलीज आदि जैसे कारणों की वजह से कुछ वर्षों में धनराशि को पूरी तरह खर्च नहीं कर पाए हैं।

(ख) राज्यों द्वारा सूचित आंकड़े के अनुसार, 8.3.2012 को मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर देश में कुछ ग्रामीण परिवारों की संख्या 16,64,186 बताई गई है। इसमें से 12,37,408 बसावटों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, 3,19,929 बसावटें आंशिक रूप से कवर की गई हैं और 1,06,849 बसावटों में पेयजल गुणवत्ता की समस्या है। वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्यों ने 1,15,379 निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों और 29,790 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से, 8.3.2012 तक 72,318 निचली श्रेणी में लौट आईं तथा 14,403 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति कर दी गई है।

(ग) और (च) निधियों के उपयोग, कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तंत्र बनाए गए हैं। राज्य सरकारों को एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों और क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने के लिए वार्षिक कार्ययोजना बनाने की जरूरत होती है। उन्हें लक्षित बसावटों को चिन्हित करना होता है तथा ऑन-लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर कार्यों, योजनाओं तथा क्रियाकलापों का ब्यौरा डालना होता है। ऑन-लाइन आईएमआईएस पर कवरेज तथा प्रगति से संबंधित आंकड़े भी प्रविष्ट किए जाते हैं। कार्यक्रम में कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए 19 प्रपत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। मंत्रालय ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी सचिवों की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का भी आयोजन करता है जिसके जरिए एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है। कार्यक्रम के आवधिक मूल्यांकनों के जरिए मंत्रालय, योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि द्वारा उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है।

विवरण

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, आवंटन, रिलीज एवं व्यय

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008–09					
		अथशेष	आबंटन	रिलीज	व्यय	अथशेष*	आबंटन
1	आंध्र प्रदेश	3.00	394.53	395.05	398 05	4.05	437.09
2	अरुणाचल प्रदेश	25.97	146.12	162.46	160.97	27.47	180.00
3	असम	77.83	246.44	187.57	265.40	4.85	301.60
4	बिहार	292.37	425.38	452.38	73.30	668.94	372.21
5	छत्तीसगढ़	14.76	130.42	125.26	112.42	27.59	116.01
6	गोवा	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	5.64
7	गुजरात	6.62	314.44	369.44	289.33	95.20	482.75
8	हरियाणा	0.00	117.29	117.29	117.29	0.00	207.89
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	141.51	141.51	141.49	8.31	138.52
10	जम्मू व कश्मीर	18.09	397.86	396.49	176.47	239.56	447.74
11	झारखंड	0.00	160.67	80.33	18.85	61.49	149.29
12	कर्नाटक	3.35	477.19	477.85	449.15	32.65	573.67
13	केरल	0.79	103.33	106.97	106.56	136	152.77
14	मध्य प्रदेश	21.65	370.47	380.47	368.61	35.65	367.66
15	महाराष्ट्र	55.68	572.57	648.24	511.06	204.24	652.43
16	मणिपुर	17.79	50.16	45.23	36.33	16.70	61.60
17	मेघालय	11.30	57.79	63.38	74.56	0.62	70.40
18	मिजोरम	8.72	41.44	54.19	45.48	17.43	50.40
19	नागालैंड	26.68	42.53	42.53	39.60	29.61	52.00
20	ओडिशा	0.00	298.68	298.68	273.12	25.85	187.13
21	पंजाब	16.66	86.56	86.56	96.68	19.18	81.17
22	राजस्थान	0.00	970.13	971.83	967.95	3.88	1036.46
25	त्रिपुरा	6.73	17.45	32.45	26.85	16.33	21.60
24	तमिलनाडु	0.00	241.82	287.82	236.58	57.24	320.43
25	त्रिपुरा	13.84	51.25	41.01	36.99	18.92	62.40
26	उत्तर प्रदेश	72.48	539.74	615.78	514.54	173.71	95912
27	उत्तराखंड	12.28	107.58	85.87	61.09	42.77	126.16
28	पश्चिमी बंगाल	3.18	389.39	389.39	371.62	69.20	372.29
29	अं. व नि. द्वीप समूह	30.78	0.00	0.00	30.78	0.00	0.00
30	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
31	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुडुचेरी	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
35	चंडीगढ़						
	कुल	740.94	6896.72	7056.02	5998.28	1902.40	7986.43

विवरण

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत अथशेष, आवंटन, रिलीज एवं व्यय

(करोड़ रुपए में)

2009–10		2010–11				2011–12			
रिलीज	व्यय*	अथशेष*	आबंटन	रिलीज	व्यय*	अथशेष*	आबंटन	रिलीज#	व्यय#
537.37	394.45	149.79	491.02	558.74	423.38	285.20	475.51	377.91	416.97
178.20	193.80	11.58	123.35	199.99	176.55	35.03	116.48	182.21	110.24
323.50	269.34	59.02	449.64	487.48	480.55	65.94	421.90	418.54	400.69
186.11	279.36	578.16	341.46	170.73	425.91	322.92	379.59	205.42	304.28
128.22	104.06	56.36	130.27	122.01	97.77	82.13	145.67	126.75	98.83
3.32	0.50	3.08	5.34	0.00	1.16	1.92	5.22	2.88	1.16
482.75	515.69	61.63	542.67	609.10	610.50	62.76	484.66	423.04	321.47
206.89	132.35	75.62	233.69	276.90	201.57	150.95	211.52	168.34	232.58
182.85	160.03	31.60	133.71	194.37	165.59	60.38	132.30	94.75	96.25
402.51	383.49	258.66	449.22	468.91	506.52	221.05	438.13	320.19	354.95
111.34	86.04	90.07	165.93	129.95	128.19	91.83	163.33	111.95	112.7
627.86	473.71	191.39	644.92	703.80	573.93	328.21	715.12	667.78	436.87
151.89	150.56	4.15	144.28	159.83	137.97	26.01	145.36	113.39	72.25
379.66	354.30	58.95	399.04	388.33	324.94	122.34	374.32	292.78	238.28
647.81	625.59	232.44	733.27	718.42	713.48	237.37	757.56	535.81	436.16
38.57	30.17	25.22	54.61	52.77	69.27	8.72	51.58	39.17	28.79
79.40	68.57	11.56	63.48	84.88	40.28	26.03	59.59	64.39	54.16
55.26	51.11	21.38	46.00	61.58	58.02	24.94	38.49	36.35	36.42
47.06	71.58	5.10	79.51	77.52	80.63	1.99	79.97	79.81	49.12
226.66	198.87	61.62	264.88	294.76	211.11	145.27	207.99	171.65	171.66
88.81	116.15	4.02	82.21	106.59	108.93	1.68	89.16	123.44	101.41
1012.16	671.29	348.43	1165.44	1099.48	852.82	595.09	1087.41	1153.76	990.51
20.60	28.98	6.67	26.24	23.20	19.51	10.35	27.59	63.11	18.8
317.95	370.44	5.93	316.91	393.53	303.41	96.05	337.17	319.11	153.84
77.40	77.35	19.18	57.17	74.66	67.20	27.53	54.41	83.86	69.15
956.36	967.38	189.78	899.12	848.68	933.28	105.18	649.03	783.60	337.46
124.90	67.24	103.92	139.39	136.41	55.44	184.89	348.83	75.57	89.3
394.30	87.76	375.75	418.03	499.19	363.31	444.85	348.11	242.03	466.32
0.00		0.00	1.01	0.00		0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	1.09	0.00		0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	0.61	0.00		0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	4.31	0.00		0.00	0.00	0.00	
0.00		000	0.24	0.00		0.00	0.00	0.00	
0.00		0.00	1.54	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.40			0.00	0.00	0.00	
7989.72	6924.16	3041.00	8550.00	8941.81	8131.22	37[illegible]61	8330.00	7276.99	6200.62

*आईएमआईएस के अनुसार # 13.03.2012 को आईएमआईएस के अनुसार

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का रख–रखाव

★60. श्री मधुसूदन यादव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों का ठेकेदार द्वारा कम से कम पांच वर्ष तक रख–रखाव करना अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों का रख–रखाव और मरम्मत करने हेतु कोई योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार सभी सड़क कार्यों में शुरूआती पांच वर्षों का अनुरक्षण ठेका शामिल होगा और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार यह ठेका उसी ठेकेदार को दिया जाएगा जिसे निर्माण कार्य का ठेका दिया गया है। इस संविदा को पूरा करने के लिए अनुरक्षण निधियों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी तथा इन निधियों को एक अलग रख–रखाव खाते में एसआरआरडीए के निपटान पर रखा जाएगा। रखरखाव के लिए रिलीज की गई निधियों और इस पर खर्च की गई निधियों की राज्यों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। शुरूआती पांच वर्ष की अवधि के बाद इन सड़कों के अनुरक्षण की भी जिम्मेदारी संबंधित राज्य की है।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई सड़कों का रख–रखाव और मरम्मत करने हेतु ऐसी कोई केन्द्रीय योजना नहीं बनाई जा रही है। तथापि, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यक्रम निधियों की रिलीज राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के रखरखाव खाते में जमा अनुरक्षण निधियों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें

461. श्री सुरेश अंगड़ी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें सामान्य से बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारणहैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) उत्तर–पूर्वी राज्यों की तुलना में दिलली में पेट्रोल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी), जैसा कि इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटैड (आईओसीएल) द्वारा उपलब्ध कराया गया है, नीचे दिए गए हैं : –

राज्य	शहर	दिनांक 1.3.2012 की स्थिति के अनुसार आरएसपीज	
		पेट्रोल (रु./ली.)	घरेलू एलपीजी (रु./सिलिंडर)
राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली	नई दिल्ली	65.64	399.00
मेघालय	शिलांग	66.72	406.50
मिजोरम	आईजोल	64.44	411.00
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर	64.78	422.00
मणिपुर	इम्फाल	64.56	423.50
नागालैंड	कोहिमा	65.32	423.00
त्रिपुरा	अगरतला	64.55	406.00
असम	गुवाहाटी	69.12	392.50
सिक्किम	गंगटोक	65.79	414.00

आरएसपीज में विभिन्नता मुख्यतः राज्य स्तर के करों की विभिन्न दरों के कारण है।

मानसून संबंधी राष्ट्रीय मिशन

462. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून संबंधी पूर्वानुमानों की यथार्थता बढ़ाने के लिहाज से सरकार का इस हेतु एक राष्ट्रीय मिशन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी हां।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने भारत के लिए मानसून वर्षा का पूर्वानुमान और विभिन्न अंतरालों और समय पैमानों पर इसकी परिवर्तनीयता के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधिक और आधुनिपक गतिशील मॉडल ढांचे को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन (एनएमएम) पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया है।

(ग) व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सरकार के उपयुक्त प्रशासनिक और वित्तीय सक्षम प्राधिकारियों से अनुमोदन मिलने के पश्चात इस प्रस्ताव के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा गया है।

सांसद निधि का उपयोग

463. **श्री नवीन जिंदल : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में हाल ही में कुछ परिवर्तन किया है ताकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत परियोजनाओं के सामग्री घटक में इस निधि का उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने टिकाऊ परिसंपत्तियों के और अधिक सृजन के उद्देश्य से जिला पंचायतों द्वारा अनुमोदित मनरेगा परियोजनाओं से जुड़े कुछ मनरेगा कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों के प्रयोग की अनुमति दे दी है। ये कार्य जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृत होने चाहिएं जो मनरेगा के तहत जिले की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का भाग हों। जहां तक संभव हो, एमपीलैड्स निधियों का प्रयोग केवल सामग्री घटक के लिए ही किया जाएगा। एमपीलैड्स के तहत मनरेगा कार्यों के लिए जिला आयोजना समिति (डी.पी.सी.) द्वारा ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया जाएगा। जिला आयोजना समिति (डी.पी.सी.) ग्राम पंचायत को कार्यों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऊर्जा की मांग एवं आपूर्ति

464. **श्री देवजी एम. पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त ऊर्जा स्रोतों के बावजूद ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राजस्थान सहित ऐसे कौन से स्थान हैं जहां ऊर्जा स्रोत मौजूद हैं;

(घ) क्या देश में ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए कोई खाका तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) ऊर्जा मांग और आपूर्ति के बीच एक अंतर बना हुआ है, जिसे ऊर्जा (तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस सहित) का आयात करते हुए पूरा किया जा रहा है। 12वीं योजना पर अप्रोच पेपर के अनुसार, वर्ष 2010–11 में देश की ऊर्जा आयात निर्भरता 36 प्रतिशत थी।

(ग) पुराने ईंधन के ऊर्जा संसाधनों की अधिकता गुजरात,

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में है।

(घ) और (ङ) दिसम्बर, 2008 में सरकार ने देश के लिए एक एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) अनुमोदित की है। आईईपी में सभी संभावित पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का व्यापक विकास शामिल है। आईईपी के क्रियान्वयन पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में बनी एक निगरानी समिति द्वारा निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों की दशा

465. **श्री सी. शिवासामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पता है कि देश के कई रेलवे स्टेशन जीर्ण–शीर्ण और अस्वास्थ्यकर स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं। भारतीय रेलवे में कोई भी रेलवे स्टेशन जीर्ण–शीर्ण और गंदी हालत में नहीं है। बहरहाल, मरम्मत, अवसंरचना का अनुरक्षण और साफ–सफाई एक निरंतर प्रक्रिया है, अनुसार की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूरिया की कीमत

466. **श्री राजू शेट्टी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक–सब्सिडी के बढ़ते भार को कम करने के लिहाज से यूरिया की कीमत को गैस की कीमत से जोड़ने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यूरिया की कीमतों पर इसके असर का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) एनपीएस चरण–III के बाद एक मूल्य निर्धारण नीति सरकार के विचाराधीन है।

गरीबी–उपशमन योजनाएं

467. **श्री हरीश चौधरी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कौन–कौन सी गरीबी उपशमन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) राजस्थान को उक्त योजनाओं के तहत कितनी धनराशि आबंटित की गई है और प्रयुक्त धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में उक्त योजनाओं की समीक्षा अथवा निगरानी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यबाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के जरिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम (एनआरएलएम) तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) नामक प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन करता है।

(ख) वर्ष 2010–11 के दौरान, राजस्थान में एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन तथा उपयोग क्रमशः 72.00 करोड़ रु. तथा 99.54 करोड़ रु. था, जबकि एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज तथा उपयोग क्रमशः 2788.82 करोड़ रु. तथा 3289.07 करोड़ रु. था। उपयोग अथ शेष, राज्य रिलीज तथा विविध प्राप्तियों सहित कुल उपलब्ध निधियों में से किया जाता है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम की निगरानी एवं समीक्षा की एक व्यापक प्रणाली तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आवधिक प्रगति रिपोर्ट, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता तथा राज्य

एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी शामिल हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन की सतत समीक्षा की जा रही है तथा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जहां भी ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता होती है वहां आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

सुलभ न्याय

468. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के आम आदमी के लिए न्याय सुलभ और सरल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) सरकार न्याय परिदान प्रणाली का सुधार करने और आम आदमी तक इसे सुलभ करने और पहुंच योग्य बनाने के लिए समय–समय पर अनेक पहल करती रही है। इन पहलों में अन्य बातों के साथ–साथ न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उपाय, समय–समय पर न्यायाधीशों की पद संख्या का पुनर्विलोकन और अंशकालिक/विशेष न्यायालयों का गठन, न्यायालयों में अवसंरचना का सुधार करने और न्यायालय प्रबंध के लिए आई सी टी के उपयोग में बढ़ोतरी करने के साथ ही उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों से प्रारंभ सभी स्तरों पर नागरिक केंद्रस्थ सेवाओं को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को प्रदान करना सम्मिलित है। इनमें से कुछ पहलुओं का और ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(i) प्रणाली में विलंब और बकायों में कमी करके पहुंच में वृद्धि करना केन्द्रीय सरकार का सतत प्रयास रहा है। इसके लिए ढांचागत परिवर्तनों को करने के लिए साथ ही जहां तक जो उनके निपटान से संबद्ध है न्यायालयों के कार्य की मानीटरी के लिए पूर्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। विशेष अभियान को चलाकर निपटान में वृद्धि की गई है, जिसमें से हाल ही में एक जुलाई, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 तक चलाया गया है। हाल ही में सरकार न्याय परिदान और विधि सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन गठित कर चुकी है जो न्यायिक प्रणाली के विलंब और बकायों को संबोधित करेगी साथ ही विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से सभी स्तरों पर बेहतर जवाबदेही का प्रवर्तन करेगी जिसमें निष्पादन मानक, विभिन्न स्तरों आदि पर प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता की वृद्धि सम्मिलित होगी।

(ii) ग्यारहवें वित्त आयोग ने त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन की सिफारिश की थी जिसके लिए वर्ष 2000–05 के लिए 502.90 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया था इसको बाद में 2010–11 तक बढ़ा दिया गया था। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31.03.2011 को 1192 त्वरित निपटान न्यायालय देश में कार्य कर रहे थे। मामले वर्ष 2000–01 से 2010–11 तक केन्द्रीय सहायता के 11 वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 33 लाख मामले त्वरित निपटान न्यायालय द्वारा निपटाए गए थे। तेरहवें वित्त आयोग ने 2010 से 2015 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए राज्यों को उपयोग में लाए जाने हेतु 5000 करोड़ रु. के अनुदान की सिफारिश की है। यह राशि राज्यों के लिए ऐसे विभिन्न पहलों के लिए आबंटित की गई है जैसे (i) प्रातःकालीन/सांयकालीन/पाली न्यायालयों के आयोजन द्वारा विद्यमान अवसंरचना का उपयोग करके न्यायालय के कार्यघंटों की संख्या में वृद्धि करना; (ii) नियमित न्यायालयों में दबाव कम करने के लिए लोक अदालतों के समर्थन में वृद्धि करना; (iii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सहायता में वृद्धि करने और न्याय के प्रति उनकी पहुंच को सशक्त करने में समर्थ बनाने के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध करना; (iv) न्यायालय प्रणाली से बाहर विवादों के भाग रूप में समाधान करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का संवर्धन करना; (v) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों और लोक अभियोजकों की क्षमता में वृद्धि करना; (vi) ऐसे प्रशिक्षण को सुकर बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक न्यायिक अकादमी के सृजन या उसको सुदृढ़ करने में समर्थन देना; (vii) न्यायपालिका को उनके प्रशासनिक कृत्यों में सहायता करने के लिए प्रत्येक न्यायिक जिले और उच्च न्यायालयों में न्यायालय प्रबंधकों के पद को सृजित करना; और (viii) विरासन न्यायालय भवनों को अनुरक्षण करना। इस मद्दे राज्यों को पहले ही 1353.623 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है।

(iii) देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण (ई न्यायालय परियोजना) के लिए केन्द्रीय सेक्टर स्कीम के अधीन

और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की आई सी टी अवसंरचना के उन्नयन के लिए देश में 25.02.2012 को 14229 न्यायालयों में से 9501 न्यायालय कंप्यूटरीकृत किए गए हैं। शेष न्यायालय 31.03.2014 तक कंप्यूटरीकृत किए जाएंगे। दूसरे चरण में परियोजना का परिणाम, न्यायालय प्रक्रिया और नागरिक केन्द्रीय सेवाएं देने में सुधार करने के लिएं लाभप्रद होने के साथ उनका डिजिटीकरण, पुस्तकालय प्रबंध, ई फाइलिंग और आंकड़ा भांडागार की स्थापना किए जाने की प्रत्याशा है।

(iv) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का अधिनियमन, निम्नतर स्तर तक नागरिकों को उनकी दहलीज पर न्याय की पहुंच प्रदान करने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का उपबंध करता है। 18.00 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अध्यधीन ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए गैर–आवर्ती व्ययों को पूरा करने के लिए राज्यों को केंद्रीय सरकार सहायता दे रही है। केंद्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 3.20 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अध्यधीन इन ग्राम न्यायालयों के चलाने के लिए आवर्ती व्ययों की सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभी तक 153 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित कर दिया गया है। जिनमें से 151 ग्राम न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को 25.39 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है।

(v) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीकृत प्रायोजित एक स्कीम वर्ष 1993–94 से कार्यान्वित की जा रही है जिसके अधीन न्यायिक अधिकारियों के आवासीय क्वार्टर्स और न्यायालयों के भवन के संनिर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धिद करने के लिए जारी की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से भिन्न, राज्यों के लिए स्कीम के अधीन केन्द्र–राज्य के अंश में भी 50:50 से 75:25 तक की वृद्धि की गई है। उत्तर पूर्व राज्यों के सिवाय, केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा स्कीम पर व्यय को बांटा जाता है जो 90:10 के आधार पर है। 31.12.2011 तक इस स्कीम में 1565.04 रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

(vi) यूएनडीपी के समर्थन से चयनित 07 राज्यों में भारत में सीमांत व्यक्तियों के विधिक सशक्तीकरण के लिए 'भारत में सीमांत व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंच' एक बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

'मनरेगा' के अंतर्गत श्रमिक

469. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत वर्ष 2010–2011 के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने परिवारों को रोजगार हेतु नामजद किया गया;

(ख) इनमें से कितने परिवारों को 100 दिवस का तथा 100 दिवस से कम का रोजगार दिया गया और इस योजना के तहत वर्ष के दौरान कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य में किस–किस प्रकार के कार्य हाथ में लिए तथा पूरे किए गए और इन पर वर्ष–वार कुल कितना व्यय हुआ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में जॉब कार्ड पाने वाले परिवारों की संचयी संख्या 1.07 करोड़ थी। वर्ष 2010–11 के दौरान 3.8 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए थे।

(ख) राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010–11 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में 49.98 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। 2010–11 में पश्चिम बंगाल में मनरेगा के अंतर्गत 2532,46 करोड़ रु. का कुल व्यय किया गया था।

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत पूरे किए गए/चले रहे कार्य के तथा किए गए व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष	ग्रामीण संपर्कता		बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा		जल संभरण एवं जल		सूखा रोधन		लघु सिंचाई कार्य	
	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य
2008–09	19050	16527	4823	3403	8087	7809	8131	5111	3545	2343
2009–10	40860	21197	9218	3340	21674	11666	9927	5115	8630	3861
2010–11	39004	23133	7342	3596	32490	14594	11968	37336	8052	3831
2011–12 (16.02.12 तक)	22875	52959	3590	8918	16976	27269	15468	77099	3663	6731

वित्तीय वर्ष	अनुसूची I के पैरा 1 (iv) में वैयक्तिक भूमि पर कार्य		पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार		भूमि विकास		एमआरडी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य क्रियाकलाप		भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र	
	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य	पूरे किए गए कार्य	चल रहे कार्य
2008–09	1330	983	6238	6219	3322	3142	0	0	एन.ए	एन.ए
2009–10	4805	3504	14923	8278	11814	4664	7	17	एन.ए	एन.ए
2010–11	7934	3520	22210	9983	13583	6988	1	4	3.90	54
2011–12 (16.02.12 तक)	2794	5643	7645	12546	7052	13928	1076	2231	20	146

एन.ए.–लागू नहीं

व्यय के ब्यौरे

(लाख रुपए में)

	2008.09	2009.10	2010.11	2011.12 (16.2.12 तक)
मजदूरी पर व्यय	61522.4	140193.0	165658.1	91647.1
अर्द्ध--कुशल तथा कुशल मजदूरों पर व्यय	2503.4	5971.1	8280.0	5155.9
सामग्री पर व्यय	26076.6	56735.3	69678.6	48795.5
प्रशासनिक खर्चे	3936.1	7998.8	9629.4	7759.2
कुल व्यय	94038.5	210898.1	253246.1	153357.7

केरल राज्य उद्यम विकास मिशन

470. **श्री पी. सी. चाको : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्तावित केरल राज्य उद्यम विकास मिशन को सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को ब्याजगत सब्सिडी के भुगतान हेतु निधि स्वीकृत करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ब्याज सब्सिडी का भुगतान की कोई योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की नहीं है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ब्याज सब्सिडी संबंधी एक योजना है। तथापि, रिकार्ड की जांच करने पर, पता चला है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में केरल राज्य उद्यमी विकास मिशन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोदावरी में बाढ़ नियंत्रण

471. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की जलराशि प्रतिवर्ष बाढ़ के निर्धारण स्तर को पार कर जाती है;

(ङ) यदि हां, तो केंद्र सरकार ने गोदावरी में बाढ़ के नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है; और

(च) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण–I में दी गई हैं।

(ख) और (ग) बाढ़ नियंत्रण के विषय में कोई अलग राष्ट्रीय नीति नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में बाढ़ नियंत्रण तथा प्रबंधन संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) में उपलब्ध सूचना के अनुसार गोदावरी नदी ने वर्ष 2004, 2005, 2006 और 2008 में अहमदनगर जिले के कोमर गांव में खतरे के निशान को पार किया था। गोदावरी ने वर्ष 2006 में महाराष्ट्र के परभनी जिले के गंगाखेड़ में और वर्ष 2005 व 2006 में नांदेड़ में खतरे के निशान को पार किया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण–I

राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की मुख्य विशेषताएं

★ जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय मूल आवश्यकता तथा एक कीमती राष्ट्रीय संपत्ति है। जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के तहत किए जाने की आवश्यकता है।

★ विद्यमान केंद्रीय और राज्य स्तर के अभिकरणों को एकीकृत और सुदृढ़ करते हुए राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर जल संबंधी आंकड़ों के वास्ते आंकड़ा बैंकों और आंकड़ा आधारों के नेटवर्क युक्त एक सुविकसित सूचना प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

★ देश में उपलब्ध जल संसाधनों तक अधिकतम संभव स्तर को उपयोज्य संसाधनों में लाया जाना चाहिए।

★ जल की उपयोगिता के गैर परंपरागत पद्धतियां जैसे अंतः बेसिन अंतरण, भूमि जल का कृत्रिम पुनर्भरण तथा खारे और समुद्री जल का अलवणीकरण तथा परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियां जैसे वर्षा जल संचयन, जिसमें छत पर वर्षा जल संचयन भी शामिल है, को उपयोज्य जल संसाधनों

में वृद्धि करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। इन तकनीकों के लिए प्रमुख अनुसंधान और विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना आवश्यक है।

★ एक जल वैज्ञानिक इकाई के लिए जल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन की आयोजना करनी होगी। नदी बेसिनों के नियोजित विकास और प्रबंधन के लिए उपयुक्त नदी बेसिन संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए।

★ क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते एक नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन में जल के अंतरण सहित जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल अंतरित करके जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

★ जहां तक संभव हो मानव व पारिस्थितिकीय पहलुओं और समाज के जो वर्ग लाभ से वंचित रह रहे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एकीकृत एवं बहुविषयी दृष्टिकोण अपनाते हुए जल संसाधन के विकास के लिए परियोजना की आयोजना बहुउद्देश्यीय होनी चाहिए।

★ जल के आबंटन में पेय जल को सर्वप्रथम इसके पश्चात सिंचाई, जल-विद्युत, पारिस्थितिकी, खाद्य-उद्योगों और गैर कृषि-उद्योगों, नौवहन और अन्य उपयोगों के क्रम में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

★ भूजल के उपयोग को पुनर्भरण संभावनाओं तथा सामाजिक समानता को ध्यान में रखते हुए विनियमित किया जाना चाहिए। भूजल के अति दोहन के हानिकर पर्यावरणीय परिणामों को प्रभावी ढंग से रोके जाने जाने की जरूरत है।

★ विद्यमान जल संसाधन सुविधाओं के वास्तविक और वित्तीय स्थायित्व पर पर्याप्त बल दिए जाने की जरूरत है। विभिन्न उपयोगों के लिए जल प्रभार सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि प्रारंभ में कम से कम प्रचालन और रखरखाव लागत और बाद में पूंजीगत लागत का कुछ भाग प्राप्त हो सके।

★ विद्यमान उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रयोक्ताओं और अन्य पणधारियों सहित विभिन्न सरकारी अभिकरणों को शामिल करते हुए एक सहभागिता पद्धति को एक कुशल और निर्णायक रूप में अपनाया जाना चाहिए।

★ विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में, जहां व्यवहार्य हो, निजी क्षेत्र में सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

★ सतही और भूजल की गुणवत्ता के लिए नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जानी चाहिए। निस्सरणों को प्राकृतिक नदियों में बहाए जाने से पहले उनमें स्वीकार्य स्तरों और मानकों के अनुसार सुधार करना चाहिए। पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए बारहमासी नदियों में न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

★ जल के विविध उपयोगों में उपयोग की कारगरता में सुधार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा, विनियमन, प्रोत्साहनों व दंड व्यवस्था करके जल संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

★ उपयुक्त लागत-प्रभावी उपाय अपनाकर समुद्र या नदी से होने वाले कटाव को कम से कम किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों एवं बाढ़ मैदान अंचलों में अंधाधुंध खेती को और आर्थिक क्रियाकलापों को विनियमित किया जाना चाहिए।

★ जल संसाधनों के विकास के लिए परियोजनाओं की आयोजना में सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन क्षेत्रों को विभिन्न उपायों के द्वारा सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

★ राज्यों के बीच जल बंटवारा/वितरण को जल संसाधन उपलब्धता और नदी बेसिन की जरूरतों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

★ जल संसाधन विकास के एकीकृत हिस्से के रूप में प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयास किए जाने चाहिए।

विवरण-II

बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन

i. प्रत्येक बाढ़ प्रवण बेसिन हेतु बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए एक मास्टर योजना होनी चाहिए।

ii. बेहतर बाढ़ प्रबंधन को सुलभ बनाने के लिए जहां व्यवहार्य हो, जल भंडारण परियोजनाओं में पर्याप्त बाढ़-कुशल की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, जलाशय विनियमन नीति में बाढ़ नियंत्रण को अधिमान दिया जाना चाहिए भले ही कुछ सिंचाई अथवा विद्युत लाभों का त्याग करना पड़े।

iii. यद्यपि तटबंधों और डाइकों जैसे वास्तविक बाढ़ सुरक्षा कार्यों को जारी रखना जरूरी होगा तथापि हानि को न्यूनतम करने और बाढ़ राहत कार्यों पर बार-बार होने वाले खर्च को कम करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी बाढ़ मैदान जोनिंग और बाढ़-रोधन जैसे गैर संरचनात्मक उपायों पर और जोर दिया जाना चाहिए।

iv. बाढ़ मैदानी जोनों में बाढ़-रोधन के साथ-साथ पुनर्वास तथा आर्थिक कार्यों का कड़ाई से विनियमन होना चाहिए जिससे कि बाढ़ के कारण जान और माल का नुकसान कम से कम हो।

v. बाढ़ पूर्वानुमान कार्यकलापों को आधुनिक, अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाना चाहिए तथा गैर सेवित क्षेत्रों में ये कार्य किए जाने चाहिए। जलाशयों के प्रभावी विनियम हेतु उनमें अन्तर्वाह पूर्वानुमान सुविधा स्थापित की जानी चाहिए।

'मनरेगा' योजना में सुधार

472. **श्रीमती जे. शांता** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार करने और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को रोजगार गारंटी हेतु नियत दिनों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत जारी और प्रयुक्त धनराशि का समुचित लेखा-परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों के परामर्श से महात्मा गांधी नरेगा के विभिन्न प्रावधानों में परिवर्तन, आशोधन तथा संशोधन और इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर अधिनियम में किए गए अन्य सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए गारंटीशुदा जॉब के दिनों की संख्या को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) मनरेगा के तहत वित्तीय लेखा परीक्षा अनिवार्य है। सनदी लेखाकार से लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा विगत वर्ष का उपयोग प्रमाण पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि कन से कम 60% उपलब्ध निधियों का इस्तेमाल कर लिया गया है, एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा निधियां रिलीज की जाती हैं। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के परामर्श से सभी स्तरों परयोजनाओं के खातों की लेखा परीक्षा की उचित व्यवस्था कर सकती है। तदनुसार, मंत्रालय ने सीएजी के परामर्श से 30 जून, 2011 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 की अधिसूचना जारी की।

रेल-हॉल्ट का परिवर्तन

473. **श्री लक्ष्मण टुडु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसी यात्री रेल-हॉल्ट को फ्लैग स्टेशन के रूप में स्तरोन्नत करने हेतु क्या मापदंड रखे गए हैं;

(ख) क्या दक्षिणी-पूर्व रेल के अंतर्गत बारीपद-रूपसा रेल डिवीजन में स्थित बेतनोती रेल हॉल्ट उक्त मापदंड को पूरा नहीं करता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) एक हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन के रूप में उन्नयन करने हेतु तभी विचार किया जाता है जब हाल्ट स्टेशन 10 वर्ष से अधिक वर्षो से व्यवहार में हो, औसत दैनिक निगत यात्री यातायात 300 या अधिक हो और प्रतिवर्ष 9 लाख रु. से अधिक यात्री आमदनी हो।

(ख) जी हां।

(ग) बेतनोती हाल्ट स्टेशन फ्लैग स्टेशन के रूप में उन्नयन का मानदंड पूरा नहीं करता है क्योंकि हाल्ट स्टेशन 10 वर्ष से अधिक अवधि से व्यवहार में नहीं है और दैनिक औसत निर्गत यात्री आमदनी 300 से कम है।

सरकारी तेल कंपनियों का लाभार्जन

474. **श्री एस. पक्कीरप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के उत्पादन और आयातित कच्चे तेल के परिशोधन कार्य में संलग्न सरकारी तेल कंपनियां प्रति वर्ष लाभ अर्जित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम उत्पादों, आदि के विक्रय में लगी सरकारी तेल कंपनियां प्रति वर्ष घाटा उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) विगत 3 वर्षो के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा अर्जित किए गए करोपरांत लाभ (पीएटी) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

(करोड़ रुपये में)

कंपनी का नाम	2008–09	2009–10	2010–11
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पो. लि. (ओएनजीसी)	16126	16768	18924
आयल इंडिया लि. (ओआईएल)	2161.68	2610.52	2887.73
इंडियन आयल कार्पो. लि. (आईओसीएल)	2950	10221	7445
हिंदुस्तान पेट्रो. कार्पो. लि. (एचपीसीएल)	574.98	1301.37	1539.01
भारत पेट्रो. कार्पो. लि. (बीपीसीएल)	736	1538	1547
गेल इंडिया लि. (गेल)	2804	3140	3561

तेल विपणन कंपनियां नामतः आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर उनके द्वारा झेली गई अल्प वसूलियों के लिए सरकार से नकद सहायता के माध्यम से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों अर्थात् ओएनजीसी, ओआईएल और गेल से कच्चे तेल और उत्पादों पर छूट प्राप्त करने के बाद ही विगत 3 वर्षों के दौरान रिकार्ड लाभ प्राप्त कर सकीं।

[हिन्दी]

रेल–वर्कशॉप

475. **श्री अशोक कुमार रावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थित रेल–वर्कशॉपों का जोन–वार ब्यौरा और कामकाज संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन वर्कशॉपों के नवीयन/पुनरुद्धार के लिए आबंटित/व्यय की दी गई धनराशि का वर्कशॉप–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश को इन वर्कशॉपों के नवीयन/पुनरुद्धार हेतु रेलवे द्वारा अन्य और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) रेलवे की वर्कशॉपों का नवीकरण/पुनरुद्धार करना एक सतत् प्रक्रिया है और इसे जोनल रेलों द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

विवरण

रेलवे	वर्कशाप	कार्यात्मक स्थिति	वर्कशाप के नवीकरण/पुनरुद्धार के लिए पिछले तीन वर्ष के दौरान आबंटित और खर्च की गई निधियों की स्थिति (आंकड़े हजार रुपयों में)					
		निम्नलिखित सभी वर्कशाप कार्य कर रही हैं और उनके सामने दी गई मुख्य गतिविधियों को पूरा कर रही हैं	2009-10		2010-11		2011-12 (उपलब्ध अद्यतन स्थिति)	
			आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	परेल वर्कशाप	डीजल लोको, कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग, डीजल लोको की एसेम्बली, कोच का मिड-लाइफ पुनःस्थापन	44117	42530	20945	20945	29545	32224

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य	माटुंगा वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	17353	993	97850	97850	31700	28093
	इलैक्ट्रिक लोको वर्कशाप, भुसावल	इलैक्ट्रिक लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	-	-	500	0	1	0
	कुर्दवाडी वर्कशाप	नैरो गेज कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग, वैगन का पुनःस्थापन	1000	0	4500	4086	5100	28
	सिगनल वर्कशाप, भायखला	सिगनल उपस्करों का उत्पादन और सिगनल उपस्करों की मरम्मत/ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	-
	सेंट्रल इंजीनियरिंग वर्कशाप, मनमाड	ऊपरी पैदल पुल, छोटे एवं बड़े पुलों की स्टील संरचना का निर्माण फेब्रिकेशन	7353	0	17057	17057	4768	11769
	कर्षण मशीन वर्कशाप, नासिक रोड	कर्षण मशीन की मरम्मत और रिवाइडिंग		-	-	-	-	-
पूर्व	जमालपुर वर्कशाप	वैगन, डीजल लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग, क्रेन, टावर कार और वैगन का निर्माण	47632	25080	30873	30873	57848	41316
	लिलुआ वर्कशाप	कोच, वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	74412	13040	46590	21025	54241	69217
	कांचरापाडा वर्कशाप	कोच, इलैक्ट्रिक लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	62938	42927	40217	20440	31011	27934
	सिगनल वर्कशाप, हावड़ा	सिगनल उपस्करों का उत्पादन और सिगनल उपस्करों की मरम्मत/ ओवरहॉलिंग	-	-	4400	-	2055	2055
पूर्व मध्य	समस्तीपुर वर्कशाप	वैगन का निर्माण	-	-	-	-	-	-
	प्लांट डिपो, मुगलसराय	ब्रिज गर्डर, पीएससी स्लैब और अन्य स्टील ढांचों का उत्पादन	-	-	-	-	-	-
पूर्व तट	मंचेश्वर वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	29056	13345	26800	6174	10346	9451

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर	चारबाग वर्कशाप	डीजल और इलेक्ट्रिक लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	20900	20900	56800	56800	30900	23900
	आलमबाग वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	43900	43900	44300	44300	26300	5200
	अमृतसर वर्कशाप	वैगन का निर्माण	1000	1000	27000	27000	12100	1100
	जगाधरी वर्कशाप	कोच, वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	1000	1000	30000	10000	12100	18300
	कालका वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	-
	ब्रिज वर्कशाप, चारबाग, लखनऊ	ब्रिज गर्डर, पीएससी स्लैब और अन्य स्टील ढांचों का उत्पादन	16240	16240	10023	9649	2209	3729
	ब्रिज वर्कशाप, जालंधर	ब्रिज गर्डर, पीएससी स्लैब और अन्य स्टील ढांचों का उत्पादन	-	-	3400	1548	3250	2724
	सिगनल वर्कशाप, गाजियाबाद	सिगनल उपस्करों का उत्पादन और सिगनल उपस्करों की मरम्मत/ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	-
उत्तर मध्य	झांसी वर्कशाप	वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	100	0	201	0	8626	6502
	रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली	स्प्रिंग का निर्माण	100	0	100	0	90000	0
पूर्वोत्तर	गोरखपुर वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	21969	17229	16027	10518	29710	8030
	इज्जतनगर वर्कशाप	कोच और मीटर गेज वैगन, डीजल लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	146600	146314	201750	197903	85380	87512
	ब्रिज वर्कशाप, गोरखपुर कैण्ट	ब्रिज गर्डर, पीएससी स्लैब और अन्य स्टील ढांचों का उत्पादन	-	-	4786	4786	-	-
	सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर	सिगनल उपस्करों का उत्पादन और सिगनल उपस्करों की मरम्मत/ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	
पूर्वोत्तर सीमा	डिब्रुगढ़ वर्कशाप	कोच, वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	28950	28950	52120	52120	6357	31229
	न्यू बोंगाईगांव वर्कशाप	कोच, वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	16182	5121	28842	28842	104806	39161

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	तिनधारिया वर्कशाप,	नैरो गेज कोच, डीजल लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	-
	इंजीनियरी वर्कशाप, बोंगाईगांव	ब्रिज गर्डर, पीएससी स्लैब और अन्य स्टील ढांचों का उत्पादन	300	300	12600	12600	17500	17400
उत्तर पश्चिम	अजमेर वर्कशाप	कोच, वैगन, डीजल लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	55000	2770	197500	77800	172900	111700
	बीकानेर वर्कशाप	वैगन और मीटर गेज कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	-
	जोधपुर वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	15700	14700	20500	3500	11100	13700
	पेराम्बूर (कैरिज) वर्कशाप	कोच, वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	44736	11366	27590	23215	52279	27692
दक्षिण	पेराम्बूर (लोको) वर्कशाप	कोच, डीजल और इलैक्ट्रिक लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	21956	246	45000	1103	44944	13170
	गोल्डन रॉक वर्कशाप	कोच, डीजल लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग और वैगन का निर्माण	96837	48896	248725	37323	81035	75186
	इंजीनियरिंग वर्कशाप, अरक्कोणम	गर्डर, ऊपरी पैदल पुल, स्टील संरचना और अन्य रेलपथ मदों का उत्पादन	3676	0	22673	22673	6357	27970
	सिगनल वर्कशाप, पोदानूर	सिगनल उपस्करों का उत्पादन और सिगनल उपस्करों की मरम्मत/ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	-
दक्षिण मध्य	लालागुडा वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	79500	71000	87200	87400	53300	37500
	रायनापाडु वर्कशाप	वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	20001	17100	5001	2300	4001	3500
	तिरूपति वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	11700	10600	4000	2800	2000	1300
	इंजीनियरी वर्कशाप, लालागुडा	ब्रिज गर्डर, पीएसबी स्लैब और अन्य स्टील ढांचों का उत्पादन	7500	5005	1	0	7500	6468
	सिगनल वर्कशाप, मेट्टुगुडा	सिगनल उपस्करों का उत्पादन और सिगनल उपस्करों की मरम्मत/ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	52	-
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर वर्कशाप	कोच, वैगन, डीजल और इलेक्ट्रिक लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	92206	72528	79000	50364	74629	48182

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	इंजीनियरी वर्कशाप, सिनी	ब्रिज गर्डर, पीएसबी स्लैब और अन्य स्टील ढांचों का उत्पादन	2000	0	100	0	2000	2000
दक्षिण पूर्व मध्य	नागपुर वर्कशाप	नैरो गेज कोच, डीजल लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	500	0	339	300	6230	4710
	रायपुर वर्कशाप	वैगन की आवधिक ओवरहॉलिंग	3368	2160	7904	9535	10761	10159
दक्षिण पश्चिम	मैसूर वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	-	-	-	-	-	-
	हुबली वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग, वैगन का पुन:स्थापन और निर्माण	71253	119800	108900	158700	82100	103500
पश्चिम	दाहोद वर्कशाप	इलैक्ट्रिक लोको का मध्यावधि, पुन:स्थापन, वैगन का पुन:स्थापन	43149	55541	11075	18893	25222	1410
	लोअर परेल वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	128647	134807	68052	56217	73893	48143
	महालक्ष्मी वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	1	514	3500	600	-	-
	प्रताप नगर वर्कशाप	वैगन और नैरो गेज कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	1150	1678	960	4708	4668	945
	भावनगर वर्कशाप	कोच की आवधिक ओवरहॉलिंग	470000	744307	628000	409770	107590	172836
	जूनागढ़ वर्कशाप	पुन: तैनाती किए जाने हेतु स्टाफ	-	-	-	-	-	-
	इंजीनियरिंग वर्कशाप, साबरमती	स्टील ब्रिज गर्डर और प्लेट गर्डर का निर्माण	-	-	-	-	-	-
पश्चिम मध्य	कोटा वर्कशाप	वैगन, डीजल लोको की आवधिक ओवरहॉलिंग	22	22	5738	5738	19814	8931
	भोपाल वर्कशाप	कोच का मिड-लाइफ पुन:स्थापन	102420	110305	112008	102621	80907	33352

नोट: उपर्युक्त उल्लिखित योजना व्यय के अलावा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत नैमित्तिक अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें

476. श्री नारनभाई कछाड़िया :

श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच

करने के संबंध में विधि आयोग द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) उच्चतर न्यायपालिका के 'आंतरिक तंत्र' के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति उनके न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ऐसी शिकायतों का अभिलेख नहीं रखती है और उन पर की गई कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए इसके पास कोई तंत्र नहीं है।

(ख) सरकार ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाने के लिए एक उपयुक्त विधायी ढांचे की युक्ति के लिए और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 को निरसित करने के लिए न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005 तैयार किया था। प्रारूप विधेयक को समीक्षा और रिपोर्ट के लिए भारत विधि आयोग भेजा गया था था विधि आयोग ने अपनी 195वीं रिपोर्ट में इस पर विस्तृत और व्यापक सिफारिशें की हैं। शिकायतों के अन्वेषण के बारे में मुख्य सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार हैं :-

(i) न्यायिक परिषद द्वारा किसी निर्देश प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी शिकायत प्रक्रिया की रीति से अन्वेषण/जांच, अनुच्छेद 124(4) में अंतर्विष्ट संसदीय प्रक्रिया का अंतिलंघन नहीं है। यह अननुज्ञेय प्रत्यायोजन की कोटि में नहीं आता है और विधिमान्य है।

(ii) इस दृष्टि से कि 2005 के विधेयक की धारा 22, जो न्यायिक परिषद को, स्वयं अन्वेषण करने के संचालन के लिए अपने सदस्यों से मिलकर बनी किसी समिति को नियुक्त करने की अनुज्ञा देती है, संवैधानिक रूप से विधिमान्य है।

(iii) जब न्यायिक परिषद् उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश (शिकायत का निर्देश प्रक्रियाओं में) या भारत के मुख्य न्यायमूर्ति (किसी निर्देश प्रक्रिया में) के विरुद्ध अभिकथनों का अन्वेषण करे तो उसे उच्च न्यायालयों के दो ज्येष्ठतम न्यायाधीशों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय न्यायिक परिषद् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बननी चाहिए।

(iv) 2005 के विधेयक में एक अलग धारा के रूप में निम्नलिखित उपबंध अंतर्विष्ट किए जाएं :

(1) कोई भी व्यक्ति जो उस न्यायाधीश को, जिसके विरुद्ध शिकायत फाइल की गई है संतापित करने के आशय से किसी न्यायाधीश के विरुद्ध ऐसी शिकायत करता है जो या तो तुच्छ या तंग करने वाली है या सद्भावपूर्वक नहीं की गई है तो वह दंडनीय होगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन का कोई अपराध किया जाता है तो न्यायिक परिषद् इस अपराध का संज्ञान ले सकेगी और उक्त अपराधी को यह कारण बताने का, कि उसे ऐसे अपराध के लिए क्यों न दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे अपराध का, जहां तक हो सके, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन संक्षिप्त विचारण के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, संक्षिप्त विचारण कर सकेगी और यदि ऐसा अपराधी उक्त अपराध को करने का दोषी पाया जाए तो उसे ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी जो पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, का दंडादेश दे सकेगी।"

(v) 2005 के विधेयक में ऐसा उपबंध होना चाहिए कि प्रत्येक परिवादी और साक्षी तथा वकील सहित प्रत्येक व्यक्ति, जो अन्वेषण और जांच में भाग लेता है, चाहे वह अपने नाम की गोपनीयता की मांग करे या न करे, न्यायिक परिषद् के समक्ष यह वचन देगा कि वह अपना नाम, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है उस न्यायाधीश का नाम, परिवाद की अंतर्वस्तु या कोई भी दस्तावेज या कार्यवाहियों न्यायिक परिषद् के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना मीडिया सहित किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा। यह न्यायिक परिषद द्वारा ही विनिश्चित किया जाएगा कि शिकायत की अंतर्वस्तु जनता को कब और किस सीमा तक प्रकट की जाएंगी। यह स्पष्ट किया जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी ऐसा होगा। न्यायिक परिषद् के समक्ष एक बार जांच पूरी होने पर यदि शिकायत प्रक्रिया पर 'गौण उपाय' अधिरोपित किए जाते हैं तो उसे न्यायिक परिषद् द्वारा इस विशेषता के साथ प्रकाशित किया जा सकता है कि 'प्राइवेट परिनिंदा या भर्त्सना' की दशा में परिवादी और संबंधित न्यायाधीश का नाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। हटाये जाने की

सिफारिश की दशा में, चूंकि रिपोर्ट अध्यक्ष/सभापति के समक्ष प्रस्तुत की जानी है अतः अध्यक्ष यह विनिश्चित करेगा कि ऐसी रिपोर्ट कब प्रकाशित की जा सकती है।

आमान-परिवर्तन/नई रेल लाइन

477. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम-महू रेलमार्ग पर आमान-परिवर्तन कार्य तथा इंदौर-दाहोद के बीच नई रेल लाइन बिछाने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस हेतु अब तक आबंटित/व्यय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं का कार्य पूरा होने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) रतलाम-महू खंड (159.45 किमी) का आमान परिवर्तन रतलाम-महू-खंडवा-अकोला (472.60 किमी) आमान परिवर्तन परियोजना का एक हिस्सा है। रतलाम-महू (159.45 किमी) के आकलन को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जबकि मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों और रेलपथ संपर्क का कार्य शुरू कर दिया गया है। रतलाम-फतेहाबाद खंड (80 किमी) को मार्च, 2013 तक पूरा किए जाने की योजना है। समग्र परियोजना पर मार्च, 2011 तक 37.74 करोड़ रु. पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। इस परियोजना के लिए वर्ष 2011-12 में 71.79 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इसके आगे, सरदारपुर, धार (200.97 किमी) खंड होते हुए दाहोद-इंदौर नई लाइन के निर्माण को पहले ही शुरू किया जा चुका है। दाहोद-कटवारा और सगौर-इंदौर (49.72 किमी) के विस्तृत भाग को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस खंड में मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मार्च, 2011 तक 75.19 करोड़ रु. की राशि व्यय की जा चुकी है और इस परियोजना हेतु वर्ष 2011-12 के लिए 19.63 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। दोनों परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।

गैर-ब्रांडेड दवाओं का व्यापार-लाभांश

478. **श्री अंजन कुमार एम. यादव :**

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर-ब्रांडेड दवाओं के व्यापार-लाभांश का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या उक्त व्यापार-लाभांश को सरकार द्वारा किसी प्रतिशत विशेष पर स्थिर नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त व्यापार-लाभांश से जनता को किस रीति से लाभ प्राप्त होना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारकारी कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा खुदरा विक्रेता के लिए 16% तक के लाभांश को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित दवाओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अनुसूचित दवा को एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में विनिर्माता एनपीपीए/सरकार से अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। ऐसे मूल्य सामान्यतः विभिन्न कारकों यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, एक्सीपिएंटों की लागत, अनुसंधान तथा विकास लागत, उपयोगिताओं/पैकिंग सामग्री की लागत, व्यापार लाभांश, गुणवत्ता लाभांश, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत, आदि के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

डीपीसीओ, 1995 में ब्रांडेड और गैर-ब्रांडेड दवाओं के बीच कोई भेद नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान टरबाइन ईंधन का आयात

479. **श्रीमती ऊषा वर्मा :**

श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य संचालित सरकारी तेल कंपनियों ने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह की इस सिफारिश को लेकर आशंका जताई है कि सभी घरेलू विमान सेवाओं को अपना घाटा कम करने हेतु विमान टरबाइन ईंधन (एटीएफ) को सीधे आयात करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश रिफाइनरियों में केवल एक ईंधन का ही उत्पादन निर्धारित करने की समुचित व्यवस्था नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या देश की रिफाइनरियों में एटीएफ के कम उत्पादन से पेट्रोल व डीजल जैसे जरूरी उत्पादों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ सकता है और इस कारण आयात की मात्रा बढ़ सकती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी हां। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधार पर आशंका जताई गई है :-

i. देश में एटीएफ की अधिशेष उपलब्धता है। ओएमसीज ने एटीएफ के वितरण के लिए बुनियादी सुविधा में भारी निवेश किया है।

ii. निजी पक्षकारों द्वारा आयातों की हैंडलिंग के लिए किसी प्रकार के निजी स्वामित्व की कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण आयातित एटीएफ की हैंडलिंग असुरक्षित हो सकती है।

(ग) और (घ) रिफाइनरियों में, आसवन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए एक ही उपकरण (नामतः, फ्रैक्शनेशन कॉलम) में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आदि जैसे उत्पादों के साथ-साथ विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) का उत्पादन किया जाता है।

अन्य उत्पादों की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना एक उत्पाद जैसे एटीएफ की उत्पादन दर समायोजन करने की रिफाइनरियों की सीमित गुंजाइश है। यह फ्रैक्शनेशन कॉलम के प्रचालन प्रचालों के समायोजन द्वारा किया जाता है।

अनुसंधान की अतिव्याप्ति

480. **श्री जोस के. मणि :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में रिपोर्ट है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और उद्योग जगत के बीच पारस्परिक-क्रिया कम होती जा रही है और उद्योग तथा भौगोलिक अनुसंधान के बीच संपर्क का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप अनुसंधान और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा अनुसंधान करने में अतिव्याप्ति हो रही है जिसका उद्योगों के लिए कोई फायदा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति में सुधार और उद्योग संबंधी बेहतर जागरूकता तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) सीएसआईआर का मुख्य फोकस औद्योगिक अनुसंधान पर है तथा इसका पेटेंट पोर्टफोलियो काफी मजबूत है। सीएसआईआर ने उद्योग के साथ संबंध बनाए हैं और यह उद्योग के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करता है तथा उद्योग के लिए अभिनिर्धारित ज्ञानाधार विकसित करने हेतु यह प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर भी कार्य करता है। संभवतः इन संबंधों को औरअधिक मजबूत बनाने तथा अनुसंधान एवं विकास और सहयोगात्मक अनुसंधान में उद्योग की और अधिक भागीदारी की आवश्यकता है जिसके लिए सरकार ने अनेक पहले की हैं जिसमें सीआईआई की भागीदारी शामिल है ताकि सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सोद्देश्य संबंध स्थापित करने हेतु अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के वास्ते प्रस्ताव तथा स्कीमें तैयार की जा सकें। साथ ही सीएसआईआर सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को भी वित्तपोषित करता है सीएसआईआर की घटक प्रयोगशालाओं की अनुसंधान परिषदों तथा सीएसआईआर की शासी निकाय और

सीएसआईआर सोसाइटी जैसे शीर्ष निकायों में उद्योग को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालय

481. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता न्यायालय/मंच स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य-वार आबंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त न्यायालयों/मंचों में राज्य-वार दर्ज, लंबित और निपटाए गए मामलों की संख्या क्या है; और

(घ) उक्त मामले लंबित होने के क्या कारण हैं और उक्त मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले 4 वर्षों के दौरान जारी की गई सहायता के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) फाइल किए गए, निपटाए गए, साथ ही लंबित मामलों के अपेक्षित ब्यौरे विवरण-II पर दिए गए हैं।

(घ) मामलों की बृहद संख्या में संस्थान, निपटान के लिए मंच की सीमित संख्या, प्रायिक न्यायनिर्णयन प्रक्रिया और विभिन्न स्तरों पर रिक्तियां लंबित मामलों के मुख्य कारण हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बेहतर अवसंरचना का उपबंध करने के लिए और सभी रिक्त पदों को भरने के लिए बार-बार अनुरोध किया है जिससे उपभोक्ता के मामलों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके।

विवरण-I

उपभोक्ता मंच को सुदृढ़ करने की स्कीम (एस सी एफ) के अधीन पिछले 4 वर्षों के दौरान जारी की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरे (28.2.2012 को)

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	एस सी एफ स्कीम में जारी सहायता				जारी की गई कुल रकम
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	210.85	–	–	–	210.85
2	गुजरात	508.25	393.33	455.50	–	1357.08
3	हरियाणा	–	75.00	–	–	75.00
4	कर्नाटक	384.61	–	–	–	384.61
5	केरल	–	–	38.43	15.00	53.43
6	मेघालय	–	29.60	–	–	29.60
7	उड़ीसा	103.50	–	–	–	103.50
8	पंजाब	–	55.88	57.55	18.75	132.18

1	2	3	4	5	6	7
9	राजस्थान	–	146.69	–	–	146.69
10	सिक्किम	–	–	20.50	12.50	33.00
11	त्रिपुरा	20.85	–	46.20	–	67.05
12	उत्तर प्रदेश	91.81	–	227.66	–	319.47
13	नागालैंड	–	–	204.00	260.25	464.25
14	मिजोरम	–	–	7.72	–	7.72
15	तमिलनाडु	–	–	–	196.79	193.79
16	पश्चिमी बंगाल	–	–	–	148.21	148.21
	कुल योग	1319.87	700.50	1057.56	651.50	3729.43

विवरण–II

जिला मंच में फाइल किए गए/निपटाए गए/लंबित मामलों का ब्यौरा

(29.02.2012 तक अद्यतन)

क्रम सं.	राज्य का नाम	आरंभ से फाइल किए गए मामले	आरंभ में निपटान किए गए मामले	लंबित मामले	निपटान का प्रतिशत	निम्नलिखित को
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	188281	182503	5778	96.93	31.12.2011
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	330	301	29	91.21	31.03.2006
3.	अरुणाचल प्रदेश	310	270	40	87.10	31.12.2011
4.	असम	13704	11976	1728	87.39	31.08.2010
5.	बिहार	80010	69607	10403	87.00	31.05.2011
6.	चंडीगढ़	44506	43273	1233	97.23	31.12.2011
7.	छत्तीसगढ़	34715	31532	3183	90.83	31.12.2011
8.	दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली	162	144	18	88.89	31.03.2011

1	2	3	4	5	6	7
9.	दिल्ली	239215	228875	10340	95.68	30.09.2011
10.	गोवा	6200	5593	607	90.21	31.01.2012
11.	गुजरात	166043	149728	16315	90.17	31.12.2011
12.	हरियाणा	211341	193583	17758	91.60	31.12.2011
13.	हिमाचल प्रदेश	54858	51419	3439	93.73	31.12.2011
14.	जम्मू-कश्मीर	20792	18855	1937	90.68	31.12.2007
15.	झारखंड	32260	29638	2622	91.87	30.09.2011
16.	कर्नाटक	146965	142794	4171	97.16	31.12.2011
17.	केरल	174455	167138	7317	95.81	31.12.2011
18.	लक्षद्वीप	72	65	7	90.28	31.12.2011
19.	मध्य प्रदेश	172687	157788	14899	91.37	31.12.2011
20.	महाराष्ट्र	245230	226885	18345	92.52	30.06.2011
21.	मणिपुर	1037	1012	25	97.59	30.09.2008
22.	मेघालय	768	661	107	86.07	31.03.2011
23.	मिजोरम	3466	2819	647	81.33	31.12.2010
24.	नागालैंड	246	205	41	83.33	30.06.2006
25.	ओडिशा	88816	82960	5856	93.41	31.12.2011
26.	पुडुचेरी	2832	2651	181	93.61	31.12.2011
27.	पंजाब	146353	140689	5664	96.13	31.12.2011
28.	राजस्थान	269329	243646	25683	90.46	31.12.2011
29.	सिक्किम	283	262	21	92.58	31.12.2011
30.	तमिलनाडु	99669	94948	4721	95.26	31.12.2011
31.	त्रिपुरा	2599	2426	173	93.34	30.11.2011
32.	उत्तर प्रदेश	541361	463576	77785	85.63	31.12.2011
33.	उत्तराखंड	33535	31796	1739	94.81	31.12.2011
34.	पश्चिम बंगाल	78441	73739	4702	94.01	31.12.2010
	कुल	3100871	2853357	247514	92.02	

[अनुवाद]

वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाएं

482. **श्री हमदुल्लाह सईद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने कुछ नई रेल परियोजनाओं को वित्तीय तौर पर व्यावहारिक नहीं पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेल टैरिफ विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्राधिकरण कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे पर परियोजनाएं सामान्यतः राष्ट्रीय परिवहन नीति, 1980 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है। बहरहाल, परियोजनाएं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर भी शुरू की जाती हैं।

01.04.2011 को 129 चालू नई लाइन परियोजनाएं हैं जिसमें से 116 परियोजनाओं की प्रतिफल की दर लाभप्रदता निम्नतम सीमा से भी कम है। ये परियोजना निष्पादन के विभिन्न चरणों पर हैं तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर हैं।

(ग) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल की चोरी

483. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न तेल डिपुओं से तेल की चोरी के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामलों में कितने लोग दोषी पाए गए तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त चोरी को रोकने के लिए कोई तकनीकी/मैनुअल प्रणाली लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल–फरवरी, 2012) के दौरान अपने तेल डिपुओं से चोरी के क्रमशः 3 और 9 मामलों की रिपोर्ट दी है।

(ग) आईओसीएल ने कान्तापुकुर डिपो, जम्मू डिपो और पानीपत विपणन कॉम्प्लैक्स में चोरी के मामलों की रिपोर्ट दी है और 3 अधिकारियों पर द.ड लगाया गया है जबकि टैंक ट्रक और क्रू को काली सूची में डाल दिया गया है और एक मामला पुलिस के पास है।

एचपीसीएल ने मथुरा, सांगानेर, सागर, भटिंडा, घाटकेसर, इन्दौर आईआरडी और सागर आईआरडी में चोरी के मामलों की रिपोर्ट दी है। 8 अधिकारियों और स्टाफ को निलंबित कर दिया गया था। बाद में 4 अधिकारियों को बहाल कर दिया गया था। 2 मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि डिपुओं और संस्थापनाओं में टैंक वाल्वों को प्रचालन के बाद लॉक कर दिया जाता है और चाबियां सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाती है। इसके अलावा टर्मिनल ऑटोमेशन को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। चोरी को रोकने के लिए तेल डिपुओं पर सीसीटीवी, रात में देखने के लिए दूरबीनों, जीपीएस आधारित वाहन निगरानी प्रणाली और सील निगरानी प्रणाली की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

कपार्ट के तहत गैर–सरकारी संगठनों को निधियां

484. श्री हरिभाऊ जावले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को विगत तीन वर्षों से कपार्ट के तहत कार्यान्वित स्कीमों के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले से धनराशि के लिए किसी एनजीओ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) कपार्ट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसायटी है, को विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गैर–सरकारी संगठनों से अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	पता	शीर्षक	स्थिति
1	स्वामी विवेकानंद ग्रामीण विकास संस्था	प्लॉट नं. 106, गणेश कॉलोनी, चोपड़ा, जि.जलगांव	पीसी योजना के तहत परियोजना प्रस्ताव	19 जनवरी, 09 को खारिज
2	स्वामी विवेकानंद ग्रामीण विकास संस्था	प्लॉट नं. 106, गणेश कॉलोनी, चोपड़ा, जि. जलगांव	लाभार्थियों का संगठन	06 जुलाई, 10 को खारिज
3	इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विसेज	साधना, मायादेवी नगर, महाबाला कॉलोनी रोड, जिला जलगांव	एनआरईजीएस कार्यक्रम का क्रियान्वयन	11 फरवरी, 09 को खारिज
4	तापी सतपुड़ा परिसर बहुउद्देश्यीय मंडल	एसएस–80/3, एमआईडीसी, जिला–जलगांव	एनआरईजीए के तहत जागरूकता सृजन एवं प्रशिक्षण प्रस्ताव	11 फरवरी, 09 को खारिज
5	राजमाता जीजाऊ बहुउद्देश्यीय संस्था	सीवेज बदुकल, ता. पारौला, जिला–जलगांव	कौशल विकास के जरिए ग्रामीण लड़कियों एवं लड़कों के लिए आयसृजन	22 जून, 09 को प्राप्त
6	जन शिक्षण संस्थान	बी/एच कस्तूरबा हाई स्कूल, चोपड़ा, जिला–जलगांव	ग्राम श्री मेला का आयोजन	07 अक्टूबर, 09 को खारिज
7	राही शिक्षण मंडल	शिवाजी नगर, वारनगांव रोड, ताल,–भुसावल, जिला–जलगांव	कार्यशाला का आयोजन	02 सितम्बर, 09 को खारिज
8	जन शिक्षण संस्थान	बी/एच कस्तूरबा हाई स्कूल, चोपड़ा, जिला–जलगांव	ग्राम श्री मेला का आयोजन	03 सितम्बर, 09 को खारिज

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान में सुधार हेतु मित्रता समझौता

485. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान में सुधार करने के लिए भारत के साथ मित्रता समझौते किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है तथा उन समझौतों की शर्तें क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक देश के साथ मौजूदा समझौते क्या हैं तथा उन समझौतों के उद्देश्य क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी, नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान में सुधार करने के लिए किसी भी बाह्य देश के साथ किसी ''मित्रता समझौता'' पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त अनुसंधान और विकास करने तथा विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक परियोजनाओं में भागीदारी करने के लिए 81 देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अंतः-सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार/समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग कार्यक्रम (पीओसी) नामक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग और सहयोगात्मक व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान (2009-10 से 2011-12) सह-निवेश और अनुसंधान परिणामों की सह-भागीदारी की शर्त पर 06 देशों, नामतः बोत्सवाना, ईथोपिया, जोर्जिया, म्यांमार, सिंगापुर और साउदी अरब के साथ अंतःसरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) समानता और पारस्परिक लाभों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास की गतिविधियों तक पारस्परिक पहुंच, सहयोगात्मक गतिविधियों को प्रभावित कर सकने वाली सूचना का आदान-प्रदान, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा तथा अनुसंधान परिणामों के शांतिपूर्वक उपयोग के आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के विकास के उद्देश्यों के साथ निम्नलिखित 81 देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएनटी) करार अस्तित्व में है।

देशों/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विद्यमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करार

1. आस्ट्रेलिया	13. कोलम्बिया	25. हंगरी
2. आस्ट्रिया	14. क्यूबा	26. इंटर नेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स
3. अर्जेंटीना	15. डमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया	27. आईसलैंड
4. आरमेनिया	16. यूरापीयन यूनियन	28. इंडोनेशिया
5. बांगलादेश	17. मिश्र	29. ईरान
6. बेलारूस	18. स्टोनिया	30. ईटली
7. बेलजियम	19. इथोपिया	31. इजरायल
8. बोत्सवाना	20. फिनलैंड	32. जापान
9. ब्राजील	21. फ्रांस	33. कजाकिस्तान
10. बुलगेरिया	22. जर्मन परिसंघीय गणराज्य	34. कुवैत
11. कनाडा	23. जोर्जिया	35. क्रिगिस्तान
12. चीन	24. ग्रीस	36. लाओं

37. मलेशिया

38. मारिसस

39. मैक्सिकों

40. मोलदोवा

41. मंगोलिया

42. मोजांबिक

43. म्यांमार

44. नेपाल

45. नीदरलैंड

46. नोर्वे

47. ओमान

48. पोलैंड

49. फिलिपीन्स

50. पेरू

51. पुर्तगाल

52. कोरिया गणराज्य

53. रोमानिया

54. रसियन फैडरेशन

55. साउदी अरब

56. सरबिया और मांटेननिग्रो

57. सिंगापुर

58. स्लोवाक

59. स्लोवेनिया

60. श्रीलंका

61. सूडान

62. दक्षिण अफ्रीका

63. स्पेन

64. चिली

65. स्वीडन

66. स्विस फैडरल

67. सीरिया

68. तजाकिस्तान

69. थाईलैंड

70. ट्रिनाड एवं टोबेगों

71. ट्यूनिस

72. तुर्की

73. तुर्कमेनिस्तान

74. तृतीय विश्व विज्ञान अकादमी

75. यूक्रेन

76. यूके और उत्तरी आयरलैंड

77. उजबेकिस्तान

78. यूएसए

79. वेनेजुएला

80. वियतनाम

81. जाम्बिया

अपर कृष्णा परियोजना–III

486. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपर कृष्णा परियोजना–III की कोई विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 5.30 लाख हे. सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2010–11 के मूल्य स्तर के आधार पर 17,207.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कर्नाटक सरकार द्वारा ऊपरी परियोजना चरण–III की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

न्यायालयों का परिवर्तन

487. श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले कुछ महीनों में देश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) क्या विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को अपग्रेड करके फास्ट–ट्रैक न्यायालयों के स्तर का किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचनात्मक विकास का उपबंध, संबंधित राज्य के क्षेत्र के भीतर आता है। राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करके सामर्थ्य प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीयकृत एक प्रायोजित स्कीम 1993–1994 से कार्यान्वित की है। इसके अधीन, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को शेयर के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2010–11 तक शेयर का अनुपात 50 : 50 था। वर्ष 2011–12 से इसमें 75:25 (75% केंद्रीय सहायता) की वृद्धि की गई है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप खोलना

488. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में गुजरात के भरूच और नर्मदा क्षेत्रों में कितने पेट्रोल पंप खोले गए तथा उनका कंपनी–वार, श्रेणी–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिन पेट्रोल पंपों के आबंटन हेतु विगत तीन वर्षों में उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए वे पेट्रोल पंप अभी तक चालू नहीं हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) द्वारा गुजरात के भरुच क्षेत्र में स्थापित किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) अर्थात् पेट्रोल पम्पों का कंपनी–वार, श्रेणी–वार और स्थान–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं.	स्थान	कम्पनी	श्रेणी
1	निकोरा, भरुच	आईओसी	सामान्य
2	वेसदरा, भरुच	एचपीसीएल	सामान्य
3	राजपार्दी, भरुच	एचपीसीएल	सामान्य
4	सामनी, भरुच	एचपीसीएल	सामान्य
5	अमोद, भरुच	एचपीसीएल	सामान्य
6	हन्सोत, भरुच	एचपीसीएल	सामान्य
7	जोल्वा, भरुच	एचपीसीएल	सामान्य
8	मुलेर चौकड़ी, भरुच	एचपीसीएल	सामान्य
9	अंकलेश्वर, भरुच	बीपीसीएल	सामान्य
10	पालेज, भरुच	बीपीसीएल	सामान्य
11	भरूच सिटी, भरुच	बीपीसीएल	सामान्य

विगत तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा नर्मदा क्षेत्र में कोई भी पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) भरुच और नर्मदा जिले में 22 आरओज को चालू करने का कार्य लंबित है इनके लिए साक्षात्कार लिए जा चुके हैं तथा आशय पत्र (एलओआई) भी जारी किए जा चुके हैं।

(ग) आरओ डीलरशिप को आबंटित/स्थापित करने में विज्ञापन देना, डीलरों के साक्षात्कार/चयन, प्रत्ययपत्रों का क्षेत्र सत्यापन, आशय पत्र जारी करना, भूमि की प्राप्ति, अपेक्षित सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना, निर्माण करना इत्यादि जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। इसलिए आबंटन के बाद आरओ को चालू करने में कुछ समय लगता है।

नहरों का निरीक्षण

489. **श्री महेश जोशी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरों के निरीक्षण हेतु विश्व बैंक के एक दल ने राजस्थान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इससे किन परियोजनाओं को लाभ मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी हां।

(ख) 1. राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के कार्य दल के नेता ने फरवरी 2011 में गंग नहर और भाखड़ा नहर प्रणाली का निरीक्षण किया था ताकि इन नहरों पर एससीएडीए (निरीक्षण नियंत्रण एवं आंकड़ा संग्रहण) प्रणाली को संस्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा सके।

2. परियोजना के अंतर्गत राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना से जुड़े विश्व बैंक के अधिप्रापण विशेषज्ञ ने अक्टूबर, 2011 में अपने नियमित पर्यवेक्षण मिशन के हिस्से के रूप में भाखड़ा नहर प्रणाली पर चालू पुनर्वास संबंधी कार्यों का भी निरीक्षण किया था।

(ग) राजस्थान की गंग नहर और भाखड़ा नहर प्रणाली के लाभान्वित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

एनएमडीएफसी द्वारा निधियों का आबंटन

490. श्री जगदीश ठाकोर : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की;

(ख) एनएमडीएफसी द्वारा सहायता देने के लिए नियत मानदंड क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा आबंटित राशि के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन विकास कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उक्त राशि उपयोग में लाई गई है; और

(ङ) सरकार ने एनएमडीएफसी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा आवंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) एमएमडीएफसी योजनाओं के अधीन "दुगुनी गरीबी रेखा" के नीचे रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध व्यक्ति सहायता के लिए पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रु. 40000/- से कम और शहरी क्षेत्रों में रु. 55000/- से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को ही "दुगुनी गरीबी रेखा" से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के रूप में विचार किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा आवंटित निधियों के उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) एनएमडीएफसी द्वारा जारी की गई निधियों का उपयोग अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध व्यक्तियों को रियायती ऋण देने तथा स्वरोजगार/आय सृजक कार्यकलापों की स्थापना के लिए किया जाता है।

(ङ) एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 2010-11 के दौरान रु.1000/- करोड़ से बढ़कर रु.1500/- करोड़ कर दी गई है। दिनांक 10 फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार की चुकता शेयर पूंजी रु. 875.36/- करोड़ है।

विवरण-I

एनएमडीएफसी द्वारा आवंटित धनराशि

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	600.00	180.00	1416.00	1350.00
2	असम	325.00	420.00	1100.00	1100.00

1	2	3	4	5	6
3	बिहार	1150.00	770.00	1584.00	1619.00
4	चंडीगढ़	30.00	25.00	26.00	47.00
5	छत्तीसगढ़	175.00	150.00	203.00	155.00
6	दिल्ली	525.00	180.00	46.00	42.50
7	गुजरात	765.00	680.00	530.00	540.00
8	हिमाचल प्रदेश	225.00	230.00	139.00	120.00
9	हरियाणा	1590.00	1775.00	320.00	228.00
10	जम्मू और कश्मीर	620.00	665.00	1508.00	1526.00
11	झारखंड	230.00	230.00	400.00	300.00
12	केरल	7340.00	7180.00	3098.00	8441.00
13	कर्नाटक	1700.00	1080.00	1599.00	739.00
14	महाराष्ट्र	2220.00	2280.00	2522.00	2851.00
15	मणिपुर	75.00	60.00	55.00	183.00
16	मध्य प्रदेश	300.00	320.00	350.00	512.00
17	मिजोरम	550.00	570.00	202.00	785.00
18	नागालैंड	2020.00	2300.00	572.00	1000.00
19	ओडिसा	515.00	294.00	155.00	158.00
20	पुडुचेरी	275.00	185.00	33.00	36.00
21	पंजाब	990.00	885.00	1500.00	1793.00
22	राजस्थान	475.00	320.00	355.00	1255.00
23	तमिलनाडु	3450.00	3320.00	1250.00	2087.00
24	त्रिपुरा	125.00	96.00	113.00	309.50
25	उत्तर प्रदेश	2250.00	1530.00	3662.00	2993.00
26	उत्तराखंड	425.00	150.00	150.00	150.00
27	पश्चिम बंगाल	5330.00	6480.00	5435.00	10150.00
	योग	34275.00	32355.00	28323.00	40470.00

विवरण–II

युक्त धनराशि

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (09.03.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	47.25	45.00	0.00	0.00
2	असम	0.00	12.42	200.00	0.00
3	बिहार	904.50	4.50	793.50	0.00
4	चडीगढ़	2.00	6.00	4.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00	99.98	56.55	0.00
6	दिल्ली	17.00	45.25	17.00	0.00
7	गुजरात	300.00	314.93	0.00	29.73
8	हिमाचल प्रदेश	75.00	230.00	115.00	100.15
9	हरियाणा	359.00	1,107.99	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	420.00	560.00	1,082.79	372.17
11	झारखंड	89.00	0.00	0.00	0.00
12	केरल	4,229.50	5,183.23	6,079.91	4,780.71
13	कर्नाटक	450.00	288.95	0.00	0.00
14	महाराष्ट्र	500.00	500.00	1,040.00	419.00
15	मणिपुर	1.80	0.00	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
17	मिजोरम	300.00	309.81	129.00	0.00
18	नागालैंड	500.00	1,130.00	451.00	450.00
19	ओडिशा	27.00	38.25	0.00	0.00
20	पुडुचेरी	100.00	181.60	200.00	0.00
21	पंजाब	400.00	469.64	961.13	224.13

1	2	3	4	5	6
22	राजस्थान	100.00	302.25	631.55	0.00
23	तमिलनाडु	965.25	2,134.55	3,008.69	0.00
24	त्रिपुरा	50.00	96.00	100.00	100.90
25	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	5.40	0.00
26	उत्तराखंड	0.00	20.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	3,214.49	6,606.75	8,128.00	3,975.84
	योग	13,051.79	19,687.10	23,003.52	10,452.63

भू-जल का समुदाय आधारित प्रबंधन

491. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा अभी हाल में जारी किए गए एक अध्ययन के अनुसार भू-जल संसाधन प्रबंधन हेतु समुदाय आधारित दृष्टिकोण से जल संसाधन के संरक्षण के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

जल संसाधन में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा जारी की गई 'डीप वैल्स एंड प्रूडेंस' शीर्षक की रिपोर्ट में यूएनएफएओ द्वारा वित्त पोषित आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा प्रबंधित भूमि जल प्रणाली परियोजना (एपीएफएएमजीएस) के संबंध में विचार विमर्श किया गया है जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के सात सूखा प्रवण जिलों में एक नोडल निष्पादन अभिकरण द्वारा कार्यान्वित किया गया है जिससे परियोजना अवधि के दौरान जल के उपयोग में काफी कमी आई है तथा किसानों को लाभान्वित करने संबंधी सुधारों के परिणामों की निवल मात्रा में लगभग दुगुना मुनाफा हुआ हैं

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण इस मामले पर समुचित कार्रवाई करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

[हिन्दी]

अपमिश्रण को रोकना

492. **श्रीमती रमा देवी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों में देश में अपमिश्रण को रोकने के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार पेट्रोल और डीजल के कुल कितने नमूने लिए गए और कितने नमूने अपमिश्रित पाए गए; और

(ख) सरकार ने दोषी कंपनियों/संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की और कितनी एजेंसियों के लाईसेंस जब्त अथवा रद्द किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) देश में पेट्रोल और डीजल में मिलावट को रोकने के लिए, पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-दिसंबर, 2011) के दौरान, विभिन्न एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा पेट्रोल और डीजल के 2,37,757 नमूने एकत्रित किए गए थे। इनमें से अब तक 97 मामलों में मिलावट सिद्ध हो चुकी है और तदनुसार 59 खुदरा बिक्री केंद्र समाप्त किए गए हैं और 38 ट्रांसपोटर्स को काली सूची में डाल दिया गया है।

[अनुवाद]

एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत अनुदानों के लिए मानदंड

493. **डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राज्यों को अनुदान देने के लिए जनसंख्या मुख्य मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत निधियों के आबंटन हेतु निर्धारित मानदंडों में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह परिवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश के कितने गांवों/बस्तियों को कवर किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) ग्रामीण आबादी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आबंटन का एक मानदंड है। एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को निधियों के आबंटन का मानदंड इस प्रकार है : 40% वेटेज राज्य की कुल ग्रामीण आबादी को, 10% वेटेज राज्य की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण आबादी को, 40% वेटेज मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष श्रेणी में आने वाले पर्वतीय राज्यों को तथा 10% वेटेज उन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन करने वाली ग्रामीण आबादी को दी जाती है, जिन्हें मैनेजमेंट डिवोल्यूशन इन्डैक्स द्वारा तरजीह दी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 08.03.2012 तक राज्य में 72,407 ग्रामीण बसावटें हैं। इनमें से 42082 बसावटें सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रावधान में पूर्णतः कवर हैं, 29,782 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं तथा 543 बसावटों में पेयजल स्रोतों में गुणवत्ता की कुछ समस्या है। 2011-12 के दौरान राज्य ने आंशिक रूप से कवर की गई 5,433 बसावटों और गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त पेयजल स्रोतों वाली 201 बसावटों को कवर करने का लक्ष्य तय किया है। राज्य ने इस लक्ष्य में आंशिक रूप से कवर की गई 2,255 बसावटों तथा गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त जल स्रोतों वाली 42 बसावटों को 31.01.2012 तक कवर कर लिया है।

[हिन्दी]

समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम

494. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के पाली जिले में 375 करोड़ रु. की लागत से 2.50 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की जोताई से संबंधित एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव सरकार द्वारा कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) भूमि संसाधन विभाग को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के पाली जिले में 375 करोड़ रुपए की लागत से 2.50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की जोताई से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

मतदाता फोटो पहचान-पत्र

495. श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने मतदाता हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश सहित देश में कुल कितने पंजीकृत मतदाता हैं जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं;

(ग) क्या देश में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो मतदाता फोटो पहचान पत्र कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) अर्हता की तारीख के रूप में 1.1.2012 के संदर्भ में पुनरीक्षण पर निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् कुल संख्या 75,85,31,611 है। साधारण निर्वाचकों की कुल संख्या को दर्शित करने वाला राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) निर्वाचन आयोग ने कथन किया है कि संपूर्ण देश में 75,85,31,611 साधारण निर्वाचकों में से 70,11,45,768 निर्वाचकों को निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। ऐसे मतदाता जिन्हें अंतिम प्रकाशन के समय फोटो मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं, की कुल संख्या को दर्शित करने वाला राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) वर्तमान में, देश में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र का विस्तार लगभग 93: है। शत–प्रतिशत निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास शीघ्र ही किए जा रहे हैं। तथापि, आयोग सभी शेष निर्वाचकों को यथासंभव शीघ्र मतदाता पहचान पत्र को जारी करने का हर प्रयत्न कर रहा है।

विवरण–I

निर्वाचक नामावली आंकड़ा – 2012

(अंतिम प्रकाशन के समय)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साधारण निर्वाचक			
		पुरुष	महिला	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	27850591	27915873	74	55766538
2.	अरुणाचल प्रदेश	358825	355544	0	714369
3.	असम	9593899	8968246	0	18562145
4.	बिहार	30640065	26165172	0	56805237
5.	छत्तीसगढ़	7860295	7563251	0	154223346
6.	गोवा	505068	506605	0	1011673
7.	गुजरात	19223559	17466293	614	36630466
8.	हरियाणा	7452701	6238341	0	13691042
9.	हिमाचल प्रदेश	2279911	2160522	0	4440433
10.	जम्मू–कश्मीर	3489855	3186548	0	6676403
11.	झारखंड	9999145	8844614	0	18843759
12.	कर्नाटक	21127955	20240830	699	41369484
13.	केरल	11179474	12149345	0	23328819

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	21729032	19053209	1815	40784056
15.	महाराष्ट्र	41475630	37245842	0	78721472
16.	मणिपुर	851323	889497	0	1740820
17.	मेघालय	676037	699842	0	1375879
18.	मिजोरम	321544	331664	0	653208
19.	नागालैंड	622797	601704	0	1224501.
20.	उड़ीसा	15085837	14058672	526	29145035
21.	पंजाब	9322803	8360988	244	17684035
22.	राजस्थान	19996953	17609964	1	37606918
23.	सिक्किम	171830	158203	7	330040
24.	तमिलनाडु	25335687	25093439	2175	50431301
25.	त्रिपुरा	1162122	1112769	2	2274893
26.	उत्तराखंड	3284345	2993610	1	6277956
27.	उत्तर प्रदेश	69275608	56529768	4938	125810314
28.	पश्चिम बंगाल	30344341	27461090	323	57805754
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	143011	126820	0	269831
30.	चंडीगढ़	295722	240849	0	536571
31.	दमन और दीव	50280	50769	0	101049
32.	दादरा और नगर हवेली	100580	81022	0	181602
33.	दिल्ली	6400325	5041027	175	11441527
34.	लक्षद्वीप	23319	22792	0	46111
35	पुडुचेरी	397066	427951	7	825024
	योग	398627535	359892475	11601	758531611

विवरण–II

निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, 2012 की प्रास्थिति

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	साधारण निर्वाचक 2012 की कुल संख्या	जारी किए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की कुल संख्या	निर्वाचन फोटो पहचान पत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	55766538	55766538	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	714369	703404	98.47
3.	असम	18562145	0	0.00
4.	बिहार	56805237	50557766	89.00
5.	छत्तीसगढ़	15423346	14341188	92.98
6.	गोवा	1011673	1011665	100.00
7.	गुजरात	36630466	35967530	98.19
8.	हरियाणा	13691042	13691042	100.00
9.	दिल्ली	3330433	4440435	100.00
10.	जम्मू–कश्मीर	6676403	5108472	76.52
11.	झारखंड	18843759	15681345	83.22
12.	कर्नाटक	41369484	38016615	91.90
13.	केरल	23328819	23328819	100.00
14.	मध्य प्रदेश	40784056	40257314	98.71
15.	महाराष्ट्र	78721472	64818751	92.34
16.	मणिपुर	1740820	1699600	97.63
17.	मेघालय	1375879	1375879	100.00
18.	मिजोरम	653208	653208	100.00
19.	नागालैंड	1224501	976050	79.71
20.	ओड़िशा	29145035	26495520	90.91

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	17684035	17652226	99.82
22.	राजस्थान	37606918	36185934	96.22
23.	सिक्किम	330040	330040	100.00
24.	तमिलनाडु	50431301	50383996	99.91
25.	त्रिपुरा	2274893	2274893	100.00
26.	उत्तराखंड	6277956	6258196	99.69
27.	उत्तर प्रदेश	125810314	123621620	98.26
28.	पश्चिमी बंगाल	57805754	56821173	98.30
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	169831	196363	72.77
30.	चंडीगढ़	536571	535960	99.89
31.	दादरा और नगर हवेली	101049	85500	84.61
32.	दमन और दीव	181602	155075	85.39
33.	दिल्ली	11441527	10882852	95.12
34.	लक्षद्वीप	46111	45793	99.31
35.	पुडुचेरी	825024	825024	100.00
	योग	758531611	701145768	92.43

34 राज्यों में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (असम में अभी तक क्रियान्वित नहीं है)

[अनुवाद]

जल प्रबंधन

496. श्री निलेश नारायण राणे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्रों में जल का प्रभावी/इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए/किए जाने हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में जल की उपलब्धता पर उक्त उपायों का क्या परिणाम रहा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों की दक्ष और इष्टतम उपयोगिता की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन हेतु अनेक उपाय कुशलता से प्रारंभ किए गए हैं जिनमें घरेलू एवं औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु भंडारण संरचनाओं का सृजन करना, जल निकायों का पुनरूद्धार, वर्षा जल संचयन, भूमि जल का कृत्रिम

पुनर्भरण, बेहतर प्रबंधन पद्धतियों को अपनाना, इत्यादि आदि शामिल हैं।

घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में मात्रात्मक आधार पर प्रयोक्ता से प्रभार लगाने, आपूर्तियों का मापन करने, दक्षता में सुधार करने के लिए बैंचमार्किंग तंत्र स्थापित करना, वर्षा जल संचयन, शून्य निस्सरण की प्राप्ति हेतु उपचारित अपशिष्ट जल का पुनःचक्रण करने इत्यादि सहित जल के कुशल/इष्टतम उपयोग को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

(ख) देश में दीर्घकालीन औसत जल उपलब्धता लगभग स्थिर है। जल की उपलब्धता वाले बड़े क्षेत्र में जल का पुनःचक्रण, कुशल जल उपयोग किया गया है, जिसके कारण जल की बर्बादी और रिसाव में कमी आई है।

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि

497. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) समनुरूपी अवधि में देश में सीएनजी की कीमत क्या थी और उक्त अवधि में कितनी बार सीएनजी के मूल्य बढ़ाए गए तथा उक्त बढ़ोत्तरी किस–किस तारीख को की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, विश्व में मांग और आपूर्ति की दशाओं सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हुए दैनिक आधार पर घटते–बढ़ते रहते हैं। अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक कच्चे तेल की भारतीय बास्केट के औसत मूल्य नीचे दिए गए हैं :

मास	कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मूल्य (डालर प्रति बैरल)
1	2
अप्रैल, 2011	118.79
मई, 2011	110.70
जून, 2011	109.99
जुलाई, 2011	112.53
अगस्त, 2011	106.94
सितम्बर, 2011	108.79
अक्तूबर, 2011	106.11
नवम्बर, 2011	109.62
दिसम्बर, 2011	107.20
जनवरी, 2012	110.47
फरवरी, 2012	117.67

स्रोत : इंडियन आयल कार्पोरेशन लि.

(ख) सीएनजी का मूल्य सरकार द्वारा विनियमित नहीं किया जाता। सीएनजी का मूल्य संबंधित सीजीडी प्रचालक/कंपनी द्वारा, जुटाई गई गैस के भारित औसत मूल्य के आधार पर तय किया जाता है। तथापि, पिछले दिनों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा दिल्ली में सीएनजी का यथा–निर्धारित मूल्य निम्नानुसार है :

से	तक	उत्पाद शुल्क सहित बिक्री मूल्य (रु./कि. ग्राम)
02.01.2011	01.04.2011	29.00
02.04.2011	03.06.2011	29.30
04.06.2011	15.08.2011	29.80
16.08.2011	30.09.2011	30.00
01.10.2011	30.12.2011	32.00
31.12.2011	05.03.2012	33.75
06.03.2012	अब तक	35.45

[हिन्दी]

फास्ट ट्रैक न्यायालय

498. **श्रीमती कमला देवी पटले** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कितने फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 2011–12 में कितने फास्ट ट्रैक न्यायालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) विगत तीन वर्षों में ऐसे न्यायालयों के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई;

(घ) उक्त अवधि में इन न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान हेतु नियत लक्ष्यों का ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) विगत तीन वर्षों में राज्य–वार इन न्यायालयों ने कितने मामलों की सुनवाई की, कितने मामले निपटाए और इनमें कितने मामले लंबित रहे; और

(च) मामलों के निपटान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए/किए जा रहे है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) दीर्घकालिक लंबित सेशन न्यायालयों और 2000 से 2005 तक पहले पांच वर्षों की अवधि के लिए विचाराधीन कैदियों वाले मामलों के शीघ्र निपटान के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर त्वरित निपटान न्यायालय गठित किए गए थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अवधि को 2005–2010 तक पांच वर्ष के लिए और इसके अतिरिक्त एक और वर्ष के लिए अर्थात् वर्ष 2010–11 तक बढ़ाया गया था। केन्द्रीय सरकार ने 2000–01 से 2010–11 तक की पूर्ण अवधि के लिए अनुमोदित स्कीम के सन्नियमों के अनुसार त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह स्कीम 31.03.2011 से बंद की गई हैं। तथापि, राज्य सरकारें अपनी स्वयं की निधियों से त्वरित निपटान न्यायालयों को चालू रख सकती हैं।

राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 31.03.2011 को देश में 1192 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे थे। राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। तीन वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010–11 के दौरान त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्य सरकारों को जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) से (च) वित्त आयोग ने 1734 नए अतिरिक्त न्यायालयों के सृजनों की सिफारिश की थी जिसमें से 1192 त्वरित निपटान न्यायालय गठित किए गए थे। त्वरित निपटान न्यायालयों को अंतरित किए गए मामलों की संख्या, इन न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों और 31.03.2011 को लंबित मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है। प्रति न्यायालय औसत निपटान एक वर्ष में 251 मामलों का रहा है।

विवरण–I

राज्य–वार त्वरित निपटान न्यायालय

क्रम सं.	राज्य का नाम	31.03.2011 को कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	108
2	अरुणाचल प्रदेश	3
3	असम	20
4	बिहार	179
5	छत्तीसगढ़	25
6	गुजरात★	61
7	गोवा	5
8	हरियाणा★★	6
9	हिमाचल प्रदेश	9
10	झारखंड	39
11	कर्नाटक #	87
12	केरल	38
13	मध्य प्रदेश★★	84
14	महाराष्ट्र★	51
15	मणिपुर	2
16	मेघालय	3
17	मिजोरम	3

1	2	3
18	नागालैंड	2
19	ओडिशा	35
20	पंजाब★★	15
21	राजस्थान	83
22	तमिलनाडु $	49
23	त्रिपुरा	3
24	उत्तराखंड	20
25	उत्तर प्रदेश	153
26	पश्चिमी बंगाल	109
	कुल	1192

★फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान

★★दिसंबर, 2010 को यथाविद्यमान

अगस्त, 2010 को यथाविद्यमान

$ दिसंबर, 2008 को यथाविद्यमान

विवरण-II

2008-09 से 2010-11 तक त्वरित निपटान न्यायालयों के लिए राज्यों को जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	न्याय विभाग द्वारा जारी किया गया केन्द्रीय अनुदान 2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	142.40	0	1096.00
2	अरुणाचल प्रदेश	14.40	14.40	14.40
3	असम	91.20	96.00	96.00
4	बिहार	720.00	720.00	720.00
5	छत्तीसगढ़	148.80	148.80	129.60
6	गोवा	19.20	14.40	24.00
7	गुजरात	580.80	0	777.60
8	हरियाणा	38.40	76.80	67.20
9	हिमाचल प्रदेश	38.40	43.20	43.20
10	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
11	झारखंड	249.60	196.80	192.00
12	कर्नाटक	182.40	446.40	441.60
13	केरल	148.80	148.80	148.80
14	मध्य प्रदेश	312.00	316.80	316.80
15	महाराष्ट्र	417.60	412.80	537.60
16	मणिपुर	9.60	9.60	9.60
17	मेघालय	28.80	0	28.80
18	मिजोरम	14.40	14.40	14.40
19	नागालैंड	9.60	9.60	9.60
20	ओडिशा	158.40	168.00	168.00
21	पंजाब	0	163.20	81.60
22	राजस्थान	398.40	398.40	398.40
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	470.40	235.20
25	त्रिपुरा	0	11.56	0
26	उत्तर प्रदेश	1161.60	1161.60	1094.40
27	उत्तराखंड	0	0	99.62
28	पश्चिम बंगाल	571.20	571.20	571.20
	कुल	5456.00	5613.16	7315.62

विवरण–III

न्यायालयों द्वारा अंतरित, निपटाए गए और लंबित मामले

क्रम सं.	राज्य का नाम	31.03.2011 को अंतरित किए गए कुल मामले	31.03.2011 को निपटाए गए कुल मामले	31.03.2011 को लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	236928	199953	36975
2	अरुणाचल प्रदेश	4162	1660	2502
3	असम	72191	55811	16380
4	बिहार	239278	159105	80173
5	छत्तीसगढ़	94670	76575	18095
6	गुजरात★	537636	434296	103340
7	गोवा	5296	4017	1079
8	हरियाणा★★	38359	33590	4769
9	हिमाचल प्रदेश	40126	33427	6699
10	झारखंड	110027	87789	22238
11	कर्नाटक #	218402	184067	34335
12	केरल	109160	95367	13793
13	मध्य प्रदेश★★	360602	317363	43239
14	महाराष्ट्र★	42351	381619	41899
15	मणिपुर	3059	2861	198
16	मेघालय	1031	843	188
17	मिजोरम	1868	1635	233
18	नागालैंड	845	716	129
19	ओडिशा	66199	60441	5758
20	पंजाब ★★	58570	46347	12223

1	2	3	4	5
21	राजस्थान	149447	123024	26423
22	तमिलनाडु $	411957	371336	40621
23	त्रिपुरा	5812	5591	221
24	उत्तराखंड	98797	89791	9006
25	उत्तर प्रदेश	464775	411658	53117
26	पश्चिमी बंगाल	146083	113903	32180
	कुल	3898598	3292785	605813

*फरवरी, 2011 को यथाविद्यमान

**दिसंबर, 2010 को यथाविद्यमान

अगस्त, 2010 को यथाविद्यमान

$ दिसंबर, 2008 को यथाविद्यमान

[अनुवाद]

शीरा का मूल्य निर्धारण और वितरण

499. **श्री हेमानंद बिसवाल : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शीरे का औसत मूल्य कितना रहा है;

(ख) क्या देश में शीरे के मूल्य निर्धारण और वितरण के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार एक समुचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के तंत्र को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) सरकार शीरे के मूल्यों से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रखती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में आसियान का सहयोग

500. **श्री कीर्ति आजाद : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में आसियान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन परियोजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस संयुक्त उपक्रम से भारत को होने वाले लाभ के आकलन के लिए कोई अध्ययन करवाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान में सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के बीच कोई करार/समझौता ज्ञापन नहीं है। तथापि, आसियान के साथ मामले को उठाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय को एक समझौत ज्ञापन का मसौदा भेजा गया है।

कारों की बिक्री

501. **श्री एस. एस. रामासुब्बू :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कारों की कुल कितनी बिक्री (घरेलू और अंतराष्ट्रीय) हुई है;

(ख) क्या कारों की मांग उच्च मुद्रास्फीति की दर, पेट्रोल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाजार की प्रवृत्तियों में सुधार लाने तथा आगामी महीनों में इसकी मांग पुनर्स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माण सोसायटी (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कारों की बिक्री निम्नानुसार है :

(संख्या में)

श्रेणी	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (अप्रैल–जनवरी)
घरेलू बिक्री	12,20,475	15,28,337	19,82,702	15,74,847
निर्यात	3,31,535	4,41,709	4,38,214	4,15,965

(ख) कारों की बिक्री में गत कुछ वर्षों में वृद्धि हो रही है। लेकिन, हाल के कुछ महीनों में, इसमें गिरावट हो रही है। अन्य कारणों सहित ब्याज दर में वृद्धि तथा ईंधन मूल्य में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित कर रहा है।

(ग) से (ङ) ऑटोमोटिव मिशन प्लान (2006–16) के अनुसरण में अनेक कदम उठाए गए हैं और नई विदेश व्यापार नीति में अतिरिक्त प्रोत्साहनों के प्रावधान किए गए हैं जिससे देश में कारों की बिक्री और निर्यात को पर्याप्त रूप से बढ़ावा मिलेगा।

फ्लोराइड शमन केंद्र

502. **श्री सी. आर. पाटिल :** क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने गांधीनगर में फ्लोराइड शमन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य में फ्लोराइड शमन केंद्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को नवम्बर, 2011 में गांधी नगर, गुजरात में फ्लोराइड मिटिगेशन सेंटर की स्थापना करने के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि, इसी दौरान, सरकार ने फरवरी, 2011 में नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई), नागपुर से फ्लोराइड एवं फ्लूरोसिस पर विशेष ध्यान देते हुए जल गुणवत्ता समस्याओं के समाधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया है।

(ग) भारत सरकार देश में ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल

उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) नामक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के जिरिए राज्य सरकारों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता दे रही है। एनआरडी डब्ल्यूपी के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच करने के लिए गुजरात सहित सभी राज्यों को अलग से 3 प्रतिशत निधियों का आबंटन किया गया है। गुजरात सरकार जल गुणवत्ता प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिए इन निधियों का उपयोग कर सकती है। यह प्रकोष्ठ गुजरात राज्य में फ्लोराइड दूर करने वाले पहलुओं की भी देख-रेख कर सकता है।

रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ)

503. **श्री पी. कुमार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल में अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे आरपीएफ कार्मिकों की कमी के कारण कई रेलगाड़ियों में आरपीएफ रक्षकदल प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रिक्तियों की नवीनतम संख्या और गत तीन वर्षों के दौरान की गई भर्तियों का पद-वार विवरण क्या है; और

(घ) रेल सुरक्षा बल को सुदृढ़/उन्नत किए जाने क लिए अन्य कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) नवीनतम सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए धनराशि की व्यवस्था करके, अतिरिक्त जनशक्ति का सृजन करके, प्रशिक्षण केंद्रों के अपग्रेडेशन, अन्य बलों के प्रशिक्षण केंद्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण आदि द्वारा रेलवे सुरक्षा बल का अपग्रेडेशन किया जा रहा है तथा इसे सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(ख) और (ग) स्टेशन परिसरों तथा गाड़ियों में अपराधों को रोकना एवं उनका पता लगाना तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जिसे वे राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से डिस्चार्ज करती हैं। रेलवे सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पुलिस के प्रयासों में सहयोग देता है। रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन औसतन 1275 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है तथा राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा 2200 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है। अपराध की प्रवृत्ति के विश्लेषण तथा जनशक्ति की उपलब्धता के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के बीच परामर्श के बाद मार्गरक्षकों की व्यवस्था की जाती है। इस समय रेलवे 14189 पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों में 5134 नए सृजित गैर-राजकीय पर शामिल हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। पिछले तीन वर्ष के दौरान कांस्टेबेलों के 1393 पदों तथा लोक अभियोजकों के और सहायक लोक अभियोजकों के 65 पदों की रिक्तियां भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी गई है।

(घ) भारतीय रेलों पर सुरक्षा की एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़/अपग्रेड करने के लिए उठाए गए कदमों में सुरक्षा से संबद्ध आधुनिक उपकरणों की खरीद, अतिरिक्त पदों का सृजन, नई रेलवे सुरक्षा विशेष बल बटालियन की स्थापना, कमांडों प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, सुरक्षा नियंत्रण कक्षों की नेटवर्किंग, आल इंडिया सुरक्षा हैल्प लाइन की स्थापना आदि शामिल हैं।

बच्चों की छात्रवृत्ति

504. **श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामांकन के आंकड़ों की तुलना के आधार पर कक्षा I से VII में नामांकित प्रत्येक 4.55 मुस्लिम बच्चों में से केवल एक को और सभी आयु वर्गों में से प्रत्येक 7.7 मुस्लिम बच्चों में से एक को छात्रवृत्ति मिलती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तुलना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में मुस्लिम बच्चों के अधिक संख्या में नामांकन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) नामांकन आंकड़े समुदाय-वार नहीं रखे जाते। तथापि, अल्पसंख्यकों

के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत मुस्लिमों सहित पांच अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा I से आगे तक की कक्षाओं के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति योजनाओं की जब से शुरूआत हुई, तब से जितने मुस्लिम विद्यार्थियों को संबंधित योजनाओं से लाभ प्राप्त हुआ है, उनकी संख्या नीचे दी गई है :–

छात्रवृत्ति योजना का नाम	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (29.02.12 तक)
मैट्रिक–पूर्व	शुरू नहीं हुई।	383143	1334144	3462074	3756164
मैट्रिकोत्तर	18068	148937	293526	420301	507466
मेरिट–सह–साधन	13843	21349	28282	31781.	32017
मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति		शुरू नहीं हुआ।	541	1073	1606

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा बच्चों का अधिकार अधिनियम, 2009 कक्षा I से VIII तक 6 से 14 वर्ष आयु वाले सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू है।

[हिन्दी]

गुजरात में एलपीजी एजेंसियां

505. **श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के राजकोट और पोरबंदर जिले में खोली गयी एलपीजी एजेंसियों की संख्या तथा उनका कंपनी–वार, श्रेणी–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जिन एलपीजी एजेंसियों के आबंटन के लिए उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए वे अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी) ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत गुजरात के राजकोट जिले में शेपर वेरावल में एक नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और सामान्य श्रेणी के तहत गुजरात के राजकोट जिले में अटकोट में एक और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) का आबंटन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा गुजरात के पोरबंदर जिले में कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आईओसी और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) प्रत्येक ने गुजरात के राजकोट जिले में एक राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण (आरजीजीएलवी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए विज्ञापन दिया है। स्थल–वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

स्थल	ड्रा की तिथि	आशय पत्र जारी करने की तिथि
विंच्छिया	29.6.2011	25.8.2011
लूनासर	24.2.2011	10.5.2011

डिस्ट्रीब्यूटरशिप को चालू करना बुनियादी सुविधाओं के निर्माण/खुदरा बिक्री लाइसेंस जारी होने की शर्त पर है।

[अनुवाद]

यूसीसी उत्पादों की बिक्री

506. **श्री रूद्रमाधव राय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाऊ तथा इसकी सहायक कंपनियों ने कानून से बचने के लिए यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन (यूसीसी) के उत्पादों को बेचा और केवल एक कंपनी के माध्यम से 1999 में 24 मिलियन डॉलर का व्यवसाय किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का डाऊ के भारतीय कंपनियों के साथ सौदों की विस्तृत जांच करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्ययोजना है;

(ङ) डाऊ के उत्पादों की किसी भी ब्रांड नाम के अधीन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसमें शामिल भारतीय या विदेशी कंपनियों की संपत्ति जब्त करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (च) रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के पास डाऊ तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन (यूसीसी) के उत्पादों की बिक्री एवं केवल एक कंपनी के माध्यम से 1999 में 24 मिलियन यू.एस. डॉलर के व्यवसाय के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

507. **श्री सुखदेव** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यकों, विशेषकर सिख समुदाय के कल्याण पर अपना ध्यान केंद्रित किया;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विशेष विरासत, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में सिख समुदाय को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सिक्ख समुदाय सहित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है –

(i) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) : यह क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल 90जिलों में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना तथा आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाते हुए आधारभूत सर्वेक्षण द्वारा अभिनिर्धारित अपर्याप्त विकास की समस्या का निराकरण करना है। वित्तीय आवंटन धर्म/समुदाय-वार नहीं जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार अवमुक्त धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ii) प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के तहत सिक्ख समुदाय सहित अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वंचितों के लिए कार्यान्वित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित वर्ग तक पहुंचे। इन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को समान रूप से मिले, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कार्यक्रम के तहत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाना परिकल्पित है। इसके तहत यह भी प्रावधान है कि जहां तक संभव हो विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों को 15% भाग अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए। योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय-वार आंकड़े अलग-अलग नहीं रख जाते हैं।

(iii) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित। धर्म-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(iv) वर्ष 2008-09 से कार्यान्वित मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना।

(v) वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

(vi) वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना।

(vii) वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की योजना।

(viiii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनाएं।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सिक्ख

समुदाय के छात्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण–II (मैट्रिक–पूर्व), संलग्न विवरण–III (मैट्रिकोत्तर), संलग्न विवरण– IV (मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति) और संलग्न विवरण–V (मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति) में दी गई हैं। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सिख समुदाय को प्रदान की गई रियायती सावधि ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण–VI में दिए गए हैं।

विवरण–I

अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य–वार अवमुक्त धनराशि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान अवमुक्त धनराशि (लाख रु. में)	वर्तमान वर्ष 2011–12 में 29.02.2012 तक के दौरान अवमुक्त धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश	62984.73	9309.64
2	पश्चिम बंगाल	50972.27	4428.03
3	हरियाणा	3047.85	994.20
4	असम	29030.44	13123.68
5	मणिपुर	9387.28	2655.72
6	बिहार	24429.27	12317.31
7	मेघालय	2606.65	0.00
8	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	16.98	618.72
9	झारखंड	9963.29	809.22
10	ओडिशा	2558.48	3.73
11	केरल	718.13	744.81
12	कर्नाटक	2709.57	229.50
13	महाराष्ट्र	5180.70	331.44
14	मिजोरम	1859.82	865.09
15	जम्मू और कश्मीर	599.58	646.41
16	उत्तराखंड	3041.50	0.00
17	मध्य प्रदेश	1398.30	0.00
18	दिल्ली	203.75	895.98
19	सिक्किम	568.88	459.55
20	अरुणाचल प्रदेश	4319.50	2745.61
	सकल योग	215596.97	51178.64

विवरण–II

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सिख समुदाय के छात्रों की राज्य–वार एवं वर्ष–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	2008–09	2009–10★	2010–11★	2011–12★ (29.02.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	90	330	317	278
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3	असम	0	71	144	62
4	बिहार	60	26	116	77
5	छत्तीसगढ़	154	525	851	1385
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0
8	हरियाणा	254	8105	11266	0
9	हिमाचल प्रदेश	151	299	310	789
10	जम्मू और कश्मीर	32	506	2903	0
11	झारखंड	9	77	100	190
12	कर्नाटक	2	16	326	386
13	केरल	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	505	260	356	1611
15	महाराष्ट्र	726	2502	5446	7163
16	मणिपुर	0	0		0
17	मेघालय	0	0	14	0
18	मिजोरम	0	0	0	1080
19	नागालैंड	0	0	0	0
20	ओडिशा	2	2	5	2
21	पंजाब	48587	116393	262329	247640
22	राजस्थान	2647	4723	13609	16312
23	सिक्किम	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	1	10
25	त्रिपुरा	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	283	2328	2810	6832

1	2	3	4	5	6
27	उत्तराखंड	0	13	19	127
28	पश्चिम बंगाल	2	511	667	904
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	254	994	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32	दमन एवं द्वीव	0	0	0	0
33	दिल्ली	1466	1557	2092	1238
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0	0
	योग	55224	139238	303681	286086

★नए एवं नवीकरण दोनों शामिल।

विवरण–III

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सिख समुदाय के छात्रों की राज्य–वार एवं वर्ष–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	2008–09	2009–10★	2010–11★	2011–12★ (29.02.2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	38	79	148	32
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0		0
3	असम	25	26	4	0
4	बिहार	25	13	19	46
5	छत्तीसगढ़	88	130	162	223
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	63	23	42	30
8	हरियाणा	1550	1323	1803	0

1	2	3	4	5	6
9	हिमाचल प्रदेश	100	82	96	0
10	जम्मू और कश्मीर	275	317	1159	0
11	झारखंड	113	43	31	62
12	कर्नाटक	25	12	21	23
13	केरल	0	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	200	89	250	317
15	महाराष्ट्र	288	182	334	352
16	मणिपुर	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	2	0
18	मिजोरम	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0
20	ओडिसा	25	0	0	0
21	पंजाब	19248	16818	25827	48139
22	राजस्थान	1087	308	8.47	1988
23	सिक्किम	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	13	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	900	431	1251	2808
27	उत्तराखंड	275	8	12	30
28	पश्चिम बंगाल	87	101	154	179
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	188	84	38	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32	दमन और द्वीव	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
33	दिल्ली	737	148	62	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0	0
	योग	25350	20217	32262	54229

*नए एवं नवीकरण दोनों शामिल

विवरण–IV

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सिक्ख समुदाय के छात्रों को प्रदान की गई अध्येतावृत्तियों की राज्य–वार एवं वर्ष–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	2008–09	2009–10*	2010–11* (29.02.2012 तक)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0
8	हरियाणा	0	12	20
9	हिमाचल प्रदेश	1	2	3
10	जम्मू और कश्मीर	0	2	3
11	झारखंड	0	0	0
12	कर्नाटक	0	0	0
13	केरल	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	1	1	1

1	2	3	4	5
15	महाराष्ट्र	0	0	0
16	मणिपुर	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0
20	ओडिशा	0	0	0
21	पंजाब	73	129	188
22	राजस्थान	2	4	6
23	सिक्किम	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	1	4	9
27	उत्तराखंड	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	2	5	8
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32	दमन और द्वीव	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0
	योग	80	159	238

★नए एवं नवीकरण दोनों शामिल।

विवरण–V

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सिक्ख समुदाय के छात्रों को स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	आंध्र प्रदेश	5	3	3	-
2	असम	2	3	3	6
3	बिहार	2	2	2	2
4	छत्तीसगढ़	7	10	11	13
5	गुजरात	4	4	7	9
6	हरियाणा	195	139	141	142
7	हिमाचल प्रदेश	6	11	10	12
8	जम्मू और कश्मीर	387	184	200	55
9	झारखंड	2	12	14	17
10	कर्नाटक	3	3	3	2
11	मध्य प्रदेश	16	38	31	37
12	महाराष्ट्र	32	49	40	94
13	ओडिशा	0	0	0	2
14	पंजाब	568	1764	2355	2644
15	राजस्थान	113	97	115	156
16	तमिलनाडु	0	1	0	1
17	उत्तर प्रदेश	60	119	114	92
18	उत्तराखंड	8	14	22	35
19	पश्चिम बंगाल	9	19	31	19
20	चंडीगढ़	16	21	13	14
21	दिल्ली	55	81	73	105
	योग	1490	2574	3188	3457

विवरण–VI

दिनांक 09.03.2012 तक अद्यतन

(राशि लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य	2008–09		2009–10		2010–11		2011–12	
		राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	असम					0.2	1		
2	बिहार	2.89	5			2.12	3		
3	चंडीगढ़	1.19	3						
4	छत्तीसगढ़					4.68	6		
5	दिल्ली	1.7	2	0.85	1				
6	हिमाचल प्रदेश	23.01	21	55.42	50	29.79	29	19.03	16
7	हरियाणा	269.25	547	313.75	708				
8	जम्मू और कश्मीर	41.43	62	41.21	61	37.44	40	3.45	5
9	महाराष्ट्र	1.12	3						
10	पंजाब	387.29	504	350.34	314	955.58	1152	218.88	261
11	राजस्थान	2.89	8	6.37	20	15	42	15	42
12	उत्तराखंड			3.87	6				
13	पश्चिम बंगाल	4.51	6	10.46	24	11.13	9	3.47	5
	योग	735.28	1161	782.27	1184	1055.94	1282	259.83	329

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक बहुल जिले

508. **श्री पन्ना लाल पुनिया** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुस्लिम बहुल जिलों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) किसी जिले को अल्पसंख्यक बहुल जिला घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का उक्त मानदंडों में संशोधन कर इन जिलों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जिलों की संख्या कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है और उन जिलों के राज्य–वार नाम क्या हैं जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल जिला घोषित किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) सरकार ने पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी तथा पिछड़ेपन के मानकों के आधार पर देश भर में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान की है। अल्पसंख्यक बहुल इन जिलों की राज्य--वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों का अभिनिर्धारण जनसंख्या संबंधी निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया था–

(i) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल आबादी के कम से कम 25: अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों का अभिनिर्धारण किया गया।

(ii) 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले तथा 20% से अधिक और 25% से कम अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिशतता वाले जिलों का अभिनिर्धारण किया गया।

(iii) जिन 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय बहुलता में हैं, उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों को छोड़कर 15% से कम अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों का अभिनिर्धारण किया गया।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान के लिए प्रयुक्त पिछड़ेपन के मानक इस प्रकार थे :–

(I) जिला स्तरीय धर्म–विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक संकेतक –

(i) साक्षरता दर; (ii) महिला साक्षरता दर; (iii) कार्य में भागीदारी दर; और (iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर; तथा

(II) जिला स्तरीय आधारभूत सुविधा संकेतक –

(i) पक्की दीवार वाले मकानों की प्रतिशतता; (ii) स्वच्छ पेय जल की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता; (iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता; और (iv) शौचालयों की सुविधा वाले मकानों की प्रतिशतता।

(ग) और (घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण विषय पर गठित कार्यबल और स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अल्पसंख्यक बहुल जिलों के अभिनिर्धारण पर विचार किया गया है तथा कार्यबल की रिपोर्ट योजना आयोग में विचाराधीन है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	निकोबार
2	अरुणाचल प्रदेश	ईस्ट कामेंग
3	अरुणाचल प्रदेश	लोवर सुबंसिरी
4	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग
5	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
6	अरुणाचल प्रदेश	तवांग
7	अरुणाचल प्रदेश	वेस्ट कमेंग
8	अरुणाचल प्रदेश	पपुम पारे
9	असम	नोर्थ कछार हिल्स
10	असम	कोकराझार
11	असम	धुबरी
12	असम	गोलपाड़ा
13	असम	बोगांईगांव
14	असम	बारपेटा
15	असम	दारंग
16	असम	मारीगांव
17	असम	नौगांव
18	असम	कछार
19	असम	करीमगंज
20	असम	हैलाकांडी

1	2	3
21	असम	कामरूप
22	बिहार	अररिया
23	बिहार	किशनगंज
24	बिहार	पुर्णिया
25	बिहार	कटिहार
26	बिहार	सीतामढ़ी
27	बिहार	पश्चिम चम्पारन
28	बिहार	दरभंगा
29	दिल्ली	नोर्थ ईस्ट
30	हरियाणा	गुड़गांव
31	हरियाणा	सिरसा
32	जम्मू व कश्मीर	लेह (लद्दाख)
33	झारखंड	रांची
34	झारखंड	गुमला
35	झारखंड	साहिबगंज
36	झारखंड	पकौर
37	कर्नाटक	गुलबर्गा
38	कर्नाटक	बीदर
39	केरल	वयानाड
40	मध्य प्रदेश	भोपाल
41	महाराष्ट्र	बुलढाना
42	महाराष्ट्र	वाशिम
43	महाराष्ट्र	हिंगोली
44	महाराष्ट्र	परभनी
45	मणिपुर	सेनापति
46	मणिपुर	तमेंगलांग
47	मणिपुर	चूड़चांदपुर
48	मणिपुर	उखरूल
49	मणिपुर	चंदेल
50	मणिपुर	थौबल
51	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स
52	मिजोरम	लांगटलाई
53	मिजोरम	ममित
54	सिक्किम	नॉर्थ
55	ओडीसा	गजपती
56	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
57	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर
58	उत्तर प्रदेश	मुजफ्फरनगर
59	उत्तर प्रदेश	मेरठ
60	उत्तर प्रदेश	बागपत
61	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
62	उत्तर प्रदेश	बुलन्दशहर
63	उत्तर प्रदेश	बदायूं
64	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
65	उत्तर प्रदेश	खीरी
66	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर
67	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद
68	उत्तर प्रदेश	रामपुर
69	उत्तर प्रदेश	ज्योतिबा फूले नगर

1	2	3
70	उत्तर प्रदेश	बरेली
71	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत
72	उत्तर प्रदेश	बहराइच
73	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
74	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
75	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर
76	उत्तर प्रदेश	बिजनौर
77	उत्तरांचल	उधम सिंह नगर
78	उत्तरांचल	हरिद्वार
79	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर
80	पश्चिम बंगाल	दक्षिण दिनाजपुर
81	पश्चिम बंगाल	मालदा
82	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद
83	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
84	पश्चिम बंगाल	नादिया
85	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24–परगना
86	पश्चिम बंगाल	बर्धमान
87	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार
88	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
89	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना
90	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

रामगंजमंडी–भोपाल रेल मार्ग

509. **श्री नारायण सिंह अमलाबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगंजमंडी–भोपाल रेलखंड पर रेल लाइन बिछाने में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए अब तक आबंटित/खर्च की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) रामगंजमंडी–भोपाल परियोजना का रामगंजमंडी–झालावाड (26.5 किमी) खंड पूरा हो गया है। रामगंजमंडी से 100 किमी लंबाई वाले मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर दिया गया है और झालावाड से आगे सिविल कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2011–12 में इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और मार्च, 2011 तक 201.95 करोड़ रु. इस परियोजना पर खर्च किए जा चुके हैं। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना में प्रगति हो रही है।

एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति

510. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिलों की संख्या कितनी है जहां एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति नहीं है;

(ख) देश में उन जिलों की संख्या कितनी है जहां पीएनजी और एलपीजी सिलिंडिरों दोनों की आपूर्ति उपलब्ध है; और

(ग) देश भर में पीएनजी और एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति कब तक उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) ओएमसीज देश के सभी 628 जिलों में अपने एलपीजी वितरकों के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति कर रही हैं। नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियां 10 राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में 51 भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति कर रही हैं।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा अपनाए गए विजन 2015 में वर्ष

2009 और 2015 के बीच खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों और कम कवर किए गए क्षेत्रों में 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी करके देश की एलपीजी आबादी कवरेज को 50% से बढ़ाकर 75% करने की परिकल्पना की गई है।

जहां तक देश के विभिन्न कस्बों और शहरों तक पीएनजी सुविधाओं के विस्तार का संबंध है, इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा अन्य बातों के साथ-साथ गैस ट्रान्समिशन पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता और विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरियों की उपलब्धता जैसे नागरिक प्राधिकरणों से खुदाई करने की अनुमति आदि शर्तों के तहत है।

मध्य प्रदेश में लोक अदालत

511. **श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायालयों में मामलों की संख्या कम करने की दृष्टि से लोक अदालतों में आपसी सुलह से जिन धाराओं के अधीन मामले निपटाए जाते हैं उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में लोक अदालतों में आपसी सुलह से निपटाए गए मामलों की धारा-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार अवगत है कि लोक अदालतों द्वारा बैंक ऋण की पुनर्अदायगी से संबंधित मामलों में से अधिकांश बैंक के पक्ष में निपटाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 22क, धारा 22ख, धारा 22ग, धारा 22घ और धारा 22ङ लोक अदालतों के संगठन, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना, और उनकी संरचना, अधिकारिता, शक्तियां, प्रक्रिया, आदि से संबंधित हैं।

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 के दौरान, अधिनियम की धारा 19 के अधीन आयोजित लोक अदालत तथा धारा 22-ख के अधीन गठित स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार हैं :-

2008	:	2,46,034
2009	:	2,30,056
2010	:	8,21,872
2011	:	14,07,720

(ग) और (घ) यह सत्य नहीं है कि बैंककारी ऋणों से संबंधित मामलों का निपटान अधिकांशतः बैंकों के पक्ष में होता है। यह मामले की प्रकृति तथा पक्षकारों के प्रतिविरोध पर निर्भर होता है।

खुर्जा जंक्शन के लिए कोटा

512. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को ब्रह्मपुत्र मेल और कालिंदी एक्सप्रेस में खुर्जा (उत्तर प्रदेश) के लिए रेल आरक्षण कोटा की बहाली तथा 'ट्रेन्स एट ए ग्लांस' बुकलेट में खुर्जा जंक्शन को शामिल किए जाने के लिए जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/प्रस्तावित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। खुर्जा जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र मेल तथा कालिंदी एक्सप्रेस में आरक्षण सुविधा बहाल करने के लिए कुछ संदर्भ प्राप्त हुए थे जिनमें से तीन माननीय संसद सदस्यों से, एक श्री कमलेश बाल्मीकि, संसद सदस्य तथा दो विधायकों से प्राप्त हुए थे।

इसी प्रकार, खुर्जा स्टेशन को "गाड़ियां एक नजर में" में शामिल करने तथा खुर्जा स्टेशन पर गाड़ियों को ठहराव देने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदन शामिल हैं।

(ग) खुर्जा जंक्शन पर कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) सुविधा उपलब्ध है, खुर्जा के यात्री जहां से स्टेशनों के ग्रुप, जिसमें खुर्जा स्टशेन शामिल है, के लिए उपलब्ध आरक्षण कोटे से 14055/14056 ब्रह्मपुत्र मेल तथा 14723/14724 कालिंदी एक्सप्रेस में शायिकाएं बुक करा सकते हैं।

खुर्जा जंक्शन पर अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराव देने तथा खुर्जा जंक्शन को "गाड़ियां एक नजर में" में शामिल करने की मांग की जांच की गई है लेकिन इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

रेल टिकटों की ई–बुकिंग

513. **डॉ. पी. वेणुगोपाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इस बात से अवगत है कि रेल टिकटों की ई–बुकिंग के दौरान ई–टिकटिंग की प्रक्रिया में काफी समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे वेब–सर्वर की क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे ने उक्त विषय पर विशेषज्ञों की राय मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं। सामान्यतः ई–टिकट बुकिंग अधिक समय नहीं लेती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रणहिता–चेबेला सिंचाई परियोजना

514. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रणहिता–चेबेला सिंचाई परियोजना संस्वीकृत की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना से जल के राज्यों के बीच वितरण का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या राज्य सरकारें कुछ क्षेत्रों में जल भराव की संभावना के कारण उक्त परियोजनाओं के निर्माण का विरोध कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मुद्दे के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) आंध्र प्रदेश की डा. बी. आर. अम्बेडकर प्रणहिता चेबेला सुजला स्रावंती परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए अक्तूबर 2010 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। सीडबल्यूसी के दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य सरकार परियोजना प्राधिकारियों को फरवरी, 2012 में इस टिप्पणी सहित लौटाई गई है कि संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल उपलब्धता को निर्धारित करने, संयुक्त समिति के गठन और महाराष्ट्र सरकार के साथ अंतर–राज्यीय समझौते को अंतिम रूप देने और विभिन्न सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् प्रस्तुत की जाए।

(ख) परियोजना प्रस्ताव गोदावरी जल विवाद अधिकरण पंचाट (जीडब्ल्यूडीटीएवार्ड) के अंतर्गत शामिल है। परियोजना प्राधिकरण/आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने संयुक्त समिति का गठन नहीं किया गया और जीडब्ल्यूडीटी एवार्ड के अंतिम आदेश के अनुसार परियोजना प्रस्ताव के लिए अभी तक महाराष्ट्र सरकार के साथ अंतर–राज्यीय समझौता नहीं हो पाया है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों से अपने क्षेत्रों में जल भराव की संभावना के कारण डा. बी.आर. अम्बेडकर प्रणहिता चेबेला सुजला स्रावंती परियोजना का विरोध करने संबंधी कोई सूचना केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

उद्यमिता क्लब

515. **श्री ए. गणेश मूर्ति** : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में उद्यमिता क्लब चलाने के लिए कुछ चयनित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को सहायता करने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का लक्ष्य और उद्देश्य दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को तमिलनाडु में लागू करने के लिए किसी कॉलेज/विश्वविद्यालय को चुना गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु सहित पूरे देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 1200 उद्यमिता क्लबों को चलाने के लिए 5 चयनित कॉलेजों/विश्वविद्यालयों की सहायता करने के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

इस योजना के तहत 5 चयनित विश्वविद्यालयों, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रत्येक से एक-एक विश्वविद्यालय को उद्यमियों, विश्वविद्यालयों तथा एमएसएमई-विकास संस्थानों को एक साथ लाने के लिए उद्यमिता क्लब चलाना होता है।

यह क्लब नई संकल्पनाओं, प्रौद्योगिकी, बाजार प्रवृत्ति, क्रेडिट, एंटी-डोपिंग आदि पर विचारों के आदान-प्रदान के मंच के रूप में कार्य करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र में एमएसएमई-विकास संस्थान, चेन्नै के साथ वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, वेल्लोर, तमिलनाडु का चयन किया गया है।

(ङ) इस योजना के तहत निधियों का आबंटन उस क्षेत्र के नोडल एमएसएमई-विकास संस्थान को किया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निधियों का आबंटन तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, इस योजना के तहत निधियों का कोई आबटन नहीं किया गया था।

क्रम सं.	वर्ष	निधियों का आबंटन (लाख रू. में)	लाभार्थियों की संख्या
1	2009-10	43.32	6714
2	2010-11	5.00	1386
3	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)	37.8995	3785

उर्वरकों का उत्पादन

516. **श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित घरेलू उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उर्वरकों के उत्पादन के लिए आदान सामग्री विशेषकर प्राकृतिक गैस की दरों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कदम से उर्वरकों का घरेलू उत्पादन और आपूर्ति प्रभावित होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) देश में कुछ उर्वरक इकाइयां अप्रत्याशित बंदी और कच्ची सामग्री की कमी के कारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही हैं। तथापि, देश में यूरिया का उत्पादन सूचित क्षमता से अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केजी गैस प्लांट परियोजना

517. **श्री के. पी. धनपालन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कृष्णा–गोदावरी गैस प्लांट परियोजना शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस परियोजना से केरल सहित देश के दक्षिणी राज्यों को गैस देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार कृष्णा–गोदावरी गैस संयंत्र परियोजना की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में विधि कालेज

518. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है तथा देश में विधि कालेजों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) गुजरात में कुल कितने सरकारी विधि कालेज हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निजी विधि कॉलेज विगत तीन दशकों से केंद्र सरकार से कोई सहायता या अनुदान सहायता प्राप्त किए बिना शिक्षा प्रदान कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन संस्थाओं को कुछ सहायता या कोई अनुदान सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) देश में 972 विधि महाविद्यालय, 164 विश्वविद्यालय और 14 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। राज्यवार राजकीय विधि महाविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चार राजकीय विधि महाविद्यालय

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारत में राजकीय विधि महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	विधि महाविद्यालयों की कुल संख्या
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	10
2	असम, मेघालय आदि	7
3	बिहार और झारखंड	2
4	छत्तीसगढ़	11
5	दिल्ली	5
6	गुजरात	3
7	हिमाचल प्रदेश	3
8	जम्मू–कश्मीर	3
9	कर्नाटक	6
10	केरल	9
11	मध्य प्रदेश	44
12	महाराष्ट्र और गोवा	2
13	ओडिशा	3
14	पंजाब और हरियाणा	18
15	राजस्थान	18
16	तमिलनाडु और पुडुचेरी	9

1	2	3
17	उत्तराखंड	13
18	उत्तर प्रदेश	13
19	पश्चिमी बंगाल	6

एलएनजी टर्मिनल

519. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (जीएआई एल) ने आंध्र प्रदेश के विस्तृत समुद्र तट के साथ एलएनजी टर्मिनल की स्थापना करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। गेल (इंडिया) लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गेल गैस लि. ने देश के पूर्वी तट पर एक फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसीफिकेशन यूनिट (एफएसआरयू) स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ दिनांक 12.1.2012 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं

3.5 से 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक (एमएमटीपीए) एलएनजी की हैंडलिंग क्षमता की इस सुविधा की स्थापना गेल (इंडिया) लि. और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से गेल गैस और आंध्र प्रदेश गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन (एपीजीआईसी) की संयुक्त उद्यम कंपनी आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एपीजीडीसी) द्वारा 5000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से की जानी है।

[अनुवाद]

उर्वरकों के मूल्य

520. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को पोषण आधारित उर्वरकों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो पोषण आधारित यूरिया और सामान्य यूरिया के मूल्य में कितना अंतर है;

(ग) क्या यह सच है कि मूल्यों के बीच ज्यादा अंतर होने के कारण किसानों और राज्य सरकारों द्वारा सामान्य यूरिया की ही आपूर्ति की मांग की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किसानों और उपभोक्ता के हित को सुरक्षित रखने के लिए दोनों प्रकार के यूरिया के मूल्य के बीच अंतर को न्यूनतम स्तर पर लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए रियायत योजना के स्थान पर वर्ष 2010–11 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति शुरू की है। सरकार ने एनबीएस नीति के अंतर्गत शामिल पीएंडके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य को खुला रखा है। इस समय, यूरिया पोषक–तत्व आधारित राजसहायता नीति में शामिल नहीं है। पोषक–तत्व आधारित यूरिया नाम का कोई उर्वरक नहीं है। यूरिया का मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य 5310 रुपए प्रति टन निर्धारित किया गया है जिसमें सीएसटी, बिक्री कर, केंद्रीय सीमा शुल्क शामिल नहीं है। नीम लेपित यूरिया के संबंध में सरकार ने इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया है। नीम लेपित यूरिया के उत्पादन को 5% अतिरिक्त अधिकतम खुदरा मूल्य सहित कुल उत्पादन के 35% तक सीमित रखा गया है।

[हिन्दी]

पश्चिम मध्य रेल जोन में दलाल

521. **श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ी के टिकट आरक्षण में संलिप्त दलालों का देश व्यापी नेटवर्क मध्य रेल जोन के जबलपुर से संचालित होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) रेलगाड़ी के टिकट आरक्षण में दलालों की संलिप्तता को समाप्त करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पश्चिम मध्य रेलवे जोन पर ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) रेलवे आरक्षण टिकट की अनधिकृत खरीद और बिक्री में संलिप्त दलालों के विरुद्ध वाणिज्य सर्तकता और सुरक्षा विभागों द्वारा नियमित और औचक अभियान चलाए जाते हैं। भीड़-भाड़/त्यौहारों की अवधियों के दौरान आरक्षण कार्यालयों की चौकसी/निगरानी की जाती है। पकड़े गए दलालों पर कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

भूकंप का मापन

522. **श्री पी.सी. मोहन** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भूकंपों की तीव्रता का ठीक-ठाक मापन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रणाली की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) 24 घंटे और सातों दिन के आधार पर देश में भूकंप गतिविधि को मॉनीटर करने के लिए भूकंप विज्ञानी स्टेशनों के राष्ट्रीय नेटवर्क का प्रचालन कर रहा है जो वास्तविक समय में प्राप्त विभिन्न प्रचालनात्मक भूकंप पैरामीटरों को केन्द्रीय अभिग्रहण स्टेशन (सीआरएस), दिल्ली को उपलब्ध करवाते है। इन भूकंप रिकॉर्डो का उपयोग कर भूकंप के परिमाण और अन्य स्रोत पैरामीटरों का आकलन किया जाता है और विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों को प्रसारित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वित्तीय/अवसंरचनात्मक बाधाएं

523. **श्री आर. थामराईसेलवन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को अवसंरचनात्मक एवं वित्तीय संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे इससे अवगत है कि देश का रेल नेटवर्क पुराना और माल एवं यात्री यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने में असफल हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे द्वारा सतत् प्रक्रिया के माध्यम से अवसंरचना में प्रतिबंध से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में लाइनों का दोहरीकरण/तिहरीकण/चौहरीकरण, इंटरमीडिएट ब्लाक सिगनलिंग का निर्माण, लंबे लूप, बाइपास, फ्लाईओवर, गुड्स शेड, कोचिंग टर्मिनल, आवश्यक चल स्टाक की खरीद विद्युतीकरण आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त रेलवे ने अपने संसाधनों में बढ़ोत्तरी चल स्टाक के लिए बाजार ऋण तथा फ्रेट स्ट्रक्चर के योक्तीकरण के जरिए किया है।

(ग) जी हां। रेलवे विभिन्न स्थानों पर नेटवर्क की संतृपता से अवगत है। भारतीय रेल नेटवर्क का उपयोग 100% लाइन उपयोगता क्षमता से लगभग 30%-40% अधिक हो रहा है।

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें 166 दोहरीकरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा यातायात सुविधा कार्य जिसमें अतिरिक्त लाइन, ऑटोसिगनलिंग, बाइपास, सी क्लास स्टेशन, काचिंग सुविधाएं, क्रासिंग स्टेशन, विद्युतीकरण, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, ग्रडस् शेड, इंटरमीडिएट ब्लाक सिगनलिंग, लूप, सिगनलिंग तथा यार्ड रीमाडलिंग शामिल हैं।

इसके अलावा, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना जो 3000 कि.मी. से अधिक है और देश के पश्चिम तथा पूर्वी भाग को कवर करती है, क्रमशः प्रगति पर है जो महत्वपूर्ण मार्ग में यातायात संकुलन को विशेषरुप से कम करती है। चार अतिरिक्त कोरिडोरों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी प्रगति पर है।

कारों का विनिर्माण

524. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कारों का वर्ष–वार मौजूदा विनिर्माण कितना है;

(ख) अगले तीन वर्ष से पांच वर्ष तक इसके बारे में किए गए नए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सड़क अवसंरचना तथा इस्पात की अनुपलब्धता और अधिक कार निर्माण करने की अनुमति नहीं देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माण सोसायटी (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान कारों की बिक्री निम्नानुसार है :

(संख्या में)

श्रेणी	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (अप्रैल–जनवरी)
यात्री कार	15,16,967	19,26,484	24,53,113	20,03,954

(ख) एसआईएएस के अनुसार, कई कंपनियां अगले तीन से पांच वर्षों की अवधि में अपने प्रचालनों का विस्तार करने तथा निवेश करने के लिए योजना के साथ बाजार में प्रवेश कर रही है।

(ग) और (घ) देश में सड़क अवसंरचना में तेजी से सुधार हो रहा है। भारत में सड़क का व्यापक नेटवर्क है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे, राज्य उच्चमार्ग, जिला और अन्य सड़कें शामिल हैं। ऐसे सड़क नेटवर्क के बावजूद, वाहन घनत्व लगभग 3.2 मोटर वाहन प्रति किलोमीटर अनुमानित है, जो तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। तथापि, देश में सड़क अवसंरचना में सुधार करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

समुद्री संसाधनों की रक्षा

525. **श्री अशोक तंवर** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्रीय संसाधनों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समुद्रीय संसाधनों की रक्षा करने के संबंध में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप देश में कानून बनाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता की सूची के अनुरूप तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) सरकार ने समुद्रीय संसाधनों के संरक्षण और विनियमन के लिए कानून अधिनियमित किए हैं। भारत सरकार के राज्यक्षेत्रीय समुद्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के द्वारा अनन्य आर्थिक क्षेत्रों और महाद्वीपीय शैल्फ में समुद्री पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के लिए विशिष्ट क्षेत्र निर्दिष्ट किए गए हैं। खान मंत्रालय के अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 2002 भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीय शैल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास और विनियम करता है। सजीव संसाधनों से संबंधित भारत के सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) अधिनियम, 1981 द्वारा भारत के कुछ सामुद्रिक क्षेत्रों में विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन किया गया है। इसके अतिरिक्त, अल्पवयस्क मछलियों के संरक्षण की दृष्टि से प्रजनन ऋतु के दौरान पूर्वी तट, पश्चिमी तट के निकट सीमावर्ती समुद्र, लक्षद्वीप द्वीपसमूह और

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए संभावित मत्स्य जोन परामर्शी सूचना जारी नहीं की जाती है।

(ख) उपर्युक्त सभी कानूनों में भारत द्वारा हस्ताक्षर और अभिपुष्ट किए गए संयुक्त राष्ट्र विधि कन्वेंशन के उपबंधों का मोटे तौर पर पालन किया जा रहा है।

(ग) भारत समुद्री खनिजों से जुड़े अन्य अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में भी एक पक्षकार है जिसमें संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि कन्वेंशन के भाग XI से संबंधित करार, 1995 मत्स्य स्टॉक करार और अंटार्कटिक समुद्री संसाधन संरक्षण कन्वेंशन और संबंधित करार शामिल है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते मकान

526. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

श्री जी. एम. सिद्देश्वर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ष 2016–17 तक सभी ग्रामीण लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने तथा सभी कच्चे मकानों को पक्के मकान में बदलने संबंधी दृष्टि पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पर्याप्त एवं सस्ते मकान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और अधिवास नीति शुरू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक राज्य के लिए कितना निधि आवंटन प्रस्तावित है; और

(च) उक्त नीति का कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है तथा इसके अंतर्गत लाभार्थियों की प्राक्कलित संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) आय पर ध्यान न रखते हुए सभी के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण आवास के लिए दृष्टि पत्र तैयार किया गया है ताकि लोग सम्मान पूर्ण जीवन यापन कर सकें तथा वर्ष 2016–17 तक सभी कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बनाए जा सकें। इसमें भूमि खरीदने/अर्जित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन राशि के रूप में पर्याप्त निधियां देने का प्रावधान है ताकि निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी को वासभूमि आबंटित की जा सके, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ब्याज की रियायती दर पर तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले लोगों को अपेक्षाकृत कम दरों पर ऋण दिया जा सकें तथा मकानों के निर्माण, जल, स्वच्छता, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, वर्ष 2011–12 के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत राज्य–वार निधियों का आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2011–12 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन तथा लक्ष्य

(लाख रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन			मकानों की लक्षित संख्या
		केंद्रीय	राज्य मैचिंग अंश	कुल (कॉलम 3+4)	
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	84762.05	28254.02	113016.07	249013
2	अरुणाचल प्रदेश	3294.85	366.09	3660.94	7548

1	2	3	4	5	6
3	असम	72857.4	8095.27	80952.67	166913
4	बिहार	250195.44	83398.48	333593.92	737486
5	छत्तीसगढ़	13107.75	4369.25	17477.00	37466
6	गोवा	522.07	174.02	696.09	1547
7	गुजरात	41569.23	13856.41	55425.64	123168
8	हरियाणा	5836.35	1945.45	7781.80	17293
9	हिमाचल प्रदेश	2058.51	686.17	2744.68	5659
10	जम्मू और कश्मीर	6393.85	2131.28	8525.13	17578
11	झारखंड	22316.33	7438.78	29755.11	63477
12	कर्नाटक	32656.5	10885.50	43542.00	96760
13	केरल	18160.05	6053.35	24213.40	53808
14	मध्य प्रदेश	26068.92	8689.64	34758.56	76135
15	महाराष्ट्र	51117.44	17039.15	68156.59	151063
16	मणिपुर	2860.1	317.79	3177.89	6552
17	मेघालय	4981.27	553.47	5534.74	11412
18	मिजोरम	1061.56	117.95	1179.51	2432
19	नागालैंड	3296.27	366.25	3662.52	7552
20	ओडिशा	49155.32	16385.11	65540.43	142082
21	पंजाब	7217.84	2405.95	9623.79	21386
22	राजस्थान	20889.15	6963.05	27852.20	61894
23	सिक्किम	630.42	70.05	700.47	1444
24	तमिलनाडु	33936.8	11312.27	45249.07	100553
25	त्रिपुरा	6418.13	713.13	7131.26	14704
26	उत्तर प्रदेश	112377.53	37459.18	149836.71	332804

1	2	3	4	5	6
27	उत्तराखंड	5633.93	1877.98	7511.91	15488
28	पश्चिम बंगाल	67805.68	22601.89	90407.57	199176
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1075.04	0.00	1075.04	2389
30	दादर और नगर हवेली	179.12	0.00	179.12	398
31	दमन व द्वीव	80.17	0.00	80.17	178
32	लक्षद्वीप	69.47	0.00	69.47	154
33	पुडुचेरी	535.46	0.00	535.46	1190
	कुल	949120.00	294526.93	1243646.93	2726702

निर्यातकों को राजसहायता

527. श्री रवनीत सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नकदी की कमी से उर्वरकों का आयात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयातकों के साथ की गई राजसहायता प्रतिबद्धता को रोक दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरक की कमी से खाद्य स्फीति को बढ़ावा मिलेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है; और

(च) यदि हां, तो किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि बजट प्रावधान की उपलब्धता में कमी के कारण आयातित यूरिया के भुगतान और आयतित पीएंडके उर्वरकों के लिए राजसहायता में कुछ समय की देरी हुई है। आयातित उर्वरकों के लिए कुल बकाया दावों के लगभग 11,100 करोड़ रुपए के अंश को वर्ष 2011-12 के लिए अतिरिक्त बजट आबंटन के जरिए पूरा किए जाने की आशा है और शेष बकाया दावों का निपटान अगले वित्त वर्ष में किया जाएगा।

(घ) से (च) उर्वरकों की उपलब्धता खाद्य सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। सरकार ने आगामी खरीफ मौसम में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं और उर्वरकों की कमी होने व इसके परिणामस्वरूप खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

जन औषधि आउटलेट खोलना

528. श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनरिक औषधियों को कम कीमत पर बेचने हेतु सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 3000 जन औषधि आउटलेट खोलने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) योजना आयोग की अभिमतों/सुझावों के अध्यधीन रहते हुए जन औषधि अभियान के संबंध में संशोधित व्यावसायिक योजना (आरबीपी) के प्रथम चरण के दौरान जन

औषधि स्टोर खोलने के प्रयोजन से सरकार का प्रस्ताव उन 11 राज्यों पर ध्यान देने का है जिनमें इस स्कीम को कुछ सफलता मिली है अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू व कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और दिल्ली। इन 11 राज्यों में कुल 204 जिले हैं और इन राज्यों के प्रत्येक जिले में कम से कम 03 जन औषधि स्टोर (जेएएस) खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रकार प्रथम चरण में कुल 612 जन औषधि स्टोर खोले जाने का प्रस्ताव है और यह कार्य 02 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। तत्पश्चात कर्नाटक सहित सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले/उपमंडल में कम से कम 05 जन औषधि स्टोर अर्थात् पूरे देश में कुल 3150 जन औषधि स्टोर खोलने के लिए इस स्कीम का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

गैस का आवंटन

529. **श्री पोन्नम प्रभाकर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी क्षेत्र उपक्रमों और निजी संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिनको गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की गई थी; और

(ख) गैस आपूर्ति हेतु कितने तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है तथा इनकी आपूर्ति किस उद्देश्य के लिए की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के पास अतिरिक्त भूमि

530. **श्री जगदम्बिका पाल** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों की अतिरिक्त भूमि के निपटान के बारे में आपत्तियां उठाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित सांविधिक निकायों की भूमि की बिक्री करने या उसे दीर्घकालीन पट्टे पर देने के प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडल का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध सभी मंत्रालयों/विभागों से किया गया है। ये निदेश केंद्रीय सरकारी उद्यमों के लिए भी लागू हैं।

(ग) से (ङ) केंदीय सरकारी उद्यमों के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय सरकारी उद्यमों को भूमि अंतरित करने/सौंपने के समय भूमि के निपटान के बारे में लगाई गई शर्तों के अनुसार पट्टाधृति भूमि को पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में परिवर्तित करने, भू-उपयोग का परिवर्तन करने या अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृति/अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं। ऐसे परामर्श का ब्यौरा किसी एक स्थान पर नहीं रखा जाता है।

केरोसीन की आपूर्ति

531. **कुमारी मीनाक्षी नटराजन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2011 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएम) श्रृंखला के माध्यम से कितनी मात्रा में केरोसीन की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या सरकार केरोसीन की चोरी कम करने के लिए सीधे नकदी अंतरण किए जाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु नकदी अंतरण की संभाव्यता का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा किसी समिति का गठन करने का विचार है/गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) सरकार ने वर्ष 2011-12 के लिए राज्यों/संघ शसित प्रदेशों को 1,03,65,726 कि.ली. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल का आवंटन किया है।

(ख) से (ङ) सरकार ने पीडीएस मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी और उर्वरकों पर राजसहायता के अभिप्रेत लाभार्थियों को सीधे अंतरण के लिए एक समाधान की सिफारिश करने और कार्यान्वित करने के लिए फरवरी, 2011 में श्री नंदन नीलेकणी, अध्यक्ष, यूआईडीएआई की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया है। कार्य बल ने जुलाई, 2011 में एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें राजसहायता के चरण-वार अंतरण की परिकल्पना की गई है। पीडीएस मिट्टी तेल पर नकद राजसहायता के सीधे अंतरण के लिए एक पायलट योजना 5 दिसंबर, 2011 से अलवर जिले (राजस्थान) की कोटकासिम तहसील में शुरू की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय भेषज नीति

532. **श्री हर्ष वर्धन :**

श्री पी.आर. नटराजन :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

श्री रवनीत सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी राष्ट्रीय भेषज नीति, 2006 पर विचार करने के लिए गठित मंत्री समूह किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है और कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2009 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद इस उद्देश्य हेतु किसी नए मंत्री समूह का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उक्त मंत्री समूह ने क्या सिफारिशें की हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में नीति बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(च) देश में सस्ते मूल्य पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं; और

(छ) नयी भेषज नीति का कार्यान्वयन नहीं करने से देश के करोड़ों रोगियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उपयुक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 01 सितम्बर, 2009 को मंत्रियों के समूह का पुनर्गठन किया गया था।

(घ) मंत्रियों के समूह ने अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है।

(ङ) औषध विभाग ने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित तात्विकता और आवश्यकता के मानदंडों के आधार पर प्रारूप राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) तैयार की थी। इस प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी-2011) को सभी संबंधित मंत्रालयों/स्टेक होल्डरों को परिचालित किया गया है। यह प्रारूप औषधि नीति किसी भी अन्य इच्छुक व्यक्ति की टिप्पणियों के लिए इस विभाग की वेबसाइट www.pharmaceuticals.gov.in पर भी दिनांक 30.11.2011 तक उपलब्ध थी। इस प्रारूप राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति, 2011 (एनपीपीपी, 2011) के संबंध में प्राप्त विचारों/इनपुट्स की जांच की जा रही है और उन्हें मंत्रियों के समूह के समक्ष रखा जाएगा।

(च) और (छ) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)/सरकार द्वारा औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। इन प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों और इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशनों के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। कोई भी व्यक्ति मूल्य नियंत्रित श्रेणी वाली किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन (दवाई) को एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अधीन नहीं आती हैं अर्थात् गैर अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में विनिर्माता एनपीपीए/सरकार से अनुमोदन लिए बिना ही स्वयं मूल्य निर्धारित करते हैं। ऐसे मूल्य सामान्यतः विभिन्न कारकों यथा फार्मूलेशन में प्रयुक्त बल्क औषधियों की लागत, एक्सीपिएंटों की लागत, अनुसंधान तथा विकास लागत, उपयोगिताओं/पैकिंग सामग्री की लागत, बिक्री संवर्धन लागत, व्यापार लाभांश, गुणवत्ता आश्वासन लागत, आयातों की अवतरण लागत, आदि के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के भाग के रूप में, एनपीपीए गैर–अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी–आईएमएस (अब आईएम एस–स्वास्थ्य के रूप में ज्ञात) की मासिक रिपोर्टों और अलग–अलग विनिर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर–अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है वहां निर्धारित शर्तों के अधीन संबंधित विनिर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो जनहित में फॉर्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 1995) के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

सीमित देयता भागीदारी

533. श्री अर्जुन राय :

श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमित देयता भागीदारी के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उद्यम मौजूद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त नीति किस तारीख से प्रभाव में आई;

(ग) दिसम्बर, 2011 के अंत तक देश में ऐसे कितने संयुक्त उद्यम कार्य कर रहे हैं तथा इसमें सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(घ) उक्त संयुक्त उद्यमों के लेखा की लेखापरीक्षा किस एजेंसी को दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (एलएलपी), जो 31.3.2009 से लागू हुआ, किसी व्यक्ति या कारपोरेट निकाय को एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत भागीदार बनाने का उपबंध करता है। यद्यपि सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उपक्रम एलएलपी संभव है, तथापि, एलएलपी अधिनियम, 2008 में "सरकारी एलएलपी" की कोई संकल्पना नहीं है। अतः एलएलपी अधिनियम के उपबंधों के तहत सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त उपक्रम सीमित देयता भागीदारी का कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(घ) सीमित देयता भागीदारी की लेखापरीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य/सदस्य फर्म द्वारा एलएलपी नियमावली, 2009 के नियम 24 के अनुसार की जाती है।

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में रिक्त उच्च स्तर के पद

534. **श्री सज्जन वर्मा :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों की कमी के कारण भारतीय कंपनियों में अनेक उच्च स्तर के महत्वपूर्ण पद नहीं भरे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी के कारण इन रिक्तियों को भरने में आ रही कठिनाइयों के कारण भारत अब इस संबंध में 36 देशों के मध्य 29वें स्थान पर है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कमी को पूरा करने हेतु कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के 23 तथा

निदेशकों के 55 पद रिक्त हैं। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर का पद रिक्त होने के मुख्य कारणों में (i) पदधारकों के पदत्याग/मृत्यु/उदग्र परिवर्तन के कारण अप्रत्याशित रूप से पदरिक्त होने, पदधारी की संपुष्टि/कार्यकाल में विस्तार नहीं होने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेनल को रद्द कर देने (ii) सतर्कता अनुमति या सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब (iii) न्यायालय में दायर मामले (iv) निदेशक मंडल स्तर के नए पदों का सृजन तथा (v) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किसी विशेष पद को प्रास्थगित रखने का निर्णय आदि शामिल हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निदेशक मण्डल स्तर के पदों को भरने के लिए पेनल की अनुशंसा करने हेतु साक्षात्कारों का आयोजन करता है और पीईएसबी का अनुभव है कि कुछेक रुग्ण कंपनियों के मामले को छोड़कर अन्य उद्यमों के मामले में अपेक्षित प्रतिभावान आवेदकों की कोई कमी नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार की नीति के अनुसार पीईएसबी के समक्ष बहुविध क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवार होते हैं और इनमें ऐसे उम्मीदवार भी शामिल होते हैं जो उसी उद्यम के होते हैं जहां पद रिक्त होता है। इसके अतिरिक्त संबंधित मंत्रालय के विभिन्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के क्षेत्रगत उम्मीदवार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों तथा केन्द्रीय सरकार के बाह्य उम्मीदवार, राज्य सरकार, राज्यों के सरकारी उपक्रम तथा निजी क्षेत्र के ऐसे उम्मीदवार शामिल होते हैं जो पात्रता संबंधी मानदण्डें पूरी करते हैं।

लोक सभा तथा विधान सभा चुनाव

535. डा. राजन सुशान्त : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोक सभा और सभी विधान सभाओं के चुनाव एक साथ ही कराये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव छह माह में कराये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो ये चुनाव इस प्रकार कब तक कराये जाने की सभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पंचायती राज के निर्वाचन, भारत निर्वाचन आयोग की सीमा में नहीं आते हैं। इन निर्वाचनों को राज्य निर्वाचन को आयोग द्वारा संचालित किया जाता है जो कि पृथक सांविधानिक निकाय है।

तीव्र गति रेल कोरीडोर

536. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर :**
श्री रेवती रमण सिंह :
श्री के. सुगुमार :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तीव्र गति रेल कोरीडोर परियोजनाओं की दिशा में हुई प्रगति की कोरीडोर–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार इन परियोजनाओं हेतु जापान से सहायता प्राप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य क्या हैं;

(घ) देश में राष्ट्रीय तीव्र गति रेल प्राधिकरण की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं पर कार्य को पूरा करने की दिशा में तेजी लाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं तथा इस उद्देश्य हेतु क्या समय–सीमा बनाई गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) देश में उच्च गतिरेल परियोजनाओं के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

1 पुणे–मुंबई–अहमदाबाद–पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया है।

2 दिल्ली–चंडीगढ़–अमृतसर इन प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन संबंधी कार्य पूरा हो गया है और वित्तीय बोली को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3 दिल्ली–आगरा–लखनऊ–वाराणसी–पटना अध्ययन प्रगति पर है। सलाहकार ने इस अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट,

अंतरिम रिपोर्ट सं. I एवं II और ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

4 हावड़ा–हल्दिया–अध्ययन प्रगति पर है। सलाहकार ने इस अध्ययन की प्रारंभिक रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट सं. I एवं II और ड्राफ्ट अंतिम रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है।

5 हैदराबाद–दोर्णाकल–विजयवाड़ा–चेन्नै सलाहकार की नियुक्ति कर दी गई है और अध्ययन प्रगति पर है।

6 चेन्नै–बेंगलुरू–कोयम्बटूर–एर्णाकुलम–तिरूवनंतपुरम–तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया जा चुका है और वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) भारत को जापान सहित उन देशों से तकनीकी और वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होगी, जहां उच्च गति वाली प्रणालियां पहले से ही परिचालन में हैं।

(घ) राष्ट्रीय उच्च गति रेल प्राधिकरण (एनएचएसआरए) के गठन के लिए ड्राफ्ट बिल सरकार के अनुमोदन के लिए पहले से ही भेज दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय उच्च गति रेल प्राधिकरण निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। इसके लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

गैस मूल्य निर्धारण तंत्र

537. डॉ. के. एस. राव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री सी. शिवासामी :
श्री हरीश चौधरी :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अन्य देशों की तुलना में देश में गैस मूल्य निर्धारण तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके साथ प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण करने के लिए परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लि. द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण हेतु प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और ऐसी सिफारिशों के बाद निर्धारित किए गए गैस के मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ओएनजीसी अपने नवरत्न स्तर का कथित रूप से दुरूपयोग कर रहा है तथा जहां तक गैस मूल्य के निर्धारण का संबंध है उसमें निर्णय लेने संबंधी स्वतंत्रता में कमी दर्शा रहा है और यदि हां, तो सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं; और

(ङ) वर्तमान मूल्य निर्धारण में प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इसका विद्युत उर्वरक उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) वर्तमान में देश में गैस के लिए मुख्य रूप में दो मूल्य व्यवस्थाएं–प्रशासनिक मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के अंतर्गत गैस मूल्य और गैर–एपीएम अथवा बाजारमुक्त गैस हैं। एपीएम गैस का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां तक गैर–एपीएम/बाजार मुक्त गैस का संबंध है इसे भी सामान्यतः दो श्रेणियों नामतः (I) आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), और (II) नई अन्वेषण नीति (एनईएलपी) और एनईएलपी–पूर्व फील्डों से घरेलू रूप से उत्पादित गैस में विभाजित किया जा सकता है। मियादी संविदाओं के तहत आयातित एलएनजी का मूल्य बिक्रीकर्ता और खरीददार के बीच विक्रय एवं क्रय करार (एसपीए) द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि स्पाट कारगो की खरीद परस्पर सम्मत वाणिज्यिक शर्तों पर की जाती है। जहां तक एनईएलपी और एनईएलपी–पूर्व गैस का संबंध है, सरकार एवं ठेकेदार के बीच किए गए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) की शर्तों के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। गैस का मूल्य निर्धारित करने में राज्य शामिल नहीं होते हैं।

(ग) प्रशुल्क आयोग (टीसी) ने ओएनजीसी और ओआईएल

के लिए विभिन्न उत्पादक मूल्यों की सिफारिश की थी जो गैस (10,000 केसीएएल/एससीएम के कैलोरिफिक मूल्य पर) के हजार मानक घन मीटर (एमएससीएम) के लिए क्रमशः 3600 रुपए एवं 4040 रु. था। इसके अलावा प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की कि थोक बिक्री मूल्य सूचकांक–मार्च 2005 के 189.4 से ऊपर सभी वस्तुओं (डब्ल्यूपीआई) (आधार वर्ष 1993–94) में प्रत्येक 10 प्वाइंट के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादक मूल्य में 55 रु./ एमएससीएम का परिवर्तन अपेक्षित होगा। प्रशुल्क आयोग को एपीएम गैस का उत्पादक मूल्य वैकल्पिक तरलीकृत ईंधनों अथवा गैर–एपीएम गैस के मूल्य के साथ संबद्ध करना उचित प्रतीत नहीं हुआ, और उत्पादन की सामान्य लागत के आधार पर उत्पादक मूल्य निर्धारित किया गया। तथापि, इन मूल्यों में बहुत ज्यादा अंतर होने से प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की कि एपीएम गैस का उपभोक्ता मूल्य उसके द्वक्षरा परिकल्पित उत्पादक मूल्य से कुछ ऊपर के स्तर पर निर्धारित किया जा सकता हैं उपभोक्ता मूल्य और उत्पादक मूल्य में अंतर के कारण अतिरिक्त रूप से प्राप्त उगाही को पृथक किया जा सकता है और इसे एक ऐसे अलग खाते/निधि में रखा जा सकता है जिससे नामांकित क्षेत्रों से गैस का उत्पादन बनाए रखने/वृद्धि करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को वित्तपोषित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशुल्क आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि इस अंतर को 'विकासात्मक गतिविधियों' के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रशुल्क आयोग की टिप्पणियों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और एपीएम गैस का मूल्य 4.2 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू (रॉयल्टी सहित) निर्धारित किया गया था।

(घ) जी नहीं। राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात् ओएनजीसी एवं ओआईएल के नामांकित ब्लाकों से उत्पादित प्राकृतिक गैस का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ङ) वर्तमान में गैस मूल्यों मं संशोधन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पेयजल की जांच करने हेतु प्रयोगशालाएं

538. **श्री जगदानंद सिंह** : क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर जल की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रयोजन के लिए राज्य–वार कितनी धनराशि निर्धारित/आबंटित की गई है;

(ग) क्या जल की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं से जल की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई संस्थागत तंत्र मौजूद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत सरकार देश में ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से तकनीकी तथा वित्तीय सहायता द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों की मदद कर रही है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, आबंटन का 3% जल गुणवत्ता निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए रखा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ राज्य, जिला तथा उप–जिला स्तर पर नई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना/मौजूदा प्रयोगशालाओं को उन्नयित करना शामिल है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक 23 राज्य, 735 जिला तथा 906 उप–जिला प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2011–12 के दौरान जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी समर्थन घटक के अंतर्गत किए गए निधियों के राज्य–वार आबंटन तथा प्रयोगशालाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों में जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ विभिन्न स्तरों पर प्रयोगशालाओं के माध्यम से पेयजल परीक्षण शामिल है। राज्य प्रत्येक राज्य में विशिष्ट जरूरतों के आधार पर नई जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकते हैं अथवा मौजूदा प्रयोगशालाओं को उन्नयित कर सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि पेयजल की गुणवत्ता परिवर्तनीय है तथा इसमें समय–समय पर विभिन्न कारणों से बदलाव आता है।

विवरण

वर्ष 2011–12 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी–जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रयोगशालाओं की संख्या तथा आबंटन का राज्य वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रयोगशालाओं की संख्या			आबंटन (लाख रु. में)
		राज्य स्तर प्रयोगशालाएं	जिला स्तर प्रयोगशालाएं	उप जिला (उप प्रभाग तथा ब्लॉक) प्रयोगशालाएं	
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	1	51	27	1792.44
2	बिहार	1	39	0	1247.91
3	छत्तीसगढ़	1	20	1	458.99
4	गोवा	1	0	10	19.49
5	गुजरात	1	26	14	1702.12
6	हरियाणा	0	21	13	776.23
7	हिमाचल प्रदेश	0	18	3	487.66
8	जम्मू और कश्मीर	0	30	0	1637.89
9	झारखंड	1	24	3	605.93
10	कर्नाटक	1	41	71	2005.75
11	केरल	1	14	16	526.94
12	मध्य प्रदेश	1	51	100	1360.62
13	महाराष्ट्र	0	33	386	2409.98
14	ओडिशा	0	32	20	748.42
15	पंजाब	3	20	14	289.32
16	राजस्थान	1	32	0	4040.42
17	तमिलनाडु	0	63	49	928.27
18	उत्तर प्रदेश	1	72	7	2421.83

1	2	3	4	5	6
19	उत्तराखंड	0	27	0	508.38
20	पश्चिमी बंगाल	1	37	81	1128.77
21	अरुणाचल प्रदेश	0	17	30	448.39
22	असम	1	24	13	1504.79
23	मणिपुर	1	9	2	199.08
24	मेघालय	1	7	0	229.02
25	मिजोरम	1	8	17	130.16
26	नागालैंड	0	3	10	188.45
27	सिक्किम	2	1	0	56.33
28	त्रिपुरा	1	4	17	196.4
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	2	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32	दमन और दीव	0	0	0	0
33	दिल्ली	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0	9	0	0
35	पुडुचेरी	0	2	0	0
	कुल	23	735	906	28049.98

[अनुवाद]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत समवर्ती मूल्यांकन नेटवर्क

539. **श्री आनंदराव अडसुल :**

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मासिक या द्वि–मासिक आधार पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आकलन करने के लिए कोई समवर्ती मूल्यांकन नेटवर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत 70 प्रतिशत निधियां जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रमों पर ही व्यय की जा रही है और पेयजल तथा स्वच्छता इन दो क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार ऐसे क्षेत्रों पर अधिक बल देने और राज्यों पर यह दबाव देने का है कि परियोजनाओं/योजनाओं को प्राथमिकता देते समय राज्य स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करे; और

(ङ) यदि हां, तो केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्यों को क्या हिदायतें दी हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठित एजेंसियों तथा संगठनों द्वारा आवधिक आधार पर अपने सभी कार्यक्रमों/योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन/आकलन करवाता है।

(ख) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यकलापों के फोकस को इस अधिनियम की अनुसूची–I में उनकी प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। इनमें निम्न शामिल हैं :

(i) जल संरक्षण और जल संचयन;

(ii) वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित सूखा–रोधन

(iii) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(iv) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार संबंधी लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित लघु एवं सीमांत किसानों या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि सुधार सुविधाओं का प्रावधान;

(v) तालाबों से गाद निकालने सहित परंपरागत जल निकायों का नवीकरण;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य भी शामिल है।

(viii) बारहमासी सड़क–संपर्क के लिए ग्रामीण संपर्कता; और

(ix) राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कार्य।

इस प्रावधान के तहत निम्नलिखित को अधिसूचित किया गया है :

(क) ग्राम ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण (दिनांक 11.11.09 की अधिसूचना के तहत शामिल)।

(ख) केंद्र सरकार द्वारा समेकित कार्य योजना (21.10.11 की अधिसूचना के तहत शामिल) के तहत निर्धारित जिलों में खेल के मैदानों का निर्माण।

(ग) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संपूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ ताल–मेल से स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच (दिनांक 30.9.2011 की अधिसूचना द्वारा शामिल)।

मनरेगा तथा सरकार के समान लक्ष्य समूहों वाले अन्य विकास कार्यक्रमों के बीच तालमेल के लिए इस मंत्रालय द्वारा बहुत–सी अन्य विकास योजनाओं के लिए तालमेल दिशानिर्देश तैयार तथा संवितरित किए गए हैं। शुरू किए जा सकने वाले कार्यों तथा क्रियाकलापों की सीमा का विस्तार करने के लिए समय–समय पर महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची I के पैरा I में संशोधन किए गए हैं। मनरेगा की धारा 16(1) में दिया गया है कि ग्राम सभा तथा वार्ड सभा की सिफारिशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान के लिए गाम पंचायतें उत्तरदायी होंगी। मनरेगा की धारा 13(1) में दिया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती तथा ग्राम स्तर पर पंचायतें प्रधान प्राधिकरण होंगी।

सिंचाई परियोजनाओं और जलाशयों का मूल्यांकन

540. श्री शिवराम गौडा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न घटकों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जलाशयों की मौजूदा क्षमता का आकलन करने के लिए जलाशयों का क्षमता मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कर्नाटक सहित राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) देश में सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न घटकों का मूल्यांकन करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि सीडब्ल्यूसी द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में 81 वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के परियोजना के पश्चात निष्पादन मूल्यांकन अध्ययनों को पूरा कर लिया गया है। निष्पादन मूल्यांकन अध्ययनों में परियोजना के निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है :

(क) प्रणाली निष्पादन

(ख) कृषि अर्थव्यवस्था प्रभाव

(ग) सामाजिक–आर्थिक प्रभाव

(घ) पर्यावरणीय प्रभाव

(ङ) आर्थिक मूल्यांकन

पूर्ण की गई 30 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जल उपयोग दक्षता अध्ययन भी पूरे कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) केंद्रीय जल आयोग, 8वीं योजना से क्षमता सर्वेक्षणों का संचालन कर रहा है। अभी तक 33 जलाशयों का क्षमता सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

केंद्रीय जल आयोग द्वारा कर्नाटक सहित देश के 144 जलाशयों के संबंध में जारी किए गए भारत में जलाशयों के अवसादन संबंधी सार–संग्रह (2001) के अनुसार अवसादन के कारण सकल भंडारण क्षमता में होने वाली औसत वार्षिक हानि को 0.44% आंका गया है।

केंद्रीय जल आयोग ने दूरस्थ संवेदी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जलाशयों की सक्रिय भंडारण क्षमता का आकलन करने के लिए कुल 108 जलाशयों के अवसादन अध्ययन भी किए गए हैं।

शौचालयों का निर्माण

541. श्री नीरज शेखर :
श्री रमेन डेका :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खुले में शौच करने वाली जनसंख्या का राज्य–वार प्रतिशत क्या है;

(ख) सरकार ने ऐसी प्रथा पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत निर्मित शौचालयों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान शौचालयों के निर्माण हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) भारत सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) जो वर्ष 1999 में आरंभ किया व्यापक कार्यक्रम है, संचालित करती है जिसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने एवं स्वच्छ पर्यावरण कायम रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता करना है। टीएससी एक मांग प्रेरित परियोजना आधारित कार्यक्रम है जिसमें स्वच्छता सुविधाविहीन जिलों की कुल ग्रामीण आबादी को कवर करते हुए जिले को इकाई माना गया है। इस समय टीएससी देश के 607 ग्रामीण जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज 21.9 प्रतिशत थी। टीएससी के प्रभावी कार्यान्वयन से परियोजना उद्देश्यों की तुलना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज मंत्रालय द्वारा संचालित ऑन–लाइन निगरानी प्रणाली के जरिए राज्यों द्वारा सूचित प्रगति के अनुसार फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार 67 प्रतिशत हो गई है तथा शेष 33 प्रतिशत परियोजना लक्ष्यों में स्वच्छ सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है। राज्य–वार प्रतिशत संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) राज्यों द्वारा सूचित प्रगति रिपोर्टों के अनुसार फरवरी, 2012 तक विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान टीएससी के अंतर्गत बनाए जाने वाले व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) टीएएससी एक मांग जनित परियोजना आधारित कार्यक्रम है। राज्यों को वार्षिक आबंटन नहीं किया जाता है। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान शौचालयों के निर्माण के लिए रिलीज एवं उपयोग की गई निधियों के राज्य–वार संलग्न ब्यौरे विवरण–III में दिए गए हैं।

विवरण–I

परियोजना के लक्ष्यों की तुलना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज

क्र.सं.	राज्य	टीएससी परियोजना लक्ष्य के अंतर्गत प्रतिशत कवरेज	टीएससी परियोजना लक्ष्य की तुलना में कवर किए जाने वाले लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	77.06	22.94
2	अरुणाचल प्रदेश	61.13	38.87
3	असम	54.38	45.62
4	बिहार	32.76	67.24
5	छत्तीसगढ़	55.72	44.28
6	दादरा और नगर हवेली	1.49	98.51
7	गोवा	76.24	23.76
8	गुजरात	81.59	18.41
9	हरियाणा	96.04	3.96
10	हिमाचल प्रदेश	100	0
11	जम्मू और कश्मीर	27.7	72.3
12	झारखंड	42.37	57.63
13	कर्नाटक	69.73	30.27
14	केरल	100	0
15	मध्य प्रदेश	76.37	23.63
16	महाराष्ट्र	71.27	28.73
17	मणिपुर	45.38	54.62
18	मेघालय	68.9	31.1
19	मिजोरम	82.41	17.59
20	नागालैंड	60.54	39.46
21	ओडिसा	53.89	46.11
22	पुडुचेरी	12.6	87.4
23	पंजाब	65.73	34.27
24	राजस्थान	58.22	41.78
25	सिक्किम	100	0
26	तमिलनाडु	77.92	22.08
27	त्रिपुरा	96.54	3.46
28	उत्तर प्रदेश	81.59	18.41
29	उत्तराखंड	78.04	21.96
30	पश्चिम बंगाल	68.26	31.74

विवरण–II

फरवरी, 2012 तक विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बनाए जाने वाले आईएचएचएल की राज्य–वार संख्या

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य	वर्ष के दौरान निर्मित आईएचएचएल की संख्या			
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12 (फरवरी 2012 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	292697	606277	1049704	586546
2	अरुणाचल प्रदेश	3399	16682	19799	25110
3	असम	206256	489334	498849	430588
4	बिहार	756465	640359	717792	706508
5	छत्तीसगढ़	305456	460320	236164	63533
6	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
7	गोवा	18753	0	800	0
8	गुजरात	984200	607078	515224	284558
9	हरियाणा	367097	191242	132137	96808
10	हिमाचल प्रदेश	313872	239576	216571	29641
11	जम्मू और कश्मीर	39415	55390	125228	53264
12	झारखंड	362573	335592	296678	43353
13	कर्नाटक	409816	1087674	810104	369043
14	केरल	81865	68302	20241	0
15	मध्य प्रदेश	1105250	1354632	1166016	776456
16	महाराष्ट्र	854563	934879	562183	377215
17	मणिपुर	4590	15941	49576	44162
18	मेघालय	30004	47256	65417	41190
19	मिजोरम	8973	7639	1611	13191

1	2	3	4	5	6
20	नागालैंड	5543	25993	18224	46318
21	ओडिसा	323802	539077	853303	330114
22	पुदुचेरी	227	208	77	0
23	पंजाब	262194	158060	118415	32535
24	राजस्थान	889762	665660	750948	551768
25	सिक्किम	3712	0	0	0
26	तमिलनाडु	421967	533108	473647	295220
27	त्रिपुरा	62971	27346	30392	24607
28	उत्तर प्रदेश	2415154	2669547	2915407	1288487
29	उत्तराखंड	98884	115071	132913	110344
30	पश्चिम बंगाल	636422	515535	466311	653943

विवरण–III

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार रिलीज की गई कुलनिधि तथा निधियों का उपयोग

लाख रुपए में

क्र.सं.	राज्य/जिल	2008–09		2009–10		2010–11		2011–12 (फरवरी 2012 तक)	
		रिलीज	व्यय	रिलीजट	यय	रिलीज	व्यय	रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	1391.81	4227.67	11078.44	3915.05	14218.46	7177.90	9657.28	6114.34
2	अरूणाचल प्रदेश	1530.16	274.66	404.97	660.63	119.26	612.10	102.44	436.41
3	असम	8310.66	4102.74	6729.84	9436.95	9437.36	6712.08	6125.59	10182.29
4	बिहार	7150.57	7140.02	9046.72	9014.63	11259.76	12521.53	17219.09	12210.99
5	छत्तीसगढ़	1144.14	3005.37	5018.42	6437ए99	5479.58	2530.57	2702.42	2571.70
6	गुजरात	978.81	4342.54	3036.91	5154.34	4692.36	3332.98	2154.29	1972.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	हरियाणा	1069.09	1152.75	718.15	1220.09	2361.49	1410.41	335.27	1034.33
8	हिमाचल प्रदेश	778.76	466.90	1017.74	1312.38	2939.78	2130.20	469.57	1126.15
9	जम्मू एवं कश्मीर	1115.82	989.93	332.90	1383.15	2792.51	1101.93	967.95	1331.76
10	झारखंड	3188.20	3001.85	3941.66	3871.91	5466.98	3653.66	3632.46	1673.45
11	कर्नाटक	3176.18	1843.62	5571.00	4816.90	4458.66	6240.93	4354.64	3514.86
12	केरल	388.99	719.59	975.45	1346.20	2286.34	808.52	158.89	482.69
13	मध्य प्रदेश	9767.83	7376.23	9987.48	12732.13	14402.60	12826.57	15076.00	13486.91
14	महाराष्ट्र	3526.29	5062.78	9894.05	11741.67	12911.70	7263.49	5799.94	3701.24
15	मणिपुर	99.83	494.20	1177.54	409.58	80.30	861.00	698.50	646.91
16	मेघालय	578.30	346.44	1378.78	985.46	3105.23	1437.34	557.86	3119.71
17	मिजोरम	694.27	336.57	412.98	419.27	653.40	281.81	31.38	553.19
18	नागालैंड	99.78	167.38	1059.27	97.1.60	1229.45	264.95	174.06	1371.36
19	ओडिसा	7204.33	3964.11	5031.55	5258.97	6836.73	4928.22	11630.82	3061.82
20	पुदुचेरी	0.00	23.74	0.00	5.19	0.00	2.91	0.00	0.00
21	पंजाब	223.18	66.76	116.02	326.41	1116.39	420.64	283.18	108.36
22	राजस्थान	2516.85	2232.06	4352.64	3217.59	5670.74	3757.52	3443.79	2786.27
23	सिक्किम	254.86	0.00	0.00	258.95	112.86	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	473.31	2427.37	6166.18	5406.86	7794.35	5213.14	7662.06	3883.30
25	त्रिपुरा	158.76	684.61	836.66	535.74	925.14	574.08	133.92	745.37
26	उत्तर प्रदेश	38284.24	25668.75	11579.77	33657.29	22594.00	22738.91	16920.72	6515.20
27	उत्तराखंड	861.89	478.15	773.98	1102.22	1707.61	1159.57	402.38	1113.22
28	पश्चिम बंगाल	3047.06	2880.20	3246.26	7809.32	8327.50	7654.57	14124.34	8792.14

[हिन्दी]

ईंधन के आधुनिक स्रोत

542. **श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई ईंधन के आधुनिक स्रोत से अभी तक वंचित देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत क्या है;

(ख) वर्ष 2011 के दौरान लकड़ी, गोबर अथवा चारकोल जैसे परंपरागत रसोई ईंधनों का इस्तेमाल करने से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में रसोई ईंधन के आधुनिक स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) दिनांक 1.2.2012 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) देश की 59.5: जनसंख्या को कवर करते हुए 13.54 करोड़ एलपीजी ग्राहकों को सेवाएं दे रही हैं।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएमसीज खाना पकाने के पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर अथवा चारकोल के कारण व्यक्तियों की मौत से संबंधित आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करते हैं।

(ग) सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और कम कवर किए गए क्षेत्रों में 2009 और 2015 के मध्य 5.5 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन जारी करके देश की एलपीजी जनसंख्या कवरेज को 75: तक बढ़ाने हेतु "विजन-2015" बनाया है, जिसके लिए लघु-आकार की एलपीजी वितरण एजेंसियों की स्थापना हेतु एक योजना नामतः "राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना" (आरजीजीएलवीवाई) दिनांक 16.10.2009 को प्रारंभ की गई थी। ओएमसीज द्वारा योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरशिपों हेतु आवेदन पत्र आबंटित करने के लिए 27 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी में 4762 स्थलों को कवर करते हुए विज्ञापन जारी किए गए हैं। 1721 स्थलों के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिए गए हैं जिसमें से 960 डिस्ट्रीब्यूटर चालू हो गए हैं।

तमिलनाडु में परियोजनाएं

543. **श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को तमिलनाडु से प्राप्त जल परियोजना प्रस्तावों, जिन पर कार्य चल रहा है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमोदन हेतु लंबित, तमिलनाडु राज्य से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हैं और ऐसे प्रत्येक के लंबित रहने के प्रस्ताव-वार कारण क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) तमिलनाडु की जल संसाधन समेकन परियोजना का एक प्रस्ताव 1996-97 में एआईबीपी के तहत वित्त पोषण के लिए प्राप्त हुआ था। 1996-97 के दौरान तमिलनाडु की जल संसाधन समेकन परियोजना (डब्ल्यूआरसीपी) को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत शामिल किया गया था और परियोजना को 20.00 करोड़ रुपये की केंद्रीय ऋण सहायता (सीएलए) जारी की गई थी। तथापि राज्य सरकार ने परियोजना को एआईबीपी के अंतर्गत बंद कर दिया था। परियोजना को एआईबीपी के अंतर्गत वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत शामिल करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार ने भी XI वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी दो स्कीमें (I) एक 1500 करोड़ रुपये के परिव्यय से बाह्य सहायता से (II) दूसरी 1250 करोड़ रुपये के परिव्यय से घरेलू सहायता से अनुमोदित की है, परंतु घरेलू सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार को कोई निधि जारी नहीं की गई है। तथापि बाह्य सहायता से जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार संबंधी स्कीम के अंतर्गत 4 लाख हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र वाले 5763 जल निकायों की क्षमता पुनः स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के साथ 2182 करोड़ रुपये के विश्व बैंक ऋण

समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं। प्राप्त हुई नवीनतम सूचना के अनुसार 2407 जल निकायों में कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार से निम्न दो वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजना प्रस्ताव मूल्यांकन हेतु केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को प्राप्त हुए हैं :

(I) चैय्यार नदी के माध्यम से पोनइयार नदी को पालार नदी से परस्पर जोड़ने और तमिलनाडु के थिरूवन्नामलई जिले में नंदन नहर को आपूर्ति बढ़ाने के लिए संपर्क नहर की खुदाई

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोग को फरवरी, 2009 में प्राप्त हुई थी। केंद्रीय जल आयोग और परियोजना प्राधिकरणों/राज्य सरकार के बीच कई बार पत्राचार हुआ। परियोजना के संबंधित पहलुओं के संबंध में टिप्पणियां फरवरी, 2009 से मई, 2009 के दौरान भेजी गई थीं और नवीनतम टिप्पणियां दिसंबर, 2011 में भेजी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्राधिकरणों की ओर से परियोजना प्रस्ताव के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की सांविधिक पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित है। परियोजना प्राधिकरणों ने जनवरी, 2012 में सूचित किया है कि केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(II) तमिलनाडु के थुथुकुड़ी जिले में तमिरपरानी, करूमेनियार और नांबियार नदियों को आपस में जोड़कर कन्नेडियल चैनल से सथनकुलम, थैसैयानविलाल के सूखा प्रवण क्षेत्र तक बाढ़ वाहक का निर्माण

परियोजना का संशोधित लागत अनुमान (2011–12 के मूल्य स्तर पर) नवंबर, 2011 में केंद्रीय जल आयोग में प्रस्तुत किया गया था। परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियां नवंबर, 2011 से फरवरी, 2012 के दौरान राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्राधिकरणों की ओर से परियोजना प्रस्ताव के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की सांविधिक पर्यावरण स्वीकृति प्रतीक्षित है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार से मूल्यांकन हेतु केंद्रीय जल आयोग में किसी सिंचाई परियोजना का कोई संशोधित अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अनुसंधान और विकास में निवेश

544. श्री एस. सेम्मलई :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के अन्यदेशों की तुलना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कुल निवेश कितना है और वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इसकी हिस्सेदारी कितनी है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश की दृष्टि से क्या लक्ष्य निर्धार्थ्रत किए गए हैं;

(ग) गत एक दशक में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए कोई महत्वपूर्ण बल दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अन्य देशों की तुलना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) अधिकारिक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस देश ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में 0.9 प्रतिशत भाग के साथ वर्ष 2007–08 में वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास पर 37,777.90 करोड़ रूपये खर्च किए। सरकार का उद्देश्य XII वीं योजना अवधि के अंत तक इसे बढ़ाकर 2 प्रतिशत करना है।

(ग) विगत दशक में देश में अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) पर राष्ट्रीय निवेश में पर्याप्त वृद्धि हुई है जो 1997–98 के 10611.34 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007–08 में 37777.90 करोड़ रूपये हुआ। विगत दशक में वर्षवार राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास व्यय का दर्शाने वाली तालिका संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वैज्ञानिक अनुसंधान में सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा XII वीं योजना में प्रस्तावित की गई पहलों में नीति परिवर्तन, निवेशों के लिए संयुक्त निधियों का सृजन, अनुसंधान एवं विकास में संसाधनों के परिनियोजन के लिए नई संरचना के निर्माण सहित जैसी विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से कृषि व खाद्य सुरक्षा, जल, ऊर्जा, पर्यावरण व वहनीय स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे क्षेत्र शामिल किए हैं।

विवरण–I

अन्य सार्क देशों की तुलना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति

क्रम संख्या	देश	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास
1.	अफगानिस्तान	उपलब्ध नहीं
2.	बांगलादेश	उपलब्ध नहीं
3.	भूटान	उपलब्ध नहीं
4.	भारत	0.88
5.	मालदीव	उपलब्ध नहीं
6.	नेपाल	उपलब्ध नहीं
7.	पाकिस्तान	0.67
8.	श्रीलंका	0.17

स्रोत : 1. यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट, 2010

2. अनुसंधान एवं विकास आंकड़े, 2009 डीएसटी (जीओआई)

नोट : एन ए उपलब्धता नहीं।

विवरण–II

अनुसधान एवं विकास पर राष्ट्रीय व्यय

वर्ष	अनुसंधान एवं विकास (रुपये करोड़)
1	2
1997–98	10611.34
1998–99	12473.17
1999–00	14397.60
2000–01	16198.80
2001–02	17038.15
2002–03	18088.16
2003–04	20086.34
2004–05	24117.24
2005–06	28776.65
2006–07	32941.64★
2007–08	37777.90★

★अनुमानित

स्रोत : अनुसंधान एवं विज्ञान आंकड़े 2009, डीएसटी (जीओआई)

[हिन्दी]

भूजल संबंधी सर्वेक्षण

545. **श्री यशवंत लागुरी :**

राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूजल के इष्टतम उपयोग हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के विभिन्न सिंचाई कमान क्षेत्रों में भूमि जल के इष्टतम उपयोग हेतु 13 संयुक्त उपयोग अध्ययन किए हैं।

(ख) सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए गए संयुक्त उपयोग अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है :

1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण–1, राजस्थान

2 शारदा सहायक सिंचाई परियोजना, उत्तर प्रदेश

3 तुंगभद्रा नहर कमान क्षेत्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक

4 घाटप्रभा नहर कमान क्षेत्र, कर्नाटक

5 हीराकुंड नहर कमान क्षेत्र, उड़ीसा

6 माही–कदाना नहर कमान क्षेत्र, गुजरात

7 नार्गाजुन सागर परियोजना, आंध्र प्रदेश

8 इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण–II, राजस्थान

9 कोसी नहर कमान क्षेत्र, बिहार

10 गंडक नहर कमान क्षेत्र, बिहार

11 श्रीराम सागर नहर कमान क्षेत्र, आंध्र प्रदेश

12 पश्चिमी यमुना नहर कमान क्षेत्र, हरियाणा

13 रूशीकुलिया नहर कमान क्षेत्र, उड़ीसा

इन अध्ययनों से पता चला है कि सिंचाई कमान क्षेत्र में भूमि जल के इष्टतम उपयोग की अवहेलना करते हुए केवल सतही जल का उपयोग करने के परिणामस्वरूप जल जमाव, मृदा लवणता इत्यादि जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जल राज्य का विषय होने के कारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि जल और सतही जल के संयुक्त उपयोग के लिए इष्टतम योजना कार्यान्वित की गई है।

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत अनियमितताएं

546. **श्रीमती सुशीला सरोज :**
श्री राजेन्द्र अग्रवाल :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
डॉ. संजय सिंह :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
डॉ. भोला सिंह :
श्री इन्दर सिंह नामधारी :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री प्रशान्त कमार मजूमदार :
श्री लालचन्द कटारिया :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री उदय प्रताप सिंह :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री दत्ता मेघे :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री ओमप्रकाश यादव :
श्री हमदुल्लाह सईद :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों सें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत निधियों के उपयोग में गंभीर अनियमितताओं और गबन/निधियों के अन्यत्र उपयोग की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान राज्य–वार और संघ राज्यक्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीबीआई को मामले सौंपने सहित इस मामले में कोई जांच की है या जांच करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षा सहित अन्य क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं ताकि योजना के अंतर्गत ऐसी अनियमित निधियों के गबन पर रोक लगायी जा सके?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के कार्यान्वयन के बारे में मंत्रालय को अनेक शिकायतें मिली हैं। चालू वर्ष (दिनांक 09.03.2012 तक) के दौरान प्राप्त शिकायतों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। शिकायतें मुख्य रूप से जॉब कार्ड नहीं दिए जाने, निधियों के दुर्विनियोग, ठेकेदारों को कार्य पर लगाने, मस्टर रोल की जालसाजी, जॉब कार्ड में हेर–फेर, मजदूरी का कम भुगतान, मजदूरी का भुगतान न किए जाने, भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं, मशीन के उपयोग, भुगतान में विलंब आदि से संबंधित हैं। चूंकि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम का कार्यान्वयन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए मंत्रालय से प्राप्त सभी शिकायतें विधि के अनुसार जांच

सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2007 की रिट याचिका (पीआईएल) सं. 645–सेन्टर फॉर इनवायरनमेंट एण्ड फूड सेक्युरिटी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अप्रैल, 2011 में उड़ीसा सरकार की सहमति मिलने पर केन्द्र सरकार ने उड़ीसा में एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत भ्रष्टाचार और निधियों के दुर्विनियोग की शिकायतों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच का आदेश दिया। सीबीआई ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में एमजीएनआरईजीए के कार्यान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई द्वारा जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति के लिए भी अनुरोध किया है।

(ङ) एमजीएनआरईजीए की धारा 24 के अनुसार, केंद्र सरकार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के परामर्श से सभी स्तरों पर योजनाओं के लेखाओं की लेखा–परीक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकती है। तदनुसार, मंत्रालय ने सीएजी के परामर्श से दिनांक 30 जून, 2011 को एमजीएनआरईजीए योजना लेखा परीक्षा नियमावली, 2011 को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने आरंभ में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीएजी द्वारा विशेष वित्तीय एवं निष्पादन लेखा परीक्षा के लिए भी अनुरोध किया है।

विवरण

वर्ष 2011–12 (दिनांक 9.3.12 की स्थिति के अनुसार) के दौरान एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत शिकायतें

क्रम सं.	राज्य	2011–12
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	17
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	7
4	बिहार	49
5	छत्तीसगढ़	51
6	गोवा	0
7	गुजरात	8
8	हरियाणा	23
9	हिमाचल प्रदेश	6
10	जम्मू और कश्मीर	4
11	झारखंड	34
12	कर्नाटक	10
13	केरल	4
14	लक्षद्वीप	0
15	मध्य प्रदेश	72
16	मेघालय	4
17	महाराष्ट्र	6
18	मणिपुर	6
19	मिजोरम	0
20	नागालैंड	0
21	उड़ीसा	27
22	पंजाब	4
23	पुडुचेरी	1
24	राजस्थान	52
25	सिक्किम	0
26	तमिलनाडु	4
27	त्रिपुरा	1
28	उत्तर प्रदेश	545
29	उत्तराखंड	15
30	पश्चिम बंगाल	6
	अखिल भारत	957

[अनुवाद]

फोटो पहचान पत्र टिकट

547. श्री के. सुधाकरण :
श्री पी.आर. नटराजन :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को हाल ही में, निजी एजेंसियों द्वारा बुक किए गए आरक्षण टिकटों का यात्रियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या विभागीय तंत्र मौजूद हैं;

(ग) क्या रेलवे ने हाल ही में इस संबंध में कुछ परिवर्तन किए हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि रेलगाड़ियों में केवल वास्तविक यात्री ही सफर करें;

(घ) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और यात्रा के दौरान स्वीकार किए जाने वाले फोटो पहचान दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फोटो पहचान के रूप में आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) विगत में निजी एजेंसियों द्वारा बुक किए गए तत्काल टिकटों सहित आरक्षण किटों के दुरूपयोग के कुछ मामले रिपोर्ट किए गए थे।

(ख) वाणिज्य, सुरक्षा तथा सतर्कता विभाग द्वारा गाड़ियों, आरक्षण कार्यालयों, बुकिंग कार्यालयों तथा कांकोर्स और प्राधिकृत तथा अप्राधिकृत यात्रा एजेंटों के परिसरों में नियमित तथा आकस्मिक जांचें की जाती हैं। कदाचारों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। यात्रियों को आरक्षण कार्यालयों/बुकिंग कार्यालयों तथा प्राधिकृत एजेंसियों के अलावा कहीं और से टिकटें नहीं खरीदने के बारे में घोषणाएं भी की जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सामान्य तथा तत्काल आरक्षित टिकटों के दुरूपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) 21.11.2011 से संशोधित तत्काल योजना कार्यान्वित की गई है जिसके अनुसार यात्रियों को बुकिंग के समय पहचान का निर्धारित प्रमाण दिखाना होता है तथा यात्रा के दौरान इसे अपने पास रखना होता है। योजना के अन्य उपायों में डुप्लीकेट टिकटें जारी नहीं करना तथा 08.00 बजे से 10.00 बजे के बीच एजेंटों द्वारा तत्काल टिकटों की बुकिंग कराने पर प्रतिबंध तथा पुष्टिशुदा तत्काल टिकटों पर रिफंड नहीं देना शामिल है।

(ii) अंतरित टिकटों पर यात्रा के मामलों को रोकने की दृष्टि से भारतीय रेलों ने टिकट पर यात्रा करने वाले किसी भी यात्री द्वारा वातानुकूल – 3 टियर, वातानुकूल–2, टियर, वातानुकूल कुर्सीकार, एग्जीक्यूटिव तथा प्रथम श्रेणी के वातानुकूल में यात्रा के दौरान पहचान का एक निर्धारित प्रमाण (मूल) साथ रखना अनिवार्य है।

भारत के निर्धारित प्रमाण निम्नलिखित हैं :–

- ★ भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता फोटो पहचान कार्ड
- ★ पास पोर्ट
- ★ आयकर विभाग द्वारा जारी की गई पैन कार्ड
- ★ आरटीओ द्वारा जारी की गई ड्राइविंग लाइसेंस
- ★ केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गई क्रम संख्या वाला फोटो पहचान कार्ड
- ★ मान्यता प्राप्त स्कूल/कालेज द्वारा अपने विद्यालय के लिए जारी किया गया फोटोग्राफ के साथ विद्यार्थी पहचान कार्ड
- ★ राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक फोटोग्राफ के साथ
- ★ लमिनेटिड फोटोग्राफ के साथ बैंक द्वारा जारी किया गया केडिट कार्ड
- ★ यूनीक पहचान कार्ड ''आधार''

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली–देहरादून लाइन का विद्युतीकरण

548. **श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली–देहरादून रेल लाइन पर विद्युतीकरण कार्य का ब्यौरा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त लाइन का पूर्ण विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जहां तक दिल्ली–देहरादून रेल लाइन के विद्युतीकरण का संबंध है, दिल्ली–गाजियाबाद और सहारनपुर–लक्सर रेल लाइन पहले से ही विद्युतीकृत है। गाजियाबाद–मेरठ–सहारनपुर खंड पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। लक्सर–देहरादून के विद्युतीकरण का कार्य सितंबर, 2011 में स्वीकृत किया गया है।

(ख) पूरे खंड का कार्य मार्च, 2014 तक पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

सुखी गृह योजना

549. **श्री प्रबोध पांडा :**

श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिक्रमण करने के पुनर्वास हेतु सुखी गृह योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन अधिवास इकाइयों के कब तक पूर्ण होने/आबंटित होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) लगभग 10,000 आवास इकाइयां मुहैया कराने के लिए एक 'सुखी गृह योजना' पायलट आधार पर शुरू की गई है। चिंचवाड (पुणे) सियालदह, सिलीगुडी और तिरूच्चिरापल्ली में चार स्थानों की पहचान की गई है और झुग्गी बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

550. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**

श्री लक्ष्मण टुडु :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत निर्माण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु निधियां आबंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) सरकार ने इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 'ग्रामीण सड़कों' को 'भारत निर्माण' के छह घटकों में से एक घटक माना है, जिसका उद्देश्य 1000 व्यक्तियों और इससे अधिक (पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 और इससे अधिक) की आबादी वाली सभी बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ना है। भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के लिए निधियां रिलीज की जा रही हैं। भारत निर्माण घटक सहित पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों का वर्ष–वार ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	रिलीज की गई राशि (रुपए करोड़ में)
1	2
2005–06	04,185.59
2006–07	06,265.08
2007–08	10,899.94

1	2
2008–09	14,848.97
2009–10	16,899.82
2010–11	20,366.04
2011–12	16,611.70★

★13.3.2012 तक रिलीज की गई राशि

(ग) से (च) कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि–स्तरीय गुणवत्ता तंत्र स्थापित किया गया है। पहला स्तर अंतनिर्मित गुणवत्ता नियंत्रण है और दूसरा स्तर राज्य स्तरीय स्वतंत्र निगरानी है। ये दो स्तर राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की जिम्मेदारी है। केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रूप में तीसरे स्तर की परिकल्पना की गई है। तीसरे स्तर पर औचक आधार पर चुनी गई सड़कों के निरीक्षणों के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। गुणवत्ता तंत्र के प्रत्येक स्तर की विस्तृत जिम्मेदारियां कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में दर्शाई गई हैं।

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कें (आईआरसी : एसपी 20: 2002) की ग्रामीण सड़क नियमावली, और जहां आवश्यकता हो, वहां पर्वतीय सड़क नियमावली (आईआरसी : एसपी : 48) में दिए गए तकनीकी विनिर्देशनों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

जनवरी, 2007 से फरवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं के दौरों की रिपोर्टों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। किसी सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की श्रेणी 'असंतोषजनक' पाए जाने पर राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार पहले लगाई गई सामग्री के स्थान पर बेहतर सामग्री लगाए या निर्माण कार्य में सुधार, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित समयावधि के भीतर करे। ऐसे मामलों में राज्य सरकारों को की गई कार्रवाई रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी में इन की गई कार्रवाई रिपोर्टों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

विवरण

जनवरी, 2007 से फरवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा श्रेणीकरण का राज्य–वार सार

क्रम सं.	राज्य	कुल निरीक्षण	संपन्न कार्य		चल रहे कार्य	
			कुल	संतोषजनक	कुल	संतोषजनक
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	1088	417	381	671	570
2	अरुणाचल प्रदेश	272	53	48	219	181
3	असम	1175	89	73	1086	880
4	बिहार	463	10	6	453	237
5	बिहार (एनईए)	773	94	72	679	546
6	छत्तीसगढ़	1016	234	184	782	568
7	गुजरात	569	259	226	310	248

1	2	3	4	5	6	7
8	गोवा	0	0	0	0	0
9	हरियाणा	294	86	83	208	195
10	हिमाचल प्रदेश	589	165	157	424	393
11	जम्मू और कश्मीर	405	45	38	360	313
12	झारखंड	555	68	57	487	350
13	कर्नाटक	934	159	146	775	667
14	केरल	370	57	52	313	216
15	मध्य प्रदेश	2160	258	234	1902	1722
16	महाराष्ट्र	1951	187	149	1764	1492
17	मणिपुर	155	14	10	141	97
18	मेघालय	105	13	11	92	58
19	मिजोरम	112	15	15	97	77
20	नागालैंड	82	10	7	72	50
21	उड़ीसा	1702	259	240	1443	1169
22	पंजाब	621	142	137	479	469
23	राजस्थान	1058	353	319	705	644
24	सिक्किम	201	10	9	191	163
25	तमिलनाडु	974	345	276	629	411
26	त्रिपुरा	212	31	29	181	154
27	उत्तर प्रदेश	2041	649	608	1392	1231
28	उत्तराखंड	283	27	26	256	207
29	पश्चिम बंगाल	1062	147	132	915	797
	कुल	21222	4196	3725	17026	14105

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्यों हेतु निधियां

551. **श्री जयवंत गंगाराम आवले** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निधियों के अभाव में अनुसंधान और विकास परियोजनाएं लंबित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश में अनुसंधान और विकास के प्रोन्नयन और विकास को तेज करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में वैज्ञानिक विभागों के योजना आबंटन में क्रमिक वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, अकादमी और राष्ट्रीय संस्थानों के उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों और सुविधाओं का सृजन, नई एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियां शुरू करना, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए अवसरंचना को सुदृढ़ करना, सार्वजनिक – निजी अनुसंधान एवं विकास भागीदारी प्रोत्साहित करना आदि शामिल है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) नैनो मिशन, वृहत सुविधाएं, मुक्त स्रोत औषधि खोज, नेटवर्क परियोजनाएं, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति आदि जैसे कार्यक्रमों को शुरू करना अनुसंधान को बेहतर वैज्ञानिक पर्यावरण में प्रोत्साहित और प्रोन्नत करने की सरकार की वचनबद्धता को दर्शाते हैं। सरकार ने एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से देश में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना की है। विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड की स्थापना से, मौलिक अनुसंधान निधियन के स्तर में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने के अतिरिक्त अनुसंधानकर्ताओं को आवश्यक स्वायत्ता, अनुसंधान कार्यक्रमों के बनाने में लचीलापन और गति तथा निधियों की सुपुर्दगी में गति भी मिलेगी। अनुसंधान कार्यक्रमों के बनाने में लचीलापन और गति तथा निधियों की सुपुर्दगी में गति भी मिलेगी। अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने व प्रयोग करने तथा नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए विश्वस्तरीय अन्वेषणात्मक अनुसंधान के अनुशीलन का प्रोत्साहन एवं अभिप्रेरण (एम.पावर) नए ज्ञान आधार के निर्माण हेतु अनुसंधान के अनुशीलन का प्रोत्साहन एवं अभिप्रेरण (एम.पावर) नए ज्ञान आधार के निर्माण हेतु अनुसंधान पहल (आर.आई.एस.के.) और सी.एस.आई.आर.डब्ल्यू.डब्ल्यू. जैसे कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए बारहवीं योजना हेतु प्रस्तावित परिव्यय 1,70,000 करोड़ रुपये है। बुनियादी अनुसंधान को उंचे स्तर तक ले जाने के लिए XIIवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु गुणवत्ता और संख्या के रूप में अन्वेषक केन्द्रित प्राचीर बाह्य अनुसंधान सहायता कार्यक्रमों के क्षेत्र को संवर्धित करने के अतिरिक्त भारतीय अकादमी में संकाय कार्यों को करने वाले भारतीय डायसपोरा के लिए शुरूआती अनुसंधान अनुदान, विदेशी डॉक्टरोरल छात्रवृत्तियां तथा पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां, विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षकों का निर्माण, पीएएन इंडिया मिशन, अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, विज्ञान में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी समाधान के लिए मंच, वैश्विक स्थिति हेतु चुनौती पुरस्कार इत्यादि जैसे बहुआयामी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोल पंपों और एलपीजी डीलरों की नियुक्ति

552. **श्री पी. आर. नटराजन** :
श्री रघुवीर सिंह मीणा :
डॉ. भोला सिंह :
प्रो. रामशंकर :
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल पंप और एलपीजी डीलरों की नियुक्ति हेतु मौजूदा नीति क्या है और उनमें अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. को आरक्षण के क्या प्रावधान हैं;

(ख) अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. को पेट्रोल पंपों के आवंटन में बकाया का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या स्थिति है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खोली गई पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों की संख्या कितनी और उनमें से आरक्षित श्रेणियों को आवंटित एजेंसियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(घ) देश में आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट आवंटित पेट्रोल पंपों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों के दौरान खोले जाने वाले नए पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्थान-वार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज), अर्थात् इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटैड (बीपीसी) ने क्रमशः खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ) डीलरों और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरकों के चयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

विद्यमान नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार नए खुदरा बिक्री केंद्रों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा सर्वेक्षणों और व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर पहचान किए गए स्थलों पर की जाती है। पर्याप्त बिक्री संभाव्यता रखने वाले और आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने वाले स्थलों को राज्य-वार विपणन योजनाओं में खुदरा बिक्री केंद्र/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स स्थापित करने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। आरओ डीलरों का चयन संबंधित ओएमसीज के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए चयन समितियों द्वारा किया जाता है। एलपीजी वितरकों के चयन के संबंध में संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार उन पात्र उम्मीदवारों के बीच लाटरी द्वारा चयन किया जाता है जिसके पास अपेक्षित भूमि, वित्त और शैक्षणिक योग्यताएं होती हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 25.6.2010 के बाद विज्ञापित स्थलों के लिए लागू हैं।

आरओ डीलरशिप्स और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के लिए चयन प्रक्रिया को यथा व्यवहार्य पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रावधान है जिसके तहत् प्रत्येक शिकायत को ओएमसीज के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है और उसकी जांच की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर आरओ डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के आबंटन के लिए अनु.जा./अनु.ज.जा. श्रेणियों के लिए आरक्षण 25% है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी (ओबीसी) के लिए आरक्षण नहीं है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों में आरओ डीलरशिप्स/एलपीजी डिस्ट्रब्यूटरशिप्स के लिए अनु. जनजाति हेतु आरक्षण निम्नानुसार है :-

राज्य	आरक्षण की प्रतिशतता
अरुणाचल प्रदेश	70
मेघालय	80
नागालैंड	80
मिजोरम	90

(ख) अनु.जा./अनु.जन.जा. को पेट्रोल पंपों के आबंटन में बैकलॉग के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षित श्रेणियों को आबंटित किए गए पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों सहित खोले गए पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरक्षित श्रेणियों से संबंधित पेट्रोल पंपों के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) अगले तीन वर्षों के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों के राज्य/संघ शासित प्रदेश और स्थल-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण–I

अनु. जाति/अनु. जन–जाति को पेट्रोल पंपों के आबंटन का बैकलॉग

क्र.सं	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आईओ सीएल	एचपी सीएल	बीपी सीएल
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	57	18	26
2	अरुणाचल प्रदेश	–10	0	0
3	असम	31	1	6
4	बिहार	115	9	58
5	छत्तीसगढ़	15	12	15
6	दिल्ली	10	1	2
7	गोवा	5	1	0
8	गुजरात	38	10	17
9	हरियाणा	111	35	26
10	हिमाचल प्रदेश	5	0	5
11	जम्मू और कश्मीर	17	4	9
12	झारखंड	45	6	31
13	कर्नाटक	157	17	72
14	केरल	40	12	14
15	मध्य प्रदेश	65	14	36
16	महाराष्ट्र	107	46	90
17	मणिपुर	9	0	1
18	मेघालय	2	0	1
19	मिजोरम	15	0	0
20	नागालैंड	5	0	2
21	ओडिसा	27	9	18
22	पंजाब	147	30	2
23	राजस्थान	81	0	55
24	सिक्किम	2	0	3
25	तमिलनाडु	76	34	65
26	त्रिपुरा	5	0	0
27	उत्तर प्रदेश	192	32	73
28	उत्तरांचल	23	2	1
29	पश्चिमी बंगाल	63	0	3
	संघ शासित प्रदेश			
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0
2	चंडीगढ़	3	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	1	0	3
4	दमन और दीव	1	2	0
5	लक्षद्वीप	0	0	0
6	पुडुचेरी	2	0	5
	समग्र योग	1440	295	639

विवरण–II

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों सहित खोले गए पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों की राज्य/संघ शासित प्रदेश–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आईओसी		बीपीसीएल		एचपीसीएल	
		आरओ+ एलपीजी	अ.जा./ अ.ज.जाति	आरओ+ए लपीजी	अ.जा./अ.ज. जाति	आरओ+ एलपीजी	अ.जा./ अ.ज.जाति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	301	31	201	44	442	93

1	2	3	4	5	6	7	8
2	अरुणाचल प्रदेश	3	2	0	0	0	0
3	असम	47	14	16	3	13	4
4	बिहार	258	15	137	7	126	21
5	छत्तीसगढ़	68	5	51	10	105	18
6	दिल्ली	3	0	7	0	6	0
7	गोवा	5	0	3	0	6	2
8	गुजरात	122	7	74	4	136	18
9	हरियाणा	186	12	57	9	159	15
10	हिमाचल प्रदेश	35	4	4	0	33	7
11	जम्मू और कश्मीर	41	5	12	4	20	9
12	झारखंड	78	3	66	0	75	10
13	कर्नाटक	320	22	151	14	250	54
14	केरल	63	16	58	19	86	35
15	मध्य प्रदेश	168	15	155	25	188	33
16	महाराष्ट्र	214	21	212	34	348	43
17	मणिपुर	8	4	0	0	0	0
18	मेघालय	11	10	5	3	3	2
19	मिजोरम	7	6	0	0	1	1
20	नागालैंड	7	6	0	0	1	1
21	ओडिसा	107	16	79	9	82	17
22	पंजाब	196	15	51	17	156	29
23	राजस्थान	210	17	99	8	195	24
24	सिक्किम	0	0	4	0	3	0
25	तमिलनाडु	340	33	214	27	281	50

1	2	3	4	5	6	7	8
26	त्रिपुरा	8	2	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	467	42	147	12	302	66
28	उत्तराचल	22	3	12	1	54	3
29	पश्चिम बंगाल	177	23	50	3	62	25
	संघ शासित प्रदेश						
1	अंडमान और निकोबार	2	0	0	0	0	0
2	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	2	0	0	0	4	1
4	दमन और दीव	2	0	0	0	4	0
5	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
6	पुडुचेरी	12	1	5	0	4	3
	समग्र योग	3491	350	1870	253	3145	584

विवरण–III

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को आबंटित पेट्रोल पंपों की राज्य/संघ शासित प्रदेश–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसी	योग
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	65	2	22	89
2	अरुणाचल प्रदेश	26	0	0	26
3	असम	35	3	1	39
4	बिहार	43	14	33	90
5	छत्तीसगढ़	19	2	10	31
6	दिल्ली	1	0	0	1
7	गोवा	0	0	2	2
8	गुजरात	29	2	26	57

1	2	3	4	5	6
9	हरियाणा	23	9	13	45
10	हिमाचल प्रदेश	15	0	17	32
11	जम्मू और कश्मीर	2	0	4	6
12	झारखंड	22	9	15	46
13	कर्नाटक	33	0	27	60
14	केरल	18	0	7	25
15	मध्य प्रदेश	21	9	18	48
16	महाराष्ट्र	36	20	32	88
17	मणिपुर	14	0	0	14
18	मेघालय	56	4	2	62
19	मिजोरम	5	0	1	6
20	नागालैंड	23	0	1	24
21	ओडिसा	52	14	18	84
22	पंजाब	31	9	31	71
23	राजस्थान	44	23	51	118
24	सिक्किम	2	0	0	2
25	तमिलनाडु	68	0	29	97
26	त्रिपुरा	2	0	0	2
27	उत्तर प्रदेश	5	6	12	23
28	उत्तरांचल	81	51	55	187
29	पश्चिम बंगाल	41	8	14	63
	संघ शासित प्रदेश				
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
2	चंडीगढ़	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
4	दमन एवं दीव	0	0	0	0
5	लक्षद्वीप	0	0	0	0
6	पुडुचेरी	3	0	1	4
	समग्र योग	815	185	442	1442

विवरण–IV

देश में अगले तीन वर्षों के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों की राज्य/संघ शासित प्रदेश और स्थल–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	188	144	105
2	अरुणाचल प्रदेश	3	3	0
3	असम	13	48	30
4	बिहार	144	90	185
5	छत्तीसगढ़	113	60	35
6	दिल्ली	4	15	3
7	गोवा	5	24	6
8	गुजरात	99	108	75
9	हरियाणा	154	81	205
10	हिमाचल प्रदेश	24	24	20
11	जम्मू और कश्मीर	19	27	20
12	झारखंड	68	54	35
13	कर्नाटक	267	120	60
14	केरल	40	60	35
15	मध्य प्रदेश	129	84	135
16	महाराष्ट्र	129	120	225
17	मणिपुर	3	0	0
18	मेघालय	4	6	3
19	मिजोरम	2	3	0
20	नागालैंड	2	0	0
21	ओडिसा	48	93	90
22	पंजाब	83	60	130
23	राजस्थान	129	105	130
24	सिक्किम	2	9	1
25	तमिलनाडु	187	144	145
26	त्रिपुरा	6	0	0
27	उत्तर प्रदेश	19	39	15
28	उत्तरांचल	280	189	205
29	पश्चिम बंगाल	76	90	95
	संघ शासित प्रदेश			
1	अंडमान और निकोबार	1	0	0
2	चंडीगढ़	0	0	0

1	2	3	4	5
3	दादरा और नगर हवेली	2	0	4
4	दमन और दीव	2	0	4
5	लक्षद्वीप	0	0	0
6	पुडुचेरी	5	0	4
	समग्र योग	2250	1800	2000

[हिन्दी]

नदी जल का उपयोग

553. श्री संजय सिंह :

श्री गोरखप्रसाद जायसवाल :

श्रीमती रमा देवी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों से समुद्र में बहने वाले अप्रयुक्त जल जो कि बाढ़ का भी एक कारण है के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार व्यर्थ होने वाले जल के इष्टतम उपयोग हेतु सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जल की उपलब्धता में मौसमी, भौगोलिक और वार्षिक अंतर तथा विशेषकर मानसून मौसम के दौरान जल के पर्याप्त भंडारण की कमी के कारण काफी मात्रा में जल अप्रयुक्त रह जाता है और समुद्र में बह जाता है। मौजूदा आकलन के अनुसार, देश में वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बीसीएम है। वर्ष 2009 में केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने अनुमान लगाया है कि लगभग 450 बीसीएम सतही जल का और वर्ष 2009 में केन्द्रीय जल बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि लगभग 243 बीसीएम भूमि जल का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। शेष जल समुद्र में बह जाना माना जा सकता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार, राज्य सरकारों को जल भंडारण को बढ़ाने तथा सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक प्रयोगों आदि के लिए जल के उपयोग हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में अब तक 253 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) भंडारण क्षमता सृजित की गई है। निर्माणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की कुल अनुमानित भंडारण क्षमता लगभग 51 बीसीएम है। इसके अलावा, राज्य सरकारों ने अन्वेषण और आयोजना हेतु विभिन्न अन्य स्कीमें अभिज्ञात की हैं। इन स्कीमों की अनुमानित भंडारण क्षमता लगभग 110 बीसीएम है।

[अनुवाद]

स्टेशनों का आधुनिकीकरण

554. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ :

श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

श्री पोन्नम प्रभाकर :

श्री दारा सिंह चौहान :

श्रीमती मेनका गांधी :

श्री पी. टी. थॉमस :

श्री ए. सम्पत :

श्री एस. पीताम्बर कुरूप :

श्री मोरोतराव सैनुजी कोवासे :

श्री पी. कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेशनों के आधुनिकीकरण विश्व स्तरीय और आदर्श स्टेशनों का निर्माण कार्य की स्थान और राज्य–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक आबंटित/व्यय की गई निधियों का स्टेशन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिन स्टेशनों पर उक्त कार्य पूर्ण हुआ है उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु चयन किए जाने के बावजूद जिन स्टेशनों पर अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ है उनका ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में विदेशी परामर्शदाताओं/कंपनियों और/अथवा निजी क्षेत्र से ली गई/ली जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना करने में की गई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन के लिए इस समय आदर्श स्टेशन योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए 845 स्टेशनों की पहचान की गई है। इनमें से 509 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित किया गया है तथा 336 स्टेशनों पर विकास के कार्य प्रगति पर हैं। जिन आदर्श स्टेशनों का काम पूरा हो गया है तथा जिन पर काम चल रहा है, की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/आधुनिकीकरण योजना शीर्ष यात्री सुविधाएं के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार तथा स्टेशन-वार धनराशि के आबंटन तथा खर्च का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, 2011-12 के दौरान योजना शीर्ष के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार धनराशि का आबंटन तथा खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है।

मौजूदा सरकारी मार्ग-निदेशों के अनुसार स्टेशनों के आसपास की भूमि तथा ऊपर वायु स्थान की रियल एस्टेट संभावना का लाभ उठाते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी 50 स्टेशनों की के जरिए विश्व स्तर के स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए पहचान की गई है। विश्व स्तर के स्टेशनों के स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए पहचान किए गए स्टेशनों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है। नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल (सीएसटी), मुंबई तथा पटना के लिए मास्टर योजना तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के लिए परामर्श कार्य शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में सार्वजनिक निजी भागीदारी में बोली प्रक्रिया शुरू करने से पहले आवश्यक प्रलेख तैयार करने में सहायता के लिए विदेशी तथा भारतीय परामर्श फर्म तैनात की गई हैं सिकंदराबाद, आनंद विहार (फेज-II), चंडीगढ़, बिजवासन, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद, सियालदह तथा चेन्नै सैंट्रल के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए भी कार्यवाई शुरू की गई है। अन्य स्टेशनों के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन की परियोजनाओं पर मुख्यतः निजी निवेश के माध्यम से विचार किया जाता है तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट और सलाहकार सेवाओं के लिए परामर्श तंत्र जैसे प्रारंभिक कार्यों के लिए ही सरकारी धनराशि अपेक्षित होती है जिसके लिए आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर धनराशि आबंटित की जाती है।

(च) रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के मुख्य उद्देश्य से रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लि. तथा मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरण रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर एल डी ए) के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। विशेष प्रयोजन योजना को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत समाविष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विवरण-I

आदर्श स्टेशनों की सूची जिनके काम पूरे हो गए है

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्टेशन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, आंनतपुर, बापतला, भोंगीर, चितूलर, धनपुर, गुडूर, गुंतकल जं., जामीकुंटा, काकीनाडा टाउन, काजीपेट, खम्मम, करनूल, टाउन, लिंगमपल्ली, महबूब नगर, नालगोण्डा, नंदयाल, नरसारोपेट, नेल्लोर, निजामाबाद, रामागुंडम, रेणिगुंटा, श्रीकाकुलम रोड, तंदूर, विकाराबाद, विजयानगरम जं., वरांगल, जाहीराबाद।
2.	असम	बदरपुर जं., बाशुगांव, बिजनी, गोसाईगांव हाट, होजाई, जखालाबंधा, जोरहाट टाउन, करीमगंज, जं., उत्तर रंगापाड़ा, सालाकाटी, सिलर, श्रीरामपुर, तिहू।

1	2	3
3.	बिहार	अनुग्रह नारायण रोड, अररिया कोर्ट, बिहार शरीफ, छपरा जं., जहानाबाद, मधुबनी, नौगछीया, पटना साहिब, रफीगंज, सासाराम जं., सीतामढ़ी, सुलतानगंज।
4.	छत्तीसगढ़	रायपुर, राजनांदगांव।
5.	गोवा	वास्को डी गामा।
6.	गुजरात	दाहोद, हिम्मतनगर, जामनगर, कोसाम्बा, ओखा, उना।
7.	हरियाणा	अम्बाला कैंट, भिवानी, कालानूर, कोशली, सिरसा।
8.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर।
9.	झारखंड	बौरिया जं., चितरंजन, गोमो जं., माधोपुर जं., पारसनाथ, साहिबगंज, टाटानगर।
10.	कर्नाटक	बीदर, चामराज नगर, गुलबर्गा, हुबली, होण्डा जं., वादी।
11.	केरल	अलपुझा (एलेप्पी), अलुवा, अंबलापुझा, अंगमाली, बडगरा (वडकरा), चालकुडी, चांगनस्सेरी, चेंगानूर, चेरथला (शेरतलई), धनुवचपुरम, हरिपद, जग्गनाथ टैंपल गेट, कांजीरमीत्तीन, कण्णूर, करूनागप्पल्ली, करूवटा, कसरगोड, कायनकुलम जं., कोचुवेली, कोट्टायम, मवेलीकरा, ओचिरा, पट्टिक्कड, पीरवम रोड, क्यिलंडी, सस्थानकोट्टा, थलस्सेरी, तिरूर, तिरूवल्ला, तिरूविझा, वयलार।
12.	मध्य प्रदेश	अशोक नगर, छिंदवाड़ा, जं., इटारसी, मैहर, रतलाम, सतना, सौगोर, शहडोल।
13.	महाराष्ट्र	अंधेरी, बांद्रा, बेलापुर, भंडुप, भयांदर, बोरीबली, चेम्बूर, चिंनचवाल, कोरि रोड, दादर (मरे), दादर (परे), दहानु रोड, देवली, डॉकायार्ड रोड, डोमबीवली, डोंगरगढ़, घाटकोपर, गोरेगांव, करजत, कसारा, खाद की, किंग सर्कल, कुर्ला, लातूर, मलाड, माटंगा, मिरा रोड, मिराज, मुलुंड, मुंबई (चरनी रोड), मुंबई (चर्चगेट), मुंबई (मेरीन लाइन), मुंबई सैंट्रल (ल), नयागांव, नासिक रोड, प्रभानी, परली बैजनाथ, पुणे, सांगली, सनपदा, सांताक्रुज, सफला, सेवरी, शिवाजीनगर, शोलापुर, तिलक नगर, तुर्भे, एपीएम कौम्प्लेक्स, उल्हासनगर, वनगांव, वाशी, विरार, विश्रामबाग, बर्धा।
14.	ओडिसा	बगनान, बेलंगीर, बेलूगांव, बारगढ़ रोड, बेलपहाड़, धेनकेनल, हैर, जाजपुर क्योंझर रोड, झारग्राम, कांटाबंजी, किसिंगा खरियर रोड, खुर्दा रोड जं., कोरापुट, मुनीगुडा, पुरुलिया जं., रायगडा, टिटलागढ, जं.

1	2	3
15.	पंजाब	अबोहर, फरिदकोट, गुरुदासपुर।
16.	राजस्थान	अलवर, बाड़मेर, चितौड़गढ़, जं., छोटी खाटू, दौसा, जैसलमेर, जलो, जोधपुर, लालगढ़ जं., नोखा, सवाई माधोपुर जं.
17.	तलिनाडु	अवाडी, चेन्नै जं., चेन्नै चेटपट, चेन्नै पार्क, क्रोमेपेट, कोरेक्कुपेट, कुंबकोण्णम, मनवुर, नागापट्टनम, पेरम्बूर कैरिज डब्लयूकेएस, सेनजीपनकंबकम हाल्ट, सेंट थॉमस माऊंट, तांबरम, तिरूचिरापल्ली जं., तिरूनिरवयुर, तिरूवलंगडु, तिरूवल्लुर, तिरूवरूर,तूतीकोरिन।
18.	उत्तर प्रदेश	अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरहनी, बस्ती, बिलासपुर, बिलासपुर रोड, बिल्होर, बुरहवल, चंदौली मझवार, चंदौसी जं., चौरी–चौरा, धपसौरा, फरुखाबाद, गोंडा जं., ललितपुर, मऊ जं, मुगलसराय, नौगढ़ (सिद्धार्थ नगर), प्रतापगढ़ जं, पीलीभीत जं., प्रयाग, सलेमपुर जं., सिकोहाबाद जं, सीतापुर, सुलतानपुर।
19.	उत्तराखंड	कोटद्वार, रामनगर, ऋषिकेश।
20.	पश्चिम बंगाल	आदि सप्तग्राम, आद्रा जं, अगरपाड़ा, अहमदपुर, अकरा, अलीपुरद्वार, अलीपुरद्वारा कोट, अलीपुरद्वारा जं., अलुआबाडी रोड, अंबिका कलना (कलना), अम्ता, अंदुल जं., अरंघटा, आसनसोल जं., अजीमगंज सीटी, बीबीडी बाग,बदकुल्ला, बंगबाजार, बाघजनित, बैद्यबती, बालासोर, बालीचक, बालीगंज, बालूघाट, बामनग्राम हाल्ट, बामनहाट, बानरहाट, बंडेल जं, बनेश्वर, बांकुरा, बानपुर, बांस बेरिया, बांसपानी, बाराकर, बारानगर रोड, बर्धमान, बरगछिया, बराकपुर, बरूईपारा, बसीरहाट, बतासी, बेगमपुर, बेलाकोबा, बेलनगार, बेलारहाट, बेलघोरिया, बेलूर, बेलूरमठ, बेहरामपुर कोट, बेथुदहरी, भुद्रेश्वर, भासीला, भटर, विधानगर रोड, बिमान बंदर, बिरा, बिराती, बीरनगर, बिरशीदपुर, बोलपुर, बोनगांव जं., ब्रास ब्रिज, बज बज, बड़ाबाजार, केन्निग, चकदा, चक्रधरपुर, चांपा पुकुर, चांपाहाटी, चांदनगर, चांदपाड़, चंद्रकोण रोड, चंगराबंधा, चास रोड, चत्तेरहाट, चेंगेल, छटना, चुचुरा, कोंटई रोड (बेलदा), कूचबिहार, दक्षिणेश्वर, दालकोल्हो, दानकुनी जं., डांटन, देबग्राम, देवला, डेउल्टी, धकुरिया, धनियाखली, धपधापी, धुलबाड़ी, धूपगिरी, डायमंड हार्बर रोड, दिनहांटा, डोमजुर, दमदम कैंट दमदम जं., दुर्गानगर, दत्तापुकुर, ईडन गार्डन, एकलाखी, गंगनापुर, गरेटा, गरिया, गेडे, घोक्सडांगा, घूम, घुटियारी शरीफ, गोबोरडांगा, गोपालनगर, गौरीनाथधाम, गुमा, गुप्तिपाड़ा, गुस्करा, हबीबपुर, हब्रा, हल्दीबाड़ी, हलीशहर, हरीपल, हरूआ रोड, हसनाबाद, जांगीपुर रोड, झरसुगुडा रोड़, झारसुगुडा जंक्शन, जियागंज, हिजली, हूगली, इच्छापुर, जबलपुर, जगद्दाल, जलेश्वर, जलपाईगुड़ी, जीरट, जॉयनगर मलिपुर, काकद्वीप, कर्लगुंडा, कलचिनी, कलिकापुर, कालीनारायणपुर,

1	2	3
		कल्याणी घोषपारा, कल्याणी सिलपंचाल, कल्याणपुर, कामख्यागरी, कमरकुंडु जं., कांचरापाड़ा, कंकीनाड़ा, काशीनगर हाल्ट, कटवा जं., खाना जं., खारदाह, किरणहार, कोलाघाट कोचिंग, कोन्नगर, कोटशिला, कृष्नगर सिटी जं., कुलगछिया, कुल्टी, लेक गार्डन, लक्ष्मीकांतपुर, लालगोला, लिलुआ, मदनपुर, मदारीहाट, मध्यमग्राम, मगरहाट, महिषादल, माझेरग्राम, माल्दा कोर्ट, माल्दा टाउन (मल्लिकपुर, मनकुंडु, मसग्राम, मसलंदपुरर, माटीगरा, मेचेदा, मेमेरी, मिदनापुर, मौरीग्राम, मुरगच्चा, मुर्शिदाबाद, नबाबद्वीपधाम, नगरकटा, नैहाटी जं., नलीकुल, नमखना, नारायण पकुरिया, मुरैल, नसीबपुर, नेत्रा, न्यू अलीपुर (कोलकाता), न्यू बराकपुर, न्यू दोमोहनी, न्यू फरक्का, न्यू मयनागुड़ी, निश्चंदीपुर मार्केट, ओल्ड माल्दा, पागलचंदी, पलपारा, पल्टा, पंडूआ, पंजीपाड़ा, पंसकुड़ा जं., पार्क सर्कस, पतिपुकुर, फुलेश्वर, फुलिया, प्लॉसी, प्रिंसपघाट, पूरबस्थली, राधामोहनपुर (देबरा), रायगंज, रामपुरहाट, राणाघाट जं., रानीगंज, रसुलपुर, रिशरा, राऊरकेला, सैंथिया जं, समीस, समुद्रगढ़, संग्रामपुर हाल्ट, संतलडीह, संतोषपुर, शक्तिगढ़, शांतिपुर जं., शिवराफुल्ली जं., श्यामनगर, सिलीगुड़ी, जं, सिमरौली, सिंगुर, सीतारामपुर, जं., सिऊरी, सिवोक, सोदेपुर, सोनामुखी, सोनारपुर जं., श्रीरामपुर (एच), सुभाषग्राम, सूर्यापुर, टाकी रोड, ताला, तमलुक, तारकेश्वर, तारापीठ रोड, ठाकुरनगर, टिकियापाड़ा, टीटागढ़, टालीगंज, त्रिवेणी, उलुबेरिया, उत्तरपाड़ा।

आदर्श स्टेशनों की सूची जिनके कार्य प्रगति पर हैं :

1.	आंध्र प्रदेश	अलेर, बोब्बिली, द्वारापुडी, गुंटूर, हिंदुपुर, जनगांव, कमररेड्डी, करीम नगर, मल्काजगिरी, रघुनाथपल्ली, शंकरपल्ली।
2.	असम	बारपेटा रोड, फकीरग्राम, गोरेश्वर, रंगिया, रोवता बागान, टांगला, टिपकई, उदलगुरी
3.	बिहार	अभयपुर, आरा, बैरगनिया, बरौनी, बरसोई जं., भागलपुर, जमालपुर, कहलगांव, किशनगंज, मानसी, शाहपुर पटोरी, थानाबिहपुर
4.	छत्तीसगढ़	महासमुंद, अंबिकापुर, चंपा, चिरमिरी, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, रायगढ़
5.	दिल्ली	दिल्ली किशनगंज, सब्जी मंडी।
6.	गुजरात	गांधीग्राम, खंभलिया, मणिनगर, नवसारी, न्यू भुज, साबरमती, उधना, तुरंत।
7	हरियाणा	बहादरुगढ़, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक जं., सोनीपत।
8.	हिमाचल प्रदेश	ज्वालाजी (ज्वालामुखी रोड)
9.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ

1	2	3
10.	झारखंड	चंद्रपुर, जगदीशपुर, फुसरो
11.	कर्नाटक	बागलकोट, चिकबल्लपुर, चिंतामणि,देवनहल्ली, डोडबलापुर, गडग, गौरीबिदानुर, गोकक रोड, कोलार, कोप्पल, नंजनगुडटाउन, सांबरे, सिदलघट्टा, श्रीनिवासपुरा, येलाहंका जं.
12.	केरल	एट्टुमनुर, कोट्टारकरा, कुरूप्पंतर, मरईकुलम, मुलंतुरुत्ती, नीलांबर रोड, पय्यनौर, पुनलुर, वाकिम रोड, वेल्लरक्कड, वाकंचेइर
13.	मध्य प्रदेश	अनूपपुर, बिओरा, राजगढ़, घटेरा, (पथरिया), जबलपुर, कटनी, मुरवारा, मरकोनिया, मेघनगर, मुलताई, पथरिया, रूथियाई, शिवपुरी, सिंगरौली, उमरिया।
14.	महाराष्ट्र	अजनी, अंबरनाथ, दहिसर, दिवा, गंगाखेड, हिंगोली, कलमेश्वर, कैम्पटी, काटोल, खोपोली, कॉपरगांव, लोअर परेल, नागरसोल, नाहुर, नंदुरबार, नरखेड़, पांधुर्ना, पनवेल, रामटैक, शिर्डी, उदयगिर, उमरेर
15.	नागालैंड	दीमापुर।
16.	ओडिसा	अंगुल, बारीपदा, भद्रक, डोइकल्लु, जखापुरा, लांजीगढ़ रोड, लपंगा, मेरमंडोली, पारादीप, रघुनाथपुरा, रेंगाली, तालचेर।
17.	पुडुचेरी	माहे
18.	पंजाब	बरनाला, धुरी, होशियारपुर, लहरगागा, मलेरकोटला, मोगा, संगरूर, सोहावाल, सुनाम, तापा, तरनतारन
19.	राजस्थान	चुरू, धौलपुर, रतनगढ़, रिंगस, सादुलपुर, तहसील भद्र।
20.	तमिलनाडु	मइलादुतुराई, नागौर, पुडुकोट्टई, राजपलयाम, सलेम, संकरनकोइल, श्रीरंगम, श्रीविल्लीपुतुर, तेनकासी, तिरूप्पुर, विरूधनगर वृद्धाचलम जं.
21.	उत्तर प्रदेश	आचार्य नरेंद्र देव, अचनेरा, अलीगढ़, अतर्रा, बहराइच, बालामऊ, बारागांव, भदाइयान, भरवारी, चित्राकूट, धाम कार्वी, चोल, दरियाबाद, देवरिया सदर, मिलाप, दिलदार नगर, फतेहपुर, फतेहपुर, सीकरी, फिरोजाबाद, गौरा, हरदोई, जौनपुर कालपी, खजुराहो, खलीलाबाद, खुर्जा जं., किरोली, कुंदा हरनाम गंज, मानिकपुर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, मिर्जापुर, मोठ, नैमिषारण्य, उरई, परतापुर, पतरंगा, फूलपुर, पोखरयन, रूदौली सकोटी टांडा, संडिला, शाहगंज, सिराथु, सीतापुर कैंट, टूंडला।
22.	उत्तराखड	काठगोदाम।

1	2	3
23.	पश्चिम बंगाल	अंबलग्राम, अनारा, अंदल, अशोनगर रोड, अजीमगंज जं., बागडोगरा, बगुला, बहादरुपुर, बहारू, बहीरगच्ची, बहीरपुया, बक्राबाद, बालागढ़, बलरामाती, बलगोना, बल्लारपुर, बल्ली, बल्लीघाट, बामनगाछी, बांकापासी, बंकिमनगर, बांसतला, बाराभूम, बारसात जं., बासुदेवपुर, बसुलडांगा, बथनार्किट्टिबा, बेलदगा, बेलियाघटा रोड, बेलियातोरे, बेतबेरिया घोला, भगवानगोला, भेदिया (औसग्राम), भीगढ़, बिद्याधरपुर, बिश्नुपुर, बोइंची, वृंदावनपुर, बुनियादपुर, बर्नपुर, चमाग्राम, चंचई, चंदनपुर, चतरा, चौरीगाचा, दैनहाट, दार्जिलिंग, दासनगर, धत्रीग्राम, धुबुलिया, दुबराजपुर, दुमुदहा, दुर्गाचक, फलकाटा, गदाधरपुर, गल्सी, गजोल, घोरगटा, गिधनी, गिरि मैदान, गोबरा, गोकुलपुर, गुरप, हरिशचंद्र पुर, हरीशदापुर, हसीमारा, हिंदमोदर, होटर, हृदयपुर, जलपाईगुड़ी रोड, जमुरिया, जनई रोड, जेस्सोर रोड, झांटीपहाड़ी, जॉयचांदीपहाड़, कैईकला, कालीनगर, कालियागंज, कंथी, खगरघाट रोड, खलतीपुर, खेमसुली, खिडिरपुर, कोडलिया–बिसोरेपाड़ा, कुल्पी,लाबपुर, लोहापुर, लोकनाथ, मधुसुदनपुर, मझदिया, मालतीपुर, मणिग्राम, मोल्लारपुर, मुररै,नबाबद्वीप घाट, नबग्राम, नंदकुमार, नारायणगढ़, नरेंद्रपुर, नेकुरसेनी, न्यू अलीपुर, न्यू कूच बिहार, पल्ला रोड सड़क, पलसिट, पानागढ़, पांडवेश्वर, पटुली, पिरताला, प्रांतिक, राजबांध, राजगोडा, रामराजताला, रिमाउंट रोड, रूपनारायणपुर, सागरदीघी, सालनपुर, सालार, सालबोनी, संकरेल, सरदीह, शालीमार, सिली, सिमलागढ़, सोनादा, सुकना, तलडी, तलित, तिलडांगा।

विवरण–II

चालू वर्ष 2011–12 के दौरान योजना शीर्ष–'यात्री सुविधाएं' के अंतर्गत आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार है :

करोड़ रुपए में

रेलवे	आबंटन	व्यय (जनवरी, 12 तक)
1	2	3
मध्य रेलवे	60.46	47.12
पूर्व रेलवे	141.39	108.71
पूर्व मध्य रेलवे	83.92	30.92
पूर्व तट रेलवे	30.88	16.29
उत्तर रेलवे	85.25	63.27
उत्तर मध्य रेलवे	81.68	41.08
पूर्वोत्तर रेलवे	25.12	13.79
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	50.21	52.62
उत्तर पश्चिम रेलवे	22.07	13.89
दक्षिण रेलवे	54.90	49.78
दक्षिण मध्य रेलवे	124.17	90.77
दक्षिण पूर्व रेलवे	71.79	34.32
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	81.29	39.15
दक्षिण पश्चिम रेलवे	41.87	27.72
पचिश्म रेलवे	79.41	54.81

1	2	3
पश्चिम मध्य रेलवे	38.99	22.23
मेट्रो रेलवे	25.10	8.76
जोड़	1100.50	715.23

विवरण–III

विश्व श्रेणी स्टेशनों के रूप में विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	राज्य	विश्व श्रेणी स्टेशन
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	सिकंदराबाद, तिरूपति
2	असम	गुवाहाटी
3	बिहार	गया, पटना
4	दिल्ली	आनंद विहार, बिजवासन, नई दिल्ली
5	गोवा	गोवा
6	गुजरात	अहमदाबाद, पोरबंदर, सूरत
7	हरियाणा	अंबाला कैंट
8	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
9	कर्नाटक	बैयपनहल्ली,बंगलूरू सिटी, मंगलोर
10	केरल	एरणाकुलम, कोझिकोडे (कालीकट), तिरूवनंतपुरम
11	मध्य प्रदेश	भोपाल, हबीबगंज
12	महाराष्ट्र	मुंबई सीएसटी, नागपुर, पुणे, थाणे
13	ओडिसा	भुवनेश्वर, पुरी
14	पंजाब	अमृतसर, लुधियाना
15	राजस्थान	अजमेर जं., जयपुर, कोटा
16	तमिलनाडु	चेन्नई सेंट्रल
17	उत्तर प्रदेश	आगरा कैंट, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, सेंट्रल, लखनऊ, मथुरा, वाराणसी
18	पश्चिम बंगाल	बोलपुर, कोलकाता, हावड़ा, खड़गपुर, माजेरहाट, न्यू जलपाईगुड़ी, सियालदह
19	संघ शासित प्रदेश	चंडीगढ़

[हिन्दी]

न्यायाधीशों की कमी

555. **डॉ. संजय जायसवाल :**

कुमारी सरोज पाण्डेय :

श्री हमदुल्लाह सईद :

श्री सी.आर. पाटिल :

श्री रामसिंह राठवा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में रिक्त पड़े पदों की राज्य–वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) रिक्त पदों को अब तक नहीं भरने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) 09.03.2012 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या और रिक्त स्थानों को दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है। 30.06.2011 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में

न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या तथा रिक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित तारीख 6 अक्तूबर, 1993 निर्णय के अनुसरण में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की प्रक्रिया संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होती है और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आरंभ करने की प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होती है। इस व्यवस्था में बड़ी संख्या में पद रिक्त हो चुके हैं क्योंकि सरकार को इन पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। सरकार, विद्यमान रिक्तियों को और साथ ही उच्च न्यायालयों में अगले छह मास में प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए समय से प्रस्तावों को आरंभ करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को आवधिक रूप से स्मरण कराती रही है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में निहित होता है।

विवरण–I

09.03.2012 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या और रिक्तियों की संख्या

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्तियां
1	2	3	4
क	उच्चतम न्यायालय	31	6
ख	उच्च न्यायालय		
1	इलाहाबाद	160	85
2	आंध्र प्रदेश	49	17
3	बम्बई	75	13
4	कलकत्ता	58	21
5	छत्तीसगढ़	18	6
6	दिल्ली	48	12
7	गुवाहाटी	24	1
8	गुजरात	42	14
9	हिमाचल प्रदेश	11	0
10	जम्मू–कश्मीर	14	7
11	झारखंड	20	8
12	कर्नाटक	50	10
13	केरल	38	4
14	मध्य प्रदेश	43	9
15	मद्रास	60	7
16	ओडिशा	22	7
17	पटना	43	7
18	पंजाब और हरियाणा	38	25
19	राजस्थान	40	13
20	सिक्किम	3	1
21	उत्तरांचल	9	1
	कुल योग	895	268

विवरण–II

न्यायालय समाचार जुलाई – सितंबर 2011

(ग) जिला और अधीनस्थ न्यायालय (30.06.2011 को)

क्रम सं.	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या	रिक्तियां
1	2	3	4	5
1	उत्तर प्रदेश	2104	1897	207
2	आंध्र प्रदेश	930	816	114
3क	महाराष्ट्र	2012	1818	194
3ख	गोवा	49	42	7
3ग	दीव, दमण और दादरा और नगर हवेली	7	5	2
4क	पश्चिम बंगाल	932	786	146

1	2		3	4
5	छत्तीसगढ़	262	241	21
6	दिल्ली	623	470	153
7	गुजरात	1679	863	816
8	असम	346	252	94
8ख	मेघालय	36	6	30
8ग	त्रिपुरा	92	63	29
8घ	मणिपुर	33	26	7
8ङ	नागालैंड	28	23	5
8च	मिजोरम	65	31	34
8छ	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0
9	हिमाचल प्रदेश	132	119	13
10	जम्मू–कश्मीर	207	187	20
11	झारखंड★	498	419	79
12	कर्नाटक	945	790	155
13क	केरल	434	398	36
13ख	लक्षद्वीप	3	2	1
14क	तमिलनाडु	842	768	74
14ख	पुडुचेरी	20	13	7
15	मध्य प्रदेश	1313	1164	149
16	ओडिसा	623	520	103
17	बिहार★★	1666	985	681
18क	पंजाब	426	380	46
18ख	हरियाणा	476	364	112
18ग	चंडीगढ़	20	20	0
19	राजस्थान	922	753	169
20	सिक्किम	13	9	4
21	उत्तराखंड	268	142	126
	कुल योग	18008	14374	3634

★ उपरोक्त विवरण को उच्च न्यायलयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।

★ त्वरित निपटान न्यायालयों की स्कीम (स्वीकृत पद–89) 31.03.2011 को समाप्त हो गई है।

★★ ए.डी.जे. बाह्य काडर के 219 पदों को हाल में सृजित किया गया है।

[अनुवाद]

नयी रेल लाइन परियोजनाएं

556. **श्री महेंद्र कुमार राय :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक राज्य–वार देश में चल रही नई रेल लाइन परियोजनाओं के परियोजनाओं की मंजूरी तिथि, प्रारंभ करना प्रारंभिक अनुमानित लागत तथा वर्तमान अनुमानित लागत सहित नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं हेतु आंवटित/व्ययित धनराशि का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के लिए निर्धारित की गई समय–सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

557. **श्री रघुवीर सिंह मीणा :**

श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद–हिम्मतनगर–उदयपुर मार्ग पर आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक आबंटित/व्ययित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के समय पर पूरे होने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) अहमदाबाद–हिम्मतनगर–उदयपुर खंड (299.20 किमी) के आमान परिवर्तन का कार्य शुरू कर दिया गया है। हिम्मतनगर–उदयपुर खंड (211.95 किमी) के विस्तृत अनुमान और मोडसा–सामलाजी खंड (22.53 किमी) के लिए आंशिक अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। इन खंडों के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं। उदयपुर–हिम्मतनगर खंड पर मिट्टी, पुल संबंधी कार्य और गिट्टियों के संग्रह से संबंधित कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इस परियोजना के लिए वर्ष 2011–12 के लिए 40 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परियोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है।

तेल कंपनियों को राजसहायता

558. **डॉ. भोला सिंह :**

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

श्रीमती जे. शांता :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेट्रोलियम कंपनियों एवं अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को दी गई राजसहायता या सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उसी अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों से कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ है;

(ख) कंपनियों को तेल मूल्यों में वृद्धि करने का अधिकार प्रदान करने के बाद सहायता देने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या तेल कंपनियां एक तरफ तो सहायता प्राप्त कर रही हैं वहीं दूसरी ओर वे स्वतंत्र रूप से बार–बार तेल की कीमतों में वृद्धि कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस असंगति को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) पेट्रोलियम कंपनियों तथा सरकार द्वारा रसोई गैस, पेट्रोल तथा डीजल जैसे किरोसीन एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर उपभोक्ताओं को कितनी राजसहायता दी गई है; और

(च) पेट्रोलियम मूल्यों को विनियमित एवं निर्धारित करने के लिए क्या प्रविधि अपनाई गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों पर करों और शुल्कों से केन्द्रीय राजकोष में अंशदान की तुलना में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को प्रदान की गई सहायता का वर्ष 2008–09 से ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु.)

	2008–09	2009–10	2010–11
पेट्रोलियम उत्पादों पर कर/शुल्कों के कारण केन्द्रीय राजकोष में अंशदान (क)	71,190	78,443	1,03,580
सरकार द्वारा ओएमसीज को भुगतान			
सरकार द्वारा ओएमसीज की अल्पवसूलियों के लिए तेल बांड/नकद सहायता	71,292	26,000	41,000
पीडीएस एसकेओ और घरेलू एलपीजी पर राजसहायता	2,688	2,770	2,904
पीडीएस एसकेओ और घरेलू एलपीजी पर भाड़ा राजसहायता	22	22	22
उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए गैस राजसहायता	142	159	445
ओएमसीज को कुल भुगतान (ख)	74,144	28,951	44,371
केन्द्रीय राजकोष में निवल अंशदान (क–ख)	–2954	49,492	59,209

(ख) से (घ) डा. किरीट एस. पारिख की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों के आलोक में, सरकार द्वारा 26 जून, 2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया गया है। तब से अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार परिस्थितियों के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण के लिए ओएमसीज उचित निर्णय लेती हैं। बाजार निर्धारण मूल्य के कार्यान्वयन के बाद भी ओएमसीज अपनी अल्पवसूली के एक भाग को शामिल करके सुरक्षित तरीके से पेट्रोल के मूल्य संशोधित करती रही हैं।

तथापि, बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के स्फीतिकारी प्रभाव से उपभोक्ता की रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) निरंतर घटाती-बढ़ाती रहती है। इसलिए इन उत्पादों के वर्तमान मूल्य उनके अपेक्षित बाजार मूल्य से नीचे हैं और परिणामस्वरूप ओएमसीज को अल्पवसूली हो रही है। 07 मार्च, 2012 से लागू रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के अनुसार ओएमसीज डीजल की बिक्री पर 12.17 रुपए/लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल की बिक्री पर 28.66 रुपए/लीटर और घरेलू एलपीजी के 14.2 किलोग्राम के प्रति सिलिंडर पर 439.00 रुपए की अल्प-वसूली झेल रही हैं। ओएमसीज द्वारा वहन की जा रही अल्पवसूलियों की सरकार द्वारा अनुमोदित भार हिस्सेदारी व्यवस्था के तहत प्रतिपूर्ति की जा रही है।

इसके अलावा, 25 जून, 2011 के बाद से डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में कोई संशोधन नहीं किए गए हैं। 4 नवम्बर, 2011 के बाद पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। किंतु अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में कमी होने के कारण 16 नवम्बर और 1 दिसम्बर, 2011 को दो बार ओएमसीज द्वारा पेट्रोल के मूल्य में कमी की गई है।

(ङ) 'पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002' के तहत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राजसहायता और डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर ओएमसीज द्वारा वहन की गई अल्प-वसूलियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

विवरण	डीजल	पीडीएस मिट्टी तेल	घरेलू एलपीजी
	रु. प्रति लीटर		रु. प्रति सिलेण्डर
'पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002' के तहत राजसहायता	शून्य	0.82	22.58
ओएमसीज द्वारा वहन की गई अल्पवसूली*	12.17	28.66	439.00
उपभोक्ता को कुल राजसहायता	12.17	29.48	461.58

*7 मार्च, 2012 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्य (आरजीपी) पर आधारित।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, चूंकि 26 जून, 2010 से पेट्रोल के मूल्य बाजार निर्धारित किए गए हैं, पेट्रोल की बिक्री पर ओएमसीज को कोई राजसहायता/अल्प-वसूली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

(च) ओएमसीज पेट्रोल/डीजल की खरीद के लिए व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) और पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात समता मूल्य (आईपीपी) रिफाइनरियों को अदा करती हैं। आईपीपी/टीपीपी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के लिए संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों के वांछित खुदरा बिक्री मूल्यों की गणना, अंतर्देशीय भाड़ा, विपणन मार्जिनों और रिफाइनरी को अदा किए गए मूल्य के लिए शुल्कों व करों को शामिल करके की जाती है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस विकास केंद्र की स्थापना

559. **श्री पी. करूणाकरन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस स्पर लाइन बिछाने तथा

प्राकृतिक गैस विकास केंद की स्थापना करने का निर्णय किया है.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लोगों को भरोसा दिलाने के साथ–साथ उन्ह पर्याप्त मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं चूंकि गैस स्पर लाइन घनी आबादी वाले क्षेत्रों एवं खेतों से होकर गुजरती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) वर्तमान में प्राकृतिक गैस विकास केंद्र स्थापितकरने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश में प्राकृतिक गैस परिवहन के बुनियादी ढांचे के विस्तार सहित गैस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के माध्यम से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन किया गया है। बोर्ड अन्य बातों के साथ–साथ देश में प्राकृतिक गैस पाइपलान नेटवर्क के विस्तार हेतु प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइनों के निर्माण करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) इसलिए गैस पाइपलाइनों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन और प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाती है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

560. **श्री हरिन पाठक** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत राज्य–वार कितना अनुदान प्रदान किया गया तथा अनुदान का कितना उपयोग किया गया है;

(छ) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और राशि की मांग की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) सरकार ने विभिन्न चालू कार्यक्रमों/योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो योजना (पीएमआरडीएफएस), समेकित वाटरशेड कार्यक्रम आदि के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का कार्य शुरू किया है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कार्यक्रम की निगरानी एवं समीक्षा की एक व्यापक प्रणाली तैयार की है जिसमें एसजीआरवाई/मनरेगा शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आवधिक प्रगति रिपोर्ट, निष्पादन समीक्षा समिति, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्र स्तरीय निगरानी कर्ता तथा राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी शामिल हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम चरण–I में फरवरी, 2006 से (राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के 150 जिलों सहित) 200 निर्धारित जिलों में लागू किया गया था। इस तारीख से एनएफएफडब्ल्यूपी को मनरेगा में मिला दिया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक और एक कार्यक्रम जो देश के सभी जिलों में चालू कार्यान्वित किया जा रहा था, को भी 1.4.2006 से 200 निर्धारित जिलों में मनरेगा के अंदर मिला दिया गया था। 1.4.2007 से चरण–II में मनरेगा के अंतर्गत 130 अतिरिक्त जिलों को कवर किया गया था तथा 1.4.2008 से शेष सभी ग्रामीण क्षेत्रों को अधिनियम के अंतर्गत कवर किया गया था। इस तरह 1.4.2008 से एसजीआरवाई को बंद कर दिया गया है।

(च) से (ज) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

561. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री राजेन गोहैन :
डा. के.एस. राव :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार देश में राज्य-वार/स्थान-वार कितने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसयू) रुग्ण हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को हुए लाभ/हानि का राज्य-वार/वर्ष-वार तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बन्द हुए या बन्दी के कगार पर खड़े केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य-वार/सीपीएसयू-वार संख्या कितनी है;

(घ) कितने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनरुद्धार हेतु लोक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड के पास भेजा गया है;

(ङ) विनिवेश हेतु प्रस्तावित सीपीएसयू की संख्या क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पिछले कुछ माह के दौरान कुछ सीपीएसयू ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सीपीएयू के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) बीआरपीएसई की परिभाषा के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को तब रुग्ण माना जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष में उसका संचित घाटा उस वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती 4 वर्षों के औसत मूल्य के 50% के तुल्य या उससे अधिक हो जाता है। लोक उद्यम सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में ऐसे 69 उद्यम रुग्ण थे ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) लोक उद्यम सर्वेक्षण (2009-10) के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की संख्या 249 थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों की राज्य-वार सूची तथा गत 3 वर्षों (2009-10, 2008-09 तथा 2007-08) के दौरान लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में है।

(ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2009-10, 2008-09 तथा 2007-08 संसद के क्रमेण प्रस्तुत किए गए थे और इनमें उपलब्ध जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सिर्फ 5 उद्यमों को बंद किया गया था। इनका ब्यौरा निम्नवत है :-

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम	बन्द करने का वर्ष
1	इंडियन ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2009-10
2	ब्रशवेयर लिमिटेड	2008-09
3	पायराइट्स, फॉस्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	2007-08
4	नेशनल इन्स्ट्रूमेण्ट्स लिमिटेड	2007-08
5	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	2007-08

(घ) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2009-10 के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 64 उद्यमों का मामला पुनरुद्धार हेतु बीआरपीएसई को सौंपा गया था। सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) विनिवेश का निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर गुणावगुण के अनुसार किया जाता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम की इक्विटी संरचना, वित्तीय क्षमता, कोष अपेक्षाएं तथा प्रचालन क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं।

(च) और (छ) लोक उद्यम विभाग सिर्फ नीतिगत दिशानिर्देश जारी करता है जिसे केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से कार्यान्वित किया जाना होता है एवं लोक उद्यम विभाग इन उद्यमों के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं होने संबंधी आंकड़े एकत्र नहीं करता है।

(ज) सरकार ने दिसम्बर, 2004 में एक परामर्शी निकाय के रूप में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना की थी जिसे अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के रुग्ण/घाटा उठाने वाले उद्यमों के पुनरुद्धार व पुनर्गठन के बारे में परामर्श देने का कार्य सौंपा गया था। कार्य निष्पादन में सुधार हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों एवं केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा उद्यम-सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय पुनर्गठन, व्यापारिक पुनर्गठन तथा श्रमशक्ति का तर्कसंगतिकरण शामिल है।

विवरण-I

दिनांक 31.03.2010 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों की सूची

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	शहर/राज्य जिसमें केन्द्रीय सरकारी उद्यम का पंजीकृत कार्यालय स्थित हैं
1	2	3
1	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	जयपुर (राजस्थान)
2	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
3	एचएमटी बीयरिंग्स लि.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
4	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	बेल्लारी (कर्नाटक)
5	नागालैण्ड पल्प पेपर कं. लि.	तुली (नागालैंड)
6	नेपा लि.	नेपानगर (मध्य प्रदेश)
7	रिचर्डसन एंड क्रूडास लि.	मुंबई (महाराष्ट्र)
8	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	बंगलौर (कर्नाटक)
9	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
10	भारत हैवी प्लेट एंड वेसेल्स लि.	विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)
11	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
12	एचएमटी वाचेज लि.	बंगलौर (कर्नाटक)
13	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	कोटा (राजस्थान)
14	एन्ड्रयू यूले एंड कं. लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
15	एचएमटी लि.	बंगलौर (कर्नाटक)
16	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
17	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

1	2	3
18	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कार्पो. लि.	ऊटकमंड (तमिलनाडु)
19	सांभर साल्ट्स लि.	जयपुर (राजस्थान)
20	स्कूटर्स इंडिया लि.	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
21	बड्र्स, जूट एंड एक्सपोर्ट लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
22	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	कानपुर (उत्तर प्रदेश)
23	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लि.	दिल्ली
24	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
25	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	कानुपर (उत्तर प्रदेश)
26	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	मनाली (तमिलनाडु)
27	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि.	कोच्ची (केरल)
28	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	नई दिल्ली
29	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.	नई दिल्ली
30	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लि.	नामरूप (असम)
31	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	पुणे (महाराष्ट्र)
32	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
33	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	गुड़गांव (हरियाणा)
34	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.	भुवनेश्वर (उड़ीसा)
35	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	चेन्नई (तमिलनाडु)
36	बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लि.	मुजफ्फरपुर (बिहार)
37	एसटीसीएल लि.	बंगलौर
38	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.	मुंबई (महाराष्ट्र)
39	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
40	हिंदुस्तान कॉपर लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
41	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	बर्दवान (पश्चिम बंगाल)

1	2	3
42	भारत कुकिंग कोल लि.	धनबाद (झारखण्ड)
43	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
44	जे एंड के मिनरल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	जम्मू और कश्मीर
45	केंद्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन कॉर्पोरेशन लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
46	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
47	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	दिल्ली
48	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	दिल्ली
49	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कार्पो. लि.	बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश)
50	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	दिल्ली
51	बीको लारी लि.	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
52	हिन्दुस्तान वेजीटेबिल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लि.	नई दिल्ली
53	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.	दिल्ली
54	भारत वेगन्स एवं इंजीनियरिंग कंपनी लि.	पटना (बिहार)
55	फ्रेश एंड हेल्थ इण्टरप्राइजिज लि.	नई दिल्ली
56	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	मुंबई (महाराष्ट्र)
57	एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लि.	नई दिल्ली
58	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.	मुंबई (महाराष्ट्र)
59	नेशनल एवियेशन कं. ऑफ इंडिया लि.	मुंबई (महाराष्ट्र)
60	आईटीआई लि.	बंगलौर (कर्नाटक)
61	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन कॉर्पोरेशन	गुवाहाटी (असम)
62	पूर्वोत्तर क्षेत्र हस्तशिल्प एंड हैण्डलूम विकास कार्पो. लि.	शिलांग (मेघालय)
63	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध विकास निगम लि.	पोर्टब्लेयर (अंडमान और निकोबार)
64	आर्टिफिशल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पो. ऑफ इंडिया	कानपुर (उत्तर प्रदेश)
65	असम अशोक होटल कॉर्पो. लि.	गुवाहाटी (असम)
66	मध्य प्रदेश अशोक होटल कार्पो. लि.	भोपाल (मध्य प्रदेश)

1	2	3
67	रांची अशोक बिहार होटल कार्पो. लि.	पटना (झारखण्ड)
68	उत्कल अशोक होटल कार्पो. लि.	पुरी (उड़ीसा)
69	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	मुंबई (महाराष्ट्र)

विवरण-II

गत 3 वर्षों के दौरान राज्य-वार लाभ/हानि

(लाखो रुपयेमें)

क्रम सं.	राज्यवार केन्द्रीय सरकारी उद्यम	2009-10	2008-09	2007-08
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
1	अण्डमान एवं निकोबार वन एवं पौध विकास निगम लि.	-2393	-1683	-1668
आंध्र प्रदेश				
2	भारत डायनामिक्स लि.	3377	4767	4765
3	भारत हैवी प्लेट् एण्ड वेसल्स लि.	-860	9636	-2673
4	इलेक्ट्रोनिक्स कारर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	4201	1348	13414
5	हिन्दुस्तान फलोरोकार्बन्स लि.	306	56	3996
6	एचएमटी बियरिंग्स लि.	-1531	-1107	-2072
7	मिश्र धातु निगम लि.	4461	4106	3554
8	एमजेएसजे कोल लि.	0	0	0
9	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	344726	437238	325098
10	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	79667	133557	194274
11	स्पंज आयरन इंडिया लि.	-3162	-92	648
अरुणाचल प्रदेश				
12	डोन्यी पोलो अशोक होटल लि.	7	26	44
असम				
13	असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन निगम लि.	-118	40	-208

1	2	3	4	5
14	ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स एण्ड पॉलीमेर लि.	0	0	0
15	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	–2786	–21504	–10584
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.	112	14	4
17	नूमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	23208	23564	37281
18	आयल इंडिया लि.	261044	216168	178893
बिहार				
19	भारत वेगन एण्ड इंजी. कं. लि.	–908	–863	–1362
20	बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	0	0	0
21	एच पी सी एल बॉयोफ्यूल्स लि.	0	0	0
चंडीगढ़				
22	क्रेडा एच.पी.सी.एल. बॉयोफ्यूल्स लि.	0	0	0
23	पंजाब अशोक होटल कंपनी लि.	0	0	0
छत्तीसगढ़				
24	फेरो स्क्रेप निगम लि.	432	223	188
25	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	211721	103112	134294
दिल्ली				
26	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि.	–16	–98	–112
27	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लि.	0	0	0
28	एयरलाइन ऐलाइड सर्विस लि.	–4154	–8183	–5916
29	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण लि.	71229	68720	108187
30	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.	431065	313821	285934
31	भारत संचार निगम लि.	–182265	57485	300939
32	भारतीय रेल बिजली कंपनी लि.	0	0	0
33	भोपाल धूले ट्रांसमिशन कम्पनी लि.	0	0	0

1	2	3	4	5
34	भारतीय सीमेंट निगम लि.	5275	5255	4089
35	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि.	–19	21	422
36	सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि.	12	129	102
37	केन्द्रीय रेलसाइड भण्डारण कंपनी लि.	815	322	244
38	केन्द्रीय भ.डारण निगम	13052	11046	13691
39	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लि.	893	967	647
40	छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लि.	0	0	0
41	कोस्टल कर्नाटक पावर लि.	0	0	0
42	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लि.	0	0	0
43	कोस्टल तमिलनाडु पावर लि.	0	0	0
44	भारतीय कंटेनर निगम लि.	78669	79120	75221
45	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन	0	0	0
46	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	7005	4637	15482
47	एजुकेशनल कंसलटेंट्स (इंडिया) लि.	402	316	270
48	इंजीनियर्स इंडिया लि.	43558	34453	19460
49	भारतीय उर्वरक निगम लि.	–58509	580082	–150483
50	भारतीय खाद्य निगम	–36462	534	–4399
51	फ्रेश एण्ड हेल्दी इन्टरप्राइजेस लि.	–906	–1205	–1814
52	गेल इंडिया लि.	313984	280370	260146
53	गेल गैस लि.	–391	0	0
54	घोगार्पल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.	0	0	0
55	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.	–116	–47	–709
56	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	–38247	484116	–110198
57	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.	306	271	652

1	2	3	4	5
58	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि.	−6330	4538	9184
59	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.	247	775	−1375
60	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	232	−14001	1134
61	हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कार्पोरेशन लि.	−2209	−1672	−2137
62	आवास एवं शहरी विकास निगम लि.	49531	40099	37373
63	एच.स.सी.सी. (इंडिया) लि.	860	970	836
64	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि.	15376	10065	2481
65	भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.	−1431	2538	4408
66	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन	7757	8564	6859
67	इंडियन रेलवे कैटरिंग ए.ड टूरिज्म कार्पो. लि.	6305	4650	2075
68	भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.	44269	18079	42151
69	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लि.	7269	5621	4796
70	इंडियन वैक्सीन निगम लि.	0	0	0
71	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर ए.ड सर्विसिस लि.	0	0	0
72	इरकान इंटरनेशनल लि.	18218	14018	11380
73	जबलपुर ट्रॉसमिशन कंपनी लि.	0	0	0
74	कांति बिजली उत्पादन निगम लि.	0	0	0
75	कोंकण रेलवे कारपोरेशन लि.	1163	−8010	−14579
76	कुमारा कुरुप्पा फ्रंटियर होटल्स लि.	746	804	1098
77	एम एम टी सी लि.	21624	14022	20048
78	महानगर टेलीफोन निगम लि.	−261097	21172	58689
79	नेशनल एवियेशन कं. ऑफ इंडिया लि.	−555244	−554826	−222616
80	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1587	1882	1785
81	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.	11650	15916	27983

1	2	3	4	5
82	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	17151	9746	10865
83	राष्ट्रीय हेंडीकेप्ड वित्त एवं विकास निगम	274	−289	187
84	नेशनल इंफोरमेटिक सेंटर सर्विसिस इनकोरपोरेटिड	3139	3135	4736
85	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	1513	644	1217
86	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	3129	−2870	−3662
87	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	12	32	30
88	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	191	52	102
89	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	1976	1060	836
90	राष्ट्रीय अनु. जन जाति वित्त एवं विकास निगम	584	711	1023
91	राष्ट्रीय बीज निगम लि.	5219	2654	2273
92	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2427	602	406
93	नेशनल टेक्सटाइल कार्पो. लि.	10314	417944	−51019
94	एन टी पी सी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लि.	2659	1848	1267
95	एन टी पी सी हाइड्रो लि.	0	0	0
96	एन टी पी सी लि.	872820	820130	741481
97	एन टी पी सी विद्युत व्यापार निगम लि.	2839	4953	1905
98	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	41642	44128	107849
99	तेल एवं प्राकृतिक गैस कार्पोरेशन लि.	1676755	1612631	1670165
100	ओ एन जी सी विदेश लि.	117113	144268	84942
101	उड़ीसा इन्टेगरेटिड पावर लि.	0	0	0
102	पी ई सी लि.	6772	7217	4138
103	पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लि.	3559	2512	2317
104	पी एफ सी कंसल्टिंग लि.	2162	975	0
105	विद्युत वित्त निगम	235725	196996	120676

1	2	3	4	5
106	पावर ग्रिड कारपो. ऑफ इंडिया लि.	204094	169061	144847
107	पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लि.	0	0	0
108	रायचुर शोलौर ट्रांसमिशन कंपनी लि.	0	0	0
109	रेल विकास निगम लि.	5191	4083	2843
110	रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लि.	11229	10204	5614
111	आर ई सी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.	104	142	178
112	आर ई सी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कं. लि.	1980	0	0
113	राईट्स लि.	11195	9428	10382
114	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.	232718	127208	86014
115	साखिगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि.	0	0	0
116	सिक्युरिटी प्रिंटिंग एंड मिनटिंग कारपो. इंडिया लि.	54225	43383	19970
117	भारतीय राज्य फार्म्स निगम लि.	2153	977	1229
118	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	10695	7851	4755
119	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	675437	617040	753678
120	तातिया आंध्रा मेगा पावर लि.	0	0	0
121	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स (इंडिया) लि.	1446	1390	1305
122	जल एवं विद्युत परामर्शदायी सेवाएं (इंडिया) लि.	3003	1376	1514
गोवा				
123	गोवा शिपयार्ड लि.	13072	8196	6997
हरियाणा				
124	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	–51382	–48141	–29824
125	एन एच पी सी लि.	209050	107522	100409
हिमाचल प्रदेश				
126	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	97274	101532	76541

1	2	3	4	5
जम्मू और कश्मीर				
127	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	–4994	–6948	–4904
128	जे एण्ड के खनिज विकास निगम लि.	–60	–30	–20
झारखण्ड				
129	भारत कोकिंग कोल लि.	79419	–138047	8661
130	सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि.	96579	48993	62558
131	सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.	1146	484	285
132	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.	4001	2244	1735
133	हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.	4427	1837	701
134	मेकान लि.	8262	6589	3332
135	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.	10	20	106
136	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	4626	1801	1463
कर्नाटक				
137	अंतरिक्ष कारपोरेशन लि.	10840	15039	16852
138	भारत अर्थ मूवर्स लि.	22258	26884	22565
139	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि.	72087	74576	82674
140	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि.	196741	173986	163188
141	एचएमटी (इंटरनेशनल) लि.	266	106	85
142	एचएमटी लि.	–5291	–7079	–4467
143	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	–4580	–3717	–4050
144	एचएमटी वाचेज लि.	–16834	–16405	–14695
145	आई.टी.आई. लि.	–45876	–66818	–35838
146	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	1150	600	519
147	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	–54	228	276

1	2	3	4	5
148	कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लि.	–17727	2201	10816
149	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	111238	119254	127223
150	एस टी सी एल लि.	–44398	1347	2885
151	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	–2577	–1844	–2045
152	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.	171	131	112
केरल				
153	कोचीन शिपयार्ड लि.	22304	16007	9385
154	फर्टिलाइजर्स ए.ड केमिकल्स (त्रावनकोर) लि.	–10384	4295	897
155	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.	–4803	1264	1154
156	एच एल एल लाइफ केयर लि.	1493	758	1428
मध्य प्रदेश				
157	मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपो. लि.	72	7	28
158	नर्मदा हाईड्रो इले. डेवल. कारपो. लि.	21230	30616	32961
159	नेपा लि.	–5533	–4608	73767
160	नार्दन कोलफील्ड्स लि.	232510	196093	177166
महाराष्ट्र				
161	एयर इंडिया चार्टर्स लि.	–36069	–33960	6594
162	बेल आप्ट्रानिक्स लि.	227	–358	139
163	भारत पेट्रो संसाधन जे पी डी ए	0	0	0
164	भारत पेट्रो संसाधन लि.	–3572	0	0
165	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	153762	73590	158056
166	कॉटन कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	818	6678	2255
167	भारतीय निर्यात ऋण प्रत्याभूति निगम लि.	5373	28339	47944

1	2	3	4	5
168	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि.	–4985	–2209	–2071
169	हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लि.	–8308	–2528	1361
170	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	130137	57498	113488
171	भारतीय होटल निगम लि.	–2911	–1861	–2497
172	इंडियन आयल कारपो. लि.	1022055	294955	696258
173	इंडियन रेअर अर्थस लि.	2307	5677	15557
174	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि.	4790	4089	3632
175	मैगनीज और (इंडिया) लि.	46635	66379	47982
176	मझगांव डाक लि.	24019	27073	24086
177	मिलेनियम टेलीकाम लि.	12	–5	28
178	खनिज गवेषण निगम लि.	1447	124	611
179	मुम्बई रेलवे विकास निगम लि.	2580	1763	2261
180	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.	–713	–1113	–276
181	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	23487	21158	15815
182	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.	–2738	–3030	–5960
183	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	37691	94067	81390
184	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	64561	33543	61178
मणिपुर				
185	लोकटक डाउनस्ट्रिम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लि.	0	0	0
मेघालय				
186	पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम लि.	–182	–201	–246
187	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.	28938	29697	25831
नागालैंड				
188	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं. लि.	–1438	–1810	12990

1	2	3	4	5
उड़ीसा				
189	महानदी कोलफील्ड्स लि.	194669	171803	163326
190	एमएनएच शक्ति लि.	0	0	0
191	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.	81422	127227	163152
192	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि.	1	−61	−61
193	उत्कल अशोक होटल निगम लि.	−160	−139	−121
पांडिचेरी				
194	पांडिचेरी अशोक, होटल कारपोरेशन लि.	9	38	46
राजस्थान				
195	एफ.सी.आई. अरावली जिप्सम एण्ड मिन. इंडिया लि.	867	904	754
196	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	3	64	3
197	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	33362	28259	−3337
198	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	99	4	260
199	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि.	183	111	268
200	सांभर साल्ट्स लि.	2	157	75
तमिलनाडु				
201	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.	0	0	0
202	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	60322	−39728	112295
203	एन्नौर पोर्ट लि.	4866	4146	3488
204	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु. कं. लि.	−100921	−89026	−78948
205	आई डी पी एल (तमिलनाडु) लि.	−52	−83	−276
206	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	688	−14538	−13485
207	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.	124746	82109	110157
208	एन.एल.सी. तमिलनाडु पावर लि.	0	0	0

1	2	3	4	5
209	सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लि.	0	0	0
210	तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	44	861	853
उत्तर प्रदेश				
211	आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कारपोरेशन ऑफ इंडिया	462	426	170
212	भारत इम्यूनोलाजीकल एण्ड बायोलाजिकल कारपोरेशन लि.	–879	–352	–400
213	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर्स लि.	2565	1856	3047
214	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	–4263	–4403	3127
215	ब्राडकास्ट इंजी. कंसल्टेंट्स इंडिया लि.	152	508	1449
216	जगदीशपुर पेपर मिल लि.	0	0	0
217	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.	304	394	105
218	भारतीय परियोजना एवं विकास लि.	1148	1482	780
219	स्कूटर्स इंडिया लि.	–2801	–2765	–2247
220	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	–5622	–4698	–5080
उत्तरांचल				
221	इंडियन मेडीसिन्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपो. लि.	39	24	184
222	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपो. लि.	47995	32520	32358
पश्चिम बंगाल				
223	एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.	7538	2936	533
224	बामर लारी एण्ड कंपनी लि.	11729	10161	8693
225	बामर लारी इन्वेस्टमेंट लि.	2111	1796	1397
226	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कं. लि.	276	253	162
227	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	–1054	–352	–1069
228	भारत भारी उद्योग निगम लि.	41	13	26
229	बीको लारी लि.	173	223	322

1	2	3	4	5
230	बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि.	–690	–784	–504
231	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.	62063	0	0
232	ब्रेथवेट एण्ड कं. लि.	175	150	55
233	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.	4200	2168	618
234	बर्न स्टेन्डर्ड कंपनी लि.	–13636	–15759	–15129
235	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	–182	–11481	–196
236	कोल इंडिया लि.	377992	329538	245380
237	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	33340	–210909	–102993
238	ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लि.	1107	0	0
239	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि.	11442	5165	7447
240	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	–45932	–44537	–43500
241	हिन्दुस्तान कापर लि.	15468	–1031	24646
242	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट. लि.	–5459	–688	–2672
243	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	–5442	–5277	–5189
244	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि.	2	4	3
245	भारतीय जूट निगम लि.	156	9208	–1380
246	एम एस टी सी लि.	8610	8505	9220
247	नेशनल जूट मैन्युफेक्चरस कारपो. लि.	678431	–58367	–50517
248	उड़ीसा मिनरल डवलपमेंट कंपनी लि.	7444	0	0
249	टायर कारपो. ऑफ इंडिया लि.	–1467	54115	–4922

विवरण–III

ऐसे सरकारी उद्यमों की सूची जिनके पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन का प्रस्ताव बीआरपीएसई को भेजे जाने हेतु लोक उद्यम विभाग में प्राप्त हुआ है

क्रम सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम
1	2	3
भारी उद्योग विभाग		
1	हिंदुस्तान साल्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग
2	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	भारी उद्योग विभाग
3	बीबीजे कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग

1	2	3
4	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग
5	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय
6	नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लि. और इसकी सहायक कंपनियां	वस्त्र मंत्रालय
7	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	उर्वरक विभाग
8	एचएमटी बीयरिंग्स लि.	भारी उद्योग विभाग
9	प्रागा टूल्स लि.	भारी उद्योग विभाग
10	भारत पम्प एण्ड कंप्रेसर्स लि.	भारी उद्योग विभाग
11	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग
12	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लि.	उर्वरक विभाग
13	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.★	रेल मंत्रालय
14	नगालैंड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग
15	हिंदुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि.	फार्मास्युटिकल्स विभाग
16	नेपा लि.	भारी उद्योग विभाग
17	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि	कोयला मंत्रालय
18	मेकॉन लि.	इस्पात मंत्रालय
19	सेंट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लि.	पोत परिवहन मंत्रालय
20	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि.	पोत परिवहन मंत्रालय
21	हिंदुस्तान शिपयार्ड लि.#	रक्षा मंत्रालय
22	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	रेल मंत्रालय
23	हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
24	हिंदुस्तान इंसेक्टिसाईड्स लि.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
25	हिंदुस्तान प्रीफेब लि.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
26	भारत कुकिंग कोल लि.	कोयला मंत्रालय
27	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	भारी उद्योग विभाग
28	स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	कृषि और सहकारिता विभाग

1	2	3
29	सीमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग
30	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कॉर्पोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय
31	मिनरल एक्सप्रोलरेशन कॉर्पोरेशन लि.	खान मंत्रालय
32	एचएमटी मशीन टूल्स लि.	भारी उद्योग विभाग
33	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लि.	जल संसाधन मंत्रालय
34	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.	भारी उद्योग विभाग
35	त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि.	भारी उद्योग विभाग
36	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसेल्स लि.	भारी उद्योग विभाग
37	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	भारी उद्योग विभाग
38	सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
39	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	भेषज विभाग
40	एच एम टी वाचेज लि.	भारी उद्योग विभाग
41	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.	भारी उद्योग विभाग
42	एन्ड्रयू यूले एंड कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग
43	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि.	इस्पात मंत्रालय
44	एचएमटी लि.	भारी उद्योग विभाग
45	भारत रिफ्रेक्ट्रोरिज लि.	इस्पात मंत्रालय
46	एचएमटी चिनार वाचेज लि.	भारी उद्योग विभाग
47	हिंदुस्तान कॉपर लि.	खान मंत्रालय
48	फर्टिलाइजर कार्पो. ऑफ इंडिया लि.	उर्वरक विभाग
49	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कार्पो. लि.	उर्वरक विभाग
50	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.	भेषज विभाग
51	आईडीपीएल (तमिलनाडु) लि.	भेषज विभाग
52	बिहार ड्रग्स एण्ड आर्गेनिक केमिकल्स लि.	भेषज विभाग
53	बीको लॉरी लि.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आयोग

1	2	3
54	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लि.	रेल मंत्रालय
55	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लि.	वस्त्र मंत्रालय
56	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.	वस्त्र मंत्रालय
57	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लि.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
58	आईटीआई लि.	दूरसंचार विभाग
59	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग
60	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.	उर्वरक विभाग
61	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.★★	रेल मंत्रालय
62	नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एंड हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पो. लि.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
63	नेशनल फिल्म डवलपमेंट कार्पो. लि.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
64	स्कूटर्स इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग

★ भारी उद्योग विभाग से अंतरित

★★ भारी उद्योग विभाग से अंतरित (वेगन एकक रेल मंत्रालय को तथा रिफैक्टरी यूनिट इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सेल को)

पोत परिवहन मंत्रालय से अंतरित

[अनुवाद]

जल–संरक्षण योजनाएं

562. **श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी :**

प्रो. रामशंकर :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गांवों में तालाबों एवं कुओं की खुदाई करने से संबंधित नई योजना प्रारंभ करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में उक्त प्रयोजनार्थ अब तक जारी की गई धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को लागू करने संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वच्छ पेयजल

563. **प्रो. रामशंकर :**

श्री मंगनी लाल मंडल :

श्री संजय धोत्रे :

डॉ. क्रुपारानी किल्ली :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाओं की कमी वाले गांवों तथा जनजातीय क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराया है/राज्य सरकारों से सर्वेक्षण कराने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार पृथक् परिणाम क्या रहे;

(ग) सरकार द्वारा पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी योजना के अंतर्गत और गांवों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(घ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए स्थापित तंत्र क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान जारी की गई राशि और उपयोग की गई राशि तथा हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है,

(छ) क्या इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वन के लिए किसी विदेशी सहायता की मांग की गई है/प्राप्त की गई है; और

(ज) यदि हां, तो उन देशों के नाम दर्शाते हुए पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पेजयल आपूर्ति के रूप में ग्रामीण बसावटों की कवरेज तथा स्वच्छता के लिए परियोजना उद्देश्यों के अनुसार ग्रामीण परिवारों की कवरेज की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी जाती है। राज्य स्थिति को निरंतर अद्यतन करते रहते हैं। पेयजल आपूर्ति वाली ग्रामीण बसावटों तथा वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों वाले ग्रामीण परिवारों की कवरेज की स्थिति संलग्न विवरण-I तथा II में दी गई है।

(ग) और (घ) पेयजल और स्वचछता मंत्रालय राज्यों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) नामक केन्द्रीय प्रायोजिक योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। एनआरडीडब्ल्यूपी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने के राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए है तथा टीएससी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने के राज्यों के प्रयासों में मदद करने के लिए है जिसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच की प्रथा को दूर करना तथा स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, निष्पादन एवं कार्यान्वयन की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को अनुमोदित करती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा निधियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों एवं क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने हेतु वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करनी होती हैं। उन्हें लक्षित बसावटों को चिन्हित करना होता है तथा ऑन-लाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली पर कार्यों, योजनाओं तथा क्रियाकलापों का ब्यौरा डालना होता है। ऑन-लाइन आईएमआईएस पर कवरेज तथा प्रगति से संबंधित आंकड़े भी प्रविष्ट किए जाते हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी पहलुओं की निगरानी के लिए 19 प्रपत्र बनाए गए हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिकारी/क्षेत्र अधिकारी/तकनीकी अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए राज्यों का दौरा करते हैं। मंत्रालय ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी सचिवों की बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों, वीडियो कांन्फ्रेंसिंग आदि का भी आयोजन करता है जिसके जरिए एनआरडीडब्ल्यूपी के कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है।

स्वच्छता के मामले में, इसमें आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्ताओं, जिला स्तरीय निगरानी और राज्य/जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के जरिए टीएससी के कार्यान्वयन की निगरानी करने की व्यापक व्यवस्था है। इसके अलावा राज्यों को एक पांच सूत्री कार्यनीति – (i) योजनाओं के बारे में जानकारी देना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जन भागीदारी, (iv) जवाबदेही/सामाजिक लेखा-परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता एवं निगरानी अपनाने की सलाह दी गई है।

(ङ) राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं पर चर्चा के दौरान तथा उसे अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात, जनजाति बहुल ग्रामीण बसावटों सहित बसावटों की कवरेज के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।

(च) विगत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान एनआरडी डब्ल्यूपी निधियों के आबंटन, रिलीज तथा राज्यों द्वारा दिए गए उपयोग के ब्यौरों को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण-III में संलग्न है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां विवरण-IV में दी गई हैं।

(छ) और (ज) ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए विश्व बैंक तथा जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-V में संलग्न है।

विवरण–I

पेयजल आपूर्ति के संबंध में ग्रामीण बसावटों की कवरेज की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	कुल बसावटें	बसावटें		
			पूर्णतः कवर	आंशिक रूप से कवर	गुणवत्ता प्रभावित
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	72407	40151	31671	585
2	बिहार	107642	74378	14837	18427
3	छ्त्तीसगढ़	72329	33785	30699	7845
4	गोवा	347	302	45	0
5	गुजरात	34415	32986	1106	323
6	हरियाणा	7385	5388	1967	30
7	हिमाचल प्रदेश	53201	39640	13561	0
8	जम्मू और कश्मीर	12826	5533	7267	26
9	झारखंड	120154	117852	1494	808
10	कर्नाटक	59532	23776	28157	7599
11	केरल	11883	10914	0	969
12	मध्य प्रदेश	127197	76034	48246	2917
13	महाराष्ट्र	98842	82498	13646	2698
14	ओडिशा	141928	68854	58263	14811
15	पंजाब	15338	11876	3407	55
16	राजस्थान	121133	63864	25119	32150
17	तमिलनाडु	94500	85914	8077	509
18	उत्तर प्रदेश	260110	222735	36337	1038
19	उत्तराखंड	39142	26952	12176	14
20	पश्चिमी बंगाल	95395	85958	3891	5546
21	अरुणाचल प्रदेश	5612	2699	2913	0
22	असम	86976	42492	25801	18683
23	मणिपुर	2870	1389	1477	4

1	2	3	4	5	6
24	मेघालय	9326	5039	4185	102
25	मिजोरम	777	589	188	0
26	नागालैंड	1432	903	363	166
27	सिक्किम	2498	1756	742	0
28	त्रिपुरा	8132	1882	54	6196
29	अ. और नि. द्वीप समूह	491	433	58	0
30	चंडीगढ़	18	18	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	70	0	70	0
32	दमन व दीप	21	0	21	0
33	लक्षद्वीप	9	0	9	0

विवरण-II

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के संबंध में ग्रामीण परिवारों की कवरेज की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	परियोजना उद्देश्य (आईएचएचएल)	सूचित प्रगति (आईएचएचएल)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	10265917	7910906
2	अरुणाचल प्रदेश	133861	81833
3	असम	3381037	1837242
4	बिहार	11171314	3647903
5	छत्तीसगढ़	3392453	1890226
6	दादरा और नगर हवेली	2480	37
7	गोवा	45323	34553
8	गुजरात	5378487	4388287
9	हरियाणा	2095434	2012396
10	हिमाचल प्रदेश	850737	1024930
11	जम्मू और कश्मीर	1470803	407474
12	झारखंड	3729495	1580005
13	कर्नाटक	5870915	4093748
14	केरल	1073742	1118561
15	मध्य प्रदेश	8467193	6466603
16	महाराष्ट्र	9728343	6929939
17	मणिपुर	263254	119467
18	मेघालय	301833	207838
19	मिजोरम	108878	89731
20	नागालैंड	211346	127955
21	ओडिसा	7056648	3802882
22	पुडुचेरी	18000	2268
23	पंजाब	1167568	767467
24	राजस्थान	6984333	40601892
25	सिक्किम	87014	94600
26	तमिलनाडु	8667088	6753182
27	त्रिपुरा	623774	602205
28	उत्तर प्रदेश	20676487	16870932
29	उत्तराखंड	886301	691692
30	पश्चिम बंगाल	11616656	7929388

विवरण-III

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
		आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय	आबंटन	रिलीज	व्यय*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	394.53	395.05	398.05	437.09	537.37	394.45	491.02	558.74	423.38	479.51	377.91	416.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	146.12	162.46	160.97	180	178.2	193.8	123.35	199.99	176.55	116.48	182.21	110.24
3.	असम	246.44	187.57	265.4	301.6	323.5	269.34	449.64	487.48	480.55	421.9	418.54	400.69
4.	बिहार	425.38	452.38	73.3	372.21	186.11	279.36	341.46	170.73	425.91	379.59	205.42	304.28
5.	छत्तीसगढ़	130.42	125.26	112.42	116.01	128.22	104.06	130.27	122.01	97.77	145.67	126.75	98.83
6.	गोवा	3.98	0	0	5.64	3.32	0.5	5.34	0	1.16	5.22	2.88	1.16
7.	गुजरात	314.44	369.44	289.33	482.75	482.75	515.69	542.67	609.1	610.5	484.66	423.04	321.47
8.	हरियाणा	117.29	117.29	117.29	207.89	206.89	132.35	233.69	276.9	201.57	211.52	168.34	232.58
9.	हिमाचल प्रदेश	141.51	141.51	141.49	138.52	182.85	160.03	133.71	194.37	165.59	132.3	94.75	96.25
10.	जम्मू व कश्मीर	397.86	396.49	176.67	447.74	402.51	383.49	449.22	468.91	506.52	438.13	320.19	354.95
11.	झारखंड	160.67	80.33	18.85	149.29	111.34	86.04	165.93	129.95	128.19	163.33	111.95	112.7
12.	कर्नाटक	477.19	477.85	449.15	573.67	627.86	473.71	644.92	703.8	573.93	715.12	667.78	436.87
13.	केरल	103.33	106.97	106.56	152.77	151.89	150.56	144.28	159.83	137.97	145.36	113.39	72.25
14.	मध्य प्रदेश	370.47	380.47	368.61	367.66	379.66	354.3	399.04	388.33	324.94	374.32	292.78	238.28
15.	महाराष्ट्र	572.57	648.24	511.06	652.43	647.81	625.59	733.27	718.42	713.48	737.56	535.81	392.3
16.	मणिपुर	50.16	45.23	36.33	61.6	38.57	30.17	54.61	52.77	69.27	51.58	39.17	28.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	मेघालय	57.79	63.38	74.5	70.4	79.4	68.57	63.48	84.88	40.28	59.59	64.39	54.16
18.	मिजोरम	41.44	54.19	45.48	50.4	55.26	51.11	46	61.58	58.02	38.49	36.35	36.42
19.	नागालैंड	42.53	42.53	39.6	52	47.06	71.58	79.51	77.52	80.63	79.97	79.81	49.12
20.	उड़ीसा	298.68	298.68	273.12	187.13	226.66	198.87	204.88	294.76	211.11	207.99	171.05	171.66
21.	पंजाब	86.56	86.56	96.68	81.17	88.81	110.15	82.21	106.59	108.93	89.16	123.44	70.87
22.	राजस्थान	970.13	971.83	967.95	1036.46	1012.16	671.29	1165.44	1099.48	852.82	1087.41	1153.76	990.51
23.	सिक्किम	17.45	32.45	28.85	21.6	20.6	28.98	26.24	23.2	19.51	27.59	63.11	15.04
24.	तमिलनाडु	241.82	287.82	230.58	320.43	317.95	370.44	316.91	393.53	303.41	337.17	319.11	153.84
25.	त्रिपुरा	51.25	41.01	36.99	62.4	77.4	77.35	57.17	74.66	67.2	54.41	83.86	69.15
26.	उत्तर प्रदेश	539.74	615.78	514.54	959.12	956.36	967.38	899.12	848.68	933.28	649.03	783.6	337.46
27.	उत्तराखंड	107.58	85.87	61.09	126.16	124.9	67.24	139.39	136.41	55.44	348.83	75.57	89.3
28.	पश्चिम बंगाल	389.39	389.39	371.62	372.29	394.3	87.76	418.03	499.19	363.31	348.11	242.03	466.32
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	30.78	0	0		1.01	0		0	0	
30.	दादरा व नगर हवेली	0	0		0	0		1.09	0		0	0	
31.	दमन व दीव	0	0		0	0		0.61	0		0	0	
32.	दिल्ली	0	0		0	0		4.31	0		0	0	
33.	लक्षद्वीप	0	0		0	0		0.24	0		0	0	
34.	पुडुचेरी	0	0	1	0	0		1.54	0		0	0	
35.	चंडीगढ़							0.4			0	0	
	कुल	6896.72	7056.02	5998.27	7986.43	7989.72	6924.16	8550	8941.81	8131.22	83.30	7276.99	6122.46

•9.3.2012 तक आईएमआईएस में सूचित

विवरण-IV

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत लक्ष्य और बसावटों की कवरेज

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12*	
		लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	10094	7070	15889	15647	8500	5374	6673	6971	5634	2297
2.	अरुणाचल प्रदेश	1584	464	2390	905	2400	567	534	601	300	191
3.	असम	12792	5060	23099	8703	23000	12004	8157	6467	6073	3671
4.	बिहार	15863	6171	39956	25785	40508	26622	18749	14221	15810	7849
5.	छत्तीसगढ़	4342	3852	4408	8178	3551	12002	9948	7847	8409	5373
6.	गोवा	4	1	3	4	0	0	0		0	0
7.	गुजरात	3771	3864	4232	2374	1396	1441	1100	1079	1125	614
8.	हरियाणा	1140	917	635	965	950	885	1007	752	862	502
9.	हिमाचल प्रदेश	4510	4510	5184	6390	5000	5204	5000	5094	2557	2181
10.	जम्मू व कश्मीर	2241	747	4704	2234	4700	424	962	903	923	297
11.	झारखंड	5479	6548	7170	6832	1552	14605	1099	11399	19110	9880
12.	कर्नाटक	9176	5418	12950	5586	13000	11625	8750	6130	9000	5137
13.	केरल	3258	906	4596	7650	395	241	744	405	824	278
14.	मध्य प्रदेश	10107	10035	3718	5302	4500	10781	13300	13937	16715	12076
15.	महाराष्ट्र	14975	9261	19877	17128	8605	7465	9745	8987	6407	4910
16.	मणिपुर	153	144	0	115	730	158	330	227	330	193
17.	मेघालय	1558	1205	1881	1116	500	407	840	380	535	296
18.	मिजोरम	145	191	306	46	300	124	124	121	125	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	नागालैंड	379	420	170	584	200	84	105	128	85	87
20.	उड़ीसा	10361	11585	16492	13507	3452	9525	5494	7525	4725	4835
21.	पंजाब	2845	588	4933	1523	1651	1874	2023	1658	1630	472
22.	राजस्थान	19123	5353	25654	7434	10929	10388	7764	7254	6073	6212
23.	सिक्किम	307	299	300	27	300	110	175	100	200	29
24.	तमिलनाडु	9625	9832	4602	9097	7000	8206	8009	7039	6000	4398
25.	त्रिपुरा	784	179	138	555	3132	843	825	976	982	701
26.	उत्तर प्रदेश	3479	1979	1639	1190	2000	1874	2142	1879	23300	13248
27.	उत्तराखंड	1451	2117	1450	1351	1199	1200	1565	1324	1341	803
28.	पश्चिम बंगाल	5896	6632	11460	2747	9093	4806	6630	5967	6094	3613
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	14		34	0	42	0	8	8		
30.	दादरा व नगर हवेली	15	15	0	0	0	0				
31.	दमन व दीव	0		0		0					
32.	दिल्ली	0		0		0					
33.	लक्षद्वीप	7		10		0		10	10		
34.	पुडुचेरी	21	52	18	15	4	40		12		
	कुल	155499	105415	217898	152990	158589	148879	121812	119401	145169	90207

• आईएमआईएस के अनुसार 12.3.2012 को वर्ष 2011-12 की कवरेज

विवरण-V

भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आरडब्ल्यूएसएस परियोजनाओं की स्थिति

चालू परियोजनाएं

1 विस्तारित द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना, इस परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह परियोजना 15.6.2010 को शुरू हुई और 30.6.2013 तक पूरी होनी है। चालू परियोजना के सभी घटकों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से इस परियोजना को अतिरिक्त निधियां प्राप्त हुई हैं। इस समय वितरित न की गई कुल राशि 148.38 अमेरिकी डॉलर है।

परियोजना का क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक के 11 जिले, विदुर, गुलबर्गा, बेलगांव, वीजापुर, बागालपुर, रायचूर, कोपल, गडक, हवेरी, धारवार और उत्तर कन्नड़, 17 सौ गांव

परियोजना लागत	**900 करोड़ रुपए**
लाभान्वित होने वाली आबादी :	**3.5 मिलियन लोग**
वास्तविक प्रगति	**अभी शुरू हुई है**
वित्तीय प्रगति :	**965 करोड़ रुपए (लगभग)**

परियोजना की अवधि 1 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2013

2 उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना; इस परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 120.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह परियोजना 30.11.2006 को शुरू हुई और 30.6.2012 को समाप्त हुई। इस समय वितरित न की गई राशि 97.02 अमेरिकी डॉलर है।

परियोजना का क्षेत्र सभी 13 जिले : अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ीगढ़वाल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरीगढ़वाल, उधमसिंह नगर, उत्तर काशी,

8270 बसावटें (न्यू एसवीएस : 5448, एसवीएस अंतरण : 2172, एमवीएस 650)

मूल लागत	1050 करोड़ रुपए
वास्तविक प्रगति	1500 बसावटें
वित्तीय प्रगति	210 करोड़ रुपए

परियोजना की अवधि 30 नवम्बर, 2006 से 30 जून, 2012 तक

3 पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना : इस परियोजना के लिए अनुमोदित सहायता 154.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। दिनांक 26.2.2007 को परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया और 31.3.2012 को पूरी होनी है। इस समय वितरित न की गई राशि 126.80 अमेरिकी डॉलर है।

परियोजना का क्षेत्र सभी 20 जिले। जल आपूर्ति सुविधा से 1200 एनसी/पीसी गांव और स्वच्छता से 100 गांव को कवर करना।

मूल लागत 1280 करोड़ रुपए, संशोधित लागत 809 करोड़ रुपए

वास्तविक प्रगति जल आपूर्ति से 160 एनसी/पीसी गांव और दो गांव में स्वच्छता कार्य

वित्तीय प्रगति

परियोजना अवधि 5 वर्ष 3 महीना (31 मार्च 2012 तक)

4 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना। यह परियोजना 23 मार्च, 2010 को शुरू हुई है और 30.11.2014 को पूरी होगी। इस समय वितरित नहीं की गई राशि 129.50 अमेरिकी डॉलर है।

परियोजना क्षेत्र 6 जिले : आदिलाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, प्रकाशम्, कडप्पा, विशाखापत्तनम। 2600 बसावटें।

मूल लागत 864 करोड़ रुपए

वास्तविक प्रगति अभी शुरू हुई है

परियोजना अवधि 1 दिसम्बर, 2009 से 30 नवम्बर, 2014 तक

(ख) भारत में जापान अंतर्राष्ट्रीय बैंक निगम द्वारा वित्तपोषित पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थिति

1 1334 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक द्वारा वित्तपोषित 'होगनक्कल जल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस उपशमन परियोजना'। जेबीआईसी द्वारा स्वीकृत ऋण 1141.33 करोड़ रुपए है और तमिलनाडु सरकार द्वारा दी जाने वाली शेष राशि 192.67 करोड़ रुपए है। लाभान्वित होने वाले क्षेत्र हैं - तमिलनाडु के कृष्णागिरी एवं धर्मपुरी जिले - 18 पंचायत संघों में 6755 ग्रामीण बसावटें, तीन नगर पालिका और 17 शहर पंचायत। यह परियोजना 2021 के परियोजना आबादी के लिए बनाई गई थी (मध्यवर्ती स्तर) और वर्ष

2006 के आधार वर्ष 2036 के लिए (अंतिम स्तर पर) यह परियोजना में टीडब्ल्यूएडी बोर्ड द्वारा आठ वर्षों में कार्यान्वित की जानी है।

पनधारा योजना

564. श्री इज्यराज सिंह :
श्री हरीश चौधरी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनधारा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में किन-किन जिलों को उक्त मानदण्डों के आधार पर उक्त योजना में शामिल किया गया है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के तंत्र तथा व्यवस्थापनों का ब्यौरा क्या है कि उक्त योजना के अंतर्गत कार्य योजनाबद्ध ढंग से संपादित हो?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी): (क) भूमि संसाधन विभाग 1995-96 से वाटरशेड आधार पर तीन क्षेत्रीय विकास योजनाओं अर्थात् सूखा प्रवण कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी) तथा समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) को कार्यान्वित कर रहा है। इन तीनों योजनाओं को 26.2.2009 से समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक एकल संशोधित कार्यक्रम में एकीकृत और समेकित कर दिया गया है तथा इन्हें वाटरशेड विकास परियोजनाओं, 2008 हेतु समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, देश में वर्षा सिंचित/अवक्रमित भूमि पर वाटरशेड परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदण्डों द्वारा प्रशासित होती है :-

- आईडब्ल्यूएमपी के तहत यूनिट लागत मानदण्ड मैदानी क्षेत्रों में 12000/-रुपये प्रति हैक्टेयर तथा दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 15000/-रुपये प्रति हेक्टेयर है, जिसे केन्द्र तथा राज्य के बीच 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। समेकित कार्य योजना (आईएपी) के तहत शामिल किए गए जिलों में लागू लागत मानदण्ड 15000/-रुपये प्रति हेक्टेयर तक हैं।

- वाटरशेड परियोजनाओं के चयन हेतु मानदण्ड में गरीबी सूचकांक (आबादी में गरीबों का प्रतिशत), अनु. जाति/अनु.जनजाति की आबादी का प्रतिशत, वास्तविक मजदूरी, छोटे और सीमांतक किसानों का प्रतिशत, भूजल स्थिति, नमी सूचकांक/डीपीएपी/डीडीपी ब्लॉक, वर्षा सिंचित कृषि क्षेत्र, पेय जल, अवक्रमित भूमि, भूमि की उत्पादनकारी क्षमता, दूसरे वाटरशेड क्षेत्र से निकटता जिसका पहले ही से विकास/निरूपण कर दिया गया हो, मैदानों में जाने का मार्ग (कलस्टर एप्रोच), (परियोजना में एक से अधिक निकटवर्ती माइक्रो वाटरशेड), तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कलस्टर पहुंच (परियोजना में एक से अधिक निकटवर्ती वाटरशेड) शामिल है।

  आईडब्ल्यूएमपी के तहत राज्यवार न्यूनतम अनन्तिम आबंटन करने हेतु राज्य में मानदण्ड में चिन्हित डीपीएपी/डीडीपी क्षेत्रों में देश में कुल डीपीएपी तथा डीडीपी की प्रतिशतता, देश में कुल विकास योग्य बंजरभूमि के प्रतिशत के रूप में राज्य में कुल विकास योग्य बंजरभूमि, देश में कुल अनु.जा/अनु.ज.जा. की आबादी के प्रतिशत के रूप में अनु.जाति/अनु.जनजाति के लोगों की कुल आबादी, देश में कुल कृषि क्षेत्र की तुलना में वर्षा सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों का 10% अनिवार्य आबंटन।

(ख) इस विभाग की वाटरशेड परियोजनाएं देश में वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि पर कार्यान्वित की जाती हैं जिसमें राज्यों के सभी जिले शामिल हैं। विभिन्न राज्यों में पहाड़ी जिलों, कठिन क्षेत्रों सहित जिलों (अर्थात् डीडीपी ब्लॉक) तथा आईपी जिलों की सूची क्रमशः विवरण-I, II तथा III पर संलग्न है।

(ग) विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए हैं कि आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत कार्य नियोजित तरीके से किया जाता है। राज्यों में आईडब्ल्यूएमपी राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए), जिला स्तर पर वाटरशेड प्रकोष्ठ-सह-डाटा केन्द्र (डब्ल्यूसीडीसी), परियोजना स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) तथा ग्राम स्तर पर वाटरशेड समिति (डब्ल्यू.सी.) जैसी समर्पित संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत परियोजनाएं आरंभ करने के लिए, राज्यों को एसएलएनए द्वारा अनुमोदित राज्य संदर्शी तथा नीति योजना (एसपीएसपी) प्रस्तुत करनी होती है। एसपीएसपी राज्य में सभी उपचार योग्य वाटरशेडों को, सभी उपचार न किए जाने योग्य क्षेत्रों को छोड़कर (जैसे सुनिश्चित वर्षा वाला क्षेत्र, विभिन्न वाटरशेड कार्यक्रमों के अंतर्गत पहले ही उपचारित क्षेत्र) आदि, विकसित करने की एक दीर्घावधि योजना है। एसपीएसपी तैयार करना एकबारगी कार्य है।

एसपीएसपी तैयार कर लेने के बाद, राज्य किसी विशेष वर्ष में विकसित किए जाने वाले परियोजना क्षेत्र के लिए परियोजनावार

प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) तैयार करते हैं। एसएलएनए द्वारा अनुमोदित पीपीआर को तब राज्य द्वारा भारत सरकार के स्तर पर सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में संचालन समिति के समक्ष मूल्यांकन तथा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। संचालन समिति में योजना आयोग, राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए), भिन्न भिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं के तकनीकी विशेषज्ञ, स्वैच्छिक संगठनों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सम्बद्ध विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होते हैं।

एसएलएनए को संचालन समिति के मूल्यांकन के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। एसएलएनए से स्वीकृति प्राप्त होने पर भूमि संसाधन विभाग एसएलएनए को परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के कार्यकलापों के निष्पादन के लिए केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त जारी करता है। प्रवेश बिन्दु कार्यकलापों तथा क्षमता निर्माण के अतिरिक्त, तकनीकी रूप से सुदृढ़ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना इस भाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक है। कुल परियोजना लागत का 1%, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संवेदी तकनीकों तथा जीआईएस सुविधाओं का उपयोग करके वैज्ञानिक निविष्टियों के साथ डीपीआर तैयार करने के लिए निर्धारित किया जाता है। आईडब्ल्यूएमपी परियोजनाओं को 3 चरणों में अर्थात् प्रारंभिक चरण, संकार्य चरण तथा समेकन एवं समापहरण चरण में कार्यान्वित किया जाता है। आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता क्रमशः 20%, 50%, तथा 30% की 3 किस्तों में जारी की जाती है।

विवरण-I

पहाड़ी जिले

क्रम सं.	राज्य	पहाड़ी जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1	अरुणाचल प्रदेश	13	चांगलांग, दिबांग घाटी, कामेंग ईस्ट, कामेंग वेस्ट, लोहित, पापुमपेर, सियांग ईस्ट, सियांग अपर, सियांग वेस्ट, सुबानसिरी लोअर, सुबानसिरी अपर, तवांग, तिरप
2	असम	3	करबी आंगलोंग, नाथ कछार हिल, नागांव
3	हिमाचल प्रदेश	12	बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना
4	जम्मू और कश्मीर	14	अनंतनाग, बारामुला, बडगाम, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर
5	कर्नाटक	6	बेलगाम, चिकमगलूर, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, शिमोगा, उत्तर कन्नड़
6	केरल	10	कन्नूर, एर्नाकुलम, इडुकी, कसारगोड, कोझीकोड़, मलापुरम, पालकाड, कोलम, तिरूवनंतपुरम, वायनाड
7	महाराष्ट्र	7	कोल्हापुर, नाकिस, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग
8	मणिपुर	9	बिश्नुपुर, चांदेल, चुराचांदपुर, इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, सेनापति, तामेंगलांग, थाउबन, उखरूल
9	मेघालय	7	ईस्ट गारो हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स, जैनतिया हिल्स, रीभोई, साउथ गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स
10	मिजोरम	8	आइजवाल, चंपई, कोलासिब, लवांगतलई, लुंगलेई, मामिट, सैहा, सरछिप
11	नागालैंड	8	दिमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, मोन, फेक, तुएनसांग, वोखा, जुनहेबोतो
12	सिक्किम	4	ईस्ट सिक्किम, नार्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम

1	2	3	4
13	तमिलनाडु	5	कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, मदुरई, नीलगिरि, तिरूनेलवेली
14	त्रिपुरा	4	धलाई, नार्थ त्रिपुरा, साउथ त्रिपुरा, वेस्ट त्रिपुरा
15	उत्तराखंड	13	अलमोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी
16	पं. बंगाल	1	दार्जिलिंग
	कुल	124	

स्रोत : भारत के वन सर्वेक्षण, 2005 की वन रिपोर्ट की स्थिति

विवरण-II

जिले जिनमें कठिन क्षेत्र (अर्थात् डीडीपी ब्लॉक) शामिल हैं

क्रम सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	आंध्र प्रदेश	1	अन्नथपुर
2	गुजरात	6	बनासकांठा, जामनगर, कच्छ, पाटन, राजकोट, सुरेन्द्रनगर
3	हरियाणा	7	भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा
4	हिमाचल प्रदेश	2	किन्नौर, लाहौल और स्पीति
5	जम्मू और कश्मीर	2	कारगिल, लेह
6	कर्नाटक	6	बागलकोट, बेल्लारी, बीजापुर, दावनगेर, कोपल, रायचूर
7	राजस्थान	16	अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनु, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही, उदयपुर
	कुल	40	

विवरण-III

आईएपी जिले

क्रम सं.	राज्य	आईएपी जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	8	आदिलाबाद, पूर्वी गोदावरी, करीमनगर, खम्माम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्नम, विजयनगर, वारंगल
2	बिहार	9	अरवाल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, रोहतास
3	छत्तीसगढ़	10	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेड़, कवार्धा, कोडिया, नारायणपुर, राजंदगांव, सरगुजा
4	झारखंड	17	बोकारो, छतरा, गरवा, गिरीडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लतेहर, लोहारडागा, प. सिंहभूम, पलामु, पूर्वी, सिंहभूम, रामगढ़, रांची (ग्रामीण), सरायकेला, सिमडेगा

1	2	3	4
5	मध्य प्रदेश	8	अनुपुर, बालाघाट, दिनदौरी, मांडला, सिओनी, सहडौल, सिद्धि, उमारिया
6	महाराष्ट्र	2	गढ़चिरौली, गोंदिया
7	ओडिशा	18	बालंगिर, देवागढ़, गजपति, गंजम, जाजपुर, कालाहांडी, कंधमाल, केन्दुझार, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, नयागढ़, नवपाड़ा, रायगढ़, संबलपुर, सोनापुर, सुंदरगढ़
8	उत्तर प्रदेश	3	चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्रा
9	प. बंगाल	3	बांकुरा, मेदनीपुर पश्चिम, पुरूलिया
	कुल	78	

स्रोत : योजना आयोग (http.//pcserver.nic.in/iapmis/state-district-list.aspx)

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं में पर्यावरण संबंधी मुद्दे

565. श्री इन्दर सिंह नामधारी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि वन एवं पर्यावरण प्राधिकारियों की आपत्तियों के कारण देश में कई सिंचाई परियोजनाएं अप्रयुक्त रह गई हैं;

(ख) यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड के लातेहार जिले में उत्तर कोयल बांध लंबी अवधि से ऐसी ही आपत्तियों के कारण अपूर्ण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) उन परियोजना प्रस्तावों जो जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा कतिपय शर्तों के साथ स्वीकृत कर लिए गए हैं परंतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति अपेक्षित होने के कारण उन्हें योजना आयोग ने निवेश मंजूरी नहीं दी है, की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) झारखंड के लातेहर जिले में उत्तरी कोयल बांध, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का एक हिस्सा है। यह परियोजना बिहार राज्य की चालू वृहत सिंचाई परियोजना है। यह झारखंड के साथ एक अंतर्राज्यीय परियोजना है। इस परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति भी लंबित है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में यह उल्लेख है कि सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण परियोजनाओं की आयोजना, निधियन और निष्पादन राज्य सरकार द्वारा अपनी अपेक्षाओं और कार्यों की प्राथमिकता के अनुरूप किया जाता है। परियोजना प्राधिकरणों को प्रभावित ईआईए और वन क्षेत्रों के विषय में आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी है।

विवरण

जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत किए गए तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति हेतु लंबित नई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	
1.	वंसधारा परियोजना चरण II (नरेदी बैराज)
2.	सूरमपालेम फेज–II
3.	पेड्डागड्डा जलाशय परियोजना★
बिहार	
1.	तिलैया धाधर

1	2
	झारखंड
1.	पुनासी जलाशय★
2.	अजय बराज/सिक्तिया बराज
3.	कोनार सिंचाई
कर्नाटक	
1.	ऊपरी तूंगा परियोजना
2.	र्मांडेय
केरल	
1.	इडमलयार सिंचाई परियोजना
महाराष्ट्र	
1.	निचली वुन्ना परियोजना
2.	छिलेवाड़ी
मणिपुर	
1.	तिपाई मुख बांध परियोजना
ओडिसा	
1.	ऊपरी कोलाब विस्तार परियोजना–ईआरएम
2.	आईबी सिंचाई परियेाजना
3.	ओंग बांध परियोजना
4.	ब्रूटांग सिंचाई परियोजना
5.	महेंद्रतन्या सिंर्चा परियोजना
6.	ऊपरी लांघ
7.	छेल्लीगडा बाध परियोजना
8.	समाकोई
9.	हादुआ सिंचाई परियेाजना
राजस्थान	
1.	झुंझुनू एवं चुरू जिले में यमुना जल का उपयोग

1	2
	उत्तर प्रदेश
1.	मेज बांध की ऊंचाई बढ़ाना–ईआरएम
2.	बुंदेलखंड में चेनलों का संरेखण–ईआरएम

जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति हेतु लंबित संशोधित परियोजनाओं की सूची

	बिहार
1.	ऊपरी किउल जलाशय परियोजना
2.	उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना
	झारखंड
1.	कंसजोर जलाशय स्कीम
2.	सोनुआ जलाशय स्कीम

रेलगाड़ियों में अपराध

566\. **श्री मंगनी लाल मंडल :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री कीर्ति आजाद :
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :
श्री संजय धोत्रे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि फरवरी 2012 में प. बंगाल के वर्द्धमान जिले में रेलगाड़ी में एक महिला से बलात्कार किया गया एवं यात्रियों को लूटा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रेलगाड़ियों तथा स्टेशनों पर हुए बलात्कारों छपटमारी, लूट, नशाखोरी तथा डकैती के मामलों की वर्ष–वार एवं क्षेत्र–वार संख्या कितनी है; और

(घ) रेलगाड़ियों में यात्रियों की भयमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए या किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) दिनांक 25.02.2012 को लगभग 18.25 बजे गाड़ी सं. 52356 अहमदपुर–कटवा छोटी लाइन यात्री गाड़ी में यात्रा कर रहे 3–4 व्यक्तियों ने चालक दल को धमकाया घातक हथियारों से डराया और गाड़ी को पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले के पाचंदी तथा अंबलग्राम रेलवे स्टेशनों के बीच रूकवाया और गाड़ी के गार्ड, ड्राइवर तथा सहायक ड्राइवर के सामानों को छीनने के साथ–साथ यात्रियों का सामान भी लूटा।

बाद में एक महिला यात्री ने सूचित किया कि उसे गाड़ी से घसीटा गया उसके बाद रेलवे ट्रैक के बगल में उन्हीं में से एक अपराधी द्वारा बलात्कार किया गया। उसने मोबाइल तथा 1000 रु. नकद लूटे जाने की भी वारदात सुनाई।

यात्रियों एवं महिला द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर राजकीय रेलवे पुलिस/कटवा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अधीन दिनांक 25.02.2012 को अपराध संख्या 06/2012 तथा 25.02.2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 362, 376, 325, 279 के अधीन अपराध संख्या 07/2012 के तहत दो मामले दर्ज किए।

(ग) क्षेत्रीय रेलों के मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों के राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष फरवरी तक प्राप्त मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) रेल परिसरों के साथ–साथ चलती गाड़ियों में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस की सांविधिक जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस के माध्यम से करते हैं, बहरहाल, रेलवे में अपराधों के ऐसे मामलों को राजकीय रेलवे पुलिस को रिपोर्ट दर्ज तथा उनके द्वारा जांच की जाती है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्गरक्षण करके राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता प्रदान करती है।

ऐसे मामलों को रोकने तथा यात्रियों की भयमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन औसतन 1275 गाड़ियों के मार्गरक्षण के अलावा विभिन्न राज्यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा रोजाना 2200 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है।

2. 202 संवेदनशील और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा नेटवर्क के माध्यम से भेद्य स्टेशनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, एक्सेस कंट्रोल, तोड़फोड़ निरोधक जांचों से युक्त एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली अनुमोदित की गई है।

3. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआपी) द्वारा अपराधों का उचित पंजीकरण और जांच सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस के साथ सभी स्तरों पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

4. यात्रियों को ढगने वाले अपराधियों द्वारा अपनाए गए तरीकों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए यात्री जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (फरवरी तक) के दौरान बलात्कार, चोरी, लूट–पाट, यात्रियों को नशीले पदार्थ खिलाने के रिपोर्ट किए गए मामलों का ब्यौरा

रेलवे	वर्ष	बलात्कार		चोरी		लूट (डकैती और लूटपाट)		नशीले पदार्थ खिलाना	
		स्टेशनों में	स्टेशनों पर	स्टेशनों में	स्टेशनों पर	स्टेशनों में	स्टेशनों पर	स्टेशनों में	स्टेशनों पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मरे	2009	0	2	0	0	34	17	35	5
	2010	0	0	0	0	41	28	25	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2011	1	2	0	0	54	28	47	7
	2012	0	1	0	0	12	22	6	1
पूरे	2009	0	1	0	0	31	5	106	2
	2010	0	2	0	0	29	2	127	10
	2011	0	2	0	0	9	3	124	13
	2012	0	1	0	0	4	1	11	3
पूमरे	2009	0	1	0	0	54	14	139	15
	2010	0	1	0	0	40	11	151	18
	2011	0	1	0	0	35	18	229	8
	2012	0	0	0	0	4	1	19	2
पूतरे	2009	0	0	0	0	3	6	33	3
	2010	0	0	0	0	3	11	16	2
	2011	0	1	0	0	6	14	17	0
	2012	0	0	0	0	2	1	5	1
उरे	2009	0	6	0	0	34	20	22	10
	2010	0	4	0	0	38	25	112	10
	2011	0	1	0	0	69	29	240	25
	2012	0	0	0	0	2	4	21	5
उमरे	2009	0	0	0	0	7	3	10	1
	2010	0	0	0	0	7	0	31	2
	2011	0	0	0	0	10	1	62	3
	2012	0	0	0	0	1	2	11	1
पूर्वो. रे	2009	1	0	0	0	2	0	3	0
	2010	0	1	0	0	9	1	27	Q

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2011	0	0	0	0	10	0	37	1
	2012	0	0	0	0	1	0	5	0
पूसीरे	2009	0	0	0	0	18	3	82	0
	2010	0	0	0	0	12	0	58	0
	2011	0	0	0	0	13	0	120	1
	2012	0	0	0	0	2	1	19	0
उपरे	2009	0	0	0	0	1	1	17	1
	2010	0	1	0	0	0	2	15	0
	2011	0	1	0	0	2	4	14	1
	2012	0	0	0	0	0	1	2	0
दरे	2009	0	0	0	4	24	18	5	1
	2010	0	1	0	2	64	15	2	0
	2011	0	2	0	0	15	18	5	1
	2012	0	0	0	0	1	4	1	0
दमरे	2009	0	0	0	0	4	7	24	1
	2010	0	1	0	0	16	10	38	2
	2011	0	0	0	0	11	12	19	3
	2012	0	1	0	0	0	2	3	0
दपूरे	2009	0	0	0	0	14	6	64	0
	2010	0	0	0	0	6	8	53	2
	2011	1	0	0	0	8	4	51	5
	2012	0	0	0	0	0	1	4	0
दपूमरे	2009	0	0	0	0	2	4	12	0
	2010	0	0	0	0	9	4	9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2011	0	3	0	0	3	4	12	3
	2012	1	0	0	0	0	1	2	0
दपरे	2009	0	0	0	0	11	7	6	0
	2010	0	0	0	0	6	5	16	2
	2011	0	0	0	0	11	2	14	0
	2012	2	0	0	0	3	0	0	0
परे	2009	0	3	0	1	17	9	58	4
	2010	0	2	0	0	21	12	40	1
	2011	0	4	0	0	10	17	41	6
	2012	0	1	0	0	6	6	5	1
पमरे	2009	0	4	0	0	26	12	59	1
	2010	0	7	0	0	15	3	36	0
	2011	0	2	0	0	43	9	77	6
	2012	0	0	0	0	2	1	17	2
जोड़	2009	1	17	0	5	282	132	675	44
	2010	0	20	0	2	316	137	756	53
	2011	2	19	0	0	309	163	1109	83
	2012	3	4	0	0	40	48	131	16

[हिन्दी]

सैम पित्रोदा समिति

567. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला :

श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैम पित्रोदा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रमुख बिंदु क्या हैं;

(ग) रेलवे का विचार उक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धन को किस तरह जुटाने का है; और

(घ) उक्त सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, हां। श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति ने 113 विशिष्ट सिफारिशें की हैं जो रेलपथ और पुलों के आधुनिकीकरण, सिग्नलिंग प्रणाली चल स्टॉक, स्टेशनों और टर्मिनलों, पीपीपी की शुरुआत, भूमि और एयरस्पेस के उपयोग, डेडीकेटेड फ्रेटकॉरिडोर के निर्माण, उच्च-गति के पैसेंजर कॉरिडोर, प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के शीघ्रता से निष्पादन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, घरेलू विकास एवं संरक्षा से संबंधित है। समिति ने विशिष्टीकरण में वृद्धि और कुछ संगठनात्मक बदलाव करने के लिए मानव संसाधन विकास के साथ-साथ उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए संसाधन जुटाने की भी सिफारिश की है।

(ग) और (घ) सरकार ने इन सिफारिशों को बाहरवीं और तेरहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित करने के उद्देश्य से रिपोर्ट की जांच शुरू कर दी है, जैसा कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है, इस समय कोई विशेष समय-सूची इंगित नहीं है।

[अनुवाद]

सनदी लेखाकार

568. **श्री एम. के. राघवन** :
श्री सी. आर. पाटिल :

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सनदी लेखाकारों एवं लागत लेखाकारों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) जी, नहीं। इस समय देश में चार्टर्ड अकाउंटेंटों एवं लागत लेखाकारों की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुस्लिम समुदाय का कल्याण

569. **श्री बदरूद्दीन अजमल** : क्या **अल्पसंख्यक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परामर्शदात्री समिति ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुस्लिम समुदाय के कल्याण पर जोर देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा "अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण हेतु समावेशी विकास" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित मुख्य अनुशंसाओं के साथ प्रस्तुत कर दी है :-

(i) बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नियोजन की इकाई अल्पसंख्यक बहुल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र होने चाहिए तथा समन्वित बाल विकास सेवा, स्वच्छ पेय जल, वैयक्तिक स्वच्छता, मल-जल व्ययन जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(ii) अल्पसंख्यक बहुल सभी जिलों में निगरानी के लिए गैर-सरकारी संगठनों की औपचारिक नियुक्ति तथा अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षा।

(iii) 12वीं योजना में एमएसडीपी के लिए आवंटन में पर्याप्त वृद्धि किया जाना।

(iv) एमएसडीपी दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जाना ताकि जरूरत आधारित प्रस्तावों का तालमेल 15 सूत्रीय कार्यक्रम के साथ बैठाया जाना तथा दोहरीकरण से बचाव सुनिश्चित किया जाना।

(v) आंकलन एवं निगरानी प्राधिकरण के संचालन हेतु त्वरित आधार पर एक विश्वसनीय डाटा बैंक स्थापित किया जाना।

(vi) 15 सूत्रीय कार्यक्रम में विस्तार देकर लघु एवं मध्यम उद्योग, युवा मामले, कृषि जैसी योजनाओं को शामिल किया जाना।

(vii) छात्रवृत्ति योजनाएं

क. मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना को शतप्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना बनाया जाए।

ख. मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं की मांग–आधारित तथा वैश्विक योजना बनाया जाना।

ग. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि को विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग–अलग ढांचे के तहत तार्किक रूप से निर्धारित किया जाए (10+2, बेसिक डिग्री कोर्सेस, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस)।

घ. मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति तथा मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति की संख्या तथा धनराशि में वृद्धि किया जाना।

ङ यह सुनिश्चित किया जाना कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले, सभी स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना।

(viii) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों तथा नगरों/शहरों में आवासीय विद्यालय तथा छठी से बारहवीं कक्षा के अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आवासीय सामाजिक कल्याण छात्रावासों की स्थापना।

(ग) उपर्युक्त अनुशंसाओं के आधार पर मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण हेतु समावेशी विकास की दृष्टि से 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कई योजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है –

(i) विदेश में उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना।

(ii) नौवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से 9वीं कक्षा के अल्पसंख्यक छात्राओं को मुफ्त साइकिल ।

(iii) अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को सहायता, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त की हो। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।

(iv) अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 100 पिछड़े नगरों/शहरों में कौशल और व्यावसायिक शिक्षा सहित संवर्धन। यह योजना शिक्षा सहायता और छात्रावास सुविधा युक्त कौशल और व्यावसायिक शिक्षा हेतु अवसंरचना के उन्नयन और निर्माण सहित विभिन्न स्तर के स्कूलों के लिए अवसंरचना प्रदान करने के रूप में होगी।

(v) चयनित अल्पसंख्यक बहुल जिलों से बाहर पड़नेवाले अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा आबाद 1000 गांवों की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक बहुत ब्लॉकों/अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कवर न किए गए गांवों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक–आर्थिक विकास और बुनियादी सुख–सुविधाओं के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराना है।

(vi) यह योजना अल्पसंख्यक जिलों में अलपसंख्यकों के कल्याण के लिए जिला स्तरीय संस्थानों की स्थापना और उनके संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

(vii) कौशल विकास पहल नामक योजना अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार में वृद्धि और आजीविका से जुड़े कौशल में वृद्धि से संबंधित है।

चुनाव संबंधी सुधार

570. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश :**

श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा :

श्री वीरेन्द्र कश्यप :

श्रीमती जे. शांता

श्री सोमेन मित्रा :

श्री सी. शिवासामी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में व्यापक चुनाव सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने आदर्श आचार संहिता को सांविधिक रूप देने सहित कई उपाय करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो दिनेश गोस्वामी समिति की इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आदर्श आचार संहिता को सांविधिक रूप प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ठ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) व्यापक निर्वाचन सुधारों को कार्यान्वित किए जाने की दृष्टि से अपर महा–सालिसिटर की अध्यक्षता में तारीख 1 अक्तूबर, 2010 को एक कोर–समिति का गठन किया गया है। इस समिति के चर्चा के बिंदुओं में सम्मिलित है; (i) राजनीति का अपराधीकरण; (ii) निर्वाचनों का वित्तपोषण; (iii) निर्वाचनों का संचालन और बेहतर प्रबंध; (iv) राजनीतिक दलों का विनियमन; (v) राजनीतिक दलों की लेखा परीक्षा और वित्त व्यवस्था (vi) दल बदल विरोधी विधि का पुनर्विलोकन। विधायी विभाग के संरक्षण के अधीन समिति और भारत निर्वाचन आयोग के सह–प्रयोजन से भोपाल, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और बेंगलूरु और गुवाहाटी में सात प्रादेशिक परामर्श किए गए हैं, जिनमें पणधारियों के साथ परामर्श किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ राजनैतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, विधायकों, विधि–विद्वानों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विख्यात व्यक्तियों, सिविल सेवक (सेवारत और सेवानिवृत्त), छात्रों आदि से विचार सम्मिलित किए गए हैं और दृष्टिकोण एकत्रित किए गए हैं। सभी दलों से एक परामर्श भी विचाराधीन है। इन सभी परामर्शों में प्राप्त जानकारी के आधार पर या जो इन सभी परामर्शों में प्राप्त की जा सके, सरकार द्वारा सम्यक् अनुक्रम में आवश्यक समझी जाने वाली विधायी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

(ग) और (घ) दिनेश गोस्वामी ने विभिन्न उपायों की सिफारिश की थी जिसमें आदर्श आचार संहिता की अत्यावश्यकता के लिए कानूनी आधार और महत्वपूर्ण उपबंध सम्मिलित हैं। इन सिफारिशों का उद्धरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) इस समय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट से उद्धरण

6. आदर्श आचार संहिता के लिए कानूनी समर्थन:

6.1 समिति ने निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आदर्श आचार संहिता में भाग 7 की विभिन्न मदों, सत्तारूढ़ दल पर विचार किया।

कानून में केवल अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण उपबंध ही समाविष्ट हों।

6.2 समिति का यह विचार है कि कानून के अधीन आचार संहिता के केवल ऐसे उपबंध जाए जाने चाहिए जो अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण प्रकृति के हों। समिति को ऐसा लगता है कि मंत्रियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट आचरण के रूप में आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन का परिणाम निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी को दंड देना होगा जिसने ऐसे उल्लंघन के संबंध में कोई भाग नहीं लिया हो। तथापि समिति इस बात से सहमत है कि टिप्पण के पैरा 11.6 में प्रगणित मदें कानून के अधीन भ्रष्ट आचरण के बजाए निर्वाचन अपराध के रूप में लाई जानी चाहिए।

मदों का ब्यौरा

6.3 निम्नलिखित मदें हैं जो समिति के अनुसार प्रस्तावित निर्वाचन अपराध की परिधि में लाए जाने चाहिए

(क) निर्वाचन से संबंधित कार्य को शासकीय दौरे के साथ मिलाना या ऐसे किसी भी कार्य के

संबंध में सरकारी मशीनरी या कार्मिकों का उपयोग करना;

(ख) निर्वाचन से संबंधित किसी भी कार्य के संबंध में, शासकीय वायुयान, यान, मशीनरी और कार्मिक सहित सरकारी परिवहन का उपयोग करना;

(ग) निर्वाचन से संबंधित किसी भी कार्य के संबंध में निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए या वायु उड़ानों के लिए हैलीपैडों हेतु लोक साधनों को निर्बंधित करना या उस पर एकाधिकार रखना;

(घ) निर्वाचन प्रचार के प्रयोजनों के लिए विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी वास सुविधा या ऐसी वास-सुविधा (उससे अनुलग्न परिसर सहित) को, प्रचार कार्यालय के रूप में या कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करने के लिए निर्बंधित करना या उस पर एकाधिकार रखना;

(ङ) समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में सरकारी खजाने की लागत पर विज्ञापन जारी करना;

(च) किसी भी दल या अभ्यर्थी की संभाव्यता को बढ़ाने की दृष्टि से राजनैतिक समाचारों के तरफदारी के विस्तार के लिए सरकारी समाचार मीडिया का उपयोग करना;

(छ) किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा करना या उसे मंजूर करना या विवेकाधीन निधियों से संदाय करना;

(ज) परियोजनाओं की आधार शिला रखना या किसी भी प्रकार की स्कीमों का उद्घाटन करना या सड़कों के सन्निर्माण या किन्हीं सुविधाओं के उपबंध का वचन देना;

(झ) किसी भी दल या अभ्यर्थी की संभाव्यता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन अवधि के दौरान सरकारी या लोक उपक्रम में कोई भी तदर्थ नियुक्ति करना;

(ञ) किसी मंत्री द्वारा अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्त्ता की हैसियत के सिवाय किसी मतदान केंद्र या मतगणना के स्थान में प्रवेश करना;

(ट) भावी निर्वाचन के समय धारा 28क में विर्निदिष्ट अधिकारियों और कर्मचारीवृंद के स्थानांतरण पर पाबंदी लगाना।

नई रेलगाड़ियां शुरू करना

571. **श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :**
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री हरिभाऊ जावले :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री भरत राम मेघवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास फिरोजपुर तथा दिल्ली के बीच मोगा होकर सुपरफास्ट रेलगाड़ी कुंभ मेले के मद्देनजर दिल्ली से इलाहाबाद तक रोजाना दुरंतो रेलगाड़ी, भुसावल से मुंबई के बीच रेलगाड़ी रायपुर से डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़) के बीच स्थानीय रेलगाड़ी, गगनगढ़ एवं हनुमानगढ़ (राजस्थान) के बीच रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक चलाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेल संख्या 12111 (भुसावल स्टेशन से चलने वाली) में अतिरिक्त शयनयान तथा वातानुकूलित शयनयान लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लगाए जाने की संभावनाए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी नहीं। नई गाड़ियां शुरू करने के लिए रेलवे प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर बहुत अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं यथा व्यावहारिक और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है बशर्ते परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, यातायात औचित्य आदि हो। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) 12111/12112 मुंबई सीएसटी–अमरावती एक्सप्रेस में 24.03.2011 से दो स्लीपर श्रेणी और एक वातानुकूलित III टियर तथा 09.09.2011 से एक वातानुकूलित प्रथम श्रेणी–सह–सेकेंड एसी डिब्बे लगाए गए हैं। भारतीय रेलों पर गाड़ियों में स्लीपर श्रेणी और वातानुकूलित डिब्बों सहित डिब्बों को जोड़ना एक सतत् प्रक्रिया है और यातायात स्वरूप, परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक औचित्य और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत व्यय

572. **श्रीमती ज्योति धुर्वे :**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :
श्री संजय दीना पाटील :
श्री हमदुल्लाह सईद :
श्री गणेश सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित एवं जारी की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) राज्यों द्वारा आबंटित धनराशि के अल्प उपयोग के क्या कारण हैं;

(घ) इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) मध्य प्रदेश सहित देश में उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत तथा रोजगार पाए व्यक्तियों की राज्य–वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक मांग आधारित योजना है तथा जिलों/राज्यों को निधियों की रिलीज सहमत श्रम बजट के आधार पर की जाती है। मनरेगा का कार्यान्वयन मांग आधारित योजनाओं के रूप में किया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित की जानी हैं। राज्यों को धनराशि का आबंटन नहीं किया जाता। राज्यों को निधियों की रिलीज उनकी आवश्यकता के अनुसार की जाती है जिसका आकलन श्रम मांग के अग्रिम अनुमान के आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों, किए गए कुल व्यय, जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों की संचयी संख्या तथा रोजगार पाने वाले परिवारों का पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण संलग्न है। मनरेगा में ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों। इसकी अधिकतम सीमा प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रति परिवार 100 दिन की है। मनरेगा की अनुसूची–II के पैरा 1 में दिया गया है कि प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों तथा अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, जॉब कार्ड जारी करने के लिए अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते हैं। तथापि, इस अधिनियम के अंतर्गत, जॉब कार्ड जारी किए जाने का मात्र से ही कोई परिवार रोजगार पाने का पात्र नहीं हो जाता। इस अधिनियम की अनुसूची–II के पैरा 9 के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने का हकदार बनने के लिए काम के लिए आवेदन भी करना होता है। चूंकि रोजगार मांग पर उपलब्ध कराया जाता है इसलिए रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग की गई निधियों की मात्रा काम की मांग पर आधारित होती है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	केन्द्रीय रिलीज (लाख रु. में)				कुल व्यय (लाख रु. में)				परिवारों कीसंचयी संख्या जिन्हें जॉब कार्ड प्रदान किया गया (पंजीकृत परिवार)				रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या			
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 फरवरी, 2012 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 फरवरी, 2012 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 फरवरी, 2012 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 फरवरी, 2012 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आंध्र प्रदेश	321910.2	378160.2	741807.0	46084.0	296390.4	450918.0	543938.6	323299.5	11347815	11722646	11991323	11853964	5699557	6158493	6200423	4606635
2	अरुणाचल प्रदेश	2948.8	3386.2	3528.5	5280.8	3289.5	1725.7	5057.3	14.6	154957	135140	170350	49393	80714	68157	134527	2381
3	असम	95872.2	77888.5	60928.7	34304.1	95380.7	103389.8	92104.4	49597.1	2970522	3611714	4369561	3884253	1877393	2137270	1798372	1002870
4	बिहार	138819.1	103278.5	210365.5	121573.4	131648.0	181687.6	266425.2	58995.2	10284009	12403792	13044879	11798826	3822484	4127330	4738464	774277
5	छत्तीसगढ़	166449.3	82710.3	168505.0	145684.5	143447.5	132266.7	163397.8	143890.5	3354795	3574607	3911126	4329014	2270415	2025845	2485581	2338507
6	गुजरात	16419.2	77729.7	89486.1	25329.0	19600.7	73938.3	78822.0	44012.0	2877792	3570123	3955998	4072689	850691	1596402	1096223	698168
7	हरियाणा	13656.7	12400.4	13100.1	23991.5	10988.2	14355.3	21470.4	17935.1	377568	459367	582737	646512	162932	156406	235281	218332
8	हिमाचल प्रदेश	40974.6	39542.5	63625.0	29538.2	33227.6	55655.8	50196.4	33351.9	849993	994969	1050602	1088618	445713	497336	444247	413693
9	जम्मू एवं कश्मीर	10472.5	17569.0	31359.9	61896.8	8772.0	18531.3	37776.7	17128.7	497175	664494	1001681	631331	199166	336036	492277	207129
10	झारखंड	180580.1	81216.2	96286.9	93153.7	134171.7	137970.2	128435.4	81830.9	3375992	3697477	3920922	3992337	1576348	1702599	1987360	1323293
11	कर्नाटक	39851.1	276998.2	157305.0	65856.9	35787.5	273919.4	253716.5	131934.3	3420945	5220895	5294245	5510135	896212	3535281	2224468	976339
12	केरल	19887.3	46771.4	70423.2	77747.6	22453.7	47151.4	70434.1	67476.9	1897713	2599453	2915670	1779021	692015	955976	1175816	1341199
13	मध्य प्रदेश	406111.5	351923.7	256577.0	253434.3	355496.2	372228.1	363724.9	213092.6	11229547	11292252	11384370	11775437	5207665	4714591	4407643	2942608
14	महाराष्ट्र	18756.1	24965.1	20471.1	76963.1	36154.3	32109.3	35812.0	70429.7	4814593	5699877	5832823	6393124	906297	591547	451169	922355
15	मणिपुर	36541.0	43681.4	34298.8	51237.4	34965.8	39316.9	44070.5	8075.7	385836	426533	444886	411129	381109	418564	433856	252199
16	मेघालय	7802.6	21136.8	20980.8	22308.7	8945.1	18352.8	31902.4	16056.8	298755	372523	398226	444711	224263	300482	346149	274576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17	मिजोरम	15194.2	27697.0	21602.8	31196.0	16455.7	23824.0	29315.1	9856.0	172775	180803	170894	203407	172775	180140	170894	167307
18	नागालैंड	26805.7	56292.3	51156.8	57387.3	27231.2	49945.8	60537.5	17108.6	296738	325242	350815	370080	296689	325242	350815	228245
19	उड़ीसा	87843.7	44581.3	156186.4	78042.5	67829.3	93898.4	153314.3	71792.6	5267853	5802442	6025230	6124910	1199006	1398300	2004815	1172044
20	पंजाब	6775.3	14318.5	12879.2	10829.4	7177.1	14992.0	16584.2	11469.9	524928	704874	821076	855121	147336	271934	278134	197562
21	राजस्थान	652157.2	594264.5	278882.0	131769.6	616439.7	566903.4	328907.1	223964.7	8468740	8827935	9274312	9719952	6373093	6522264	5859667	4274896
22	सिक्किम	4097.1	8857.4	4448.6	7874.2	4275.6	6409.0	8525.7	3164.3	77112	70050	73575	77591	52006	54156	56401	37482
23	तमिलनाडु	140126.6	137118.9	202489.8	259752.2	100406.5	176123.5	232332.0	190390.2	5512827	6535710	7347187	8062287	3345648	4373257	4969140	5614541
24	त्रिपुरा	46036.6	88636.0	38260.7	89072.7	49077.1	72940.8	63186.9	66201.3	600615	607010	584900	600261	549022	576487	557055	556068
25	उत्तर प्रदेश	393390.1	531887.2	526658.9	404748.0	356887.7	590003.9	563120.1	359850.2	10652018	11698780	13052850	14352712	4336466	5483434	6431213	6379217
26	उत्तराखंड	10116.4	27960.2	28980.9	32669.4	13579.3	28309.1	38019.9	23717.3	817753	893496	974529	1004902	298741	522304	542391	334340
27	पश्चिम बंगाल	92275.1	178729.0	211761.0	232503.2	94038.5	210898.2	253246.1	153357.6	9556067	10351948	10731538	10974750	3025854	3479915	4998239	3639878
28	अंडमान व निकोबार	702.8	241.2	768.6	1602.5	327.5	1226.1	903.7	811.6	23313	12763	44406	56318	5975	20337	17636	13103
29	दादरा और नगर हवेली	45.1	39.2	47.7	100.0	1.0	134.0	123.0	0.0	8100	10923	11135	0	1919	3741	2290	0
30	दमन व दीव	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	गोवा	618.2	20.7	507.8	259.6	250.0	470.1	993.3	644.8	10244	14279	21032	28076	0	6604	13897	10582
32	लक्षद्वीप	262.3	200.0	233.6	35.0	178.7	201.5	251.7	181.4	3313	6079	7787	7508	3024	5192	4507	3183
33	पुडुचेरी	419.4	459.9	2982.1	0.0	136.1	726.9	1082.1	978.1	15547	60780	63769	65299	12264	40377	38118	39774
34	चंडीगढ़	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	2993960.0	3350661.1	3576895.3	2472225.6	2725009.9	3790522.8	3937727.1	2410610.1	100145950	112548976	119824434	121163668	45112792	52585999	54947068	40962783

ओएनजीसी द्वारा गैस का उत्पादन

573. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा कितनी गैस का उत्पादन किया जा रहा है तथा इनमें से औद्योगिक घरानों तथा अन्य क्षेत्रों को कितनी गैस वितरित की जाती है;

(ख) औद्योगिक घरानों द्वारा ओएनजीसी को भेजे गए अनुरोधों/आवेदनों की संख्या तथा इनमें से मंजूर एवं लंबित आवेदनों का ब्यौरा क्या है और इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात में उत्पादित गैस की कुछ मात्रा का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा गैस के समुचित उपयोग हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) वर्तमान वर्ष 2011–12 और अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 के दौरान ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने गुजरात में 1433 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) प्राकृतिक गैस उत्पादित की है। ओएनजीसी द्वारा उत्पादित गैस आंतरिक उपभोग को पूरा करने के बाद, आगे के परिवहन और विभिन्न उपभोक्ताओं को वितरण के लिए गेल (इंडिया) लि. को थोक में आपूर्ति कर दी जाती है और अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक की अवधि के दौरान लगभग 930 एमएमएससीएम गैस गेल (इंडिया) लि. को बेची गई है। तथापि, वर्तमान में गुजरात में सीधे विपणन के तहत 54 विभिन्न उपभोक्ताओं को लगभग 5.79 लाख घन मीटर प्रतिदिन (एलसीएमडी) की दर से गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) यद्यपि ओएनजीसी को उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस आबंटित करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं था, फिर भी ओएनजीसी ने दिसम्बर, 2008 से गुजरात में 85 उद्योगों से अनुरोध/आवेदन पत्र प्राप्त किए थे। जनवरी, 2012 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 0.1 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) के उच्चतम उत्पादन वाले लघु/अलग-अलग और सीमांत क्षेत्रों से उपलब्ध घरेलू गैस के लिए ग्राहकों के चयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और ओएनजीसी को, ऐसी गैस के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से उपभोक्ताओं की पहचान करने की अनुमति दी है।

(ग) अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक गुजरात में ओएनजीसी द्वारा उत्पादित 1433 एमएमएससीएम गैस में से केवल 46 एमएमएससीएम गैस का उपयोग नहीं हो पाया था। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत गुजरात में उत्पादित 201.02 एमएमएससीएम गैस में से केवल 2.87 एमएमएससीएम गैस का उपयोग नहीं हो पाया था जो अधिकांशतः तकनीकी कारणों से हुआ था।

(घ) वर्तमान में प्राकृतिक गैस, सरकार द्वारा प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में गैस उपयोग नीति के अनुसार आबंटित की जाती है :–

1 गैस–आधारित उर्वरक संयंत्र

2 गैस–आधारित एलपीजी संयंत्र

3 गैस–आधारित ऊर्जा संयंत्र

4 घरेलू (पीएनजी) और परिवहन (सीएनजी) क्षेत्रों को आपूर्ति करने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियां।

5 अन्य में इस्पात संयंत्र (केवल फीडस्टॉक के लिए और निजी विद्युत आवश्यकता के लिए नहीं) पेट्रोलियम संयंत्र (केवल फीडस्टॉक के लिए और निजी विद्युत आवश्यकता के लिए नहीं), रिफाइनरियां, 50,000 एससीएमडी तक (मानक घन मीटर प्रतिदिन) का उपभोग करने वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति के लिए सीजीडी कंपनियां, निजी विद्युत संयंत्र आदि शामिल हैं।

ओएनजीसी गैस की बर्बादी को कम करने के लिए और गैस उपयोग को अधिकतम करने के लिए अहमदाबाद की परिसंपत्ति में कंप्रेसर लगा रहा है। इसके अतिरिक्त, निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत गुजरात में आस-पास के लघु उद्योगों (जैसे शिल्प संयंत्र आदि) को उत्पादित गैस की लघु मात्रा को भी बेचकर गैस के उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रयास कर रही हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

574. **श्री ओम प्रकाश यादव :**
श्री गोरखनाथ पाण्डेय :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री एस. एस. रामासुब्बू :
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कुछ न्यायाधीशों के आचरण में बढ़ती हुई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की भूमिका तथा देश में न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार न्यायाधीशों की भर्ती के लिए कोई पारदर्शी प्रविधि अपनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) न्यायपालिका में अनियमितता के अभिकथन सरकार की जानकारी में आए हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरूद्ध प्राप्त परिवादों को इस समय 1990 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में की गई चर्चा और अधिकथति रीति में कार्यवाही की जाती हैं और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा समाहार के विषय में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के ऊपर प्रशासनिक नियत्रण, सबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार में निहित होता है।

(घ) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की परिवादों का अन्वेषण करने के लिए विद्यमान प्रणाली को परिवर्तित करने का प्रस्ताव है जिससे कि और अधिक जवाबदेही प्रवर्तित की जा सके। ''न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010'' के नाम से एक व्यापक विधयेक इस उद्देश्य से संसद में पुरःस्थापित किया गया है। विधेयक परिवादों को देखने के लिए व्यापक प्रणाली का उपबंध करने के अतिरिक्त साथ ही शास्तियां जो जांच के पूरा होने पर अधिरोपित की जा सकती हैं, न्यायिक मानकों का उपबंध करता है और पदस्थ न्यायाधीशों के लिए उपबंध करता है कि वे अपनी संपत्ति/दायित्व घोषित करें।

(ङ) और (च) भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय और तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय पर आधारित है। यह प्रचलन में रही है यद्यपि, इसके संबंध में विभिन्न मंचों पर विचार–विमर्श किया गया है तथा विद्यमान प्रक्रिया को बदलने के लिए मांगें उठती रही हैं। तथापि, न्यायाधीशों के चयन और नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली के विकल्प के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

विवरण

1990 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायिक जवाबदेही के मुद्दे पर चर्चा की गई थी और विचार–विमर्श से उत्पन्न व्यापक सहमति के आधार पर भारत के मुख्य न्यायधीश ने स्थिति का इस प्रकार समाहार किया :

''उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति अपने न्यायालय के न्यायधीशों के आचरण के विरूद्ध परिवाद अभिप्राप्त करने के लिए सक्षम हैं और जब वह कोई परिवाद प्राप्त करते हैं तो उसे एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए देखेंगे यदि परिवाद इस योग्य है कि उसे गंभीरता से देखा जाए। जहां उनका यह समाधान हो जाता है कि किसी मामले की जांच की जानी अपेक्षित है, तो वह तथ्यों को वह ऐसी रीति में अभिनिश्चित करेंगे जो वह अभिकथन की प्रकृति को विचार में रखते हुए समुचित समझें और यदि उनकी यह राय है कि ऐसा मामला है जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को रिपोर्ट किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करेंगे। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित परिवादों के विषय में और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के आचरण के विषय में उसी रीति में कार्यवाही करेंगे।

अभिनिश्चित किए गए तथ्यों के आधार पर यथास्थिति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ऐसी समुचित कार्यवाही करेंगे जो सर्वोपरि मनन के रूप में न्यायपालिका के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित समझी जाए।''

तीव्र गति गलियारे में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

575. **श्री एंटो एंटोनी :**
श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री वैजयंत पांडा :
श्री के. सुगुमार :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का निधियों की कमी से निपटने के लिए तीव्र गति गलियारे के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चिह्नित गलियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को विभिन्न राज्यों से अपने यहां तीव्र गति गलियारे स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) इसमें शामिल/संभावित वित्तीय प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्य सरकारें इन परियोजनाओं में शामिल लागत में अपना अंश देने में सहमत हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) उच्च गति रेल परियोजनाएं पूंजीपरक हैं। प्रत्येक ऐसे गलियारे के लिए वित्तीय योजना विनिर्दिष्ट होगी जो उसकी लागत और विभिन्न स्त्रोतों से धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। रेल मत्रालय (एमओआर) के पास पर्याप्त धन की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी इन परियोजनाओं को धन पोषित करने के महत्वपूर्ण विकल्पों में से एक विकल्प होगा। अभी तक पीपीपी विकल्प के माध्यम से किसी भी विशिष्टि गलियारे को चिह्नित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए गलियारे का चुनाव इन खंडों की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये गलियारे हैं :–

(i) पुणे–मुंबई–अहमदाबाद (लगभग 650 किमी)

(ii) हैदराबाद–दोर्णाकल–विजयवाड़ा–चेन्नै (लगभग 664 किमी)

(iii) हावड़ा–हल्दिया (लगभग 135 किमी)

(iv) दिल्ली–आगरा–लखनऊ–वाराणसी–पटना (लगभग 991 किमी)

(v) दिल्ली–चंडीगढ़–अमृतसर (लगभग 450 किमी)

(vi) चेन्नै–बेंगलूरू–कोयंबतूर–एर्णाकुलम–तिरूवनंतपुरम (लगभग 850 किमी)

उपर्युक्त सभी गलियारों के पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। मद सं. (i) के गलियारे का अध्ययन पूरा हो गया है। उपर्युक्त मद सं. (ii), (iii) तथा (iv) के गलियारों का अध्ययन प्रगति पर है जबकि मद सं. (v) तथा (vi) के लिए निविदाओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

(ङ) पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन में 2009 की कीमतों पर पुणे–मुंबई–अमदाबाद गलियारे की लागत लगभग 55,800 करोड़ रु. आंकी गई है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सवारी डिब्बे

576. **श्री दारा सिंह चौहान :**
श्री रेवती रमण सिंह :
श्री ए. सम्पत :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश में सवारी डिब्बों की भारी कमी का

सामना कर रहा है और यात्रियों के लिए असुविधाजनक पुराने क्षतिग्रस्त सवारी डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का देश में नए रेल डिब्बा कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) अधिक संख्या में नई रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि संबंधी अपूरित मांगों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलों में सवारी डिब्बों की कमी है। गाड़ी सेवाओं में केवल पूर्ण रूप से उपयुक्त सवारी डिब्बों को ही जोड़ा जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) निम्नलिखित स्थानों पर नई रेल कोच फैक्टिरयां स्वीकृत की गई हैं/की योजना है :

स्वीकृत

(i) रायबरेली

(ii) कांचरापाड़ा

योजनागत

(iii) पालक्काड़

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पीएमजीएसवाई कार्यों में विलंब

577. **श्री विश्व मोहन कुमार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों, विशेषकर बिहार में माधेपुरा और सुपोल में कार्यों के विलंब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यों के कब तक सुचारु रूप से चलने की संभावना है;

(ग) क्या पीएमजीएसवाई के पूर्व संस्वीकृत कार्यों को पूरा नहीं किया गया है और सड़कें अत्यन्त ही खराब स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यान्वयन एजेंसियों और उक्त कार्यों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) "ग्रामीण सड़क" राज्य का विषय है तथा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। कुछ राज्यों में पीएमजीएसवाई की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। ऐसे राज्य अपर्याप्त संस्थागत क्षमता, संविदा की सीमित क्षमता, पर्याप्त संख्या में योग्य तकनीकी कर्मियों की अनुपलब्धता, कामकाज का सीमित मौसम तथा प्रतिकूल जलवायु स्थिति, भूमि की अनुपलब्धता तथा वन क्षेत्रों में आने वाली भूमि की मंजूरी न मिलना, कानून व्यवस्था की समस्या की वजह से पीएमजीएसवाई योजनाओं के निष्पादन में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। माधेपुरा में मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंजूर किए गए 32 पैकेजों में से 158 कि.मी. की कुल लंबाई वाले 24 पैकेज 29.2.2012 की स्थिति के अनुसार पूरे किए गए हैं। सुपोल जिले में 12.01.2010 तक मंजूर की गई 108 कि. मी. की कुल लंबाई वाले 22 पैकेजों में से, 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार 97 किमी की लंबाई वाले 19 पैकेज पूरे किए गए हैं।

(ग) से (ङ) सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं तथा अन्य अधिकारियों के जरिए राज्य सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई कार्यों का वास्तविक पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, औचक आधार पर कुछ पीएमजीएसवाई कार्यों का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं को भी भेजा जाता है।

तीसरी रेल लाइन

578. **श्री बलीराम जाधव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का नागपुर और वर्धा के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का नागपुर और नई दिल्ली के बीच दूरंतो रेलगाड़ी आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां, नागपुर–वर्धा के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 76.30 किमी. तीसरी लाइन के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 211.30 करोड़ रु. है जिसकी प्रतिफल की दर 17.63 प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं। दूरंतो गाड़ियां सहित नई गाड़ियों की सेवा आरंभ करना परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, यातायात औचित्य आदि के अंतर्गत एक निरंतर कार्यक्रम रहता है। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

579. **श्री किसनभाई वी. पटेल :**

श्री प्रदीप माझी :

क्या **ग्रामीण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की स्थापना को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु राज्यों को आवंटित राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अभी तक उक्त कार्यक्रम पूरे किए गए हैं और इन राज्यों में किस हद तक भू–अभिलेखों को सुचारू बनाया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिशिर अधिकारी) : (क) से (ङ) मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त, 2008 को हुई उसकी बैठक में राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा भू–अभिलेख का अद्यतनीकरण (एसआरए एंड यूएलआर) तथा भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर) की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के आमेलन और उन्हें राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के रूप में संशोधित केंद्रीय प्रायोजित योजना से प्रतिस्थापन को अनुमोदित किया था। एनएलआरएमपी के अंतर्गत सभी कार्यकलापों को जिले में आमेलित किया जाना होता है और जिला कार्यान्वयन की इकाई होगा। कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करना होता है और यह आशा की जाती है कि देश में सभी जिले 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शामिल कर लिए जाएंगे। एनएलआरएमपी के अंतर्गत अभी तक स्वीकृत की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। एनएलआरएमपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के अलग–अलग चरणों में प्रगति पर हैं।

विवरण

29 फरवरी, 2012 तक राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल जारी की गई धनराशि
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	3474.24
2	अरुणाचल प्रदेश	48.60
3	असम	2135.75
4	बिहार	3211.94
5	छत्तीसगढ़	2468.57
6	गुजरात	6242.69
7	गोवा	0.00
8	हरियाणा	3761.48

1	2	3
9	हिमाचल प्रदेश	815.77
10	जम्मू और कश्मीर	889.96
11	झारखड	2389.91
12	कर्नाटक	0.00
13	केरल	700.79
14	मध्य प्रदेश	9745.97
15	महाराष्ट्र	4599.43
16	मणिपुर	168.53
17	मेघालय	623.75
18	मिजोरम	362.92
19	नागालैंड	815.14
20	ओडिसा	2538.54
21	पंजाब	1399.78
22	राजस्थान	4137.21
23	सिक्किम	75.06
24	तनिलनाडु	281.14
25	त्रिपुरा	774.96
26	उत्तर प्रदेश	1852.49
27	उत्तराखंड	117.50
28	पश्चिम बंगाल	7491.37
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	72.25
30	चंडीगढ़	0.00
31	दादर और नगर हवेली	91.65
32	दिल्ली	117.50
33	दमन और दीव	103.72
34	लक्षद्वीप	166.41
35	पुडुचेरी	344.57
	योग सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	62019.56925

सीमेंट विनिर्माताओं का संघ

580. **श्री ताराचन्द भगोरा** : क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीमेंट विनिर्माताओं के संघ की जांच कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंभीर अपराध जांच कार्यालय ने भी मामले की जांच की है और उक्त मामले में एक चिंताजनक रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन संघों के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सीमेंट निर्माताओं के संदर्भ में दो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें अनुचित व्यापार व्यवहारों, मूल्य नियंत्रण, उत्पादन सीमित करने, आपूर्ति रोकने एवं मूल्य तय करने में मिलीभगत आदि के आरोप लगाए गए थे। इनमें से एक बिल्डर एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी एवं दूसरी तत्कालीन एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग के महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) से अंतरित की गई थी।

(ग) जी, नहीं। एसएफआईओ ने सीमेंट निर्माताओं द्वारा निर्माता संघ बनाने के मामले की जांच नहीं की है किंतु कंपनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में अनियमितताओं/उल्लंघनों हेतु कुछ कंपनियों की जांच की है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना

581. **श्री अजय कुमार** :
श्री गोरखनाथ पाण्डेय :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायिक मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु देश में और अधीनस्थ न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों की स्थापना हेतु आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में अभी तक कितने ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए हैं,

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार का मामलों के शीघ्र निपटान हेतु जिला न्यायालयों में लंबित सभी मामलों को ग्राम न्यायालयों में हंस्तातरित करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) संवैधानिक उपबंधों के अनुसार देश में अधीनस्थ न्यायालयों को गठित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होता है। केंद्रीय सरकार अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना साथ ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए केंद्रीयकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन अवसंरचना साथ ही ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम के अधीन केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रत्यनों को पूरा करती है।

(ग) केंद्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायपालिका की अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 883.61 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए राज्यों को 25.39 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार अभी तक 153 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित कर दिया गया है। जिनमें से 151 ग्राम न्यायालयों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। राज्य सरकारों को ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके लिए 18.00 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अध्यधीन ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए गैर–आवत्ती व्ययों को पूरा करने के लिए राज्यों को केंद्रीय सरकार सहायता दे रही है। केंद्रीय सरकार पहले तीन वर्षों के लिए 3.20 लाख रुपए प्रति ग्राम न्यायालय की सीमा के अध्यधीन इन ग्राम न्यायालयों के चलाने के लिए आवत्ती व्ययों की सहायता भी प्रदान करती है।

(च) और (छ) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अधीन ग्राम न्यायालय इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में और विस्तार तक सिविल और दांडिक अधिकारिता दोनों का प्रयोग करेगी। ग्राम न्यायालय किसी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगी और (क) प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगी; और (ख) उस अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अधिनियमितयों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगी और अनुतोष मंजूर करेगी, यदि कोई है। ग्राम न्यायालय को (क) दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट विवादों के वर्गों के अधीन आने वाले सिविल प्रकृति के सभी वादों और कार्यवाहियों की अधिकारिता होगी; (ख) दावों और विवादों के सभी वर्ग जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा और उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के विचारण की अधिकारिता होगी। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की पहली और दूसरी अनुसूची के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, यथास्थिति जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसी तारीख से जो उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जा सके, अपने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित सभी सिविल या दांडिक मामले ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेगी जो ऐसे मामलों के विचारण या निपटारे के लिए सक्षम है।

विवरण

भारत का राजपत्र असाधारण भाग–II

पहली अनुसूची

(धारा 12 और धारा 14 देखिए)

भाग 1

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध, आदि

(i) ऐसे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं हैं;

(ii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379, धारा 380 या धारा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 411 के अधीन, चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करना या प्रतिधारित करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(iv) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 414 के अधीन, चुराई गई संपत्ति को छुपाने या उसके व्ययन में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 454 और धारा 456 के अधीन अपराध;

(vi) भारतीय दंड संहिता (1860 का 46) की धारा 504 के अधीन शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय सेअपमान और धारा 506 के अधीन ऐसी अवधि के, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय आपराधिक अभित्रास;

(vii) पूर्वोक्त अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण;

(viii) पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो।

भाग 2

अन्य केंद्रीय अधिनियमों के अधीन अपराध और अनुतोष

(i) ऐसे किसी कार्य द्वारा गठित कोई अपराध, जिसकी बाबत पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकेगा;

(ii) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4);

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11);

(iv) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22);

(v) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पत्नियों, बालकों और माता–पिता के भरण–पोषण के लिए आदेश;

(vi) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);

(vii) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25);

(viii) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)।

भाग 3

राज्य अधिनियमों के अधीन अपराध और अनुतोष
(राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले)

दूसरी अनुसूची

(धारा 13 और धारा 14 देखिए)

भाग 1

ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर सिविल प्रकृति के वाद

(i) सिविल विवाद;

(क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार;

(ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग;

(ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने काविनियमन और समय;

(ii) संपत्ति विवाद :

(क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा);

(ख) जलसरणियां;

(ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार;

(iii) अन्य विवाद :

(क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे;

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे;

(ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद;

(घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद;

(ङ) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद।

भाग 2

केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित केंद्रीय अधिनियमों के अधीन दावे और विवाद

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले)

भाग 3

राज्य सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित राज्य अधिनियमों के अधीन दावे और विवाद

(राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले)

टी.के. विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार।

उत्पादन हिस्सेदारी संविदा

582. श्री सी. राजेन्द्रन :

श्रीमती भावना पाटील गवली :

श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई अन्वेषण और लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत निजी और विदेशी कंपनियों के बीच हस्ताक्षर किए गए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) का ब्यौरा क्या है और निजी कंपनियों को किस हद तक हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है तथा बेसिन–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्व हितों के सुरक्षोपाय हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पीएससी का उल्लंघन करने वाली चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का पीएससी के अंतर्गत लाभ हिस्सेदारी सूत्र से निवेश घटक को अलग करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा बोली के लिए लाभ हिस्सेदारी प्रतिशत निर्धारित करने संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत, नई अन्वेषण, लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अब तक किए गए आठ दौरों के तहत कुल 235 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं। इनमें से 65 ब्लॉक निजी कंपनियों को और 36 ब्लाक प्रचालक के रूप में विदेशी कंपनियों को प्रदान किए गए थे। दिए गए ब्लाकों के बेसिन–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

एनईएलपी निती के तहत, कोई कंपनी, निजी, विदेशी या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) 100% की सीमा तक भागीदारी हित (पीआई) के साथ अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोली दे सकता है।

(ख) एनईएलपी ब्लाकों की पेशकश राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज), निजी और विदेशी कंपनियों के लिए लागू समान निबंधनों और शर्तो पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। बोली मूल्यांकन (बीईसी) विभिन्न एनईएलपी दौरों के प्रस्ताव आमंत्रित करने वाले नोटिस (एनआईओ) में निर्धारित किए जाते हैं। मुख्य बोली मूल्यांकन प्राचल निम्नानुसार हैं :

— बोली देने योग्य कार्य कार्यक्रम

—राजकोषीय पैकेज

—तकनीकी क्षमता

उपर्युक्त प्राचलों में से प्रत्येक प्राचल में जमीनी, उथले समुद्री और गहरे समुद्री ब्लाकों के लिए विनिर्दिष्ट प्राथमिकताएं निहित हैं। उच्चतम प्राथमिकता वाले और एनआईओ में अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले बोलीदाता को ब्लाक प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रिजर्वायर संबंधी अनपेक्षित बदलावों के कारण, पेट्रोलियम के ऊंचे मूल्यों और/या अधिक मात्रा में उत्पादन से जब अप्रत्याशित लाभ होता है तो निवेश गुणकों (आईएम) से भी लाभ का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा अर्जित करने में सरकार को मदद मिलती है।

केंद्र और राज्य सरकार क्रमशः अपतट और जमीनी क्षेत्र में एनईएलपी के तहत दिए गए ब्लाकों के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएल) शुल्क प्राप्त करती हैं। इसके अलावा जमीनी/अपतटीय ब्लाकों के लिए राज्य/केंद्रों सरकार को प्रचालक द्वारा तेल/गैस के उत्पादन पर रायल्टी देय होती है।

(ग) संविदाकारों को संबंधित पीएससीज में यथा विनिर्दिष्ट, पीएससीज में परिभाषित निर्धारित समयावधि में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) पूरा करना होता है। संविदाकारों को अन्वेषण विकास और उत्पादन कार्यकलापों के संबंध में पीएससीज के विभिन्न अन्य प्रावधानों का भी पालन करना होता है।

यदि संविदाकार पीएससी में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर एमडब्ल्यूपी पूरा नहीं कर पाता, तो संविदाकार परिनिर्धारित नुकसानों की अदायगी या पीएससी प्रावधानों और संगत सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अधूरे कार्य कार्यक्रम की लागत देने सहित सरकार की वर्तमान विस्तार नीति के निबंधनों और शर्तों को पूरा करके समय बढ़ाने के लिए निवेदन कर सकता है।

(घ) से (च) एनईएलपी के बोली दौरों के निबंधनों और शर्तों में सुधार लाने के उद्देश्य से लाभ हिस्सेदारी प्रतिशतता और साथ ही उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) अनुच्छेदों सहित विभिन्न निबंधनों और शर्तों की एनईएलपी बोली के प्रत्येक दौर के आरंभ से पहले सभी पणधारियों के साथ परामर्श करके समीक्षा की जाती है।

विवरण

एनईएलपी के तहत निजी/विदेशी कंपनियो को दिए गए बेसिन–वार ब्लाक

क्र.सं.	कंपनी	बेसिन																	
		खंभात	असम–अराकान	कृष्णा–गोदावरी	महानदी–एनईसी	कावेरी	कावेरी–पलार	पलार	केरल–कोंकण	गुजरात–सौराष्ट्र	मुंबई	गुजरात–कच्छ	सौराष्ट्र	राजरथान	गंगा–घाटी	अंडमान	डक्कन–सिनेक्लाइज	सतपुड़ा–रेवा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
निजी																			
1	रिलायंस इंडिया लिमिटेड	1	1	11	9	1	2	1	7	1	2	1	1	0	0	0	0	0	38
2	जुबिलेंट आयल एंड गैस प्रा. लि.	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
3	एस्सार आयल	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
4	एचओईसी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
5	ओमकार नेचुरल रिसोर्सज प्रा. लि.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6	अदानी वेलस्पल एक्सप्लोरेशन लि.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	फोकस एनर्जी लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	माकेटर पेट्रोलियम प्रा. लि.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	प्राइज पेट्रोलियम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
10	वसुंधरा रिसोर्सेज	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	हरीशचन्द्र (इंडिया) लिमिटेड	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	क्वेस्ट पेट्रोलियम प्रा. लि. (क्वेस्ट)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	जय पोलिकेम (इंडिया) लिमिटेड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
14	एसवीजी स्टील (गुजरात) प्रा.लि.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	उप योग	17	5	11	9	2	2	1	7	1	5	1	1	2	0	0	0	1	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
विदेशी.																			
15	कैर्न एनर्जी इंडिया पीटीवाई लि.	0	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	8
16	बीएचपी– बिलीटन पेट्रोलयम इंटरनेशनल पीटीवाई लि.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	10
17	ब्रिटीश पेट्रोलियम (आल्फा) लि.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	ब्रिटिश गैस एक्सपलोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लि.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19	पेट्रोगैस	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
20	ईएनआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			2
21	संतोष इंटरनेशनल ओपरेशन्स पीटीवाई लि.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
22	ओएओ गजप्रोम	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
23	बंगाल एनर्जी	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	इंटरनेशनल इंक																		
24	जिओ–ग्लोबल रिसोर्से (बारबाडोस)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
25	डीप–एनर्जी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
26	नाइको रिसोर्से लि.	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
27	नेफ्टोगाज	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
28	जिओ–पेट्रोल इंटरनेशनल	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1
	उप योग	2	3	5	3	2	0	1	1	0	11	0	0	2	2	1	2	1	36
	कुल योग	19	8	16	12	4	2	2	8	1	16	1	1	4	2	1	2	2	101

[अनुवाद]

सड़कों का निर्माण

583. श्रीमती प्रिया दत्त : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत निर्माण की गई सड़कों का उत्तराखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीएमजीएसवाई और मनरेगा के अंतर्गत बनाई गई सड़कें घटिया स्तर की हैं;

(ग) यदि हां, तो सड़कों की बेतहर गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उत्तरदायित्व निर्धारित करने और इन योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई सड़कों की मरम्मत में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2010-11 और 2011-12 (31 जनवरी, 2012 तक) के दौरान 66859 कि.मी. लंबाई की सड़कों का निर्माण हुआ है। राज्य-वार ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएन आरईजीएस) के अंतर्गत वर्ष 2010-11 और 2011-12 (16 फरवरी, 2012 तक) के दौरान कुल 631783 ग्रामीण संपर्कता कार्यों को पूरा किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कें ग्रामीण सड़क नियमावली/पर्वतीय सड़क नियमावली में दर्शाए गए तकनीकी विनिर्देशनों और ज्यामितीय डिजाइन मानकों और इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण सड़क विनिर्देशनों के अनुरूप होंगी।

(ग) से (च) पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और इनका रख-रखाव करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता तंत्र स्थापित किया गया है। पहला स्तर अंतर्निर्मित गुणवत्ता नियंत्रण है और दूसरा राज्य स्तर पर स्वतंत्र निगरानी है। इन दोनों स्तर की जिम्मेदारी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही राज्य सरकार की है। केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र के रूप में तीसरे स्तर की परिकल्पना की गई है। इस स्तर पर राज्यों में यादृच्छिक रूप से चुनी गई सड़कों का निरीक्षण स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं से कराया जाता है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए समय-समय पर क्षेत्र दौरों, परिपत्रों, दिशा-निर्देशों, एडवाइजरी और क्षेत्र नियमावली के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए हैं।

विवरण-I

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान बनाई गई सड़कों की कुल लंबाई

क्रम सं.	राज्य	2010-11 और 2011-12 के दौरान (31 जनवरी, 2012 तक) बनाई गई सड़कों की कुल लम्बाई
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	2,892
2	अरुणाचल प्रदेश	666
3	असम	3,674
4	बिहार	6,287
5	छत्तीसगढ़	2,450
6	गोवा	--
7	गुजरात	1,027
8	हरियाणा	530
9	हिमाचल प्रदेश	1,048
10	जम्मू व कश्मीर	1,465
11	झारखंड	2,481
12	कर्नाटक	3,202

1	2	3
13	केरल	414
14	मध्य प्रदेश	11,365
15	महाराष्ट्र	5,816
16	मणिपुर	829
17	मेघालय	106
18	मिजोरम	335
19	नागालैंड	105
20	ओडिशा	7,244
21	पंजाब	684
22	राजस्थान	3,445
23	सिक्किम	128
24	तमिलनाडु	2,969
25	त्रिपुरा	536
26	उत्तर प्रदेश	4,035
27	उत्तराखंड	936
28	पश्चिम बंगाल	2,191
	कुल योग	66,859

विवरण–II

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	निर्मित ग्रामीण सड़कें		कुल
		2010–11	2011–12 (16 फरवरी, 2012 तक)	
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	61,818	300	62,118
2	अरुणाचल प्रदेश	431	–	431
3	असम	4,872	2,469	7,641
4	बिहार	37,364	38	37,402
5	छत्तीसगढ़	12,871	5,091	17,962
6	गुजरात	5,858	5,193	11,051
7	हरियाणा	2,995	1,508	4,503
8	हिमाचल प्रदेश	10,660	6,454	17,114
9	जम्मू और कश्मीर	11,351	470	11,821
10	झारखंड	9,016	5,296	14,312
11	कर्नाटक	10,628	3,977	14,605
12	केरल	3,390	1,045	4,435
13	मध्य प्रदेश	29,139	8,203	37,342
14	महाराष्ट्र	366	499	865
15	मणिपुर	2,416	–	2,416
16	मेघालय	3,975	486	4,461
17	मिजोरम	1,524	384	1,908
18	नागालैंड	1,478	21	1,499
19	ओडिशा	19,534	12,628	32,162
20	पंजाब	2,450	1,161	3,611
21	राजस्थान	10,203	2,503	12,706
22	सिक्किम	260	40	300
23	तमिलनाडु	8,001	2,368	10,369
24	त्रिपुरा	16,454	3,672	20,126
25	उत्तर प्रदेश	149,785	85,837	235,622
26	उत्तराखंड	2,704	447	3,151
27	पश्चिम बंगाल	39,004	22,875	61,879
28	अ. व नि. द्वीपसमूह	66	36	102
29	दादरा व नगर हवेली	2	–	2

1	2	3	4	5
30	दमन और दीव	–	–	–
31	गोवा	162	5	167
32	लक्षद्वीप	–	–	–
33	पुदुचेरी	–	–	–
34	चंडीगढ़	–	–	–
	कुल योग	458,777	173,006	6,31,783

मनरेगा के अंतर्गत कार्यकलाप

584. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत देश में किए गए पक्के निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुओं और सीढ़ीदार कुओं की मरम्मत का कार्य वर्षों से ठप्प पड़ा है और क्या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए पक्की सड़कों का निर्माण और आवास संबंधी कार्यों को योजना में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय किए गए कार्य वर्षा से बह गए हैं और उनका विवरण केवल अभिलेखों में ही दर्ज है जिसके परिणामस्वरूप श्रम और धन की बर्बादी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यों में पक्के निर्माण से संबंधित आंकड़े मनरेगा प्रबंधन आसूचना प्रणाली में अलग से नहीं रखे जाने अथवा सूचित किए जाते हैं। तथापि, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम ज्ञान संसाधन केन्द्र तथा ग्राम पंचायत भवन के रूप में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण इस अधिनियम की अनुसूची–I के पैरा 1(ix) के अन्तर्गत एक अनुमेय कार्य है। इसके अंतर्गत अब तक 5626 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्मित किए जा चुके हैं तथा 20962 निर्माणाधीन हैं। इस अधिनियम की अनुसूची–I में मनरेगा के अंतर्गत क्रियाकलापों का फोकस सूचीबद्ध किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) जल संरक्षण और जल संचयन;

(ii) वनरोपण एवं वृक्षारोपण सहित सूखा–रोधन

(iii) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई नहरें;

(iv) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार संबंधी लाभार्थियों अथवा भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों या कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008 में परिभाषित लघु व सीमांत किसानों या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी तथा भूमि सुधार सुविधाओं का प्रावधान;

(v) तालाबों से गाद निकाले सहित परम्परागत जल निकायों का नवीकरण;

(vi) भूमि विकास;

(vii) बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य, जिनके अंतर्गत जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकासी का कार्य भी शामिल है; और

(viii) बारहमासी सड़क–संपर्क के लिए ग्रामीण संपर्कता; और

(ix) राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कार्य।

(घ) और (ङ) इस मंत्रालय को देश में मनरेगा के कार्यान्वयन में सभी प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं। चूंकि इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा तैयार योजनाओं के अनुसार किया जाता है, इसलिए इस मंत्रालय को प्राप्त सभी शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई, जिसमें विधि के अनुसार जांच शामिल है, के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

585. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अतर्गत उन्हें 90 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 7.2.2008 को हुई अपनी बैठक में राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम को अनुमोदित किया तथा 14 परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में भी अनुमोदित किया। इन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। राष्ट्रीय परियोजनाओं के चयन का मानदंड संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राष्ट्रीय परियोजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजनाएं, परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल घटकों की शेष परियोजना लागत (कार्य की लागत) के 90 प्रतिशत अनुदान की पात्र हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	1) सिंचाई (हेक्टे) 2) विद्युत (मेगावाट) 3) भंडारण (एमएएफ)	राज्य
1	2	3	4
1	तीस्ता बैराज	1) 9.23 लाख 2) 1000 मेगावाट 3) बैराज	पश्चिम बंगाल
2	शाहपुर कांडी	1) 3.80 लाख 2) 300 मेगावाट 3) 0.016 एमएएफ	पंजाब
3	बरसार	1) 1 लाख (अप्रत्यक्ष) 2) 1230 मेगावाट 3) 1 एमएएफ	जम्मू और कश्मीर
4	दूसरा रावी व्यास संपर्क	सीमा पर प्रवाहित लगभग 3 एमएएफ जल को काम में लाना	पंजाब
5	उझ बहुउद्देशीय परियोजना	1) 0.32 लाख हेक्टेयर 2) 280 मेगावाट 3) 0.66 एमएएफ	जम्मू और कश्मीर
6	ग्यास्पा परियोजना	1) 0.50 लाख हेक्टेयर 2) 240 मेगावाट 3) 0.6 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश

1	2	3	4
7	लखवर व्यासी	1) 0.49 लाख 2) 420 मेगावाट 3) 0.325 एमएएफ	उत्तरांचल
8	किशाऊ	1) 0.97 लाख 2) 600 मेगावाट 3) 1.04 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश/ उत्तरांचल
9	रेणुका	1) पेयजल 2) 40 मेगावाट 3) 0.44 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश
10	नोआ–दिहांग बांध परियोजना	1) 8000 हेक्टेयर 2) 75 मेगावाट 3) 0.26 एमएएफ	अरुणाचल प्रदेश
11	कल्सी बांध परियोजना	1) 23,900 हेक्टेयर 2) 29 मेगावाट 3) 0.28 एमएएफ	असम
12	ऊपरी सियांग	अप्रत्यक्ष 9500 मेगावाट 17.50 एमएएफ बाढ़ नियंत्रण	अरुणाचल प्रदेश
13	गोसीखुर्द	1) 2.50 लाख 2) 3 मेगावाट 3) 0.93 एमएएफ	महाराष्ट्र
14	केन बेतवा	1) 6.46 लाख 2) 72 मेगावाट 3) 2.25 एमएएफ	मध्य प्रदेश

विवरण–II

राष्ट्रीय परियोजना के चयन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं :

(क) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं, जहां भारत में जल का उपयोग संधि द्वारा अपेक्षित है अथवा देश के हित में परियोजना की आयोजना और उसे शीघ्र पूरा करना आवश्यक है।

(ख) अंतर–राज्यीय परियोजनाएं, जो लागत के बंटवारे, पुनर्वास, विद्युत उत्पादनों आदि तथा नदियों को परस्पर जोड़ने से संबंधित अंतर–राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण पिछड़ रही हैं।

(ग) अन्तःराज्यीय परियोजनाएं, जिनकी अतिरिक्त क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक है और जिनमें जल की हिस्सेदारी से संबंधित कोई विवाद नहीं है और जहां जल विज्ञान स्थापित है।

[अनुवाद]

एलएचबी डिब्बों का उत्पादन

586. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ. अनिल काकोडकर की अध्यक्षता वाली रेलवे संरक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश के सभी यात्री डिब्बे कारखानों में लिंक हाल्फमैन बुश (एलएचबी) डिब्बे के उत्पादन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एलएचबी डिब्बों का उत्पादन कब तक आरंभ होने और परंपरागत डिब्बों का उत्पादन कब तक बंद करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां।

(ख) उच्च स्तरीय संरक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट (पैरा 4.2. 5–1) में सिफारिश की है कि देश के सभी सवारी डिब्बा विनिर्माण यूनिटों में एलएचबी डिजाइन वाले सवारी डिब्बों को पूरी तरह से अपनाया जाए और आईसीएफ द्वारा डिजाइन किए गए सवारी डिब्बों का विनिर्माण बंद किया जाए।

(ग) एल एच बी सवारी डिब्बों का पहले से ही उत्पादन किया जा रहा है और इन्हें कई गाड़ियों में लगाया जा रहा है। इनके उत्पादन को धीरे–धीरे बढ़ाया जा रहा है। परंपरागत सवारी डिब्बों के उत्पादन को बंद करना और एलएचबी सवारी डिब्बों को पूरी तरह अपनाना संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

एलपीजी कनैक्शनों का सरेंडर

587. **श्री सुशील कुमार सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आर.के. पुरम, नई दिल्ली के पीएनजी कनैक्शन के उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस सिलेंडर सरेंडर करने अथवा कार्रवाई का सामना करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन उपभोक्ताओं के लिए अपने एलपीजी कनैक्शन की बहाली के लिए कोई तंत्र मौजूद है जो बाद में अन्यत्र कालोनी में बस जाते हैं और वहां पाइप गैस उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) दिनांक 10.09.2009 की अधिसूचना द्वारा संशोधित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अनुसरण में इंद्रप्रस्थ गैस लि. द्वारा सभी पीएनजी ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा दिए गए अपने घरेलू एलपीजी सिलिंडर/कनेक्शन 60 दिन के भीतर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर की ''सुरक्षित अभिरक्षा'' में जमा करा दें, उसके बाद उनको कनेक्शन समाप्ति वाउचर जारी किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उनकी जमानत राशि उनको लौटा दी जाएगी।

(ख) और (ग) यदि ये उपभोक्ता, अन्य बातों के साथ–साथ, बाद में किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां पाइप्ड गैस उपलब्ध नहीं है, तो जैसा कि कनेक्शन समाप्ति वाउचर में वर्णित है, वे उतनी ही जमानत राशि पर घरेलू एलपीजी कनेक्शन वापस प्राप्त कर सकते हैं।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति

588. **श्री शिवकुमार उदासी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या और उनमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक डाटाबेस हेतु उचित पहचान और सत्यापन हेतु अनन्य सामाजिक सुरक्षा संख्या के आवंटन हेतु तंत्र विकसित करने और इन योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य में सुधार करने का इरादा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों के जरिए सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है। इस समय, एनएसएपी में तीन पेंशन योजनाएं हैं-(i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), (iii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) तथा अन्नपूर्णा भी कार्यान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान, आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस तथा आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 190.29 लाख, 36.05 लाख तथा 7.69 लाख है।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास इस समय अनन्य सामाजिक सुरक्षा संख्या के आवंटन के लिए एक तंत्र तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

इजराइल द्वारा गैस निर्यात

589. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल ने तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में भारत को गैस निर्यात करने और भारतीय कंपनियों की भागीदारी आमंत्रित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई पहल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इजराइल से गैस के आयात के संबंध में दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल और गैस का उत्पादन करने वाले देशों से निकट संपर्क बनाए रखता है और विभिन्न महाद्वीपों में फैले 30 से अधिक देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। इसके अलावा, तेल पीएसयूज को कच्चे माल और विदेशों में कच्चे माल का उत्पादन करने वाली परिसंपत्तियों की तलाश करने में वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

तेल और गैस का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत नई अन्वेषण लाइसेंस नीति, जिसमें हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक स्थिर राजकोषीय और संविदागत फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है, के माध्यम से भारतीय तलछटीय बेसिनों में अन्वेषण के प्रयासों को बढ़ा रहा है। सरकार ने शेल गैस, टाइट गैस, कोल बेड मिथेन, गैस हाइड्रेट आदि जैसे गैर-परंपरागत क्षेत्रों में वैकल्पिक स्त्रोतों के विकास के लिए भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

तेल विपणन कंपनियों को घाटा

590. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की आमजन और मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) को आवश्यकतानुसार घटाती–बढ़ाती हैं। उनके वर्तमान मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से कम हैं, परिणामतः ओएमसीज को इन उत्पादों की बिक्री पर अत्यधिक अल्प वसूली हो रही है। दिनांक 07 मार्च, 2012 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्य के आधार पर ओएमसीज को वर्तमान में डीजल पर 12.17 रुपए प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 28.66 रुपए प्रति लीटर और घरेलू एलपीजी पर 439.00 रुपए 14.2 कि.ग्रा. प्रति सिलेंडर की अल्प वसूली हो रही है।

वर्ष 2010–11 और 2011–12 (दिसंबर, 2011 तक) संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात पेट्रोल (25.6.2010 तक), डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज को हुई अल्प वसूलियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(करोड़ रुपए में)

ओएमसीज	2010–11	2011–12 (दिसंबर, 2011 तक)
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	43,109	53,251
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	17,118	21,316
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	17,962	22,746
योग	78,190	97,313

(ग) से (ङ) वर्ष 2011–12 के दौरान ओएमसीज को होने वाली 1,71,140 करोड़ रुपए की अनुमानित अल्प–वसूली (भारतीय बास्केट का औसत मूल्य 110 अमरीकी डालर प्रति बैरल मानते हुए) से उत्पन्न होने वाली संकटपूर्ण स्थिति को ध्यान रखते हुए और उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि के भार को कम करने के लिए सरकार ने दिनांक 24 जून, 2011 को निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :–

(i) कच्चे तेल पर 5% सीमा शुल्क समाप्त करना और पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क में 5% की कमी।

(ii) डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2.60 रुपए प्रति लीटर की कमी। डीजल पर 2.06 रुपए प्रतिलीटर शेष उत्पाद शुल्क को कम नहीं किया जा सका क्योंकि यह सड़क और शिक्षा उपकर के लिए निर्धारित है।

(iii) राज्य उद्ग्रहणों को छोड़कर डीजल पर 3/–रुपए प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 2/–रुपए प्रति लीटर और 14.2 कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी प्रति सिलिंडर पर 50/– रुपए की मामूली वृद्धि।

दिनांक 25.6.2011 से शुल्क में कमी और खुदरा बिक्री मूल्यों में वृद्धि के बाद भी वर्ष 2011–12 में ओएमसीज को 1,39,192 करोड़ रुपए की अल्प वसूली होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

यूरिया संयंत्रों की स्थापना

591. श्री पी. के. बिजू : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यूरिया संयंत्र स्थापित करने और उनकी उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी के लिए कितनी राशि के निवेश किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इन संयंत्रों के द्वारा उत्पादन आरंभ करने के पश्चात् देश के यूरिया की मांग और आपूर्ति में आत्मनिर्भर होने की संभावनए है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) सरकार यूरिया की ग्रीनफील्ड/विस्तार/पुनरूद्धार परियोजनाओं में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए मौजूदा नई निवेश नीति 2008 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, यूरिया में मांग–उत्पादन अंतर लगभग 10 मिलियन टन है। ऐसी आशा है कि यदि अगले पांच वर्षों में 7 से 8 नए ग्रीनफील्ड/विस्तार संयंत्रों की स्थापना हो जाए तो हम इस अंतर को कम कर पाएंगे।

[हिन्दी]

डीएफसी में वित्तीय अनियमितताएं

592. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित कुछ जांच एजेंसियां समर्पित मालभाड़ा गलियारा (डीएफसी) परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां। वडोदरा क्षेत्र में पश्चिम समर्पित माल गलियारे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान में पाई गई अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।

(ख) प्रारंभिक जांच–पड़ताल के आधार पर दिनांक 02.01.2011 के एक नियमित केस सं. आरसी 029 2012ए 0001 दर्ज कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विलासिता रेलगाड़ियां

593. श्री पी. सी. गद्दीगौदर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में और विलासिता रेलगाड़ियां आरंभ करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक प्रत्येक ऐसी विलासिता रेलगाड़ी पर कितनी निधियां व्यय की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं। लक्जरी पर्यटक ट्रेनों को संबंधित राज्य पर्यटन निगम/भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) की पहल पर चलाया जाता है, बशर्ते कि यातायात औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वचालित मौसम स्टेशन

594. श्री नित्यानंद प्रधान :

श्री वैजयंत पांडा :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त प्रणाली के तहत विशेषकर महाराष्ट्र में दर्ज किए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एडब्ल्यूएस देश में तटीय क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को भावी आपदा के बारे में पूर्व चेतावनी देने में उपयोगी होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) जी हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश में 677 स्टेशनों वाले स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) नेटवर्क को पहले ही स्थापित कर दिया है जिनमें से 49 स्टेशन महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए गए हैं। चालू किए गए स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में उपलब्ध है। स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) वायु तापमान, पवन गति तथा दिशा, समुद्र स्तर दबाव, सापेक्ष आर्द्रता के प्रत्येक घंटे डेटा तथा वर्षा के 15 मिनट के डेटा रिकॉर्ड करता है। इसके अतिरिक्त, एग्रो-स्वचालित मौसम स्टेशन वैश्विक विकिरण, मृदा तापमान, 20 मीटर गहराई पर मृदा की नमी, पत्तें का गीलापन तथा पत्तों के तापमान को रिकॉर्ड करता है।

(ग) एकीकृत प्रेक्षण प्रणाली, जिसमें स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) शामिल हैं, से तटीय संकट के तत्काल समय के अनुमानों में सहायता प्राप्त होगी।

(घ) अन्य प्रेक्षण प्रणालियों जिनमें डॉप्लर मौसम रेडार (डीडब्ल्यूआर), उपग्रह इत्यादि शामिल हैं, के साथ-साथ स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) नेटवर्क जल मौसम वैज्ञानिक संकटों से सम्बद्ध खतरों से जुड़ी हुई सदैव परिवर्तनशील प्रतिकूल मौसम दशाओं का वास्तविक समय पर मॉनीटरन उपलब्ध कराता है।

विवरण

एडब्ल्यूएस का राज्य-वार नेटवर्क

संख्या	राज्य	एडब्ल्यूएस की संख्या	एग्रो-एडब्ल्यूएस की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	अं. और नि. द्वीपसमूह	1	–	1
2.	आंध्र प्रदेश	27	8	35
3.	अंटार्कटिका	1	–	1
4.	अरुणाचल प्रदेश	16	1	17
5.	असम	19	6	25
6.	बिहार	23	5	28
7.	छत्तीसगढ़	16	3	19
8.	दिल्ली	12	1	13
9.	दीव और दमन	1	–	1
10.	गोवा	2	0	2
11.	गुजरात	30	7	37
12.	हरियाणा	25	2	27
13.	हिमाचल प्रदेश	19	4	23
14.	जम्मू और कश्मीर	10	4	14
15.	झारखंड	13	3	16
16.	कर्नाटक	18	8	26
17.	केरल	9	6	15
18.	लक्षद्वीप	1	–	1
19.	मध्य प्रदेश	43	9	52
20.	महाराष्ट्र	42	7	49
21	मणिपुर	9	1	10
22.	मेघालय	7	1	8
23.	मिजोरम	7	1	8
24.	नागालैंड	9	1	10
25.	ओडिशा	27	10	37
26.	पुदुचेरी	1	.	1
27.	पंजाब	22	5	27
28.	राजस्थान	34	9	43

1	2	3	4	5
29.	सिक्किम	4	0	4
30.	तमिलनाडु	19	8	27
31.	त्रिपुरा	2	1	3
32.	उत्तर प्रदेश	43	8	51
33.	उत्तराखंड	17	2	19
34.	पश्चिम बगाल	21	6	27
	कुल	550	127	677

कॅयर उद्योग

595. **श्री वैजयंत पांडा** : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कॅयर उद्योग तंतु की कमी की समस्या का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कयर निर्यात के परंपरागत बाजारों में स्थिरता व्याप्त है तथा मूल्य वर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी गिर रही है, जबकि यह क्षेत्र श्रम, परिवहन, ऊर्जा आदि आगतों की लागत में वृद्धि का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस क्षेत्र को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्षेत्राधिकार में लाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) इस समय देश में कॅयर उद्योग किसी भी प्रकार के कॅयर तंतु की कमी का सामना नहीं कर रहा है।

(ग) और (घ) पिछले 5 वर्षों के दौरान गैर–पारंपरिक कॅयर उत्पादों का निर्यात बढ़ा है जबकि पारंपरिक उत्पादों के निर्यात में कमी आई है। ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	गैर–पारंपरिक		पारंपरिक	
	गुणवत्ता (मिट्रिक टन)	मूल्य (लाख रू. में)	गुणवत्ता (मिट्रिक टन)	मूल्य (लाख रू. में)
2006–2007	111792.67	27232.30	56962.07	33284.29
2007–2008	134678.19	30167.61	52888.55	29120.47
2008–2009	156233.85	36585.19	43691.08	27412.24
2009–2016	249793.02	50879.42	44715.03	29525.80
2010–2011	283820.20	54338.28	37195.82	26368.80

सरकार गैर–पारंपरिक तथा पारंपरिक कॅयर उत्पादों, दोनों के समग्र विकास के लिए कॅयर बोर्ड के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। निर्यात संवर्धन के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय मेलों और कार्यक्रमों में सहभागिता के अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के माध्यम से तथा कौशल विकास एवं पुनरुज्जीवन, आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (आरईएमओटी) की स्कीम के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन करना शामिल है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 में ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की न्यूनतम विशेषताएं दी गई हैं। जिन कार्यों पर यह स्कीम फोकस करेगी उनमें कॅयर उद्योग शामिल नहीं है। अभी तक, कॅयर उद्योग को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 में शामिल करने का मामला उठाने का कोई भी प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में नहीं है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस की बिक्री

596. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल तथा गैस उत्पादन कंपनियों को प्राकृतिक गैस की बिक्री हेतु उपभोक्ताओं का चयन करने की आजादी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उपभोक्ता चयन की स्वतंत्रता में अधिकतम कितनी प्राकृतिक गैस की बिक्री की अनुमति है तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनियों के राजस्व में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस अलग-अलग दरों पर बेची जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी भिन्नता का ब्यौरा क्या है साथ ही निजी और सरकारी कंपनियों द्वारा इसे किस न्यूनतम तथा अधिकतम बिक्री दर पर बेचा जा रहा है; और

(ङ) निजी और सरकारी कंपनियों के बीच प्राकृतिक गैस की बिक्री मूल्य में भिन्नता के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान में सरकार द्वारा गैस उपयोगिता नीति के अनुसार प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में प्राकृतिक गैस का आबंटन किया जाता है :

1 गैस आधारित उर्वरक संयंत्र

2 गैस आधारित एलपीजी संयंत्र

3 गैस आधारित विद्युत संयंत्र

4 घरेलू एवं परिवहन क्षेत्रों को आपूर्ति करने के लिए नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियां

5 स्टील संयंत्रों (केवल फीडस्टॉक के लिए एवं निजी विद्युत आवश्यकताओं के लिए नहीं), पेट्रोरसायन संयंत्रों (केवल फीडस्टॉक के लिए एवं निजी विद्युत आवश्यकताओं के लिए नहीं), रिफाइनरियों, 50,000 एमसीएमडी (मानक घन मीटर प्रति दिन) तक की खपत वाले वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों को आपूर्ति के लिए सीजीडी निकायों जैसे अन्य क्षेत्र।

तथापि राष्ट्रीय तेल कंपनियों के नामित ब्लाकों के तहत लघु और अलग-अलग क्षेत्रों (0.1 एमएमसीएमडी से कम) के संबंध में दिनांक 16.01.2012 को सरकार द्वारा अधिसूचित 'लघु/अलग-अलग क्षेत्रों से उपलब्ध घरेलू गैस के लिए ग्राहकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश' के अनुसार इन कंपनियों द्वारा गैस का आबंटन किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) विभिन्न गैस स्रोतों से गैस के उपभोक्ता मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वर्तमान में देश में गैस के लिए मोटे तौर पर दो मूल्य निर्धारण व्यवस्थायें हैं प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) और गैर एपीएम। एपीएम गैस का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां तक एपीएम/बाजार मुक्त गैस का संबंध है इसे भी सामान्यतः दो श्रेणियों नामतः (i) आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और (ii) नई अन्वेषण नीति (एनईएलपी) और एनईएलपी-पूर्व फील्डों से घरेलू रूप से आयातित गैस में विभाजित किया जा सकता है। मियादी संविदाओं के तहत आयातित एलएनजी का मूल्य बिक्रीकर्ता और खरीददार के बीच विक्रय एवं क्रय करार (एसपीए) द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि तत्स्थान नौभार की खरीद परस्पर सम्मत वाणिज्यिक शर्तों पर की जाती है। एनईएलपी और एनईएलपी-पूर्व गैस के संबंध में सरकार, एवं ठेकेदार के बीच किए गए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) की शर्तों के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। ये दरें उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

विवरण

स्रोत	ग्राहक	गैस मूल्य	गैस मूल्य (अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू)
1	2	3	4
एनओसीज (एपीएम)	उत्तर पूर्व से बाहर के ग्राहक	अमरीकी डालर 4.2/एमएमबीटीयू	4.2
एनओसीज (एपीएम)	उत्तर पूर्व के ग्राहक	अमरीकी डालर 2.52/एमएमबीटीयू	2.52
एनओसीज (एमडीपी)	पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र (एचवीजे/डीवीपीएल द्वारा कवर महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्य शामिल)	अमरीकी डालर 5.25/एमएमबीटीयू	5.25
एनओसीज (एमडीपी)	दक्षिणी क्षेत्र (केजी बेसिन)	अमरीकी डालर 4.5/एमएमबीटीयू	4.5
एनओसीज (एमडीपी)	दक्षिणी क्षेत्र (कावेरी बेसिन)	अमरीकी डालर 4.75/एमएमबीटीयू	4.75
एनओसीज (एमडीपी)	उत्तर-पूर्व	अमरीकी डालर 4.2/एमएमबीटीयू	4.2
एनओसीज (एमपीडी)	राजस्थान, दक्षिणी गुजरात और गुजरात में दूर-दराज वाले ग्राहक जो चिन्हित ऑनशोर फील्डों में गैस प्राप्त कर रहे हैं)	अमरीकी डालर 5/एमएमबीटीयू	5
पीएमटी	पीएमटी का भारित औसत मूल्य	अमरीकी डालर 5.65/एमएमबीटीयू	5.65
राब्बा	गेल	अमरीकी डालर 3.5/एमएमबीटीयू	3.5
राब्बा सैटेलाइट	गेल	अमरीकी डालर 4.3/एमएमबीटीयू	4.3
सीबी/ओएस-2 (केर्न्स)	जीपीईसी (गुजरात फगुथान एनर्जी कार्पोरेशन)	अमरीकी डालर 4.75/एमएमबीटीयू	4.75
	जीजीसीएल-जीटीसीएल	अमरीकी डालर 5.62/एमएमबीटीयू	5.62
	जीजीसीएल-जीटीसीएल-जीबीए गैस	अमरीकी डालर 6.22/एमएमबीटीयू	6.22
हजीरा (नाइको)	गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन	अमरीकी डालर 5.346/एमसीएफ	5.19

1	2	3	4
	जीपीएससी गैस	अमरीकी डालर 2.673/एमसीएफ	2.63
सीबी-ओएनएन-2000/2	जीजीसीएल	अमरीकी डालर 6.6/एमएसएफ	6.39
ढोल्का	लघु ग्राहक	रु. 4.80/एससीएम	2.2
कन्वाड़ा	लघु ग्राहक	रु. 9.02 & 11.67/एससीएम	5.13 & 6.64
बकोल	लघु ग्राहक	रु. 10 & 10.48/एससीएम	4.76 & 5.28
उत्तरी बलोल (एचओईसी)	जीएसपीसी	रु. 4.541/एससीएम	3.14
केजी-डी6	सभी उपभोक्ता	अमरीकी डालर 4.2/एमएमबीटीयू	4.2
फोकस	गेल	अमरीकी डालर 4.11/एमएमबीटीयू	4.11
पीवाई-1 (एचओईसी)	गेल	अमरीकी डालर 3.63/एमएमबीटीयू	3.63
टर्म आर - एलएनजी	सभी के लिए	अमरीकी डालर 9.76/एमएमबीटीयू	9.76
स्पॉट आर - एलएनजी	सभी के लिए	अमरीकी डालर 16/एमएमबीटीयू	16

- ट्रम आरएलएनजी मूल्य विक्रेता और खरीदार के बीच सहमति सूत्र के आधार पर प्रत्येक माह परिवर्तित होता है, उपर्युक्त मूल्य मार्च 2012के लिए है।
- स्पॉट आरएलएनजी मूल्य एक कार्गो से दूसरे कार्गो का भिन्न होता है, उपर्युक्त मूल्य वर्तमान कार्गो के लिए है।
- पन्ना मुक्ता गैस मूल्य 5.73 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू और मिड ताप्ती गैस मूल्य 5.57 अमरीकी डालर एमएमबीटीयू है।
- सभी मूल्य विपणन मार्जिन के अतिरिक्त है।
- एपीएम मूल्य रायल्टी सहित और विपणन मार्जिन के अतिरिक्त हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में गिरावट

597. **श्री जफर अली नकवी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेश साथ ही कॉर्पोरेट जगत की कार्य में गिरावट के चलते वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विदेश जाने को वरीयता दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में वैज्ञानिकों के विदेशों में पलायन को रोकने के लिए गिरते निवेश साथ ही कॉर्पोरेट जगत की रुचि के रुझान को उलट ने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अनुसंधान एवं विकास के प्रति भारतीय निवेश में पर्याप्त वृद्धि दर्ज हुई है। दूसरी तरफ, विकसित एवं उन्नत देशों में, अनुसंधान एवं विकास के प्रति निवेश में गिरावट आई है। भारतीय वैज्ञानिकों की विदेशों में कार्य करने की प्राथमिकता, यदि है, निवेश या कारपोरेट जगत की रुचि की वजह से नहीं है। वैज्ञानिक विभागों का योजना आबंटन ग्वीं योजना के 25301.35 करोड़ रुपये से बढ़कर XIवीं योजना में बढ़कर तिगुणा 75304.00 करोड़ रुपये हो गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु XIIवीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय, 1,70,000 करोड़ रुपये है। अनुसंधान एवं विकास व्यय में निवेश के 0.98 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2 प्रतिशत स्तर का प्रस्ताव किया गया है। देश में अनुसंधान व विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा नवोन्मेषों में अधिक निवेश करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जैसा कि आंकड़ों से साक्ष्य है कि लाभकारी नीति पर्यावरण ने बहु–राष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को हमारे देश में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है क्योंकि बहु–राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित की गई अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं की संख्या 2003 में 100 से बढ़कर 2009 में 750 हो गई है (यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट 2010)। सरकार ने देश में विज्ञान अनुसंधान के विकास और उन्नयन के लिए बेहतर वैज्ञानिक पर्यावरण उपलब्ध कराने हेतु कई कदम उठाए है। सरकार की रामानुजन व रामालिंग स्वामी अध्येतावृत्तियों ने समस्त विश्व से असाधारण भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए आकर्षित किया है। पिछले पाच वर्षों के दौरान विदेशों से 300 से भी अधिक भारतीय वैज्ञानिकों ने इन अध्येतावृत्तियों का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोन्नत करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए समर्थकारी कुछेक कार्य तंत्रों में प्रायोजित परियोजनाओं से हुई आय, परामर्शी परियोजनाओं व उद्योग से प्राप्त लाभांश व रॉयल्टी की वैज्ञानिकों के साथ भागीदारी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अकादमी व उद्योग के बीच वैज्ञानिकों की गतिशीलता, उत्पाद संचालित अनुसंधान एवं विकास का अनुशीलन करने के लिए निजी उद्योग के साथ ज्ञान संबंध तथा शुरूआती कंपनियों को पोषित करने और वाणिज्यीकरण के अवसर उपलब्ध कराने हेतु इन्क्यूबेसन केन्द्रों की स्थापना करना, उद्यमों में इक्विटी के रूप में ज्ञान आधार का निवेश करना शामिल है।

आमान परिवर्तन

598. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए आमान परिवर्तन को अनुमोदन दिया गया है परन्तु उन पर कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है;

(ख) इसके कारण क्या हैं और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरंभ होने और पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) सभी स्वीकृत आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में रिक्त पद

599. **श्री राधा मोहन सिंह** :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री पन्ना लाल पुनिया :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में तकनीकी और गैर–तकनीकी दोनों प्रकार के कुल कितने पद, पद–वार, श्रेणी–वार, जोन–वार रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यह पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे द्वारा बैकलॉग रिक्तियों/आरक्षित श्रेणी आदि की रिक्तियों के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान आरंभ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी रिक्तियों के चलते रेलवे की प्रचालनात्मक सेवाएं प्रभावित हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप देश में रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खादी संस्थान

600. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :**

श्री के.पी. धनपालन :

श्रीमती रमा देवी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खादी उद्योगों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने खादी संस्थान चल रहे थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार की खादी क्षेत्र में किसी इकाई/संस्थान को बंद करने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिन प्रतिदिन खादी संस्थानों की संख्या घटती जा रही है;

(छ) सरकार द्वारा खादी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसकी मांग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक निकाय खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), नई दिल्ली के माध्यम से खादी के लिए गुणवत्ता आश्वासन मानकों के संबंध में अध्ययन कराया था। केवीआईसी ने अध्ययन के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता आश्वासन मानक तैयार और परिचालित किया ताकि खादी संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे बिक्री केन्द्रों में समान गुणवत्ता वाली खादी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ग) केवीआईसी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रचालनरत खादी संस्थानों की कुल संख्या निम्नानुसार है :

क्रम सं.	वर्ष	खादी संस्थानों की संख्या
1	2008-09	1958
2	2009-10	2065
3	2010-11	2220

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) केवीआईसी खादी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है। खादी की मांग और उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं में (i) उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी), (ii) बाजार विकास सहायता (एमडीए), (iii) खादी सुधार और विकसित कार्यक्रम (केआरडीपी), (iv) मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, (v) खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने की योजना और (vi) पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए कोष की योजना (एसएफयूआरटीआई) शामिल हैं।

[अनुवाद]

ओएनजीसी अधिकारियों द्वारा घोटाला

601. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के उच्च अधिकारी कई करोड़ के घोटाले में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा भविष्य में ओएनजीसी अधिकारियों द्वारा ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों का ब्यौरा क्या है और ओएनजीसी के अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कारपोरेट सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए अभिप्रेत निधियों का ओएनजीसी अधिकारियों द्वारा दुर्विनियोजन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) का कोई भी उच्च अधिकारी (बोर्ड स्तर) करोड़ों के घोटाले में संलिप्त नही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ओएनजीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार ओएनजीसी अधिकारियों द्वारा नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के प्रयोजनार्थ निधियों का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) उपरोक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल अन्वेषण कार्य की समीक्षा

602. **श्रीमती भावना पाटील गवली** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण केजी–डब्ल्यूएन–98/3 ब्लाक के तेल अन्वेषण कार्य की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रथम तथा द्वितीय अन्वेषण चरण के लिए ठेकों के अनुसार 25% क्षेत्रफल को त्यागने के लिए खाका तैयार किया है; और

(घ) सरकार द्वारा तेल कुओं के साथ संबद्ध उत्पादन सहभागिता संविदा के आधार पर अन्वेषण क्षेत्रफल का सटीक खाका खींचने के लिए क्या कोई योजना तैयार की गई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने सूचित किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) और नाइको रिसोर्सेज लि. (नाइको) के परिसंघ द्वारा प्रचालित ब्लाक केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 में तेल अन्वेषण कार्य की समीक्षा प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा वर्ष 2000–01 से 2010–11 के दौरान आयोजित विभिन्न बैठकों में की गई थी। प्रबंधन समिति की बैठक (एमसीएम) के ब्यौरे संलग्न हैं। संविदाकार (रों) ने निम्नलिखित अन्वेषण कार्य किए हैं :–

- भूकंपीय अर्जन, संसाधन और व्याख्या
- 26 अन्वेषणात्मक/मूल्यांकन कूपों का वेधन
- कुल 19 हाइड्रोकार्बन खोजें की गई (18 गैस और 1 तेल)

तदनन्तर डी–26 (एमए) खोजे से वाणिज्यिक तेल उत्पादन 17.09.2008 को शुरू हुआ और डी1 और डी3 खोजों से गैस का उत्पादन 01.04.2009 को शुरू हुआ।

(ग) और (घ) ब्लाक केजी–डीडब्ल्यूएन–98/3 के संविदाकार ने अनेक पत्रों के माध्यम से हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने सूचित किया कि पेट्रोलियम के भंडार है और संविदागत क्षेत्र से व्यापक अन्वेषणात्मक और मूल्यांकन कार्यक्रम के बाद वाणिज्यिक मात्राओं में उत्पादन किए जाने की संभावना हैं। डीजीएच ने बेसिन के भू–वैज्ञानिक ढांचे की विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और संविदाकार का प्रस्ताव है कि भू–वैज्ञानिक क्षेत्र समस्त संविदा क्षेत्र तक फैला हुआ है, प्रचालक की सलाह दी कि वह अतिरिक्त साक्ष्य

और आश्वासन के लिए समस्त संविदा क्षेत्र को शामिल करते हुए, अतिरिक्त त्रि–आयामी भूकंपीय आंकड़े अर्जित करें। अर्जित अतिरिक्त त्रि–आयामी आंकड़ों की तकनीकी समीक्षा के बाद प्रबंधन समिति (एमसी) संविदाकार की इस राय से सहमत थी कि भावी भू–वैज्ञानिक क्षेत्रों की समस्त ब्लाक में निरंतरता थी, इसलिए किसी ब्लाक क्षेत्र को त्यागने की जरूरत नहीं होगी। तदनुसार, "खोजे गए क्षेत्र" के रूप में समस्त संविदा क्षेत्र को बनाए रखने का संविदाकार का प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

[अनुवाद]

परियोजनाएं और आरएलडीए

603. **श्री बाल कुमार पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का देश में बड़ी रेल परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए निजी डेवलपरों की सहायता/भागीदारी प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आरएलडीए ने देश में मल्टी फंक्शनल काम्पलेक्स (एमएफसी) के विकास हेतु निजी डेवलपरों की नियुक्ति की है; और

(च) क्या कुछ रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य रेलवे भूमि विकास प्राधिकार (आरएलडीए) को सौंपा गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निष्पादन के लिए काफी संख्या में क्षेत्रों/परियोजनाओं की पहचान/निर्धारित की गई है ताकि निजी क्षेत्र में निवेश जुटाया जा सके तथा इन परियोजनाओं में कुशलता लाई जा सके। इनमें उन्नत रेल कॉरिडोर (चर्चगेट–विरार), स्टेशनों का पुनः विकास, लॉजिस्टिक पार्क, प्राइवेट माल टर्मिनल, माल डिब्बों की लीजिंग तथा अन्य फ्रेट मार्केटिंग योजनाएं, पोर्ट कनेक्टिविटी, डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर तथा इंजन एवं सवारी डिब्बा निर्माण इकाइयां आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के प्रमुख उद्देश्य से रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लि. तथा रेल मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक प्राधिकरण रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर एल डी ए) की भागीदारी से एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी) स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि कुछ रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम एसपीवी को सौंपा जा सके।

(ङ) और (च) तीन स्टेशनों यथा कटक, झांसी तथा कटरा में बहु–कार्यात्मक कांप्लैक्स (एमएफसी) के विकास के लिए भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट डेवलपर्स नियुक्त किए गए हैं।

एमएसएमई का कार्यनिष्पादन

604. **श्री मनीष तिवारी** : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण भारत में कुल कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा पंजीकृत एमएसएमई हैं;

(ख) वर्ष 2004 से 2012 तक पृथक रूप से राज्य–वार पंजीकृत एवं अपंजीकृत एमएसएमई द्वारा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान दिया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पंजीकृत एवं अपंजीकृत एमएसएमई द्वारा पृथक रूप से कुल कितने प्रतिशत रोजगार का सृजन किया गया;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि अपंजीकृत एमएसएमई बैंकों से वित्तीय योजनाएं एवं सहायता नहीं प्राप्त कर पाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है;

(च) उक्त अवधि के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से एमएसएमई को कितने ऋण का संवितरण किया गया है तथा पंजीकृत एवं अपंजीकृत एमएसएमई द्वारा कितना प्रतिशत ऋण प्राप्त किया गया है; और

(छ) सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) 'त्वरित परिणाम : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07' के अनुसार, देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या 261.01 लाख है। पंजीकृत एमएसएमई का प्रतिशत अंश 5.94 है।

(ख) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (नवीनतम उपलब्ध) में सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) का अनुमानित प्रतिशत अंश क्रमशः 5.84, 5.83, 7.20, 8.00 और 8.72 है। राज्य वार पंजीकृत और अपंजीकृत क्षेत्र के लिए तदनुरूप आंकड़े और वितरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार देश में समय-समय पर एमएसएमई की अखिल भारतीय गणना करवाते हुए एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन पर नजर रखती है। नवीनतम गणना (चौथी गणना) संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित कराई गई थी। 'अंतिम परिणाम : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07 : पंजीकृत क्षेत्र' के अनुसार, पंजीकृत एमएसएमई द्वारा सृजित कुल रोजगार 93.09 लाख व्यक्ति है जबकि 'त्वरित परिणाम : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07' के अनुसार, अपंजीकृत क्षेत्र द्वारा सृजित कुल रोजगार 502.57 लाख व्यक्ति है। 'आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11' के अनुसार, 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार, अर्थव्यवस्था के सगठित क्षेत्र में कुल रोजगार 272.76 लाख व्यक्ति है।

(घ) एमएसएमई मंत्रालय की वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एमएसएमई का पंजीकरण एक आवश्यक शर्त है। तथापि, अपंजीकृत एमएसएमई बैंकिंग क्षेत्र से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण आवेदनों के निपटान के लिए समय-सीमा और एमएसई के लिए कोलेटरल आवश्यकताओं को छोड़ने के लिए ऋण सीमा का प्रावधान है।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसएमई को वितरित बकाया ऋण मे उसका प्रतिशत अंश निम्नांकित है :

वर्ष (मार्च के अंत में)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बकाया ऋण (करोड़ रु. में)	निवल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में एमएसई को ऋण
2005	67,800	9.5
2006	82,434	8.1
2007	1,02,550	7.8
2008	1,51,137	11.1
2009	1,91,408	11.3
2010	2,78,398	13.4
2011 (अ)	3,76,625	15.1

(अ) अनंतिम

(छ) प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एमएसएमई संबंधी कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार, आरबीआई ने बैंकों को एमएसई को ऋण में 20 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने की सलाह दी है। एमएसई क्षेत्र के भीतर सूक्ष्म उद्यमों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बैंकों को आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एमएसई अग्रिमों का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को जाना चाहिए। बैंकों को सलाह दी गई है कि सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई अग्रिमों के 60 प्रतिशत का आबंटन कई स्तरों में किया जाए, यानि, वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत, वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत और वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत।

[हिन्दी]

गोरखपुर-लखनऊ लाइन का दोहरीकरण

605. **योगी आदित्यनाथ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर-लखनऊ लाइन के दोहरीकरण कार्य की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा उक्त कार्य को समय से पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उक्त कार्य को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) गोरखपुर–लखनऊ खंड पर दोहरीकरण कार्य टुकड़ों में प्रारंभ किया गया है। चौकाघाट–घाघराघाट (5.63 किमी.) और बुढवल–बाराबंकी (29 किमी.) खंडों के अतिरिक्त सभी स्वीकृत दोहरीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इन खंडों पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। बाराबंकी–ऐशबाग–लखनऊ खंड का दोहरीकरण स्वीकृत परियोजना नहीं है। हालांकि, सेफाबाद होकर बाराबंकी से लखनऊ, पहले ही एक विद्यमान दोहरी लाइन खंड है।

[अनुवाद]

टीईआरआई द्वारा पेट्रोल पम्पों का अध्ययन

606. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) द्वारा दिल्ली के चालीस पेट्रोल पम्पों पर किए गए अध्ययन में पाया गया कि बैन्जीन, टोलीन तथा जाईलीन जैसे जहरीले भाप में प्रदूषकों के स्तर अनुमेय सीमा से हजारों गुणा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सभी पेट्रोलियम भंडार स्थलों पर उच्चतम सुरक्षा तथा पेशेवर स्वास्थ्य मानदंड पर खरा उतरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ओएमसीज (नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीए) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि उन्हें दिल्ली के कुछ पेट्रोल पंपों पर उत्सर्जन में बेन्जीन, टोल्यूईन और एग्जीलीन की मात्रा के संबंध में ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टीईआरआई) द्वारा कोई रिपोर्ट/किया गया अध्ययन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा निर्धारित मानकों और पेट्रोलियम उत्पादों के आपूर्ति स्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित एम. बी. लाल समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही हैं। जहरीले उत्पादों संबंधी कार्य करने वाले स्टाफ के स्वास्थ्य पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है और निर्धारित मानकों के अनुसार स्वास्थ्य अभिलेख रखे जाते हैं।

इसके अलावा, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अपने आपूर्ति स्थलों क्रमशः बिजवासन, दिल्ली और लोनी, पुणे में वाष्प निकास प्रणाली (वीआरएस) चरण–1 स्थापित की है। इसके अलावा, कुछ ओएमसीज ने दिल्ली सहित अपने कुछ खुदरा बिक्री केंद्रों पर वीआरएस चरण–2 प्रणालियां भी स्थापित की हैं। इन प्रणालियों से ईंधन वाष्प के निकास में मदद मिलती है। ये ईंधन वाष्प भूमिगत भंडारण टैंक से ग्राहक के वाहन में ईंधन भरते समय उत्पन्न होती है।

[हिन्दी]

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

607. **श्री लालचन्द कटारिया :**

श्री उदय प्रताप सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आज तक राज्य–वार उच्चतम न्यायालय में कितने लंबित मामले हैं;

(ख) क्या पूर्व न्यायाधीशों ने न्यायालयों में अवकाशों को कम करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा लंबित मामलों की राज्य–वार संख्या नहीं रखी जाती है। 01.03.2010 को उच्चतम न्यायालय में कुल 59059 मामले लंबित हैं। जिनमें से, 20470 मामले एक वर्ष से कम अवधि के हैं और बकाया नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटना पीड़ितों के आश्रितों को रोजगार

608. **श्री के. सुगुमार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं के कितने पीड़ितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोजगार हेतु ऐसे कितने आश्रितों के मामलों पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया और इसके कारण क्या हैं;

(ग) सभी मामलों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या रेलवे का मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ताकि पीड़ित के परिवार से किसी एक सदस्य के लिए नौकरी का उपबंध किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण और लघु उद्योग

609. **श्री निशिकांत दुबे :**

श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्रीमती श्रुति चौधरी :

श्री रामसिंह राठवा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड सहित देश में ग्रामीण और लघु उद्योगों की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य-वार ग्रामीण और लघु उद्योगों की स्थापना और विकास हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और उपयोग किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण औद्योगिकीकरण और उनके तकनीकी विकास हेतु कोई योजना तैयार की गई है/तैयार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) संदर्भ वर्ष 2006-07, के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की चौथी अखिल भारतीय गणना, जिसके लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा 2009-11 में आंकड़े संग्रहित किए गए थे और 2010-11 में रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, के अनुसार वर्ष 2006-07 में देश में कुल 261.01 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उधमों में से 135.13 लाख ग्रामीण उद्यम (51.77%) थे। झारखंड में, राज्य में कुल 3.79 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में से 2.16 लाख ग्रामीण उद्यम (57.38%) थे।

(ख) से (ङ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), इस मंत्रालय द्वारा पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लक्ष्य से कार्यान्वित किया जा रहा एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष वर्ग जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपए तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू. है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत जारी की गई तथा उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत सहायता की गई इकाइयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में-II में दिया गया है।

विवरण–I

पीएमईजीपी के तहत जारी की गई एवं उपयोग की गई राज्य–वार मार्जिन मनी सब्सिडी

(लाख रू. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009–10		2010–11		2011–12★	
		जारी	उपयोग #	जारी	उपयोग #	जारी	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जम्मू और कश्मीर	1820.00	1803.94	2544.81	2941.29	2780.57	1478.71
2.	हिमाचल प्रदेश	567.79	615.20	1374.78	1339.70	1141.28	757.99
3.	पंजाब	1290.13	2106.77	1833.28	1773.04	1695.61	1360.59
4.	सं.शा. क्षेत्र चंडीगढ़	0.00	40.63	63.98	28.96	0.00	10.42
5.	उत्तराखंड	332.94	1017.49	1120.18	1189.89	1123.74	850.50
6.	हरियाणा	1066.22	1344.07	1887.82	1889.64	1396.25	1345.72
7.	दिल्ली	–150.00@	60.00	173.83	103.71	213.02	147.00
8.	राजस्थान	1125.77	2867.87	4401.64	3904.93	3684.10	2722.59
9.	उत्तर प्रदेश	9739.75	13529.03	13848.08	13245.69	18034.45	11403.82
10.	बिहार	900.00	1123.50	3504.32	3207.20	7417.30	5351.69
11.	सिक्किम	270.00	120.81	173.77	153.86	0.00	34.72
12.	अरुणाचल प्रदेश	351.43	97.02	248.00	249.40	174.63	443.03
13.	नागालैंड	350.00	33.95	466.00	548.41	695.46	843.40
14.	मणिपुर	300.00	181.15	0.00	304.55	630.42	600.01
15.	मिजोरम	327.40	265.17	306.00	578.67	508.00	366.46
16.	त्रिपुरा	350.00	417.25	811.25	969.78	2868.06	789.56
17.	मेघालय	606.01	645.03	515.00	571.50	833.42	876.31
18.	असम	1635.00	1895.36	5538.00	4808.10	2022.14	3212.65
19	पश्चिम बगाल	7200.00	9055.84	6719.17	6719.06	5581.67	5454.76

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	झारखंड	300.00	779.36	1562.68	2306.05	3620.64	1511.91
21.	ओडिशा	3422.13	3881.64	4949.26	4925.75	4220.87	4093.95
22.	छत्तीसगढ़	1952.54	1582.05	2983.58	3643.69	3182.97	2583.12
23.	मध्य प्रदेश	709.91	3295.87	5440.13	5195.12	5172.54	4610.07
24.	गुजरात**	234.52	1866.06	3042.54	4157.65	6101.97	5215.84
25.	महाराष्ट्र***	3150.15	4755.29	4793.82	6193.48	4730.07	2333.18
26.	आंध्र प्रदेश	6159.93	8956.39	7443.94	7750.26	5568.30	5049.65
27.	कर्नाटक	1979.34	3000.78	3696.02	3725.28	3863.96	3501.12
28.	गोवा	136.59	168.90	391.71	294.78	215.22	149.32
29.	लक्षद्वीप	0.00	6.48	77.00	21.84	0.00	0.00
30.	केरल	1245.20	3007.44	3164.19	3141.21	2910.66	2247.94
31.	तमिलनाडु	3930.61	5677.29	4389.80	4476.99	7383.44	5848.01
32.	पुदुचेरी	6.57	28.33	85.64	103.24	82.16	44.60
33.	अंडमान और निकोबार	33.76	50.48	171.83	78.22	83.22	66.80
	कुल योग	51343.69	74276.44	87722.05	90540.94	97936.14	75305.44

*29 फरवरी, 2012, तक,

पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित,

** दमन दीव सहित,

*** दादरा व नगर हवेली सहित

@ धीमे उपयोग के कारण इस राशि को 2008-09 की अप्रयुक्त शेष राशि में से वापस लेकर अन्य राज्यों में पुनःवितरित कर दिया गया था।

विवरण-II

पीएमईजीपी के तहत सहायता प्रदत्त इकाइयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12*
1	2	3	4	5
1.	जम्मू और कश्मीर	1782	2128	1109
2.	हिमाचल प्रदेश	485	961	514
3.	पंजाब	986	823	640
4.	सं.शा. क्षेत्र चंडीगढ़	50	30	13
5.	उत्तराखंड	816	974	692
6.	हरियाणा	550	915	755
7.	दिल्ली	85	149	105

1	2	3	4	5
8.	राजस्थान	1257	2096	1494
9.	उत्तर प्रदेश	4161	4421	3342
10.	बिहार	884	1429	2561
11.	सिक्किम	60	78	22
12.	अरुणाचल प्रदेश	138	232	371
13.	नागालैंड	17	242	396
14.	मणिपुर	195	204	319
15.	मिजोरम	156	380	210
16.	त्रिपुरा	325	650	413
17.	मेघालय	399	305	495
18.	असम	2430	4756	3101
19.	पश्चिम बंगाल	7197	5679	5519
20.	झारखंड	353	1545	942
21.	ओडिशा	1935	2581	2177
22.	छत्तीसगढ़	464	1576	1199
23.	मध्य प्रदेश	1138	1880	1780
24.	गुजरात★★	841	1843	1494
25.	महाराष्ट्र★★★	3281	4845	1550
26.	आंध्र प्रदेश	2995	2743	1504
27.	कर्नाटक	1509	1871	1678
28.	गोवा	94	133	72
29.	लक्षद्वीप	11	25	0
30.	केरल	1597	1737	1243
31.	तमिलनाडु	3142	2247	2565
32.	पुदुचेरी	73	216	43
33.	अंडमान और निकोबार	96	125	131
	योग	39502	49819	38449

★29 फरवरी 2012 तक,
★★दमन दीव सहित,
★★★दादरा व नगर हवेली सहित

[अनुवाद]

ब्रिटिश कानून

610. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्रीमती रमा देवी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिशरों द्वारा अधिनियमित अनेक कानून अभी भी देश में लागू हैं;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान में ऐसे कितने कानून प्रवर्तन में हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा अधिनियमित किया गया था परंतु उनमें आज तक संशोधन नहीं किया गया है;

(घ) क्या ऐसे प्राचीन कानून के माध्यम से भारतीय नौकरशाही द्वारा लोगों का उत्पीड़न किया जाता है;

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी सभी विधियों का पुनर्विलोकन एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देश में विद्यमान आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति के अनुकूल बनाने की दृष्टि से ब्रिटिश युग के दौरान अधिनियमित विधियां सम्मिलित हैं। यह कार्य केन्द्रीय सरकार के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है, जो उनको आबंटित की गई संबंधित विधियों में व्यवहार करते हैं, भारत

विधि आयोग समय–समय पर समीक्षा करता है तथा लोक महत्व की विधियों पर केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करता है।

(ग) ब्रिटिशरों द्वारा अधिनियमित की गई ऐसी विधियां जो भारत के संविधान के अनुरूप बनाकर आज भी प्रवृत्त हैं, अंगीकृत, उपांतरित या संशोधित की गई हैं, यह कहना सही नहीं है कि यहां ऐसी ब्रिटिश विधियां हैं जो भारत में प्रवृत्त हैं किन्तु जिनमें अभी तक संशोधन नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सरकार द्वारा गठित भारत का विधि आयोग, जो समय–समय पर ऐसी विधियों की पहचान करता है जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं होगी या सुसगत नहीं है और जिनको निरसित किया जा सकता था। आयोग ऐसी विधियों की पहचान भी करता है जिनके संशोधनों की आवश्यकता है और यह तंत्र देश में विधायी सुधारों की देखभाल करता है। तथापि, 1998 में, केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में संशोधनों की आवश्यकता की समीक्षा के उद्देश्य के साथ तथा अन्य के साथ विधियों के निरसन में प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन पर समिति का गठन कर दिया था। समिति से, विभिन्न विधियों, और नियमों को संशोधित करने, अधिनियमों का पुनर्विलोकन करने और दुष्क्रियात्मक या अंतर्गत विधियों को निरसित करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

महिलाओं को निःशुल्क विधि शिक्षा

611. **श्रीमती मेनका गांधी** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए निःशुल्क विधि साक्षरता कक्षाएं चलाने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

612. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा क्षेत्रों के निकट तेल शोधक कारखानों से पेट्रोलियम तथा पेट्रो उत्पादों को पाइपलाइन के माध्यम से पाकिस्तान भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या भारत पेट्रोलियम और पेट्रो उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन उत्पादों को निर्यात किए जाने के कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) से (ग) दिनांक 27–28 अप्रैल, 2011 को भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य सचिवों के बीच इस्लामाबाद में वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग पर 5वें दौर की चर्चाओं के अनुसरण में, भारत और पाकिस्तान के बीच पेट्रोलियम उत्पादों में व्यापार पर एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया हैं प्रस्तावित व्यापार की व्यवहार्यता, प्रकृति, सीमा और अन्य ब्यौरे विशेषज्ञ समूह के विचार–विमर्श/सिफारिशों पर निर्भर करते हैं। इंडियन ऑयल कार्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने पेट्रोलियम परिशोधन क्षेत्र में भारत की ताकत का प्रदर्शन और भारत तथा पाकिस्तान के बीच पेट्रोलियम उत्पादों में व्यापार की संभाव्यता का विशेष रूप से उल्लेख करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और फिक्की द्वारा 11–13 फरवरी, 2012 को लाहौर में आयोजित 'दि इंडिया शो' में, भागीदारी की थी।

(घ) जी हां, वर्तमान में परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों की भारत की उत्पादन क्षमता घरेलू खपत से अधिक है। वर्ष 2010–11 के दौरान, परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 195.78 मिलियन टन था जबकि घरेलू खपत 141.04 मिलियन टन थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंधु जल आवंटन

613. **श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को गुजरात सरकार से गुजरात राज्य को सिंधु जल आवंटन के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) गुजरात सरकार के माननीय जलापूर्ति, जल संसाधन, शहरी विकास तथा शहरी आवास के मंत्री ने दिनांक 07.02.08 के पत्र के माध्यम से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सिंधु जल (अर्थात् रावी–व्यास सतलुज जल) के आवंटन हेतु माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को अनुरोध किया था।

(ख) और (ग) माननीय केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 18.3.08 के अपने उत्तर में रावी, व्यास तथा सतलुज नदियों के वर्तमान लाभार्थी राज्यों के मध्य व्याप्त जल संबंधी मुद्दों को इंगित किया है, जिनमें से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कुछ निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं। आगे यह उल्लेख किया गया कि इन नदियों के पुनः आवंटन हेतु कोई नया सुझाव इन मुद्दों के निर्णय तथा वर्तमान लाभार्थी राज्यों के कुछ जल को छोड़ने हेतु सहमत होने पर निर्भर करता है।

पेट्रोलियम डिपो

614. **श्री भक्त चरण दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओडिशा राज्य में, विशेषकर केबीके क्षेत्र में स्थित पेट्रोलियम डिपो की स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की योजना केबीके क्षेत्र में नए पेट्रोलियम डिपो खोलने की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) सम्बलपुर डिपो के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वाल्टियर, जो नजदीक है, कि बजाय पारादीप पोर्ट से पश्चिमी क्षेत्र हेतु तेल की आपूर्ति के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एन.पी. सिंह) : (क) वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज), नामतः इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटैड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के ओडिशा राज्य में 14 पेट्रोलियम डिपो प्राचालनरत हैं, जिनमें कालाहांडी बोलंगीर कोरापुट (केबीके) क्षेत्र में एक–एक डिपो शामिल है।

(ख) और (ग) एचपीसीएल की ओडिशा राज्य के मुनीगुडा (केबीके क्षेत्र) में एक नया पेट्रोलियम डिपो चालू करने की योजना है। इसके क्रियान्वयन की समय सीमा भूमि सौंपे जाने और आवश्यक सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

(घ) एचपीसीएल का सुरक्षा और संभारतंत्रीय कारणें से अगस्त, 2008 में संबलपुर पेट्रोलियम डिपो बंद कर दिया गया था। तथापि, संबलपुर में आईओसीएल और बीपीसीएल के पेट्रोलियम डिपो प्रचालनरत हैं।

(ङ) वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज संभारतंत्रीय कारणों और आर्थिक व्यवहार्यता के चलते वालटेर (विजाग) के स्थान पर ओडिशा के पश्चिमी क्षेत्र पारादीप से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कर रही हैं।

विशेष रेलगाड़ियां

615. **श्री पी. टी. थामस :**
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि गर्मी की छुट्टी और त्योहार के मौसमों के दौरान अंतिम समय में विशेष रेलगाड़ियां चलाने की वर्तमान व्यवस्था बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए लाभकारी नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार उक्त अवधि के दौरान विशेषकर कन्याकुमारी से श्रीनगर के लिए विशेष तीर्थ यात्रा रेलगाड़ी शुरू करने और भारी-भीड़ को देखते हुए ऐसी रेलगाड़ियों को बहुत पहले शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) रेलवे यातायात पैटर्न, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए गर्मियों और त्यौहारों के सीजन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को क्लिअर करने के लिए अग्रिम रूप से विशेष गाड़ियों की योजना बनाती है। कुछ विशेष मौकों पर अचानक भीड़ को क्लीयर करने के लिए अंतिम क्षण में विशेष गाड़ियां अधिसूचित समय-सारणी पर चलती हैं और सामान्यतः बहुत लोकप्रिय होती हैं। अतः इन से बड़ी संख्या में यात्रियों को लाभ मिलता है। यह भारतीय रेलवे में सतत् प्रक्रिया है। कन्याकुमारी और श्रीनगर के बीच फिलहाल कोई सीधी रेल सेवा नहीं है।

आई आई डी ई एम

616. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का निर्वाचन आयोग का विचार अपने तत्त्वावधान में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईडीईएम) की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है तथा इसकी कार्य प्रणाली क्या है;

(ग) क्या सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग ने कथन किया है कि उन्होंने भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आई.आई.डी.ई.एम) को निर्वाचन से संबंधित पदधारियों और अन्य पणधारियों को देश के अंदर पद्धतिपूर्ण और व्यापक रूप से ठोस प्रशिक्षण की आवश्यता को पूरा करने के महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हेतु और उन लोकतांत्रिक देशों के लिए जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन प्रबंधन व संबद्ध लोकतांत्रिक पद्धतियों में दक्षता, विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ चाहते हैं, एक पटल के रूप में जून, 2011 से आरंभ किया है। अभी तक बीस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित किए गए हैं। आयोग ने भारत सरकार से भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान के लिए अपेक्षित निधि को प्रदान करने का अनुरोध किया है जिसका आयोग के आबंटित बजट के भीतर उपबंध किया जाता रहा है। निर्वाचन आयोग ने सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान का गठन करने के लिए पूर्व में प्रस्ताव किया था और सरकार से सोसाइटी की शासी संरचना में सम्यक प्रतिनिधित्व के लिए अनुरोध किया है। तथापि, भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान का अधिक सफलतापूर्वक कार्यकरण के आगामी अनुभव को देखते हुए आयोग ने भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान के लिए एक स्वायत्त सोसायटी के सृजन के लिए इसके प्रस्ताव को वापस ले लिया है। आयोग ने कथन किया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान भारत निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन आयोग ने कथन किया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन संस्थान भारत के निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग के भाग के रूप में कार्य करेगा।

[हिन्दी]

यूरिया के मूल्य में वृद्धि

617. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यूरिया के मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार किसानों की समस्याओं को देखते हुए यूरिया के उक्त मूल्यों में वृद्धि न करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) नई मूल्य निर्धारण योजना – चरण–III के बाद मौजूदा यूरिया इकाइयों हेतु नीति तैयार करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राज्यों से रेल परियोजनाओं में वित्तीय सहायता

618. **श्री राधे मोहन सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों में रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन/पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु आगे आई हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य सहित तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा अपनी परियोजनाएं समय पर पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें लागत में भागीदारी के आधार पर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आगे आई हैं और वर्तमन में लगभग 5000 किमी की दूरी को कॅवर करने वाली 31 परियोजनाओं को राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चालू परियोजनाओं का भारी थ्रोफारवार्ड और संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण राज्य सरकारों/लाभभोगियों द्वारा प्रतिभागिता, सार्वजनिक निजी भागीदारी, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त के रूप में वित्त, पूंजी निधि की पुनःबहाली और रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में उद्योग की प्रतिभागिता के साथ 4 परियोजनाओं का निष्पादन शुरू किया गया है।

परियोजनाओं के समापन को शीघ्र करने के लिए वानिकी और अन्य संबंधी स्वीकृतियां लेने के लिए उच्चतम स्तर पर संपर्क स्थापित किया जाता है। कार्य स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए फील्ड यूनिटों को सशक्तीकरण आरंभ किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (किमी में)	अद्यतन प्रत्याशित लागत (करोड़ रूपए में)
1	2	3	4
	नई लाइनें		
	आंध्र प्रदेश		
1	कोटीपल्ली–नरसापुर	57.21	695
2	कुड्डपाह–बंगलूरु (बंगारपेट)	255.4	1090.23
3	नाडिकुडे–श्रीकलाहस्ती	309	1313.99
	छत्तीसगढ़		
4	दल्लीराजहरा–जगदलपुर	235	1105.23
	हरियाणा		
5	जींद–सोनीपत	88.9	401.83

1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
6	भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी	63.1	815.16
	झारखंड		
7	रामपुरहाट–मुरारै–तीसरी लाइन के लिए नए एमएम के साथ दुमका के रास्ते रामपुरहाट–मंदारहिल	159.48	900.05
8	गिरीडीह–कोडरमा	102.5	452.36
9	कोडरमा–रांची	189	1157.81
10	कोडरमा–तिलैया	68	418.17
	कर्नाटक		
11	हरपनहल्ली के रास्ते कोट्टूर–हरिहर	65	354.06
12	श्रवणबेलगोला के रास्ते हसन–बंगलोर	166	475.51
13	कदूर–चिकमंगलूर–सकलेशपुर	93	332.82
14	मुनीराबाद–महबूबनगर	246	567.47
15	गुलबर्गा–बीदर	140	554.55
16	बगलकोट–कुडाची	142	816.14
17	कल्याणदुर्ग के रास्ते रायदुर्ग–तुमकुर	213	1027.89
18	तुमकुर–चित्रदुर्ग–दावणगेरे	199.7	913
19	शिमोगा–हरिहर	78.66	562.74
20	व्हाइटफील्ड–कोलार	52.9	341.05
	महाराष्ट्र		
21	वर्धा–नांदेड (यवतमाल–पुसूद के रास्ते)	270	1570.12
22	अहमदनगर–बीड–पर्ली–वैजनाथ	250	512.67
	राजस्थान		
23	बांसवाड़ा के रास्ते रतलाम–डुंगरपुर	176.47	2082.75
	उत्तराखंड		
24	देवबंद (मुज्जफर नगर) – रूड़की	27.45	160.1

1	2	3	4
	आमान परिवर्तन		
	झारखंड		
25	टोरी तक विस्तार सहित रांची–लोहारडागा	113	456.45
	कर्नाटक		
26	बंगलोर–हुबली और शिमोगा टाऊन–तलगुप्पा	630	679.43
27	कोलार–चिकबल्लापर	96.5	200
	पश्चिम बंगाल		
28	कटवा–बाजारसौ (30.59 किमी) के लिए नए एमएम सहित बर्दवान–कटवा (51.52 किमी) – दोहरीकरण, कटवा (दैनहाट) – मातेश्वर (34.4 किमी), नेगुन–मंगलकोट (8.60 किमी) एवं मातेश्वर–मेमेरी नई लाइन	160.62	1106.62
	दोहरीकरण		
	आंध्र प्रदेश		
29	विजयवाड़ा–गुडिवडा–भीमवरम–नरसापुर, गुडिवडा–मछलीपटनम एवं विद्युतीकरण सहित भीमराव–निदादावोलु दोहरीकरण	221	1009.82
	कर्नाटक		
30	अर्सीकेर–बिरूर–कहीं–कहीं दोहरीकरण	44.28	149.88
31	केंगेरी–मैसूर के विद्युतीकरण सहित रामनगरम–मैसूर	91.5	342.69

उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन

619. **श्री ए. सम्पत : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एमएसएमई क्षेत्र के अधीन उभरते उद्यमियों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन दे रही है या देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र के तहत उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

(ख) मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं जो एमएसएमई क्षेत्र के तहत उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराती हैं, इस प्रकार हैं :

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)।

(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)।

(iii) उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम।

(iv) "प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता" योजना के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वर्ष 2010–2011 के लिए उपर्युक्त योजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) एमएसएमई मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र को विशेष पैकेज उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

वर्ष 2010–2011 के लिए उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही विभिन्न योजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सीजीटीएमएसई के तहत अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	
				उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम	प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता की योजना
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	2743	7523	11513	6135
2	असम	4756	9521	6923	4430
3	अरुणाचल प्रदेश	232	374	★	1050
4	बिहार	1429	9844	4959	1800
5	छत्तीसगढ़	1576	2489	1826	660
6	दिल्ली	149	2724	3416	3770
7	गोवा	133	1828	548	
8	गुजरात	1843	12623	8688	1030
9	हरियाणा	915	2961	1919	1695
10	हिमाचल प्रदेश	961	7071	973	700
11	जम्मू और कश्मीर	2128	1800	869	150
12	झारखंड	1545	7737	8182	1100
13	कर्नाटक	1871	19779	5983	1040
14	केरल	1737	20296	2769	360
15	मध्य प्रदेश	1880	7552	9006	2680
16	महाराष्ट्र	4845	14955	15816	1490
17	मेघालय	305	973	★	700
18	मणिपुर	204	166	1154	1365
19	मिजोरम	380	148	★	715
20	नागालैंड	242	163	★	840
21	ओडिशा	2581	13987	13617	1775

1	2	3	4	5	6
22	पंजाब	823	5029	5750	3030
23	राजस्थान	2096	9346	4121	2030
24	सिक्किम	78	178	751	650
25	तमिलनाडु	2247	25755	6831	3065
26	त्रिपुरा	650	1215	2257	745
27	उत्तर प्रदेश	4421	37721	14858	13605
28	उत्तराखंड	974	3917	4210	6355
29	पश्चिम बंगाल	5679	25302	10109	2555
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	125	190	★	
31	चंडीगढ़	30	565	★	350
32	दादर और नगर हवेली		35	★	
33	दमन और दीव		39	★	
34	लक्षद्वीप	25	41	★	
35	पुदुचेरी	216	153	★	

★मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में डाटा असम के साथ, नागालैंड का मणिपुर के साथ, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का पश्चिम बंगाल के साथ, चंडीगढ़ का पंजाब के साथ, पुदुचेरी का तमिलनाडु के साथ, दादर और नागर हवेली का, दमन और दीव एवं लक्षद्वीप का गुजरात के साथ, मिजोरम का त्रिपुरा के साथ शामिल है।

[हिन्दी]

नेपाल से उद्गम होने वाली नदियों से बाढ़

620. **श्री कमल किशोर 'कमांडो' : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष नेपाल से बहते हुए आने वाली नदियों के कारण भयंकर बाढ़ से निपटने के लिए कोई ठोस उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिवर्ष बाढ़ से बह गए गांवों के लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) उपयुक्त स्थानों पर नदियों पर बड़े बांधों/जलाशयों के निर्माण को, बाढ़ को रोकने के एक उपाय के रूप में माना जाता है, विशेषतया यदि भंडारण जलाशयों में समर्पित बाढ़ कुशन उपलब्ध कराया जाए। बड़े बांध, स्पिल वे के माध्यम से नियंत्रित निस्सरण को छोड़कर अनुप्रवाह में बाढ़ को कम करते हैं।

शारदा नदी (नेपाल में महाकाली) पर पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध–परियोजना तथा पश्चिमी राप्ती नदी पर पश्चिमी राप्ती (नौमूर) बहुउद्देशीय परियोजना पर नेपाल सरकार के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है। कार्यान्वित होने पर ये उच्च बांध परियोजनाएं, भारत एवं नेपाल दोनों देशों की जनता को जल–विद्युत, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के रूप में लाभान्वित करेंगी।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बाढ़ों द्वारा प्रभावित ग्रामीणों का पुनर्वास।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को मताधिकार

621. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव :**
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री नवीन जिन्दल :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार अनिवासी भारतीयों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने मतदान के लिए अपने नाम दर्ज कराए हैं;

(ख) कुल अनिवासी भारतीयों की राज्य-वार संख्या क्या है जिन्होंने पांच राज्यों के पिछले विधान सभा चुनाव में अपना मत दिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार डाक द्वारा मतदान, उनके अपने-अपने देशों के महावाणिज्य दूतावास में मतदान करने, इंटरनेट वोटिंग आदि सहित अन्य विकल्प उपलब्ध करा कर अनिवासी भारतीयों के लिए मतदान की प्रक्रिया को सरल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) जानकारी उपलब्ध की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

तेल टैंकरों की दुर्घटना

622. **श्री गणेश सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में तेल टैंकरों की कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित परिवहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने रिपोर्ट दी है कि विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर, 2011) के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) दोनों के तेल टैंकरों की 136 बड़ी दुर्घटनाएं परिवहन के दौरान घटी थीं।

(ख) इसके अलावा एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित परिवहन के लिए, ओएमसीज टैंक ट्रक ड्राइवरों और कर्मीदल को प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं, वाहनों और उपस्करों की नियमित जांच कर रही है। स्टैटिक एण्ड मोबाइल प्रेशर वेसेल नियम आदि का कार्यान्वियन कर रही हैं। ओआईएसडी ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित मानकों का विकास किया है :-

(i) ओआईएसडी-एसटीडी-151-प्रोपेन टैंक ट्रकों के डिजाइन, संविचरन और फिटिंग में सुरक्षा।

(ii) ओआईएसडी-आरपी-157-बल्क में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए संस्तुत कार्यवाही।

(iii) ओआईएसडी-एसटीडी-159-एलपीजी टैंक ट्रकों की डिजाइन/ संविचरन और फिटिंग पर सुरक्षा की आवश्यकता।

(iv) ओआईएसडी-एसटीडी-160-विद्यमान एलपीजी टैंक ट्रकों पर की गई फिटिंग के लिए सुरक्षा।

(v) ओआईएसडी-जीडीएन-161-एलपीजी टैंक ट्रक घटनाएं: बचाव और राहत कार्यवाही।

(vi) ओआईएसडी-जीडीएन-165-पीओएल टैंक ट्रक दुर्घटनाओं के लिए राहत और बचाव कार्यवाही के लिए दिशानिर्देश।

(vii) ओआईएसडी-आरपी-167-पीओएल टैंक लॉरी डिजाइन और सुरक्षा।

राजीव गांधी ग्रामीण सड़क योजना

623. **श्री प्रेमदास : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में विकास के लिए स्वीकृत कुल ग्रामीण सड़कों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितनी सड़कें लंबित हैं; और

(ग) इस योजना के अधीन कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) :

(क) से (ग) यद्यपि, राजीव गांधी ग्रामीण सड़क योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा। यह मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का कार्यान्वयन करता है जिसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाली तथा पहाड़ी राज्यों, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में की गई पहचान के अनुसार) में 250 तथा अधिक की जनसंख्या वाली सभी पात्र संपर्क रहित बसावटों को तथा समेकित कार्य योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा पहचाने गए 78 चुने गए जनजातीय तथा पिछड़े जिलों में सभी पात्र संपर्क रहित बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। चूंकि ग्रामीण सड़क राज्यों का विषय है, इसलिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा उनकी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभ से अब तक, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 4,39,387 किमी लंबाई के कुल 1,11,674 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 3,41,189 किमी लंबाई के कुल 86,115 सड़क कार्य पूरे किए जा चुके हैं। जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 7,011 किमी लंबाई के कुल 1,379 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 2,875 किमी लंबाई के कुल 521 सड़क कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

चुनावों में धन बल

624. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संसदीय और विधान सभा चुनावों में धन बल का प्रभाव बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग ने भी इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग, संसदीय और सभा निर्वाचनों में 'धन बल' के बढ़ते प्रभाव के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। आयोग ने, निर्वाचनों में, धन बल आदि के प्रयोग से संबंधित मुद्दो पर बहस करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के साथ तारीख 4 अक्तूबर, 2010 को हुई बैठक आयोजित की थी।

आयोग ने अनेक उपाय किए हैं जिसमें निर्वाचनों के दौरान रोकड़, लिकर और अन्य वस्तुओं के संचलन पर नजर रखने के लिए पृथक् प्रभाग खोलना, व्यय संप्रेक्षकों और सहायक व्यय संप्रेक्षकों, उड़न दस्तों स्थैनितक निगरानी दल की नियुक्ति, प्रमाणिक मीडिया और मीडिया विज्ञापनों तथा संदत्त समाचारों पर निगरानी रखने के लिए मानीटरी समिति प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रतिच्छाया संप्रेक्षण रजिस्टर का रख-रखाव करना, व्यय की मुख्य मदों का निरीक्षण करने के लिए वीडियो निगरानी दल, निर्वाचन व्ययों के प्रयोजन के लिए अभ्यर्थी द्वारा पृथक् बैंक खाता खोलना और नकदी के संचलन की चौकसी करने के लिए आयकर विभाग को अंतर्वलित करना, सम्मिलित थे। हाल ही में संपन्न हुए सभा में निर्वाचन व्यय के मानीटरी तंत्र के प्रभाव पर विचार करते हुए निर्वाचन आयोग ने यह विनिश्चय किया है कि सभी साधारण निर्वाचनों में उन्हीं उपायों को प्रवृत्त किया जाए।

निर्वाचनों पर धन बल के मुद्दे पर निर्वाचन सुधारों पर निर्वाचन आयोग के सुझावों में निर्वाचनों का वित्त पोषण भी सम्मिलित है। इन्हें अन्य व्यापक निर्वाचन सुधारों के प्रस्तावों के साथ अपर महा-सालिसिटर की अध्यक्षता में एक कोर-समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। विधायी विभाग के संरक्षण के अधीन और भारत निर्वाचन आयोग के सह-प्रयोजन से समिति ने भोपाल, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़ और बेंगलूरू और गुवाहाटी में सात प्रादेशिक परामर्श संचालित किए हैं, जिनमें ऐसे पणधारियों के साथ परामर्श किया गया है जिनमें अन्य बातों के साथ राजनैतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता, विधायक, विधि-विद्वान, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विख्यात व्यक्ति, सिविल सेवक (सेवारक और सेवानिवृत्त), छात्र आदि सम्मिलित हैं और उनसे विचार एकत्रित किए गए हैं। प्राप्त जानकारी या इन सभी परामर्शों में प्राप्त की जाने वाली जानकारी के आधार पर सरकार द्वारा सम्यक् अनुक्रम में आवश्यक समझी जाने वाली विधायी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

केंद्रीय सरकार द्वारा गठित मंत्रियों का समूह उन उपायों पर विचार करेगा जो साकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कर सकेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्वाचनों का राज्य वित्त पोषण भी सम्मिलित हैं। मंत्रियों के समूह के कतिपय प्रतिपादनों पर चर्चा की है जिन्हें इस मुद्दे पर कार्य करने के लिए अंगीकृत किया जा सकता था किंतु अभी तक कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

विद्युतीकरण/दोहरीकरण

625. **श्री भूदेव चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार किऊल–गया–शेखपुरा का विद्युतीकरण और भागलपुर–किऊल लाइन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोनों परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) क्यूल–शेखपुरा–मैनपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण के प्रस्ताव की जांच की जा रही है और मैनपुर–गया खंड पहले से ही विद्युतीकृत है। इस समय, भागलपुर–क्यूल रेल लाइन के विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि रेलपथ का विद्युतीकरण करने का निर्णय वित्तीय व्यवहार्यता, यातायात घनत्व और परिचालनिक संभाव्यता के आधार पर किया जाता है।

जहां तक भागलपुर–क्यूल रेल लाइन का दोहरीकरण करने का संबंध है, कजरा और क्यूल के बीच दोहरीकरण का कार्य पूरा हो गया है और जमालपुर और रतनपुर के बीच दोहरीकरण का कार्य वन विभाग की मंजूरी न मिलने के कारण विलंबित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल हेतु पैकेज

626. **कुमारी सरोज पाण्डेय** : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तराखंड जैसे नवगठित राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष पैकेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैकेज के अंतर्गत इन राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निधियों से इन राज्यों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में सहायता देता है। इस मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के प्रावधान के लिए इन राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत आबंटन के अलावा कोई और विशेष पैकेज उपलब्ध नहीं कराया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कों का निर्माण

627. **श्री राजेन गोहैन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानदंडों के अनुसार सभी प्रमुख ग्रामीण सड़कों को पहले से तैयार 'कोर नेटवर्क' के अधीन कवर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के संशोधित 'कोर नेटवर्क मैप' को तैयार करने के लिए पुनः सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का योजना की समय सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है जिसके द्वारा देश की जनसंख्या के अधिसंख्यक भाग को लाभ मिलेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों ने अपने राज्यों की ग्रामीण बसावटों की संपर्क स्थिति के अनुसार ग्रामीण सड़कों का कोर नेटवर्क तैयार किया था। पीएमजीएसवाई (चरण I से X) के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रक्रिया का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) जी नहीं। सरकार के पास इस योजना के संशोधित "कोर नेटवर्क मैप" को तैयार करने के लिए पुनः सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति (चरण I से X + एडीबी/डब्ल्यूबी)

(करोड़ रुपए में, लंबाई कि.मी. में)

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य	रिलीज की गई राशि (31.01.2012 तक)	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क कार्यों की लंबाई	पूरे किए गए सड़क कार्यों की संख्या (जनवरी, 2012 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लंबाई (जनवरी, 2012 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों का % (जनवरी, 2012 तक)	पूरी की गई लंबाई का % (जनवरी, 2012 तक)	व्यय (जनवरी, 2012 तक)	रिलीज की गई राशि की तुलना में व्यय का % (जनवरी, 2012 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आंध्र प्रदेश $	4529.84	3629.91	6681	21135.88	6153	19946.35	92.10	94.37	3617.57	99.66
2	अरूणाचल प्रदेश★	2075.27	1175.85	782	4362.63	568	3225.34	72.63	73.93	1174.08	99.85
3	असम	8801.80	6490.90	4645	15909.42	2594	11724.04	55.84	73.69	6361.17	98.00
4	बिहार (आरडब्ल्यूडी) $$	9539.11	5878.68	6458	20871.40	1774	4719.47	27.47	22.61	4486.79	76.32
5	बिहार (एनईए)	8354.57	5118.50	3428	18912.88	1955	11288.90	57.03	59.69	4784.47	93.47
6	छत्तीसगढ़	6966.71	5352.01	5723.00	26842.98	4278	19287.59	74.75	71.85	4775.96	89.24
7	गोवा★	9.72	10.00	90	178.16	72	158.70	80.00	89.08	5.32	53.20
8	गुजरात	1475.57	1332.53	3128	8045.46	2996	7577.20	95.78	94.18	1374.10	103.12
9	हरियाणा	1517.96	1317.97	420	4589.33	398	4436.67	94.76	96.67	1261.74	95.73
10	हिमाचल प्रदेश	2576.15	1839.68	2212	12767.32	1507	9650.33	68.13	75.59	1609.75	87.50
11	जम्मू और कश्मीर★★	3706.18	1901.01	1379	7011.14	521	2875.02	37.78	41.01	1443.66	75.94
11	झारखंड $$	3622.91	2756.75	3169	13456.64	1346	7044.45	42.47	52.35	1989.06	72.15
13	कर्नाटक	3218.94	3140.63	3220	16195.81	3096	15035.16	96.15	92.83	3200.20	101.90
14	केरल	975.01	688.32	1173	2710.49	673	1441.48	57.37	53.18	540.94	78.59
15	मध्य प्रदेश!	14369.44	11556.51	13026	58149.27	10554	48719.89	81.02	83.78	10843.54	93.83
16	महाराष्ट्र	5387.93	5258.33	5309	23216.67	4845	20853.11	91.26	89.82	4723.00	89.82
17	मणिपुर	873.00	649.64	1023	3160.78	739	2930.71	72.24	92.72	601.18	92.54
18	मेघालय	408.69	223.14	427	1206.44	356	987.07	83.37	81.82	221.71	99.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	मिजोरम	708.27	570.68	191	2487.16	144	2055.07	75.39	82.63	520.52	91.21
20	नागालैंड	732.73	359.93	305	3629.63	240	2658.87	78.69	73.25	353.98	98.35
21	ओडिशा #	11913.03	8981.55	8632	33429.17	5819	22216.13	67.41	66.46	8232.02	91.65
22	पंजाब	1792.01	1568.03	765	4959.56	720	4424.03	94.12	89.20	1391.19	88.72
23	राजस्थान	9803.26	8510.79	12790	54475.42	11473	48592.59	89.70	89.20	7878.32	92.57
24	सिक्किम ##	970.89	599.75	476	3245.87	216	2369.18	45.38	72.99	491.07	81.88
25	तमिलनाडु	2035.70	1821.12	4970	10053.99	4907	9835.38	98.73	97.83	1715.14	94.18
26	त्रिपुरा ~	1905.43	1243.21	1054	3386.81	747	2089.00	70.87	61.68	1221.39	98.24
27	उत्तर प्रदेश	10663.47	9543.07	16487	42901.70	14993	39755.37	90.94	92.67	9391.10	98.41
28	उत्तराखंड +	1626.32	1119.98	781	5760.49	435	3795.64	55.70	65.89	951.03	84.91
29	पश्चिम बंगाल	5996.57	4264.14	2930	16334.05	1996	11496.19	68.12	70.38	3756.91	88.10
	कुल	126556.49	96902.60	111674	439386.55	86115	341188.93	77.11	77.65	88916.91	91.76
संघ राज्य क्षेत्र											
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32.39	10.59	18	0	0				0.26	2.46
31	दादर और नगर हवेली	36.78	13.84	156	181.97	0				0	0.00
32	दमन और दीव	10.00	10.00	0	0	0				4.94	4940
33	दिल्ली	5.00	5.00	1	0	0				0	0.00
34	लक्षद्वीप	4.89	4.89	0	0	0				0	0.00
35	पुदुचेरी	11.58	5.00	78	87.92	77	68.53	98.72	77.95	9.30	186.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	100.64	49.32	253	269 89	77	68.53	30.43	25.39	14.50	29.40
	कुल योग	126657.13	96951.92	111927	439656.44	86192	341257.46	77.01	77.62	88931.41	91.73

जनवरी, 2012 तक के आंकड़े

★ मार्च 2009 से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई

$ 298 एलएसबी शामिल है (एलएसबी),

★51एलएसबी शामिल है। # 134 एलएसबी शामिल है, ★★ 24 एलएसबी शामिल है।, $$ 23 छूटे गए पुल शामिल हैं 4 एलएसबी शामिल है। 96 एलएसबी शामिल है, ~ 87 एलएसबी शामिल हैं, + 53एलएसबी शामिल है।

15 एलएसबी शामिल है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस का उपयोग

628. **श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी उर्वरक कंपनियों ने केजीडी–6 आरआईएल ब्लॉक से प्राकृतिक गैस की आसानी से उपलब्धता के कारण नाफ्था की जगह प्राकृतिक गैस का उपयोग करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के कारण इन उर्वरक संयंत्रों की उत्पादन लागत में पैंसठ प्रतिशत तक की कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका लाभ किसानों को देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एसएफसी) कोटा ने मई 2009 से केजी–डी6 बेसिन–आरआईएल से गैस उपलब्ध होने के कारण प्राकृतिक गैस का उपयोग करना शुरू कर दिया है। नेफ्था से प्राकृतिक गैस के रूप में फीडस्टॉक का परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप एसएफसी–कोटा की यूरिया उत्पादन की लागत लगभग 50% कम हो गई है।

(घ) यूरिया किसानों को राजसहायता प्राप्त अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है जो उत्पादन की वास्तविक लागत से कम होता है।

[अनुवाद]

मनरेगा के अधीन परिसंपत्तियां

629. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(ग) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) महात्मा गांधी नरेगा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परिवार को अकुशल शारीरिक श्रम कार्य की मांग के आधार पर एक वर्ष में 100 दिनों तक का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। टिकाऊ स्वरूप की परिसपंत्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धनों के लिए आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करना भी अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मनरेगा की धारा 4 के तहत बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रारंभ से लेकर अब तक लगभग 80 लाख कार्य पूरे हो चुके हैं।

रेलवे लाइन/पर्यटन रेलगाड़ियां

630. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सोमनाथ और कोदीनार के बीच रेल लाइन बिछाने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश में जन्म भूमि और पर्यटन रेलगाड़ी शुरू करने की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक इस पर कितनी धनराशि आवंटित और व्यय हुई है; और

(घ) नई रेल लाइन परियोजना को पूरा करने और उक्त पर्यटन रेलगाड़ियों को शुरू करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) स्वीकृत की गई राजकोट–वेरावल आमान परिवर्तन परियोजना के एक भाग के रूप में सोमनाथ–कोडिनार (36.91 किमी) तक नई लाइन के निर्माण को अप्रैल, 2011 में स्वीकृत किया गया है। नक्शे, अनुमान तैयार करने आदि से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

(ख) ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरने वाली जन्म भूमि

गौरव पर्यटक रेलगाड़ी चलाने के लिए भारतीय रेलवे खान–पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) प्रयासरत है।

(ग) समग्र राजकोट–वेरावल आमान परिवर्तन परियोजना के लिए मार्च, 2011 तक 507.24 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वर्ष 2011–12 में इस परियोजना के लिए 6.70 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था।

(घ) परियोजना संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।

केरल में रेलवे लाइनों का दोहरीकरण

631. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रेल लाइनों के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार केरल से देश के विभिन्न भागों में जाने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की आवृत्ति को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) रेलवे परियोजनाओं की स्वीकृति राज्य की सीमाओं के आधार पर नही की जाती है फिर भी केरल राज्य के अधीन पूर्ण/आंशिक रूप से आने वाली परियोजनावार विवरण तथा दोहरीकण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	परियोजना	अनुमानित लागत	मार्च, 2011 तक हुआ व्यय	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मुलनतुरूत्ती:कुरूप्पनतारा (24 किमी.)	185.77	48.06	राज्य सरकार द्वारा रेलवे को अपेक्षित भूमि सौंपना बाकी है। तब तक, मुलनतुरूत्ती–पिरवम रोड खंड पर कहीं–कहीं पुल कार्य तथा मिट्टी कार्य आरंभ किया गया है।
2.	कुरूप्पनतारा–चिंगावनम (26.54 किमी.)	346.15	5.05	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा रेलवे को अपेक्षित भूमि सौंपना बाकी है।
3.	चेंगानूर–चिंगावनम (26.5 किमी.)	222.95	37.44	राज्य सरकार द्वारा रेलवे को अपेक्षित भूमि सौंपना बाकी है। फिलहाल, चेंगानूर–तिरूवल्ला सेक्शन पर कहीं–कहीं पुल कार्य तथा मिट्टी कार्य आरंभ किया गया है।
4.	मावेलीकारा–चेंगानूर (12.3 किमी.)	102.35	63.8	कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है।
5	अबालापुझा–हरिपद (18.13 कि.मी.)	125.25	10.78	अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा रेलवे को अपेक्षित भूमि सौंपना बाकी है।

1	2	3	4	5
6.	कुंबलम–थुरावुर (15.59 कि.मी.)	137.35		अनुमानित लागत तथा आवश्यक भूमि का कार्य आरंभ किया गया है।
7.	एर्णाकुलम–कुंबलम (7.71 कि.मी.)	71.32	0.07	राज्य सरकार को आवश्यक भूमि का ब्यौरा सौंप दिया गया है। अनुमान की तैयारी आरंभ की गई है।

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए तथा भूमि उपलब्धता तथा अन्य मामलों के निपटान के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

(ग) और (घ) गाड़ियों की बारंबारता राज्यवार नहीं बढ़ाई जाती है क्योंकि रेलवे नेटवर्क तथा गाड़ी परिचान राज्य की सीमाओं से बाहर भी होता है। भारतीय रेल पर वर्तमान गाड़ियों के बारंबारता में बढ़ोत्तरी एक सतत् प्रयास है जो परिचालन व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता, यातायात औचित्य आदि पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

उर्वरकों की कमी

632. श्री प्रदीप माझी :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री अम्बिका बनर्जी :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री जगदानंद सिंह :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री जफर अली नकवी :
श्री हरिभाऊ जावले :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्रीमती श्रुति चौधरी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में देश में विभिन्न उर्वरकों की राज्य–वार तथा उर्वरक–वार मांग तथा आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या देश में उर्वरकों की कमी के कारण किसानों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने उर्वरकों की अतिरिक्त आपूर्ति की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को उर्वरकों की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उर्वरक के उत्पादन में आत्म–निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (घ) सामान्यतः उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष अर्थात् 2008–09, 2009–10, 2010–11 और 2011–12 (अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012 तक) के दौरान प्रमुख उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और मिश्रित उर्वरकों की झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा सहित राज्य–वार मांग (आवश्यकता) और उपलब्धता (आपूर्ति) को क्रमशः विवरण–I, II, III और IV में दर्शाया गया है।

जैसाकि देखा जा सकता है, यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त है। इसी प्रकार, वर्ष 2011–12 (अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012) के दौरान फास्फेटयुक्त उर्वरकों अर्थात् डीएपी/एनपीके की उपलब्धता देशभर में पर्याप्त रही है। डीएपी की कम आपूर्ति की एनपीके उर्वरकों की अतिरिक्त आपूर्ति करके पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति की गई है। खरीफ 2011 के दौरान एमओपी की उपलब्धता में तंगी थी। देश में पोटाश का कोई व्यवहार्य स्रोत नहीं है इसलिए एमओपी की समस्त मांग को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि और एमओपी उत्पादकों द्वारा संघ बना लिए जाने के कारण

जुलाई माह तक एमओपी के आयात की संविदा नहीं की जा सकी थी। एमओपी की संविदा केवल अगस्त माह में ही की जा सकी थी। परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष अनुप्रयोग और एनपीके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के लिए रबी 2011-12 में एमओपी की उपलब्धता संतोषजनक रही है।

(ङ) इसके अलावा, देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित विस्तृत कदम उठाए गए हैं :

(i) सभी प्रमुख राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के संचलन की ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली *(www.urvarak.co.in)* द्वारा देश भर में निगरानी की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है :

(ii) यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है;

(iii) राज्य सरकारों को आपूर्तियों को कारगर बनाने के लिए उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य संस्थागत अभिकरणों को निर्देश देने की सलाह दी गई है;

(iv) राज्य सरकारें राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उत्पादकों/आयातकों के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं;

(v) उर्वरक विभाग तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग प्रति सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न राज्यों में कृषि विभागों के साथ उर्वरक उपलब्धता की संयुक्त रूप से समीक्षा कर रहे हैं। सुधारात्मक कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, तत्काल की जाती है ताकि किसानों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े;

(vi) उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर स्पष्ट रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करने की अपेक्षा है। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक पर बिक्री करना आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के प्रत्येक बैग पर प्रति बैग राजसहायता की राशि भी मुद्रित की जाती है;

(vii) उर्वरक विभाग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, गेल तथा एनजी/एलएनजी के अन्य भावी आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है ताकि उर्वरक उद्योग की गैस आवश्यकता को पूरा किया जा सके; और

(viii) सरकार आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में यूरिया के उत्पादन को हमेशा से प्रोत्साहन देती रही है। सरकार यूरिया उत्पादन संयंत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीति पर विचार कर रही है। देश फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर लगभग पूर्णतया निर्भर है। सरकार ने पी एण्ड के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए डीएपी के स्वदेशी उत्पादकों को आयात सम-मूल्य की अनुमति देकर पहल की है। सरकार ने पी एण्ड के उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादकों को उचित मूल्य पर इस महत्वपूर्ण आदान को खरीदने में सक्षम बनाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 2% भी कर दिया है। सरकार पीएण्डके क्षेत्र को उर्वरक आदानों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं की तलाश करने हेतु निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित कर रही है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 (अप्रैल 08 से मार्च 09) के दौरान उर्वरकों की संचयी उपलब्धता

(मात्रा लाख मी. टन)

2008-09	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश	27.50	27.84	27.33	8.50	9.98	9.97	5.85	6.27	6.04	20.50	16.50	16,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
कर्नाटक	13.50	12.88	12.82	6.05	8.12	8.07	4.55	5.14	5.05	11.17	8.44	8.39
केरल	1.49	1.68	1.63	0.31	0.24	0.24	1.33	1.53	1.51	1.72	1.85	1.81
तमिलनाडु	10.37	11.28	11.28	4.31	3.85	3.85	4.84	5.95	5.84	3.62	3.55	3.51
गुजरात	18.65	18.69	18.48	7.10	8.24	8.19	1.90	2.26	2.22	4.39	4.92	4.70
मध्य प्रदेश	15.75	13.83	13.59	8.25	8.31	8.14	1.20	1.17	0.88	4.35	2.20	2.15
छत्तीसगढ़	5.40	5.23	5.06	1.75	2.31	2.28	0.77	0.95	0.92	1.31	1.23	1.22
महाराष्ट्र	23.25	22.84	22.46	8.60	10.19	10.15	3.70	5.17	4.92	15.65	10.40	10.29
राजस्थान	15.10	13.21	12.97	5.60	5.90	5.77	0.33	0.32	0.24	1.42	0.67	0.66
हरियाणा	19.90	17.59	17.36	6.00	6.69	6.61	0.46	0.47	0.39	0.67	0.31	0.31
पंजाब	25.50	26.28	25.77	8.10	8.82	8.82	0.95	0.98	0.81	1.01	0.59	0.57
हिमाचल प्रदेश	0.65	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.07	0.06	0.06	0.44	0.40	0.40
जम्मू और कश्मीर	1.35	1.28	1.26	0.80	0.59	0.59	0.33	0.14	0.14	0.00	0.01	0.01
उत्तर प्रदेश	55.00	55.74	54.83	15.50	15.12	14.93	2.50	2.79	2.47	10.50	7.44	7.32
उत्तराखंड	2.30	2.22	2.20	0.35	0.31	0.31	0.18	0.08	0.08	0.45	0.51	0.51
बिहार	21.25	18.33	17.96	4.25	4.12	4.11	1.90	2.28	2.13	3.60	2.59	2.59
झारखंड	2.00	1.57	1.54	1.05	0.80	0.80	0.13	0.16	0.14	0.40	0.38	0.38
ओडिशा	5.50	4.74	4.61	2.00	1.89	1.89	1.35	1.53	1.34	2.88	2.66	2.55
पश्चिम बंगाल	13.00	11.94	11.67	4.86	4.03	4.03	4.15	4.80	4.62	7.49	7.29	7.23
असम	2.40	2.30	2.30	1.03	0.14	0.14	1.06	1.08	0.95	0.30	0.06	0.06
अखिल भारत	281.34	270.88	266.51	94.83	99.78	99.03	37.86	43.34	40.95	92.32	72.26	71.22

$ मार्च, 2008 में बेचे गए 10.4 लाख मी. टन यूरिया के अतिरिक्त

(मार्च, 08 आवश्यकता 10.36 लाख मी.टन, बिक्री 22.76 लाख मी.टन थी)

नोट: उर्वरक विभाग ने मिश्रित उर्वरकों की निगरानी खरीफ 2008 से करनी शुरू की।

विवरण-II

वर्ष 2009-10 (अप्रैल से मार्च) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(मात्रा लाख मी. टन)

2009-10	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आन्ध्र प्रदेश	27.50	26.16	25.95	9.75	8.89	8.85	6.60	6.07	6.01	20.50	18.69	18.15
कर्नाटक	13.75	13.77	13.77	8.20	8.46	8.46	5.15	6.12	6.08	11.20	10.95	10.76
केरल	1.63	1.53	1.53	0.35	0.30	0.30	1.54	1.57	1.54	1.90	2.12	2.05
तमिलनाडु	11.50	9.98	9.98	4.25	2.94	2.94	5.84	5.14	5.12	4.00	6.18	6.13
गुजरात	18.75	18.21	18.12	8.00	7.64	7.62	2.30	2.86	2.69	4.72	4.20	4.01
मध्य प्रदेश	15.25	16.00	15.93	8.50	9.52	9.47	1.20	1.67	1.43	3.55	2.48	2.43
छत्तीसगढ़	5.48	5.27	5.27	1.77	2.65	2.65	0.84	0.96	0.90	1.42	1.04	1.04
महाराष्ट्र	24.75	22.87	22.87	12.50	13.83	13.82	5.60	7.07	7.06	14.00	11.25	11.13
राजस्थान	15.10	13.37	13.15	6.50	5.86	5.85	0.35	0.55	0.42	1.37	0.78	0.78
हरियाणा	19.65	18.05	17.95	7.00	6.66	6.66	0.52	0.90	0.90	0.45	0.48	0.48
पंजाब	25.50	24.65	24.46	8.50	8.08	8.06	0.91	1.00	1.08	0.55	0.57	0.55
हिमाचल प्रदेश	0.67	0.54	0.54	0.00	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.50	0.38	0.38
जम्मू और कश्मीर	1.40	1.22	1.22	0.78	0.48	0148	0.26	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	55.00	53.64	53.08	17.00	16.51	16.49	2.85	3.47	3.43	8.50	9.47	9.40
उत्तराखंड	2.15	2.33	2.33	0.40	0.38	0.38	0.13	0.04	0.04	0.45	0.41	0.40
बिहार	19.00	17.04	17.03	4.50	3.98	3.97	2.10	2.26	2.26	3.10	2.68	2.68
झारखंड	2.05	1.50	1.50	1.15	0.82	0.82	0.15	0.17	0.17	0.50	0.69	0.68
ओडिशा	5.75	4.61	4.59	2.25	2.24	2.21	1.70	1.31	1.27	3.00	2.28	2.24
पश्चिम बंगाल	13.00	11.71	11.71	4.80	4.56	4.55	4.15	4.97	4.97	7.50	8.39	8.39
असम	2.60	2.56	2.56	0.35	0.22	0.22	1.26	0.97	0.97	0.06	0.06	0.06
अखिल भारत	281.90	265.97	264.48	106.98	104.09	103.92	43.85	47.60	46.74	87.73	83.38	82.03

विवरण-III

वर्ष 2010-11 (अप्रैल, 10 से मार्च, 11 तक) के यूरिया डीएपी, एमओपी और एनपीके उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े 000 टन)

2011-12	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	28.50	30.38	29.95	11.00	10.40	10.36	6.60	6.09	6.04	20.50	22.12	21.88
कर्नाटक	14.00	14.28	14.28	8.60	8.46	8.42	5.65	4.24	4.14	11.20	13.78	13.51
केरल	1.90	1.44	1.44	0.35	0.42	0.41	1.55	1.58	1.56	2.50	2.28	2.22
तमिलनाडु	11.50	10.23	10.15	4.25	3.20	3.19	5.84	4.74	4.72	4.25	6.91	6.83
गुजरात	19.50	21.26	21.19	8.40	8.11	8.09	2.30	2.02	2.02	4.83	6.62	6.55
मध्य प्रदेश	16.75	17.05	16.92	10.00	10.94	10.92	1.45	1.36	1.33	3.69	3.55	3.52
छत्तीसगढ़	5.70	5.56	5.54	2.84	2.41	2.41	1.06	0.96	0.94	1.40	1.32	1.32
महाराष्ट्र	25.25	25.52	25.51	16.70	14.35	14.31	6.75	6.52	6.37	14.80	17.98	17.92
राजस्थान	15.60	15.73	15.70	7.00	7.20	7.16	0.55	0.35	0.28	1.18	1.40	1.37
हरियाणा	19.65	18.75	18.38	7.20	7.40	7.37	0.70	0.66	0.66	0.55	0.69	0.69
पंजाब	26.00	27.61	27.17	9.25	9.04	9.01	1.06	1.06	0.96	0.70	1.05	1.03
हिमाचल प्रदेश	0.64	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.04	0.50	0.41	0.41
जम्मू और कश्मीर	1.50	1.28	1.27	0.85	0.81	0.81	0.36	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	57.60	55.08	54.51	19.60	17.71	17.64	3.70	2.17	1.92	9.45	10.61	10.30
उत्तराखंड	2.20	2.24	2.23	0.40	0.28	0.28	0.09	0.05	0.05	0.50	0.57	0.57
बिहार	19.50	16.96	16.94	4.75	4.60	4.59	2.30	2.00	1.97	3.35	3.14	3.11
झारखंड	2.10	1.36	1.35	1.10	0.66	0.65	0.15	0.08	0.06	0.85	0.36	0.36
ओडिशा	5.75	4.74	4.57	2.50	2.20	2.19	1.90	1.36	1.32	3.00	2.33	2.31
पश्चिम बंगाल	13.00	11.26	11.26	5.10	4.64	4.62	4.00	3.29	3.23	8.25	8.95	8.76
असम	2.60	2.50	2.50	0.60	0.29	0.27	1.30	0.96	0.96	0.05	0.11	0.11
अखिल भारत	290.79	284.62	282.23	120.92	113.09	112.87	47.80	39.83	38.91	92.00	104.39	102.98

विवरण-IV

वर्ष 2011-12 (अप्रैल, 11 से फरवरी, 12) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े 000 टन)

2011-12	यूरिया			डीएपी			एमओपी			मिश्रित		
राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	28.75	27.91	27.44	11.80	10.21	9.10	6.20	3.75	3.05	21.20	23.00	20.67
कर्नाटक	13.63	13.82	13.51	8.49	8.86	7.88	5.30	3.34	3.10	12.19	15.62	14.16
केरल	1.82	1.40	1.39	0.45	0.42	0.39	1.75	1.42	1.29	2.47	2.04	1.81
तमिलनाडु	10.71	10.04	9.96	4.11	3.59	3.44	4.99	3.72	3.53	6.25	7.58	6.51
गुजरात	21.40	20.00	19.85	8.55	6.43	5.73	2.17	1.62	1.46	4.94	6.72	5.68
मध्य प्रदेश	17.41	17.50	17.19	10.93	9.98	8.94	1.65	0.88	0.64	4.05	4.88	4.29
छत्तीसगढ़	6.18	5.64	5.52	2.87	2.48	2.23	1.14	0.68	0.60	1.52	2.06	1.81
महाराष्ट्र	25.75	23.55	23.20	16.40	11.60	10.60	5.90	3.74	3.20	17.34	19.17	17.08
राजस्थान	15.65	16.44	16.30	7.15	6.92	6.68	0.48	0.25	0.23	1.67	1.42	1.29
हरियाणा	19.25	18.31	18.17	7.12	7.60	7.32	0.70	0.42	0.40	0.80	0.69	0.63
पंजाब	25.00	25.77	25.53	10.05	9.51	9.12	1.01	0.70	0.65	0.98	1.22	1.11
हिमाचल प्रदेश	0.64	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.06	0.07	0.07	0.53	0.31	0.31
जम्मू और कश्मीर	1.42	0.84	0.83	0.83	0.58	0.53	0.34	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	56.00	54.26	53.52	19.45	17.11	14.58	3.90	1.50	1.37	11.05	12.35	10.39
उत्तराखंड	2.20	2.38	2.35	0.33	0.34	0.32	0.10	0.04	0.04	0.68	0.50	0.42
बिहार	19.50	16.80	16.64	4.95	4.47	3.98	2.40	1.21	0.94	3.73	3.83	3.27 1
झारखंड	2.54	2.10	2.06	1.25	0.69	0.60	0.34	0.04	0.02	1.03	0.47	0.43
ओड़िशा	5.85	4.86	4.59	2.52	1.71	1.46	1.91	0.84	0.68	3.03	3.21	2.77
पश्चिम बंगाल	12.21	10.95	10.79	4.98	4.62	4.14	3.82	2.61	2.26	8.58	8.10	6.92
असम	2.79	2.33	2.31	0.55	0.37	0.26	1.30	0.74	0.67	0.25	0.07	0.04
अखिल भारत	288.68	275.49	271.72	122.77	107.48	97.30	45.44	27.63	24.24	102.27	113.23	99.59

टिकटों की बिक्री में अनियमितताएं

633. श्री पूर्णमासी राम :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री सुशील कुमार सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री यशवीर सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने प्रत्येक वर्ष विशेषकर त्यौहारों के दौरान रेलों में बर्थ की अनुपलब्धता और रेल अधिकारियों के साथ मिलीभगत से दलालों द्वारा रेल टिकटों की कालाबाजारी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यात्रियों को रेल टिकटों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे ने दलालों/निजी एजेंसियों द्वारा आरक्षित टिकटों को कब्जे में कर लेने और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचने तथा विभिन्न कोटे की टिकटों यथा उच्च अधिकारी अनुरोध (एचओआर) कोटा की टिकटों को विभागीय कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से बेचे जाने पर ध्यान भी दिया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में दर्ज किए गए ऐसे मामलों की जोन-वार संख्या कितनी है तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) भारतीय रेलवे, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि टिकट प्रणाली तक आम आदमी की पहुंच प्रभावित न हो। रेलवे द्वारा किए गए जांच के दौरान दलाली के गतिविधि के कुछ मामले सामने आए हैं, विशेषकर अधिक भीड़/त्यौहार के मौसम के दौरान/यात्रियों को आसानी से स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान गाड़ियों की संरचना में संवर्धन किया जाता है तथा अधिक मांग को पूरा करने के लिए विशेष गाड़ियां चलाई जाती हैं। भारतीय रेलवे ने रेल टिकट की प्राप्ति को सुलभ करने के लिए ई-टिकटिंग, आई-टिकट तथा मोबाइल फोन द्वारा रेल टिकटों की बुकिंग की सुविधाएं उपलब्ध की हैं। इसके अलावा, अधिक भीड़/त्यौहार के मौसम के दौरान विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) काउंटर खोले जाते हैं। दलालों की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए नियमित तथा निरोधात्मक जांच की जाती हैं। रेलवे कर्मचारियों के कार्यकलापों की भी मानीटरिंग की जाती है तथा कदाचार में लिप्त पाए जाने पर अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) रेलवे द्वारा जांच के दौरान दलालों के कदाचार में लिप्त होने के मामले सामने आए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष (जनवरी, 2012 तक) में पकड़े गए/मुकदमा चलाए गए दलालों की संख्या का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पकड़े गए दलालों पर कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान 80 विभागीय कर्मचारी दलालों से साठ-गांठ करते हुए पाए गए तथा इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

(ङ) सामान्य के साथ-साथ तत्काल आरक्षण टिकटों के दुरुपयोग पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) सदायशी यात्रियों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए तत्काल योजना में दिनांक 21.11.2011 से निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं :

- योजना में उल्लिखित 9 पहचान पत्रों में से किसी एक की स्वअनुप्रमाणित फोटोकापी की प्रस्तुति पर ही तत्काल टिकट जारी किए जाएंगे। प्रत्येक टिकट के किसी एक यात्री को उसी पहचान-पत्र का साथ में होना अनिवार्य है।

- यात्रा की तारीख को छोड़कर अग्रिम आरक्षण अवधि को दो दिन से घटाकर एक दिन कर दिया गया है।

- कन्फर्म तत्काल टिकटों की रद्दकरण पर धन वापसी नहीं होती है।

- डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं किए जाते हैं।
- 08.00 बजे से 10.00 बजे के बीच एजेंटों को तत्काल बुकिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- तत्काल टिकट के एक पी.एन.आर. में अधिकतम चार यात्रियों को अनुमति दी जाएगी।
- वेब सर्विस एजेंटों द्वारा इंटरनेट पर 10.00 बजे के बाद प्रति दिन एक गाड़ी में एक तत्काल टिकट की बुकिंग की जा सकेगी।

(ii) हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा के मामलों को रोकने के लिए दिनांक 15.02.2012 से यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ए.सी.3 टीयर, ए.सी. 2 टीयर, प्रथम ए. सी., ए.सी. चेयर कार तथा एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा कर रहे टिकटों के किसी एक यात्री को यात्रा के दौरान निर्धारित 9 पहचान पत्रों (मूल) में से किसी एक का साथ होना अनिवार्य है तथा मांग किए जाने पर उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे नहीं करने पर उस टिकट पर यात्रा कर रहे यात्रियों को बिना टिकट समझा जाएगा तथा तदनुसार वसूली की जाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जनवरी, 2012 तक) के दौरान पकड़े गए दलाल जिन पर मुकदमा चलाया गया, की क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा

	पकड़े गए/मुकदमा चलाए गए दलालों की संख्या			
रेलवे	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 (जनवरी, 2012 तक)
मध्य	1	27	33	21
पूर्व	62	49	44	16
पूर्व मध्य	21	20	64	58
पूर्व तट	21	15	21	15
उत्तर	172	221	225	180
उत्तर मध्य	2	1	10	9
पूर्वोत्तर	31	40	47	28
पूर्वोत्तर सीमा	19	7	12	4
उत्तर पश्चिम	10	19	30	20
दक्षिण	1813	1766	1957	1182
दक्षिण मध्य	37	42	72	89
दक्षिण पूर्व	113	110	59	44
दक्षिण पूर्व मध्य	21	11	7	7
दक्षिण पश्चिम	8	27	78	30
पश्चिम	177	105	315	385
पश्चिम मध्य	13	20	37	69
कुल	2521	2480	3012	2157

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

634. **श्री मनोहर तिरकी :**
श्री अम्बिका बनर्जी :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री प्रशांत कुमार मजूमदार :
योगी आदित्यनाथ :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होने वाली बाढ़-मृदा अपरदन तथा जलभराव की समस्या ने जीवन मुश्किल कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान वर्ष में बाढ़ में जान-माल की हानि तथा फसल की बर्बादी का वर्ष-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए अर्थोपाय सुझाने के लिए किसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति की प्रमुख सिफारिश क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित उपाय क्या हैं तथा पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2008 से 2011 के दौरान बाढ़ में हुई जान-माल की हानि तथा फसल की बर्बादी का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। भारत सरकार ने विगत में कई विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं जिन्होंने बाढ़ के कारणों का अध्ययन किया और समुचित नियंत्रक उपायों का सुझाव दिया। हाल ही में भारत सरकार ने अगस्त, 2004 में बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी कार्यबल गठित किया।

(घ) बाढ़ प्रबंधन/कटाव नियंत्रण संबंधी कार्यबल का गठन असम तथा अन्य पड़ोसी राज्यों और बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। इस कार्यबल ने बाढ़ प्रबंधन हेतु तुरंत किए जाने वाले अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उपाय सुझाए। कार्यबल की महत्वपूर्ण सिफारिशों में, प्रारंभ किए जाने वाले बाढ़ प्रबंधन स्कीमें/कार्य, निधियन मॉडलीटीज, अंतर्राष्ट्रीय आयाम और सांस्थानिक ढांचा शामिल हैं।

(ङ) बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जाता है। भारत सरकार ने संकटकालीन क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन व कटावरोधी कार्यों के लिए राज्य सरकारों को कई केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देकर बाढ़ संभावित राज्यों को सहायता प्रदान की है। XIवीं योजना अवधि में बाढ़ प्रभावित राज्यों को बाढ़ नियंत्रण और नदी प्रबंधन कार्यों के लिए ''बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी)'' नामक राज्यक्षेत्र स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

भारत सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण हेतु व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की स्थापना की थी। जीएफसीसी ने सभी 23 नदी प्रणालियों जिनसे गंगा बेसिन बनता है, के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की थीं और संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की थीं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण हेतु व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए 1980 में संसद के अधिनियम द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने क्षेत्र की 52 प्रमुख वितरिकाओं के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र एवं बराक की मुख्य धारा की मास्टर योजनाएं तैयार की हैं।

नेपाल से निकलने वाली नदियों के कारण भारतीय क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण हेतु भंडारण बांधों के निर्माण से जुड़े मामलों पर भारत सरकार के साथ लगातार वार्ता कर रही है।

विवरण

पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में 2008 से 2011 के दौरान बाढ/भारी वर्षा के कारण हुई जान, माल की हानि और फसल की बर्बादी का वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	जान की हानि (संख्या)	माल की हानि (करोड़ रुपए)	फसलों की हानि क्षेत्र (मि. हेक्टे.)	फसलों की हानि राशि (करोड़ रू.)
1.	बिहार	2008	252	97.71	0.367	34.196
		2009	97	5.301	0.04	21.83
		2010	100	1.592	0.01	3.1192
		2011	143	25.786	0.163	59.87
2.	उत्तर प्रदेश★	2008	1056	322.488	0.422	189.018
		2009	254	63.722	0.461	42.102
		2010	12	0	0	0
		2011	0	0	0	0
3.	पश्चिम बंगाल	2008	288	52.51	0.125	68.14
		2009	127	2.65	0.12	1.792
		2010	112	0.735	0.001	0.293
		2011	186	0.6	1.231	575.296

★उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है।

उर्वरकों का उत्पादन

635. **श्री तूफानी सरोज :**

श्री अम्बिका बनर्जी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में उर्वरकों का राज्यवार तथा इकाई-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या केंद्र सरकार का विचार वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने तथा उर्वरक इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्तमान में यूरिया पर दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में उर्वरकों का कुल उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ख) से (घ) यूरिया की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए

यूरिया की निवेश नीति 2008 के कारण पिछले 4 वर्षों में वार्षिक क्षमता बढ़कर 2 मिलियन टन हो गई है।

(ङ) वर्तमान में सरकार द्वारा यूरिया पर लगभग 9000/- रुपए प्रति मी. टन की राजसहायता का भुगतान किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक और वर्ष 2011-12 (फरवरी, 2012 तक) के लिए यूरिया का इकाई-वार/राज्य-वार वास्तविक उत्पादन

('000' मी. टन)

राज्य का नाम	संयंत्रों का नाम	1.4.2006 तक स्थापित क्षमता	उत्पादन			अप्रैल, 2011 से फरवरी 2012
			2008-09	2009-10	2010-11	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	एनएफसीएल-काकीनाडा-I	597.3	768.9	757.0	831.6	723.8
	एनएफसीएल-काकीनाडा-II	597.3	609.1	723.1	824.0	706.8
कर्नाटक	एमसीएफ मंगलौर	380.0	379.3	379.5	379.4	379.4
तमिलनाडु	एमएफएल-चेन्नै	486.8	405.7	435.9	477.9	481.7
	स्पिक-तूतीकोरिन	620.0	0.0	0.0	300.9	608.6
गोवा	जैडआईएल-गोवा	399.3	412.4	387.5	396.8	323.7
मध्य प्रदेश	एनएफएल-विजयपुर	864.6	865.9	878.5	916.6	869.9
	एनएफएल-विजयपुर विस्ता	864.6	937.9	949.6	961.5	925.9
महाराष्ट्र	आरसीएफ-ट्राम्बे-V	0.0	0.0	306.9	341.1	295.2
	आरसीएफ-थाल-I	1706.8	1903.3	1782.2	1783.4	1594.3
	आरसीएफ-कुल	2036.8	1903.3	2089.1	2124.5	1889.5
गुजरात	इफको-कलोल	544.5	559.8	601.2	600.1	553.3
	कृभको-हजीरा	1729.2	1743.2	1779.6	1840.3	1345.6
	जीएनएफसी-वदोदरा	370.6	236.3	281.5	245.5	260.5
	जीएनएफसी-भरूच	636.0	592.3	601.7	643.2	637.9
राजस्थान	एसएफसी-कोटा	379.0	395.5	382.2	403.4	352.0

1	2	3	4	5	6	7
	सीएफसीएल : गडेपान–I	864.6	909.8	1019.6	1032.2	1010.3
	सीएफसीएल : गडेपान–II	864.6	1008.3	1011.2	1068.0	945.4
असम	बीवीएफसीएल–नामरूप–II	240.0	60.7	79.2	86.1	91.5
	बीवीएफसीएल–नामरूप–III	315.0	128.5	230.4	198.9	151.2
हरियाणा	एनएफएल–पानीपत	511.5	488.3	512.9	470.0	465.6
पंजाब	एनएफएल–नांगल–I	478.5	514.5	474.0	478.5	452.9
	एनएफएल–बठिण्डा	511.5	537.5	514.7	553.0	431.1
उत्तर प्रदेश	इॅको–फूलपुर	551.1	662.7	722.6	745.1	636.7
	इफको–फूलपुर विस्तार	864.6	840.6	1000.1	1026.2	1029.8
	इफको–आंवला	864.6	986.8	1000.3	988.5	972.5
	इफको–आंवला–विस्तार	864.6	1018.1	1000.3	1042.6	939.8
	डीआईएल–कानपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	आईजीएफसीसी–जगदीशपुर	864.6	1068.6	1096.1	1098.5	1062.0
	टीसीएल–बबराला	864.6	1023.8	1231.7	1116.7	1074.3
	केएसएफएल–शाहजहांपुर	864.6	864.3	972.8	1030.5	934.7
	सकल योग :	20030.4	19922.1	21112.3	21880.5	20256.4

विवरण–II

वर्ष 2008–09 से 2010–11 और 2011–12 (फरवरी 2012 तक) के दौरान डीएपी की संयंत्र–वार, राज्य–वार स्थापित क्षमता तथा उत्पादन

('000' मी. टन)

राज्य का नाम	संयंत्रों का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	उत्पादन			अप्रैल, 2011 से फरवरी 2012
			2008–09	2009–10	2010–11	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	सीआईएल–काकीनाडा	670.0	518.2	520.6	402.5	303.7
	सीआईएल विजाग	0.0	0.0	0.0	31.8	0.0

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	एमसीएफ–मंगलोर	180.0	158.3	198.1	177.8	126.6
तमिलनाडु	स्पिक–तूतीकोरिन	475.0	0.0	0.0	30.4	169.7
गोवा	जैडआईएल–गोवा	330.0	205.0	351.8	151.6	169.2
गुजरात	इफको–कांडला	1200.0	214.7	722.7	60.1	479.8
	जीएसएफसी–वदोदरा	165.0	43.5	0.0	0.0	0.0
	जीएसएफसी–सिक्का–II	588.0	630.5	921.8	706.1	225.5
	जीएसएफसी–सिक्का–II	396.0	0.0	0.0	0.0	261.0
	हिंडाल्को इंड. लि. दाहेज	400.0	168.6	181.8	214.2	191.1
ओडिसा	पीपीएल पारादीप	720.0	470.2	763.7	655.6	569.0
	इफको–पारादीप	1500.0	436.5	402.3	916.5	906.6
पश्चिम बंगाल	टीसीएल–हल्दिया	675.0	147.8	183.7	190.3	250.6
	सकल योग	7299.0	2993.3	4246.5	3536.9	3652.8

विवरण–III

वर्ष 2008–09 से 2010–11 और 2011–12 (फरवरी 2012 तक) मिश्रित उर्वरकों का इकाई राज्य–वार उत्पादन

('000' मी.टन)

राज्य का नाम	संयंत्रों का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	उत्पादन			अप्रैल, 2011 से फरवरी 2012
			2008–09	2009–10	2010–11	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	सीआईएल–विज़ाग	600.0	739.7	1053.4	858.8	917.2
	सीआईएल–काकीनाडा	0.0	573.4	735.6	958.8	711.6
केरल	फैक्ट–उद्योगमंडल	148.5	115.8	181.3	147.6	149.9
	फैक्ट–कोचीन–II	485.0	489.5	576.8	496.2	397.2
कर्नाटक	एमसीएफ–मंगलौर	0.0	74.3	84.1	45.7	42.4
तमिलनाडु	एमएफएल–चेन्नै	840.0	0.0	0.0	0.0	34.3
	स्पिक–तूतीकोरिन	0.0	0.0	174.4	175.4	206.6

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	आरसीएफ	661.0	471.0	503.3	603.9	587.7
	डीएफपीसीएल : तलोजा	230.0	57.9	100.6	123.5	153.5
गुजरात	इफको–कांडला	1215.4	1579.1	1651.7	2456.3	1605.2
	जीएसएफसी–वदोदरा	0.0	197.3	292.9	280.3	276.4
	जीएनएफसी–भरूच	142.5	134.0	166.5	166.2	177.1
	जीएसएफसी–सिक्का–II	0.0	49.9	0.0	0.0	0.0
	जीएसएफसी–सिक्का–II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	हिण्डाल्को दाहेज	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	पीपीएल–	0.0	552.0	447.2	537.5	406.3
	इफको–पारादीप	420.0	869.5	1097.7	745.3	794.4
पश्चिम बंगाल	टीसीएल–हल्दिया	0.0	413.4	394.0	361.2	311.9
	सकल योग	5222.4	6848.4	8038.3	8727.0	7356.4

[हिन्दी]

एन.एस.एस.ओ. हेतु आंकड़े

636. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :**

श्री कौशलेन्द्र कुमार :

श्री रामकिशुन :

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) लोगों से सीधे आंकड़े एकत्र करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में एन.एस.एस.ओ. के आंकड़े गलत पाए गए और उसके परिणामस्वरूप उचित रूप से योजनाएं नहीं बनाई जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) स्थानीय हितों तथा समसामयिक महत्व के विभिन्न विषयों जैसे कि पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, रोजगार एवं बेरोजगारी, आवासीय परिस्थितियों, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, ऋण तथा निवेश, भूमि एवं पशुधन, गैर कृषि उद्यमों, शहरी मलिन बस्तियों, सामाजिक उपभोग आदि पर आवधिक रूप से आंकड़े एकत्र करने के लिए बड़े पैमाने पर देशव्यापी नमूना सर्वेक्षणों का आयोजन करता है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस.एस.ओ.) के सर्वेक्षण वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए जाते हैं और एकत्रित आंकड़ों और उसके आधार पर तैयार किए गए प्राक्कलनों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली के अंतर्गत पर्याप्त उपायों की व्यवस्था है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों का आयात

637. श्री रेवती रमण सिंह :
श्रीमती जे. शांता :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों से उर्वरकों का आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा मूल्य कितना है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इनका आयात किया गया था?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी हां।

(ख) यूरिया सांविधिक मूल्य निर्धारण के अंतर्गत एकमात्र उर्वरक है और इसका आकलित मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को कम करने के लिए राज्य व्यापार उद्यम (एसटीईज) अर्थात् एमएमटीसी, एसटीसी और आईपीएल के जरिए सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कृषि उपयोग के लिए आयात किया जाता है। सरकार ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (ओमिफ्को) से भारत सरकार और ओमिफ्को के बीच दीर्घावधि यूरिया उठान करार (यूओटीए) के अंतर्गत लगभग 20 लाख मी. टीन यूरिया का भी आयात कर रही है। ओमिफ्को से यूरिया का आयात मैसर्स इफ्को और मैसर्स कृभको के जरिए किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (फरवरी 2012 तक) के दौरान यूरिया की वर्ष-वार मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार है :-

वर्ष	आयातित यूरिया की मात्रा (लाख मी. टन में)			मूल्य (मिलियन अमेरिका डॉलर)
	ओमान से	एसटीईज के माध्यम से	योग	
2008-09	19.06	37.61	56.67	2416.00
2009-10	20.62	31.48	52.10	1212.65
2010-11	20.64	45.46	66.10	1832.50
2011-12 (फ़रवरी 12 तक)	19.10	57.65	76.75	3191.28

यूरिया के अलावा अन्य उर्वरकों का खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अतर्गत आयात किया जाता है। कंपनियां इन उर्वरकों का अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार आयात करती है। सरकार इन आयातों के मूल्य का लेखा-जोखा वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार आयात करती है। सरकार इन आयातों के मूल्य का लेखा-जोखा नहीं रखती। तथापि, सरकार पोषक-तत्व आधारित राजसहायता योजना के अंतर्गत पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता का भुगतान कर रही है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (फरवरी 2012 तक) के दौरान आयातित पीएंडके उर्वरकों की वर्ष-वार मात्रा निम्न प्रकार है:

(मात्रा लाख मी. टन में)

उत्पाद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
डीएपी	61.92	58.89	74.11	68.79
एमएपी	2.67	1.93	1.88	4.94
टीएसपी	1.73	0.87	0.98	1.60
एनपीके			9.81	36.73
एमओपी (कृषि प्रयोग)	43.46	41.62	45.00	26.03

*फरवरी 2012 तक

पिछले तीन वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारुस, चीन, कनाडा, चिली, सीआईएस, मिस्र, एस्टोनिया, जर्मनी, यूनान, इंडोनेशिया, ईरान, इस्राइल, जार्डन, कोरिया, कुवैत, लातविया, लीबिया, लिथूआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, मोरोक्को, ओमान, फिलिपीन्स, कतर, रोमानिया, रूस, दक्षिण अरब, अफ्रीका, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, तुनिशिया, थाइलैंड, यूई, अमेरिका, ब्रिटेन, तालिन, यूक्रेन, उजबेकिस्तान, वेंट्सपिल्स, जापान और वियतनाम से उर्वरकों का आयात किया गया है।

पीएनजी तथा सीएनजी की आपूर्ति

638. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री गणेश सिंह :

श्री संजय दिना पाटील :

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में सीएनजी/एलपीजी फिलिंग स्टेशनों तथा पेट्रोल पंपों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) वे क्षेत्र कौन से हैं जहां अगले तीन वर्षों के दौरान घरों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी)/एलपीजी फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल पंप स्थापित किए जाने की योजना है तथा उनका स्थान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है इनके पूरे होने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में और अधिक सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन सा स्थान चुना गया है; और

(घ) सीएनजी फिलिंग स्टेशनों की स्थापना के क्या मानदंड हैं और क्या ऐसे फिलिंग स्टेशनों को चलाने के लिए निजी कंपनियां/व्यक्ति संलग्न हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) देश में सीएनजी, एलपीजी और पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) देश में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के लिए प्राधिकृत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने बोर्ड को प्रस्तुत की गई रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर और स्वतः स्फूर्त आधार पर 300 से अधिक संभावित भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क विकास (सीएनजी/पीएनजी) की एक रोल आउट योजना की परिकल्पना की है। इन भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) का राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा खोले जाने वाले प्रस्तावित आटो एलपीजी वितरण स्टेशनों (एएलडीएस) और खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(घ) किसी भौगोलिक क्षेत्र में नगर गैस वितरण नेटवर्क का विकास उसके समीपवर्ती क्षेत्र में ट्रांसमिशन पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सीएनजी फिलिंग स्टेशन सीजीडी नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की संबद्धता/उपलब्धता के आधार पर पीएनजीआरबी, सीजीडी नेटवर्कों को विकसित करने के लिए प्राधिकार देने हेतु बोली दौरों में जीएज को शामिल करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण करने, प्रचालन करने अथवा विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियमन, 2008 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरा करने वाली निजी कंपनियां/व्यक्ति भी सीजीडी बोली में भाग ले सकते हैं। प्राधिकृत कंपनियां तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता पर आधारित संधित प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) के अंतदर पीनएजी की आपूर्ति का कार्य करती है और सीएनजी वितरण स्टेशन स्थापित करती हैं तथा स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से निजी कंपनियों/व्यक्तियों सहित सीएनजी फिलिंग स्टेशनों का प्रचालन कर सकती हैं।

विवरण-I

वर्तमान में देश में सीएनजी, आटो एलपीजी वितरण स्टेशनों (एएलडीएस) और पेट्रोल पम्पों/खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	कम्प्रेसड प्राकृतिक गैस (सीएनजी)	आटो एलपीजी वितरण स्टेशन (एएलडीएस)	खुदरा बिक्री केंद्र (आरओज)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	32	66	3669
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	49
3	असम	0	4	583

1	2	3	4	5
4	बिहार	0	0	1825
5	छत्तीसगढ़	0	6	718
6	गोवा	0	3	107
7	गुजरात	270	47	2016
8	हरियाणा	6	0	1838
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	344
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	418
11	झारखंड	0	4	848
12	कर्नाटक	0	91	2837
13	केरल	0	68	1750
14	मध्य प्रदेश	11	28	2092
15	महाराष्ट्र	166	79	3743
16	मणिपुर	0	0	58
17	मेघालय	0	0	134
18	मिजोरम	0	0	25
19	नागालैंड	0	0	50
20	ओडिसा	0	3	1119
21	पंजाब	0	14	2906
22	राजस्थान	2	33	2684
23	सिक्किम	0	0	34
24	तमिलनाडु	0	79	3623
25	त्रिपुरा	2	0	45
26	उत्तर प्रदेश	29	34	4893
27	उत्तराखंड	0	9	431
28	पश्चिमी बंगाल	4	37	1893

1	2	3	4	5
	संघ शासित क्षेत्र			
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	9
2	चंडीगढ़	0	5	41
3	दादरा एवं नगर हवेली	0	1	19
4	दमन और दीव	0	0	22
5	लक्षद्वीप	0	0	0
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	240	20	409
7	पुडुचेरी	0	2	135
	योग	758	633	41,367

★एएलडीएस और आरओज के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से संबंधित हैं।

विवरण–II

सीजीडी नेटवर्क के लिए प्रस्तावित भौगेलिक क्षेत्र

क्रम सं.	मार्गस्थ नगर	राज्य
1	2	3
1	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
2	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
3	नमन	आंध्र प्रदेश
4	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश
5	खमाम	आंध्र प्रदेश
6	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
7	येलुरू	आंध्र प्रदेश
8	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश
9	गुटुर	आंध्र प्रदेश
10	नलगोण्डा	आंध्र प्रदेश
11	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
12	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश
13	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश
14	भीमूपटनम	आंध्र प्रदेश
15	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
16	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
17	सिकंदराबाद★	आंध्र प्रदेश
18	सांगारेड्डी	आंध्र प्रदेश
19	जाहिराबाद	आंध्र प्रदेश
20	सौंध	आंध्र प्रदेश
21	माल्लावरम	आंध्र प्रदेश
22	वारंगल	आंध्र प्रदेश
23	करीमनगर	आंध्र प्रदेश

1	2	3
24	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश
25	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
26	कोटागइडम	आंध्र प्रदेश
27	दुलियाजान	असम
28	डिबरूगढ़	असम
29	शिवसागर	असम
30	मोरन	असम
31	जोरहट	असम
32	सिलचर	असम
33	नवादा	बिहार
34	दियोगढ़	बिहार
35	गया	बिहार
36	सासाराम	बिहार
37	पटना	बिहार
38	अरा	बिहार
39	बक्सर	बिहार
40	जेहनाबाद	बिहार
41	अरहा	बिहार
42	चंडीगढ़	चंडीगढ़
43	रायपुर	छत्तीसगढ़
44	दुर्ग	छत्तीसगढ़
45	भिलाई	छत्तीसगढ़
46	दमन★	दमन एवं सिलवासा
47	सिलवासा★	दमन एवं सिलवासा

1	2	3
48	दिल्ली	दिल्ली
49	गोवा	गोवा
50	हजीरा	गुजरात
51	इलाहाबाद	उ.प्र.
52	गाजीपुर	उ.प्र.
53	बलिया	उ.प्र.
54	मिर्जापुर	उ.प्र.
55	सूरत	गुजरात
56	अंकलेश्वर★	गुजरात
57	भरूच★	गुजरात
58	बड़ोदरा	गुजरात
59	दाहोद	गुजरात
60	वलसाड	गुजरात
61	नवसारी	गुजरात
62	बिल्लीमोरा★	गुजरात
63	गनदेवी★	गुजरात
64	खम्भात	गुजरात
65	बल्ल्भ विद्यानगर	गुजरात
66	हलोल–कलोल	गुजरात
67	खेडा	गुजरात
68	अहमदाबाद	गुजरात
69	गांधीनगर	गुजरात
70	मेहसाना	गुजरात
71	साबरकांडा	गुजरात

1	2	3
72	सुरेंद्रनगर	गुजरात
73	राजकोट	गुजरात
74	जामनगर	गुजरात
75	भुज	गुजरात
76	कांडला	गुजरात
77	भावनगर	गुजरात
78	बांसकाडा	गुजरात
79	उमबेरगांव★	गुजरात
80	यमुनानगर	हरियाणा
81	जगादरी★	हरियाणा
82	डबवाली	हरियाणा
83	फरीदाबाद	हरियाणा
84	गुड़गांव	हरियाणा
85	रिवाड़ी	हरियाणा
86	रोहतक	हरियाणा
87	हिसार	हरियाणा
88	जींद	हरियाणा
89	सोनीपत	हरियाणां
90	पानीपत	हरियाणा
91	करनाल★	हरियाणा
92	कुरूक्षेत्र	हरियाणा
93	अम्बाला	हरियाणा
94	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
95	कटरा	जम्मू और कश्मीर

1	2	3
96	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर
97	छोटानागपुर★	झारखंड
98	धनबाद	झारखंड
99	गिरिडीह	झारखंड
100	कोडरमा	झारखंड
101	हजारीबाग	झारखंड
102	बोकारा	झारखंड
103	चमरंजमनगर	कर्नाटक
104	कोल्लेगल	कर्नाटक
105	भदौही	उ.प्र.
106	मऊ	उ.प्र.
107	जौनपुर	उ.प्र.
108	सुल्तानपुर	उ.प्र.
109	मैसूर	कर्नाटक
110	रामनगरम	कर्नाटक
111	बैंगलुरू	कर्नाटक
112	कोलर	कर्नाटक
113	कोलर गोल्ड फील्ड★	कर्नाटक
114	मुलबगल	कर्नाटक
115	बांगरपेट	कर्नाटक
116	कनकपुरा	कर्नाटक
117	रामानगरम	कर्नाटक
118	कुनीगल	कर्नाटक
119	श्री रंगापटनम	कर्नाटक

1	2	3
120	मण्डया	कर्नाटक
121	हसन	कर्नाटक
122	साकलशपुर	कर्नाटक
123	चिकमंगलूर	कर्नाटक
124	मादीकेरा	कर्नाटक
125	मंगलोर	कर्नाटक
126	सूरतकल	कर्नाटक
127	उदुपी	कर्नाटक
128	कासरकोद	कर्नाटक
129	तुमकुर	कर्नाटक
130	कोपल	कर्नाटक
131	हाम्पी	कर्नाटक
132	चितराडग	कर्नाटक
133	देवनगेरे	कर्नाटक
134	गदग	कर्नाटक
135	बेल्लारी	कर्नाटक
136	शिमोगा	कर्नाटक
137	हुबली–धारवाड़	कर्नाटक
138	चारवाडमारगा	कर्नाटक
139	होमनावाड	कर्नाटक
140	बिदार	कर्नाटक
141	कारकल	केरल
142	कासरगोड	केरल
143	माडिकेरी	केरल

1	2	3
144	कन्नूर	केरल
145	माहे	केरल
146	कालपेट्टा	केरल
147	खोजिखोड	केरल
148	मल्लापुरम	केरल
149	पालकड (पालघाट)	केरल
150	थिस्सूर	केरल
151	एरनालायूलम	केरल
152	कोच्चि	केरल
153	कोटयाम	केरल
154	आलपूझा	केरल
155	पेरियार	केरल
156	कोल्लम	केरल
157	थिरूवंतपुरम	केरल
158	झाबुआ	मध्य प्रदेश
159	आजमगढ़	उ.प्र.
160	अकबरपुर	उ.प्र.
161	फैजाबाद	उ.प्र.
162	काशीपुर	उत्तराखंड
163	धार	मध्य प्रदेश
164	रतलाम	मध्य प्रदेश
165	शाहजहांपुर	मध्य प्रदेश
166	उज्जैन	मध्य प्रदेश
167	इंदौर	मध्य प्रदेश

1	2	3
168	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
169	विजयपुर	मध्य प्रदेश
170	गुना★	मध्य प्रदेश
171	राघोगढ़★	मध्य प्रदेश
172	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
173	दतिया	मध्य प्रदेश
174	देवास	मध्य प्रदेश
175	मंदसौर	मध्य प्रदेश
176	हौशांगाबाद	मध्य प्रदेश
177	भोपाल	मध्य प्रदेश
178	सेहोर	मध्य प्रदेश
179	रायसेन	मध्य प्रदेश
180	विदिशा	मध्य प्रदेश
181	शहडोल	मध्य प्रदेश
182	बेतूल	मध्य प्रदेश
183	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश
184	नागपुर	महाराष्ट्र
185	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
186	रत्नागिरी	महाराष्ट्र
187	सतारा	महाराष्ट्र
188	अलीबाग	महाराष्ट्र
189	मुंबई	महाराष्ट्र
190	चंद्रापुर	महाराष्ट्र
191	गडचिरोली	महाराष्ट्र
192	यवतमाल	महाराष्ट्र
193	वर्धा	महाराष्ट्र
194	सोलापुर	महाराष्ट्र
195	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र
196	करमला	महाराष्ट्र
197	लातूर	महाराष्ट्र
198	अहमदनगर	महाराष्ट्र
199	शिरडी	महाराष्ट्र
200	नासिक	महाराष्ट्र
201	पुणे	महाराष्ट्र
202	लोनावाला	महाराष्ट्र
203	खोपोली★	महाराष्ट्र
204	माथेरन	महाराष्ट्र
205	वडगांव	महाराष्ट्र
206	पनवेल	महाराष्ट्र
207	कल्याण	महाराष्ट्र
208	थाणे	महाराष्ट्र
209	शाहपुर	डींतेंजीतं
210	मुरादाबाद	महाराष्ट्र
211	तारापुर	महाराष्ट्र
212	अमरावती	महाराष्ट्र
213	रामनगर★	उत्तराखंड
214	रूड़की	उत्तराखंड
215	हरिद्वार	उत्तराखंड

1	2	3
216	रूद्रपुर	उत्तराखंड
217	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
218	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
219	परलखेमुदी	उड़ीसा
220	राउरकेला	उड़ीसा
221	छत्तरपुर	उड़ीसा
222	खोरधा	उड़ीसा
223	भुवनेश्वर	उड़ीसा
224	जाजपुर	उड़ीसा
225	भदरक	उड़ीसा
226	अन्नापुर	उड़ीसा
227	कामख्यानगर	उड़ीसा
228	बालेश्वर	उड़ीसा
229	बारीपाडा	उड़ीसा
230	पांडिचेरी	पुदुच्चेरी
231	राजपुरा	पंजाब
232	नांगल	पंजाब
233	पटियाला	पंजाब
234	मंडी गोबिन्दगढ़	पंजाब
235	संगरूर	पंजाब
236	लुधियाना	पंजाब
237	जालंधर	पंजाब
238	अमृतसर	पंजाब
239	भठिण्डा	पंजाब

1	2	3
240	पठानकोट	पंजाब
241	होशियारपुर	पंजाब
242	कोटा	राजस्थान
243	बांसवाड़ा	राजस्थान
244	डुंगरपुर	राजस्थान
245	उदयपुर	राजस्थान
246	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
247	भीलवाड़ा	राजस्थान
248	जयपुर	राजस्थान
249	जोधपुर	राजस्थान
250	झुंझून्नू	राजस्थान
251	बीकानेर	राजस्थान
252	श्रीगंगानगर	राजस्थान
253	अजमेर	राजस्थान
254	बाड़मेर	राजस्थान
255	जैसलमेर	राजस्थान
256	भिवाड़ी	राजस्थान
257	होसुर	तमिलनाडु
258	कृष्णागिरी	तमिलनाडु
259	खिचपुरम	तमिलनाडु
260	चेन्नई	तमिलनाडु
261	कांधिपुरम	तमिलनाडु
262	तिरूवन्नमलाई	तमिलनाडु
263	कलकुरिचिचि	तमिलनाडु

1	2	3
264	धर्मपुरी	तमिलनाडु
265	कुडालोर	तमिलनाडु
266	सेलम	तमिलनाडु
267	परमबालूर	तमिलनाडु
268	लालगुडी	तमिलनाडु
269	हल्द्वानी	उत्तराखंड
270	काठगोदाम★	उत्तराखंड
271	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
272	मेदीनपुर	पश्चिम बंगाल
273	बंकुरा	पश्चिम बंगाल
274	नामकल्ल	तमिलनाडु
275	कारूर	तमिलनाडु
276	एरोड	तमिलनाडु
277	तिरूचरापल्ली	तमिलनाडु
278	थांजवूर	तमिलनाडु
279	डिंडीगुल	तमिलनाडु
280	पाडुनकोटाय	तमिलनाडु
281	मदुरई	तमिलनाडु
282	वीरूडूंनगर	तमिलनाडु
283	आरूपुकोटाई	तमिलनाडु
284	कोविलपट्टी	तमिलनाडु
285	तिरूवलवेलि	तमिलनाडु
286	तूतीकोरिन	तमिलनाडु
287	कोयम्बटूर	तमिलनाडु

1	2	3
288	उधागम्मउदलम	तमिलनाडु
289	तिरूट्टानी	तमिलनाडु
290	अगरतला	तमिलनाडु
291	झांसी	उ.प्र.
292	लखनऊ	उ.प्र.
293	औरिया	उ.प्र.
294	दिबियापुर★	उ.प्र.
295	फाफूंद★	उ.प्र.
296	बाबरपुर★	उ.प्र.
297	मेनपुरी	उ.प्र.
298	इटावा	उ.प्र.
299	जगदीशपुर	उ.प्र.
300	बदायूं	उ.प्र.
301	शाहजहांपुर	उ.प्र.
302	बरेली	उ.प्र.
303	उन्नाव★	उ.प्र.
304	कानपुर	उ.प्र.
305	अलीगढ़	उ.प्र.
306	हाथरस	उ.प्र.
307	फिरोजाबाद	उ.प्र.
308	खुर्जा	उ.प्र.
309	बुलंदशहर★	उ.प्र.
310	दादरी	उ.प्र.
311	मेरठ	उ.प्र.

1	2	3
312	मोदीनगर	उ.प्र.
313	मुजफ्फरनगर	उ.प्र.
314	सहारनपुर	उ.प्र.
315	नोएडा	उ.प्र.
316	ग्रेटर नोएडा★	उ.प्र.
317	गाजियाबाद	उ.प्र.
318	हापुड़	उ.प्र.
319	गढ़मुक्तेश्वर	उ.प्र.
320	मुरादाबाद	उ.प्र.
321	रामपुर	उ.प्र.
322	आगरा	उ.प्र.
323	मथुरा	उ.प्र.
324	तलमक	पश्चिम बंगाल
325	कौरा	पश्चिम बंगाल
326	अलीपुर	पश्चिम बंगाल
327	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
328	आसनसोल	पश्चिम बंगाल

विवरण–III

देश में खोलने के लिए प्रस्तावित एएलडीएस और आरओज की संख्या प्रस्तावित

क्र.सं.	राज्य का नाम	आटो एलपीजी वितरण स्टेशन (एएलडीएस)	खुदरा बिक्री केंद्र (आरओज)
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	3	309
2	अरुणाचल प्रदेश	0	3
3	असम	0	34
4	बिहार	0	224
5	छत्तीसगढ़	2	99
6	गोवा	0	15
7	गुजरात	0	160
8	हरियाणा	2	179
9	हिमाचल प्रदेश	5	57
10	जम्मू और कश्मीर	0	43
11	झारखंड	0	115
12	कर्नाटक	22	302
13	केरल	2	77
14	मध्य प्रदेश	1	179
15	महाराष्ट्र	0	242
16	मणिपुर	0	2
17	मेघालय	0	4
18	मिजोरम	0	1
19	नागालैंड	0	0
20	ओडिसा	0	121
21	पंजाब	4	144
22	राजस्थान	2	184
23	सिक्किम	0	4
24	तमिलनाडु	5	319
25	त्रिपुरा	0	7

1	2	3	4
26	उत्तर प्रदेश	3	382
27	उत्तराखंड	0	52
28	पश्चिमी बंगाल	10	190
संघ शासित प्रदेश			
1	अं. और निकोबार द्वीप समूह	0	0
2	चंडीगढ़	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	0	1
4	दमन और दीव	0	1
5	लक्षद्वीप	0	0
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1	7
7	पुडुचेरी	0	8
	योग	62	3465

*एएलडीएस और आरओज के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी

639. श्री जगदीश शर्मा :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

श्री पी. लिंगम :

श्री प्रबोध पांडा :

श्री नवीन जिन्दल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों ने केन्द्र सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर की गई अन्य रिट याचिकाओं से संबंधित रिट याचिका संख्या 30619/2009 में, याचिकाकर्ताओं ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) की संवैधानिक वैधता और मजदूरी दर को विनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना जारी किए जाने को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं हो सकती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 23.09.2011 के आदेश के माध्यम से उनकी दलीलों को स्वीकार किया और केन्द्र सरकार को पिछली बकाया राशि का भुगतान करने का निदेश दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के उपर्युक्त फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 2012 की एक विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 379-390 दायर की गई है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत मजदूरी

640. श्री यशवीर सिंह :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

श्री नीरज शेखर :

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

श्री पी. लिंगम :

श्री रूद्रमाधव राय :

प्रो. रंजन प्रसाद यादव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को निर्धारित दर से कम मजदूरी के भुगतान पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) कुछ राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कामगारों को कम मजदूरी देने के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (ङ) मंत्रालय को राजस्थान के संबंध में ऐसा एक मामला बताया गया था। इसका संबंध अभिलेखों का सही रख-रखाव न किया जाना था। सभी राज्य सरकारों को एमजीएनआरईजी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान करना होता है मनरेगा अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 7,8 तथा 8 क के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान काम के हिसाब से तथा राज्य सरकारों के द्वारा निर्धारित घरों की अनुसूची के हिसाब से करना होता है। मनरेगा की अनुसूची-I के पैरा 7 में यह व्यवस्था है कि जब मजदूरी कार्य की मात्रा से सीधे जुड़ी होती है तब विभिन्न कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा इसलिए सही मायनों में दी गई मजदूरी कम हो सकती है। जो मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की सही मात्रा और कार्य की दर्ज की गई मात्रा पर निर्भर करती है। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जैसी आवश्यकता हो जिला कार्यक्रम समन्वयन तथा कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक स्टॉफ तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएं। ऐसी शिकायतों तथा रिकार्डों या मापनों के अनुचित रख-रखाव इत्यादि के मामले में संबंधित राज्य सरकारें से हुई चूकों के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए जांच-पड़ताल करती है तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करती है चूंकि मनरेगा का कार्यान्वयन शुरू से ही राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप किया जाता है।

[हिन्दी]

अनिल काकोडकर समिति

641. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :
श्री संजय भोई :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री नीरज शेखर :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री अर्जुन राय :
श्री हरिन पाठक :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री डी.बी. चन्द्रेगौडा :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री यशवीर सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री के. सुगुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा की समीक्षा के लिए अनिल काकोडकर की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा टिप्पणियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और कार्य योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यनीति बनाई गई है;

(घ) समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में रेलवे द्वारा आकलित वित्तीय प्रभाव कितना है; और

(ङ) रेल दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां, डॉ. अनिल काकोदकर, अध्यक्ष उच्च स्तरीय संरक्षा समीक्षा ने अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को दिनांक 17.02.2012 को सौंप दी है।

(ख) रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं : (क) प्रशासनिक ढांचे में बदलाव–रेलवे संरक्षा प्राधिकारी एवं रेलवे अनुसंधान एवं विकास परिषद का गठन। (ख) यूरोपीय ट्रेन कंट्रोल सिस्टम के पैटर्न पर अद्यतन सिगनलिंग एवं प्रोटेक्शन प्रणाली। (ग) इंटीग्रल कोच फैक्टरी (आई.सी.एफ.) निर्मित कोचों के स्थान पर लिन्के हॉफमैन–बुश (माडर्न इंडिया रेलवे कोच) (एलएचबी) डिजाइन वाले कोचों में बदलना। (घ) पैंट्रीकार में खाना बनाने पर निषेध। (ङ) सभी समपारों को हटाना। (च) केन्द्रीय सरकार से अनुदान, आस्थगित लाभांश (सामाजिक दायित्व के लिए), सड़क उपकर तथा रेल भूमि विकास प्राधिकरण इत्यादि से 20,000 करोड़ रु. प्रति वर्ष जुटाकर यात्रियों पर संरक्षा उपकर द्वारा गैर व्ययगत तथा नॉन फंजिबल 1,00,000 करोड़ रु. की संरक्षा निधि बनाना।

(ग) फिलहाल रिपोर्ट विचाराधीन है।

(घ) समिति ने यह सिफारिश की है कि 1,00,000 करोड़ रु. की नॉन फंजिबल तथा नॉन लैप्सेबल निधि बनाई जाए जिसे वित्तीय कार्यों वाली सिफारिशों के कार्यान्वयन पर पांच वर्षों की अवधि में खर्च किए जाएं।

(ङ) भारतीय रेलवे द्वारा संरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं संरक्षा बढ़ाने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इनमें पुरानी सामग्री को बदलना, रेलपथ का उन्नयन एवं अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तकनीकी अपनाना, रोलिंग स्टॉक, सिगनल तथा इंटरलाकिंग प्रणाली, संरक्षा अभियान, अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिक बल देना एवं नियमित अतराल पर निरीक्षण एवं मानीटरिंग करना जिससे सुरक्षित तरीके अपनाने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा सके। दुर्घटनाओं से बचने के लिए संरक्षा उपकरणों/प्रणाली अपनाना जिसमें ब्लॉक प्रोविंग एक्सल काउंटर (बीपीएसी) का प्रावधान, आक्सीलरी वार्निंग सिस्टम (एडब्ल्यूएस), फाग सेफ डिवाइस, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस (वीसीडी) एंटी कोलिजन डिवाइस (एसीडी)/ट्रेन कोलिजन एवाएडेंस सिस्टम, ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम (टीपीडब्ल्यूएस) इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

सच्चर समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन

642. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुस्लिमों के कल्याण के लिए राजिन्दर सच्च समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई स्वरूप सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सच्चर समिति का प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की स्थिति

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था। सच्चर समिति की प्रमुख अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार है :

1. वित्तीय सेवा विभाग :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2007–08 में ऐसे जिलों में 523 शाखाएं

तथा वर्ष 2008–09 में 537 नई शाखाएं खोली गईं। वर्ष 2009–10 में 743 नई शाखाएं और वर्ष 2010–11 में 814 नई शाखाएं खोली गईं। वर्ष 2011–12 के दौरान (31 दिसंबर, 2011 तक) 619 शाखाएं खोली गई हैं। वर्ष 2007–08 से अब तक कुल 3236 शाखाएं खोली जा चुकी हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2007 को संशेधित किया है। दिनांक 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार रु. 154789.90 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.83% है।

(iii) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए 603087 खाते खोले गए तथा वर्ष 2011–12 सितम्बर, 2011 तक में उन्हें रु. 6611.87 करोड़ का लघु ऋण दिया गया।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2011–12 में सितम्बर 2011 तक ऐसे क्षेत्रों में 1658 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया गया।

(v) प्रमुख बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/जिलों/नगरों में सितम्बर, 2011 तक 618 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या 9055 है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु–आयामी कार्यनीति, जैसा नीचे दिया गया है, अपनाई गई है –

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदंड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया जा सके। योजना के तहत दिसंबर, 2011 तक 107 विद्यालयों की लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 70 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए गए हैं।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता दी जानी है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। वर्ष 2011–12 में अक्टूबर, 2011 तक 158 नए माध्यमिक विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक–एक मॉडल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। वर्ष 2011–12 के दौरान अल्पसंख्यक जिलों में पांच मॉडल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक रु. 2.67 करोड़ की निधि जारी की गई है।

(घ) सब–मिशन ऑफ पालीटेक्नीक्स योजना के तहत अन–सर्व्ड और अंडर–सर्व्ड जिलों में पालीटेक्नीक्स स्थापित किए जाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों में से 57 जिले विचारार्थ पात्र हैं। अब तक अल्पसंख्यक बहुल 46 जिलों को पालीटेक्नीक्स की स्थापना के लिए शामिल किया गया है और 30 सितम्बर, 2011 तक रु.222.66 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई है।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर मुसिलम बहुल जिलों/ब्लॉकों में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक छात्रावासों के प्रावधान को वरीयता दी जाती है। यूजीसी ने 11वीं योजना के दौरान अल्पसंख्यक-बहुल जिलों/क्षेत्रों में 284 महिला छात्रावासों की स्वीकृति प्रदान की है तथा 30 सितम्बर,

2011 तक 201.55 करोड़ रु. की राशि अवमुक्त की है।

(च) क्षेत्र उन्मुख और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रु. 325 करोड़ के आवंटन के साथ मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सहायता और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरूआत करने जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल हैं। कुल रु 150 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक रु. 92.77 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई है। दूसरी योजना, सहायता-प्राप्त/सहायता-रहित निजी अल्पसंख्यकों के संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रु. 125 करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया है। वर्ष 2011-12 के दौरान रु. 50.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में 31 दिसंबर, 2011 तक रु. 21.88 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई है।

(छ) उच्चतर शिक्षा सुलभ कराने की दृष्टि से राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण-पत्रों और अर्हताओं को संबद्ध राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण-पत्रों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष माना जाएगा।

(ज) तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमी खोले गए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान पुश्चयर्या पाठ्यक्रम/कार्यशालाओं में 4718 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(झ) संशोधित योजना के तहत ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश-कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया गया है। 410 पात्र जिलों में 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरत दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है। साक्षर भारत के अंतर्गत 88 मुस्लिम बहुल जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में देश में मुस्लिम बहुल 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ठ) वर्ष 2008-09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना को विस्तार दिया गया है तथा इसमें उच्चतर प्राइमरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है।

(ड) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केंद्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। 14 राज्यों ने इसके अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि 9 राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं। 10 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति के सामाजिक आमेलन और बहिष्कार नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केंद्र की शुरूआत

की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009–10 के दौरान 51 विश्वविद्यालय में 1280 समान अवसर केंद्रों की स्थापना की गई है तथा वर्ष 2010–11 और 2011–12 में क्रमशः 1345 और 1367 केंद्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।

3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

(क) समान अवसर आयोग की कार्य प्रणाली और संरचना संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। असमानता सूचकांक की अवधारणा के समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग के प्रारूप विधेयक पर संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया जा रहा है।

(ख) लोक सभा द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 दिनांक 31.08.2010 को राज्य सभा में चयन समिति को भेजा गया। चयन समिति ने दिनांक 12.12.2011 को अपनी 22वीं बैठक का आयोजन किया। राज्य सभा की चयन समिति की वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 से संबंधित रिपोर्ट और चयन समिति के समक्ष प्राप्त साक्ष्यों को राज्य सभा पटल पर दिनांक 16.12.2011 को प्रस्तुत कर दिया गया।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को ''सिद्धांततः'' स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया। फर्म ने मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी मंत्रालय में जांच की जा रही ह। परामर्शी निगरानी समिति के विचार और रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

(घ) अल्पसंख्यक बहुत अभिनिर्धाथ्रत 338 नगरों के समग्र विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्ययोजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है।

(ङ) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः–पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पीएच.डी. तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत दिनांक 31 दिसंबर, 2011 तक अल्पसंख्यक समुदाय के 33.90 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए रु. 649.21 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.फिल और पीएच.डी के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति नामक योजना भी कार्यान्वयनधीन रही। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 756 अध्येतावृत्तियां और 3778 अध्येतावृत्ति नवीकरण के मामले स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 31.12.2011 तक रु. 51.98 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है।

(च) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की रु. 100 करोड़ कर दिया गया था। संचित निधि में 11वीं योजना अवधि के दौरान वृद्धि कर रु. 700 करोड़ कर दिया गया था। प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत वर्ष 2007–08 से अब तक 419 गैर–सरकारी संगठनों को शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए सहायता–अनुदान प्रदान किया गया तथा 11वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्राओं की 48471 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

(छ) वर्ष 2006–07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2011–12 के लिए 6000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य की तुलना में अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध 90 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने हेतु वित्तीय सहायता दी गई। कुल रु. 16.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान की तुलना में दिनांक 31.12.2011 तक रु. 4.00 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई।

(ज) वर्ष 2008–09 में अल्पसंख्यक बहुल 90 अभिनिर्धारित जिलों में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। योजना की शुरूआत से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, बिहार, मेघालय, झारखंड,

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, मध्यप्रदेश, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों और संघ राज्यों में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की योजनाओं को (68 जिलों की योजनाओं को पूर्णतः और 22 जिलों की योजनाओं को आंशिक) स्वीकृति प्रदान की गई तथा योजना की शुरूआत से 31 दिसंबर, 2011 तक रु. 2588.34 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई।

4. **सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :**

सामाजिक-धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है।

5. **योजना आयोग :**

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया है। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने कुछ बैठकें आयोजित की है।

(ख) योजना आयोग में कौशल विकास कार्य में तेजी लाने के लिए विस्तृत सांस्थानिक तंत्र स्थापित किया गया है ताकि अल्पसंख्यकों सहित देश भर के कौशल विकास से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इस तंत्र में शामिल हैं – नेशनल कॉउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।

6. **कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :**

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केंदीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गए हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिक तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और शिक्षकों की तैनाती करें। गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी दिशा-निर्देश जारी कर राज्यों/संघ राज्यों से ऐसी ही कार्रवाई करने की सलाह दी है।

7. **गृह मंत्रालय :**

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों में खामी के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यबल द्वारा "सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं निरसन) विधेयक, 2011" शीर्षक से विधयेक का प्रारूप तैयार किया है। परिषद द्वारा विधेयक को दिनांक 25.7.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा गया है। विधेयक के प्रारूप की समीक्षा गृह समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है।

8. **शहरी कार्य मंत्रालय और आवास तथा निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय :**

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के तहत अल्पसंख्यक बहुल नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों। इन उपायों में शामिल हैं :

(क) यू आई डी एस एस एम टी के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल 88 नगरों के लिए रु. 2672.34 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) आई.एच.एस.डी.पी. के तहत रु. 1897.69 करोड़ लागत की परियोजनाएं अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 101 नगरों के लिए हैं।

(ग) बी.एस.यू.पी. के तहत 17 नगरों के लिए रु. 7086.47 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षदीप, पुडुचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ परिसंपत्ति नहीं है।

9. श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ-साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है।

10. संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले वक्फों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

12. पंचायती राज मंत्रालय :

पंचायती राज मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने की सलाह दी गई है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप राज्यों/संघ राज्यों में जिला और पंचायत स्तर पर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रावधान विद्यमान हैं। हिमाचल प्रदेश और ओडिसा राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि यह मामला राज्य सरकार में विचाराधीन है।

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि केरल, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य सरकारों ने दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित कर दिया है।

13. सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर फिल्म-चित्र जारी किए जाते रहे हैं। इन फिल्म-चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गई है।

बिना टिकट यात्रा

643. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में बिना टिकट यात्रा के कारण हुई हानि का आकलन किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे द्वारा ऐसे विशेष अभियानों के परिणामस्वरूप गत एक वर्ष के दौरान जोनवार कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(ङ) रेलवे द्वारा रेलों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को हुई हानि की गणना नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) नियमित जांचों के अलावा, बिना टिकट/अनियमित यात्रा के विरूद्ध रेलवे सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेटों के सहयोग से घात लगाकर, घेरा बंदी, क्रास कंट्री जैसी जांचें की जाती हैं। अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक बिना टिकट/अनियमित यात्रा के विरूद्ध की गई विशेष और साथ-साथ नियमित/औचक जांचों की संख्या 14.34 लाख थी।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गाड़ियों में बिना टिकट/अनियमित यात्रा रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

* वरिष्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेट के सहयोग से नियमित और औचक जांचे की जाती हैं।
* इन जांचों की विभिन्न स्तरों पर अधिकारी द्वारा निगरानी की जाती है और वयस्ततम समय और त्यौहारों की अवधि के दौरान इनमें तेजी लाई जाती है।
* महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अनारक्षित डिब्बों में बिना टिकट/अनियमित यात्रा रोकने के लिए इंटेंसिव चेक पौस्टों की स्थापना की गई है।
* 01.07.2004 से बिना टिकट/अनियमित यात्रा के लिए न्यूनतम जुर्माना 50/- रु. से बढ़ा कर 250/- रु. कर दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 तक की अवधि के दौरान बिना टिकट/अनियमित यात्रा के विरूद्ध किए गए नियमित और विशेष अभियानों के परिणाम-स्वरूप पिछले एक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा एकत्रित की गई राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा

रेलवे	एकत्रित की गई राशि (आंकड़े करोड़ रु. में)
1	2
मध्य	47.68
पूर्व	14.85
पूर्व मध्य	22.50
पूर्व तट	6.53
उत्तर	66.88
उत्तर मध्य	31.45
पूर्वोत्तर	25.89
पूर्वोत्तर सीमा	12.91
उत्तर सीमा	13.68
दक्षिण	22.61
दक्षिण मध्य	42.55
दक्षिण पूर्व	12.30
दक्षिण पूर्व मध्य	7.00
दक्षिण पश्चिम	9.05
पश्चिम	46.11
पश्चिम मध्य	17.98
कुल	399.97

[हिन्दी]

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

644. श्री एम.आई. शानवास :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री रेवती रमण सिंह :
श्री जगदानंद सिंह :
श्री अर्जुन राय :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में देश में प्रत्येक उर्वरक उपभोक्ता विक्रय कीमतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उर्वरक विनिर्माण कंपनियों को प्रदान की जा रही राजसहायता में निरंतर बढ़ोत्तरी के बावजूद गत एक वर्ष के दौरान देश में फास्फेट, पोटाश तथा यूरिया सहित विभिन्न उर्वरकों की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने 1.4.2010 से पी एण्ड के उर्वरकों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति का कार्यान्वयन किया है। एनबीएस नीति के अंतर्गत, प्रत्येक पोषक-तत्व नामतः नाइट्रोजन (एन), फॉस्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के लिए प्रति कि.ग्रा. आधार पर नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए प्रति वर्ष निर्धारित राजसहायता की घोषणा की जाती है, जिसे उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड में निहित पोषक-तत्व के आधार पर प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित कर दिया जाता है। पी एण्ड के उर्वरकों की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) को खुला रखा गया है और मांग-आपूर्ति के उतार-चढ़ाव के आधार पर उत्पादकों/ आयातकों द्वारा इसे युक्तिसंगत स्तर पर निर्धारित करने की अनुमति दी गई है।

पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए पूर्ण रूप से और फास्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए 90% की सीमा तक आयात पर निर्भर रहने के कारण इन उर्वरकों तथा इनकी कच्ची सामग्री के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हुई वृद्धि/कमी का घरेलू खुदरा मूल्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उर्वरकों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है और परिणामस्वरूप उर्वरक कंपनियों ने भी आदानों की बढ़ी हुई लागत की वसूली करने के लिए अपनी एमआरपी में वृद्धि कर दी है। वर्ष 2011-12 में अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए का ह्रास होने से इनमें और वृद्धि हुई है। अब भी, किसान पी एण्ड के उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत का केवल लगभग 50% का ही भुगतान कर रहे हैं और शेष लागत को भारत सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में वहन किया जा रहा है। इसके अलावा, किसानों को यूरिया 5310 रुपए प्रति मी.टन की निर्धारित एमआरपी पर उपलब्ध कराया जाता है, जो इसकी वास्तविक लागत से काफी कम है।

(घ) सरकार ने उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) डीएपी, यूरिया एमओपी और सल्फर के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुझानों को देखते हुए वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 की पोषक तत्व आधारित राजसहायता में वृद्धि की गई है।

(ii) सरकार राजसहायता योजना के अंतर्गत शामिल उर्वरकों पर मालभाड़ा राजसहायता भी उपलब्ध कराती है।

(iii) सरकार ने सभी आयातित वस्तुओं पर 5% के बराबर शुल्क लगाने की घोषणा की थी जिसे उर्वरकों के मामले में कम करके 1% कर दिया गया था ताकि देश में उर्वरकों के मूल्यों पर इसका प्रभाव कम हो सके।

(iv) एनबीएस योजना के अनुसार, राजसहायता प्राप्त पी एण्ड के उर्वरकों का बाजार मूल्य खुला रखा गया है और उर्वरक कंपनियों को युक्तिसंगत स्तर पर इनकी एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। उर्वरक कंपनियां उनके द्वारा निर्धारित की गई उर्वरकों की एमआरपी की सूचना वेब आधारित "उर्वरक निगरानी प्रणाली" के जरिए नियमित रूप से दे रही हैं।

विवरण

फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की 2008-09 से फरवरी, 2012 तक तिमाही-वार उच्चतम एमआरपी

#	उर्वरकों के ग्रेड	2008-09, 2009-10	10-11 (तिमाही वार)				11-12 (तिमाही वार)			
		सभी तिमाही	I	II	III	IV	I	II	III	IV (फरवरी तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डीएम.पी : 15.46-0-0	9350	9950	9950	9950	10750	12500	18200	20297	20123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	एमएपी : 11-52-0-0	9350	9950					18200	20000	20000
3	टीएसपी : 0-46-0-0	7460	8057	8057	8057	8057	8057	8057	17000	17000
4	एमओपी : 0-0-60-0	4455	5055	5055	5055	5055	6064	11300	12040	12080
5	16-20-0-13	5875•	6620	6620	6620	7200	9645	14400	15300	15300
6	20-20-0-13	6295•	7280	7280	7395	8095	11400	14800	15800	18512
7	23-23-0-0	6145•				7445	7445	7445	7445	14600
8	10-26-26-0	7197•	8197		8300	10103	10910	16000	16633	17643
9	12-32-16-0	7637•	8637	8237	8637	9437	11313	16400	16500	16619
10	14-28-14-0	7050•						14950	17029	17029
11	14-35-14-0	8185•				9900	11622	15147.6	17424	17600
12	15-15-15-0	5121•				7421	8200	11000	15000	12000
13	एएस: 20-3-0-0-23	10350	8600	8600	7600	8700	7600	11300	11300	14100
14	20-20-0-0	5343•	5943		6243	7643	9861	14000	15500	15500
15	28-28-0-0	7481•				11181	11810	15740.5	18512	18700
16	17-17-17-0	5804•								17710
17	19-19-19-0	6487•								18093
18	एसएसपी (0-16-0-11)	4600••	3200	3200	3200	3200		4000 to 6000		
19	16-16-16-0					7100	7100	7100	15200	15200
20	डीएपी लाइट (16-44-0-0)					एन.ए.	11760	17600	19500	19500
21	15-15-15-09					6800	9300	12900	15750	15600
22	24-24-0-0					7768	9000	11550	14151	14297
23	13-33-0-06							16200	17400	17400
24	एमएपी लाइट (11-44-0-)							16000	18000	18000
25	डीएपी लाइट-II (14-46-0-0)						14900	18690	18512	
26	यूरिया	4830					5310			

16.6.08 से प्रभावी

•• मई, 2008 से सितम्बर, 2009 तक एसएसपी का अधिकतम खुदरा मूल्य 3400 रुपए/एम टी था

इन मूल्यों में स्थानीय कर शामिल नहीं है।

भारतीय सीमेंट निगम की इकाइयां

645. श्री वीरेन्द्र कश्यप :

श्री अनुराग सिंह ठाकुर :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय सीमेंट निगम की कितनी इकाइयां हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इकाई में वर्ष–वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में सीसीआई की राजबन इकाई में उत्पादन में गिरावट हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राजबन इकाई में सीमेंट का उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) भारतीय सीमेंट निगम की देश के विभिन्न राज्यों में 10 प्लांट है जिसमें से केवल 3 प्लांट प्रचालनशील हैं। गत तीन वर्षों के दौरान 3 प्रचालनशील यूनिटों के स्थान तथा सीमेंट उत्पादन निम्नानुसार हैं :–

स्थान	सीमेंट उत्पादन मिट्रिक टन में (एमटी)		
	2008–09	2009–10	2010–11
बोकाजन (असम)	129395	150101	133265
राजबन (हिमाचल प्रदेश)	143400	187360	157130
तंदूर (आंध्र प्रदेश)	683415	630765	610045

(ख) वर्ष 2010–11 के दौरान राजबन इकाई में सीमेंट के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ग) राजबन इकाई में सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2009–10 में 187360 एमटी से घट कर वर्ष 2010–11 में 157130 एमटी हो गया है। राजबन इकाई में उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण संयंत्र के विस्तार के दौरान संशोधित अन्य कारणों के अलावा कोयले की अपेक्षित मांग की अनुपलब्धता, अधिक राख के साथ निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति, किल्न में रिंग बनना, पुराने संयंत्र और मशीनरी एवं लगातार पावर ब्रेक अप हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) बीआईएफआर द्वारा वर्ष 2006 में स्वीकृत स्कीम में राजबन इकाई के 25 प्रतिशत क्षमता विस्तार का प्रावधान किया गया था। इसे अब तक पूरा कर लिया गया है। लेकिन, भाग (ग) में उल्लिखित कारणों के चलते इष्टतम उत्पादन की प्राप्ति नहीं हो सकी। सीसीआई ने बाधाओं को कम करने लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम के अलावा पर्याप्त मात्रा और अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला की आपूर्ति के लिए कोयला आपूर्तिकर्ताओं के साथ मामले को उठाया है ताकि सीमेंट का बेहतर उत्पादन और बिक्री सुनिश्चित किया जा सके।

प्रतीक्षा सूची टिकटों के लिए अतिरिक्त डिब्बे

646. श्री कामेश्वर बैठा :

श्री नीरज शेखर :

श्री यशवीर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार आरक्षित श्रेणियों में 300 प्रतीक्षासूची टिकटों के मामले में दो अतिरिक्त डिब्बे तथा 700 प्रतीक्षासूची टिकटों के मामले में एक नई रेल चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए पहचाने गए मार्ग तथा रेल कौन सी है; और

(ग) उक्त योजना के कब से शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग) यातायात पैटर्न, वाणिज्यिक औचित्य, परिचालनिक व्यावहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो, अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लीयर करने और प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को स्थान उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सैक्टरों के लिए नियमित और विशेष गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं। भारतीय रेलवे में यह एक सतत प्रक्रिया है।

देश में आमान परिवर्तन

647. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी :
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री रघुवीर सिंह मीणा :
श्री पी. करूणाकरन :
शेख सैदुल हक :
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान सहित देश में चल रहे आमान परिवर्तन कार्यों का राज्य–वार नाम क्या है और उनकी मंजूरी का वर्ष, प्रारंभ, प्रारंभिक अनुमानित लागत तथा वर्तमान अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की परियोजना–वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) देश में मीटर गेज लाइन की स्थान–वार तथा राज्य–वार लंबाई कितनी है और ऐसी लाइनों का ब्यौरा क्या है जो अब प्रयोग में नहीं हैं; और

(ङ) उक्त शेष लाइनों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सूचना पटल पर रख दी जाएगी।

ईंधन की कीमतों में वृद्धि

648. श्री घनश्याम अनुरागी :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री बदरुद्दीन अजमल :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री निशिकांत दुबे :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि तथा रुपये की गिरती कीमतों के कारण ईंधन के मूल्य में वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति के स्थायी होने के पश्चात मूल्य वृद्धि वापिस लेने या कीमतों को नियंत्रित करके आम आदमी को राहत प्रदान करने का है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तथा एलपीजी की कीमतों में कितनी बार और किस–किस तारीख को वृद्धि की गई और उक्त अवधि के दौरान डीलरों के कमीशन में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) आपात के समय पेट्रोलियम उत्पादों की लागत कितनी थी और शोधन के पश्चात् इन उत्पादों की उच्च कीमतों के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान शोधन के पश्चात् निजी कंपनियों द्वारा निर्यात किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा कितनी है और उन्हें किन–किन दरों पर निर्यात किया गया, इस संबंध में उत्पाद–वार तथा वर्ष–वार ब्यौरा दें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) डा. किरीट एस. पारिख की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों के आलोक में, सरकार द्वारा 26.6.2010 से पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया गया है। इसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। बाजार निर्धारित मूल्यों को लागू कर देने के बाद भी, ओएमसीज अल्प–वसूलियों का एक भाग स्वयं वहन करते हुए, समय समय पर एक नियंत्रित तरीके से पेट्रोल के मूल्य में संशोधन करती रही हैं।

तथापि, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाली वृद्धि तथा घरेलू स्फीतिकारी प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा लगातार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा

बिक्री मूल्यों (आरएसपी) को आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है। परिणामतः वर्तमान में ओएमसीज को 07 मार्च, 2012 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्यों (आरजीपी) के अनुसार डीजल पर 12.17 रुपए प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 28.66 रुपए प्रति लीटर और 439.00 रुपए प्रति घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर अल्प-वसूलियां झेल रही हैं।

इसके अलावा, 25.06.2011 से सरकार ने कच्चे तेल पर 5% सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क में तदनुरूपी कटौती की है तथा डीजल पर 2.60 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। डीजल पर 2.06 रुपए के शेष उत्पाद शुल्क को सड़क और शिक्षा उपकर के रूप में चिहिन्त किया गया है। सरकार ने राज्य सरकारों से राज्य उगाहियां घटाने का भी अनुरोध किया है। प्रत्युत्तर में, 17 राज्यों ने डीजल/पीडीएस मिट्टी तेल/घरेलू एलपीजी पर राज्य वैट/बिक्री कर घटा दिया है।

(ग) वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) में किए गए संशोधन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल, डीजल, और घरेलू एलपीजी पर डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में किए गए संशोधन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

जहां तक सीएनजी मूल्यों का संबंध है, यह सरकार द्वारा विनियमित नहीं होते हैं। सीएनजी का मूल्य उनके द्वारा स्रोत गैस के औसत भारित मूल्यों के आधार पर संबंधित सीजीडी प्रचालक/कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। तथापि, पिछले कुछ समय में दिल्ली में सीएनजी का मूल्य इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा निम्नवत रूप से निर्धारित किया गया है :-

से	तक	उत्पाद शुल्क के साथ बिक्री मूल्य (रु./कि.ग्रा.)
02.01.2011	01.04.2011	29.00
02.04.2011	03.06.2011	29.30
04.06.2011	15.08.2011	29.80
06.08.2011	30.09.2011	30.00
01.10.2011	30.12.2011	32.00
31.12.2011	05.03.2012	33.75
06.03.2012	आज तक	35.45

(घ) ओएमसीज रिफाइनरियों को पेट्रोल/डीजल के खरीद के लिए व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) तथा पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात समता मूल्य (आईपीपी) का भुगतान करती हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं के लिए संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के वांछित आरएसपी का परिकलन, रिफाइनरी को प्रदत्त मूल्य के लिए शुल्कों और करों, अर्न्तदेशीय भाड़ा, विपणन मार्जिन को शामिल करते हुए किया जाता है। रिफाइनरी द्वारा मूल्य (आरजीपी) के ब्यौरे तथा 07 मार्च, 2012 से लागू दिल्ली मूल्यों के आधार पर पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की आरएसपी में बाद में सम्मिलित की जाने वाली वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान निजी कंपनियों द्वारा निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पाद-वार और वर्ष-वार मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य में संशोधन

संशोधन की तारीख	पेट्रोल रु. लीटर	डीजल	घरेलू एलपीजी रु./सिलिंडर	कारण
1	2	3	4	5
1.4.2009	40.62	30.86	279.70	1.4.2009 की स्थिति के अनुसार आरएसपी

1	2	3	4	5
02.07.09	44.63	32.87	281.20	मूल्यों में वृद्धि (1.07.09 से प्रभावी)
27.10.09	44.72	32.92		डीलर कमीशन में संशोधन
27.02.2010	47.43	35.47		सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क में परिवर्तन
01.04.2010	47.93	38.10	310.35	दिल्ली में घरेलू एलपीजी पर राजसहायता समाप्त/यूरो IV ईंधनों की शुरूआत
26.6.2010	51.43	40.10	345.35	बुनियादी मूल्य में वृद्धि
01.07.2010	51.45	40.12		साइडिंग-शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
20.07.2010		37.62		दिल्ली में वैट कटौती
08.09.2010	51.56	37.71		डीलर कमीशन में संशोधन
21.09.2010	51.83			बुनियादी मूल्य में वृद्धि
17.10.2010	52.55			बुनियादी मूल्य में वृद्धि
02.11.2010	52.59	37.75		साइडिंग-शंटिंग प्रभारों में वृद्धि
09.11.2010	52.91			मूल्यों में वृद्धि
16.12.2010	55.87			मूल्यों में वृद्धि
15.01.2011	58.37			मूल्यों में वृद्धि
15.5.2011	63.37			मूल्यों में वृद्धि
25.6.2011		41.12	395.35	मूल्यों में वृद्धि
1.7.2011	63.70	41.29	399.00	साइडिंग-शंटिंग प्रभारों में/ डीलर कमीशन में वृद्धि
16.9.2011	66.84			मूल्यों में वृद्धि
1.10.2011		40.91		दिल्ली में डीजल पर 0.375 रु. प्रति लीटर की छूट
4.11.2011	68.64			मूल्यों में वृद्धि
16.11.2011	66.42			मूल्यों में वृद्धि
1.12.2011	65.64			मूल्यों में कमी
	65.64	40.91	399.00	वर्तमान आरएसपी

नोट – 26.06.2010 से आगे पेट्रोल के मूल्य इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार हैं।

विवरण–II

विगत तीन वर्षों के दौरान डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन में किए गए संशोधन के ब्यौरे

i. पेट्रोल और डीजल पर डीलर कमीशन

(रु. प्रति कि.ली.)

प्रभावी तारीख	पेट्रोल	डीजल
1.4.2009 की स्थिति के अनुसार	1052.00	631.00
27 अक्तूबर, 09	1125.00	673.00
7 सितम्बर, 10	1218.00	757.00
1 जुलाई, 11	1499.00	912.00

ii. घरेलू एलपीजी पर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन

(रु. प्रति सिलिंडर)

प्रभावी तारीख	14.2 कि.ग्रा.	5 कि.ग्रा.
1.4.2009 की स्थिति के अनुसार	20.54	10.58
30 जून, 09	21.94	11.30
1 जुलाई, 11	25.83	13.30

विवरण–III

07 मार्च, 2012 से पेट्रोल और डीजल की मूल्य संरचना

(रु. प्रति लीटर)

	पेट्रोल	डीजल
रिफाइनरी तक मूल्य	41.24	43.33
भाड़ा लागत	0.85	0.87
विपणन लागत व मार्जिन	1.53	1.45
3% की दर से शिक्षा उप कर सहित उत्पाद शुल्क	14.78	2.06
उत्पाद शुल्क के बाद कुल मूल्य	58.40	47.71
घटाएं : ओएमसीज की अल्प–वसूलियां	5.20	12.17
ग्राहक से प्रभारित मूल्य – डिपो मूल्य	53.20	35.54
वैट★	10.96	4.46
डीलर कमीशन	1.50	0.91
खुदरा बिक्री मूल्य	65.64	40.91

07 मार्च, 2012 से पीडीएस मिट्टी तेल की मूल्य संरचना

(रु. प्रति लीटर)

रिफाइनरी तक मूल्य	40.87
भाड़ा लागत	0.80
विपणन लागत व मार्जिन	0.80
उत्पाद शुल्क	0.00
कुल वांछित मूल्य	42.47
घटाएं : सरकारी राजसहायता	–0.82
घटाएं : ओएमसीज द्वारा झेली गई अल्प–वसूली	–28.66
योग	12.99
वैट★	0.65
ग्राहक से प्रभारित मूल्य – डिपो मूल्य	13.64
थोक और खुदरा कमीशन	1.19
प्रति सिलिंडर आरएसपी (पूर्णांकित)	14.83

07 मार्च, 2012 से घरेलू एलपीजी की मूल्य संरचना

(रु. प्रति सिलिंडर)

रिफाइनरी तक मूल्य	739.80
भाड़ा लागत	36.33
विपणन लागत व मार्जिन	20.59
भरण प्रभार तथा सिलिंडर मुआवजा	38.68
उत्पाद शुल्क	0.00
कुल वांछित मूल्य	835.40
घटाएं : सरकारी राजसहायता	–22.50
घटाएं : ओएमसीज द्वारा झेली गई अल्प–वसूली	–439.00
ग्राहक से प्रभारित मूल्य – कंपनी बिलिंग दर	373.44
वैट★	0.00
डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन	25.83
प्रति सिलिंडर आरएसपी (पूर्णांकित)	399.00

विवरण-IV

	2008-09						2009-10						2010-11					
	ईओएल		आरआईएल		कुल		ईओएल		आरआईएल		कुल		ईओएल		आरआईएल		कुल	
	टीएमटी	करोड़ रु.	टीएमटी	करोड़ रु.			टीएमटी	करोड़ रु.	टीएमटी	करोड़ रु.			टीएमटी	करोड़ रु.	टीएमटी	करोड़ रु.		
एमएस	1684	5521	3295	11024	4979	16545	1021	3147	8430	27004	9451	30151	1763	6364	11426	41599	13189	47963
एटीएफ			3209	12285	3209	12285			3934	11405	3934	11405			3491	12623	3491	12623
नाफ्था	52	153	2190	7517	2242	7670	193	589	2317	7075	2510	7664	603	2101	2338	8256	2941	10357
एचएसडी	73	227	11837	41206	11910	41433	340	930	15807	43566	16147	44496	235	720	18719	63536	18954	64256
एफओ	2434	4995			2434	4995	1990	4085			1990	4085	2507	5528			2507	5528
अन्य			267	737	267	737			2624	6765	2624	6757			2714	7690	2714	7690
उप योग	4243	10896	20798	72769	25041	83665	3544	8751	33112	95807	36656	104558	5108	14173	38688	133704	43796	148417

स्रोत : आरआईएल/एस्सार ऑयल

इलेक्ट्रानिक डिस्पले बोर्ड

649. **श्री अवतार सिंह भडाना :**
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्री रघुवीर सिंह मीणा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रात में यात्रा कर रहे रेल यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्ड की कमी के कारण स्टेशनों को पहचानने में असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर तमिलनाडु के रेलवे स्टेशनों पर उक्त सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस समय रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम डिस्पले करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले बोर्डो की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, यह नीति पहले से मौजूद है कि प्लेटफार्मों के दोनों छोरों पर मुहैया स्टेशन के नाम वाले बोर्ड उचित रूप से प्रकाशमय हों ताकि रात्रि के दौरान नाम आसानी से पढ़े जा सकें तथा स्टेशन के नाम वाले बोर्डों पर रोशनी के लिए मुहैया लाइटों को रात्रि के दौरान 'ऑन' रखा जाए।

पेयजल में रसायन

650. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री सज्जन वर्मा :
श्री मंगनीलाल मंडल :
श्री सुशील कुमार सिंह :
योगी आदित्यनाथ :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री पूर्णमासी राम :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री भूपेन्द्र सिंह :
श्री एस. अलागिरी :
श्री अशोक तंवर :

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पेयजल में आर्सेनिक/अन्य रसायनों की अत्यधिक मात्रा पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के पेयजल में ऐसे रसायनों की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के कुछ मामले सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने तथा देश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) मंत्रालय की ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्य सरकारों के ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लगभग 1.21 लाख ग्रामीण बसावटों में कुछ पेयजल स्रोतों के आर्सेनिक, फ्लोराइड, लौह, खारापन अथवा नाइट्रेट की मात्रा अधिक है जिन्हें 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। ऐसी बसावटों की राज्य–वार और रासायनिक संदूषण–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) स्वीकार्य सीमा से अधिक मात्रा में आर्सेनिक–युक्त पेयजल को अधिक समय तक पीने से आर्सेनिकोसिस (केराटोसिस और/अथवा मिलानोसिस) बीमारी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम राज्यों में हुई विभिन्न समीक्षा बैठकों और कार्यशालाओं में इसकी जानकारी दी गई थी। स्वीकार्य सीमा से अधिक मात्रा में फ्लोराइडयुक्त पेयजल को अधिक समय तक पीने से डेंटल, स्केलेटल और नॉन–स्केलेटल फ्लयूरोसिस बीमारी हो सकती है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों में इसकी जानकारी दी गई थी। पेयजल में लौह और/अथवा खारापन की अधिकता रंग, स्वाद और/अथवा गंध की वजह से लोगों के लिए अस्वीकार्य है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, विशेषकर शिशुओं में मेथेमोगलोबिनिमिया (ब्लू बेबी सिंड्रोम) हो सकता है।

(ङ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार देश की ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों के 62% तक का उपयोग कवरेज/जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। राज्यों से कहा गया है कि वे तात्कालिक उपाय के रूप में ऐसे संदूषित जल–स्रोतों को किन्हीं विशेष रंगों के

द्वारा इनकी 'स्पष्ट पहचान' अंकित करके स्थानीय लोगों को इस विषय में जागरूक करें कि वे पीने और भोजन पकाने को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए इन स्रोतों के जल का उपयोग करें। अनेक राज्य सरकारों ने अल्पकालिक उपाय के रूप में पेयजल स्रोतों से अत्यधिक रासायनिक संदूषण को हटाने के लिए उन स्रोतों के स्थानों पर ही शोधन संयंत्र लगाना शुरू कर दिया है। मध्यम और दीर्घकालिक उपाय के रूप में राज्य सरकारों को सुरक्षित पेयजल निकायों से पाइपों द्वारा सुरक्षित पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करने की सलाह दी गई है।

विवरण

1.4.2011 की स्थिति के अनुसार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शेष जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटें

क्रम सं.	राज्य	संदूषण-वार बसावटों की संख्या					
		कुल बसावटें	फ्लोराइड बसावटें	आर्सेनिक बसावटें	लौह बसावटें	खारापन बसावटें	नाइट्रेट बसावटें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अं. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	585	459	0	0	126	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	18683	192	2089	16402	0	0
5	बिहार	18427	3338	1111	13978	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	7845	188	0	7534	123	0
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दमन और द्वीव	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	323	111	0	0	65	147
12	हरियाणा	30	27	0	0	3	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	26	2	0	1	23	0
15	झारखंड	808	93	5	709	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8
16	कर्नाटक	7599	3114	42	1813	861	1769
17	केरल	969	109	0	623	191	46
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	2917	2651	0	4	261	1
20	महाराष्ट्र	2698	860	1	591	483	763
21	मणिपुर	4	0	0	4	0	0
22	मेघालय	102	0	0	102	0	0
23	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
24	नागालैंड	166	0	0	166	0	0
25	ओडिशा	14811	475	0	13191	1117	28
26	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
27	पंजाब	55	22	0	0	31	0
28	राजस्थान	32150	10724	8	54	20258	1106
29	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
30	तमिलनाडु	509	3	0	428	75	3
31	त्रिपुरा	6196	0	0	6196	0	0
32	उत्तर प्रदेश	1038	204	331	53	449	1
33	उत्तराखंड	14	1	0	11	0	2
34	पश्चिम बंगाल	5546	939	1752	2351	504	0

भूजल का संदूषण

651. डा. एम. तम्बिदुरई :

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :

श्री भूपेन्द्र सिंह :

श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूजल में विषैले पदार्थों की उपस्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातु तथा यूरेनियम के स्तर के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, विशेषकर पंजाब में, ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार संदूषण के खतरे को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जल संसाधन मंत्रालय के तहत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश के विभिन्न भागों में स्थित 14966 प्रेक्षण कुओं के नेटवर्क से रासायनिक विश्लेषण हेतु मानसून-पूर्व मौसम में वर्ष में एक बार भूमि जल के नमूने एकत्र करता है।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए भूमि जल नमूनों के विश्लेषण के अनुसार कुछ राज्यों के अलग-थलग क्षेत्रों में फ्लोराइड, आर्सेनिक तथा शीशा, कैडियम, क्रोमियम आदि भारी धातुओं की विद्यमानता, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण संदूषण देखा गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूमि जल में यूरेनियम का विश्लेषण नहीं किया है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय में इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अलग-थलग क्षेत्रों से प्राप्त फ्लोराइड, आर्सेनिक और भारी धातु के कारण भूमि जल संदूषण की सूचना का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फ्लोराइड (1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक)	आर्सेनिक (0.01 मि. ग्रा./ली. से अधिक)	भारी धातुएं
				शीशा (0.05 मि.ग्रा./लीटर से अधिक) मैग्नीज (0.01 मि.ग्रा./लीटर से अधिक) क्रोमियम (0.05 मि.ग्रा./लीटर से अधिक) कैडमियम (0.01 मि.ग्रा./लीटर से अधिक) सेलेनियम (0.01 मि.ग्रा./लीटर से अधिक)
1	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, गुंटूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लौर, प्रकाशम, रंगारेड्डी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, वारंगल, पश्चिम गोदावरी		शीशा: रंगारेड्डी, नलगौंडा
2	असम	गोलपारा, कामरूप, करबीआंगलोंग, नौगांव	धेमाजी	
3	बिहार	औरंगाबाद, बांका, बक्सर, जुमई, कैमूर, (भबुआ), मुंगेर, नवादा, रोहतास, सुपौल	बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगडिया, किशनगंज, लखीसराय,	

1	2	3	4	5
			मुंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारन, वैशाली	
4	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा, जंजगीर-चंपा, जशपुर, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा		
5	दिल्ली	पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली		शीशा : उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में नजफगढ़ नाले के साथ कैडमियम : दक्षिण पश्चिम क्रोमियम : उत्तर पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली, पूर्व
6	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, दोहाद, जूनागढ़, कच्छ, महेसाणा, नर्मदा, पंचमहल, पाटन, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वड़ोदरा		
7	हरियाणा	भिवानी, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत		शीशा : हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद
8	जम्मू और कश्मीर	रजौरी, उधमपुर		शीशा : जम्मू (गंगयाल), बारी ब्रह्मा
9	झारखंड	बोकारो, गिरीडीह, गोड्डा, गुमला, पलामू, रांची		
10	कर्नाटक	बगलकोट, बंगलोर, बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, चमाराजनगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हवेरी, कोलार, कोप्पल, मंड्या, मैसूर, रायचुर, तुमकुर		
11	मध्य प्रदेश	भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, झबुआ, खरगौन, मंदसौर,		शीशा : बालाघाट, बरवानी, दामोह, दतिया, देवास, धार, दिन्दोरी, गुना, ग्वालियर, रायसेन, राजगढ़, सतना, सिहोर, शाजापुर, शिवपुरी, विदिशा

1	2	3	4	5
		राजगढ़, सतना, सिवनी, शाजापुर, शिवपुर, सिधि		
12	महाराष्ट्र	अमरावती, चंद्रपुर, धुले, गड़चिरौली, गोंडिया, जलना, नागपुर, नांदेड़		शीशा : अहमद नगर, अकोला, औरंगाबाद, बीड, बुलदाना, धुले, गड़चिरौली, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, ओस्मानाबाद, परभानी, पुणे, सांगली, वर्धा, वाशिम, यवतमाल
13	ओडिशा	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बौध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, जाजपुर, क्योंझर, सोनापुर		हेक्सावैलेंट क्रोमियम जाजपुर जिले के सुखिंडा ब्लॉक में सुखिंडा घाटी
14	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, गुरदासपुर, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, संगरूर	मानसा भटिंडा	शीशा : अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मुक्तसर सेलेनियम : नवांशहर
15	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, सीकर, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर		शीशा : झुन्झुनु जिला (खेतड़ी तांबा भंडार) पाली, जयपुर (सांभर झील, सांगनेर)
16	तमिलनाडु	कोयम्बटूर, धर्मपुरी, डिंडीगुल, इरोड, करूर, कृष्णागिरी, नामक्कल, पेरम्बलोर, पुद्कोटाई, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगा, तेनी, तिरूवन्नामलाई, तिरूचिरापल्ली, वेल्लौर, विरुधनगर		शीशा : डिंडीगुल, तिरूवल्लुर, कांचीपुरम मैग्नीज : तिरूवल्लुर, कांचीपुरम कैडमियम : तिरूवल्लुर
17	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, जौनपुर, कन्नौज, महामाया नगर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ	अम्बेडकर नगर, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, फैजाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, खेरी, लखीमपुर खेरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर,	शीशा : मुजफ्फरनगर, मथुरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद, भदोही, गाजियाबाद, जौनपुर, कानपुर, रायबरेली, सोनभद्र कैडमियम : वाराणसी नगर क्रोमियम : काशी विद्यापीठ, वाराणसी मैग्नीज : बहराइच

1	2	3	4	5
			उन्नाव (राज्य सरकार के साथ-साथ सीजीडब्ल्यूबी से प्राप्त सूचनानुसार)	
18	पश्चिम बंगाल	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, नाडिया, पुरूलिया, उत्तर दिनाजपुर	वर्द्धमान, हुगली, हावड़ा, मालदा, मुर्शिदाबाद, नाडिया, उत्तरी-24 परगना, दक्षिणी - 24 परगना	मैग्नीज : उत्तरी तथा पश्चिमी 24 परगना के अलग-अलग क्षेत्र, मुर्शिदाबाद, नाडिया तथा मालदा।

बीपीएल सूची में लोगों को शामिल करना

652. श्री ए.टी. नाना पाटील :

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :

श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामा के अनुसार सर्वेक्षण कराया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सर्वेक्षण के आधार पर बीपीएल सूची में और अधिक लोगों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर बीपीएल जनगणना कराता रहा है। अब तक, वर्ष 1992, 1997 और 2002 में ऐसी तीन जनगणना कराई जा चुकी हैं।

(ख) वर्ष 1992 की बीपीएल जनगणना में मानदंड के रूप में आय को शामिल किया गया। बीपीएल जनगणना, 1997 में बहिर्वेशन मानदंड और उपभोग व्यय के सम्मिलित रूप का उपयोग किया गया था। वर्ष 2002 में बीपीएल जनगणना 13 सामाजिक-आर्थिक पैरामीटरों पर आधारित थी।

(ग) और (घ) सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी, 2006 में अपने आदेश में निर्देश दिया कि अगली बीपीएल जनगणना के लिए सर्वेक्षण प्रक्रियाविधि भोजन के अधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्तों और समाज के अन्य वर्गों के साथ परामर्श से बनाई जाएगी। तदनुसार, उपयुक्त प्रक्रियाविधि की सिफारिश करने के लिए डा. एन.सी. सक्सेना, भोजन के अधिकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया। विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के आधार पर, राज्यों और समाज के अन्य वर्गों के परामर्श से और प्रायोगिक सर्वेक्षण कराने के बाद एसईसीसी, 2011 शुरू किया गया है।

(ङ) और (च) एसईसीसी, 2011 के परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं है। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उपर्युक्त आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ निदेश दिया है कि "उस अवधि के दौरान जिसमें यह सूची लागू होगी, सतत आधार पर बीपीएल सूची 2002 में नये नामों को जोड़ने और अपात्र नामों को हटाने के लिए प्रावधान किए जाएंगे।"

[अनुवाद]

समाजिक-आर्थिक जनगणना

653. श्री एस. अलागिरी :

श्री प्रबोध पांडा :

श्री नवीन जिंदल :

श्री पी. करुणाकरन :

श्री राधे मोहन सिंह :

श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक–आर्थिक तथा जाति तथा जनगणना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की सहायता करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देश की समीक्षा करने के बाद गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) और गरीबी रेखा के ऊपर गुजर–बसर करने वाले कुटुंबों के लिए रोजगार की घोषणा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बीपीएल और एपीएल कुटुंबों के लिए क्या दृष्टिपत्र तैयार किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त तकनीकी तथा वित्तीय सहायता से संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए एक साथ सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत जनगणना, 2011 आयोजित की गई है। देश में ग्रामीण तथा शहरी परिवारों की घर–घर जाकर की जाने वाली जनगणना में जनांकिकी, आवास/आश्रय, रोजगार, आय, परिसंपत्तियों, भूमि तथा सुविधाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र किए गए।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पत्र में तीव्र, स्थायी तथा अधिक समावेशी विकास का प्रावधान है।

गैर–प्राथमिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति

654. श्री रमेश राठौड़ :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री सी. शिवासामी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गैर–प्राथमिक क्षेत्रों के लिए गैस की आपूर्ति कम करके उसका उपयोग विद्युत और उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित प्रत्येक राज्य के क्या विचार हैं; और

(घ) कृष्णा–गोदावरी बेसिन के कई ब्लॉकों में उत्पादन में तेजी से गिरावट आने का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) केजी–डी 6 गैस के उत्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सभी ग्राहकों को उन दिनों, जब कुल उत्पादन हस्ताक्षरित जीएसपीएज (गैस बिक्री और खरीद करार) से कम हो, फर्म आबंटन से संबंधित आपूर्ति से यथानुपात कमी करने के लिए दिनांक 12.07.2010 को एक आदेश जारी किया था।

चूंकि गैस के उत्पादन में लगातार गिरावट जारी रही अतः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनता के व्यापक हित में दिनांक 30.03.2011 के आदेश द्वारा केजी–डी 6 संविदाकारों को निदेश दिया है कि :–

(i) महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात उर्वरक एलपीजी, विद्युत और सीजीडी (घरेलू और परिवहन) क्षेत्रों को ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन (ईडब्लयूपीएल) के प्रचालन के लिए आवश्यक गैस के अलावा की जाने वाली आपूर्ति उत्पादन स्तरों का ध्यान रखे बगैर अन्य क्षेत्रों को की जानेवाली किसी भी आपूर्ति से पहले उनके फर्म आबंटन की सीमा तक पूर्ण रूप से पूरी की जाए।

(ii) इसके अलावा, यदि उत्पादन में कमी के कारण शेष क्षेत्रों की फर्म मांग पूरी करने में कोई कमी पड़ रही हो तो गैर–महत्वपूर्ण क्षेत्र के ग्राहकों की जाने वाली आपूर्ति में यथानुपात कमी की जाए।

(iii) यदि अभी भी केजी–डी 6 गैस का उत्पादन महत्वपूर्ण क्षेत्र की मांग पूरी करने के लिए अपर्याप्त रहता है तो कमी विपरीत क्रम अर्थात सीजीडी (घरेलू और

परिवहन), विद्युत, एलपीजी और अंत में उर्वरक को की जाने वाली आपूर्ति में की जाएगी।

(ग) हरियाणा, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने अनुरोध किया है कि उनके राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस आबंटित की जाए।

(घ) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में केजी-डी6 से गैस का उत्पादन अप्रैल, 2009 में शुरू हुआ और मार्च, 2010 में 60 एमएमएससीएमडी के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद उत्पादन में लगातार कमी हो रही है और जनवरी, 2012 के दौरान केजी-डी 6 से 36.75 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति की गई थी।

कच्चे तेल के मूल्य

655. **श्री हसन खान :**

श्री राकेश सिंह :

श्री बदरुद्दीन अजमल :

श्री ताराचन्द भगोरा :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री जगदीश शर्मा :

श्री जोस के. मणि :

श्री हंसराज गं. अहीर :

श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान देश-वार कितने-कितने कच्चे तेल का आयात किया गया और उसका वित्तीय प्रभाव कितना पड़ा;

(ख) इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य क्या है और कच्चे तेल के बढ़ते मूल्य का भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों और ईरान द्वारा यूरोपियन देशों को तेल की आपूर्ति रोके जाने का भारत में ईरान से होने वाले तेल आयात पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो ईरान द्वारा तेल की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में भारत द्वारा कौन-कौन से वैकल्पिक उपाय किए गए हैं और उसके तेल के बकाए राशि के भुगतान के लिए किस भुगतान तंत्र का पता लगाया जा रहा है; और

(ङ) देश में कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत नियंत्रित रखने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तेल कंपनियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान आयात किए गए कच्चे तेल का कुल मूल्य क्रमशः 3,75,277 करोड़ रुपए और 4,55,276 करोड़ रुपये है।

(ख) 9 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का मूल्य निम्नवत् है :

ब्रेंट क्रूड : 127.54 डालर/बैरल

कच्च तेल का भारतीय बास्केट : 125.13 डालर/बैरल

आयात बिल बढ़ने के अतिरिक्त, कच्चे तेल और उत्पाद मूल्यों में वृद्धि घरेलू मूल्यों पर ऊर्ध्वगामी दबाव डालती है। तथापि, चूंकि बढ़ते मूल्यों से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों को घटाया-बढ़ाया जाता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि तेल विपणन कंपनियों द्वारा झेली गई अल्प-वसूलियों को बढ़ाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिसम्बर, 2010 में एशियन क्लियरिंग यूनियन व्यवस्था को वापस लिए जाने के बाद सरकार ने अगस्त, 2011 से एक नई भुगतान व्यवस्था प्रचालित की है जिसके तहत ईरान से कच्चे तेल का आयात करने के लिए नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी (एनआईओसी) को देय सभी बकाया भुगतानों का, देय होने पर निपटान किया जा रहा है।

(ङ) विश्व के किसी क्षेत्र विशेष पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत कच्चे तेल के आयात के अपने स्रोतों को विविध करने का सचेत प्रयास करता रहा है। वर्ष 2011-12 के दौरान, देश ने विभिन्न महाद्वीपों में फैले 30 से अधिक देशों से

कच्चा तेल आयात किया था। पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कच्चे तेल की प्रचलित मांग/आपूर्ति परिदृश्य और सट्टेबाजी तथा भू-राजनीतिक मुद्दों सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अन्य संबंधित कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तथापि, आम आदमी को बचाने के लिए, सरकार डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों को घटाती-बढ़ाती रहती है और इन उत्पादों के मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से कम हैं।

विवरण

2009-10 तथा 2010-11 के दौरान देश-वार
कच्चे तेल का आयात

(मिलियन मी. टन)

			2009-10	2010-11
			1	2
मध्य पूर्व	1	ईरान	21.20	18.50
	2	इराक	14.96	16.83
	3	कुवैत	11.80	11.49
	4	न्यूट्राल जोन	3.05	2.36
	5	ओमान	5.39	5.05
	6	कतर	5.42	5.72
	7	सऊदी अरबिया	27.13	27.39
	8	सीरिया	0.23	0.00
	9	यूएई	11.60	14.74
	10	यमन	2.92	2.90
		उप योग	103.70	104.98
अफ्रीका	11	अल्जीरिया	1.83	2.65
	12	अंगोला	8.99	9.95
	13	कैमरुन	0.28	0.33
	14	चाद	0.29	–
	15	कोंगो	1.46	0.91
	16	मिश्र	3.05	1.76
	17	इक्वेटोरियल गिनी	1.25	1.38
	18	कीनिया	0.00	–
	19	गाबोन	0.14	0.45
	20	आइब्रो कोस्ट	0.00	–
	21	लीबिया	0.95	1.09
	22	नाइजीरिया	13.20	15.81
	23	पश्चिम अफ्रीका	0.24	–
	24	कोट डी आइबोरे (आइबोरी कोस्ट)	0.15	–
	25	सूडान	1.11	1.25
		उप योग	32.91	35.58
एशिया	26	ब्रूनेई	0.91	0.93
	27	चीन	0.14	–
	28	मलेशिया	2.64	2.21
	29	सिंगापुर	0.00	–
	30	दक्षिण कोरिया	0.26	0.13
		उप योग	3.95	3.27
द. अमेरिका	31	ब्राजील	2.56	2.88
	32	कोलोम्बिया	0.85	1.33
	33	इक्येडोर	1.31	0.45
	34	पनामा	0.07	–
	35	वेनेजुल्ला	7.30	10.40
		उप योग	12.10	15.05
यूरेशिया	36	अजरबेजान	2.26	0.76
	37	कजाखस्तान	0.13	–
	38	रूस	1.59	0.78
		उप योग	3.99	1.54

			1	2
उ. अमेरिका	39	कनाडा	0.08	–
	40	मैक्सिको	1.89	1.28
		उप योग	1.97	1.28
यूरोप	41	तुर्की	0.13	0.00
	42	यू.के.	0.09	0.00
		उप योग	0.23	0.00
आस्ट्रेलिया	43	आस्ट्रेलिया	0.36	1.69
	44	नार्वे	0.00	0.20
		योग	159.20	163.59

आरपीएफ अधिनियम में संशोधन

656. **श्री अधलराव पाटील शिवाजी :**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :
श्री डी. बी. चन्द्रे गौड़ा :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का प्रस्ताव रेल परिसरों को प्रदान की जा रही सुरक्षा से राजकीय रेल पुलिस को हटा लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर होने वाले अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए रेलवे के अधीन केंद्रीय बल को सशक्त बनाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और क्या कुछ राज्य सरकारों ने उक्त कदम का सख्त विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) यात्री क्षेत्र में यात्रियों से संबंधित अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने हेतु रेल सुरक्षा बल को शक्तियां देने के लिए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 (रेसुब अधिनियम) में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव में रेलवे पर मौजूदा प्रचलित रेसुब, रारेपु औरजिला पुलिस वाली तीन टियर प्रणाली के स्थान पर रेसुब और जिला पुलिस वाली दो टियर प्रणाली पर विचार किया गया है। राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के परामर्श से उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

पीएनजी नेटवर्क

657. **श्री सोमेन मित्रा :**
श्रीमती ज्योति धुर्वे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में कुकिंग गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुकिंग गैस पाइपलाइन हेतु राष्ट्रीय ग्रिड के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ऐसे शहरो का ब्यौरा क्या है जहां कुकिंग गैस पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) कुकिंग गैस के लिए पाइपलाइन का विस्तार किए जाने के संबंध में सरकार के निर्णय पर आईओसी, आईबीपी, एचपीसीएल और बीपीसीएल के डीलरों और वितरकों द्वारा क्या आपत्तियां, यदि कोई हों, की गई हैं, और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) और (ख) देश में नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के लिए प्राधिकृत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजी आरबी) ने बोर्ड को प्रस्तुत की गई रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर और स्वतः स्फूर्त आधार पर 300 से अधिक संभावित भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क विकास (सीएनजी/ पीएनजी) के एक रोल आउट योजना की परिकल्पना की है। इन भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पीएनजी कनेक्शन सीजीडी नेटवर्क का भाग है

और भौगोलिक क्षेत्रों (जीए) में पीएनजी नेटवर्क का विकास अन्य बातों के साथ-साथ ट्रंक स्टील पाइपलाइनों की उपलब्धता, तकनीकी व्यवहार्यता, सुरक्षा दृष्टिकोण, भूमि के स्वामित्व प्राप्त एजेंसियों से खुदाई अनुमति प्राप्त होने और ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

(ग) वर्तमान में पीएनजीआरबी द्वारा प्राधिकृत देश के विभिन्न राज्यों में 51 भौगोलिक क्षेत्र प्राधिकृत है जहां घरेलू उपयोग के लिए पीएनजी की आपूर्ति की जा रही है। इन 51 भौगोलिक क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) मंत्रालय को इस संघ में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण-I

सीजीडी नेटवर्क के लिए प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र

क्रम सं.	मार्गस्थ नगर	राज्य
1	2	3
1	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
2	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
3	यनम	आंध्र प्रदेश
4	राजामुंदरी	आंध्र प्रदेश
5	खमाम	आंध्र प्रदेश
6	तिरूपति	आंध्र प्रदेश
7	येलुरू	आंध्र प्रदेश
8	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश
9	गुंटुर	आंध्र प्रदेश
10	नलगोण्डा	आंध्र प्रदेश
11	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
12	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश
13	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश
14	भीमूपटनम	आंध्र प्रदेश
15	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
16	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
17	सिकंदराबाद★	आंध्र प्रदेश
18	सांगारेड्डी	आंध्र प्रदेश
19	जाहिराबाद	आंध्र प्रदेश
20	सौंध	आंध्र प्रदेश
21	माल्लावरम	आंध्र प्रदेश
22	वारंगल	आंध्र प्रदेश
23	करीमनगर	आंध्र प्रदेश
24	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश
25	आदिलाबाद	आंध्र प्रदेश
26	कोटागड्डम	आंध्र प्रदेश
27	दुलियाजान	असम
28	डिबरूगढ़	असम
29	शिवसागर	असम
30	मोरन	असम
31	जोरहट	असम
32	सिलचर	असम
33	नवादा	बिहार
34	दियोगढ़	बिहार
35	गया	बिहार
36	सासाराम	बिहार
37	पटना	बिहार
38	अरा	बिहार
39	बक्सर	बिहार
40	जेहनाबाद	बिहार
41	अरहा	बिहार

1	2	3
42	चंडीगढ़	चंडीगढ़
43	रायपुर	छत्तीसगढ़
44	दुर्ग	छत्तीसगढ़
45	भिलाई	छत्तीसगढ़
46	दमन★	दमन एवं सिलवासा
47	सिलवासा★	दमन एवं सिलवासा
48	दिल्ली	दिल्ली
49	गोवा	गोवा
50	हजीरा	गुजरात
51	इलाहाबाद	उ.प्र.
52	गाजीपुर	उ.प्र.
53	बलिया	उ.प्र.
54	मिर्जापुर	उ.प्र.
55	सूरत	गुजरात
56	अंकलेश्वर★	गुजरात
57	भरूच★	गुजरात
58	बड़ोदरा	गुजरात
59	दाहोद	गुजरात
60	वलसाड	गुजरात
61	नवसारी	गुजरात
62	बिल्लीमोरा★	गुजरात
63	गनदेवी★	गुजरात
64	खम्भात	गुजरात
65	बल्लभ विद्यानगर	गुजरात
66	हलोल–कलोल	गुजरात
67	खेडा	गुजरात

1	2	3
68	अहमदाबाद	गुजरात
69	गांधीनगर	गुजरात
70	मेहसाना	गुजरात
71	साबरकांडा	गुजरात
72	सुरेंद्रनगर	गुजरात
73	राजकोट	गुजरात
74	जामनगर	गुजरात
75	भुज	गुजरात
76	कांडला	गुजरात
77	भावनगर	गुजरात
78	बांसकाडा	गुजरात
79	उमबेरगांव★	गुजरात
80	यमुनानगर	हरियाणा
81	जगादरी★	हरियाणा
82	डबवाली	हरियाणा
83	फरीदाबाद	हरियाणा
84	गुड़गांव	हरियाणा
85	रिवाड़ी	हरियाणा
86	रोहतक	हरियाणा
87	हिसार	हरियाणा
88	जींद	हरियाणा
89	सोनीपत	हरियाणा
90	पानीपत	हरियाणा
91	करनाल★	हरियाणा
92	कुरूक्षेत्र	हरियाणा
93	अम्बाला	हरियाणा

1	2	3
94	जम्बू	ज.एवं क.
95	कटरा	ज.एवं क.
96	उधमपुर	ज.एवं क.
97	छोटानागपुर★	झारखंड
98	धनबाद	झारखंड
99	गिरिडीह	झारखंड
100	कोडरमा	झारखंड
101	हजारीबाग	झारखंड
102	बोकारा	झारखंड
103	चमरंजमनगर	कर्नाटक
104	कोल्लेगल	कर्नाटक
105	भदौही	उ.प्र.
106	मऊ	उ.प्र.
107	जौनपुर	उ.प्र.
108	सुल्तानपुर	उ.प्र.
109	मैसूर	कर्नाटक
110	रामनगरम	कर्नाटक
111	बैंगलुरू	कर्नाटक
112	कोलर	कर्नाटक
113	कोलर गोल्ड फील्ड★	कर्नाटक
114	मुलबगल	कर्नाटक
115	बांगरपेट	कर्नाटक
116	कनकपुरा	कर्नाटक
117	रामानगरम	कर्नाटक
118	कुनीगल	कर्नाटक
119	श्री रंगापटनम	कर्नाटक
120	मण्डया	कर्नाटक
121	हसन	कर्नाटक
122	साकलशपुर	कर्नाटक
123	चिकमंगलूर	कर्नाटक
124	मादीकेरा	कर्नाटक
125	मंगलोर	कर्नाटक
126	सूरतकल	कर्नाटक
127	उदुपी	कर्नाटक
128	कासरकोद	कर्नाटक
129	तुमकुर	कर्नाटक
130	कोपल	कर्नाटक
131	हाम्पी	कर्नाटक
132	चितराडग	कर्नाटक
133	देवनगेरे	कर्नाटक
134	गदग	कर्नाटक
135	बेल्लारी	कर्नाटक
136	शिमोगा	कर्नाटक
137	हुबली–धारवाड़	कर्नाटक
138	चारवाडमारगा	कर्नाटक
139	होमनावाड	कर्नाटक
140	बिदार	कर्नाटक
141	कारकल	केरल
142	कासरगोड	केरल
143	माडिकेरी	केरल
144	कन्नूर	केरल
145	माहे	केरल

1	2	3
146	कालपेट्टा	केरल
147	खोजिखोड	केरल
148	मल्लापुरम	केरल
149	पालकड (पालघाट)	केरल
150	थ्रिस्सूर	केरल
151	एरनालायूलम	केरल
152	कोच्चि	केरल
153	कोटयाम	केरल
154	आलपूझा	केरल
155	पेरियार	केरल
156	कोल्लम	केरल
157	थिरूवंतपुरम	केरल
158	झाबुआ	मध्य प्रदेश
159	आजमगढ़	उ.प्र.
160	अकबरपुर	उ.प्र.
161	फैजाबाद	उ.प्र.
162	काशीपुर	उत्तराखंड
163	धार	मध्य प्रदेश
164	रतलाम	मध्य प्रदेश
165	शाहजहांपुर	मध्य प्रदेश
166	उज्जैन★	मध्य प्रदेश
167	इंदौर	मध्य प्रदेश
168	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
169	विजयपुर	मध्य प्रदेश
170	गुना★	मध्य प्रदेश
171	राघोगढ़★	मध्य प्रदेश

1	2	3
172	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
173	दतिया	मध्य प्रदेश
174	देवास	मध्य प्रदेश
175	मंदसौर	मध्य प्रदेश
176	हौशांगाबाद	मध्य प्रदेश
177	भोपाल	मध्य प्रदेश
178	सेहोर	मध्य प्रदेश
179	रायसेन	मध्य प्रदेश
180	विदिशा	मध्य प्रदेश
181	शाहडोल	मध्य प्रदेश
182	बेतूल	मध्य प्रदेश
183	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश
184	नागपुर	महाराष्ट्र
185	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
186	रत्नागिरी	महाराष्ट्र
187	सतारा	महाराष्ट्र
188	अलीबाग	महाराष्ट्र
189	मुंबई	महाराष्ट्र
190	चंद्रापुर	महाराष्ट्र
191	गडचिरोली	महाराष्ट्र
192	यवतमाल	महाराष्ट्र
193	वर्धा	महाराष्ट्र
194	सोलापुर	महाराष्ट्र
195	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र
196	करमला	महाराष्ट्र
197	लातूर	महाराष्ट्र

1	2	3
198	अहमदनगर	महाराष्ट्र
199	शिरडी	महाराष्ट्र
200	नासिक	महाराष्ट्र
201	पुणे	महाराष्ट्र
202	लोनावाला	महाराष्ट्र
203	खोपोली★	महाराष्ट्र
204	माथेरन	महाराष्ट्र
205	वडगांव	महाराष्ट्र
206	पनवेल	महाराष्ट्र
207	कल्याण	महाराष्ट्र
208	थाणे	महाराष्ट्र
209	शाहपुर	महाराष्ट्र
210	मुरादाबाद	महाराष्ट्र
211	तारापुर	महाराष्ट्र
212	अमरावती	महाराष्ट्र
213	रामनगर★	उत्तराखंड
214	रूड़की	उत्तराखंड
215	हरिद्वार	उत्तराखंड
216	रूद्रपुर	उत्तराखंड
217	हल्दिया	पश्चिम बंगाल
218	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
219	परलखेमुदी	उड़ीसा
220	राउरकेला	उड़ीसा
221	छत्तरपुर	उड़ीसा
222	खोरधा	उड़ीसा
223	भुवनेश्वर	उड़ीसा

1	2	3
224	जाजपुर	उड़ीसा
225	भदारक	उड़ीसा
226	अन्नापुर	उड़ीसा
227	कामख्यानगर	उड़ीसा
228	बालेश्वर	उड़ीसा
229	बारीपाडा	उड़ीसा
230	पांडिचेरी	पुदुच्चेरी
231	राजपुरा	पंजाब
232	नांगल	पंजाब
233	पटियाला	पंजाब
234	मंडी गोबिन्दगढ़	पंजाब
235	संगरूर	पंजाब
236	लुधियाना	पंजाब
237	जालंधर	पंजाब
238	अमृतसर	पंजाब
239	भठिण्डा	पंजाब
240	पठानकोट	पंजाब
241	होशियारपुर	पंजाब
242	कोटा	राजस्थान
243	बांसवाड़ा	राजस्थान
244	डुंगरपुर	राजस्थान
245	उदयपुर	राजस्थान
246	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
247	भीलवाड़ा	राजस्थान
248	जयपुर	राजस्थान
249	जोधपुर	राजस्थान

1	2	3
250	झुंझुन्नू	राजस्थान
251	बीकानेर	राजस्थान
252	श्रीगंगानगर	राजस्थान
253	अजमेर	राजस्थान
254	बाड़मेर	राजस्थान
255	जैसलमेर	राजस्थान
256	भिवाड़ी	राजस्थान
257	होसुर	तमिलनाडु
258	कृष्णागिरी	तमिलनाडु
259	खिचपुरम	तमिलनाडु
260	चेन्नई	तमिलनाडु
261	कांचिपुरम	तमिलनाडु
262	तिरूवन्नमलाई	तमिलनाडु
263	कलकुरिचिचि	तमिलनाडु
264	धर्मपुरी	तमिलनाडु
265	कुडालोर	तमिलनाडु
266	सेलम	तमिलनाडु
267	परमबालूर	तमिलनाडु
268	लालगुडी	तमिलनाडु
269	हल्द्वानी	उत्तराखंड
270	काठगोदाम★	उत्तराखंड
271	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल
272	मेदीनपुर	पश्चिम बंगाल
273	बंकुरा	पश्चिम बंगाल
274	नामकल्ल	तमिलनाडु
275	कारूर	तमिलनाडु

1	2	3
276	एरोड	तमिलनाडु
277	तिरूचरापल्ली	तमिलनाडु
278	थांजवूर	तमिलनाडु
279	डिंडीगुल	तमिलनाडु
280	पाडुनकोटाय	तमिलनाडु
281	मदुरई	तमिलनाडु
282	वीरूडूंनगर	तमिलनाडु
283	आरूपुकोटाई	तमिलनाडु
284	कोविलपट्टी	तमिलनाडु
285	तिरूवलवेलि	तमिलनाडु
286	तूतीकोरिन	तमिलनाडु
287	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
288	उधागम्मउदलम	तमिलनाडु
289	तिरूट्टानी	तमिलनाडु
290	अगरतला	त्रिपुरा
291	झांसी	उ.प्र.
292	लखनऊ	उ.प्र.
293	औरिया	उ.प्र.
294	दिबियापुर★	उ.प्र.
295	फाफूंद★	उ.प्र.
296	बाबरपुर★	उ.प्र.
297	मेनपुरी	उ.प्र.
298	इटावा	उ.प्र.
299	जगदीशपुर	उ.प्र.
300	बदायूं	उ.प्र.
301	शाहजहांपुर	उ.प्र.

1	2	3
302	बरेली	उ.प्र.
303	उन्नाव★	उ.प्र.
304	कानपुर	उ.प्र.
305	अलीगढ़	उ.प्र.
306	हाथरस	उ.प्र.
307	फिरोजाबाद	उ.प्र.
308	खुर्जा	उ.प्र.
309	बुलंदशहर★	उ.प्र.
310	दादरी	उ.प्र.
311	मेरठ	उ.प्र.
312	मोदीनगर	उ.प्र.
313	मुजफ्फरनगर	उ.प्र.
314	सहारनपुर	उ.प्र.
315	नोएडा	उ.प्र.
316	ग्रेटर नोएडा★	उ.प्र.
317	गाजियाबाद	उ.प्र.
318	हापुड़	उ.प्र.
319	गढ़मुक्तेश्वर	उ.प्र.
320	मुरादाबाद	उ.प्र.
321	रामपुर	उ.प्र.
322	आगरा	उ.प्र.
323	मथुरा	उ.प्र.
324	तलमक	पश्चिम बंगाल
325	कौरा	पश्चिम बंगाल
326	अलीपुर	पश्चिम बंगाल
327	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
328	आसनसोल	पश्चिम बंगाल

विवरण–II

01.03.2012 को वर्तमान सीजीडी नेटवर्क में विद्यमान पीएनजी नेटवर्क वाला भौगोलिक क्षेत्र

क्रम सं.	भौगोलिक क्षेत्र	राज्य
1	2	3
1	सोनीपत	हरियाणा
2	गुड़गांव	हरियाणा
3	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
4	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
5	तिनसुखिया	असम
6	डिब्रूगढ़	असम
7	सिबसाबर	असम
8	गोलाघाट	असम
9	दुलियाजान	असम
10	मोरान	असम
11	नाजिरा	असम
12	डिग्बोई	असम
13	नाहरकटिया	असम
14	मार्घेरिटा	असम
15	जोरहाट	असम
16	गांधीनगर	गुजरात
17	साबरकांठा	गुजरात
18	मेहसाना	गुजरात
19	नाडियाड	गुजरात
20	हलोल	गुजरात
21	हजीरा	गुजरात
22	राजकोट	गुजरात

1	2	3
23	खम्भात	गुजरात
24	मोर्बी	गुजरात
25	सल्साद	गुजरात
26	नवसारी	गुजरात
27	सुंदरनगर	गुजरात
28	अहमदाबाद	गुजरात
29	वडोदरा	गुजरात
30	सूरत	गुजरात
31	अंकलेश्वर	गुजरात
32	भरूच	गुजरात
33	आणंद	गुजरात
34	देवास	मध्य प्रदेश
35	उज्जैन सहित इंदौर	मध्य प्रदेश
36	पुणे	महाराष्ट्र
37	मुंबई एवं ग्रेटर मुंबई	महाराष्ट्र
38	ठाणे शहर एवं समीपवर्ती क्षेत्र	महाराष्ट्र
39	दिल्ली	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
40	कोटा	राजस्थान
41	मेरठ	उत्तर प्रदेश
42	मथुरा	उत्तर प्रदेश
43	आगरा	उत्तर प्रदेश
44	कानपुर	उत्तर प्रदेश
45	बरेली	उत्तर प्रदेश
46	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
47	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश
48	नौएडा	उत्तर प्रदेश
49	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश
50	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
51	अगरतला	त्रिपुरा

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के लिए हॉल्ट और ठहराव

658. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्री अजय कुमार :
श्रीमती कमला देवी पटले :
श्री नारायण सिंह अमलाबे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव मालिया (गुजरात), नैल्ला (बिलासपुर जिला) में और कोटा–इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस (19801/19802) का ठहराव पचोर (मध्य प्रदेश) में देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा कब तक दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे ने खड़गपुर–टाटानगर मंडल के बीच स्थित चावुलिया में हावड़ा–रांची एक्सप्रेस 18617/18618 के ठहराव को पुनः बहाल करने का भी प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) इस समय मलिया–मियाना, नैला और पचौर रोड स्टेशनों पर किसी भी गाड़ी को ठहराव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में सुरक्षा

659. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :
श्री कीर्ति आजाद :

श्रीमती भावना पाटील गवली :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2008 में रेलवे द्वारा पहचान किए गए अत्यधिक जोखिम-प्रवण स्टेशनों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए भारतीय रेल द्वारा क्या सुरक्षा प्रणाली तैयार की गई है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या वर्ष 2009 में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को संशोधित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और किए गये संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त प्रणाली के अंतर्गत चयनित स्टेशनों को कवर करने वाली योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में रेलवे द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) से (ग), (च) और (छ) भारतीय रेलों में संवेदनशील और भेद्य स्टेशनों के रूप में 202 स्टेशनों की पहचान की गई है। इन स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित किए जाने का विनिश्चय किया गया है। इस प्रणाली में निम्नलिखित घटक होंगे :-

(i) इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली

(ii) एक्सेस कंट्रोल

(iii) पर्सनल एवं बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली

(iv) बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल प्रणाली

इस कार्य को चरणबद्ध आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। 54 स्टेशनों पर ठेके पहले ही आबंटित कर दिए गए हैं और कार्य अंतिम चरण में है। शेष स्टेशनों पर भी कार्य संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। भारतीय रेलों में पहली बार एकीकृत सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। कुछ तकनीकी कारणों से प्रारंभ में कुछ देरी हुई थी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उपरिगामी सेतु और अधोगामी सेतु का निर्माण

660. श्री भरत राम मेघवाल :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

श्रीमती कमला देवी पटले :

श्री पी. करूणाकरन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मानव-रहित एवं मानवयुक्त संचार/उपमार्ग/संपर्क सड़क-रेल सेतु/पैदल उपरिगामी सेतु (एफओबी) परियोजना के साथ-साथ रेलवे उपरिगामी सेतु/रेलवे अधोगामी सेतु की चालू परियोजना की मौजूदा स्थिति और अवस्थिति क्या है तथा ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए आबंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मानवयुक्त और मानव-रहित संचार/पैदल पार पथ/संपर्क सड़क-रेल सेतु/पैदल उपरिगामी सेतु (एफओबी) के साथ-साथ प्रत्येक रेलवे उपरिगामी सेतु/अधोगामी सेतु से संबंधित ऐसी परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जो समय से पीछे चल रही हैं और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) देश में मानव-रहित एवं मानवयुक्त संचार/उपमार्ग/रेल संपर्क सेतु/पैदल उपरिगामी सेतु (एफओबी) संबंधी परियोजनाओं सहित रेल उपरिगामी सेतु/अधोगामी सेतु के निर्माण संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर करने के लिए रेलवे द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गये/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) देश में चालू रेलवे ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल (आरओबी/आरयूबी)/सबवे/लिंक रोड रेल पुल/ऊपरी पैदल पुल (एफओबी) परियोजनाओं को आबंटित धनराशि के साथ संख्या तथा जोनवार कार्यों की स्थिति (क्योंकि राज्य-वार डाटा नहीं रखा जाता है) दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

राज्य सरकार के परामर्श से लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल/सबवे सामान्यतः सड़क प्राधिकरण (ऊपरी सड़क पुल के पहुंच मार्ग) तथा रेलों (पुल भाग) द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए जाते हैं। इन्हें पूरा करने की लक्ष्य तिथि भूमि अधिग्रहण, राज्य सरकार के साथ धनराशि की उपलब्धता, राज्य बजट में तदनुरूपी कार्य की स्वीकृति, सामान्य व्यवस्था आरेखण का अनुमोदन, ठेके प्रदान करने आदि जैसे कुछ तथ्यों पर निर्भर करती है। धनराशि की उपलबधता तथा पहुंच मार्गों तथा पुल विशेष पर कार्यों की वास्तविक प्रगति के अनुसार ऐसे कार्यों को पूरा करने की लक्ष्य तिथि निर्धारित की जाती हैं।

(ग) और (घ) रेलवे निर्माण कार्यक्रम 2012–13 में शामिल करने के लिए 364 ऊपरी सड़क पुल तथा 2609 निचले सड़क पुल/सबवे वाले प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल का निर्माण सड़क प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त कार्य है। ऐसी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए इनकी प्रगति को विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है तथा प्रायोजक प्राधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण-I

क्रम सं.	रेलवे	पिंक बुक 2011-12 में दर्शाए गए कार्यों की सं.	20111-12 के दौरान आबंटित निधि (करोड़ रु. में)	पूर्ण कार्य (जनवरी, 2012 तक)	कार्य प्रगति में (जनवरी, 2012 तक)
1	मध्य	14	27	0	6
2	पूर्व	59	72	12	7
3	पूर्व मध्य	69	105	14	11
4	पूर्व तट	34	62	8	11
5	उत्तर	132	176	20	49
6	उत्तर मध्य	60	98	7	24
7	पूर्वोत्तर	26	36	4	6
8	पूर्वोत्तर सीमा	6	26	4	0
9	उत्तर पश्चिम	46	71	12	9
10	दक्षिण	211	83	7	66
11	दक्षिण मध्य	101	216	20	29
12	दक्षिण पूर्व	24	34	2	12
13	दक्षिण पूर्व मध्य	29	58	6	4
14	दक्षिण पश्चिम	62	55	11	10
15	पश्चिम	42	46	9	5
16	पश्चिम मध्य	36	37	7	13
	कुल	951	1200	143	260

विवरण-II

स्वीकृत ऊपरी पैदल पुलों (एफओबी) का ब्यौरा

क्रम सं.	रेलवे	पिंक बुक 2011-12 में दर्शाए गए ऊपरी पैदल पुल (एफओबी) के कार्यों की सं.	31.03.2012 तक आबंटित निधि (करोड़ रु. में)
1	मध्य	5	3.76
2	पूर्व	15	1.79
3	पूर्व मध्य	4	4.54
4	पूर्व तट	2	4.92
5	उत्तर	1	5.65
6	उत्तर मध्य	4	15.65
7	पूर्वोत्तर	-	-
8	पूर्वोत्तर सीमा	2	3.55
9	उत्तर पश्चिम	-	-
10	दक्षिण	40	6.62
11	दक्षिण मध्य	-	-
12	दक्षिण पूर्व	1	1.58
13	दक्षिण पूर्व मध्य	2	1.81
14	दक्षिण पश्चिम	-	-
15	पश्चिम	11	16.64
16	पश्चिम मध्य	3	2.78
	कुल	90	69.29

[अनुवाद]

नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी (नैनो मिशन)

661. **श्रीमती अन्नू टंडन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी (नैनो मिशन) के अंतर्गत अब तक हासिल उपलब्धि क्या है;

(ख) क्या इसके अंतर्गत चिकित्सा प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट प्रौद्योगिकी विकसित की गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) भारत सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 5 वर्षों के लिए 3 मई, 2007 को नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी (नैनो मिशन) पर एक मिशन का शुभारंभ किया था। इस मिशन द्वारा उपलब्ध कराए गए नीतिगत नेतृत्व और इसके अपने कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास के लिए एक अच्छी अवसंरचना का निर्माण किया गया है, वैज्ञानिक प्रकाशनों के रूप में भारत विश्व में छठे स्थान पर उभरा है, लगभग 1,000 अनुसंधानकर्त्ताओं का एक सक्रिय अनुसंधान समुदाय उभर कर आया है और देश में रूचिकर कुछ अनुप्रयोग पहले ही सामने आए हैं। इसलिए इस मिशन के प्रोत्साहन के कार्यकलापों ने भविष्य में और अधिक सशक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की नींव रखी है। इस नैनो मिशन द्वारा अभी तक किए गए मुख्य कार्यकलापों को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) चिकित्सा प्रयोजन के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है :

- अमृत चिकित्सा विज्ञान केंद्र, कोच्चि के नैनो-प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित नैनो कण के साथ काईटन/काइटोसेन जैल का उपयोग करते हुए घाव भरने के लिए मैम्ब्रेन ढांचा।

- सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर बॉयलॉजी केंद्र, हैदराबाद एवं यूएसवी, मुंबई द्वारा विकसित ऑफ थैलेमिक औषधि देने हेतु नैनो कण।

विवरण

नैनो मिशन द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलाप

— नैनो विज्ञान पर 12 इकाइयों की स्थापना;

— कम्प्यूटैशनल सामग्री विज्ञान के अतिरिक्त नैनो प्रौद्योगिकी के 07 केंद्रों की स्थापना;

— मोहाली में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना;

— अंतरर्राष्ट्रीय सामग्री विज्ञान केंद्र, जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान अनुसंधान केंद्र (जेएनसीएएसआर), बेंगलोर में एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में अल्ट्रा हाइरिजोलूशन एविरेशन करेक्टेड ट्रोसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्थापना;

— पीईटीआरए III सिंकरोट्रॉन रेडिएशन सोर्स हैम्वर्ग, जर्मनी में बीम लाइन, और सभी बीम लाइनों तक पहुंच की स्थापना;

— आईआईटी कानपुर, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 एक्सीलेटर आधारित अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना;

— देश भर के विभिन्न संस्थानों में विशिष्ट शीर्षकों पर 8 उत्कृष्टता थिमेटिक इकाईयों की स्थापना;

— विदेश में विभिन्न सिंक्रोट्रोन रेडिएशन स्रोत और न्यूटरल स्रोतों पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक को समर्थ बनाना;

— इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियलस् (एमआरसीआई) हैदराबाद में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान प्रबंधन केंद्र (सीकेएमएनटी) की स्थापना;

— इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर, नई दिल्ली में अनुरूपण और आंकड़ा विश्लेषण के लिए कम्प्यूटिंग संसाधनों का संवर्धन;

— देश भर के 17 संस्थानों में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एमएससी/एमटेक कार्यक्रमों की सहायता;

— जेएनसीएसआर, बेंगलोर के माध्यम से पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां प्रदान करना;

— 282 व्यक्तिगत वैज्ञानिक केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं क लिए निधियन;

— 7 अनुप्रयोग–अभिमुखी उद्योग–संस्थानसहयोगात्मक परियोजनाओं के लिए निधियन;

— भारत–कनाडा वैज्ञानिक आदान–प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना;

— 5 उन्नत विद्यालयों का संगठनीकरण;

— कई अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं आदि को सहायता देना;

— नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वार्षिक राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार शुरू करना;

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

662. श्री नवीन जिंदल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत, प्रति परिवार रोजगार के दिनों का राष्ट्रीय औसत और इसमें कार्य करने वाली महिलाओं का राष्ट्रीय प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या वामपंथी आतंकवाद से प्रभावित जिलों में ये आंकड़े इसी अवधि के राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन जिलों में ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन जिलों में मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) से (ग) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले परिवारों

का औसत प्रतिशत, प्रति परिवार रोजगार के दिनों की संख्या, राष्ट्रीय स्तर पर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित समेकित कार्य योजना के लिए निर्धारित जिलों में महिलाओं की भागीदारी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2008–09 को छोड़कर, आईएपी जिलों में कार्य निष्पादन राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित समेकित–कार्य योजना जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

1. मनरेगा कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जिन क्षेत्रों में बैंक/डाकघर पहुंच से पर्याप्त दूर हैं उन क्षेत्रों में नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

2. मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए जिला तथा उप–जिला स्तरों पर पर्याप्त मानव तथा तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने राज्यों को यह सुझाव दिया है कि राज्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत विकास अधिकारी तथा तकनीकी सहायत जैसे कोर पेशेवर कर्मचारियों को तैनात कर सकते हैं।

3. मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2011 की अधिसूचना के जरिए समेकित कार्य योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जिलों में मनरेगा के अंतर्गत खेल के मैदानों के निर्माण की अनुमति देते हुए एक अधिसूचना जारी की है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन को प्रबंधकीय सहायता देने के लिए निर्धारित अवधि के लिए आईएपी जिलों में प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फेलो की नियुक्ति की जाएगी।

(घ) से (च) विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्य निष्पादन पर कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में हिंसा की घटनाओं की वजह से ठेकेदार बोली के लिए आगे नहीं आ रहे हैं जिससे योजना के कार्यान्वयन में विलंब हो जाता है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में निधियों का औसत उपयोग राष्ट्रीय औसत उपयोग से कम है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। तथापि, पीएमजीएसवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/आईएपी जिलों में ठेकेदारों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों में कुछ छूट दी गई है जो कि निम्नानुसार है :–

(i) अन्य क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों की आबादी की तुलना में समेकित कार्य योजना जिले की सभी बसावटें, चाहे वे अनुसूची–V के क्षेत्र में हो या नहीं, वहां 250 और उससे अधिक की आबादी (2001 की जनगणना में)वाली सभी बसावटें पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र होंगी।

(ii) अन्य क्षेत्रों में 50 मीटर की तुलना में समेकित कार्य योजना जिलों में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 75 मीटर तक के पुलों की लागत को भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/आईएपी जिलों के मामले में न्यूनतम निविदा पैकेज की राशि घटाकर 50.00 लाख रू. कर दी गई है।

(iv) कार्यों को पूरा करने के लिए 24 कैलेंडर माह तक की समय सीमा की अनुमति दी जाएगी। तथापि, लागत वृद्धि के कारण किसी भी प्रकार की अतिरिक्त देयता को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यक्रम निधि से वहन नहीं किया जाएगा।

(v) आकलन करते समय तथा डीपीआर तैयार करते समय, ठेकेदारों के संयंत्रों तथा मशीनों आदि के क्षतिग्रस्त होने या जल जाने जैसे जोखिमों के लिए बीमा प्रीमियम की लागत को भी शामिल किया जा सकता है।

इंदिरा आवास योजना को दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन क्षेत्रों में लक्षित समूहों की सहायता के लिए, एक विशेष उपाय के रूप में आईएवाई दिशानिर्देशों में छूट दी गई है और इन्हें निम्नानुसार आशोधित किया गया है :–

(i) इन जिलों को अब दुर्गम क्षेत्रों के रूप में माना गया है और वे पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई 48,500 रू. तक की अधिकतम इकाई सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ii) जिला प्रशासन को यह अनुमति दी गई है कि यदि उसे जरूरत महसूस होती है तो वह वृद्धों, विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए मकानों का निर्माण कर सकता है।

(iii) इन जिलों में समूह दृष्टिकोण अपनाए जाने का अनुरोध किया गया है ताकि सुविधाओं में बेहतर तालमेल लाया जा सके और इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।

(iv) इन जिलों में आईएवाई–एमआईएस की निगरानी, तकनीकी सहायता और रख–रखाव के लिए प्रति मकान 300 रू. का उपयोग किए जाने की अनुमति दी गई है।

विवरण

	2008–09		2009–10		2010–11		2011–12 (16 फरवरी, 2012 तक)	
	राष्ट्रीय	आईएपी (एलडब्ल्यूई)	राष्ट्रीय	आईएपी (एलडब्ल्यूई)	राष्ट्रीय	आईएपी (एलडब्ल्यूई)	राष्ट्रीय	आईएपी (एलडब्ल्यूई)
100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का प्रतिशत	14	11	13	14	10	10	3	5
प्रति परिवार रोजगार के दिवसों की संख्या	48	50	54	56	47	48	34	34
महिला भागीदारी का प्रतिशत	48	46	48	48	48	46	49	46

[हिन्दी]

एमपीएलएडी योजना में कठिनाइयां

663. श्री देवजी एम. पटेल : क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधियां जारी करने में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान राज्य के कितने जिलों में वर्ष 2011–12 की किस्तें अभी तक जारी नहीं की गई हैं;

(घ) क्या जालौर सिरोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एमपीएलएडी योजना के पैरा 3.22 का पूर्णरूपेण अनुसरण किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां जारी करने में कोई कठिनाई नहीं आ रही है। तथापि, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम के तहत वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से, निधियां सांसद के संबंधित नोडल जिला प्राधिकारियों से पात्रता मानदंड दर्शाने वाली मासिक प्रगति रिपोर्ट, उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही जारी की जाती हैं।

(ग) 29.02.2012 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान के संसद सदस्यों को जारी की जाने वाली शेष किस्तों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय को राजस्थान में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.22 का पालन न करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जहां कहीं से भी एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन की रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, राज्य सरकार के प्राधिकारियों को सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए दे जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जिला	जारी किए जाने के लिए शेष किस्तें
1	अजमेर	अजमेर	II/2011-12
2	अलवर	अलवर	II/2011-12 तथा इसके पश्चांत की किस्तें
3	बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	बांसवाड़ा	II/2011-12
4	बाड़मेर	बाड़मेर	II/2011-12 तथा इसके पश्चात की किस्तें
5	राजसमंद	राजसमंद	II/2011-12 तथा इसके पश्चात की किस्तें
6	भरतपुर (अ.जा.)	भरतपुर	II/2011-12
7	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	II/2011-12 तथा इसके पश्चात की किस्तें
8	बीकानेर (अ.जा.)	बीकानेर	II/2011-12
9	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	II/2011-12
10	चुरू	चुरू	-
11	दौसा (अ.ज.जा.)	दौसा	II/2011-12
12	गंगानगर (अ.जा.)	श्री गंगानगर	II/2011-12
13	जयपुर ग्रामीण	जयपुर	II/2011-12
14	जालौर	जालौर	II/2011-12
15	झालावाड़ - बारां	झालावाड़	II/2011-12
16	झुंझुनु	झुंझुनू	-
17	जोधपुर	जोधपुर	II/2011-12
18	कोटा	कोटा	II/2011-12 तथा इसके पश्चात की किस्तें
19	नागौर	नागौर	II/2011-12 तथा इसके पश्चात की किस्तें
20	पाली	पाली	II/2011-12
21	करौली-धौलपुर (अ.जा.)	करौली	II/2011-12
22	टोंक-सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	II/2011-12
23	सीकर	सीकर	II/2011-12
24	जयपुर	जयपुर	II/2011-12
25	उदयपुर (अ.ज.जा.)	उदयपुर	II/2011-12

गैर–फास्फोरस उर्वरकों की मांग में कमी

664. श्री राजू शेट्टी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–फास्फोरस उर्वरकों की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में ऐसे उर्वरकों की मांग में 15 प्रतिशत तक गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे सरकार की संतुलित उर्वरक प्रयोग नीति पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 2011–12 (अप्रैल, 2011 से फरवरी, 2012) के दौरान देश में यूरिया और एमओपी जैसे गैर–फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की मांग और उपलब्धता पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में निम्न प्रकार है :

(आंकड़े लाख मी.टन)

एफजी	2010–11 (अप्रैल से फरवरी)		2011–12 (अप्रैल से फरवरी)	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
यूरिया	274.14	269.36	288.68	275.49
एमओपी	44.84	37.77	45.43	27.63

जैसा कि देखा जा सकता है यूरिया की मांग और उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। वर्ष 2011–12 (अप्रैल' 11 से फरवरी' 12 तक) के दौरान यूरिया की उपलब्धता पूरे देश में पर्याप्त रही है। खरीफ, 2011 के दौरान एमओपी की उपलब्धता कम थी। देश में पोटाश का कोई व्यवहार्य स्रोत नहीं है, इसलिए एमओपी की पूरी मांग को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। जुलाई–11 तक मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि होने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एमओपी उत्पादकों द्वारा उत्पादक संघ बनाए जाने के कारण एमओपी के आयात के लिए अनुबंध नहीं किया जा सका था। एमओपी के लिए अनुबंध अगस्त' 11 माह में ही हो पाया था। परिणामस्वरूप, रबी 11–12 में प्रत्यक्ष प्रयोग और एनपीके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के लिए एमओपी की उपलब्धता संतोषजनक हो गई है।

महाराष्ट्र में परियोजनाएं

665. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अभी तक लंबित सर्वेक्षण कार्य सहित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का देश में नये मंडलों का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) रेलवे ने मनमाड–धूले–इंदौर और नासिक–पुणे मार्ग पर कार्य समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) महाराष्ट्र में पूर्णतया/आंशिक रूप से आने वाली 5 नई लाइन, 2 आमान परिवर्तन और 9 दोहरीकरण परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं और ये प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। पूर्णतया/आंशिक रूप से महाराष्ट्र में आने वाली 15 नई लाइन, 2 आमान परिवर्तन और 3 दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) देश में पहले से ही घोषित मंडलों के अलावा किसी नए मंडल के सृजन की रेलवे की कोई योजना नहीं है।

(ग) भागलपुर और थावे में नए रेल मंडल स्थापित किए जाने की घोषणा रेल बजट 2009–10 में की गई थी। इस संबंध में कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

(घ) मनमाड–धूले–इंदौर और नासिक–पुणे स्वीकृत परियोजनाएं नहीं हैं। इसीलिए, इन्हें पूरा किए जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दोनों परियोजनाओं को 'सैद्धांतिक' अनमोदन के लिए योजना आयोग के पास भेजा गया है।

[अनुवाद]

चेरथला में वैगन फैक्ट्री

666. श्री पी. सी. चाको : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेरथला, केरल में वैगन फैक्ट्री की स्थापना के लिए अब तक हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए अब तक कितनी राशि आबंटित/व्यय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) चेरथला में वैगन फैक्टरी स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता का पता लगाया जा रहा है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

मालगाड़ियों में कम लदान

667. **श्रीमती जे. शांता** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मियों द्वारा मालगाड़ियों में कम लदान करने के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कम लदान होने के कारण रेलवे को हुई राजस्व–हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बुनियादी अनुसंधान

668. **श्री एस. पक्कीरप्पा** : क्या **विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बुनियादी अनुसंधान के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कर्नाटक में बुनियादी अनुसंधान का विकास करने के लिए कितनी राशि व्यय की गई हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने हमारे देश को बुनियादी अनुसंधान के स्थान के रूप में विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने संसद के एक अधिनियम के माध्यम से देश में एक स्वायत्त निकाय के रूप में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना करके बुनियादी अनुसंधान के लिए एक नई अवसंरचना का सृजन किया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग बोर्ड की स्थापना से, मौलिक अनुसंधान निधियन के स्तर में पर्याप्त रूप से वृद्धि होने के अतिरिक्त अनुसंधानकर्त्ताओं को आवश्यक स्वायत्ता, अनुसंधान कार्यक्रमों को बनाए तथा निधियों की सुपुर्दगी में लचीलापन और गति भी मिलेगी। बुनियादी विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए अन्य उपायों में वैज्ञानिक विभागों के योजना आबंटन में क्रमिक वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, अकादमी और राष्ट्रीय संस्थानों के उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों और सुविधाओं का सृजन, नई एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियां शुरू करना, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करना, अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञानखोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) शुरू करना आदि शामिल हैं। बुनियादी अनुसंधान को ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए बाहरवीं पंचवर्षीय योजना अवधि हेतु गुणवत्ता और संख्या के रूप में अन्वेषक केंद्रित प्राचीर बाह्य अनुसंधान सहायता कार्यक्रमों के क्षेत्र को संवर्धित करने के अतिरिक्त भारतीय अकादमी में संकाय कार्यों को करने वाले भारतीय डायसपोरा के लिए शुरूआती अनुसंधान अनुदान, विदेशी डॉक्टोरल छात्रवृत्तियां तथा पोस्ट डॉक्टोरल अध्येतावृत्तियां, विज्ञान शिक्षण के लिए शिक्षकों का निर्माण आदि जैसे बहुआयामी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस मंत्रालय ने कर्नाटक में बुनियादी अनुसंधान के विकास करने पर 720.0 करोड़ रूपये की निधि व्यय/स्वीकृत की हैं।

[हिन्दी]

मुस्लिम–बहुल जिलों में पिछड़ापन

669. **श्री नारनभाई कछाड़िया** : क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन वर्षों के भीतर देश में 90 प्रतिशत मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक

पिछड़ेपन संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए कोई नया सर्वेक्षण कराने हेतु कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसका क्या उद्देश्य है;

(ग) उस संगठन का नाम क्या है जिसे इस सर्वेक्षण का कार्य दिया गया है; और

(घ) इस संबंध में रिपोर्ट कब तक मिल जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेजयल में संदूषण के बारे में सर्वेक्षण

670. श्री अंजनकुमार एम. यादव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय भूजल बोर्ड फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट से संदूषित पेयजल वाले बसावटों की पहचान करने के लिए बसावट आधारित सर्वेक्षण करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जी नहीं, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड फ्लोराईड, आर्सेनिक और नाइट्रेट से संदूषित पेय-जल वाली बसावटों को अभिज्ञात करने के लिए बसावट आधारित अध्ययन नहीं करता है।

(ग) विषय-वस्तु को जल संसाधन मंत्रालय के अधिदेश के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

घरेलू शौचालयों का निर्माण

671. श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज की तारीख तक घरों में बनाए गए शौचालयों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में बनाए जा रहे शौचालयों का कार्य अपनी समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) मंत्रालय द्वारा संचालित ऑन-लाइन आंकड़ा निगरानी प्रणाली के जरिए राज्यों द्वारा सूचित प्रगति रिपोर्ट के अनुसार फरवरी, 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत बनाए जाने वाले व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की कुल संख्या 8,55,43,559 बताई गई है।

(ख) से (घ) टीएससी एक मांग जनित कार्यक्रम है जिसे परियोजना मोड में संचालित किया जाता है। इस प्रकार आईएचएचएल के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं है। सूचना, शिक्षा एवं संचार और मानव संसाधन विकास टीएससी के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। व्यक्ति जिन्हें स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, से अपेक्षा की गई है कि वे टीएससी के अंतर्गत संचालित प्रभावित आईईसी के जरिए सृजित आवश्यताओं के अनुसार शौचालयों का निर्माण करें। टीएससी के प्रभावी कार्यान्वयन से परियोजना लक्ष्यों की तुलना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज मंत्रालय द्वारा संचालित ऑन-लाइन निगरानी प्रणाली के जरिए राज्यों द्वारा सूचित प्रगति रिपोर्ट के अनुसार फरवरी, 2012 तक 67 प्रतिशत हो गई है। सृजित प्रभावी मांग की मौजूदा प्रवृत्ति और निधियों की पर्याप्त उपलब्धता से यह अपेक्षा की गई है कि वर्ष 2017 तक टीएससी के अंतर्गत परियोजना के वर्तमान लक्ष्य हासिल कर लिए जाएंगे।

कृषि और ग्रामीण उद्योग

672. श्री अम्बिका बनर्जी : क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कार्यरत कृषि और ग्रामीण उद्योगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों में और अधिक कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना तथा विकास करने के लिए योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा देश में विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में ऐसे उद्योगों के लिए वर्ष–वार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्राम आधारित उद्योगों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में कृषि और ग्रामीण उद्योग के तहत 1.09 लाख खादी और ग्रामोद्योग इकाइयां कार्य कर रही हैं।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल सहित देश के पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति/महिलाओं जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रू. और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू. है। 2008–09 में इसके आरंभ से लेकर 2011–12 (29.02.2012 तक) पीएमईजीपी के तहत मार्जिन मनी सब्सिडी की पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निर्मुक्तियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए केवीआईसी द्वारा पीएमईजीपी के अलावा क्रियान्वित योजनाओं में (i) पारंपरिक उद्योग पुनरूत्थान निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) (ii) उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग (पीआरओडीआईपी) और (iii) बाजार विकास सहायता (एमडीए) शामिल है।

विवरण

पीएमईजीपी के तहत राज्य–वार जारी की गई मार्जिन मनी सब्सिडी

(लाख रू. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008–09 (वास्तविक)	2009–10 (वास्तविक)	2010–11 (वास्तविक)	2011–12★
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू और कश्मीर	1300.00	1820.00	2544.81	2780.57
2.	हिमाचल प्रदेश	452.14	567.79	1374.78	1141.28
3.	पंजाब	1800.00	1290.13	1833.28	1695.61
4.	चंडीगढ़	59.94	0.00	63.98	0.00
5.	उत्तराखंड	1162.25	332.94	1120.18	1123.74
6.	हरियाणा	1431.16	1066.22	1887.82	1396.25
7.	दिल्ली	285.51	–150.00@	173.83	213.02
8.	राजस्थान	3313.19	1625.77	4401.64	3684.10
9	उत्तर प्रदेश	11768.96	9739.75	13848.08	18034.45

1	2	3	4	5	6
10.	बिहार	5152.18	900.00	3504.32	7417.30
11.	सिक्किम	125.80	270.00	173.77	0.00
12.	अरूणाचल प्रदेश	205.72	351.43	248.00	174.63
13.	नागालैंड	430.68	350.00	466.00	695.46
14.	मणिपुर	188.25	300.00	0.00	630.42
15.	मिजोरम	238.28	327.40	306.00	508.00
16.	त्रिपुरा	472.12	350.00	811.25	2868.06
17.	मेघालय	483.96	606.01	515.00	833.43
18.	असम	2050.54	1635.00	5538.00	2022.14
19.	पश्चिम बंगाल	6500.00	7200.00	6719.17	5581.67
20.	झारखंड	2366.52	300.00	1562.68	3620.64
21.	ओडिसा	2946.68	3422.13	4949.26	4220.87
22.	छत्तीसगढ़	1736.78	1952.54	2983.58	3182.97
23.	मध्य प्रदेश	3695.85	709.91	5440.13	5172.54
24.	गुजरात★★	3474.30	234.52	3042.54	6101.97
25.	महाराष्ट्र★★★	6642.23	3150.15	4793.82	4730.07
26.	आंध्र प्रदेश	5319.86	6159.93	7443.94	5568.30
27.	कर्नाटक	3571.24	1979.34	3696.02	3863.96
28.	गोवा	86.59	136.59	391.71	215.22
29.	लक्षद्वीप	6.66	0.00	77.00	0.00
30.	केरल	2123.80	1245.20	3164.19	2910.66
31.	तमिलनाडु	4220.23	3930.61	4389.80	7383.44
32.	पुडुचेरी	59.94	6.57	85.64	82.16

1	2	3	4	5	6
33.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46.25	33.76	171.83	83.22
	केवीआईसी मुख्यालय	282.39			
	योग	7400.00	51843.69	87722.05	97936.14

@2009–10 के दौरान दिल्ली में कम मांग के कारण अन्य राज्यों को 150 लाख रु. का पुनर्वितरण किया गया।

*29.02.2012 तक **दमन दीव सहित, ***दादरा व नगर हवेली सहित

कनिष्ठ शोधकर्त्ताओं की कमी

673. श्री जोस के. मणि : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने औसतन प्रति दस लाख जनसंख्या पर 110 शोधकर्त्ता होने की रिपोर्ट दी है, जो दुनिया में सबसे कम है और जिसके परिणामस्वरूप सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में कनिष्ठ शोधकर्त्ताओं की कमी से अनुसंधान कार्य प्रभावित हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में श्रमशक्ति की कमी से निपटने तथा इसके वर्तमान शोधकर्त्ताओं की दक्षता में बढ़ोत्तरी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। सीएसआईआर की अपनी नामावली में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों में रत लगभग 4500 वैज्ञानिक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सीएसआईआर में लगभग 4000 रिसर्च स्कालर्स अपनी पीएच.डी. डिग्री के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र के सिवाय सीएसआईआर में शोधकर्त्ताओं की कोई कमी नहीं है। इस कमी को समाप्त करने के लिए सीएसआईआर ने इंजीनियरी विषयक स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम (पीजीआरपीई) की शुरूआत की है जिससे युवा इंजीनियरी स्नातक कैरियर के रूप में अनुसंधान को चुन सकेंगे। सीएसआईआर ने राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थान के रूप में वैज्ञानिक एवं नवोन्मेषी अनुसंधान अकादमी (एसीएसआईआर) की भी स्थापना की है। यह एसीएसआईआर परा–विषयी क्षेत्रों में मानव संसाधनों को पोषित करेगी।

जल प्रबंधन और संरक्षण

674. श्री नृपेंद्र नाथ राय : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियां, वर्षा जल संचयन और बेहतर जल प्रबंधन को अपनाने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित राशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक) का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां। सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी डब्ल्यूएम), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर), वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक पुर्नभरण परियोजनाएं, भूमि जल और किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम (एफपीएआरपी) संबंधी मॉडल बिल के परिचालन के माध्यम से आधुनिक तकनीकों के उपयोग सहित पारंपरिक जल संरक्षण उपायों, वर्षा जल संचयन और बेहतर जल प्रबंधन उपायों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किया है और वित्तीय सहायता दी है।

(ख) दिनांक 11.3.2012 की स्थिति के अनुसार XIवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं के राज्य–वार वित्तीय आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण–I पर दिया गया है।

सीएडीडब्ल्यूएम, एआईबीपी और जल निकायों की आरआरआर स्कीम के तहत उपलब्ध करवाई गई राज्य-वार वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II, III और IV में दिया गया है। एफपीएआरपी के तहत वित्तीय सहायता राज्य-वार नहीं बल्कि संस्थान-वार दी गई है। अब तक, इन संस्थानों में 35.90 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

(ग) जल संसाधन विकास और प्रबंधन परियोजनाओं को अधिक से अधिक कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारें एआईबीपी, सीएडलडब्ल्यूएम और जल निकायों की आरआरआर स्कीम के तहत नियमित आधार पर केंद्रीय सहायता प्राप्त करती हैं, विगत तीन वर्षों का विवरण प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में दिया गया है। एफपीएआरपी का पहला चरण 2007-08 में आरंभ किया गया था और किसानों/संस्थाओं की प्रतिक्रिया को देखते हुए इसका दूसरा चरण 2010-11 में शुरू किया गया था। एफपीएआरपी से जल की बचत, फसल उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। अब तक, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने भूमि जल कानून को लागू किया है और 18 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्यों में छत के वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया है।

विवरण-I

ग्यारवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा (11.3.2012 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	कार्यान्वित की जा रही प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं की सं.	अनुमोदित लागत (करोड़ रूपए में)	पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5	5.73	119
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	8.50	160
3.	बिहार	2	0.96	11
4.	चंडीगढ़	1	7.76	54
5.	छत्तीसगढ़	2	2.69	34
6.	दिल्ली	1	0.43	10
7.	गुजरात	2	3.16	116
8.	हिमाचल प्रदेश	11	1.91	13
9.	जम्मू और कश्मीर	3	1.00	3
10.	झारखंड	2	1.91	69
11.	कर्नाटक	6	5.88	192
12.	केरल	7	0.98	91
13.	मध्य प्रदेश	4	8.61	51
14.	महाराष्ट्र	1	0.15	49

1	2	3	4	5
15.	नागालैंड	1	1.13	30
16.	ओडिसा	14	4.64	65
17.	पंजाब	3	2.60	86
18.	राजस्थान	76	5.91	79
19	तमिलनाडु	4	5.26	273
20	उत्तर प्रदेश	4	32.86	189
21	पश्चिम बंगाल	1	1.11	30
	कुल	158	103.18	1724

विवरण–II

सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत जारी केंद्रीय सहायता का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी केंद्रीय सहायता (लाख रूपये)			
		2008–09	2009–10	2010–11	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.000
2	अरुणाचल प्रदेश	250.00	0.00	40.98	290.980
3	असम	594.61	0.00	226.00	820.610
4	बिहार	0.00	6095.19	2669.09	8764.280
5	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	8285.09	8285.090
6	गोवा	0.00	0.00	80.56	80.560
7	गुजरात	0.00	0.00	893.86	893.860
8	हरियाणा	4411.19	5451.28	4767.24	14629.710
9	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00		0.000
10	जम्मू और कश्मीर	1292.83	1432.35	2250.19	4975.370
11	झारखंड	0.00	0.00		0.000
12	कर्नाटक	1500.00	3170.04	5341.51	10011.550
13	केरल	0.00	0.00	106.25	106.250

1	2	3	4	5	6
14	मध्य प्रदेश	0.00	589.67	1000.00	1589.670
15	महाराष्ट्र	2623.63	3404.79		6028.420
16	मणिपुर	554.47	938.77	1200.00	2693.240
17	मेघालय	0.00	3.56	25.52	29.080
18	मिजोरम	0.00	0.00		0.000
19	नागालैंड	0.00	0.00		0.000
20	ओडिसा	2976.25	1577.80	3563.07	8117.120
21	पंजाब	6091.13	0.00	6000.00	12091.130
22	राजस्थान	4630.31	2980.85		7611.160
23	सिक्किम	0.00	0.00		0.000
24	तमिलनाडु	0.00	4650.00	1500.00	6150.000
25	त्रिपुरा	0.00	0.00		0.000
26	उत्तर प्रदेश	7094.76	9475.99	7000.00	23570.750
27	उत्तराखंड	409.92	0.00		409.920
28	पश्चिम बंगाल	0.00	1600.00	690.95	2290.950
	कुल	32429.10	41370.29	45640.31	119439.70

विवरण-III

एआईबीपी के तहत जारी केंद्रीय सहायता

राशि करोड़ रूपये में

क्रम सं.	राज्य	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	855.180	1300.728	22.792	2178.700
2	अरुणाचल प्रदेश	33.958	30.780	48.635	113.373
3	असम	405.954	589.973	406.403	1402.330
4	बिहार	109.703	77.913	55.754	243.369
5	छत्तीसगढ़	193.040	60.885	174.811	428.736

1	2	3	4	5	6
6	गोवा	39.230	20.250	20.000	79.480
7	गुजरात	258.610	6.080	361.420	626.110
8	हरियाणा	0.000	0.000	0.000	0.000
9	हिमाचल प्रदेश	119.318	90.680	43.521	253.519
10	जम्मू व कश्मीर	393.066	171.728	156.034	720.828
11	झारखंड	3720	0.000	242.887	246.607
12	कर्नाटक	442.419	823.828	567.759	1834.006
13	केरल	0.905	3.812	10.017	14.734
14	मध्य प्रदेश	473.782	758.746	658.692	1891.220
15	महाराष्ट्र	2257.832	1395.395	2069.056	5722.282
16	मणिपुर	221.673	42.540	249.997	514.210
17	मेघालय	24.801	22.502	110.195	157.497
18	मिजोरम	50.718	36.450	51.092	138.260
19	नागालैंड	48.598	57.286	70.000	175.884
20	ओडिसा	724.439	871.572	591.681	2187.692
21	पंजाब	9.540	22.050	140.476	172.066
22	राजस्थान	178.620	157.577	41.920	378.117
23	सिक्किम	0.000	2.605	14.364	16.969
24	त्रिपुरा	43.175	36.209	48.000	127.384
25	तमिलनाडु	0.000	0.000	0.000	0.000
26	उत्तर प्रदेश	315.473	238.082	432.538	986.093
27	उत्तराखंड	371.658	127.006	160.060	658.724
28	पश्चिम बंगाल	22.810	0.914	89.100	112.824
	कुल	7598.221	6945.590	6837.203	21381.015

विवरण–IV

घरेलू सहायता से जल निकायों की आरआरआर स्कीम तहत जारी धन राशि

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संशोधित जल निकायों की संख्या	कुल परियोजना लागत	वचनबद्ध केंद्रीय हिस्सा	2009–10 के दौरान जारी निधि	2010–11 के दौरान जारी निधि
1	ओडिशा	1321	254.33	228.89	72.12	75.00
2	कर्नाटक	427	232.77	209.49	74.04	47.47
3	आंध्र प्रदेश	1029	339.69	305.72		189.00
4	बिहार	15	64.45	55.30		25.00
5	यू.पी. (बुंदेलखंड)	28	46.15	41.53		29.08
6	एम.पी. (बुंदेलखंड)	78	41.89	10.47		7.33
7	मेघालय उमियन झील	1	44.57 (से संबंधित सिंचाई 2.83)	2.54		1.78
8	महाराष्ट्र	258	135.08	119.34		
9	गुजरात	34	17.47	15.72		
10	छत्तीसगढ़	131	122.91	110.61		
11	हरियाणा	3	40.24	10.06		
12	राजस्थान	16	11.35	7.45		
	कुल	3341	1350.90	1117.12	146.16	374.66

टिप्पणी : वर्ष 2008–09 के दौरान कई राशि जारी नहीं की गई थी।

वनों से गुजरने वाली रेलगाड़ियां

675. **श्री हमदुल्लाह सईद :**

श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में आरक्षित अभयारण्यों से गुजरने वाली माल गाड़ियों और यात्री गाड़ियों से जोन–वार कितने जंगली जानवरी मारे गए हैं;

(ख) ऐसी मौतों, विशेषकर रात्रि में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने माल गाड़ियों की गति को सीमित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) पांच जोनल रेलों में पिछले तीन वर्षों के दौरान माल और यात्री गाड़ियों के कारण मारे गए जंगली जानवरों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	पूर्व मध्य रेलवे	पूर्व तट रेलवे	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	पूर्वोत्तर रेलवे	दक्षिण रेलवे
2009	कुछ नहीं	कुछ नहीं	5	1	4
2010	कुछ नहीं	कुछ नहीं	19	कुछ नहीं	1
2011	1	1	7	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2012 (फरवरी, 2012 तक)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) गाड़ी से टकराने के कारण जंगली जानवरों और विशेषकर हाथियों के मारे जाने की घटनाओं को कम करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से रेल मंत्रालय ने 30.03. 2010 को जोनल रेलों को एक जनरल एडवायजरी जारी की है। इस एडवायजरी में रेलों और वन अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जो इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम में सहायक होंगे। इस जनरल एडवायजरी के अनुकरण में नियमित आधार पर ट्रेन क्रू और स्टेशन मास्टरों को संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें और रेलवे की भूमि के भीतर ही आवश्यकता आधारित वनस्पति हटाने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं। वन विभाग द्वारा हाथियों के लिए गलियारों की पहचान की गई है, जहां रेलगाड़ी के ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए, दिन के समय (जरूरत पड़ने पर) के साथ-साथ रात्रि में भी गति प्रतिबंध लगाया गया है और संकेत बोर्ड लगाए गए हैं। वन विभाग की सलाह के अनुसार इस मामले में निक्षेप कार्यों के लिए प्रस्ताव के माध्यम से रेलवे भी स्थायी हल निकालने का प्रयास कर रही है, जिसमें रैम्प और अंडरपास आदि जैसे उपाय शामिल हैं। हाथियों की मृत्यु पर नियंत्रण के लिए निवारक उपाय किए जाने हेतु रेलवे भी पश्चिम बंगाल सरकार के वन विभाग के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर रही है।

जुलाई, 2011 में रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई बैठक के दौरान, जिसमें वन विभाग ने भी हिस्सा लिया था, यह निर्णय लिया गया था कि वन विभाग संवेदनशील स्थानों पर निगरानी टावरों का निर्माण करेगा और समन्वय के लिए अलीपुरद्वार के रेल मंडल नियंत्रण पर एक वन अधिकारी की तैनाती भी करेगा।

(ग) जी हां।

(घ) वन विभाग द्वारा चिह्नित किए गए संवेदनशील स्थानों पर गति प्रतिबंध लगा दिया गया है।

[हिन्दी]

पीसीओ ऑपरेटर

676. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि टेलीफोन बूथ ऑपरेटरों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है क्योंकि मोबाइल फोन की लोकप्रियता बढ़ने से इन बूथों का उपयोग कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के पास इन टेलीफोन बूथ ऑपरेटरों के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत जोन-वार कितने टेलीफोन ऑपरेटरों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) यात्रियों को सुविधा देने की दृष्टि से पीसीओ बूथ आबंटित किए जाते हैं।

(ख) केवल ए-1, ए, बी एवं सी कोटि के स्टेशनों पर खुली निविदा के आधार पर इच्छुक उम्मीदवारों को स्टेशनों पर पीसीओ बूथ दिए जाते हैं। विशिष्ट प्रयोजन के लिए ये ठेके आबंटित किए जाते हैं। मौजूदा योजना के तहत वैकल्पिक आय स्रोत के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के लिए एआईबीपी के अंतर्गत राशि

677. **श्री हरिभाऊ जावले** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत महाराष्ट्र को प्रदत्त धनराशि का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के लिए एआईबीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र द्वारा मांगी गई राशि का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराए गए निधियन का परियोजना–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए महाराष्ट्र द्वारा एआईबीपी के अंतर्गत मांगे गए निधियन का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण–I

वर्ष 2008–09, 2009–10 और 2010 और 11 के दौरान एआईबीपी के तहत जारी केंद्रीय सहायता (सीए)/अनुदान

क्रम सं.	राज्य/परियोजना का नाम (जिस योजना में शुरू की गई)	राशि (करोड़ रूपये में)		
		2008–09	2009–10	2010–11
1	2	3	4	5
	वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाए			
	महाराष्ट्र			
1	गोसीखूर्द (VI)	142.300	0.000	
	गोसीखूर्द–राष्ट्रीय परियेाजना (XI)	450.000	720.000	1412.940
2	सूर्या (वा.यो. 1978–80) (सी)	0.000	0.000	
3	वाघूर (V)	109.513	0.000	
4	भीमा (III) (सी)	0.000	0.000	
5	ऊपरी तापी (IV) (सी)	0.000	0.000	
6	ऊपरी वर्धा (V) (पीएमपी) (सी)	26.950	0.000	
7	वान (VI) (पीएमपी) (सी)	0.000	0.000	
8	जायकवाड़ी (V) (सी)	0.000	0.000	
9	विष्णुपुरी (वा.यो. 1978–80) (सी)	0.000	0.000	
10	बहला (V) (सी)	0.000	0.000	
11	कृष्णा (III) (सी)	23.470	0.000	
12	कूकादी (वा.या. 66–69) (सी)	0.000	0.000	
13	ऊपरी मन्नार	11.855	0.000	11.250

1	2	3	4	5
14	हेतवाने (सी)	0.000	0.000	
15	चसकमान (सी)	0.000	0.000	
16	ऊपरी पेन गंगा	37.625	0.000	43.690
–	बावनथाडी	28.880	0.000	20.250
17	निचली दूधना	48.680	18.270	27.000
–	तिल्लारी	9.275	12.185	
18	वरना	16.875	0.000	
19	वान फेज–II (सी)	0.000	0.000	
	96 नई सतही लघु सिंचाई स्कीमें 2006–07 (सी–17–3/07)	97.990	0.000	
20	पुनाद	31.080	44.870	
21	पोथरा नाला (पीएमपी) (सी)	5.238	5.199	
22	उतावली (पीएमपी) (सी)	17.170	5.330	
23	पूर्णा (पीएमपी) (सी)	5.020	0.000	
24	नंदूर मधमेश्वर	154.338	0.000	
	नंदूर मधमेश्वर फेज–II		34.020	
25	कार (पीएमपी) (सी)	6.505	0.000	
26	निचली वर्धा (पीएमपी)	42.780	19.359	
27	लाल नाला (पीएमपी) (सी)	0.000	0.000	
28	खड़कपूर्णा (पीएमपी)	181.587	112.090	
29	अरूणावती (पीएमपी((सी)	8.510	0.000	
30	तजनपोर एलआईएस (सी)	3.930	0.000	
31	खड़कवासला (II) (सी)	0.000	0.000	
32	कदवी (सी)	0.000	0.000	
33	कसारसाई (सी)	0.000	0.000	
34	जलव गांव (सी)	0.000	0.000	
35	कुंभी (सी)	0.000	0.000	

1	2	3	4	5
36	कसारी (सी)	0.000	0.000	
37	पतगांव (सी)	0.000	0.000	
38	मदन टैंक (सी)	0.000	0.000	
39	डोंगरगांव	0.000	15.390	
40	शिवना तकली (सी)	0.000	0.000	
41	अमरावती (सी)	0.000	0.000	
42	गुल मध्यम सिंचाई परियोजना	7.933	0.000	
43	बेम्बला सिंचाई परियोजना (पीएमपी) (सी)	176.643	120.880	
44	चन्द्रभागा सिंचाई परियोजना (पीएमपी) (सी)	11.200	0.000	
45	सपन सिंचाई परियेाजना (पीएमपी) (सी)	32.655	0.000	
46	उत्तरामांड परियोजना	3.054	1.125	2.475
47	संगोला शाखा नहर	67.370	0.000	
48	पेनतकली परियोजना (पीएमपी) (सी)	13.750	0.000	
	2007–08 में 38 एमआई स्कीमें	19.520	0.000	
	2008–09 में 36 चालू एमआई स्कीमें	66.303	0.000	
	2008–09 में 6 नई एमआई स्कीमें	27.179	0.000	
49	तराली परियोजना	39.990	44.080	49.950
50	धोम बालकवाड़ी परियोजना	23.926	0.000	20.020
51	मोरना गूरेघर परियोजना	7.200	0.000	
52	अर्जुन परियोजना	20.165	18.928	13.500
53	प्रकाश बैराज (सी)	32.499	1.979	
54	सूलवाडे बैराज (सी)	55.804	0.000	
55	सरंगखेडा बैराज (सी)	38.399	0.000	
56	निचली पेधी परियोजना (पीएमपी) (XI) 2008-09	129.420	0.000	29.907
57	वांग (XI) 2008–09	6.750	7.776	
58	ऊपरी कूंडिका परियोजना (XI) 2008–09	18.500	15.320	
59	निचली पंजारा परियोजना (XI) 2009–10		47.750	28.350

1	2	3	4	5
60	नरदवे परियोजना (XI) 2009–10 –नई मध्यम		6.750	12.375
61	अरूणा परियोजना (XI) 2009–10 –नई मध्यम		10.125	12.375
62	कृष्णा–कोयना लिफ्ट सिंचाई (XI) 2009–10 –नई		111.920	115.780
63	गदनदी सिंचाई (XI) 2009–10–नई		17.550	9.000
64	कुदाली सिंचाई परियोजना		4.500	4.050
	2010–11 में 4 नई एमआई स्कीमें			28.544
	2010–11 में 11 नई एमआई स्कीमें			26.110
	2010–11 में 9 नई एमआई स्कीमें			77.870
	2010–11 में 8 नई एमआई स्कीमें			54.540
	2010–11 में 14 नई एमआई स्कीमें			69.080
	(महाराष्ट्र)–कुल	2257.832	1395.395	2069.056

विवरण–II

महाराष्ट्र द्वारा एआईबीपी के तहत 2011712 निधियों की मांग का ब्यौरा

	परियोजना का नाम	मांगी गई केंद्रीय सहायता (करोड़ में)
1	2	3
क.	चालू	
1.	अर्जुन मध्यम	11.250
2.	निचली पेधी (वृहद)	29.380
3.	ऊपरी पेनगंगा (वृहद)	51.420
4.	तराली	44.730
5.	धोम बालकवाड़ी (वृहद)	42.720
6.	संगोला शाखा नहर	31.500
7.	वाग मध्यम	3.570
8.	बेम्बला वृहद	100.020
9.	निचली दूधना	16.553
10.	निचली वर्धा	30.385
11.	पुनाद	47.226
12.	नंदूर मधमेश्वर–II	80.118
13.	मोरना (गुरेघर)	2.558
14.	तिल्लारी (अंतर्राज्यीयी)	9.000
15.	अरूणा मध्यम परियोजना	11.250
16	कृष्णा–कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	86.891
	–वही–2री किस्त	11.980
17.	ऊपरी मन्नार मध्यम	5.812
18.	नरदवे (महम्मादवाडी)	11.000
19.	कूदाली	4.075
20.	निचली पंजारा	39.132

1	2	3
21.	गदनदी	12.500
22.	ऊपरी कुंडलिका	45.000
23.	वागुर	72.230
24.	बावनथाडी	20.840
ख	नई	
1	घुंघशी बैराज मध्यम (नई)	37.800
2	टेंभु एलआईएस (वृहद) (नई)	81.000
3	उरमोदी (वृहद) (नई)	45.830
	कुल	986.570

इलैक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली

678. **श्री आर. ध्रुवनारायण** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जरूरतमंद जिलों को समय पर धन का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक धन प्रबंधन प्रणाली के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कर्नाटक सहित राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (फीडबैक) का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन) : (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की रिलीज सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को की जाती है। जिलों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां भेजने में विलम्ब को कम करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 से ई-पेमेन्ट मोड लागू किया है जिसमें मंत्रालय के अधिकृत बैंकर का कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) नेटवर्क और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को उपलब्ध कराए जा रहे रीयल टाइम ग्रॉस सेन्टलमेंट मोड शामिल है। ई-अंतरण प्रणली ठीक से कार्य कर रही है और कर्नाटक सहित जिलों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता अनुदान

679. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :**

श्री रायापति सांबासिवा राव :

श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता अनुदान और अल्पसंख्यक महिला विकास योजना शुरू नहीं हुई है और इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण'' की योजना के तहत शुरूआत में वर्ष 2010-11 के बजट में रू. 7.00 करोड़ आवंटित किए थे। बाद में योजना आयोग ने इस योजना को 11वीं पंचवर्षय योजना की बिल्कुल समाप्ति पर शुरू करने की बजाए 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस योजना पर विचार करने का निर्णय लिया, क्योंकि योजना आयोग को 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में जिरो-बेस्ड बजटीय कार्य निष्पादित करना था। योजना आयोग द्वारा चालू योजनाओं तथा नई योजनाओं को 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए ''अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण'' विषयक कार्यबल का गठन किया गया है।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना जनवरी, 2010 में शुरू की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पात्र संगठनों से विज्ञापन के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्तियां आमंत्रित की गई थीं। तथापि, संगठनों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में कुछ अनिश्चितता एवं अस्पष्टता के कारण इस मुद्दे की विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्शन में समीक्षा की गई तथा पूरी प्रक्रिया को संशोधित किया गया। अतः, स्वीकृति प्रदाता समिति द्वारा जिन संगठनों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी, उनमें से किसी भी संगठन को कोई भी वित्तीय सहायता अवमुक्त नहीं की गई। इस योजना को अब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की स्वीकृति से संशोधित कर दिया गया है तथा रूचि की अभिव्यक्ति (ई. ओ. आई.) को अंतिम रूप दे दिया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में प्रयोगशालाओं का कार्यकरण

680. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक गुजरात में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत गुजरात में कोई प्रयोगशाला स्थापित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोगशालाओं द्वारा गुजरात में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : (क) गुजरात राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की एक संघटक प्रयोगशाला, नामतः सी. एस.आई.आर. सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएमसीआरआई), भावनगर में कार्यशील है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत अहमदाबाद में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) नामक एक अन्य वैज्ञानिक संगठन कार्य कर रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत कोई प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सीएसआईआर – सीएसएमसीआरआई के पास जल विलवीकरण एवं शुद्धिकरण के लिए पर्याप्त ज्ञान आधार है। हौलो फाइबर अल्ट्रा फिलटरेशन मेम्ब्रेन के साथ इसके द्वारा विकसित थिन फिल्म रिवर्स औसमोशिस मेम्ब्रेन (टीएफसी–आरओ) ने देश के लिए एक उपयुक्त स्थान का सृजन किया है। पोटाश सल्फेट हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की गई है और एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सीएसआईआर–सीएसएमसीआरआई ने विशेष रूप से रसायनों और जैव ईंधनों, लवण, जैव उर्वरक के लिए कई अन्य प्रौद्योगिकियां भी विकसित की हैं।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) बुनियादी नवोन्मेषों का पता लगाने, सृजित करने, शाश्वत बनाने और उनके स्तर को बढ़ाने के लिए संस्थानात्मक सहायता उपलब्ध करा रहा है। विचारों, नवोन्मेषों और पारंपरिक ज्ञान व्यवहारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना अनिवार्य है। हाल ही के समय में, एनआईएफ ने दो आंकड़ा आधार विकसित किए हैं। एक हरित बुनियादी नवोन्मेष और असाधारण पारंपरिक ज्ञान पर और दूसरा लोगों के ज्ञान पर। एनआईएफ देश के 545 से भी अधिक जिलों तक पहुंचने और 1,60,000 से भी अधिक समकालीन नवोन्मेषों और कार्यशील पारंपरिक ज्ञान के उदाहरणों को संकलित करने में समर्थ रहा है।

[अनुवाद]

भिवानी में समपार

681. **श्रीमती श्रुति चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पिछले एक वर्ष के दौरान लोहारू (भिवानी जिला) सहित हरियाणा के विभिन्न मानव रहित रेलवे समपारों पर कार्मिक उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि में कौन–कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) इस संबंध में उक्त परियोजना में कितनी राशि जारी और खर्च की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) जी हां। राज्य सरकार ने हिसार–सादुलपुर जं. और रेवाड़ी–भटिंडा खंड पर छह समपारों का प्रस्ताव किया है। समपारों के प्रस्तावों को संरक्षा पहलुओं के चलते सहमति प्रदान नहीं की है। राज्य सरकार से निक्षेप शर्तों पर उपरी/निचले पुल का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है। लौहारु के समीप रेवाड़ी और सादुलपुर खंड के बीच किमी. 183/2–3 पर अनधिकार प्रवेश वाला स्थान है जहां पर निचला सड़क पुल (आरयूबी) बनाना व्यवहारिक पाया गया है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है

कि वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) योजना के माध्यम से निक्षेप शर्तों पर निचले सड़क पुल का प्रस्ताव भिजवाए।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता, चूंकि इस परियोजना को अभी स्वीकृति नहीं मिली है।

नए रेल मंडल

682. **डॉ. क्रुपारानी किल्ली : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश में नए रेल मंडल की स्थापना के लिए कोई मानक/दिशानिर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी नए रेल मंडल की स्थापना की संस्वीकृति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) आकार, कार्यभार, सुगमता, यातायात पैटर्न और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य प्रशासनिक और परिचालनिक जरूरत और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए नए मंडलों की स्थापना की जाती है न कि क्षेत्रवार को ध्यान में रखते हुए।

(ग) और (घ) रेलवे बजट 2009–10 में भागलपुर और थावे को नए रेल मंडल बनाने के लिए घोषणा की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान/महाराष्ट्र में सर्वेक्षण

683. **श्री बद्रीराम जाखड़ :**

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य में नई रेल लाइनों के लिए किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा तथा उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार राजस्थान में भोपालगढ़, अशोप, शाखवास जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्यों के ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में रेल लाइन कब तक बिछाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फिलहाल, इस प्रकार के दूरस्थ क्षेत्रों में नई लाइन बिछाने के लिए कोई समय नहीं बताया जा सकता है।

विवरण

2008-09 से 2010-11 के दौरान राजस्थान और महाराष्ट्र में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाली नई लाइनों के लिए सर्वेक्षणों का ब्यौरा

क्रम सं.	सर्वेक्षण का नाम (लंबाई किमी. में)	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1	छिंदवाड़ा-रोहा (95)	कार्य शुरू नहीं किया गया है।
2	धुले-अमलनेर (39)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
3	करड-चिपलुन (100)	सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है।

1	2	3
4	किनवत-महुर (42)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
5	मालेगांव एवं धुले के रास्ते मनमाड़-इंदौर (339)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
6	पंढारपुर-लोनाड (109)	सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है।
7	पुणे-नासिक (365)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
8	रोटेगांव-पुंताम्बा (27)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
9	शिरपुर-महो (185)	सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है।
10	वीर-हरिहरेश्वर (50)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
11	वडसा-अमरोही-गडचिरौली (50)	कार्य को रेल बजट 2011-12 में शामिल कर लिया गया है।
राजस्थान		
12	झुंझनू-पिलानी (18)	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
13	रेवाड़ी-भिवाड़ी (27)	सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है।
14	मवली-बरी सदरी (82)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
15	अजमेर-टोंक-सवाईमाधोपुर (165)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
16	डिडवाना-रिंगस-खाटू श्याम जी (105.5)	रेल बजट 2012-13 में अद्यतन सर्वेक्षण को शामिल करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
17	चुरू-तारानगर-नोहर (118.7)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
18	पुष्कर-मेड़ता (59)	योजना आयोग से "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।

[अनुवाद]

देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक का उत्पादन

684. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 2010–11 में देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन हुआ था; और

(ख) जमीन पर और समुद्र किनारे दोनों जगहों पर तेल अन्वेषण ब्लाकों के क्या नाम हैं और इसमें शामिल कंपनियों तथा उनके स्थानों के नाम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह): (क) वित्त वर्ष 2010–11 में नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी), आयल इंडिया लि. (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा स्वदेशी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

	मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में कच्चा तेल	मिलियन मीट्रिक मानक धन मीटर (एमएमएससीएम) में प्राकृतिक गैस
ओएनजीसी	24.419	23095
ओआईएल	3.586	2352.72
निजी/संयुक्त उद्यम	9.68	26770

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हाजीपुर जोन में नई रेल लाइन

685. श्री महेश्वर हजारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार बिहार में लहरिया सराय से खगडिया वाया कुशेश्वर और हाजीपुर के अंतर्गत मुक्तापुर से कुशेश्वर के लिए नई रेल लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन का कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उर्वरकों का विनियंत्रण

686. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उर्वरकों के विनियंत्रण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन उर्वरकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या छूट योजना को प्रशासित करने के लिए कोई दिशा–निर्देश हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी हां। सरकार ने 1.4.2010 से नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए पोषक–तत्व आधारित राजसहायता नीति लागू की है।

(ख) एनबीएस नीति के अंतर्गत नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता प्रत्येक पोषक–तत्व नामतः नाइट्रोजन (एन), फॉसफोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के अनुसार प्रति कि.ग्रा. आधार पर प्रत्येक वर्ष घोषित की जाती है, जिसे उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड में निहित पोषक–तत्वों के आधार पर प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित किया जाता है। पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) खुली रहती है और उसे मांग–आपूर्ति के उतार–चढ़ाव के आधार पर उत्पादकों/आयातकों को उचित स्तर पर निर्धारित करने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में एनबीएस नीति पीएंडक के उर्वरकों के 25 ग्रेडों पर लागू है जिसमें डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी), सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), मैसर्स द फर्टिलाइजर्स एंड केकिमकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और मैसर्स गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट तथा एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों के 19 ग्रेड शामिल हैं। इस नीति के अंतर्गत एफसीओ में की गई व्यवस्था के अनुसार द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक–तत्वों (सल्फर 'एस' को छोड़कर) सहित उपर्युक्त उर्वरकों की कोई अन्य किस्म भी राजसहायता पाने केि लए पात्र होती है। बोरोन और जिंक जैसे सूक्ष्म पोषक–तत्वों के लिए अलग से अतिरिक्त राजसहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार द्वारा घोषित एनबीएस नीति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

फाइल सं. 23011/1/2010–एमपीआर

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 4 मार्च, 2010

सेवा में,

1. मुख्य सचिव/सभी कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव (कृषि)

2. निदेशक, राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों के कृषि निदेशालय

विषय : फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक–तत्व आधारित राजसहायता नीति का 1.4.2010 से कार्यान्वयन

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने पोषक–तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) के प्रथम चरण को 1.4.2010 से निम्नानुसार लागू किया है :

(i) एनबीएस के अंतर्गत डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी, 18–46–0), म्युरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), मोनो अमोनियम फॉस्फेट (एमएपी–11–52–0), ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी–0–46–0) मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेड, अमोनियम सल्फेट (एएस–जीएसएफसी और एफएसीटी द्वारा कैप्रोलेक्टम ग्रेड), जो फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक (पीएंडके) के लिए दी जा रही रियायत योजना के अंतर्गत पहले ही कवर हैं तथा सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी), प्राथमिक पोषक–तत्व नामतमः नाइट्रोजन 'एन फॉस्फेट पी' पोटाश 'क' और पोषक–तत्व सल्फर 'एस', जो उपर्युक्त उर्वरकों के लिए जारी रियायत योजना में सम्मिलित हैं, वे सभी एनबीएस के लिए पात्र होंगे।

(ii) ऊपर उल्लिखित उर्वरकों की प्रत्येक प्रकार की किस्म, जो द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक–तत्वों (सल्फर 'एस' के अलावा) सहित एफसीओ के अंतर्गत आती है, पर राजसहायता दी जाएगी। ऐसे उर्वरकों में द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक–तत्वों (एस के अलावा) पर अलग से प्रति टन राजसहायता दी जाएगी ताकि प्राथमिक पोषक–तत्वों के साथ इनके प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।

(iii) प्रत्येक पोषक–तत्व नामतः 'एन' 'पी' 'के' और 'एस' पर दी जाने वाली एनबीएस, सरकार द्वारा वार्षिक रूप से निर्धारित की जाएगी। सरकार द्वारा इस प्रकार तय की गई पोषक–तत्व आधारित राजसहायता प्रत्येक राजसहायता प्राप्त उर्वरक के लिए प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित की जाएगी।

(iv) सचिव, उर्वरक की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालय समिति (आईएमसी) गठित की जाएगी जिसमें कृषि और सहकारिता विभाग, व्यय विभाग, योजना आयोग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले सरकार (उर्वरक विभाग) के निर्णय के लिए 'एन' 'पी' 'के' और 'एस' के लिए प्रति पोषक–तत्व राजसहायता की सिफारिश करेगी। आईएमसी गौण (एस के अलावा) तथा सूक्ष्म पोषक–तत्वों वाले पुष्ट राजसहायता–प्राप्त उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त राजसहायता की सिफारिश करेगी। समिति उत्पादकों/आयातकों के अनुप्रयोग के आधार पर नए उर्वरकों को राजसहायता प्रणाली के अंतर्गत शामिल करने की भी सिफारिश करेगी और सरकार के निर्णय के लिए इस पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा इसकी आवश्यकता का मूल्यांकन करेगी।

(v) तैयार उर्वरक के आयात के साथ–साथ उर्वरक के वितरण और संचलन, उर्वरक आदान और स्वदेशी इकाइयों द्वारा किए गए उत्पादन पर उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) आधारित ऑन लाइन वैब के माध्यम से निगरानी की जाती रहेगी, जैसा कि पीएंडके उर्वरकों के लिए दी जा रही रियायत योजना के अंतर्गत किया जा रहा था।

(vi) भारत में उत्पादित/आयातित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के मूल्य का 20% आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ईसीए) के अंतर्गत संचलन नियंत्रण में होगा। उर्वरक विभाग कम आपूर्ति वाले क्षेत्रों में आपूर्तियों को पूरा करने के लिए इन उर्वरकों के संचलन पर नियंत्रण रखेगा।

(vii) नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर भाड़ा राजसहायता रेल भाड़े तक सीमित होगी।

(viii) उपर्युक्त पैरा 1(i) के अंतर्गत मिश्रित उर्वरकों के 12 ग्रेडों सहित सभी राजसहायता–प्राप्त उर्वरकों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत किया जाएगा। तथापि, प्रथम चरण के दौरान आयातित अमोनियम सल्फेट (एएस) पर राजसहायता नहीं दी जाएगी। यूरिया का आयात प्रथम चरण के दौरान सरणीबद्ध ही रहेगा।

(ix) यद्यपि यूरिया के अलावा राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग–आपूर्ति के संतुलन के आधार पर

निर्धारित किया जाएगा। उर्वरक कंपनियों को उर्वरक बैगों पर उर्वरकों पर अनुमेय राजसहायता और उर्वरकों का खुदरा मूल्य स्पष्ट रूप से मुद्रित करना होगा। मुद्रित निवल खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर की गई कोई भी बिक्री ईसी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय होगी।

(x) विशिष्ट उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादकों को उत्पादकों/आयातकों से तभी राजसहायता प्राप्त उर्वरक प्राप्त होंगे जब ये उर्वरक कृषि के प्रयोजन के लिए विशिष्ट उर्वरक/उर्वरक मिश्रण का उत्पादन करने हेतु आदानों के रूप में जिलों तक पहुंच जाएंगे। विशिष्ट उर्वरकों/उर्वरक मिश्रणों की बिक्री पर अलग से कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी।

(xi) 'एन' के उत्पादन की अधिक लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए नेफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया का इस्तेमाल करके मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी उत्पादकों को अलग से अतिरिक्त राजसहायता प्रदान की जाएगी। तथापि, यह सिर्फ दो वर्षों के लिए होगी जिसके दौरान इकाइयों को गैस में परिवर्तित करना होगा या आयातित अमोनिया का प्रयोग करना होगा। अतिरिक्त राजसहायता की मात्रा का निर्णय उर्वरक विभाग द्वारा, टैरिफ कमीशन के अध्ययन एवं सिफारिशों के आधार पर व्यय विभाग के साथ परामर्श के बाद किया जाएगा।

(xii) प्रथम चरण के दौरान एनबीएस उद्योग के माध्यम से जारी की जाएगी। डीएपी/एमओपी/मिश्रित उर्वरकों/एमएपी/टीएसपी और एएस के उत्पादकों/आयातकों को एनबीएस का भुगतान विभाग की अधिसूचना सं. 190111/59/2003 एमपीआर (भाग) दिनांक 12.03.2009 के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एसएसपी के उत्पादकों/आयातकों को एनबीएस का भुगतान विभाग की अधिसूचना संख्या 22011/2007–एमपीआर दिनांक 13.08.2009 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाएगा।

2. यह उर्वरक विभाग के आंतरिक वित्त प्रभाग की दिनांक 3 मार्च, 2010 की सहमति के साथ जारी किया गया है।

हस्ता./:
(एच. अब्बास)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23383814

प्रतिलिपि :

1. सचिव (कृषि), कृषि और सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव (व्यय), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (आईएनएम), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (पीएफ–II), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. निदशेक (मंत्रिमंडल), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
7. लेखा निदेशक, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (वित्त), उर्वरक विभाग, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, एफएआई, नई दिल्ली।
10. पीएंडके उर्वरकों के सभी उत्पादक और आयातक
11. सभी एसएसपी उत्पादक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित :

मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के निजी सचिव/राज्य मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) के निजी सचिव/सचिव (उर्वरक) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/एएसएंडएफए/संयुक्त सचिव (पीएंडकेपी)/संयुक्त सचिव (एफएंडपी)/संयुक्त सचिव (एएंडएम)/आर्थिक सलाहकार/लेखा नियंत्रक/वेतन एवं लेखा अधिकारी/अवर सचिव (रियायत विंग)/वरिष्ठ सहायक निदेशक (लेखा)/एएफ विंग/गार्ड फाइल/तकनीकी निदेशक, एनआईसी को विभाग की बेवसाइट में अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि इन्हें भी : श्री संजय मित्रा, संयुक्त, सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

हस्ता./:
(एच. अब्बास)
उप सचिव, भारत सरकार

[हिन्दी]

गायब कंपनियां

687. श्रीमती कमला देवी पटले : क्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन गायब कंपनियों के विरुद्ध कठोर उपबंध करने का है जो छत्तीसगढ़ राज्य सहित पूरे देश में फैली हुई थीं और जिन्होंने छोटे-निवेशकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारी लाभ देने का वादा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रतिपुष्टि (फीड बैक) प्राप्त करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है और तदुपरांत कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कंपनी विधेयक, 2011 में निगमन के समय कंपनियों एवं उनकी प्रवर्तकों/प्रथम निदेशकों द्वारा फार्म में अधिक विस्तृत अपेक्षाओं का प्रावधान है। सतत आधार पर विस्तृत प्रकटीकरण अपेक्षाओं का प्रावधान भी है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में विभिन्न खंडों जैसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं जवाबदेयता, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका को परिभाषित करना एवं बढ़े हुए अर्थदंड/शुल्क/कैद आदि के माध्यम से जवाबदेयता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त प्रावधानों के साथ प्रस्तावित कंपनी विधेयक, 2011 लोक सभा में 14.12.2011 को प्रस्तुत किया गया एवं उसे वित्त सबंधी संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित किया गया। विधेयक अंशधारकों से विस्तृत परामर्श एवं डॉ. जमशेद जे. इरानी की अध्यक्षता में गठित कंपनी विधि विशेषज्ञ समिति 2005 की अनुशंसाओं के आधार पर तैयार किया गया था।

राजसहायता का दुरुपयोग

688. श्री नारायण सिंह अमलाबे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैरोसीन और रसोई गैस के सिलेंडरों पर दी जा रही राजसहायता का दुरुपयोग कालाबाजारों की मुख्य कारण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : (क) सरकार खाना बनाने के ईंधनों अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल और घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के लिए राजसहायता उपलब्ध कराती है। पीडीएस मिट्टी तेल और पेट्रोल/डीजल के बीच साथ ही साथ घरेलू प्रयोग के लिए एलपीजी के खुदरा मूल्य तथा वाणिज्यिक एलपीजी के लिए बाजार मूल्य में भारी अंतर के कारण मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन को रोकने के लिए, केन्द्र सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" जारी किया है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश, 2001 (एमडीजी) तैयार किए हैं, जिनमें एलपीजी की कालाबाजारी/विपथन में लिप्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की व्यवस्था है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) डिस्ट्रीब्यूटरों के परिसरों पर नियमित औचक निरीक्षण, रिफिल ऑडिट, ग्राहकों के परिसरों पर औचक जांच, सुपुर्दगी वाहनों आदि की मार्गस्थ जांच भी करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

पीडीएस मिट्टी तेल की कालाबाजारी की जांच करने के लिए, केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (इस्तेमाल पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1993 में प्रावधान किए हैं, जिसके अनुसार डीलर पीडीएस मिट्टी तेल सरकार या ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकते हैं और पीडीएस मिट्टी तेल डीलरों को सुस्पष्ट स्थान पर भंडार के स्थान सहित कारोबार के स्थान पर स्टॉक-सह-मूल्य बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। इस नियंत्रण आदेश के तहत राज्य सरकारों को कालाबाजारी

और अन्य अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीडीएस मिट्टी तेल के विपथन के कारण परिवहन ईंधनों में मिलावट को रोकने के लिए नियमित औचक निरीक्षणों के अलावा वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) द्वारा टैंक ट्रकों पर निगरानी, खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचालन और तीसरा पक्षकार प्रमाणन जैसी अनेक पहलें की हैं।

[अनुवाद]

नेपाल/भूटान के साथ रेल संपर्क

689. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :** *क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या भारतीय रेल भारत से नेपाल और भूटान के साथ रेल सेवा शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) से (ङ) जी हां। नेपाल तक जोड़ने के लिए पांच मार्गों का सर्वेक्षण किया गया जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	प्रस्तावित रेल लिंक		दूरी	अनुमानित लागत
	से	तक	(किमी. में)	(करोड़ रु. में)
1	जोगबनी (बिहार)	बिराटनगर (नेपाल)	18	239
2	जयनगर (बिहार)	बीजलपुरा (नेपाल) तथा बरदीदास तक विस्तार	69	470
3	नेपाल गंज रोड (उत्तर प्रदेश)	नेपालगंज (नेपाल)	12	149
4	नौतनवा (उत्तर प्रदेश)	भैरहवा (नेपाल)	15	176
5	न्यू जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	पानी टंकी होकर काकरभीता (नेपाल)	46	358

इन पांच मार्ग सर्वेक्षणों में से दो परियोजनएं यथा जोगबनी-बिराटनगर नई लाइन तथा जयनगर-बीजलपुरा आमानपरिवर्तन का बरदीदास तक विस्तार का कार्य आरंभ किया गया है और ये निष्पादन के विभिन्न चरणों में है।

भूटान तक संपर्क के लिए, पांच मार्गों की पहचान तथा सर्वेक्षण कर ली गई है जो इस प्रकार है :

क्र.सं.	प्रस्तावित रेल लिंक		दूरी	अनुमानित लागत
	से	तक	(किमी.में)	(करोड़ रु. में)
1	हासीमारा (पश्चिम बंगाल)	फुटशोलिंग	18	271
2	रंगिया (असम)	दरंग होकर समुद्रपजोंगखर	48	583
3	कोकराझार (असम)	गेलीफू	58	304
4	बानरहाट (पश्चिम बंगाल)	समत्से	23	206
5	पाठशाला (असम)	ननगलत (पी)	51	751

वर्तमान में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है।

आरक्षण केंद्र

690. श्री पी. कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संपूर्ण देश में और अधिक रेल आरक्षण केंद्र खोलने पर विचार कर रही है ताकि रेलवे के राजस्व में वृद्धि की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में खोले जाने वाले ऐसे केंद्रों का जोन–वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुई)*

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, पत्र रखे जाएंगे।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदया, मैं आर्थिक सर्वेक्षण, 2011–2012 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 6176/15/12)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी) : श्री एस. एस. पलानीमनिकम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र (नौवां निर्गम) नियम, 2011 जो 29 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 848(अ) में प्रकाशित हुए थे, कि एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.–6177/15/12)

(2) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 868(अ) जो 7 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय बचत पत्र – नौवां निर्गम बचत पत्रों की वह श्रेणी होगी जिन पर सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 लागू होता है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.–6178/15/12)

(3) एनएसएसएफ ऋणों के संबंध में राज्यों को ऋण राहत संबंधी 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी.–6179/15/12)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए, **देखिए** संख्या एल.टी. 6180/15/12)

अपराह्न 12.01 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोबिन्द चन्द्र नास्कर (बनगांव) : मैं "भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन" के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 19वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01¼ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

21वें से 24वें प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड) : मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2011–12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :–

(1) 'सीरे के उत्पादन, मूल्य निर्धारण और वितरण' के बारे में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011–12) के बारे में अठारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011–12) के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011–12) के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

की गई कार्रवाई संबंधी विवरण

श्री गोपीनाथ मुंडे : मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2011–12) के निम्नलिखित की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे की गई अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) 'स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए औषधियों का उत्पादन और उपलब्धता' (भेषज विभाग) विषय पर पांचवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) 2009–10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी 14वें प्रतिवेदन पर की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(2) 'अनुदानों की मांगों' (2010–11) (उर्वरक विभाग) के बारे में छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) 2009–10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 15वीं प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण।

(3) 'अनुदानों की मांगों((2010–11) (भेषज विभाग) के बारे में सातवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) 2009–10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा–की–गई कार्रवाई के बारे में 16वें प्रतिवेदन पर की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

(4) 'अनुदानों की मांगों' (2010–11) (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में आठवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)

2009–10 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई के बारे में 17वें प्रतिवेदन पर की–गई–कार्रवाई संबंधी विवरण।

अपराह्न 12.02¼ बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति 173वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती रानी नरह (लखीमपुर) : मैं 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2011' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 173वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.02 1/2 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू–संसाधन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011–12) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 21वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति★

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री जयराम रमेश) : महोदया, मैं लोकसभा समाचार–भाग दो दिनांक 1 सितंबर, 2004 के द्वारा माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73क के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेदन 26.08.2011 को लोक सभा में रखा गया था। यह प्रतिवेदन 2011–12 के लिए भू–संसाधन विभाग की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है। समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन 27.1.2012 को ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है जो सभा पटल पर रखा गया है। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.03 बजे

नियम 377 के अधीन मामले★

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत तौर पर पर्ची सभा पटल पर दे सकते हैं।

केवल उन्हीं मामलों को रखा हुआ माना जाएगा जिनके लिए निर्धारित समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हुई है और शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु और बस्ती जिले के बीच रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद में तथागत गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु (पिपरहवा) से बस्ती जनपद के रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन के सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया था। सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका प्रस्ताव उत्तर पूर्व रेलवे से मंत्रालय को प्राप्त हो चुका है। उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय के 2010–11 के बजट तत्कालीन रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थली से नवगढ़, बांसी, रूधौली होते हुए बस्ती तक रेल निर्माण को शामिल किए जाने की स्वीकृत की घोषणा की थी। उक्त रेल लाइन के निर्माण से पूरी दुनिया के तथागत बौद्ध के लाखों अनुयायियों को आवागमन की सुविधा प्रदान होगी। इससे पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म को मानने वालों को रेलवे की सुविधा मिल जाएगी, जिससे दिल्ली, मुम्बई,

---

★सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6181/15/12

★सभा पटल पर रखे माने गए।

कोलकाता एवं चेन्नई से आने वाले बौद्ध पर्यटकों को आसानी होगी। फलस्वरूप बौद्ध सर्किट स्थल के सुनियोजित विकास में गति आएगी।

अतः मैं रेल मंत्री के बजट भाषण के सदन में दिए गए आश्वासन के सापेक्ष रेल मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के कपिलवस्तु से बस्ती जनपद को रेल लाइन से जोड़ने के लिए निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ करने की मांग करता हूं।

(दो) दिल्ली–लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस का जालंधर और पठानकोट होते हुए जम्मू तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर) : दिल्ली–लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस रोहतक, हरियाणा तथा संगरूर, पंजाब होते हुए दिल्ली और लुधियाना के बीच चलती है। एक और शताब्दी रेलगाड़ी है जो पहले से ही लुधियाना जाती है, स्वर्ण शताब्दी लुधियाना होते हुए अमृतसर जाती है। चूंकि जम्मू–दिल्ली के बीच तेज रफ्तार की गाड़ियां नहीं हैं। इसलिए दिल्ली–लुधियाना शताब्दी एक्सप्रेस में अन्य क्षेत्रों को कवर करने की भारी संभावनाएं हैं।

अतः दिल्ली–लुधियाना शताब्दी का जालंधर और पठानकोट होते हुए जम्मू तक विस्तार किया जाए। इससे न केवल वाणिज्यिक उद्देश्य पूरा होगा बल्कि धार्मिक और पर्यटन उद्देश्य भी पूरा होगा क्योंकि पठानकोट, जम्मू, लद्दाख और निम्न हिमाचल प्रदेश का द्वार है और प्रत्येक धार्मिक और पर्यटन स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं। राष्ट्र का आर्थिक रूप से पिछड़ा सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस विस्तार से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुरदासपुर में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। चूंकि पठानकोट देश के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक है इसलिए इस रेल सेवा से रक्षा कार्मिकों और उनके परिवारों को भी लाभ होगा।

शताब्दी का जम्मू तक विस्तार होने से जम्मू तथा कश्मीर के कठुआ, साम्बा और उधमपुर, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर, नूरपुर, चम्बा, कांगड़ा और मंडी जिलों तथा पंजाब में बटाला, श्री हरगोबिंदपुर, गुरुदासपुर जिले के कादियां और पंजाब में दसुआ, मुकोरियां और होशियारपुर के लोगों और अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा।

शताब्दी ट्रेन नई दिल्ली से प्रातः चलकर रोहतक, संगरूर होते हुए लुधियाना पहुंच सकती है और जालंधर तथा पठानकोट होते हुए जम्मूतवी तक जा सकती है। इसी प्रकार दूसरी, ट्रेन जम्मू से प्रातः चलकर इन स्टेशनों से होते हुए नई दिल्ली पहुंच सकती है। जिन लोगों के पास नई दिल्ली पहुंचने के लिए अभी तक कोई सुविधाजनक साधन नहीं है उन्हें होने वाली अत्यधिक लाभ को देखते हुए इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(तीन) केरल के कन्नूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर के वितरण और नए एलपीजी कनैक्शन के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री के. सुधाकरण (कन्नूर) : मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान कन्नूर के लोगों के समक्ष आ रही रसोई गैस की कमी संबंधी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यद्यपि, यह एक आवश्यक वस्तु है किंतु सरकार ने रसोई गैस के वितरण में बड़े पैमाने पर हो रहे घोटाले पर ध्यान नहीं दिया है। रसोई गैस के अभाव में उपभोक्ताओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें भरा हुआ गैस सिलेंडर प्राप्त करने में 45 से 70 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कन्नूर में आजकल लोग केरल के गैस वितरकों की तानाशाही का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि जिन उपभोक्ताओं ने दिसंबर, 2011 में सिलेंडर बुक कराए थे उन्हें आज तक सिलेंडर नहीं मिला है। जहां तक मुझे जानकारी है मेरे जिले कन्नूर में 39 गैस एजेंसी कार्य रही हैं। यद्यपि, ऐसा कहा जाता है कि 5 किमी. तक गैस के वितरण पर परिवहन लागत नहीं लगती परंतु, उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने के लिए, आमतौर पर 25 रूपये वसूल किए जाते हैं। गैस एजेंसियों अपने विवेक से गैस आवंटन का एक बड़ा भाग व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए दे दिया जाता है। जिससे गैस की कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है। कुछ एजेंसियां उपभोक्ताओं पर नए कनैक्शन लेने के लिए प्रैशर कुकर, गैस स्टोव आदि खरीदने का दबाव डालती है और इस प्रकार हर तरीके से धन कमाने का प्रयास करती हैं। ऐसी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। सरकार को केवल कागजी कार्यवाही करने की बजाय ऐसे वितरकों के खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। सिलेंडरों की काला बाजारी पर रोक लगाने का यह एकमात्र तरीका है। देश में उपभोक्ताओं की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जबकि इस व्यवसाय में हो रही अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और रसोई गैस के वितरण में कोई स्थायी तंत्र लागू करने के लिए तत्काल समुचित निर्देश जारी किए जाएं।

(चार) **आंध्र प्रदेश विशेषरूप से करीमनगर जिले में सूखे की स्थिति के कारण विपदाग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) : मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान करीमनगर जिले और पूरे आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति और किसानों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि 2011 के खरीफ के मौसम में 3.64 लाख एकड़ धान क्षेत्र, 10.08 लाख एकड़ कपास क्षेत्र, 18. 42 लाख एकड़ मूंगफली क्षेत्र, 2.27 लाख एकड़ मक्का क्षेत्र, 1.86 लाख एकड़ अरहर दाल/तूर दाल क्षेत्र और 3.53 लाख एकड़ अमुधास तेल क्षेत्र सूखाग्रस्त था। इस प्रकार 40.46 लाख एकड़ क्षेत्र सूखे की चपेट में था और इस स्थिति ने आंध्र प्रदेश के किसानों के जीवन में निराशा ला दी है। आंध्र प्रदेश के किसानों के जीवन में निराशा ला दी है। आंध्र प्रदेश के लगभग 23 जिले सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए और करीमनगर के सभी 57 मंडल सूखाग्रस्त घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश में लगभग 18,024 करोड़ रूपये की हानि हुई और करीमनगर में 74 करोड़ रुपये की हानि हुई। ऐसी सिीति के कारण 48.6% से अधिक किसानों पर देनदारी है और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली हैं। आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है और इस स्थिति के चलते किसानों की समस्याएं और बढ़ रही हैं और कृषि विश्वविद्यालयों में प्रयोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति और भूजल के निम्न स्तर ने भी आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति को और बदतर बनाया है। बैंक अधिकारी किसानों को ऋण नहीं देना चाहते हैं। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए, मूल्य के 50 प्रतिशत को वहन करते हुए फसल बीमा प्रदान किया जाना चाहिए। इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने और आंध्र प्रदेश में केंद्रीय दल भेजे जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक एक भी पैसा भी जारी नहीं किया है।

अतः, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए कुछ वित्तीय अनुदान के माध्यम से किसानों को तत्काल सहायता दी जाए।

(पांच) **महाराष्ट्र के नागपुर को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत आदर्श शहर के रूप में विकसित किए जाने कीआवश्यकता**

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं देश के महत्वपूर्ण शहरों के इष्टतम और चरणबद्ध विकास से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूं। किसी शहर को रहने लायक बनाने के लिए परिवहन, सड़क, जलापूर्ति, मल जल व्यवस्था, नागरिक सुविधाओं, जैसी मौजूदा अवसंरचना और अन्य ऐसी सम्मिलित मूलभूत सेवाओं, को वैज्ञानिक तरीके से सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, परियोजनाओं के लिए धनराशि सुनिश्चित किया जाना परंपरागत नगर विकास मॉडल तैयार किया गया और प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, चरणबद्ध आयोजना के अभाव में वांछित विकास करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना विकसित नहीं हो पाई है। 20 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले कुछ महत्वपूर्ण शहरों में मौजूदा अवसंरचना बहुत बेतरतीब और अपर्याप्त है। शहरों का विकास इस प्रकार किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि वे आर्थिक विकास के साधन बन सकें।

अवसंरचना विकास संबंधी किसी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित धनराशि और राजस्व की उपलब्धता का बहुत महत्व है। दुर्भाग्यवश, ऐसी परियोजना के कार्यान्वयन की व्यावहार्यता का पता लगाए बिना परियोजनाओं की परिकल्पना की जाती है। निधियां स्वीकृत की जाती हैं परंतु, बाद में ऐसी परियोजनाओं को व्यावहारिक नहीं पाया जाता है। परियोजनाओं की व्यावहार्यता का पता लगाने के लिए कोई विनियामक और निगरानी तंत्र न होने के कारण निधियों का या तो दुरूपयोग किया जाता है या उनका अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। अतः, निधियों के उपयोग पर उचित नियंत्रण रखने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए जाने और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को ही कार्यान्वित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

नागपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए सुविधाओं और आधुनिक आवश्यकताओं का होना बहुत आवश्यक है। उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और जनसंख्या की दृष्टि से तेजी से विकसित हो तो नागपुर शहर में आधुनिक और उन्नत अवसंरचना की मूलभूत कमी है। नागपुर शहर की जनसंख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है जो कि बढ़कर 32 लाख हो गई है। सरकार का 10 करोड़ मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है जो कि तभी संभव है जब कि केंद्र और राज्य के वित्त पोषण से 500 अन्य शहर विकसित किए जाएं। निवेश में वृद्धि निगरानी और वित्तपोषण हेतु ढांचे के सुदृढ़ीकरण, और अपेक्षित अवसंरचना के सृजन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम के सम्मिश्रण से शहरीकरण प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है। नागपुर में

अवसंरचना सुविधाओं और सेवा आपूर्ति की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है और मोनो-मैट्रो रेल, जैसी सक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और उपनगर आदि विकसित जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राजनीति तैयार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। देश के बीचोंबीच स्थित होने के कारण नागपुर का एक सामरिक महत्व है और भारत का एक भौगोलिक केंद्र होने से देश में वह लाभ प्राप्त है जो किसी अन्य शहर को नहीं है।

अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में नागपुर को विकसित किया जाए ताकि इसे प्राप्त अनेक लाभों के दृष्टिगत यह देश का एक मॉडल शहर बन सके।

(छह) देश में लघु उद्योग विशेष रूप से मेटल कंटेनर विनिर्माण एककों के लिए मूलभूत केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर (विरूद्ध नगर) : हमारे देश का विकास गांवों और ग्रामीण उद्योगों के विकास पर निर्भर करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था लघु उद्योगों के विकास पर निर्भर करती है। सिकी स्थान पर लघु उद्योगों की स्थापना कच्चे माल, अवसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता तथा सरकार द्वारा प्रदान की गई अन्य सुविधाओं पर निर्भर करती है।

तथापि वर्तमान में लघु उद्योग विशेष रूप से धातु के कंटेनरों का विनिर्माण करने वाले स्वरोजगार में लगे लघु उद्यमी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उनकी परेशानियों का कारण कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतें, रूपये के अवमूल्यन के कारण आयात मूल्य में वृद्धि तथा उनके उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाया जाना आदि हैं।

केंद्र सरकार को लघु उद्योगों विशेष रूप से धातु के कंटेनरों का निर्माण करने वाली इकाइयों को दी जाने वाली 1.5 करोड़ रूपये की छूट सीमा मूल केंद्रीय उत्पाद शुल्क को बढ़ाना चाहिए ताकि लघु उद्योग क्षेत्र में और अधिक स्वनियोजित उद्यमी देश में अधिक से अधिक संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना हो सके।

(सात) झारखंड में रेल सेवाएं और सुविधाएं बढ़ाए जाने क आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : विगत कई वर्षो से झारखंड राज्य द्वारा रेलवे यातायात की निरन्तर बढ़ती मांग को देखते हुए केन्द्रीय रेल मंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि :-

1 झारखंड राज्य में नई ट्रेनें और ट्रेनों के फेरे में बढ़ोतरी की जाए जिसमें धनबाद-अहमदाबाद एक्सप्रेस, धनबाद-नागपुर-पुणे ट्रेन, साहेबगंज-धनबाद इंटरसिटी ट्रेन और हटिया-मुम्बई को प्रतिदिन हटिया-यशवंतपुर को प्रतिदिन, धनबाद-भुवनेश्वर को प्रतिदिन, नई दिल्ली-हावड़ा को प्रतिदिन, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी को प्रति दिन और फिरोजपुर-धनबाद का रांची तक विस्तार किया जाए।

2 धनबाद को रेलवे जोन बनाने, साहेबगंज में रेल मंडल कार्यालय खोलने और बोकारो को धनबाद रेल डिवीजन में शामिल किया जाए।

3 इसके साथ धनबाद बोकारो, टाटानगर, रांची, देवधर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज को मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जाए, साथ ही साहेबगंज और चक्रधरपुर में रेलवे की हजारों एकड़ खाली पड़ी जमीन में रेल कारखाने का निर्माण किया जाए।

(आठ) बिहार के पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मानकों के अनुसार सड़कों का निर्माण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : मैं सदन का ध्यान सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत देश में विशेषकर मेरे लोक सभा क्षेत्र में निर्माण हो रहे/निर्माण हुए सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। जैसा कि एक ही सड़क को टुकड़ों में प्राक्कलन बनवाकर विभागीय कार्य करवाना व निविदा कर निविदा राशि से 15 प्रतिशत की दर पर संवेदक से अनुबंध करना व बाद में 15 प्रतिशत की राशि को एडजस्ट करना।

अतः आग्रह होगा कि उक्त सड़कों के निर्माण में मानक के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की समुचित व्यवस्था कराई जाए।

(नौ) राजस्थान में उन किसानों जिनकी फसलें पाले और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, को आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल नष्ट होने पर मुआवजा देने का प्रावधान सीआरएफ एवं एनसीसीएफ नियमों के तहत कर रखा है, लेकिन शीतलहर और पाला पड़ने जैसे घटनाओं से राजस्थान में किसानों की खड़ी एवं तैयार फसलें शीतलहर एवं पाला पड़ने के कारण

बर्बाद हो रही है और किसानों को इसका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा हैं। किसान मेहनत करके फसलें तैयार करता है। एक तरफ भारत में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ अपने निर्धारित दर को प्राप्त नहीं कर पा रही है, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है, इससे किसान को तो नुकसान होता ही है, लेकिन निर्धारित कृषि विकास दर प्राप्त नहीं करने के कारण राष्ट्र को भी कृषि उत्पादन में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

अतः मैं केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री से मांग करता हूं कि राजस्थान में जिन किसानों की फसल शीतलहर व पाले के कारण खराब हुई है, उन्हें उनकी फसल का पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

(दस) बिहार के मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : नियम 377 के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बिहार के मोतिहारी जिले में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में कई बाधा खड़ी कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री जी कहते हैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अच्छी फैकल्टी हो, यातायात हो एवं हवाई सेवा हो। जबकि देश के अन्य राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय सुदूरवर्ती इलाकों में स्थापित हुए हैं। माननीय मंत्री जी के अलग–अलग राज्यों के लिए अलग मापदंड हैं। जन भावना के आधार पर बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव कि बिहार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में की जाये, को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी कहते हैं कि गया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हेतु रक्षा मंत्री जी जमीन उपलब्ध करवा रहे हैं और मोतिहारी में स्टेट विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए आर्थिक सहयोग की बात करते हैं। सरकार किन कारणों से महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने से मना कर रही है, यह समझ से परे है। बिहार को विकासोन्मुख बनाने वाले बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, वह जनहित एवं जनभावना पर आधारित है एवं केन्द्र सरकार को जनभावना के अनुरूप मोतिहारी, बिहार में शीघ्रतिशीघ्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि बिहार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मोतिहारी में स्थापित किये जाने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए निर्देश देने की कृपा करें।

(ग्यारह) ओडिसा के पारादीप में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. की चालू परियोजना से प्रभावित भूमि से बेदखल लोगों के विकास के संबंध में पुनर्वास और पुनःस्थापन नीति, 2006 के क्रियान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री बिभू प्रसाद तराई (जगतसिंहपुर) : मैं पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 2000 में इंडियन आयल कारर्पोरेशन लिमिटेड ने पारादीप, ओडिसा में तेल शोधक परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहीत की थी तथा कारपोरेशन की निर्धारित पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के अनुसार भूमि मालिक को मुआवजा दिया था। तथापि, वर्ष 2006 में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने एक नई पुनर्वास और पुनस्थापित नीति अपनाई थी। हम कह सकते हैं कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2006 के अनुसारयदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी परियोजना के लिए भूमि 2006 से पहले अधिग्रहीत की गई है और परियोजना निर्माणाधीन है, तो अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवजा या अन्य कोई लाभ प्रभावित लोगों को दिया जाएगा। चूंकि पारादीप में तेलशोधक परियोजना अभी भी निर्माणाधीन है, अतः राज्य/केंद्र की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2000 आई ओ सी एल की पारादीप, ओडिशा में स्थित तेल शोधक परियोजना पर लागू होती है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2006 के अनुसार पुनर्वास और परिसर विकास सलाहकार समिति (आर पी डी एस सी) की स्थापना की गई थी ताकि पारादीपन, ओडिसा में प्रभावित गांवों के विकास हेतु पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2006 को कार्यान्वित किया जा सके। इस संबंध में आर डी सी कटक की अध्यक्षता में आर पी डी ए सी की बैठकें दो बार 2009 और 2010 में हुई और इन बैठकों में स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया गया कि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2006 को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा जारी किए परिपत्र, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि विस्थापित लोगों, पढ़े–लिखे नवयुवकों और जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, को अस्थायी/स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, के बावजूद उक्त नीति के कार्यान्वयन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा व्यापक कार्यवाही नहीं की गई है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि बारह वर्ष बीत जाने के बाद भी विस्थापित लोगों को आवास नहीं दिए गए हैं। 30000 से भी अधिक लोग पारादीप में तेल शोधक परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं किंतु जिनकी भूमि अधिग्रहीत की

गई है और जो विस्थापित हुए हैं, को ठेकेदारों पर दबदबा बनाए रखने वाले बिचौलियों, तेल शोधक परियोजनाओं क अधिकारियों तथा स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण, रोजगार नहीं मिल रहा है। वहां नियुक्त किया गया लोकपाल भी प्रभावित लोगों को के विकास/रोजगार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा।

इस संबंध में, मैं चाहता हूं कि आप हस्तक्षेप करें ताकि पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2006 का कार्यान्वयन हो और आई ओ सी एल तथा स्थानीय प्रशासन को आदेश दें कि भूमि खोने वाले और विस्थापित लोगों को आई ओ सी एल की पारादीप, ओडिसा में चल रही तेल शोधक परियोजनाओं में रोजगार दिया जाए।

(बारह) दिल्ली–गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री कुलदीप बिश्नोई (हिसार) : देश में केवल गुड़गांव ही एक ऐसा शहर है जहां 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर दिल्ली–गुड़गांव एक्सप्रेस वे (एनएच–8) पर खेरकी धौला और सिरहोल पर दो टोल प्लाजा बनाए गए हैं। यह केंद्र सरकार के वर्ष 2008 में अधिसूचित नियम, जिसके तहत एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी कम से कम 65 किमी. अवश्य होनी चाहिए, के विरूद्ध है। इन दोनों टोल प्लाजाओं पर प्रतिदिन होने वाले भारी ट्रैफिक जाम और वाहनों की लंबी कतारों के कारण कामकाजी लोग, छात्र आदि निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते, लोगों की फ्लाइटस और ट्रेन आदि छूट जाती है, साथ ही मेडिकल आपात स्थिति में भी इसके कारण गुड़गांव के लोगों और दैनिक यात्रियों को बहुत असुविधा होती है।

मैं सरकार से इन दोनों टोल प्लाजाओं को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह करता हूं ताकि स्थिति में सुधार हो सके और गुड़गांव निवासियों और दैनिक यात्रियों को सुविधा हो सके।

अपराह्न 12.04 बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब मद संख्या–12 श्री एम. आई. शानवास

श्री एम. आई. शानवास (वयनाड) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए भाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं मेरी माननीय साथी श्रीमती गिरिजा व्यास द्वारा ज्ञापित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। भारत की माननीय राष्ट्रपति जी को भाषण विस्तृत और व्यापक था। इसमें पिछले वर्ष की हमारी उपलब्धियों के साथ–साथ इस वर्ष हम किन उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे तथा भविष्य के लिए हमारे लक्ष्य क्या हैं, आदि का वर्णन किया गया है।

भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पहले हिस्से में संप्रग सरकार के लिए कहा है कि जो विधेयक संसद में प्रस्तुत तो किए गए किंतु पारित नहीं हो पाए थे, उन्हें पारित किया जाएगा।

अति महत्वपूर्ण विधेयक जैसे लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, धनशोधन और काले धन के खिलाफ विधेयक आदि संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे। संप्रग सरकार ने प्रण किया है कि ये विधेयक इस वर्ष पारित कर दिए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ 3 पर देश के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन किया गया है। ये चुनौतियां हैं : जीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा तथा आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा। हमारा देश इन सब चुनौतियों का सामना कर रहा है। संप्रग सरकार का लक्ष्य है इन सब चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके विकास के पथ पर आगे बढ़ना है।

ये पांचों चुनौतियों तब भी थीं जब 65 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हमने जवाहरलाल नेहरू के कुशल नेतृत्व में आर्थिक रूप से सुदृढ़ भारत की नींव डाली और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।

महोदया, मैं सरकार द्वारा पिछले वर्ष प्राप्त की गई उपलब्धियों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस अभिभाषण में इन सब उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है।

हमें यह बात समझनी है कि हमारा देश आजादी के 65 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचा। गत वर्ष हमारे देश की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल थीं।

अध्यक्ष महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन 65 वर्षों के दौरान क्या हुआ है। पैंसठ वर्ष पहले हम कहीं नहीं थे और हमारी अर्थव्यवस्था अवरूद्ध थीं। उस समय हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न नहीं थे। वहां से आज हम विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए हैं और विश्व

में तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। यह सब कैसे हुआ है?

इस संबंध में हमने काफी प्रगति की है। 1947 में हमारी साक्षरता दर केवल 21 प्रतिशत थी। आज यह बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो गई है। 1947 में फैक्टर लागत पर हमारा सकल घरेलू उत्पाद 9.719 करोड़ रूपये था। आज हमारा स. घ. उ. 65,00,000 करोड़ रूपये है। 65 वर्षों की अवधि में हमारा स. घ. उ. 9,719 करोड़ रूपये से बढ़कर 65,00,000 करोड़ रुपये का हो गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1950–51 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार केवल 10,000 करोड़ रुपये था। आज यह 13,00,000 करोड़ रुपये के बराबर है। 1947 में हमारा निर्यात 606 करोड़ रुपये का था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में, यह कहा गया है कि गत वर्ष हमारा निर्यात 16,00,000 करोड़ रुपये का था। आशा है 2013 में हमारा निर्यात 25,00,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा।

एक ओर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं और हम विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वही दूसरी ओर राजनैतिक मौर्चे और सामाजिक सुरक्षा के मौर्चे पर भी भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है।

15 अगस्त, 1947 को हमें आजादी मिली इससे एक दिन पहले पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान का जन्म इस्लामी गणराज्य के रूप में हुआ तथापि धर्म भी पाकिस्तान को संगठित नहीं रख सका। 1971 में पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। आज आजादी मिलने के 65 वर्षों के बाद भारत एक संगठित देश हैं इन 65 वर्षों के दौरान अधिकांशतः, भारत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शासन किया है। इसलिए भारत में एकता और अखंडता कायम है।

पाकिस्तान में, हम यह देख सकते हैं कि लोकतंत्र में परिवर्तन आया है। वहां की लोकतांत्रिक सरकार भी सेना की निगरानी में कार्य करती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। बंगबंधु मुजीबुर रहमान की गोली मार कर हत्या कर दी गई। उनके पौत्र की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

भारत में, हमने श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की शहादत को देखा है। हमने लोकतांत्रिक अनुभव भी प्राप्त किया है और आर्थिक विकास भी किया है।

अपने अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया है कि हमने किस प्रकार अपना विकास किया है।

हमने 2011 में छात्रवृत्तियां देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इसी प्रकार, अल्पसंख्यकों के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं। किसानों को ऋण देने के लिए अगले वर्ष 4,75,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

मनरेगा के अंतर्गत 11,000 करोड़ श्रम दिवसों हेतु 25 करोड़ परिवारों को 1,48,000 करोड़ रु. वितरित किए गए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भारत इस स्तर पर पहुंच चुका है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

महोदया, मैंने इस सभा में हाल में विधानसभा चुनावों के बारे में विभिन्न सदस्यों के भाषण सुने हैं। मैं इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि राजनैतिक प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें उतार–चढ़ाव आएंगे, इसमें हार–जीत होती ही रहेगी, आकलन करने में त्रुटियां भी हो सकती हैं, या वह सही भी हो सकता है। लोकतंत्र में स्थायी रूप से कोई बात सही या गलत नहीं होती। मैं इस बात से आश्चर्य चकित हूं कि भाजपा मेरे मित्र टीवी स्टूडियो पर जाकर यह कह रहे थे कि कांग्रेस की पराजय हुई है। हाल के चुनावों का वास्तविक लेखा–जोखा क्या है? चुनावों से पहले गोवा और मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी। चुनावों के बाद कांग्रेस की गोवा में हार हुई परंतु, हमें उत्तराखंड और मणिपुर में विजय प्राप्त हुई। गोवा के अतिरिक्त,ख सब जगह हमारी स्थिति में सुधार हुआ है।

उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? मैं इस सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि कल मेरे मित्र श्री शाहनवाज हुसैन इस बात से प्रसन्न थे कि कांग्रेस की हार हुई है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि "क्या भाजपा की उत्तर प्रदेश में विजय हुई है?" उत्तर प्रदेश के चुनावों भाजपा के अठावन प्रतिशत उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। पिछले 25 वर्षो से अयोध्या सीट भाजपा के पास थी और इस बार अयोध्या सीट भी उनके हाथ से छिन गई। इसलिए, इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है?...*(व्यवधान)*

आदरणीय अध्यक्ष महोदया, पर्यवेक्षक के रूप में मैं यह देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों में क्या हो रहा है। उ. प्र. में रणनीति के तहत मतदान हुआ है। यह रणनीतिक मतदान क्या है? इस चुनाव से पहले बसपा सत्ता में थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में वहां कांग्रेस की लहर आई...*(व्यवधान)* मैं आपको इस संबंध में आंकड़े भी दूंगा। वहां कांग्रेस की लहर थी। भाजपा और सपा के होते हुए भी वहां कांग्रेस की लहर थी। जनता बसवा को सत्ता से बाहर करना चाहती थी। अतः ऐसे में वह किसे चुनेंगे? उन्होंने कांग्रेस

[श्री एम. आई. शानवास]

को पसंद किया, कुछ लोगों ने भाजपा को पसंद किया। उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवीय चुनावों जैसी स्थिति देश के किसी अन्य भाग और में है। अतः समाजवादी पार्टी के लिए रणनीति के तहत मतदान हुआ, मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि ऐसा मतदान उनके लिए सिर्फ एक बार हुआ है, ऐसा हमेशा नहीं होगा क्योंकि इस बार उन्हें सत्ता के खिलाफ हुए मतदान का लाभ प्राप्त हुआ है। 2007 में भी यही स्थिति थी जब जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटा कर कोई दूसरा विकल्प चाहती थी। इसलिए उन्होंने भाजपा या कांग्रेस पार्टी को नहीं चुना। उन्होंने पिछली बार 2007 में बसपा को चुना। अतः हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक रणनीति के तहत मतदान हो रहा है। इसमें भाजपा को स्वयं पर गर्व नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2007 में कांग्रेस पार्टी को उ. प्र. में केवल 8.6 प्रतिशत वोट मिले थे। इस बार उत्तर प्रदेश में रणनीतिक मतदान होने के बावजूद कांग्रेस गठबंधन को 14 प्रतिशत वोट मिले हैं। 2007 में भाजपा को केवल 16.9 प्रतिशत वोट मिले थे और इस बार उनके वोटों का प्रतिशत घटकर 15 प्रतिशत रह गया है।

अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2007 में रणनीति बनाकर मतदान किया गया। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, 2007 में उत्तर प्रदेश में लोग सपा को नहीं चाहते थे तो उन्होंने बसपा के लिए मतदान किया; और 2012 में लोग बसपा को नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सपा को चुना। अब आप 2009 के परिणाम को देख लीजिए। 2007 में कांग्रेस की वोटों में हिस्सेदारी केवल 8.66 प्रतिशत थी और 2009 में लोक सभा में 21 सीटों के साथ बढ़कर यह 18.2 प्रतिशत हो गई। मैं सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 2014 में लोक सभा चुनाव होंगे...*(व्यवधान)* आप कृपया मेरी बात सुन लीजिए। 2014 के लोक सभा चुनाव में मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच टक्कर नहीं होगी। बसपा और सपा के बीच मुकाबला नहीं होगा। बल्कि यह मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। यह मुकाबला, संभवतः श्री राहुल गांधी और श्री नरेंद्र मोदी के बीच होगा, और उ. प्र. के रणनीति के तहत मतदान करने वाले मतदाता आगामी वर्षों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करेंगे...*(व्यवधान)* इस बारे में चिंता मत कीजिए। आप क्या कांग्रेस पार्टी को महत्वहीन समझ रहे हैं...*(व्यवधान)*

आजकल कुछ समाचार पत्र तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। तीसरा विकल्प कैसे संभव है? कल एक समाचारपत्र ने यह लिखा कि तीसरा विकल्प एक राष्ट्रीय मत है। महोदया, मेरा यह कहना है कि तीसरा विकल्प एक राष्ट्रीय मजाक है। देश में कहीं भी यह संभव नहीं है। केवल एक राष्ट्रीय राजनैतिक संगठन ही इस प्रकार का कार्य कर सकता है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नकारिए मत...*(व्यवधान)* ऐसा होगा। हम इस का समाधान कर लेंगे। हमारा नेतृत्व किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम है? और वह इसका समाधान तलाश लेगा। आप स्वयं यह देखेंगे...*(व्यवधान)* कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मत नकारिए।

अपराह्न 12.16 बजे

(श्री वी. सी. चाको *पीठासीन हुए)*

सभापति महोदय, वर्ष 1977 कांग्रेस की पराजय हुई थी। इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थीं। 1977 में हमें केवल 153 सीटें मिली थीं। 1978 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1978 में हमारी सीटें घटकर 68 रह गई। उस समय इस संसद भवन में केरल से हमारे नेता श्री सी एम स्टीफन संसदीय दल के नेता थे। इंदिरा जी सदस्य नहीं थी। भाजपा इस बात को याद रखे। हमारे पास 68 सीटें थीं। 1980 में इंदिरा जी 353 सीटों के साथ पुनः सत्ता में आईं। अतः कांग्रेस को महत्वहीन मत समझिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह उस विषय पर आ रहे हैं।

श्री एम. आई. शानवास : कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एकमात्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संगठन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता। भाजपा के मेरे सहयोगी जो उ. प्र. के परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे। कृपया जान लें कि इस में प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है। कल श्री शाहनवाज हुसैन वक्तव्य दे रहे थे। मुझे श्री शाहनवाज हुसैन से विशेष स्नेह है क्योंकि मेरे और उनके नाम में समानता है। हम दोनों के बीच केवल यही समानता है। शाहनवाज हुसैन साहब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको इस पर गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बसपा, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं स्वाभाविक रूप से हम यह देख सकते हैं कि बसपा और सपा ऐसी पार्टियां हैं कि यदि वे भाजपा के साथ गठबंधन करती हैं तो वे समाप्त हो जाएंगी। श्री मुलायम सिंह यादव ने श्री कल्याण सिंह जी के साथ गठबंधन किया था और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। अतः, भाजपा में शासन करने के लिए एक स्वाभाविक पसंद केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।

मेरे प्यारे मित्रो, आप जो भी कहें, भाजपा के माथे पर कलंक का टीका लग गया है। सभापति महोदय, भाजपा को दाग लग गया है। इस देश की बीस प्रतिशत जनसंख्या उनके पास नहीं जा सकती। जब तक यह कलंक का टीका उन पर लगा रहेगा, वे फिर कभी सत्ता में नहीं आ सकेंगे। मैं लंबा भाषण देना नहीं चाहता। यह संप्रग सरकार बहुत सशक्त है। यह संप्रग सरकार हर हाल में चल सकती है। मैं पुनः चेतावनी देता हूं कि जो लोग कतिपय परिणामों के बारे में सोचते हैं वे उससे गुमराह न हों। कांग्रेस पुनः आएगी। इस देश पर शासन करने हेतु एक मात्र विकल्प केवल कांग्रेस ही है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

★**श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार का संकल्प होता है। लेकिन यह जो अभिभाषण हमारे सामने है वह इस हताश और निराश सरकार की तरह दिशाहीन है। इसमें अल्पसंख्यकों को ओबसी कोटे से 4.5 फीसदी आरक्षण देने के निर्णय की वकालत की है। यह निर्णय संविधान विरोधी है, देश के संविधान निर्माताओं ने देश के धर्म आधारित विभाजन के बाद धर्म आधारित आरक्षण देने का पुरजोर विरोध किया संविधान में भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं किया। सरकार यह संविधान विरोधी कदम उठाकर देश में फिर धार्मिक पक्षपात को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना है तो, सरकार को संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था करनी चाहिए लेकिन देश के बहुसंख्य ओबीसी के 27 फीसदी कोटे से आरक्षण देकर ओबीसी के युवा बेरोजगारों पर अन्याय नहीं कर सकती। सरकार के इस निर्णय का देश के ओ बी सी वर्ग में भारी विरोध हो रहा है। ओ बी सी की अधिक संख्या होने के बाद भी उन्हें केवल 27 फीसदी आरक्षण उपलब्ध था लेकिन इस आरक्षण पर डाका डालने से ओ बी सी के कोटे का हिस्सा कम होगा किसी के मुख का निवाला छीनकर दूसरे के मुंह में डालने का काम सरकार का नहीं हो सकता यह सरकार का गलत निर्णय है इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मैं मांग करता हूं।

देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। आज उच्चतर शिक्षा-धारी को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं है, सरकार द्वारा रोजगार सृजन के मामले में उपेक्षा तथा नाकामी से बेरोजगार युवकों का मोहभंग हो रहा है। विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी का देश अगर रोजगार विहीन रहा तो ये युवा भटक कर असामाजिक तत्वों का शिकार हो सकते हैं। देश के माओवादी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बढ़ते दायरे और इसमें लिप्त युवाओं की बढ़ती संख्या को हमें चेतावनी के रूप में लेना चाहिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार की निर्मिती होनी चाहिए लेकिन सरकारी स्तर पर इसका विरोधाभास स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं।

सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के कारण भी रोजगार कम हो रहे हैं। कोयला, इस्पात, और मायनिंग क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं होते हुए भी निजी क्षेत्रों को इसमें तरजीह देने के कारण रोजगार का अभाव निर्माण हो रहा है। देश की बहुमूल्य खनन सामग्री का भ्रष्टाचार और बंदरबाट के कारण लूट खसोट हो रही है। सरकार ने कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को भारी पैमाने पर कोल कैप्टीव ब्लॉक आबंटित किये पहले आओ पहले पाओ की नीति के अंतर्गत बांटे गये निजी क्षेत्रों को कैप्टीव ब्लॉक मुफ्त में दिये गये आम जनता की संपत्ति मुफ्त में निजी क्षेत्रों में बांटने में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। जिन लोगों को कैप्टीव ब्लॉक दिये गये उन्होंने हस्तांतरण कर दूसरों को बेचा जो कि गैर कानूनी है। सरकार के निजी क्षेत्रों के हिमायती होने से देश के राजस्व को करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ी है। सरकार पर दबाव बढ़ने के कारण इसे नीलामी के द्वारा आबंटित करने का विधेयक लोकसभा में पारित किया गया लेकिन इसके विनियम अभी तक तैयार नहीं किये गये इसका मतलब सरकार जनता की करोड़ों रुपये की संपत्ति निजी क्षेत्रों में बंदरबाट करने पर आमादा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि कोयला, आयरन और, मगनिज जैसे महंगे खनन सामग्री के खनन ब्लॉक देने के लिए नीलामी के पद्धति का अनुपालन करना चाहिए इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा और निजी क्षेत्रों को खनन की अनुमति देते समय स्थानीय स्तर पर रोजगार देने को भी बाध्य करना होगा। देश के खनन क्षेत्र में भारी भ्रष्टाचार केन्द्र सरकार की नीति की वजह से है, इसलिए सरकार को नीति बदलने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा मनरेगा, खाद्य सुरक्षा परियोजना चलाने के लिए धन की कमी के कारण रक्षा बजट में कटौती करने का विचार किया जा रहा है। यह एक गलत कदम होगा आज हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी है, इसके कारण हमारी सामरिक स्थिति सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारे रक्षामंत्री के अरुणाचल के दौरे पर चीन के द्वारा उठाये जा रहे आक्षेप, पाकव्याप्त क्षेत्र में चीन की

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

उपस्थिति को देखते हुए अपने संरक्षण दलों पर खर्च और बढ़ाना चाहिए। सरकार ने आणविक पनडुब्बी रशिया से लीज पर ली है, लेकिन हमें अपने आण्विक हथियारों के परीक्षण और इस्तेमाल के लिए स्वदेशी परियोजनाएं चलाने की आवश्यकता है। शस्त्र, अस्त्र के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता को खत्म कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें कदम उठाना पड़ेगा। पिछले दिनों सीमा पर तैनात जवानों की हिमपात के कारण असमय मृत्यु की घटना को देखते हुए जवानों की सुरक्षा और सुविधा पर हमें ध्यान देना होगा। सेना के राशन में भ्रष्टाचार जैसे मामले फिर नहीं होंगे, इसलिए भी हमें कदम उठाना पड़ेगा।

अभिभाषण में सरकार का विकास दर विपरीत स्थितियों के बाद भी 9 के आसपास रहने की वकालत की है। यह धोखा है। सरकार के कई विभाग तथा अर्थशास्त्री यह मान चुके हैं कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते विकास दर 6 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। आगे आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है, इसमें यह बात स्पष्ट होगी। सरकार सभी मामलों में इसी तरह झूठ बोलकर विकास का मायाजाल फैलाने का प्रयास कर रही है। यह सरकार पूरी तरह खोखली हो चुकी है। आम आदमी के दम पर आई सरकार ने आम आदमी का दम निकालने का कार्य करने से इस सरकार से निराश होकर जनता ने पिछले पांच राज्यों के चुनाव में इसे हराया है। जनता के पैसे की लूट हो रही है और यह सरकार मूक दर्शक बनी है। इससे देश की साख पर बट्टा लगा है। कॉमनवेल्थ गेम, टूजी स्पेक्ट्रम, आदर्श बिल्डिंग, लिवासा, ऑन्ट्रीक्स, देवास जैसे महा घोटाले के कारण यह सरकार बदनाम है। जिस देश के 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषित होने के बाद स्वयं प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय शर्म कहकर अपना पल्ला झाड़ते हैं। महंगाई के कारण लोगों को दो वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो रही है फिर पोषक आहार की बात ही दूर है। देश का बालपन अगर कुपोषित होगा तो हम देश को सशक्त कैसे बना सकते हैं। इसका विचार हमें करना चाहिए। देश के विकास के लिए धनराशि की कमी का रोना रोते रहते लेकिन हजारों, लाखों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। विदेशों में जमा काले धन को देश में लाकर विकास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा सकता है। यह सरकार आम आदमी के लिए कुछ नहीं करती दिखाई दे रही इसलिए यह सभी मोर्चे पर असफसल, हताश और दिशाहीन सरकार है, ऐसा सभी मानने लगे हैं। भविष्य में होने वाले राजनीतिक संग्राम में लोग इसे साबित करेंगे सरकार द्वारा नाकामी के कारण लोगों को विशेषकर किसानों को जो कष्ट झेलने पड़ रहे, इसका सरकार संज्ञान ले और उचित कदम उठाये। ऐसा आवाह्न करके धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन देता हूं।

★**कुमारी सरोज पाण्डेय** (दुर्ग) : आजाद भारत में आजादी के 64 वर्षों के बाद कुपोषण की समस्या है जिसे इस देश के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो यह स्पष्ट है कि वह बीमार भी है। कुपोषण पर यह सरकार चिंता तो जरूर प्रकट करती है लेकिन दुख का विषय है कि सरकार इसके लिए प्रभावी प्रयास नहीं कर रही है और व्यावहारिक नहीं है। यह दुख का विषय है कि केवल आईसीडीएस की व्यवस्था को सुदृढ़ करने को सरकार आशान्वित है। मुझे लगता है कि सरकार का प्रयास इस दिशा में ज्यादा व्यावहारिक होना चाहिए। इस देश में लाखों की आबादी अपने जीविका को चलाने के लिए रेहड़ी पटरी पर सामान बेचती है परन्तु रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने के बाद भी पूरे जीवन में एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। आजादी के 64 साल बाद भी सरकार इनके विषय पर कोई गंभीर प्रयास नहीं कर पा रही है।

इस देश का अन्नदाता किसान है और किसान मेहनत कर के रिकॉर्ड उत्पादन करता है लेकिन किसानों को उनका किसान हितैषी समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। कुछ कृषि उत्पादों में कुछ प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है परन्तु छत्तीसगढ़ जैसे नवोदित राज्य, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, केंन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को धान उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा भी दिया गया है, वहां पर किसानों के द्वारा उत्पादित धान का समर्थन मूल्य उचित मात्रा में निर्धारित नहीं कर रही है जिससे किसानों का मनोबल गिरता है। यदि सरकार सच में संघीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है तो सरकार को इसका समर्थन मूल्य 2000 रु. प्रति क्विंटल करना चाहिए।

इस देश में मनरेगा एक बेहतर योजना के रूप में प्रचारित की गयी थी लेकिन यह योजना यथार्थ के धरातल पर लोगों को लाभ नहीं पहुंचा पा रही है। इस योजना को पुनः संशोधित किये जाने की जरूरत है जिससे इसका लाभ ग्रामीण जनता को मिल सके।

हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 3884 करोड़ रु. का वित्तीय पैकेज घोषित किया है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं, कि आज इस देश में बुनकरों की स्थिति सबसे खराब है। इस देश के बुनकर अपनी मेहनत का सही मेहनताना नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारी यह धरोहर धीरे-धीरे प्रतिस्पर्धाओं से बाहर होती जा रही है। इस धरोहर को और इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए केवल पेकेज

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

की घोषणा नहीं की जानी चाहिए बल्कि उनकी मजदूरी का उचित मूल्य मिले, उनके कार्यों को प्रोत्साहित करें और अपने उत्पादन को बाजार में बेचा जा सके, इसकी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार उन्हें ऋण न दे बल्कि उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता न पड़े, ऐसी परिस्थिति बनाये।

इस सरकार ने वन विस्तार और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन बनाया है, अच्छा किया है लेकिन फिर भी इस देश में कही सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आती है। कहीं गर्मियों में भूजल का स्तर इतना गिर जाता है कि लोगों को पीने और घरेलू उपयोग का पानी 8–8 दिनों तक नहीं मिलता। भारत देश नदियों का देश है। गंगा, जमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इस देश में बहती हैं। एन.डी.ए. की सरकार ने "नदी जोड़ो परियोजना" की शुरूआत की थी लेकिन अपने 8 साल के कार्यकाल में यू.पी.ए. सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया। ऐसी योजनाओं को रोक कर राष्ट्र का अहित करते हैं और सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए।

जो विषय राष्ट्रहित में है, उसे स्वीकार किया जाये। इतना कहते हुए मैं भारत की माननीया राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद देती हूं।

★**श्री गणेश सिंह** (सतना) : मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिये गये अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार रख रहा हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में केन्द्र सरकार की अदूरदर्शिता का प्रतिबिम्ब साफ दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है जैसे केन्द्र सरकार के साढ़े सात वर्षो के कार्यकाल में कोई खास उपलब्धि नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके, केन्द्र सरकार सभी मोर्चों में बुरी तरह से विफल रही है। यू.पी.ए. की सरकार यदि इतिहास में लोगों को याद रहेगी तो भ्रष्टाचार एवं मंहगाई बढ़ाने के लिए याद रखी जाएगी।

देश की अर्थव्यवस्था में विकास की दर में 7 प्रतिशत तक गिरावट आ चुकी है और इसके लिए वैश्वीकरण को दोषी बनाया जा रहा है यह पर्याप्त नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने देश के अंदर 5 बड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया है। इसके अलावा भी देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षित बेरोजगारी तथा किसानों की आत्महत्याएं भी बड़ी चुनौती हैं, लेकिन सरकार के दस्तावेज में इनको प्रमुख चुनौती रूप में नहीं माना जा रहा है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आज देश में दो तरह की चर्चा है – एक तो भ्रष्टाचार की तथा दूसरी तरफ विकास की।

देश में गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने विकास का जो मॉडल खड़ा किया है उसकी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन केन्द्र सरकार की किसी एक भी योजना की लोग प्रशंसा नहीं कर रहे, क्या कारण है? क्योंकि सरकार की कथनी–करनी में फर्क है। अभिभाषण के चौथे नम्बर में राष्ट्रपति जी ने कहा है कि मेरी सरकार ईमानदार तथा अधिक कारगर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है।

टूजी एस्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ गेम्स घोटाले जैसे कई घोटाले इसी सरकार के रहते हुए हैं जिस सरकार के मंत्री स्वयं जेल में हैं सुप्रीम कोर्ट को 120 स्पेक्ट्रम लाइसेंस निरस्त करने पड़े हों।

काले धन पर श्वेत पत्र जारी करने तथा एक वर्ष में विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की चुनाव में घोषणा की गई थी, किंतु इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया।

देश के किसान खेती में लगातार हानि उठा रहे हैं, किंतु केन्द्र सरकार खेती के व्यवसाय में हानि हो रही उसे मानने को तैयार नहीं है, किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रहीं, लागत खर्च बढ़ता जा रहा है, मात्र समर्थन मूल्य घोषित करने से किसानों का घाटा पूरा नहीं हो सकता किसानों के लिए नई कृषि नीति बनानी होगी। लागत खर्च एवं उत्पादित फसल के मूल्य के निर्धारण पर गहन विश्लेषण करने की जरूरत है। हमारे देश में खेती प्रकृति पर निर्भर है, लगातार फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो रही है इसलिए नई फसल बीमा योजना बनानी होगी जिसमें किसान का खेत इकाई हों, तथा फसल का प्रीमियम 50 प्रतिशत केन्द्र, 30 प्रतिशत राज्य एवं 20 प्रतिशत किसान से लेने की नीति नहीं बनेगी तब तक किसान की तबाही नहीं रुक सकती। आजादी के बाद से नारा लगा था गरीबी मिटाने का रोटी कपड़ा मकान देने का इन समस्याओं का समाधान बहुत थोड़ा हुआ लेकिन आजतक समयबद्ध कार्यक्रम इन समस्याओं के मिटाव हेतु नहीं बनाया गया। देश अमीरी–गरीबी में बटता जा रहा है गरीबी घटने के बजाय बढ़ रही है इसके तहत अमीरी भी बढ़ रही है इससे साफ जाहिर है कि केन्द्र सरकार द्वारा इसका संतुलन को मिटाने का कारगर प्रयास नहीं हुआ।

केन्द्र सरकार वोट के खातिर नये नये शिगूफे छोड़ती रहती है यू.पी. चुनाव में मुस्लिम समाज का वोट लेने के खातिर पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत कोटे से 4.5 प्रतिशत धार्मिक आधार पर मुस्लिम वर्ग

[श्री गणेश सिंह]
को आरक्षण देने की घोषणा न करके एक नई बहस शुरू कर दिया है जो देश हित में नहीं है।

केन्द्र सरकार के भारत निर्माण योजना की गति धीमी हुई है उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सिंचाई परियोजना, विद्युत उत्पादन सभी शिथिल पड़ गये हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग गड्ढों में तबदील हो गये हैं म.प्र. की बरगी बांध की दायी तरनहार जो राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कराने हेतु लंबित है।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल के विस्तारीकरण हेतु यू.आई.आई.एस.एस.एम.टी. योजना में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना की एक योजना शहरी मंत्रालय में विचाराधीन है और स्वीकृति नहीं मिल रही ये प्रमाणित उदाहरण है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से जो वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन योजनाएं चला रही है उसमें बीपीएल में नाम की जो अनिवार्यता रखी गई है वह पूर्णतः गलत है इस अनिवार्यता को हटाया जाना चाहिए इससे लाखों जरूरतमंद लोग वंचित हैं। अभिभाषण में कई नये बिलों का उल्लेख किया गया है परन्तु म.प्र. राज्य ने जो बिल मंजूरी हेतु भेजे हैं उनकी स्वीकृति दिये जाने का उल्लेख नहीं किया गया।

केन्द्र सरकार ने देशवासियों का विश्वास खोया है दुनिया में देश का सम्मान कम हुआ है, देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल बिछाया जा रहा है। मैंने महामहिम के अभिभाषण में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन पेश किये हैं जिनका विवरण समान स्तर है उन्हें स्वीकार किया जाय।

मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

★**श्री सी.आर. पाटिल** (नवसारी) : गुजरात पूरे देश में सर्वाधिक विकसित राज्य है। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने अपने शासनकाल में राज्य का सर्वांगीण विकास किया है। जहां, कृषि क्षेत्र में पूरे देश में लगभग 3 प्रतिशत विकास हुआ है वहीं गुजरात में कृषि क्षेत्र में 10 प्रतिशत से भी अधिक विकास हुआ है। इसी वजह से देश का विकास थोड़ा ठीक दिखता है। गुजरात में औद्योगिक विकास (इंडस्ट्रियल ग्रोथ) भी सबसे अधिक हुआ है। गुजरात ने पूरे देश का 71 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया है जबकि देश के शेष राज्यों ने 29.1 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया है। गुजरात में सुख है, शांति है, औद्योगिक शांति (इंडस्ट्रियल पीस) है। इसी वजह से देश के सभी भागों और विदेशों से लोग गुजरात में निवेश (इन्वेस्टमेंट) करने आते हैं और वह निवेश कर भी रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि फिर भी केन्द्र सरकार गुजरात को कुछ भी नहीं देना चाहती। चाहे गैस की रॉयल्टी हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, शिक्षा पर अनुदान हो – गुजरात को इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। गुजरात के गरीब व मजदूर लोगों के हिस्से का केरोसीन भी सरकार ने छीन लिया है। गरीब व मजदूर लोगों को राशन कार्ड पर मिलने वाले गुजरात के हिस्से का राशन भी आप गुजरात के लोगों को नहीं देना चाहते। चाहे अनाज के गोदामों में रखा हुआ अन्न सड़ ही क्यों न जाए पर आप इसे गुजरात के लोगों को नहीं देंगे।

महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ हूँ क्योंकि आगामी वर्ष के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं या शुरू होने वाली हैं। उनका प्रतिबिंब माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्रतिबिंबित हुआ है परन्तु उनका लाभ गुजरात को नहीं मिलेगा। केन्द्र सरकार एन.सी.टी.सी. या आर.पी.एफ. बनाकर राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है, इस बारे में भी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। सीबीआई का दुरुपयोग हो या सेना का, इसके बारे में भी माननीय राष्ट्रपति जी को सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। हमें माननीय राष्ट्रपति जी से बहुत सी उम्मीदें थीं मगर समूचा गुजरात उनका अभिभाषण सुनकर दुखी हुआ है। मुझे लगता है कि गुजरात के प्रति केन्द्र सरकार का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए जबकि ऐसा है नहीं।

★**श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा अपनी ओर से एवं उत्तराखंड राज्य एवं मणिपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं युवा कांग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी जी को बधाई देता हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यू.पी.ए. सरकार को अन्य मुद्दों के साथ-साथ हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' के सेना में सम्मिलित होने व तीनों सेनाओं के शीघ्र आधुनिकीकरण के लिए हरसंभव सहायता देने को प्राथमिकता देने के लिए मैं बधाई देता हूं।

वैश्विक मंदी तथा विश्व की कई बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा 2011-12 में 7 प्रतिशत की विकास दर का रहना शुभ है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर को सरकार 8 से 9 प्रतिशत

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पर वापिस लाने के लिए कृत संकल्प है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन एवं काले धन को चिन्हित कर वापिस लाने के लिए जो प्रयास सरकार द्वारा किये जा रहे हैं, वह निश्चित रूप से सराहनीय हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा लाये गए कई बिल जैसे लोकहित प्रकटन एवं प्रकटन करने वाले को संरक्षण, भ्रष्टाचार निवारण, नागरिक शिकायत निवारण, लोकायुक्त एवं लोकपाल बिल आदि सरकार की भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

गरीबी, भूख व बेरोजगारी समाप्त करना सरकार की प्राथमिकता में है। यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार देश में सभी को दो वक्त की रोटी प्रदान करने के प्रति गंभीर है और इसके लिए खाद्य सुरक्षा बिल ला रही है। सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग का गठन सरकार की भविष्य की सोच का परिचायक है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा ऋण गारंटी आयोग का गठन सराहनीय है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के वजीफे में बढ़ोतरी सरकार की शिक्षा के प्रति संवेदना को दर्शाता है। उचित उपचार के लिए जन औषधि को बढ़ावा देना तथा उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रति सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय है।

ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के द्वारा मुझे आशा है देश में नौकरियों के समुचित अवसर उपलब्ध होंगे। सरकार द्वारा चलाये जा रहे भारत निर्माण कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आदि पर चल रहे विभिन्न कार्य देश को अग्रणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

औद्योगिक विकास के लिए दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का विकास काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सड़कों का विकास तथा रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण इस दिशा में सकारात्मक सिद्ध होगा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 63 लाख महिलाओं को कवर किया जाना सरकार की मातृत्व सुरक्षा के प्रति चिंता का परिचायक है।

सरकार से अनुरोध है कि वह नये वर्ष में बहुप्रतीक्षित रेल लाइन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के काम को तेजी से आरंभ करे क्योंकि यह उत्तराखंड राज्य की जीवन रेखा तो है ही साथ ही सामरिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पर्वतीय राज्य में सभी को पेयजल एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार विशेष योजना बना कर लागू करे जिससे पहाड़ों से पलायन रुके।

पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का भी अभाव है सरकार को विशेष नीति के तहत वहां पर उच्च व्यवसायिक एवं तकनीकी संस्थान खोलने चाहिए जिससे वहां के विद्यार्थियों को वहीं पर उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ हो सकें। जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा एवं हर्बल कृषि को पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ावा देने साथ ही पर्यटन के विकास के लिए भी सरकार को उचित योजना बना कर लागू करनी चाहिए।

पोस्टल बैलेट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए। उत्तराखंड के साथ–साथ पंजाब, हिमाचल, राजस्थान आदि में पोस्टल बैलेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। सैनिक जो पोस्टल बैलेट द्वारा वोट करते हैं वहां चुनाव आयोग की ओर से किसी प्रकार की निगरानी नहीं होती है और न ही वहां किसी राजनैतिक दल का कोई पर्यवेक्षक होता है तथा चुनाव आयोग की ओर से भी कोई विडियोग्राफी नहीं होती है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप पोस्टल बैलेट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं तथा महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं एवं उत्तराखंड के नव नियुक्त मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी को हार्दिक बधाई देता हूं।

[अनुवाद]

*डॉ. **रतन सिंह अजनाला** (खडूर साहिब) : सभापति महोदय, मैं आपको संसद के दोनों सदनों को संबोधित राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमें स्वतंत्र हुए 65 वर्ष हो चुके हैं। इन 65 वर्षों में से लगभग 50 वर्ष तक देश में कांग्रेस का ही शासन रहा है। कांग्रेस भ्रष्ट लोगों का अखाड़ा बन गया है....*(व्यवधान)* 1947 से जो भी भ्रष्टाचार के जो भी मामले सामने आए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी ही शामिल रही है। हमारे स्वतंत्राता सेनानियों ने भारत की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को देश से खदेड़ दिया गया। तथापि, किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे 'काले अंग्रेज' ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से भी बुरे होंगे। ऐसे तत्वों द्वारा देश को लूटा–खसोटा गया हैं

---

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

[डॉ. रतन सिंह अजनाला]

60,000 करोड़ रुपये का काला धन विदेशी बैंकों में जमा किया गया है। सरकार को दोषियों के नाम पता चल गए हैं। सब चाहते हैं कि हम नामों को सार्वजनिक किया जाए। फिर भी सरकार ने इन नामों को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। हम ऐसी सरकार से वह विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

आरोप लगाए गए हैं कि इस काले धन के मालिक भी वास्तव में बहुत से कांग्रेसी ही हैं। यदि सरकार इस धन को वापस नहीं ला सकती तो इसे कम से कम दोषियों के नाम तो बताने चाहिए। सरकार सच्चाई को क्यों छिपा रही है?

श्री राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान उ. प्र. में जोशपूर्ण ढंग से प्रचार किया। तथापि, समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश ने अंत में उ. प्र. में सरकार बनाई। इसी प्रकार पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिन्द्र सिंह की झोली में अपने सारे अंडे रख दिए। फिर भी, शि. अ.द. के सरदार प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब में सरकार बनाई।

कांग्रेस पार्टी और सरकार बाहर जाने वाली है। रेल मंत्री श्री दिनेश सिंह से जुड़े मामले ने उनके कफन में एक ओर कील गाड़ दी है। रेल मंत्री को कैसे अपमानजनक ढंग से बाहर जाना पड़ा। सुबह उन्होंने बजट पेश किया और शाम को उन्हें अपना बिस्तर बांधकर जाने के लिए कहा जा रहा है।

महोदय, सैंकड़ों किसान हैं जिनकी भूमि भारत–पाक सीमा पर है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के समय जिन किसानों की खेती वाली जमीन कंटीली बाढ़ के कारण प्रभावित हुई थी उन्हें 2500/– रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था।

2004 में संप्रग सरकार सत्ता में आई। उन्होंने पहल काम यह किया कि इस मुआवजा पैकेज को बंद कर दिया जो इन बेसहारा किसानों को दिया जा रहा था। पिछले सात वर्षों से मैं इन किसानों को मुआवजा पैकेज बहाल करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूं परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। सीमावर्ती क्षेत्रों के गरीब किसानों के साथ यह घोर अन्याय किया जा रहा है।

बी एस एफ, भारत–पाक सीमा पर गश्त लगाती है। किसानों की सैंकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन इस क्षेत्र में लगाई गई कटीली बाढ़ के पीछे पड़ती है। तथापि, किसानों को केवल 2 घंटे के लिए अपनी जमीन पर खेती करने दी जाती हैं यह कैसा अन्याय है?

बार–बार हमने गृह मंत्री और माननीय प्रधान मंत्री से मिलकर अनुरोध किया है कि सरकार को कंटीली बाढ़ के पीछे पड़ने वाली संपूर्ण जमीन को खरीदकर किसानों को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए। फिर भी, केंद्र सरकार अनसुना कर रही है।

माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात की है। परंतु एक गरीब छात्र किसी निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकता। सभी निजी मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। एमबीबीएस की एक सीट 20 से 25 लाख रुपये में बेची जा रही है मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर सीट 50 लाख रुपये में बेची जा रही है।

सरकार को भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने चाहिए। मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश से संबंधित नियमों और विनियमों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, केंद्र सरकार बीपीएल सूची में नाम शामिल करने हेतु उचित मानदंड तय नहीं कर पाई है। यदि कोई व्यक्ति 23/–रुपये प्रतिदिन कमाता है तो उसका नाम बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाता। यह कैसा मजाक है?

महोदय, भारत में करोड़ों लोग भूख और भुखमरी से मर रहे हैं। पंजाब में हजारों टन खाद्यान्न अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण सड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में केंद्र सरकार की निंदा की है। न्यायालय ने सरकार को गरीब और जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित करने का आदेश दिया है। फिर भी, संप्रग ने भूखमरी से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने से इंकार कर दिया।

अब, मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करता हूं। महोदय, किसानों को खाद्यान्न उगाने के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। परंतु उन्हें दिया जाने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत कम है। कृषि मूल्य आयोग द्वारा किसानों के हित में दी गई सिफारिशों के बावजूद भी सरकार निष्ठुर बनी रही और बात सुनने से इंकार करती रही। यह सब किसानों को बर्बाद कर देगा।

महोदय, पंजाब में सिंचाई व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। परंतु अब यह खराब स्थिति में है। इसका तत्काल जीर्णोद्धार किए जाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें पैसा चाहिए। परंतु इस संबंध में हमारा अनुनय–विनय अनसुना कर दिया गया।

महोदय, पंजाब केंद्रीय पूल में 60 प्रतिशत खाद्यान्न का योगदान

करता है। हमें खेती और सिंचाई के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता है। नहरों का जीर्णोद्धार किए जाने की जरूरत हैं देश का अन्न भंडारा माने जाने वाले पंजाब को अपनी सिंचाई प्रणाली में सुधार के लिए पैसा प्रदान नहीं किया जा रहा है। यह पंजाब के लोगों के साथ घोर अन्याय है।

महोदय, संप्रग के एक माननीय मंत्री ने दावा किया है कि पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को बिजली प्रदान करने हेतु मीटर लगाए गए हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि इनमें से अधिकांश मीटर लगाए ही नहीं गए हैं। यदि मीटर है तो ट्रांसफार्मर नहीं हैं। बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। लोग दयनीय अवस्था में रह रहे हैं। जमीनी हकीकत अलग हैं निचले स्तर पर स्थिति बहुत खराब है। जिसके परिणामस्वरूप गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, सरकार ने अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े दावे किए हैं। परंतु राज्य सरकारों के पास अध्यापकों को नियुक्त करने के लिए पैसा ही नहीं है। महीनों तक अध्यापकों को वेतन नही दिया जाता। इन तथाकथित कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भी कमी है। अधिकांश स्कूलों में न तो पंखे हैं, न ही बिजली है। हालत खराब है।

विपणन की भी बड़ी समस्या है। खाद्यान्नों के लिए विपणन सुविधाएं भी नहीं हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण कपास–उत्पादकों को नुकेसान हुआ है। आलू उगाने वाले किसान बर्बाद हो गए हैं। जब तक हम समुचित विपणन और शीतगृहों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते और सहकारिता प्रणाली को मजबूत नहीं करते तब तक अभागे किसानों की समस्याओं का अंत नहीं होगा।

महोदय, हमें आजादी हासिल हुए 65 वर्ष बीत चुके हैं। परंतु आम आदमी को बुनियादी आवश्यकताएं और सुविधाएं प्रदान करने में बुरी तरह विफल रही हैं। चूंकि इन अधिकांश वर्षों में कांग्रेस ने ही भारत पर शासन किया है इसलिए गरीब लोगों के दुखों, कष्टों और संकट के लिए यही जिम्मेदार है।

चाहे भारत में गरीबी, निरक्षरता अथवा भ्रष्टाचार की बात हो, कांग्रेस पार्टी इन सबसे अपने को अलग नहीं कर सकती। सभापति महोदय, हमने चुनाव प्रणाली का मजाक बना दिया है।

महोदय, संप्रग के एक आदरणीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान एक वक्तव्य दिया था कि यदि उ. प्र. में कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं होती है तो उ. प्र. में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा।

महोदय, ऐसे दावों से निर्वाचन आयोग की गरिमा कम करते हैं। ऐसे गैर–जिम्मेदार बयान भारत में लोकतांत्रिक राजव्यवस्था के लिए घातक हैं।

महोदय, एनसीटीसी कानून राज्यों की सहमति के बिना उन पर लागू किया जा रहा है। यह संविधान के संघीय ढांचे पर हमला है। राज्यों की विधिवत रूप से चुनी गई सरकारों की अनदेखी की जा रही है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र इस कानून की आड़ में अपनी इच्छा राज्यों पर कैसे थोप सकता है? हम इस विधान का पूरी तरह विरोध करते हें।

महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि केंद्र की यह कांग्रेस सरकार बहुत सी समस्याओं का मुख्य कारण है। आशा है कि उनके जाने का समय आ गया है। केवल तभी आम आदमी राहत की सांस ले पाएगा।

***श्री चार्ल्स डिएस** (नामनिर्देशित) : संसद के इस सत्र की शुरूआत करते समय भारत के राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया था जिसमें उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों के लाभ के लिए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया था। इन योजनाओं से अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हमारे विशाल देश के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों को कुछ सहायता मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश का सर्वागीण विकास करने वाली और कुल मिलाकर हमारे देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करने वाली कई योजनाओं की घोषणा की थी जिनमें से कुछ योजनाएं उल्लेख करने योग्य हैं।

समेकित बाल विकास सेवाओं का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण तथा मातृत्व और बाल पोषाहार की समस्या के समाधान हेतु 200 अधिक जनसंख्या दबाव वाले जिलों में एक बहु–स्तरीय पोषाहार कार्यक्रम की योजना बनाना एक स्वागत योग्य कदम है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए एक पृथक विकलांग कार्य विभाग की स्थापना और उनके लिए एक नए कानून बनाने से लोगों को सहायता मिलेगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना से काफी लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चार्ल्स डिएस]

प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाकर और उसका विस्तार करने से अलपसंख्यक समुदायों के गरीब वर्ग को लाभ मिलेगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय को 15 प्रतिशत की दर से बकाया ऋणों के लक्ष्य में प्रस्तावित वृद्धि से संबंधित लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के मद्देनजर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रोजगार और प्रवेश में 4.5 प्रतिशत का उप कोटा देने से कुछ वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा। किंतु मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि पारसी समुदाय जिनकी संख्या एंग्लो इंडियन की तुलना में नगण्य है और जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(2) के अनुसार एक जातीय और भाषायी अल्पसंख्यक के रूप में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, के साथ अलग से व्यवहार किया जाए और उनके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रोजगार तथा प्रवेश में सीटें आरक्षित की जाएं।

पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करके तथा देशभर में विशेष रूप से ऐतिहासिक स्थलों वाले पर्यटक केंद्रों को विकसित करके हम पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं।

कई सेवा केंद्रों में ई–गर्वेनेस शुरू करने से पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

जवाहरलाल राष्ट्रीय सौर मिशन के माध्यम से और ऊर्जा परियोजनाओं में 400 मेगावाट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की योजनाओं से उत्पादन लागत में कमी आएगी।

सम्मेलनों के माध्यम से जैव–विविधता बरकरार रखने की आवश्यकता के बारे में लोगों को जानकारी देने और हमारे हरित कवर की प्रभावी रूप से रक्षा करके हमारे प्राकृतिक संसाधनों को कुछ हद तक संरक्षित किया जा सकता है।

जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत ग्रीन इंडिया हेतु एक राष्ट्रीय मिशन चलाने से वन आच्छादन को बढ़ाना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें देश की प्रगति के लिए सरकारी कार्यक्रमों और देश के विशेषकर समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल (वडोदरा) : महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के आभार प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। अभिभाषण में कुल मिलाकर 106 बिंदुओं पर चर्चा होती है। इसके अलावा जो बातें रह गई हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। जब कार्लोस साहब दुनिया के सबसे धनी आदमी बने तब हमारे देश के सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी जी का 19वां नंबर था। यह हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे लिए गुजराती होने के नाते और भी गौरव की बात है। उसी समय लंदन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में कुछ वकीलों की बात चल रही थी जो इंटरनेट के माध्यम से मालूम हुई। कोई वकील बता रहे थे कि कार्लोस साहब मीडिया के होने के बावजूद भी इतने धनी हो गए, हम तो ऐसी कंपनी से आ रहे हैं जिनके पास कुछ भी न होने के बावजूद भी हर चीज है। आप कौन हैं? वे बोले–हम देवास कंपनी के वकील हैं। जब देवास ने 2005 में एंट्रिक्स यानी इसरो की व्यावसायिक संस्था के साथ समझौता किया तब सिर्फ दो शेयर होल्डर्स थे। एक लाख चुकता पूंजी के बावजूद पांच साल के भीतर 74 फीसदी इक्विटी बेच दिया है। हमारे पास न तो उपग्रह है, न मोबाइल सिस्टम है कुछ भी नहीं है फिर भी इसरो ने एस–बैंड, सबसे महत्वपूर्ण बैंड यूज करने के लिए दिया। जबकि इसी सदन में चर्चा हुई, केन्द्र सरकार ने समझौता रद्द कर दिया तो हम इसे इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए और जिस तरह से भोपाल गैस कांड में हमने किया उसी तरह इस बार भी इंटरनेशनल कोर्ट में हम जीत जाएंगे और देवास कंपनी चंद सालों में दुनिया की सबसे धनी कंपनी बन जाएगी। मेरा कहना है कि इसकी किसी जगह बात होनी चाहिए थी।

महोदय, अभी कल ग्लोबल रिसर्च फर्म की एक नई रिसर्च आई। आईपीएसओएम की ओर से कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक दुनिया के बाकी देशों के लोग अपनी नौकरी और पेशे को सबसे ज्यादा चिंता का विषय मानते हैं और भारतीय अपने देश में जम चुके भ्रष्टाचार और घोटाले से सबसे अधिक व्यथित हैं। 71 फीसदी भारतीयों का कहना है कि भ्रष्टाचार, वित्तीय और राजनीतिक घोटाले सबसे बड़ा चिंता का विषय है। 19 फीसदी भारतीयों ने गरीबी और सामाजिक अंतर को सबसे व्यथित करने वाला मसला बताया है। 28 प्रतिशत भारतीय बेरोजगारी को, 15 फीसदी ऊंची कर दरों को और 14 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी मसलों से व्यथित हैं। सर्वे के अनुसार भ्रष्टाचार की अत्यधिक बढ़ोतरी से आम जनता त्रस्त है, यह

ग्लोबल सर्वे का कहना है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से लोगों में भ्रष्ट तंत्र से जूझने का हौसला आया है। लिहाजा लोग अब भ्रष्टाचार के आगे घुटने टेकने के बजाय इससे छुटकारा चाहते हैं।

महोदय, हैल्थ मिनिस्टर ने बताया कि भारत देश से पोलियो जा चुका है। वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने भारत देश को पोलियो के वायरस के त्रस्त देशों से निकाल दिया है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। परंतु उसके साथ-साथ एक दूसरी चिंता की जो बात है, जिसका जिक्र आज तक कहीं नहीं हुआ है और वह यह है कि जिसे भी पोलियो होता है, जैसे हम सभी जानते हैं कि देश में करीब 80 लाख ऐसे लोग हैं, जिन्हें कभी न कभी पोलियो हुआ है। इन 80 लाख लोगों के शरीर के भीतर अभी भी पोलियो के वायरस हैं। हमारी एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलोजिकल डिसऑर्डर है, उनके विज्ञानियों ने कुछ चंद बातें बताई हैं और जिसे दुनिया में लोग पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं, टैक्निकल लैंग्वेज में पोलियो मैलाइटिस कहते हैं। हमारे डा. तुषार चौधरी जी यहां उपस्थित हैं, वह इसके बारे में जानते हैं। बतौर सांसद मैंने अपने निजी जीवन में यह एक मिशन बना लिया है कि मैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के लिए काम करूं। इसी सदन में मैंने प्राइवेट मैम्बर बिल भी प्रोड्यूस किया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से दर्खास्त करता हूं कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कोई मेडिकल टर्मिनोलोजी नहीं है। जिस भी आदमी को पोलियो हुआ है या उसके वायरस उसके शरीर के भीतर हैं, उसे आज नहीं तो कल, दस साल, बीस या तीस साल के बाद यह होता है और इसमें हमारे नर्वस सिस्टम पर इफैक्ट होता है। आज तक देश के बहुसंख्यक डाक्टरों को यह लगता है कि मरीज को पहले पोलियो की बीमारी थी, अब उसे थकान लगती है तो यह कॉम्बिफ्लेम या ब्रूफेन की गोली खा लो, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक ऐसा दर्द और मर्ज है कि जिसकी दवा होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कहीं न कहीं केन्द्र सरकार की ओर से अभ्यास क्रमों में डाक्टरों को सिखाया जाए और हमारे हर इंस्टीट्यूट में पोलिया का एक डिपार्टमेंट खोला जाए।

अभी हैल्थ मिनिस्टर साहब ने बताया कि पूरी दुनिया में कुष्ठ रोग यानी लेप्रसी के नये केस इस साल 2,28,477 पाये गये और उनमें से सिर्फ अकेले भारत में 1,26,800 यानी 55.5 प्रतिशत हमारी 24 स्टेट्स और यूनियन टैरिटरीज में पाये गये हैं। सालों पहले महाराष्ट्र में बाबा आमटे जी ने इसके लिए काफी काम किया था। उन्होंने आनंदवन बनाया था और सभी कुष्ठ रोगियों को उन्होंने एक संवेदनात्मक वातावरण दिया था। आज नई पंचवर्षीय योजना भी आ रही है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वर्तमान में हमारे देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसमें गत वर्ष पचास करोड़ रुपये से भी कम का खर्चा किया गया। पिछले पांच साल में ढाई सौ से सवा दो सौ करोड़ रुपये खर्च किये गये। अब जबकि हम पोलियो इरेडिकेट कर चुके हैं, देश में अब पोलियो नहीं है तो पोलियो के बजाय जो नये-नये रोग हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, उसमें कुष्ठ रोग और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि गत सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में डायरेक्शन दी। जब माननीय अटल जी हमारे पंत प्रधान थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के बावजूद उन्होंने जो यह सोच रखी थी, उसका कारण यह है कि आज हमारी राष्ट्रीय समस्या क्या है, आज हमारी राष्ट्रीय समस्या सिर्फ सूखा और बाढ़ हैं। आज पूरे देश की जनता कहीं न कहीं या तो सूखे से त्रस्त है या बाढ़ से त्रस्त है। इस हालत में जब एक नई सोच रखी गई कि देश की हर नदी को जुड़ना चाहिए। यूपीए-1 में इसके लिए कुछ नहीं किया गया और अब यूपीए-2 के भी हजार दिन पूरे हो गये हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए और कमेटी उस पर काम करे।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे तात्कालिक तरीके से कार्यान्वित करके देश को सूखे और बाढ़ से बचाया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लोर) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी द्वारा 12 मार्च, 2012 को संसद सदस्यों को दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के बीच, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की प्रगति के लिए उठाए गए अनेक उपायों का उल्लेख किया गया है। जबकि हम विश्व के अनेक भागों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक अनिश्चिताएं देख रहे हैं, यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि वर्ष 2010-11 में हमारी अर्थव्यवस्था में 8.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। तथापि, हमारे देश में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण, भारत

[श्री अब्दुल रहमान]

सरकार विभिन्न क्षेत्रों में काफी चुनौतियों का सामना कर रही है। अनेक शिकायतों को दूर किया जाना है। हमें देश से गरीबी दूर करनी है। हमें देश मे निरक्षरता उन्मूलन के संसाधनों का पता लगाना है। जनता की अनेक क्षेत्रों संबंधी काफी समस्याएं हैं। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार जनता की समस्यों का समाधान कर पाएगी।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, महामहिम राष्ट्रपति ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण में उपकोटा देने संबंधी एक अति महत्वपूर्ण बात कही थी। अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने के मद्देनजर, अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षित कोटे में से 4.5 प्रतिशत का उप–कोटा देने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए घोषित 4.5 प्रतिशत आरक्षण अपर्याप्त और अनुपयुक्त है। 'अल्पसंख्यक समुदाय' में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी आते हैं। तथापि, मैं भारत सरकार की प्रशंसा करता हूं जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षण में उपकोटा निर्धारित किया है। इस तथ्य को देखते हुए कि आरक्षण में 4.5 प्रतिशत का यह उपकोटा एक धीमी गति की चाल है, यह एक बड़ा कदम है। भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण एक बड़े सागर में कुछ बूंद के समान हे। तमिलनाडु में, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. करूणानिधि द्वारा मुस्लिम समुदाय को 3.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। यह काफी प्रशंसनीय कदम और अच्छा उदाहरण था। किंतु यह भी पर्याप्त नहीं था। जब हम आवाज उठाई, तो यह घोषणा की गई कि पर्याप्त प्रबंध किए जा रहे हैं। अब अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है।

इन सब बातों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सही संख्या का पता लगाने के लिए आयोगों और समितियों का गठन किया था। भारत सरकार यह जानना चाहती थी कि किस प्रकार के उपाय किए जाएं। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने आयोग बनाए। रंगनाथ मिश्र आयोग, सच्चर समिति और गोपाल सिंह पैनल ने 1984 में अपनी–अपनी सिफारिशें की थी। इन सब आयोगों ने यह दर्शाने के लिए सही आंकड़े दिए थे कि किस प्रकार अल्पसंख्यक समुदायों में विशेषकर मुस्लिम समुदाय शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा और दमित है। रंगनाथ मिश्र आयोग ने अपनी सिफारिशों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अलपसंख्यक मुस्लिम समुदाय को शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्र में कम से कम 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए और भारत सरकार को विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी पुरजोर सिफारिश याद दिलाई। सच्चर आयोग की सिफारिशों ने भी भारत सरकार को मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए कुछ तत्काल कार्रवाई करने को कहा। अधिकांश सिफारिशों पर ना तो अभी तक कार्रवाई की गई है और ना ही उसे लागू किया गया है।

महोदय, राष्ट्रपति ने अभिभाषण में, कई अति महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बातें कही गई हैं। फिलिस्तीन का मामला काफी महत्वपूर्ण है। भारत दृढ़ता से फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं। भारत सरकार सदैव फिलिस्तीन के लोगों की दुख, पीड़ा और अत्याचार पर अपना रूख दर्शाती है। अतः उन लोगों के कल्याण के लिए, भारत सरकार फिलिस्तीन के कल्याण के लिए मजबूती से खड़ी है। किंतु दूसरी ओर, चाहे जो भी कारण हों, भारत सरकार द्वारा समर्पित फिलिस्तीन के लिए इस्राइल एक चुनौती बना हुआ है। यह विरोधाभासी रूख क्या है? एक ओर, भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि भारत, इस्राइल के दबाव के आगे झुक गई है जो फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसा विरोधाभासी रूख समाप्त होना चाहिए।

मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। एक प्रसिद्ध पत्रकार को हाल ही में गिरफ्तार करने से यह साबित हो गया है कि इस्राइल के दबाव में आकर ही दिल्ली पुलिस ने बिना किसी विशेष आरोप के पत्रकार को गिरफ्तार किया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि पत्रकार इस्राइल नीति की आलोचना करने में मुखर रहा है। अब, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस देश में तथाकथित प्रेस की स्वतंत्रता का क्या हुआ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार फिलिस्तीन के कल्याण हेतु अपने दृढ़ रूख को जारी रखेगा या सरकार इस्राइल जैसे किसी अन्य देश के दबाव में आएगी?

महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि भारत के हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सरकार ने बाह्य वाणिज्यिक ऋण संबंधी नियमों को उदार बनाकर, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ऋण देने की सीमा बढ़ाकर और पात्र विदेशी निवेशकों से म्युचुअलफंड और इक्विटी में निवेश आकर्षित करने की योजनाएं शुरू करके भारत में विदेशी पूंजी को आकृष्ट करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। महोदय, इस अवसर पर मैं आपको देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सटीक समाधान की याद दिलाना चाहता हूं वह यह है कि देश की अर्थव्यवस्था

का शोषण करने वाले ब्याज को समाप्त कर दिया जाए। खाड़ी देशों में, सभी सरकारों ने ब्याज मुक्त बैंकिंग व्यवस्था को अपना रखा है। इस अवधारणा से बैंकिंग क्षेत्रों को काफी उत्पादक और अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के राजस्व से, सभी अरब देखों की अर्थव्यवस्था इस प्रकार से विकसित हुई है कि लाभप्रदता की तुलना करने पर, उन्होंने परंपरागत बैंकिंग से इस ब्याज मुक्त बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर माना है। अतः इस लाभप्रदता को देखते हुए, शत-प्रतिशत परंपरागत बैंकिंग वाले यूरोपीय और पश्चिमी देशों ने ब्याज मुक्त बैंकिंग अर्थात 'इस्लामिक बैंकिंग' को अपनाना शुरू कर दिया है। अतः उन देशों (पश्चिमी और यूरोपीय बैंकों) में इस ब्याज मुक्त बैंकिंग को लागू करके उन्होंने परंपरागत बैंकिंग राजस्व से बेहतर लाभप्रदता को देखना शुरू किया है। अतः इस अवसर पर मैं पुरजोर यह सिफारिश करता हूं कि इस्लामिक बैंकिंग को लागू करने की संभावना को तलाशा जाए।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भारत ने श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित तमिलों के पुनर्व्यस्थापन और पुर्नवास के लिए कई कदम उठाए हैं। हम भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में विस्थापित तमिलों के लिए किए गए उदारवादी योगदान की प्रशंसा करते हैं। मैं यहां एक अतिमहत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। 2009 के युद्ध के दौरान सेना के लोगों ने तमिल महिलाओं के साथ बलात्कार किया। उनकी हत्या की गई। बच्चों की उनके अभिभावकों के सामने हत्या की गई, पतियों के सामने पत्नियों के साथ बलात्कार किया गया और सेना द्वारा उनकी बर्बरता से हत्या की गई। इस प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन को देखकर संयुक्त राष्ट्र ने एक संकल्प पारित करने की योजना बनाई। संकल्प का क्या अर्थ है? इसका अर्थ श्रीलंका के विरूद्ध प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध लगाना नहीं है। वे न्यायिक जांच के लिए वास्तविक तथ्य ढूंढने के लिए एक संकल्प पारित करना चाहते है।

इस प्रयोजनार्थ, हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा जी ने कल एक वक्तव्य दिया था जिसमें लेसन्स लर्न्ट एंड रिकंसिलेशन कमीशन (एलएलआरसी) रिपोर्ट की सिफारिशों का उल्लेख किया गया था। श्रीलंकाई रक्षा प्राधिकारियों ने मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जाच हेतु एक जांच न्यायालय की नियुक्ति की थी जैसा कि एलएलआरसी रिपोर्ट में अपेक्षित है। यह ठीक है। किंतु भारत को इसके मजबूत पक्ष के बारे में स्पष्टीकरण या संकेत देना चाहिए। इस संकल्प में श्रीलंका के विरूद्ध किसी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध की बात नहीं की गई है। चाहे मानवाधिकार उल्लंघन की बात पाई गई हो, हमें इस प्रकार के संकल्प का समर्थन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। अब इस संकल्प को अपनाना और निर्दोष तमिलों पर किस प्रकार अत्याचार किए गए उसकी वास्तविकता का पता लगाने हेतु उचित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक जांच करनी है। अतः भारत सरकार को अपने रूख के बारे में स्पष्ट बात कहनी चाहिए। क्या हम मानवाधिकार के उल्लंघन हेतु किसी भी प्रकार की जांच का समर्थन नहीं करेंगे? भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

★**शेख सैदुल हक** (बर्धमान दुर्गापुर) : राष्ट्रपति का अभिभाषण विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के ब्यौरे वाली सरकारी नीतियों का एक अधिकारिक दस्तावेज होता है। किंतु मुझे यह पाकर निराशा हुई कि राष्ट्रपति के संबोधन में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, नौकरी गंवा देने, निरक्षरता, किसानों की दयनीय स्थिति, बढ़ती गरीबी आदि से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु कोई ठोस कदम उठाने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है।

जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं तो हम यह देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार हमारे देश 177 देशों में 128 वां स्थान है। हमें भारतीय होने पर गर्व है। किंतु शमर्नाक बात यह है कि आजादी के 63 वर्ष बाद भी हमारे देश में भूखे लोगों की काफी अधिक संख्या है। 22 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोते हैं। विश्व भुखमरी सूचकांक के अनुसार 88 देशों में भारत का 66वां स्थान है। हमारे देश में काफी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यद्यपि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख है कि सरकार गरीबी को दूर करना और खाद्य सुरक्षा लागू करना चाहती है किंतु अभिभाषण में सरकार की कोई सकारात्मक कदम उठाने की राजनैतिक इच्छा परिलक्षित नहीं होती है। अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत भोजन न पाने वाले गरीब लोगों की वंचना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अभिभाषण में गरीबी रेखा को पुर्नपरिभाषित करने में सरकार की विफलता का कोई उल्लेख नहीं है और इस प्रकार काफी संख्या में लोग भोजन पाने से वंचित रह जाते हैं। हमारे यहां काफी लोग निरक्षर हैं। विश्व की लगभग 16.5 प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। किंतु विश्व के कुल वयस्क साक्षरों में से लगभग 33 प्रतिशत भारत में रहते हैं। अभिभाषण में इस समस्या से निपटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार ने साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया है किंतु इस योजना के अंतर्गत सभी जिलों को शामिल नहीं किया गया है और आवंटित केंद्रीय

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[शेख सैदुल हक]

विधि भी आवश्यकतानुसार नहीं है। सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करती है किंतु इसमें भी सरकार की इसे उचित रूप से लागू करने की मंशा परिलक्षित नहीं होती है क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत भाग खर्च करने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बजाय केंद्र सरकार जिस प्रकार काम कर रही है उससे वह शिक्षा में निजी संस्थाओं को प्रोत्साहन देकर शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है।

अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र में चल रहे संकट जिसके परिणामस्वरूप किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर हो रहे हैं, से कैसे निपटा जाए। हमारी 70 प्रतिशत जनसंख्या अंचलों में रहती है। उनमें से अधिकांश किसान हैं। किंतु किसानों की दशा आज कैसी है? उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय है। 2 लाख 50 हजार से भी अधिक किसानों ने वर्तमान संप्रग सरकार की किसान विरोधी बल्कि जन विरोधी नीतियों के कारण तथा पूर्व में राजग सरकार की नीतियों के कारण आत्महत्याएं की हैं। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में जहां पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, उचित मूल्य प्राप्त न होने तथा त्रुटिपूर्ण खरीद नीति के कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभिभाषण में भूमि सुधार कार्यक्रम के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने और राज सहायता प्राप्त बीज और उर्वरकों की आपूर्ति करने संबंधी नए दिशा-निर्देश अब जारी किए हैं। इससे भी अधिक अफसोसजनक बात यह है कि सरकार ने उर्वरकों की कीमतों और पोषाहार आधारित राज सहायता योजना को नियंत्रण मुक्त करने का निर्णय लिया है। इस सरकार द्वारा अपनाई गई उदार आर्थिक नीतियों के कारण ही कृषि क्षेत्र में संकट गहराया है। खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई है तथा एन एस एस ओ के 59 वें राउंड सर्वे के अनुसार परिवारों पर ऋणों का बोझ 48.6 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है।

यदि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हुआ होता तो ऋण के बोझ से हजारों की संख्या में किसान आत्महत्याएं नहीं करते। किसानों के लिए स्वामीनाथन फार्मूला यानि "उचित = आदान मूल्य + 50 प्रतिशत को लागू किया जाना चाहिए और किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज की दर से बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सरकार इस बात पर विचार किए बिना कि उसके इस कदम को देश को क्या हानि पहुंच सकती है, यूरोपियन संघ, जापान और अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने जा रही है जिसके तहत इन देशों को भारत में कृषि और दुग्ध उत्पादों का शुल्क मुक्त निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है। इससे किसानों की स्थिति और बदतर हो जाएगी।

'नरेगा' जिसका नाम अब "महात्मा गांधी नरेगा" कर दिया गया है, को लागू कर सरकार गर्व का अनुभव कर रही है। किंतु जिन लोगों के लिए यह योजना चलाई गई है, उन सभी परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करने में सरकार विफल रही है। यह अत्यंत शोचनीय है कि देश के कुछ भागों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार को गरीबों, विशेषकर ग्रामीण निर्धनों और शहरी क्षेत्रों की बस्तियों में रहने वाले गरीबों के उत्थान हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए। एपीएल और बीपीएल जैसा श्रेणी विभाजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस संबंध में सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड इतने अधिक त्रुटिपूर्ण हैं कि इनके कारण बहुत से गरीब व्यक्ति जो वास्तव में इस योजना के सच्चे लाभार्थी हैं, बीपीएल श्रेणी में सम्मिलन नहीं हो पाते। वास्तव में अर्जुन सेन गुप्ता समिति, सक्सेना समिति या तेंदुलकर समिति ने इसकी कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं की है। आवश्यकता इस बात की है कि योजना आयोग के आंकड़ों को ठीक किया जाए और बीपीएल परिवारों के प्रतिशत को बढ़ाया जाए।

अभिभाषण में सभी अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि पर रोक लगाने में सरकार की विफलता के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सरकार महंगाई पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। हाल ही में सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि करना आग में घी डालने जैसा रहा, इसके कारण मूल्यों में और वृद्धि हुई। मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में की गई वृद्धि को वापिस ले। इसके अतिरिक्त कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सभी कृषि उत्पादों के संबंध में वायदा बाजार पर रोक लगानी चाहिए और वस्तु विनियमन को पूरी तरह से बंद करना चाहिए। सरकार को सभी बीपीएल परिवारों को 3 रूपये प्रति किलो की दर से 35 किलो अनाज वितरित करना चाहिए। किंतु अभिभाषण में 77 प्रतिशत आम जनता जिसकी दैनिक आय 20 रुपये से भी कम है, के लिए सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी की है। रोजगार के नए अवसरों के सृजन के संबंध में अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है। चिंता का विषय वे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवाई हैं। 40 लाख से भी अधिक लोगों ने रोजगार खोया हैं यहां तक कि रेल विभाग और अन्य विभाग भी रिक्त पदों पर भर्तियां नहीं कर रहे हैं। सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए।

वैश्विक आर्थिक मंदी, जिसका प्रभाव भारतीय उद्योगों पर भी पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप लाखों कर्मचारियों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं, से निपटने के लिए प्रभावशाली कदमों की आवश्यकता के बारे में भी अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभिभाषण में इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि 43 करोड़ कामगारों में से 95 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं जो असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि अधिनियम में दी गई संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बीपीएल श्रेणी का होने की अनिवार्यता लगाई गई है।

अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में चल रहे अवैध खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को खत्म करने में सरकार की विफलता के बारे में भी अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया गया है।

अभिभाषण में काले धन के मामले का प्रश्न तो उठाया गया है किंतु स्विस बैंकों में जमा काले धन को भारत वापस लाने तथा ऐसे खाता धारकों के नामों का खुलासा करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया हो, उसका उल्लेख नहीं किया गया है।

अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में वामपंथी उग्रवादियों से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से ईमानदार और गंभीर नहीं है और न ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार एक राजनैतिक दल जो केंद्र की गठबंधन सरकार का एक सदस्य है, शक्ति प्राप्त करने के लिए पूर्व में नकस्लवाद को समर्थन देता रहा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके बारे में राष्ट्रपति महोदया ने कोई उल्लेख नहीं किया है वह है रंगनाथ मिश्र आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों का कार्यान्वयन।

केंद्र सरकार को की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन सदन में तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। वर्ष 2012 में पश्चिम बंगाल में तत्कालीन वामपंथी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा जैसे सकारात्मक कदम उठाए थे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की भी चर्चा नहीं की गई है। इस विषय में विलंब किया जा रहा है। जबकि इसे राज्य सभा में पारित कर दिया गया था और सरकार ने वायदा किया था कि वह इस लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। किंतु ऐसा नहीं किया गया। मैं सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि इस विधान को बजट सत्र में अवश्य प्रस्तुत करें।

एक अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है वह है – सूक्ष्म वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण को न चुका पाने और अपमान के कारण कुछ राज्यों में पिछले कुछ महीनों में एक एस एच जीस की महिला सदस्यों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं हैं।

अभिभाषण में स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की कमी और इसे जी डी पी का कम से कम 3 प्रतिशत करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार देश के कुछ भागों विशेषकर पश्चिम बंगाल में सत्ता दल के इशारे पर लोकतंत्र को कलंकित किया जा रहा है और मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है।

अभिभाषण में गुट निरपेक्षत आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और न ही हमारी स्वतंत्र विदेश नीति जो समय की कसौटी पर सदैव खरी उतरी है, को जारी रखने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख किया गया है।

★श्री रमेन डेका (मंगलदोई) : माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण में महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किए बिना संप्रग–II सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई है। वास्तव में, संप्रग–II का कार्य निष्पादन बहुत कम है।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई ने 'आम आदमी' का जीवन दूभर कर दिया है। सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। देश के विभिन्न भागों में किसानों की आत्महत्याओं से सरकार के खोखले दावों का पता चलता है। सरकार 2010–11 के दौरान 241.56 मिलियन टन खाद्यान्न के रिकार्ड उत्पादन के साथ कृषि क्षेत्र 6.6 प्रतिशत विकास का दावा करती है परंतु खरीद और वितरण की गलत नीतियों के कारण कृषकों को नुकसान हो रहा है।

सरकारी एजेंसियां असम में चावल और जूट की खरीद नहीं कर रही हैं जिसके कारण औने–पौने दामों पर बिक्री की जा रही है। दारांग जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जूट उत्पादक वित्तीय संकट

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रमेन डेका]

का सामना कर रहे हैं और गैर–सरकारी क्रेता उसका लाभ उठा रहे हैं क्योंकि कोई समर्थन मूल्य नहीं है। जूट उत्पादक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई जिससे लोगों की मौत हुई। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि उत्पादों की खरीद–नीति को पूरी तरह बदला जाना चाहिए और किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए।

सरकार पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं की चुनौतियों का सामना करने पर जोर देती है :–

1. सरकार हमारी अधिकांश आबादी के लिए जीविका की सुरक्षा का प्रयास करेगी और हमारे देश से भूख और निरक्षरता समाप्त करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी किंतु इसके विपरीत क्षेत्रों में कार्यक्रमों पर जैसे मनरेगा में भ्रष्टाचार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2. तीव्र और बड़े पैमाने पर विकास और देशवासियों के लिए अर्थोत्पादक नौकरियों के सृजन के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा हासिल करना परंतु गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी ने देश को अपंग बना दिया है। मेरे राज्य असम में ही 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार युवा हैं।

3. हमारे तीव्र विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, किंतु ऊर्जा क्षेत्र का विकास भी बहुत धीमी गति से हो रहा है।

4. हमारी परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा को ख़तरे में डाले बिना विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना परंतु इसका आकलन एक उदाहरण से किया जा सकता है कि हमारे देश में वायु प्रदूषण दुनिया में सबसे अधिक है। करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी गंगा और यमुना अभी तक प्रदूषित हैं।

5. हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी देना, परंतु आतंकवादी हमलों, मुस्लिम कट्टरपंथियों के विकास, सीमापार आतंकवादी नेटवर्क, पड़ोसी देशों द्वारा उग्रवादी संगठनों की वित्तीय सहायता ने हमारी आंतरिक सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। सरकार देश में आतंकवादी गतिविधियां रोकने में विफल रही है। मुझे यह देखकर हैरानी हुई है कि बाहरी सुरक्षा के संदर्भ में सरकार ने चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। सरकार देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मजबूत करने हेतु कोई कठोर उपाय करने में विफल रही है। पूर्वोत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा अत्यधिक असुरक्षित है। उत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कमजोर है।

असम का एक भाग चीन के आधिकारिक नक्शे में दिखाया गया था। परंतु भारत सरकार इसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। असम के लोग इस मामले में सरकार का पक्ष जानने के लिए उत्सुक हैं और आशा करते हैं कि 1962 को दोहराया नहीं जाएगा।

असम का पिछड़ापन दूर करने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। सरकार और अंतरदेशीय जल परियोजनाएं शुरू करने के लिए ही संभावनाएं तलाश कर रही हैं। सरायघाट पर दूसरे पुल और ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर की प्रगति इतनी धीमी है कि असम के लोगों को इस पर शर्म आती है।

असम के लोग यह अपेक्षा करते हैं कि संप्रग–II सड़क और रेल संपर्क बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देगी।

विद्युत के क्षेत्र में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में बड़े बांध विशेषकर लोवर सुबांसिरी परियोजना के संदर्भ में असम के लोगों की कठिनाइयों का उल्लेख नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री इन्दर सिंह नामधारी (चतरा) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैं एक निर्दलीय सांसद हूं इसलिए मैं जो भी सुझाव सरकार को दूंगा, वह दलों से ऊपर उठकर दूंगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोक सभा और राज्य सभा का संयुक्त अधिवेशन और उसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण संसदीय लोकतंत्र को बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस उत्सव के समय देश की जनता यह इंतजार करती है कि राष्ट्रपति जी कौन सा संदेश देश की जनता को देंगे। यह तो सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण अपने आप नहीं लिखते। वह भाषण रूलिंग पार्टी द्वारा तैयार किया हुआ होता है। इसलिए जो संदेश राष्ट्रपति जी के अभिभाषण द्वारा जाता है, वह सरकार की नीतियों का विस्तार होता है और देश की जनता तक पहुंचता है। हमारे बिहार और पूर्वी भारत में एक कहावत चलती है कि "भुसगोल विद्यार्थी, बस्ता भारी।" जब कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है तो उसका बस्ता भारी हो जाता है। वह किताबें ज्यादा इकट्ठी

करता चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी अपना बस्ता भारी कर रही है। पिछले साल के पैराग्राफ की संख्या आप देखें और इस साल के पैराग्राफ की संख्या देखें तो वह संख्या बढ़ती जा रही है। अगर विद्यार्थी किताबें इकट्ठी करता जाए और उसको पढ़े नहीं तो उसको "भुसगोल विद्यार्थी" कहते हैं। भुसगोल का मतलब फिसड्डी होता है। जो पढ़ने में कमजोर होता है, उसका बस्ता भारी होता है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि पैराग्राफ कम हों, लेकिन वे जनता के दिलों को छूने वाले हों। पर, ऐसा हो नहीं रहा है। आत्मविश्वास की कमी है। अगर आत्मविश्वास होता तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी के मुखारविन्द से यह कहलाया जाता कि एन.सी.टी.सी. से सरकार देश को क्या संदेश देना चाहती है। आज एन.सी.टी.सी. एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लेकिन, इसका नाम कितना सुन्दर है – नेशनल काउंटर टेररिज्म सेन्टर। आप टेररिज्म को समाप्त करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन इस पर भी राजनीति हो रही है।

मैं उस इलाके से आता हूं जो आतंकवाद प्रभावित इलाका है, जहां आतंकवाद, नक्सलवाद छाया हुआ है। आज जरूरत है कि कैसे उससे लड़ा जाए। लेकिन, इस पर भी राजनीति हो रही है। अब राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। यह तो यू.एस. की तर्ज पर हिन्दुस्तान में लाया गया है। यह एन.सी.टी.सी. वहां बना हुआ है। उसका काम है कि एफ.बी.आई., सी.आई.ए., पेंटागन, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको को-आर्डिनेट करना। अगर भारत सरकार की यह मंशा होती है कि वह भी एन.सी.टी.सी. को इसलिए बनाना चाहती है कि वह सी.बी.आई., नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को को-आर्डिनेट करेगी। लेकिन, अगर इसके द्वारा राज्यों के अधिकारों का हनन किया जाता है, उनको छीना जाता है तो आखिर इस एन.सी.टी.सी. को कौन स्वीकार करेगा?

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्मविश्वास की कमी है। जब आत्मविश्वास होता है तो आदमी बड़े से बड़ा काम भी कर लेता है। बस, एक विश्वास पैदा करने की जरूरत है। एक उर्दू का शेर है –

यकीं महकम, अमल पैहम, मुहब्बत फ़ातिहा-ए-आलम,
जिहादे जिन्दगानी में, है ये मर्दों की शमशीरें।

अगर यकीन आपका अटूट है, विश्वास अटूट है तो आपको लोहे की तलवार पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिहादे जिन्दगानी में है ये मर्दों की शमशीरें – इस जिन्दगी के जेहाद में मर्दों की शमशीर उसका आत्मविश्वास हुआ करती है, कोई लोहे या फौलादी तलवार उसका काम नहीं करती। इस यकीन की ताकत, इस विश्वास की शमशीर सरकार के हाथ में नहीं लगती है। इसलिए, आज चाहिए कि उग्रवाद से अगर लड़ना है तो नीयत साफ हो। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार साथ-साथ बैठें।

मैं तो यह कहता हूं कि आज उस इलाके में कोई काम नहीं कर सकता। आपको पहले उनसे इजाजत लेनी होती है कि हम यह पुल बनाने जा रहे हैं। अगर वे इजाजत नहीं देते तो सरकार की इजाजत, इजाजत नहीं मानी जाती है। कभी-कभी हम लोग बड़े-बड़े पुल पास करवाते हैं। हम ठेकेदारों से कहते हैं कि काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं तो ठेकेदार कहते हैं कि इसकी इजाजत नहीं मिली है। हमने कहा कि आपको तो इजाजत मिल गयी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की इजाजत रद्दी की टोकरी में डालिए, हमको जंगल की सरकार से इजाजत नहीं मिली। क्या यह आजाद भारत है? फिर यह यहां कहते हैं कि एन.सी.टी.सी. बनेगा। मैं कहता हूं कि राज्य सरकारों को और केन्द्र सरकार को एक साथ बैठकर नीति तय करनी चाहिए कि उग्रवाद पर कैसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए आत्मविश्वास की कमी है। मैं निष्पक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि जब तक वह आत्मविश्वास नहीं आएगा, देश की समस्याओं का हल नहीं होगा।

इतना ही नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रपति जी से कहलवाते हैं कि हमारे सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। लेकिन दूरबीन-खुर्दबीन लेकर घूम जाइए। आपको यह नहीं मिलेगा कि कोई पड़ोसी देश हमारा दोस्त है। चीन, जिसके साथ हम रोज कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध है, लेकिन बिहार के बहुत बड़े कवि श्री गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि

हम भाई समझते जिसे दुनिया से उलझके,
वह आज हमें घेर रहा बैरी समझके,
चोरी भी करे, और करे बात गरजके।

यह चीन की हालत है। हम कहते हैं कि चीन और हम भाई-भाई हैं, लेकिन वह आज हमें घेर रहा बैरी समझकर। हम कहां-कहां नहीं घेरे जा रहे हैं? हमारे देश के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं तो चीन ऑब्जेक्शन करता है कि हमें मत चिढ़ाइए। क्या यह भारत की प्रभुसत्ता है कि देश का रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में, जो अपने देश का एक अभिन्न अंग है, उसकी यात्रा नहीं कर सकता?

13.00 बजे

आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, कभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यह जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, वह जनता के लिए एक संदेश होता है।

[श्री इन्दर सिंह नामधारी]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इस भाषण में पैरा तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दिल को छूने वाली बातें कम हैं। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम अपनी नीति अपने पड़ोसियों के प्रति, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन हो, स्पष्ट होनी चाहिए। हम मालदीव को नहीं संभाल सके, वहां तख्ता पलट हो गया, हम चुपचाप देखते रहे। हमारी नीतियां कौन बनाता है? हम बाद में अपने विदेश सचिव को वहां पर भेजते हैं कि पता लगाओ, वहां क्या हुआ। आज हमें आत्ममंथन, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चीन की दादागिरी का जवाब हमें कुछ न कुछ देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूं कि सन् 1962 में जब मैं विद्यार्थी था, उस समय चीन ने किस तरह से जलील किया था। आज पाकिस्तान, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। चीन तो अपने में करेला है, लेकिन पाकिस्तान उसके साथ में मिल गया। अभी हम लोग पाकिस्तान की यात्रा करके आए हैं। मैं अध्यक्ष महोदया के साथ गया था। पाकिस्तान में आज आम चर्चा है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान में चीन की सेनाएं आकर बैठी हुई हैं। हम लोग इस्लामाबाद गए, वहां से 110 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद था। जहां पर बगल में गिलगिट है, वहां पर चीन की सेना बैठी है। चीन की सेना को हिन्दुस्तान में आने के लिए कितना समय लगेगा, हम कभी इसकी चिन्ता नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। भर्तृहरि जी एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वे संत बन गए थे। वे कहते हैं – "यावत् स्वस्थम् इदम् कलेवरम गृहम्, यावत् दुरेजरा यावत् इन्द्रिशक्ति अप्रतिहता, यावत् छयो न आयुशा तावत् उतिष्ठा कुरु पोरूषम् आत्मशक्तया प्रदीप्ते भवनम् तू कूप खननम् प्रति उद्यमन् की दृशम।" अगर घर में आग लग जाएगी, कुआं खोदने जाओगे तो तुम्हें मूर्ख के सिवा कोई कुछ नहीं कहेगा। पहले कुआं खोद कर रखें ताकि जब घर में आग लगे तो उस कुएं से पानी ले सकें। अगर चीन ने पाकिस्तान से मिल कर हमला कर दिया और उस समय हम कहेंगे कि लाओ टैंक, लाओ हेलीकॉप्टर, जहाज, तो कहां से आएंगे। इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आज इस तैयारी की कमी देखने को मिल रही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं विनम्रता के साथ सरकार को कहना चाहता हूं कि आप काले धन को ही लें। कितने आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं काले धन पर सरकार क्यों नहीं कुछ बोलना चाहती। अभी माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जर्मनी ने भारतीयों के 26 लोगों के नाम बता दिए, जिनके पैसे वहां पर जमा हैं, लेकिन ये उनके नाम नहीं बताते। हमारी तरफ औरतें अपने पति का नाम नहीं बताती हैं। क्या रिश्ता है, आप क्यों नहीं नाम बताना चाहते हैं? आप कम से कम उनके नाम तो बताएं, अगर उनके नाम ही बता दिए जाएं तो आगे से कम से कम लोग डरेंगे कि हम अपना पैसा वहां जाकर जमा न करें। आप उसे एकदम रिजर्व करके रखे हुए हैं, ये टॉप सीक्रेट है। ...*(व्यवधान)* आप किस से छिपाना चाहते हैं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं, स्वामी जी, आत्मविश्वास रखिए और आत्मविश्वास से सरकार को कहें कि आगे बढ़े तो जो भी विकृतियां अभी आपको देखने को मिल रही हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। जिस एक चीज की कमी है, उसे अगर हम ठीक कर लेंगे तो हम सोचते हैं कि यह देश आगे बढ़ेगा। यह 121 करोड़ जनता का देश, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वाला देश आज हास्यास्पद स्थिति में आ गया है, हम लोग मिल कर इसे आगे ले चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

★**श्री मधुसूदन यादव** (राजनंदगांव) : देश की अर्थव्यवस्था में गत वर्ष 7 फीसदी वृद्धि दर रही। मेरी समझ से भारत के 60–70% कृषि आधारित जनसंख्या को देखते हुए यह वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है। 7% से अधिक वृद्धि दर होने से अधिक मुद्रा स्फीति हो रही है। पूंजी का केंद्रीकरण चंद घरानों के होता जा रहा है। यह देखते हुए कि विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% के आसपास है। हमें अपना संसाधन बचाना चाहिए और 6–7% वृद्धि दर को पर्याप्त मानकर विकास योजना बनानी चाहिए।

सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रोकने संबंधी जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए हैं, जिनमें आधे अधूरे प्रस्ताव ही हैं। इनसे भ्रष्टाचार की समस्या पर प्रभावी रूप से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। 13वीं पंचवर्षीय योजना में रखे गए कृषि विकास दर को 6% किए जाने की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के प्रचलित तरीकों को बदलने की आवश्यकता है। परंपरागत ईंधन कोयला आदि के उपयोग से पारिस्थिकीय व पर्यावरण सुरक्षा बाधित हो रही है।

सरकार द्वारा पांच सुरक्षा प्राथमिकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की प्राथमिकता शामिल ही नहीं है। अर्थात सरकार ने इन

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।ब

महत्वपूर्ण मामलों को स्पष्ट रूप से उपेक्षित कर दिया है। इन क्षेत्रों में प्रस्तावित अन्य समस्त प्रभावी पूरी तरह अपर्याप्त हैं।

वन आधारित अर्थव्यवस्था पर देश की करीब 10 से 15% आबादी जीवन यापन करती है। अतः वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की योजना को शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित नया विधेयक भी रोजगार पुनर्वास मापदंडों पर अधूरा है। उसमें रोजगार न देने के बदले एकमुश्त रकम देकर उस बाध्यता को समाप्त करने का प्रावधान है। अर्थात एक तरह से रोजगार न देना पड़े, यह रास्ता पहले ही सुनिश्चित कर दिया है। इसी तरह निजी कंपनियों को सीधे भूमि खरीद के प्रावधान में कई कमियां हैं। बिना नियंत्रण के खरीद से काले धन का उपयोग व बेनामी खरीद के मामले बढ़ेंगे और वास्तविक भू-स्वामियों को प्रोजेक्ट आने के पहले ही बेदखल कर दिया जाएगा। इसी तरह प्रोजेक्ट की अधिकारिक घोषणा के पूर्व ही खरीद होने पर शासकीय अधिग्रहण में मिलने वाली दर से कम राशि ही किसानों व भू-स्वामियों को मिल पाएगी। इन प्रावधानों को भू स्वामियों के पक्ष में सशक्त बनाए बिना नया विधेयक पुराने कानून से भी खराब साबित होगा। आधारभूत संरचना विकास में सरकार में प्रमुख अंग रेलवे को पूरी तरह उपेक्षित कर रखा है। वर्ष में मात्र 24 हजार करोड़ रुपये की बजटीय सहायता इस अंग को उपलब्ध कराई गई है। यह अत्यंत अपर्याप्त है और इसे कम से कम दो गुना किए जाने की आवश्यकता है। खनिज के क्षेत्र में चल रही क्रिएटिव माइन की नीति अत्यंत विरोधाभाषी है। यह वस्तुतः चंद उद्योगों को भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे देश को भारी नुकसान तो हो ही रहा है। वहीं यह अन्य समान उद्योगों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दे रहा है।

सरकार को आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक राशि की कमी को पूरा करने के लिए खनिज क्षेत्र की कैप्टिव खदानों की नीति को रद्द कर उनसे राजस्व अर्जित कर पूरी की जा सकती है। हाई डवलपमेंट के आर्थिक आकलन की पद्धति भी अत्यंत दोषपूर्ण है। और ट्रैफिक डेंसिटी का आकलन विश्वसनीय नहीं होने से आम जनता से अधिक दर पर टोल वसूला जा रहा है। वहीं शहरी इलाकों में भी टोल लगाने के प्रावधान पूरी तरह जनहित के खिलाफ हैं।

विस्तार के लिए एक करोड़ हेक्टेयर वन भूमि की बात कही गई है। इसकी व्यवस्था कहां से होगी इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या इसके लिए भी निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यदि नहीं तो कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा।

मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि सरकार का कार्यक्रम दिशाहीन और विरोधाभासी लक्ष्यों की बात कह रहा है। अतः इसके पूरे होने की संभावना नहीं है।

★**श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और हम सब ने भारत के संविधान में संघीय ढांचा स्वीकर किया है। सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग बना रहे लेकिन यह सरकार विपक्ष एवं गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों से कोई भी रचनात्मक सुझाव लेने के लिए तैयार नहीं है। एनसीटीसी की स्थापना के प्रयास से यही बात प्रतीत होती है। आतंकवाद देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आतंकवाद विरोधी रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक केन्द्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ सामंजस्य न हो। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में माओवादी और नक्सलवादी हिंसा को रोकने हेतु किसी ठोस रणनीति का उल्लेख नहीं है जबकि धीरे-धीरे देश का अधिकांशतः राज्य इसकी चपेट में आ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला में नक्सलवाद एक बीमारी की तरह फैल चुका है तथा राज्य के लगभग आधे जिलों में इसकी सक्रियता से इंकार नहीं किया जा सकता। बिहार में नक्सलियों द्वारा लेवी की मांग आम बात हो गयी है। सरकार को सबसे पहले नक्सलियों को मिलने वाले आर्थिक पोषण के रास्ते को बंद करने के लिए कोई ठोस एवं मजबूत कदम उठाने चाहिए।

मैं कुछ बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में मुख्यतः कई बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया है जबकि, घोटालों पर सरकार की निष्क्रियता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की धूमिल होती छवि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है साथ ही देश के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे भ्रष्टाचार एवं भारतीयों के विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने हेतु किसी ठोस कार्य योजना का भी कोई उल्लेख नहीं है। सरकार को कालेधन के रोकथाम के लिए कठोर कदम बनाने चाहिए। एक अनुमान है कि देश का हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जमा है, जो विश्व में सबसे ज्यादा का रिकार्ड है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया गया है। जो विदेशों में काला धन जमा है उसका अनुमान सरकार को नहीं है उसका स्रोत क्या है यह पता लगाने का प्रयास नहीं होता है और विदेशों से काला धन निकालने के सवाल पर केवल देश की जनता को गुमराह कर

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती रमा देवी]

रही है। अमेरिका एवं इंग्लैण्ड जैसे देशों ने स्विटजरलैण्ड में जमा काले धन की जानकारी ले ली है। न्यायालय कहता है कि विदेशों में किनका काला धन जमा है उनके नाम बताइये। हमारे प्रधानमंत्री जी एवं वित्तमंत्री जी कहते हैं कि उनके नाम बताने से हमारे देश पर कोई दूसरा देश भरोसा नहीं करेगा। इसके विपरीत अगर कोई कार्यवाही के लिए कहता है या अभियान छेड़ता है तो अभियान चलाने वालों को सरकार परेशान करती है।

आज पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। सरकार आये दिन कहती है कि महंगाई कम हो जाएगी परन्तु केन्द्र की गलत नीतियों के कारण महंगाई कम होने के बजाय दिनोदिन बढ़ रही है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो बात कही गई है उसे सतह पर लाने के लिए कठोर नियम बनाने के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अभिभाषण में सरकार द्वारा कृषि पर जोर देने की बात कही गई है किन्तु, वास्तविक स्वरूप में कुछ और ही प्रतीत होता है। हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। लेकिन इस कृषि प्रधान देश में आजादी के 63 वर्षों बाद आज भी बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है। देश में यूरिया एवं उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हो रही है परन्तु, समय पर किसानों को वह भी नहीं मिलता। कृषि के लिए गांवों में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के साथ-साथ सिंचाई की ठोस व्यवस्था नहीं है। सरकार की नीतियों की वजह से किसान अपने उत्पादों को औने-पौने कीमतों पर बेचने के लिए विवश है। किसानों द्वारा आत्महत्या करने के कई मामले सामने आ रहे है। सरकार द्वारा किसानों को जो ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं उसमे भी बैंक और किसानों के बीच बिचौलिए सक्रिय है। सरकार के किसी भी स्कीम में बिचौलियों के बिना बात नहीं बनती।

अभिभाषण में देश की नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में किसी ठोस पहल का उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि एन.डी.ए. के सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पर व्यापक जोर दिया था। नदियों को आपस में जोड़ने पर यह कृषि के लिए सिंचाई में सहायक सिद्ध हो सकता है साथ ही बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से भी इससे निपटा जा सकता है। खास कर हमारे बिहार में किसानों को बाढ़ एवं सूखा से निजात मिल सकती है। जहां के लोगों को प्रत्येक वर्ष इसका प्रकोप झेलना पड़ता है।

अभिभाषण में यू.पी.ए. सरकार द्वारा मनरेगा के माध्यम से अर्जित बेहतरीन उपलब्धियों को दर्शाया गया है। जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। इस योजना में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। यह योजना अधिकारियों द्वारा लूट-खसोट करने का सबसे सरल तरीका बना हुआ है। सरकार द्वारा कार्डधारियों को वर्ष में 100 दिन काम देने का दावा करती है किन्तु, वर्ष में 40 दिन का भी रोजगार नहीं मिलता। एक तरफ सरकार सड़कों के विकास की बात करती है लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी चम्पारण जिला के एन.एच.-104 को सिंगल से डबल लेन करने की बात पर बार-बार मेरे द्वारा सदन एवं मंत्रालय के माध्यम से उठाने के बावजूद सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार द्वारा देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा एवं अन्य कई क्षेत्रों में व्यापत व्यापक कमियों के बावजूद खुशहाल एवं समृद्ध भारत की कल्पना आम नागरिकों के समझ से परे है।

सभापति महोदय : धन्यवाद। सभा अपराह्न दो बजकर पंद्रह मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.17 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आदरणीय गिरिजा व्यास जी जो धन्यवाद प्रस्ताव लायी हैं, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यूपीए सरकार की पांच मूल चुनौतियां जो राष्ट्र के सामने खड़ी हैं और यूपीए सरकार ने उन चुनौतियों को स्वीकार करके उनके निराकरण के लिए कदम उठाए हैं। उसमें निरक्षरता है, दारिद्र दूरीकरण है, भूख है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी के बारे में है और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के संदर्भ में हैं। ये ऐसी पांच मूल चुनौतियां हैं, जो आज देश के सामने खड़ी हैं। इसको बखूबी यूपीए सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने अपने

भाषण में कहा है कि चाहे एक्सटर्नल सवाल हो, चाहे पाकिस्तान के साथ निपटने की बात हो, इनके साथ कई ऐसे आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं, जिस पर जिक्र किया गया है कि भारत एक ऐसा देश है, जो मित्रता और शांति पर विश्वास करता है और हम संवाद के माध्यम से इसको हल करना चाहते हैं। इस पर भारत ने सफीसिएंट कदम इन दिनों उठाए हैं। चाहे बांगलादेश का सवाल हो, चाहे श्रीलंका का सवाल हो, इस पर कई कदम यूपीए सरकार ने उठाए हैं। मुझे हैरानी है, जैसी अभी हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि चीन की दादागिरी का जवाब देना होगा। हमें यह भूल नहीं जाना चाहिए कि भारत एक ऐसा मजबूत और बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी बुनियाद अहिंसा और शांतिमयता के आधार पर खड़ी हुई है। कोई दादागिरी कर रहा है या करेगा जब समय आएगा, देखा जाएगा। जब-जब भारत के सामने चुनौतियां खड़ी हुई हैं, जब भी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही है और जब लड़ाई हुई है तब कांग्रेस ने हर तरह से मजबूती के साथ उससे निपटा है और देश की संहति, एकता और सविरेनिटी की सुरक्षा की है। इसका इतिहास गवाह है। इसलिए अगर कोई दादागिरी कर रहा है तो हम भी उसके साथ दादागिरी करें, हम भी उसके साथ बचपना करें यह बात भारत जैसे लोकतंत्र देश के लिए शोभा नहीं देती है। हमारे अंदर में जो भी चुनौतियां आई हैं, चाहे वे जम्मू-कश्मीर में आई हैं या नार्थ ईस्ट में आई हैं, यूपीए सरकार आने से पहले जम्मू-कश्मीर में लॉ एण्ड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी, नॉर्थ-ईस्ट जो भारत की मुख्य धारा है उससे हट कर वहां पर कितनी व्यापक समस्याएं खड़ा हुआ करती थीं लेकिन बातचीत के माध्यम से संवाद के आदान प्रदान से और शांतिमय ढंग से पहल कर के भारत सरकार ने, यूपीए सरकार ने आज ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि दोनों नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर में आज शांति बहाल है। पूरा देश, विश्व इस बात को जानता है कि मेन-स्ट्रीम में ये दो मेन इलाका जहां हमेशा अनरेस्ट हुआ करता था, आज मुख्य धारा में केन्द्र के साथ, केन्द्र की सरकार के साथ, देश की जनता के साथ और राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं।

आज अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देखा कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशील ढंग से कहा है कि लैफ्ट विंग एक्टिविटी हमारे राष्ट्र में बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हुई है उसको मानवीय अप्रोच के साथ हल करने की आवश्यकता का जिक्र किया है। यह बहुत बड़ी बात है। हमने दमन की बात नहीं कही है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि मानवीय आधार पर इसका हल होने की आवश्यकता है और वह केवल संवाद को लगातार जारी कर के संभव हो सकता है। हमारे सामने गरीबी, बेबसी, लाचारी जितनी भी है, एक मजबूत प्रधानमंत्री होने के कारण, एक ईमानदार प्रधानमंत्री और एक अनुभवी प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह जी के होने के कारण चाहे कितनी भी राजनीतिक चुनौतियां सामने क्यों न आई हुई हों उन्होंने मजबूती के साथ देश की अर्थव्यवस्था को चलाया।

आज महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में इन्क्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है उसे मजबूती के साथ किया गया है। आज भारत निर्माण योजना में करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपया भारत के विकास के लिए खर्च हो रहा है। एनडीए के समय में करीब डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ करता था। आज साढ़े चार लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। एक सौ इक्कीस करोड़ जनता का देश में इन्क्लूसिव ग्रोथ हुआ है। अभी रिसेन्टली जो सेन्सस हुआ है उसमें 75.06 परसेंट लिटरेसी का अचिवमेन्ट है। अगर हाउस होल्ड की बात करेंगे तो वन रूम हाउस होल्ड कम से कम 37.1 परसेंट लोगों को उपलब्ध हुआ है। अगर स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था आप देखेंगे तो कम से कम 32 प्रतिशत लोगों को पेय जल की व्यवस्था हो पाई है। बिजली के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। भारत में 67.2 परसेंट लोगों के लिए बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ का नमूना है। अगर सैनिटेशन की बात करेंगे तो 46.9 परसेंट देश की गरीब जनता के लिए सैनिटेशन का प्रावधान किया गया है। आज बैंकिंग फैसिलिटी – हर दो हजार पापुलेशन के लिए उपलब्ध कराने के लिए दो हजार बीस तक का टारगेट रखा गया है। यह तीव्र गति के साथ बढ़ रहा है और आज के दिन 58.7 परसेंट बैंकिंग सर्विस उपलब्ध हो पा रही है। आप टेलीफोन को अगर देखेंगे, चाहे वह लैंड लाइन हो या मोबाइल फोन तो 62.3 परसेंट लोगों के लिए उपलब्ध हो पाया है। देश के 44.8 परसेंट गरीब से गरीब लोगों के पास भी बाइक साइकल की व्यवस्था है। अगर टेलीविजन की बात देखेंगे तो 47.2 परसेंट लोगों के पास टेलीविजन पहुंच पाया है। यह इन्क्लूसिव ग्रोथ का उदाहरण है।

यह इन्क्लूसिव ग्रोथ इस देश की भारत निर्माण योजना में, यूपीए सरकार जो इन दिनों लाई है, इसी से यह एचीवमेंट हुई है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर हमारे विपक्ष के मित्र यूपीए सरकार का मजाक उड़ाते हैं तो उड़ाने दीजिए। मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं लाना चाहता। महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है, उनकी स्पीच में मैंशन है।

[अनुवाद]

उन्होंने शासन में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के बारे में बात की है।

[श्री भक्त चरण दास]

[हिन्दी]

आज चारों और भ्रष्टाचार है। इसीलिए भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की बात, ट्रांसपेरैंसी, एकाउंटेबिलिटी की बात का उल्लेख महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किया गया है। भ्रष्टाचार की बात कहते हुए मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाहर के लोग जिन्हें संसदीय राजनीति के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं है, जो जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं, जो गांव में नहीं जाते, लोगों के साथ नहीं मिलते, संसद सदस्य गांव में जाते हैं। जो संसद सदस्य लोग सभा में आते हैं, वे अपनी कौन्सटीटूएंसी में लोगों के पास जाते हैं, लोगों का दुख-दर्द जानते हैं। भ्रष्टाचार कहां हुआ, कहां हो रहा है, इसे हरेक संसद सदस्य जानता है। लेकिन बाहर कुछ लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, सर्वोच्च धारा में राजनेताओं को रख रहे हैं, संसद सदस्यों का मजाक उड़ाया जा रहा है और हम लोग भी एक-दूसरे का मजाक उड़ाने में बिजी हैं। कोई व्यक्ति अपनी छाती में हाथ रखकर कहे कि मैं भ्रष्टाचार से मुक्त हूं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि पांच, दस लोग गलत हो जाते हैं, लेकिन सारी संसद कभी गलत नहीं हो सकती, सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे जज कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन हम अपने आप एक-दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। किस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या हिमाचल में आदिवासियों की जमीन ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए? आदिवासियों की कई हजार एकड़ जमीन अवैध तरीके से, पेसा एक्ट को इग्नोर करते हुए ट्रांसफर हुई है।

मैं कई बार हिमाचल गया हूं। मैं वहां कुछ समय तक पार्टी का इंचार्ज था, मैंने देखा है। क्या ऋषिकेश की 400 करोड़ रुपये की जमीन का 13 करोड़ रुपये में इससे पहले आपकी उत्तराखंड की सरकार ने सौदा नहीं किया? क्या वहां भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ? वहां कई पावर प्रोजेक्ट्स किस तरह लाए गए, क्या यह भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं है। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवैध खनन की व्यवस्था नहीं है? इसके कई उदाहरण देखने में आ रहे हैं। कर्नाटक में जो हुआ, क्या उसे सारा देश नहीं जानता।...*(व्यवधान)* हमारे मित्र महताब जी यहां हैं। कल मैंने जिक्र किया था कि ओड़िसा में किस तरह अवैध खनन हो रहा है। आज भ्रष्टाचार हो रहा है क्योंकि देश बहुत तरक्की कर रहा है। उसमें गलत लोग अपना माहौल बनाकर, इनफ्लूएंस करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि 121 करोड़ लोगों के देश में देशभक्तों की कमी है। जब हम बात करते हैं तो एक-दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोगों को संसद सदस्यों के ऊपर मजाक करने का मौका देते हैं? आज भारत सरकार ने भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के रेस्टोरेशन के लिए 11-12 मजबूत कदम उठाए हैं। कई एकाउंटेबिलिटी बिल लाए गए हैं और लोकपाल बिल लाया गया। अगर लोकपाल बिल को संघीय ढांचा, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया होता, जो हमारे नेता राहुल जी चाहते थे, आपने उसका समर्थन इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसे राहुल जी चाहते थे।. ..*(व्यवधान)* राहुल जी जो चाहते हैं, वह नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने उसका समर्थन नहीं किया। आपको लगा कि कहीं राहुल गांध ी पोलीटिकल क्रेडिट न ले लें। केवल राजनीतिक स्वार्थ को सामने रखते हुए आप उसे संवैधानिक दर्जा देने में पीछे हट गए। ...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार कैसे निपटेगा? एक दूसरे को गाली देने से भ्रष्टाचार नहीं मिटता। मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर हम आत्मसमीक्षा करें और संकल्प के साथ कहें कि अपनी हर कार्यवाही में हम भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश करेंगे। अपनी प्रकृति को, अपने आपको बदलें। हमारे राज्य में जिला पंचायत के चुनाव में स्थानीय राजनीतिक दल जो सरकार में है, जिला पंचायत के चुनाव में एक सदस्य एक जोन के लिए 40-50 लाख रुपये खर्च करते हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? उनकी पार्टी से भी भ्रष्टाचार विरोधी बात होती है, तो मुझे आश्चर्य होता है। मेरे जैसा व्यक्ति जो तीन-तीन बार एमपी बन चुका है, मैं अपने उम्मीदवार को 15 हजार रुपये पंचायत चुनाव में नहीं दे सकता जबकि मैं वहां देखता हूं कि 15 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपया खर्च होता है, तो भ्रष्टाचार कहां से मिटेगा? इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने की बात करने से पहले आत्म समीक्षा हर दल और हर पार्टी को करने की आवश्यकता है। अभी कुछ मित्र मजाक उड़ा रहे हैं। इन पांच राज्यों के चुनावों में क्या हुआ? आश्चर्य की बात है। आपको बहुत हंसी आ रही है। इंडिया शाइनिंग की बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि इंडिया शाइनिंग की बात नहीं भूलनी चाहिए कि इतनी वाह-वाही करने के बाद क्या हुआ?

अभी शाहनवाज जी बता रहे थे कि यूपी में बीजेपी को 15 प्रतिशत वोट मिले हैं। यह कांग्रेस से एक प्रतिशत ज्यादा है। जहां आपके इतने विधायक जीते हैं, इतना क्लेम कर रहे हैं, वहां मात्र 15 प्रतिशत वोट आपको मिले हैं। हमारे नेता राहुल जी की मेहनत से यूपी में कांग्रेस को 14 प्रतिशत वोट मिले हैं। वहां जो तीन-चार प्रतिशत वोटों में वृद्धि हुई है, वह कोई मामूली बात नहीं है। पंजाब में हमारे वोटों में चार प्रतिशत वृद्धि हुई है।...*(व्यवधान)* उत्तराखंड में हम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन वह नहीं हो पाया। इसके लिए हमें दुख नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब शांत रहें।

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास : ठीक है।

[अनुवाद]

मैं अपने मित्रों को स्वर्गीया सरोजिनी नायडू के काव्य से कुछ पंक्तियों की याद दिलाना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

"दि ब्राइडल-सांग्स एंड क्रेडल सांग्स हैव केडेन्सेस ऑफ सॉरो दि लाफटर आफ दि सन टूडे, दि विंड ऑफ डेथ टूमारो।"

[अनुवाद]

अतः कल के लिए तैयार रहो।

[हिन्दी]

यह लड़ाई एक दिन की नहीं है।....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास : कांग्रेस के लिए यह नया अनुभव नहीं है। कांग्रेस के पास बहुत अनुभव पिछले दिनों रहा है और आज भी ...*(व्यवधान)* भ्रष्टाचार में आप भी कम नहीं हैं। एक-दो-चार लोगों के बारे में मैंने कहा। दो-चार-पांच लोगों के भ्रष्टचारी होने से पूरी बीजेपी खराब नहीं हो जाती। मैंने नहीं कहा कि आप पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी हैं।...*(व्यवधान)* मैंने नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : दास जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास : यहां पर भर्तृहरि महताब जी बैठे हैं। बीजेडी पार्टी के बारे में मैं क्रिटिसाइज करता हूं लेकिन मैं जोर के साथ कह सकता हूं कि ओडिशा की राजनीति के एक ईमानदार सिपाही भर्तृहरि महताब जी हैं। मैं जो ईमानदारी से कहता हूं, वह सही कहता हूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी का टाइम बाकी है, इसलिए आप मुझे दो-चार मिनट और बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की तरफ से बहुत से मैम्बर्स बोलने वाले हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास : आज जो बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने 200 से ज्यादा रैलियां कीं, आम सभाएं कीं। वहां उन्होंने एक परिवर्तन का माहौल बनाया है। यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, एक सवाल की लड़ाई थी, एक इश्यू की लड़ाई थी। मैं जानता हूं कि जब भट्टा पारसौल में किसानों के गांव में, किसानों के प्रति अत्याचार हुआ, तो वहां जब राहुल जी गये, तो उन लोगों के दुख-दर्द को सह नहीं पाये। वे उनके साथ सोये और उनके गांव में पैदल यात्रा की। मैं भी एक दिन उनके साथ चला था। मैंने वहां देखा था कि बरसात में भीगने वाला राहुल गांधी, भीगते हुए बच्चों के साथ पैदल चलने वाला, कीचड़ में चलने वाला राहुल गांधी वोट के लिए पैदल नहीं चल रहा था। राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, एक संघर्ष ...*(व्यवधान)* एक चुनौती को सिखा रहा था और वहां पर एक माहौल बनाया जिससे सरकार का परिवर्तन हो। वहां कांग्रेस आयी या नहीं आयी, कोई आया या नहीं आया, वह बात नहीं है। हमारे पूर्वज, कांग्रेस के जो लोग आजादी के समय से लड़ते आये हैं, जो भी लोग आज देश के नेता बने हैं, वे राजनीति के लाभ और हानि से नेता नहीं बने हैं। मेरे कहने का अर्थ है, मैंने उस द्वीप को देखा है, जिसमें जो दर्द-दुख था, जिसमें जब हम भीग कर चल रहे थे, तो एक अंग्रेज पत्रकार ने पूछा कि राहुल जी, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र आपके देश में नहीं हैं। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा कि अच्छा। दूसरा मैं था और पास-पास चल रहे थे। पास में चल रहे थे, 70-80 वर्ष की उम्र वाले चार-पांच वरिष्ठ सिटिजन्स साथ में चल रहे थे। उन्होंने कहा, चलिए, उनसे पूछते हैं कि लोकतंत्र है या नहीं, ये लोग जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दे सकता। जब हमने उनसे कहा कि यह इंसान ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तो उन सीनियर लोगों ने कहा - हमारे देश में लोकतंत्र बखूबी मजबूत है। इस बात का राष्ट्रपति जी के भाषण में उल्लेख है कि हमारे देश में आर्थिक स्टेबिल्टी और ग्रोथ हुई है क्योंकि लोकतंत्र मजबूत है। उन्होंने कहा कि हम एमएलए से मिलते हैं, एमपी से मिलते हैं, जिसको चाहें हम मिल पाते हैं इस लोकतंत्र में, हमें कोई परहेज नहीं है और जरूरत पड़े तो हम खिलाफ बोलते हैं, विद्रोह

[श्री भक्त चरण दास]

करते हैं। राहुल जी ने कहा, देखा आपने इनका जवाब, लोकतंत्र है। इसी का एहसास हमारे ये सीनियर सिटीजन्स कर रहे हैं। इसलिए मजाक उड़ाने की बात नहीं है। एक अनुभूति होती है। आज नहीं तो कल जो क्रांति उभरकर आने वाली है, उसके लिए आप तैयार होइए। "दुख नहीं कोई उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है।" ऐसे फौलाद दिल वाले राहुल गांधी हैं। "एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तो, इस दीये में तेल से भीगी हुई बाती तो है।" एक दीप है जो लड़ने वाला है, जो कालहांडी के, नियामगिरी के जंगल में आदिवासियों के बीच, जहां माओइस्ट हैं, वहां जाकर गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ बैठकर, खाना खाकर, उनके दुख–दर्द देखकर, उनको हल कर सकता है। उस इंसान के बारे में आप जितना मजाक करें, आने वाला दिन यह प्रमाणित करेगा कि आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हो जाएंगे। मेरे मित्र हंस रहे हैं, मैंने इसीलिए आपको सरोजिनी नायडू का उदाहरण दिया था, उसको आप भूल न जाएं।

महोदय, आपने मुझे बहुत समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री चंदूलाल साहू** (महासमंद) : महामहिम राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की चर्चा में मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण केन्द्र सरकार की आगामी वर्ष की कार्ययोजना का वृत्त होता है। किंतु खेद है कि इसमें देश के विकास की बात न कहकर राजनैतिक भाषण मात्र हो गया है। सरकार की इच्छाशक्ति, काला धन की वापसी, भ्रष्टाचार मिटाने या गरीबी दूर करने का नहीं है। आज देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारा देश गांवों में बसता है। 75 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और जब तक कृषि कार्य को उन्नतशील नहीं बनायेंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। केन्द्र सरकार कृषि विकास के लिए योजना तो नहीं लाई उल्टे उर्वरकों पर से सब्सिडी घटा दी जिसके कारण धान या अन्य फसलों की उत्पादन लागत बढ़ गयी और आज धान की उत्पादन लागत से समर्थन मूल्य कम हो गया है। परिणामस्वरूप धान उत्पादन में लगे कृषक पलायन करने को मजबूर हो गये हैं। किसानों के प्रति कहावत (किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में मर जाता है) चरितार्थ हो रहा है। वह दुर्भाग्यजनक है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एनडीए सरकार के समय में नदियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना बनाई गई थी। जिसे यूपीए सरकार की दूसरी पारी में भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जबकि पानी की समस्या ज्वलंत होती जा रही है। यदि पानी का सदुपयोग या इसके दुरुपयोग को नहीं रोका गया तो भविष्यवक्ता का कहना है कि आगामी तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। इससे हमको सावधान होना पड़ेगा।

केन्द्र सरकार एन सी टी सी कानून ला रही है जिससे अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। वास्तव में इस कानून के द्वारा संघीय ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है जबकि महिला आरक्षण विधेयक जो राज्यसभा में पारित किया जा चुका है, के संबंध में अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। जबकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और जब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। तब तक देश का समुचित विकास नहीं हो सकता। आज भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस पर नियंत्रण किया जाना देशहित और हम सबके हित में होगा। इसके आवश्यक उपाय के रूप में जनलोकपाल विधेयक लाया गया। लोकसभा में पास किया जा चुका है। जिसके संबंध में अभिभाषण में चर्चा तक नहीं की गयी। जो खेदजनक है।

हम आजादी के 65वें वर्ष में जी रहे हैं और आजादी के 65वें वर्ष के बाद भी हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस हिसाब से विकास दर को प्राप्त नहीं कर पाये जबकि देश को विश्वगुरू होने का गौरव प्राप्त था और सोने की चिड़िया कहलाता था। अखंड और शक्तिशाली भारत कहलाता था लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उस विकास और गौरव को प्राप्त करने में असमर्थ है। इसलिए यूपीए सरकार से मांग है कि देश के समुचित विकास के लिए कार्ययोजना बनाये जिसके लिए प्रमुख विपक्षी दल के साथ–साथ प्रमुख नेताओं से चर्चा करके निर्णय लें। ताकि देश पुनः अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर सके।

इन सुझावों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के. सुगुमार** (पोल्लाची) : मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रसन्नता हो रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक जीवंत परंपरा है और यह अभिभाषण सदैव एक पदस्थ सरकार के लिए बाईबल और/अथवा मार्गदर्शी तत्व होना चाहिए। यहां मुझे यह देखकर हैरानी हो रही है कि इस अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है कि सरकार किस दिशा में जाना चाहती है। बल्कि यह मुझे भ्रमित कर रहा है कि क्या यह सरकार समझती है कि इसकी अवधि समाप्त हो गई है अथवा यह मध्यावधि चुनाव के लिए आगे बढ़ रही है क्योंकि मैंने इस अभिभाषण में सरकार के करने के लिए कुछ भी रचनात्मक कार्य नहीं देखा।

आज देश के सामने बहुत से मुद्दे हैं जैसे–बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों का बार–बार ऊपर जाना, बाहरी और आंतरिक खतरे, बेरोजगार युवाओं की बढ़ती हुई संख्या और देशभर में फैलती बीमारियां तथा किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं। मुझे आशा थी कि सरकार कृषि पर और ज्यादा ध्यान देगी क्योंकि हम कृषि में 4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करना चाहते हैं।

यह ऐसी सच्चाई है कि जिसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि कृषि हमारी जीवन रेखा है और कृषि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में भारी योगदान देती है।

कृषि ने हमें जीवित रखा है परंतु लंबे समय से हम किसानों की उपेक्षा कर रहे हैं और कृषि तथा/ अथवा किसानों के विकास के लिए अधिक निवेश नहीं कर रहे हैं।

आज हमें समाचार रिपोर्टें देखने को मिल रही हैं, कि हरेक किसान बुरी तरह प्रभाव पड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल धान या गेहूं उगाने वाले किसान ही आत्महत्या कर रहे हैं बल्कि चाहे आलू उगाने वाले हों या अदरक उगाने वाले हों या जूट या कपास उगाने वाले अथवा नारियल उगाने वाले हों, सभी आत्महत्या कर रहे हैं। नारियल की खेती करने वाले गरी के 70.00 रुपये प्रति कि.ग्रा. का न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे थे जबकि उन्हें यह नहीं मिल रहा है।

हाल ही में प्रेस में प्रकाशित हुआ है कि पिछले 16 वर्षों के दौरान 2.50 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जब हम 2009 और 2010 की तुलना करते हैं तो यह दुगना है। कृषि भूमि मृत्यु का मैदान बन गई है। इसीलिए इस मुद्दे पर गंभीर विचार–विमर्श की आवश्यकता है।

एक दिन मैं राजस्थान के एक किसान से बात कर रहा था जो आलू की खेती करता था। आलू बोने और उसकी खेती के लिए उसने 50,000 रु. से अधिक रूपये खर्च किए हैं उसका पूरा परिवार दिन प्रतिदिन वे खेती संबंधी कार्यों में लगा हुआ था। फसल उसकी आशा के अनुरूप अच्छी थी। किंतु क्या आप जानते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है? यदि वह अपनी पूरी फसल किसी को बेच दे तो उसे अपने निवेश की एक चौथाई धनराशि भी नहीं मिल सकती। आलू की खेती में उसने और उसके परिवार ने जो जनशक्ति लगाई उसके बारे में क्या बात करें। अतः आज यह स्थिति है जिसका सामना कृषक समुदाय सभी फसलों में कर रहा है।

हम ऐसे किसानों का बचाव निश्चित रूप से कर सकते हैं यदि हम सभी किसानों के लिए कतिपय अवसंरचना जैसे शीतागार और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कर दें और बहुत हद तक इन आत्महत्याओं को कम किया जा सकता है।

यह मात्र फसल के खराब होने के कारण नहीं है जिससे किसान आत्महत्या करते हैं परंतु इसके कतिपय अन्य मुद्दे भी हैं जैसे ऋण उपलब्ध न होना, ऋणदाताओं जिनसे किसान सरकार से ऋण न मिलने की स्थिति में खेती करने के लिए पैसा लेते हैं, द्वारा यातना प्रायोजित ऋण सुविधा और इसके अतिरिक्त उर्वरकों को अनुपलब्धता से भी खेती के कामों पर प्रभाव पड़ता है और किसान कठिनाइयों का सामना करते हैं।

एक अन्य बात जो मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि कृषि इस समय देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस समय तीन प्रतिशत से कम का योगदान करती है। लेकिन हमारी योजना चार प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने की थी और यह योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना से ही पिछड़ रही है।

मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि हम अपने कृषि क्षेत्र पर तत्काल अधिक ध्यान नहीं देते तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी खाद्य आत्म–निर्भरता पूर्ण रूप से बदल जाएगी और अन्य उत्पादों की भांति अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों पर निर्भर हो जाएंगे। हरित क्रांति के जरिए जो परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं, वे अतीत की बात हो जाएगी। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाए।

[हिन्दी]

★**श्री रामसिंह राठवा** (छोटा उदयपुर) : डॉ. गिरिजा व्यास जी ने अभिभाषण के दौरान गरिमा बनाए रखने कि सलाह दी, लेकिन प्रजातंत्र में सबको साथ में लेकर चलने से संसद की कार्रवाई सही

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामसिंह राठवा]

चलती है। हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों के दौरान विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, यह संसदीय जनतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रजातंत्र में सभी सम्मानीय सांसदों को अपने विचार रखने का अधिकार है। आज देश में जनतांत्रिक ढांचा कायम है तो उसका श्रेय भारतीय लोगों के आस्था का परिणाम है यह किसी पार्टी की वजह से नहीं है।

पिछले 63 वर्षों में देश में शासन चलाने का सबसे ज्यादा समय कांग्रेस को मिला है। आज देश में जो स्थिति–परिस्थिति बनी है उसके पीछे भी कांग्रेस ही है। आज देश में स्थिति खराब हो गयी है। देश में महंगाई बढ़ रही है दिन रात चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। आजादी के इतने समय बाद आज भी गांवों में गरीबी बढ़ रही है। गांवों में शिक्षा–स्वास्थ्य और पानी की सुविधा नहीं है। हमारे देश के गरीब परिवार के बच्चे कुपोषण के शिकार बन रहे हैं। देश का किसान कर्ज में डूब रहा है। किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है। हर दिन कहीं न कहीं अत्याचार, दुराचार, बलात्कार की घटना घट रही है। देश के कई हिस्सों में माओवादी, नक्सलवादी, आतंकवादी सरेआम अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। यूपीए सरकार क्या इसके बारे में चिंतित है?

कांग्रेस ने देश को और प्रजातंत्र को बरबाद किया जिन राज्यों में बिन कांग्रेसी राज्य सरकार है वहां केन्द्र राज्य सरकार है वहां केन्द्र की यूपीए सरकार परेशान करती है। अपना देश एक प्रजातांत्रिक देश है और लोगों ने भारत के संविधान में संघीय ढांचा स्वीकार किया है। केन्द्र और राज्यों के सहयोग बना के आगे चलना चाहिए लेकिन आज स्थिति विपरीत दिखाई देती है। आज केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग के बजाय एक टकराव की स्थिति बन गयी है। यह सरकार बदले की भावना से चल रही है। जैसे एन.डी.ए. सरकार के वक्त आतंकवाद विरोधी कानून कांग्रेस पार्टी ने 2004 के चुनाव के बाद पोटा के आतंकवाद विरोधी कानून को रद्द कर दिया था। अब हम आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे? आज देश में आतंरिक सुरक्षा के क्षेत्र और बाहरी सुरक्षा क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कुल मिलाकर आज देश की शिशु मृत्यु दर जो वर्ष 2005 में 58 प्रति हजार जन्म थी, वर्ष 2010 में घटकर 47 प्रति हजार रह गयी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम आज भी शिशु को मृत्यु से बचा नहीं सकते। यह देश के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।

यह सरकार राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना चाहती है। राज्य सरकारों ने अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखकर अनेक विधेयक पारित किए हैं और उन्हें केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजा है, लेकिन सारे विधेयक वर्षों से केन्द्र की मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं जिन्हें आज तक केन्द्र ने मंजूर नहीं किया।

★**श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर) : महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा उसकी उपलब्धियों और सफलताओं का एक लेखा जोखा होता है, जिसका विश्लेषण हम इस धन्यवाद प्रस्ताव में करते हैं।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, जो असंतुलित विकास के चलते लगातार पिछड़ता जा रहा है। मेरे इलाके के लोग गरीब, किसान, मजदूर, बुनकर और छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले हैं। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उनका जीवन स्तर देश के बाकी हिस्सों में रहने वाली जनता की तुलना में निम्न है। ऐसा नहीं कि वहां की जनता में प्रगति का जब्जा नहीं है। परंतु बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था न होने से उन्हें रोजगार प्राप्त करने हेतु अन्य जगहों पर जाना पड़ता है। यह अफसोस की बात है कि वहां की प्रबुद्ध, पढ़े लिखे तथा कौशल में माहिर लोगों को सरकार समुचित रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है।

जिस क्षेत्र ने देश को कई प्रधानमंत्री दिये हैं, वहां की जनता आज विकास के लिए तरस रही है। पिछड़ेपन के चलते भुखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवादी आदि विभिन्न समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहां के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दे, जिससे कि इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके।

राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में किसानों के बाढ़ एवं सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निजात पाने के बारे में स्पष्ट नीति नहीं प्रकट की। जल संसाधनों के अभाव में जिसके लिए जल प्रबंधन व्यवस्था भी जिम्मेदार है, एक बड़ी चुनौती है। एक ओर तो लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर हो रही है, वहीं दूसरी और बाढ़ के चलते खड़ी फसलों का नुकसान हो रहा है। जानमाल तथा पशुधन की हानि अलग है। देश की नदियों का पानी, समुचित सिंचाई व्यवस्था के अभाव में व्यर्थ जा रहा है। पूर्वी उ.प्र. में अधिकतर नदियां नेपाल से भारत में प्रवेश करती है तथा वहां बांध बनाकर उनके पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। परंतु सरकार के किसी ठोस नीति के अभाव में ये नदियां मानसून

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में किसानों तथा आमजन पर कहर ढा रही हैं। अतएव इनके जल के भंडारण के लिये समुचित उपाय करने के लिए तत्काल कदंम उठाने की आवश्यकता है जिस पर राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है।

किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आज भी लाभकारी नहीं है। बढ़ती महंगाई, डीजल के मूल्य, बिजली, खाद एवं कीटनाशक दवाओं के चलते कृषि पैदावार प्रभावित हो रही है। अतएव इसके चलते किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने पर मजबूर है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है।

बिजली की कमतर होती सप्लाई किसानों के साथ ही आमजन का जीवन दूभर कर रही है। नाम मात्र के उद्योग धंधे तथा बुनकरों के व्यवसाय ठप्प हो रहे हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। सरकार के भ्रष्टाचार मामलों ने हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सरकार की नीतियों के चलते हमारे देश में इतनी समस्याएं खड़ी हो रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की साख में कमी हुई है। विदेश नीति में भी हमें कई सफलताएं मिली हैं तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की सिक्युरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता की मुहिम भी कुछ खास रंग नहीं ला रही है।

सरकार की बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, विदेशों में जमा काला धन तथा बढ़ते नक्सलवाद पर ठोस नीति न होते हुए देश को बहुत खमियाजा भुगतना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रशांत कुमार मजूमदार (बलूरघाट) : आरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे बोलने के लिए और समय दिया जाए। चूंकि, मैं एक छोटी पार्टी का सदस्य हूं इसलिए मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण आरंभ कीजिए।

★श्री प्रशांत कुमार मजूमदार : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि मुझे बोलने के लिए अधिक समय दिया। हम एक छोटी पार्टी से संसद सदस्य हैं इसलिए हमें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। महामहिम राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष अभिभाषण में केवल कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण झलकता है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि गत वर्ष महामहिम राष्ट्रपति के भाषण में केवल 67 पैरा थे परंतु, इस वर्ष उनके भाषण में 106 पैरा हैं और यह बहुत बड़ा है। अतः यहां यह प्रश्न उठता है कि इस बार उनका भाषण इतना बड़ा क्यों है? मुझे लगता है कि इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास हमसे साझा करने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी असफलताओं की सूची बहुत लंबी है। बंगाली में एक कहावत है कि "थौथा चना बाजे घना"। इसलिए राष्ट्रपति के भाषण को भारी भरकम शब्दों और विशेषणों से अलंकृत किया गया जबकि उसमें कोई ठोस बात नहीं थी।

हम यह जानते हैं कि देश के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। पैरा सं. 31, 32, 33 में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार ने किसानों के लिए काफी काम किया है। इनमें रिकार्ड उत्पादन और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) में लगातार वृद्धि किए जाने का बखान किया गया है। कृषि ऋण में लक्ष्य की तुलना में 27 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। परंतु, वास्तविकता क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि यदि हमारे देश के किसानों की खुशहली के बिना अर्थव्यवस्था कभी विकसित नहीं हो सकती। किसानों की सहायता के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान किया जाना चाहिए। हम यह देखते हैं कि एम एस पी में वृद्धि की जाती है परंतु इसके साथ ही उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो जाती है। यूरिया और अन्य उर्वरकों के मूल्यों में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार कृषि एक बहुत महंगा व्यवसाय बन गया है।

धीरे-धीरे राज सहायता भी समाप्त की जा रही हैं परंतु, यदि आप अमरीका अथवा कनाडा या अन्य विकसित देशों की स्थिति देखें तो आपको पता चलेगा कि वे देश कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में भारत जैसे निर्धर देश में राजसहायता को समाप्त क्यों किया जा रहा है? इसके अतिरिक्त, कृषि ऋण किन्हें मिल रहा है? बड़े किसान, समृद्ध जमींदार ऋणों को लाभ प्राप्त कर रहे हैं जबकि छोटे, सीमांत किसान इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। वे गांव में ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देने वाले महाजनों पर निर्भर रहने के लिए विवश हैं।

एक तरफ उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य या लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ बिचौलिए उन्हें लूट रहे हैं। इसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अतः क्या यही वह समावेशी विकास है जिसकी हम चर्चा करते हैं? नहीं, यह समावेशी विकास नहीं है।

★मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री प्रशांत कुमार मजूमदार]

कृषि के विकास के लिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। मैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से आता हूं। पूर्व में, संपूर्ण पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियां का बहुत महत्व था। परंतु आजादी मिलने के 65 वर्षो के बाद, वर्ष दर वर्ष कृषि सुविधाओं में गिरावट आई है। ब्रह्मपुत्र नदी धीरे–धीरे सूख रही है। असम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों का क्या होगा? पानी की कमी से क्षेत्र की कृषि प्रभावित हो रही है। पश्चिम बंगाल की भी यही स्थिति है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे के संबंध में कोई संधि नहीं है। पश्चिम बंगाल के लगभग 6 जिले पूरी तरह से तीस्ता नदी पर निर्भर हैं। अब यह कहा जा रहा है कि नदी का जल बंग्लादेश की ओर प्रवाहित किया जाएगा। मैं बांग्लादेश के साथ जल के बंटवारे के खिलाफ नहीं हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सुधरें। यदि ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे क्योंकि इससे कृषि संबंधी कार्यकलाप बुरी तरह प्रभावित होंगे। महोदय, आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से यह अनुरोध है कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए। इस संबंध में किसी से भी कोई वादा किए जाने से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री से परामर्श किया जाए। यहां तक कि संसद सदस्यों अथवा विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों को भी इससे संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी जाए।

अब मैं, श्रमिकों से जुड़े मुद्दे पर आता हूं। आज देश साधन संपन्न और विपन्न दो वर्गो में विभाजित है। यह अमीर और गरीब के बीच एक स्पष्ट खाई है। ऐसा कहा जाता है कि भारत 'एपीएल' और 'बीपीएल' वाला राष्ट्र बन गया है। जब तक हमारे नीति निर्माता उदारीकरण की नीति को समापत नहीं करते तब तक हमारे देश के लोग इसी तरह पीड़ित होते रहेंगे।

श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक से वंचित किया जा रहा है। 28 फरवरी को विभिन्न राजनैतिक दलों के श्रमिक संघों ने अखिल भारतीय हड़ताल की। उन्होंने कानून व्यवस्था को पुनः कायम करने और लागू करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए इस हड़ताल का आहवान किया था। अधिकांश, लाभ अर्जन करने वाली सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी अपनी नौकरी खो रहे हैं। ठेका श्रमिकों को काम पर लगाया जा रहा है और उन लोगों को भी दिहाड़ी नहीं दी जा रही है। सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि आतंकवाद या कानून व्यवस्था के नाम पर राज्यों की शक्तियां छीनी जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी गुप्त रूप से निजीकरण किया जा रहा है। यह वस्तुतः देश के संघात्मक ढांचे पर एक प्रहार है। अतः, मेरी यह मांग है कि एन सी टी सी को तुरंत समाप्त किया जाए क्योंकि इससे राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है।

इन सबके अतिरिक्त, देश की छह उर्वरक कंपनियों को बंद कर दिया गया है। इन कंपनियों का यथासंभव शीघ्र पुनरूद्धार किया जाए। मैं सीमांत किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने और सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को दोहराता हूं। इसके बिना समावेशी विकास कभी संभव नहीं होगा।

कालेधन की समस्या जटिल होती जा रही है। बड़े पैमाने पर कालाधन विदेशी बैंकों में जमा है। केवल भाषण देने से बात नहीं बनेगी। काले धन की वापसी के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, और यदि यह धनराशि वापस आ जाती है तो इससे देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है और हमारे देश की पंचवर्षीय योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन की स्थिति देखिए। चीन को भी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ही आजादी मिली थी। फिर भी उसने अकल्पनीय प्रगति की है। जबकि हम बहुत पिछड़ रहे हैं। हमें बाधाओं को दूर करने के लिए एक प्रभावी नीति तैयार करनी चाहिए और इसके लिए केवल कल्याणकारी उपाय पर्याप्त नहीं हैं। नव–उदारवादी नीतियों को बदलकर जनोन्मुखी, दूरदृष्टि, युक्त नीतियां बनाई जानी चाहिए। तभी हमारा देश विकास कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रतिबिम्ब होता है, जिसमें सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य और विदेश नीति आदि का उल्लेख किया जाता है। इसमें सरकार की उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है और आगे की कार्य–योजना के बारे में भी बताया गया है। पूरा पढ़ने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि ''बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिलका, चीर कर देखा तो निकला कतराए खूं का'' बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भ्रष्टाचार से निपटने के जितने भी कदम उठाए गए हैं वे सारे के सारे निष्प्रभावी रहे हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार

के दलदल में धंसी हुई है और इसमें आम आदमी दम तोड़ रहा है। विदेशों में जमा काले धन के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने बताया, संसद में काफी शोर हुआ, देश में भी इस पर काफी हंगामा हुआ। लेकिन हमारी सरकार को इसके संबंध में जो सख्त कदम उठाने चाहिए थे वे नहीं उठाए, उसमें बहुत विलम्ब किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि विदेशों में जो काला धन जमा था वह वहां से निकलकर दूसरी तरफ चला गया। हमारे देश के बैंकों में भी बहुत बड़ी मात्रा में बेनामी धन जमा है, उस पैसे को भी निकालकर और विदेशों में दूसरे स्थानों पर जो पैसा स्थानांतरित कर दिया गया है, उस पैसे को देश में वापस लाकर विकास के कामों में लगाए जाने की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि एक परिवार के लोगों के नाम पर बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने से देश का विकास नहीं हो जाएगा। देश का विकास करने के लिए एक-समान शिक्षा-पद्धति हमें बनानी पड़ेगी, शिक्षा का समान स्तर रखना पड़ेगा। चाहे स्कूल नगर-निगम का हो, राज्य सरकार का हो या फिर पंज-सितारा संस्कृति के हमारे पब्लिक स्कूल हों और वहां पर पढ़ाई करने वाला बच्चा चाहे टाट-पट्टी पर बैठे या टेबल कुर्सी पर बैठे, उनका जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वह पूरे देश में एक समान होना चाहिए। समान शिक्षा देने से ही विकास की आधारशिला रखी जाएगी।

सरकार ने न जाने कितनी शैक्षणिक योजनाएं बनाई हैं लेकिन स्थितियां जहां की तहां बनी हुई हैं। लार्ड मैकाले की जो शिक्षा-पद्धति चली आ रही है, इस शिक्षा पद्धति में हमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो शासन की योजनाएं कागज पर ही सिमट कर रह जाएंगी। जमीनी स्तर पर गरीबों के बच्चे होटलों में कप-प्लेट धोते नजर आयेंगे या पीठ पर बोरी लादे कूड़ा-करकट बीनते नजर आयेंगे। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब तक समान शिक्षा-पद्धति नहीं होगी और चपरासी का बेटा और चीफ सेक्रेटरी के बेटे को पढ़ने के लिए एक-समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तब तक हम यह नहीं कह सकते हैं कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है और कौन बच्चा पीछे रह जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में सरकार कितनी भी बात करे लेकिन गांव में जो चिकित्सा की खराब स्थितियां बनी हुई हैं कि अगर अस्पताल है तो डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो दवाइयां नहीं हैं, दवाइयां हैं तो भवन नहीं हैं, भवन है तो स्टाफ नहीं है, जबकि देश की 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। हमें अपने गांवों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी चिकित्सा पद्धति में सुधार करना होगा। गांव में डाक्टर हों, लोगों को वहां पर दवाइयां मिलें। अगर ऐसा होता है तभी हमारे गांव स्वस्थ होंगे। जहां तक जिला चिकित्सालयों की बात है तो वहां पर भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। आज किडनी का इलाज कराने के लिए, कैंसर का इलाज कराने के लिए, हॉर्ट का आपरेशन कराने के लिए एम्स में आते हैं। सांसदों की सिफारिश करवाते हैं, हम लोग फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं लेकिन वहां पर महीनों की वेटिंग चलती है। एनडीए की सरकार के समय हमारे देश में 6 एम्स के समान अस्पताल बनाने की घोषणा की गयी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने वे 6 एम्स के समान अस्पताल देश में चालू कर दिये होते तो आज एम्स पर जो मरीजों का बोझ पड़ता है वह नहीं पड़ता।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में घोषणा की गई है कि एमबीबीएस और पीजी की सीटों में वृद्धि की गई है। अभी कुछ ही दिनों पहले एम्स के एक छात्र ने आत्महत्या की है और एक साल पहले भी एक छात्र ने आत्महत्या की थी। संयोग से उनमें से एक छात्र एससी का था और एक एसटी का था। एम्स में छात्रों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, वह उससे उजागर होता है। शिक्षा मंदिरों के परिसर को स्वच्छ मानसिकता का बनाने के लिए हमें प्रयास करना होगा और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध जिनके मानसिक तनाव देने के कारण छात्रों ने आत्महत्या की है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय जल मिशन और सिंचाई के बारे में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में काफी कुछ कहा गया है, लेकिन एनडीए की सरकार के समय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई थी और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के काम को पहले चरण में लिया गया था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में कोई काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। नदियों को जोड़ने के कार्य को बगैर किसी पूर्वाग्रह के पूरे देश में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना में 25 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है। प्रदीप जी यहां बैठे हैं, आप कहीं भी गांवों में जाकर देखिए बहुत स्थानों पर मजदूरों से काम लेने की जगह मशीनों से काम लिया जा रहा है। फर्जी मस्टर रोल भरे जाते हैं। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है कि मजदूरों को रोजगार मिले, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिले, वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इस बारे में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में आवासीय लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो मनी पॉवर और मसल पॉवर वाले लोग हैं, इन्होंने शासकीय जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा कर शासकीय योजना द्वारा आवास बना कर गरीबों को आवास दिए जाने चाहिए।

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

रोजगार नीति के संबंध में कोई स्पष्ट वायदे अभिभाषण में नहीं किए गए हैं। रोजगार के संबंध में चाहे निजी क्षेत्र हों या सरकारी क्षेत्र हों, सभी स्थानों पर ठेके पर काम दिए जा रहे हैं। इस कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था और सारे देश से बहुत सारे मजदूर बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए थे। अगर हमने समय रहते चिंता नहीं की और मजदूरों के भविष्य के बारे में अगर कदम नहीं उठाए, तो मजदूरों के आक्रोश को सरकार दबा नहीं पाएगी और पलायन का जो सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।

सड़कों के विकास के बारे में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बहुत कुछ कहा गया है, किंतु राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत दयनीय है। मैं मध्य प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75, 76 और 84 आदि की हालत बहुत खराब है और वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं हुई है। प्रदीप जी यहां मौजूद हैं और हमारा तथा उनका क्षेत्र कॉमन है। जब भी वे अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, झांसी, छत्तरपुर है, उनकी हालत से इन्हें भी दो–चार होना पड़ता होगा। मैं कहना चाहता हूं कि ओरछा और खजुराहो सरीखे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का महत्व रखने वाले पर्यटन स्थल भी इन्हीं मार्गों पर हैं। सरकार को सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जहां सात हजार किलोमीटर नए राजमार्गों के निर्माण की घोषणा की गई है, वहीं पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के प्रति भी सरकार को समय रहते काम करना चाहिए।

महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पाकिस्तान में हर महीने 20–25 युवतियों को पकड़कर जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करके विवाह कराया जा रहा है। सरकार की इस मामले में चुप्पी किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं मानता हूं। भारत सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए। उन युवतियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इस मामले में उनके उच्चायोग से बात करके पाकिस्तान से बात करके वहां रहने वाले हिंदुओं को संरक्षण देने का काम करना चाहिए।

भारत निर्माण के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने बात कही है। भारत निर्माण के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं कि हमारे देश की गगनचुम्बी इमारतें जो दिल्ली में, मुम्बई में, बैंगलूरू में बन रही हैं, क्या ये हमारे देश का विकास मॉडल है, क्या विदेशों से आयातित महंगी कारें हमारे देश का विकास मॉडल होंगी, क्या देश में बढ़ते एड्स के मरीज देश के विकास का मॉडल होंगे, क्या बढ़ते हुए घोटाले और उन घोटालों से बनते हुए चंद अरबपति इस देश के विकास के मॉडल होंगे? देश का सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा अंतिम गरीब व्यक्ति को जब तक रहने के लिए आवास नहीं मिलता है, बीमार व्यक्ति के बारे में जब तक दवाइयां नहीं मिलती हैं, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि हमने भारत निर्माण का स्वप्न पूरा कर लिया है।

अंत में इस लाइन के साथ कि ''बुलंद वायदों की बस्तियों को ले कर हम क्या करेंगे, हमें हमारी जमीं दे दो आसमां को ले कर हम क्या करेंगे।''

[अनुवाद]

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सम्मिलित होते हुए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से मुझे निराशा हुई है। क्योंकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के आरंभ में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक अनिश्चितताओं के कारण हमारा देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है किंतु इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि इन कठिनाइयों को दूर कैसे किया जाए।

मैं कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि सरकार इन पर गंभीरता से विचार करे। अन्यथा गरीब–अमीर, भारत और इंडिया के बीच की खाई इतनी गहरी हो जाएगी कि सरकार के लिए इसे पाटना असंभव हो जाएगा और पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी।

स्वतंत्रता के 64 वर्षों बाद आज भी हमारा देश भुखमरी और कुपोषण की समस्या से जूझ रहा है। पूरे विश्व में भुमखरी से पीड़ित जनसंख्या का 25 प्रतिशत भाग भारत में है और विश्व में कुपोषण से पीड़ित कुल बच्चों का भी 1/3 हिस्सा भारत में ही है। ये बच्चे जो भारत का भविष्य है। कुपोषण की समस्या अ.जा., अ.ज.जा. और मुस्लिम समुदायों के बच्चों में अपेक्षाकृत अधिक है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दिल्ली में एक बैठक के दौरान देश के बच्चों में कुपोषण के उच्च स्तर पर गहरा खेद व्यक्त किया और कहा कि यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्मनाक है। क्या इतने वर्षों से प्रधानमंत्री जी इन सभी तथ्यों से अनभिज्ञ थे?

वष्र 2011 की जनगणना में कुछ अजीब तथ्य सामने आए हैं। देश में 246.6 मिलियन घरों में से केवल 46.9 प्रतिशत घरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध है, शेष 3.2 प्रतिशत सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं और 49.8 प्रतिशत खुले में शौच करते हैं।

केवल 32 प्रतिशत घरों में पीने के लिए परिशोधित जल का प्रयोग किया जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 17 प्रतिशत घरों को 500 कि. मी. से भी अधिक दूर तथा शहरी क्षेत्रों में 100 कि.मी. से अधिक दूर स्थित जल स्रोत से पानी लाना पड़ता है। इस संबंध में सरकार का क्या कहना है? सरकार आम आदमी को क्या आश्वासन देगी?

अभिभाषण में कौशल विकास की बात की गई है किंतु यह नहीं बताया गया कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या कैसे सुलझाएगी। देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। एन एस एस ओ ने अनुमान लगाया है कि बेरोजगारी की दर वर्ष 2007 के 2.8 प्रतिशत से बढ़ कर 2009–10 में 9.4 प्रतिशत हो गई है। यहां तक कि रोजगार युक्त लोगों में भी केवल 16 प्रतिशत लोग नियमित वेतन पा रहे हैं, 39 प्रतिशत नैमित्तक मजदूर हैं और 43 प्रतिशत स्वरोजगार युक्त हैं। कांग्रेस ने वर्ष 2009 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या आश्वासन दिया था?

मैं पुरजोर मांग करता हूं कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परियोजना को शहरी गरीबों तक पहुंचाया जाए। मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी जाए तथा मजदूरी भी 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी जाए।

क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी विद्यमान हैं। कम होने की बजाय ये बढ़ती जा रही हैं। उत्तरी पूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया हैं किंतु सबसे अधिक पीड़ित राज्य वे ही हैं। केंद्र सरकार को आग से नहीं खेलना चाहिए। उत्तर पूर्वी राज्यों के लोग अधिक समय तक केंद्र सरकार की उपेक्षा और वचना सहन नहीं करेंगे।

अपराह्न 3.00 बजे

13वें वित्त आयोग, जो वेतन और पेंशन खातों पर समादेशित दायित्वों का यथार्थवादी आकलन करने में विफल रहा है, के कारण त्रिपुरा गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा की जा रही इस वंचना के विरूद्ध त्रिपुरा की लोकतांत्रिक जनता जिसमें कर्मचारी और अध्यापक भी सम्मिलित हैं, अपनी आवाज उठा रही है। राज्य को 13वें वित्त आयोग द्वारा पैदा की गई कठिन स्थिति से उबारने के लिए मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार राज्य सरकार द्वारा मांगें गए विशेष आर्थिक पैकेज पर विचार करे।

त्रिपुरा सरकार के वन निवासियों को, जिन्हें अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत भूमि आबंटित की गई है, सतत आजीविका अवसर प्रदान करने के लिए 440.16 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस धनराशि को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए।

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी ने घोषणा की है कि एन एच 44 के चौरइबारी से अगरतला तक के हिस्से को जुलाई 2012 तक तथा शेष अगरतला से सुईब्रुम तक के हिस्से को 2013 के अंत तक चार लेन वाले राजमार्ग में बदल दिया जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यद्यपि वर्ष 2005 में एनएच 44 को चार लेन में बदलने के कार्य को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था किंतु वास्तविकता यह है कि अभी तक आधारभूत कार्य भी आरंभ नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में तुरंत उचित कदम उठाए।

महोदय, बारह वर्षों से भी अधिक समय से त्रिपुरा में शरणार्थी कैंपों में मिजोरम के 35000 से भी अधिक रियांग शरणार्थी रह रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर चर्चा के अनेक दौर चले हैं किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। भारत सरकार को इन शरणार्थियों को मिजोरम वापिस भेजने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए।

माननीय राष्ट्रपति जी ने विदेशी बैंकों में जमा काले धन और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया है। किंतु मेरे विचार से हमने जो अन्य देशों के साथ कर सूचना विनिमय समझौते किए हैं, उनके तहत हमें कर संबंधी सूचना हमें पुरोलक्षी प्रभाव से मिलेगी न कि भूतलक्षी प्रभाव से। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस स्थिति को स्पष्ट करे तथा विदेशी बैंकों में अवैध रूप से जमा काले धन को वापिस लाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री खगेन दास : मैं समाप्त करने ही वाला हूं।

महोदय, आज देश में महिलाओं विशेष रूप से अ. जा. और अ. ज. जाति की महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। उन पर हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार को उचित कार्य–योजना तैयार करनी चाहिए।

पूरे देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मानवीय अधिकारों का घोर हनन हो रहा है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और मानव अधिकारों के हनन को रोकने में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए।

[हिन्दी]

★**श्रीमती ज्योति धुर्वे** (बेतूल) : सम्माननीय राष्ट्रपति महामहिम का अभिभाषण के पूरे ''एक हजार पैंतीस दिन'' की पूरी यात्रा के उपरांत इसी पन्द्रहवीं लोक सभा की इसी संसद में उन्होंने पूरे 100 दिन में देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से लेकर संपूर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्धि की ओर एवं देश की पूरी डेढ़ अरब की आबादी की चिंता को केवल शब्दों और शब्दों के अंदर ही सीमित कर दिया। कहां समृद्धि की राह का सपना की केवल दिखाया क्या देश की अर्थव्यवस्था एवं व्यवस्था को सपनों से तुलना करना शायद एक मूर्खता ही होगी आज व्यक्ति को जीने के लिए देश की जनता को उसकी पहली मांग एवं महंगाई से आवश्यक मूलभूत आवश्यकताओं की मांग पूरी करने में सरकार सफल ही नहीं पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुई। सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा किये गये वादों में पूरी तरह असफल होने के उपरान्त आम जनता की चिंता को भी महत्व नहीं देना सरकार की पूरी नाकाम जनता के सामने उजागर होती है।

जिस काले धन से निपटने के लिए (निषेध) अधिनियम बनाने का वादा किया वहीं देश की अपार धन पर भ्रष्टाचार के द्वारा सीधे–सीधे लूट की है, जिस शिक्षा की व्यवस्था अध्यापक शिक्षण एवं फैकल्टी विकास की बात क्या मालूम है कि आज भी शिक्षक की स्थिति दयनीय है। आज भी वह कितना कमजोर है गरीब है उसकी नौकरी की पूरी उम्मीद भी शायद सुनिश्चित नहीं है। क्या यही व्यवस्था जिसमें उसकी स्वयं की कार्य सुनिश्चित न होना। स्वास्थ्य के लिए जो केवल एन.जी.ओ. के माध्यम से सुदूर अंचलों में कार्य कर स्वास्थ्य एवं बड़ी–बड़ी बीमारियों से लड़ने का यही आसान तरीका अपनाना न केवल दिन में सपने दिखाने के बराबर है। 2012/2013 में 85 लाख लोगों की 12वीं योजना 80 लाख लोगों के कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर क्या उनकी पूर्णतः रोजगार मुक्त कर पूरी तरह संख्या को सशक्त करना संभव है। माननीय अध्यक्ष जी उच्च शिक्षा के लिए (कार्य योजना) तैयार करने की बात कही गयी है क्या उसमें पूरी तरह उच्च शिक्षा के द्वारा एवं उच्च पदों पर भी नियुक्ति की (कार्य–योजना) को भी तय किया गया है नहीं किया गया हो तो इसे (कार्य योजना) में लेकर नियुक्ति को पूर्ण रूप से नियोजन किया जाए। क्या जितनी आवश्यक पद एवं सभी विभागों की पदों को पूर्ण रूप से भर्ती एवं सभी विभागों के कार्यों की अच्छी गुणवत्ता एवं अच्छी कार्यशैली के लिए एक कानून व्यवस्था का समायोजना करना ताकि आसान कार्य क्षमता एवं बेरोजगारी को देर करते हुए रोजगार के सुअवसर प्रदान करना देश की आवश्यक महत्वपूर्ण व्यवस्था को बनाना यही एक शुभ संदेश देने का आधार सिद्ध तय करना, कमजोर निःशक्त लोगों की आवासीय व्यवस्था को और भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। गांव नहीं नगरीय क्षेत्र में भी इसका अधिक से अधिक लक्ष्य करने की व्यवस्था की जाए, किसानों को जिंदा रखने के लिए उनके उत्पादन पर मूल्यों को घटाना अतिआवश्यक है। क्योंकि यदि हम उनकी उत्पादन की मूल्यों को कम करते हैं, तो किसानों की आत्महत्या ही नहीं उनके पलायन को भी रोकने में सक्षम होंगे। केवल मनरेगा से ही रोजगार की व्यवस्था मजदूर बनाने के इस उद्देश्य से उठकर हम रोजगार की अच्छी उच्च व्यवस्था में उच्च रोजगार को भी पैदा करना हमारा अधिक लक्ष्य होना चाहिए।

अतः मेरा यही निवेदन है कि बिजली, खाद, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण महिलाओं की देश की आंतरिक सुरक्षा एवं समृद्धि भारत की आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एक सुदृढ़ कानून एवं आधारभूत संरचना की आवश्यक कदम पर विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा संभव है अर्थात् इसकी ओर सरकार की नीति स्पष्ट एवं स्वच्छ विचार बिंदु के साथ देश का निर्माण संभव है।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में सम्मिलित होने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण का स्वागत करता हूं तथा डॉ. गिरिजा व्यास जी द्वारा प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव को पूरा समर्थन देता हूं।

अपराह्न 03.04 बजे

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए)*

महोदय, हमारी संप्रग सरकार गरीबों और किसानों के हित में बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि जो देश के गांवों और शहरों में रहने वाले गरीब तबकों के लोगों के उत्थान में सहायक हैं।

कृषि के संबंध में माननीया राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 2010–11 में खाद्य उत्पादन 241.56 मिलियन टन था।

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

फल और सब्जियों का उत्पादन 231 मिलियन टन था, दालों और तिलहन का उत्पादन क्रमशः 18 मिलियन टन और 31.1 मिलियन टन था। हमारे किसानों के योगदान के कारण विशेष रूप से हमारी संप्रग सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के उपरांत खाद्य उत्पादन क्षेत्र में हम आत्म-निर्भर हो गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत न केवल बीज बल्कि कृषि आदान जैसे ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर्स, स्प्रिकंलर्स आदि भी सस्ते मूल्यों पर प्रदान किए जाते हैं।

महोदय, हम खाद्य उत्पादन पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, साथ ही हम कुछ फसलों जैसे धान, गेहूं आदि पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे रहे हैं। मैं सरकार से सभी वस्तुओं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धाश्रत करने का आग्रह करता हूं। उदाहरणतः मेरे लोकसभा क्षेत्र में किसान हल्दी उगा रहे हैं। पिछले वर्ष किसानों को हल्दी का मूलय 17000 रुपये प्रति क्विंटल दिया गया। वर्तमान में हल्दी का मूल्य 3500 रुपये प्रति क्विंटल है। पिछले वर्ष प्याज का रेट 17000 रुपये प्रति क्विंटल था जो इस समय 350 रुपये प्रति क्विंटल है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सभी वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए।

जहां तक रेशम उत्पादन का संबंध है, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में रेशम पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था। इससे रेशम का उत्पादन करने वाले हमारे भारतीय किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गत वर्ष हमारे किसानों को प्रति किग्रा रेशम के कोष के लिए 350 रुपए प्राप्त हुए, परंतु इस वर्ष शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिए जाने के कारण रेशम के कोए की वर्तमान दर केवल 120 रु. से लेकर 150 रुपये के बीच है। अतः, मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से नम्र निवेदन है कि कल बजट पेश करते समय वह हमारे भारतीय रेशम उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए रेशम पर आयात शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दें।

महोदय, बुनकरों को 3000 करोड़ रुये का पैकेज प्रदान किया गया है। जहां तक कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का संबंध है, छोटे किसानों को छह प्रतिशत की दर पर फसल ऋण प्रदान किया जा रहा है। महोदय, कृषि आदानों और श्रम लागत में वृद्धि होने से कृषक समुदाय के एक बड़े हिस्से को बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। कृषि ऋण फ्लोटिंग ब्याज दरों पर प्रदान करते हैं जिनमें बार-बार परिवर्तन होता रहता है और सामान्यतः इनमें वृद्धि ही होती है जिससे किसानों पर प्रति कूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि कृषि ऋणों पर ब्याज की दर को कम किया जाए। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह उल्लेख किया है कि वनवासी अधिनियम 2006 के अंतर्गत जनजातीय लोगों को 12 लाख पट्टे वितरित किए गए। जनजातीय लोग अपनी भूमि के विकास के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं। अतः, मेरा सरकार, विशेषकर जनजातीय कार्य विभाग से यह अनुरोध है कि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से पट्टा प्राप्त करने वाले जनजातीय लोगों को ऋण सुविधा प्रदान की जाए।

अंत में, जैसा कि आपको विदित है कि ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में हमारी सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को 5,115 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है; इसमें 99.23 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया गया है। मैं सरकार से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन हेतु बजटीय आवंटन को बढ़ाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपये करने का अनुरोध ा करता हूं।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

★**श्री जोस के. मणि** (कोट्टयम) : भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 2012 को दिए गए प्रभावशाली अभिभाषण में आगामी वर्ष हेतु संप्रग सरकार के ऐजेंडे को दर्शाया गया है। आगामी वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं को दर्शाने की एक परंपरा के अतिरिक्त इस अभिभाषण में उन क्षेत्रों को भी चिह्नित किया गया है। जिन संबंध ा में सरकार अपने न्यूतनम साझा कार्यक्रम जो सरकार द्वारा किए जाने वाले कामकाज के घोषणापत्र की भांति है में वर्णित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना चाहती है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था कठिनाई के दौर से गुजर रही है, अभिभाषण में विकास के मार्ग से हटे बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय का उल्लेख किया गया है। विश्व की अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय भागीदार होने के कारण हम वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव से अछूते नहीं रह सकते परंतु हम एक ऐसी आर्थिक नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो कि समावेशी विकास पर आधारित है और इस प्रकार कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश किया जा रहा है। वित्तीय बाधाओं के बावजूद हमारे सभी महत्वपूर्ण

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जोस के. मणि]

समाज कल्याण कार्यक्रम सही ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

अभिभाषण में आगामी माह में, जबकि नए बजट में आर्थिक वृद्धि हेतु मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, अर्थव्यवस्था में एक बदलाव आने की संभावना व्यक्त की गई है।

गत वर्ष के दौरान सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध सिविल सोसाइटी ने देश में अभूतपूर्व जनाक्रोश पैदा किया। सरकार ने सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या का सामना करने के लिए तुरंत लोकपाल विधेयक और अन्य समर्थकारी विधान लागू करने की कार्यवाही आरंभ की। लोकपाल विधेयक जिसे उस समय सभा में मतभेद के कारण अधिनियमित नहीं किया जा सका, को वर्तमान सत्र में लागू किए जाने की संभावना है। यद्यपि, ऐसे ऐतिहासिक विधेयक को लागू करने का आशय वस्तुतः प्रशंसनीय है तथापि, जांच एजेंसियों को स्वायत्तता प्रदान करके और समय पर न्याय प्रदान करके मौजूदा कानूनों के प्रभावी अनुपालन के माध्यम से कुछ क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

शारीरिक रूप से सक्षम सभी ग्रामीण नागरिकों को न्यूनतम रोजगार की गारंटी प्रदान करने वाले ऐतिहासिक मनरेगा कार्यक्रम की भांति ही खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार एक अन्य समर्थकारी कानून बनाने पर विचार कर रही हैं जिसके लिए अतिरिक्त कृषि उत्पादन को सतत रूप से जारी रखने की आवश्यकता है। अस्थिर मानसून और भूजल के तेजी से गिरते स्तर के कारण कृषि उत्पादन के उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को देखते हुए हमें फसल कटाई के बाद काम में आने वाली तकनीक में सुधार करने और सार्वजनिक विवरण प्रणाली को सुचारू बनाने की आवश्यकता है। पूर्व के वर्षों में हमारे देश में कृषि उत्पादन बहुत अधिक था और एफ सी आई के गोदामों में बफर सीमा से अधिक खाद्यान्नों का भंडार मौजूद था परंतु वितरण प्रणाली में कुछ कमियां थीं। अतः यह अनिवार्य है कि खाद्यान्नों और शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पाद जैसे फल एवं उद्यान/पुष्प उत्पादों के भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण क्षमता तैयार करनी चाहिए।

अभिभाषण में सरकार द्वारा निर्धन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने और बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे महत्वपूर्ण आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे अनेक उपाय किए जाने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में ऋणदाता संस्थानों और सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण के वितरण पर निगरानी रखने के लिए कोई प्रभावी निगरानी तंत्र नहीं है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बेईमान महाजन असहाय किसानों का शोषण करते हैं।

मुझे खुशी है कि अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि सरकार प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को समाधान करने के लिए इच्छुक हैं और पुरजोर प्रयास करेगी। सरकार गृह युद्ध से प्रभावित प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित रूप से भारत वापस लाने और देश में उनके पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अतः, मेरा यह अनुरोध है कि अभिभाषण की सराहना करते हुए सम्मानीय सभा धन्यवाद प्रस्ताव पारित करे।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम) : महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश में हाल ही में संपन्न हुए पांच राज्यों के चुनाव के बाद जो परिणाम आया, उससे झटका खाते हुए और हड़बड़ाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यह यूपीए सरकार महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से अपने बिगड़े हुए चेहरे को संवारने की कोशिश कर रही है।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने इस सरकार को ईमानदार और कारगर सरकार कहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि पूरे भारतवर्ष के इतिहास में जितनी भी सरकारें आयीं, इन सरकारों में से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले इस सरकार के नेतृत्व के कार्याकाल में उजागर हुए हैं। इस सरकार के कार्यकाल में बहुत बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। मुझे याद है कि जब स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब सिर्फ 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स के घोटाले से, एक बहुत प्रभावी रूप से, स्पष्ट बहुमत के रूप में सरकार शासन में आयी थी, उसे जाना पड़ा था। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि ये इतने बड़े घोटाले हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर आप देखें तो वे गगन को छू जायें, इतने बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं। ...**(व्यवधान)** आप 2 जी स्कैम को लीजिये, 2जी स्कैम में 1 लाख 76 हजार करोड़ रुपये के मामले उजागर हुए हैं। ...*(व्यवधान)* केवल एक मामला नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान पैदा न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : हमारे गुजरात में एक कहावत है कि ''लाजने के बदले गर्जना'' ये हमारे दोस्त, हमारे ट्रेजरी बैंचों पर बैठे हुए दोस्तों को लाज आनी चाहिए, लेकिन वे भ्रष्टचार के मामलों को गाते हैं। मुझे इस बात का ताज्जुब होता है और दुख भी होता है। राजीव गांधी जी की सरकार सत्ता में आयी थी, लेकिन वह चली गयी थी। इस सरकार के समय में सिर्फ 2जी स्कैम नहीं है, आदर्श सोसायटी घोटाला भी है, इस सरकार के समय में कितने करोड़ रुपयों का कॉमनवेल्थ घोटाला भी है। नरेगा में भी घोटाला है। मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने इस घोटाले वाली सरकार के लिए, जो सरकार अपने-अपने अपनी पीठ थपथपा लेती है, ईमानदार शब्द रखा है और कारागार शब्द रखा है। मैं समझता हूं कि यहां कारगर शब्द की जगह कारागार शब्द होना चाहिए, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन्टरवीन होते हुए भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रियों और कई सदस्यों को कारागार में भेजा है। यह सरकार अपने आपको जो इतना बड़ा प्रमाणपत्र देती है, मेरे ख्याल से यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरा देश जानता है कि ईमानदारी और संप्रग सरकार का कोई मेल नहीं है। यूपीए सरकार में जो घोटाले हुए हैं, मेरे ख्याल से इतने घोटाले कभी भी नहीं हुए हैं। काला धन और खराब प्रबन्धन के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संसद के दोनों सदनों को बताया है कि हम काले धन को वापस लाने के कारगर उपाय करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा, कि मुझे इस बात का गर्व है कि विदेशों में अवैध रूप से जमा काला धन, लाने का प्रयास करेगी, मगर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले काले धन की बात उजागर की थी। उस वक्त यह सरकार और इस सरकार में बैठे हुए सब लोग आडवाणी जी की बात को नजरअन्दाज करते थे। आज जब दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आया है तब विदेशों में अवैध रूप से जो काला धन जमा है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मात्रा में काला धन विदेशों में जमा है। इस काले धन को लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में खोखले वादे किए गए हैं। उसमें इसके लिए कोई प्रबन्धन करेंगे, ऐसा वादा किया है। मैं समझता हूं कि इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस सरकार के पास राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है और यह काले धन के बारे में कुछ नहीं कर सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ावा करने के लिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात रखी गई है। मैं ट्रैज़री बैंचेज़ और सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार के कुशासन की वजह से जो महंगाई हुई है, इसकी दर को देखते हुए छात्रों की छात्रवृत्ति में बढ़ावा करना चाहिए। यह एक नैचुरल लॉ है, जिसमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार के अभिभाषण में कोई प्रबंध नहीं किया गया है। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान प्रस्तुत किया है, उसके तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया है, पूरे देश में आरक्षण को नज़रअंदाज किया जाता है, आरक्षण को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार को रिज़र्वेशन बिल जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और रिज़र्वेशन को इंप्लीमेंट करने में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रमोशन में रिज़र्वेशन को भी कई जगह नजंरअंदाज किया जाता है। इस बिल के प्रावधान में प्रमोशन में भी रिज़र्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं और दलितों का संवैधानिक हक, आरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले सात वर्षों में जीडीपी के एक परसेंट से भी कम धनराशि का आबंटन किया जा रहा है। मैं पेशे से डाक्टर भी हूं और मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में इतने बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, इतनी महिलाएं कुपोषण से मर जाती हैं, तब स्वास्थ्य की सेवाओं में धनराशि को उपलब्ध कराना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में बोला है कि 12वीं योजना में 2.5 परसेंट धनराशि का आबंटन करने का प्रयास वे करेंगे। मैं मानता हूं कि इसमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आगामी 12वीं योजना में 2.5 परसेंट ऑफ द जीडीपी की धनराशि को सुनिश्चित करना चाहिए ताकि लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, गांवों में सुविधाएं नहीं मिलती हैं, दलितों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वनवासियों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उन्हें सुविधाएं मिल सकें।

सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि एमबीबीएस और पोस्ट ग्रैजुएशन की सीटों में बढ़ाव किया गया है। एमबीबीएस की सीटों में 26 फीसदी बढ़ावा किया है और पोस्ट ग्रैजुएट

[डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

सीटों में 62 परसेंट बढ़ावा किया गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो एमबीबीएस और एम.एस. की सीटों में बढ़ावा किया गया है, वह केवल निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों में बढ़ावा किया गया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि मेडिकल की सीटों को बढ़ावा सरकारी कॉलेजों के तहत होना चाहिए क्योंकि जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं, वे मेडिकल शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं। आज अगर किसी को निजी मेडिकल कालेज में एडमिशन लेना है तो उसे 40 से 50 लाख रुपये इनवैस्ट करने पड़ते हैं। अगर पोस्ट ग्रैजुएशन में एडमिशन लेना है तो उसे 80 लाख से 1 करोड़ 70 लाख रुपये तक की धनराशि डोनेशन के रूप में देनी पड़ती है। मेरे ख्याल से यह गरीबों के प्रति उपहास है। कोई दलित, गरीब, वनवासी या किसान का लड़का मेडिकल कालेज में नहीं जा सकेगा। कोई भी लड़का मेडिकल में जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी सीटों की बढ़ोत्तरी की जाए, वह स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट कालेज की सीटों में बढ़ोत्तरी करनी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात मैं करूं तो उसमें कुछ वर्षों पहले वहां के चेयरमैन ने कुछ एलेज्ड भ्रष्टाचार किया था जिसके कारण सरकार ने मेडिकल काउंसिल को सस्पैंड कर दिया। राष्ट्रपति जी के अध्यादेश के तहत इसे दूसरे साल एक्सटैन्ड किया है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सस्पैन्ड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से भारत में मेडिकल व्यवसाय के प्रबंधन में एवं मेडिकल शिक्षा के प्रबंधन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अहम योगदान है। टू जी घोटाला हुआ। लेकिन हमने टेलीकम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री को सस्पैंड नहीं किया। तो फिर क्यों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सस्पैंड कर दिया गया है? घोटाला न हो इसके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। कोई एक ही व्यक्ति बार-बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेज़ीडेंट न बने, इसके लिए संशोधन किए जाने चाहिए। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि संशोधनों से मेडिकल काउंसिल को और मजबूत करना चाहिए और लोगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इण्डिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इण्डिया को सस्पैंड करने के बाद जो नेशनल काउंसिल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन हेल्थ नामक एक ओवरआर्चिंग बॉडी लाना चाहते हैं, मैं इसका स्पष्ट रूप से विरोध करता हूं। इससे मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल संस्थाओं का अनादर होगा। मेडिकल काउंसिल की सैन्क्टिटी बरकरार रखनी चाहिए और कोई भी ओवरआर्चिंग बिल लाने की जरूरत नहीं है। यदि इसमें कोई त्रुटियां हैं, तो उनको दूर किया जाना चाहिए।

महोदय, अंत में मैं संघीय ढांचे के बारे में भी बोलना चाहता हूं। भारत की आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें आयी हैं, उनमें से अभी की यूपीए सरकार ने बार-बार संघीय ढांचे को तोड़ने का काम किया है, बार-बार संघीय ढांचे पर प्रहार करने का प्रयास किया है। मेरे ख्याल से इतिहास की किसी भी सरकार ने संघीय ढांचे पर प्रहार नहीं किया है, जितना यू.पी.ए. सरकार ने किया है। चाहे वह एनसीटीसी हो, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स हो, लोकपाल या लोकायुक्त हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान का निर्माण किया था तो संविधान में संघीय ढांचे को इसीलिए इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, भारत की संस्कृति भिन्न है और ऐसे विशाल देश के लिए संघीय ढांचा ही सक्सैसफुल रहेगा। मगर यह सरकार संघीय ढांचे को तहस-नहस करने की कोशिश कर रही है। कई राज्यों ने विकास किया है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की सरकार ने जो विकास किया है। गुजरात की सरकार ने देश का ग्रोथ इंजन बनकर जो विकास किया है। इसमें भी केन्द्र सरकार द्वारा श्रेय देने की बजाय गुजरात सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी का प्रयोग करके गुजरात सरकार को अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मैं यह केन्द्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

★**श्री एन. कृष्टप्प** (हिन्दुपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गंभीरता से ध्यान देने पर हम पाते हैं कि यह हमारे देश की मौजूदा वस्तुस्थिति के विपरीत है। गत सात वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में लगभग 900 बुनकरों ने आत्महत्या की है और यह जानकर दुख होता है कि केंद्र सरकार ने इतनी आत्महत्याएं होने के पश्चात ही विशेष पैकेज की पेशकश की है। यह अच्छी बात है कि सरकार के संज्ञान में अंततः यह बात आई परंतु, यह देखना होगा कि इन निधियों का समुचित उपयोग होगा या नहीं। हमारे राज्य में लगभग 1100 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां हैं। हमें आशा थी कि सरकार इन बुनकरों को रोजगार देगी परंतु, इस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके विपरीत, एपीसीओ को 200 करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया। हम एपीसीओ को विशेष पैकेज दिए जाने के विरोध में नहीं हैं परंतु, हमें यह सोचना चाहिए कि इससे बुनकरों को कैसे लाभ मिलेगा? पहले आपको बुनकरों को रोजगार प्रदान करना चाहिए, उन्हें आत्महत्या करने

★मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतरण

से रोका जाए और उनके उत्पादों की बिक्री हेतु बाजार सुनिश्चित किए जाएं। तत्पश्चात ए पी सी ओ को सुदृढ़ किया जाए। यदि आप इन सरकारी समितियों का पुनरूद्धार करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो आप बुनकरों को किस प्रकार लाभान्वित करेंगे?

महोदय, 1995 में हथकरघा आरक्षण अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम में केवल हथकरघे से ही कपड़े की बारह किस्मों का निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। परंतु, इस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है और विभिन्न राज्यों में विद्युत करघों पर बने कपड़ों को आंध्र प्रदेश में बेचा जा रहा है। केंद्र सरकार इस स्थिति को संज्ञान में ले और हथकरघा आरक्षण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करे। बुनकरों द्वारा आत्महत्याओं की घटनाओं पर रोक लगाने और उन्हें पर्याप्त रोजगार प्रदान करने के लिए हमारे राज्य को अतिरिक्त निधियां प्रदान की जाएं।

दूसरा मुद्दा भूमि सुधारों से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में लगभग 3 लाख एकड़ भूमि एस ई जेड के लिए अधिग्रहीत की गई है। मुझे जानकारी नहीं है कि उस अधिगृहीत भूमि का क्या हुआ परंतु उक्त भूमि का अधिग्रहण निर्धन, अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक समुदाय से बलपूर्वक किया गया था। आज जबकि आप एक नया भूमि अर्जन अधिनियम लागू करने जा रहे हैं ऐसे में वे लोग एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हुए हैं। आप, उन के साथ हुए अन्याय को किस प्रकार दूर करेंगे? यह सरकार इसके लिए जवाबदेह है और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पिछले सात वर्ष में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के नाम पर अधिग्रहीत की गई भूमि का अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करें। इन प्रावधानों को प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

हम अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण कोटे का विरोध नहीं करते। आप उन्हें 4.5 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे सकते हैं। परंतु यह अ.पि.व. को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण में से कटौती करके नहीं दिया जाना चाहिए। कृपया अ.पि.व. के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण बनाए रखें तथा अल्पसंख्यकों को अलग से आरक्षण प्रदान करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस संबंध में उचित निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव कराने का श्रेय लिया है। हमें भी इस बात की खुशी है। जम्मू और कश्मीर के कठिन हालातों हो वहां चुनाव कराने का श्रेय आप ले सकते हैं किंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं जबकि आंध्र प्रदेश में हालत ऐसे चुनावों के लिए अनुकूल भी हैं। चूंकि इस स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसलिए राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए थे। जिससे सरकारी निधियों का दुरूपयोग हो रहा है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने चाहिए।

बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। यह सरकार दावा करती है कि अगले दस वर्षों में वे बिजली की मांग पूरी कर देंगे। आंध्र प्रदेश में किसान लगभग 25 लाख पम्पसेट प्रयोग कर रहे हैं और अनंतपुर जैसे जिले सिंचाई के लिए पूरी तरह से पम्पसेट पर निर्भर हैं। यदि सरकार किसानों को कम से कम सात घंटे बिजली दे सके तो इस बात की संभावना है कि किसान कुछ उत्पादन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नौ घंटे की बिजली देने का वायदा किया था परंतु यह 3 से 4 घंटे की बिजली भी नहीं दे सकी। इस अवधि में भी विद्युत आपूर्ति निर्बाध नहीं होती।

एन. चंद्रबाबू नायडु के नौ वर्ष के शासन में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के लिए 6000 मे.वा. अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया गया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृषक समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए अतिरिक्त बिजली प्रदान की जाए।

महोदय, 2014 तक केबल सेवा के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव है। हम इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं परंतु ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास पूरे दिन के दौरान 2 से 3 घंटे के लिए भी बिजली नहीं है तो केबल सेवा के डिजिटलीकरण का क्या लाभ है। यदि आप देश भर में दिन को कम से कम छह घंटे की बिजली सुनिश्चित कर सकते हैं। तभी केबल सेवा का डिजिटलीकरण करने का लाभ होगा। जब हमारे पास बिजली की भारी कमी तब डिजिटलीकरण के बारे में सोचना ठीक नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

***श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट** (कच्छ) : माननीय श्रीमती

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट]

प्रतिभा देवी सिंह पाटील का भाषण भारत के वास्तविक परिदृश्य से मेल नहीं खाता। उन्होंने भारत की एक ऐसी अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की है जो वास्तविकता बहुत दूर है। भारत में इस समय सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है जिसका भाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लोकपाल विधेयक जिसका भाषण में कोई उल्लेख नहीं है, राज्य सभा में पारित नहीं हुआ और अभी भी संसद में लटका हुआ है। यह विधेयक भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वर्तमान में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ सरकार द्वारा भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया, परंतु अ. जा. और अ. ज. जा. के लोगों के लिए सरकार की किसी योजना का उल्लेख नहीं है। अभिभाषण में यह उल्लेख भी नहीं है कि भारत में केवल 10 प्रतिशत युवाओं के पास रोजगार हैं और बडद्यी संख्या में लोग बेरोजगार है। केवल 'मनरेगा'चलाने से भारत में बेरोजगारी समाप्त नहीं होगी। परंतु मनरेगा में भी बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने यह नहीं बताया कि भारतीय सरकार काला धन वापस भारत में लाने के लिए क्या कदम उठाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्र में क्या कदम उठाएगी। सरकार के लिए दूसरी बड़ी समस्या महंगाई की है। परंतु सरकार पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई कीमत कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगी, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मीडिया में कीमतें बढ़ने के समाचार रोज आ रहे हैं। इसलिए, मैं समझती हूं कि भाषण में उन समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जो इस समय देश के सामने है।

[हिन्दी]

★**श्री अशोक अर्गल** (भिंड) : महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केन्द्र सरकार का एक आइना होता है जिसमें आज, सड़क, बिजली, सिंचाई, शुद्ध पीने का पानी, स्वास्थ्य आदि का वर्णन किया है। किंतु आज भी कई गांव देश में जहां सड़के नहीं है, शुद्ध पीने का पानी एवं विद्युत विहिन गांव हैं जिनका उल्लेख नहीं है कि इन्हें कब तक सुविधा युक्त बना दिया जाएगा। एनडीए की सरकार में अखिल भारतीय स्तर (ऐम्स) के लेविल के असफलताओं का कोई उल्लेख नहीं है कि वे कब तक बना दिया जाएंगे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसे रोकने की भी जरूरत है।

शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्कूलों में लाइट का अभाव है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। यह देश में गंभीर समस्या है। यदि युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो युवा गलत दिशाओं में भटक सकता है जो गंभीर समस्या बनेगा।

आज देश की सैकड़ों नदियां ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों क्यूबिक पानी बहकर बाढ़ की स्थिति पैदा करता है। सरकार नदियों को जोड़ने एवं उन पर स्टापडेम बनाए जाएं जिनके माध्यम से खेतों को सिंचाई एवं किसानों, नागरिकों को उचित शुद्ध पेयजल मुहैया होगा।

देश के कई क्षेत्रों में अस्पताल हैं पर डाक्टर नहीं हैं। वहां भी व्यवस्था की जाए जिससे लोग इलाज के अभाव में मरें नहीं।

आज भारत के नागरिकों का विदेशी बैंकों में अरबों रुपया जमा है। उसे वापिस लाने की भी जरूरत है। सरकार को देश को मजबूती हेतु और प्रयास आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर) : महोदय, मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने हेतु खड़ी हुई हूं। भाषण आर्थिक विकास के मुद्दे से शुरू हुआ है। यह एक सच्चाई है कि आर्थिक विकास घटकर सकल घरेलू उत्पाद का सात प्रतिशत रह गया है। यद्यपि, अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए अनेक कारण बताए गए हैं फिर भी वैश्विक मंदी को एक महत्वपूर्ण रास्ता बताया गया है। अभी समय नहीं है कि मैं इसका पूरा वर्णन करूं। परंतु गिरावट के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है और न ही इस बात की चर्चा की गई है कि विकास दर बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे।

सरकार का दावा है कि कृषि उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई है। हर दिन हम समाचार पत्रों में देश में चले रहे विभिन्न आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे हैं। महंगाई के कारण निर्धनतम दबे कुचले, और

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। किसानों को अपनी उपज में भी नुकसान हो रहा है। आज वे संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि सारा मुनाफा बिचौलिया ले रहा है। इसलिए, किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। लोगां ने संघर्ष करना शुरू कर दिया है क्योंकि योजनाएं वंचित वर्गों के लोगों तक नही पहुंच रही हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी भी समय पर घोषित नहीं किया गया। पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं किया जाता।

सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्राम स्तर पर भंडारण सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। किसान क्या आपूर्ति करते हैं और सरकार द्वारा जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, वे इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए इन सब कारणों से किसानों की हालत और अधिक बदतर हो गई है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। खाद्य सुरक्षा विधेयक इस सरकार का एक सपना है। जिसे आगे संसद के समक्ष लेकर आए हैं किंतु मुझे नही पता कि इसे अधिनियमित और लागू करने की प्रक्रिया कब आरंभ की जाएगी। सुरक्षा विधेयक के लिए मंजूरी दे दी गई है। लोगों तक पहुंचना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इसे सफल बनाया जाना चाहिए। वस्तुतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और वस्तुओं को शामिल करना चाहिए।

महोदय, विशेषरूप से शिक्षा के संबंध में मैं इस बात से चिंतित हूं कि यद्यपि सरकार का मानना है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे निर्धनतम लोगों तक पहुंचना ही होगा, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। परंतु यदि हम गांवों में स्थिति का असली रूप देखें, विशेषकर यदि छात्र शिक्षा के लिए बैंक जाते हैं तो कोई भी बैंक ऋण देने का इच्छुक नहीं हैं। यदि छात्र को नौकरी हेतु और शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने जाते हैं तो वे बैंकों की औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाते। वे कागजात प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं क्योंकि मानदंड की बात करूं तो बैंक अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को ऋण नहीं देना चाहते।

जहां तक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रश्न है तो मैं कहना चाहती हूं कि केवल वोट बैंक हथियाने के लिए ही उन्होंने अल्पसंख्यकों के नाम पर इतनी सारी योजनाएं दी हैं। यदि इस सच्चर आयोग की बात करें तो हमें कोई आशा नहीं है कि इसे कब लागू किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रों का ऋण माफ किया जाना चाहिए। जहां तक छात्रों को बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने या सहायता प्रदान करने का संबंध है, वास्तव में बैंक छात्रों विशेष रूप से अल्पसंख्यक छात्रों की सहायता नहीं कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि मानदंडों में छूट दी जाए।

हाल ही में उन्होंने विशेष रूप से गांवों में छात्रों के लिए लागू की गई योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं। किंतु ये योजनाएं बहुत अस्पष्ट हैं और छात्रों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हें। वे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। वे काम पर जा रहे हैं। गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। माता और पिता दोनों बच्चों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। वे उन्हें स्कूल भेजने में समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार वास्तविक स्थिति यह है। मैं चाहती हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चा स्कूल जा पाए। अन्यथा ऐसे बच्चे के कभी अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे।

महोदय, दूसरा मामला वरिष्ठ नागरिकों का है। मैंने देखा है कि पूरे भाषण में वरिष्ठ नागरिकों का कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहती हूं कि वे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करें। वरिष्ठ नागरिकों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जानी चाहिए। यदि हम उन्हें दी जाने वाली पेंशन देखें और गांवों में हम देखते हैं कि बैंकों में खाते तो हैं परंतु नाम नहीं हैं। वे नाम मिटा देते हैं और किसी और का नाम रख देते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के साथ ऐसा ही हो रहा है और उन्हें अपनी पेंशन ही नहीं मिल रही हैं। यही हो रहा है। इसलिए हमारे समाज में गरीबी व्याप्त है।

और भी कई बातें हैं किंतु मैं संक्षेप में उनका उल्लेख करूंगी क्योंकि मेरे पास काफी कम समय है। मैं कामगारों के कल्याण के बारे में कहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि बीड़ी कामगारों, हस्तशिल्पियों, वस्त्र कामगारों और कार की दुकान के कामगारों के लिए कल्याण कार्य किए जाएं। रामपुर के चाकू काफी प्रसिद्ध हैं। आप भारत में हर जगह–उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रहने वाले बीड़ी कामगारों की दुर्दशा देखिए। एक दिन में 100 बीड़ी बनाने वाले एक बीड़ी कामगार को मजदूरी के रूप में केवी 90/– रुपए मिलते हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि इसे बढ़ाकर कम से कम 150/– रू. किया जाए। वे 100/– रू. में क्या करेंगे? हमारे देश में काफी

[श्रीमती जयाप्रदा]

संख्या में बीड़ी कामगार हैं। वे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इस कार्य को उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया है। कामगारों को उद्योग के दर्जे की कोई सुविधा नहीं मिल रही है।

मेरा संबंध बॉलीवुड अर्थात् फिल्म उद्योग अर्थात फिल्म उद्योग से है। फिल्म उद्योग की दुर्दशा भी ऐसी ही है। कुछ समय बाद बॉलीवुड के स्टार भी अपनी चमक खो देते हैं और उन्हें कोई नहीं पूछता है। महोदय, जब सुषमा जी प्रसारण मंत्री थी, उस समय उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा दिया था। दर्जा तो दे दिया गया किंतु कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई। विशेष रूप से 'लाइट ब्याइज' असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जीवन भर लाइट उठाने के बाद जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है। चूंकि मेरा संबंध फिल्म उद्योग से है मैं चाहती हूं कि मेरे उद्योग का विकास हो। क्योंकि भारत सरकार को इस उद्योग से भारी राजस्व मिलता है, मैं चाहती हूं कि इसे भी उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाए।

मैं किसानों की दुर्दशा के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। हम उन्हें 'अन्नदाता' कहते हैं। अन्नदाता हमें पर्याप्त भोजन देते हैं। किंतु आज वे उर्वरकों के लिए तरस रहे हैं। कोई भी किसान खुश नहीं है। वे सारे साल परेशान रहते हैं। वे केवल उर्वरक की मांग कर रहे हैं किंतु कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यहां तक कि राज्य सरकारें भी उनकी सहायता नहीं कर रही हैं। अतः मैं चाहती हूं कि किसानों को भी पर्याप्त संरक्षण मिले।

महोदय, एक अन्य मुद्दा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से संबंधित है। यदि आप देखें तो कोई भी लाभार्थी इससे प्रसन्न नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि इसमें सुधार किया जाए। इसका लाभ निर्धन से निर्धतनम तक पहुंचना चाहिए।

महोदय, काफी अधिक प्रदूषण हो रहा है। काफी अस्वास्थ्यकर चीजें घटित हो रही हैं किंतु कोई भी राज्य सरकार उसे रोकने के लिए तैयार नहीं है।

मैं विद्युत क्षेत्र के संबंध में भी अपनी बात कहना चाहती हूं। मैं रामपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। यह काफी पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसे कई गांव हैं जहां अभी तक बिजली और सड़क नहीं है। महोदय, लोग वहां किस प्रकार जीवनयापन कर पाएंगे?

आजादी के 64 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश में बिजली की सुविधा नहीं है। मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं कि वह इस पर ध्यान दे। यदि विद्युत उत्पादन होगा तो लोग यहां आएंगे और उद्योगपतियों का स्वागत किया जा सकेगा। अन्यथा, कोई औद्योगिक कार्य नहीं हो पाएगा। हर कोई युवाओं का उपयोग कर रहे हैं किंतु युवाओं को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। उन्हें कोई शैक्षिक ऋण नहीं मिल रहा है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में वे केवल चुनावों के दौरान मतदान करते हैं। उन्हें बिजली की सुविधा भी नहीं मिल रही है।

मैं विशेष रूप से बुनकरों के लिए चिंतित हूं। बुनकर समुदाय के काफी लोग हैं। यदि आप उत्तर पदेश या आंध्र प्रदेश जाएंगे तो आप पाएंगे कि वे आत्महत्या कर रहे हैं। यदि आप बनारस जाएंगे तो आपको बुनकर सुंदर साड़ियां बुनते हुए मिल जाएंगे। हम उन्हें पहनकर सुंदर लगते हैं। किंतु यदि आप बुनकरों की आंतरिक स्थिति को देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी दशा खराब है क्योंकि जितनी आर्थिक सहायता उन्हें मिलनी चाहिए उन्हें उतनी नहीं मिल रही है। मैं इस बात की प्रशंसा करती हूं कि सरकार ने हाल ही में बुनकरों के लिए कुछ पैकेज की घोषणा की है। मैं नहीं जानती कि इसे कब लागू किया जाएगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि यदि बुनकर नहीं होंगे तो इस देश का क्या होगा? उनकी संख्या काफी अधिक है। निर्यातक उनका ध्यान रखते हैं वे उनके काम की प्रशंसा करते हैं। किंतु हमारे अपने लोग बुनकरों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं।

[हिन्दी]

मैं इस से ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी। मैं आप से अपील करती हूं और हमारे देश की सिक्युरिटी के लिए मैं बात करना चाहती हूं। आप बताइए कि मैं महिला विधेयक की दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहती हूं। वुमन्स बिल के लिए बात की गई थी। वुमन्स बिल कहां है? कितनी बार इसके बारे में हाउस में बात की गई थी। वुमन्स बिल के लिए यहां एजेण्डा में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पीच में एक सेन्टेन्स भी नहीं है। वुमन्स बिल नहीं चाहिए तो ओपेनली बोलना चाहिए कि वुमन्स बिल नहीं आ सकता है।

सर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उससे हम लोगों को गांव से गांव कनेक्टीविटी होता है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा गांव–गांव में संपर्क स्थापित किया जाना है। हम विशेषकर उत्तर प्रदेश कई वर्षों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं अन्य राज्यों के बारे में यह नहीं जानती हूं कि उन्हें पैसा मिल रहा है अथवा नहीं। चाहे वह बिहार हो अथवा उत्तर प्रदेश या कर्नाटक पिछले एक साल से किसी को कोई पैसा नहीं मिला है। यदि पैसा नहीं है तो उन्हें हमें यह बताना था। अन्यथा, हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस नहीं जा पाएंगे। कम से कम उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि पर्याप्त पैसा कब मिलेगा।

[हिन्दी]

सर, यह बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि हम लोगों को डे–टू–डे जनता से जो डीलिंग रखनी है, अगर हम लोगों को वहां से जीत कर आना हो, यहां मैं संविधान का सम्मान करती हूं लेकिन यहां से जब हम लोग जाएंगे, वहां पर हम लोगों को योजना दी गई है, कितनी बार निगरानी कमेटी में हमने बात रखी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बार–बार यही कहते हैं कि यहां से पैसा नहीं आ रहा है। वहां पर हम जाते हैं तो वे बोलते हैं कि बारिश में हमारी सड़कें कीचड़ हो गई है, वहां से हम लोगों को वे जाने नहीं देते हैं, हमारा रास्ता रोक देते हैं।

[अनुवाद]

यह चुनाव के उद्देश्य के लिए नहीं है। यह वास्तविक दर्द है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि कृपया हमारी सहायता करें ताकि हम खुशी–खुशी अपने निर्वाचन क्षेत्र जाएं और लोग हमारा आदर करें तथा हम बेहतर तरीके से अपना कर्त्तव्य निभा पाएं।

[हिन्दी]

★**श्री हरीश चौधरी** (बाड़मेर) : महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार के कार्यों व भावी योजनाओं, सरकार की रीति नीति की अभिव्यक्ति है। स्व. राजीव गांधी जी ने देश में जिस कम्प्यूटर युग की शुरूआत/कल्पना की थी, यूपीए सरकार के प्रयासों से आज गांव गांव में जनसुविधा केन्द्रों, ई–मित्र केन्द्रों, राजीव गांधी सेवा केन्द्रों, कम्प्यूटर एवं मोबाइल उपकरणों के रूप में साकार हो रहा है। कृषि क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काश्तकारों को अधिकाधिक लाभ देने के प्रयास हो रहे हैं। यूपीए सरकार ने देश को सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून दिये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक एवं भूमि अवाप्ति एवं पुनर्वास विधेयक भी देश के हर वर्ग के उपयोगी होंगे।

सरकार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजनाएं लागू कर रही है। मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार की महती आवश्यकता है। सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं से नामांकन में जरूर सफलता मिली है। लेकिन महानगरों के पब्लिक स्कूलों जैसी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण व्यवस्था होना एक स्वप्न के समान है। शहरी स्कूलों में जो व्यवस्था है वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी होनी चाहिए। लेकिन रेगिस्तानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बहुत दयनीय है। सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम 'रमसा' के माध्यम से धन स्कूलों तक पहुंचाने से संतुष्टि नहीं हो सकती। बल्कि बेहतर शिक्षा का अधिकार का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

सरकार पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। मेरे संसदीय क्षेत्र के बाड़मेर जैसलमेर जिले भारत पाक सीमा पर स्थित है। बाड़मेर में मुनाबाव सीमा चौकी से दोनों मुल्कों के बीच गुजरने वाली थार एक्सप्रेस से आने वाले पाकिस्तानी यात्री सीमावर्ती जिलों में रह रहे अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि विदेशी नागरिकों को बाड़मेर जैसलमेर जिलों के मध्य से निकलने वाले एनएच 15 से पश्चिम की और सीमा क्षेत्र की तरफ जाने पर पाबंदी है। इन दोनों जिलों के कई महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, राष्ट्रीय मरू उद्यान, हस्तशिल्प उत्पादक इकाइयां भी एनएच 15 के पश्चिम की ओर है, बाड़मेर व जैसलमेर जिला मुख्यालय भी उसी तरफ हैं। भारत पाकिस्तान के मध्य चल रही रेल सेवा से आने वाले यात्रियों के अधिकतर रिश्तेदार भी इसी तरफ निवास करते हैं। इस पाबंदी से पर्यटन, व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही विदेशी नागरिकों को असुविधा हो रही है।

यूपीए सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिला विकास योजना को अधिक कारगर बनाने एवं इसका दायरे बढ़ाया जाना स्वागतयोग्य है। मैं मेरे संसदीय क्षेत्र के सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर जिले के अल्पसंख्यकों की पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में अल्पसंख्यक आबादी 24.17 प्रतिशत एवं बाड़मेर जिले की चौहटन पंचायत समिति में अल्पसंख्यक आबादी 25 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं ले पाये हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना में पच्चीस प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को शामिल करने के प्रावधानों में

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हरीश चौधरी]

बदलाव करवाकर सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल्य के क्षेत्रों के विकास के लिए बीस प्रतिशत अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों को इस योजना में शामिल करने के साथ ही बीस प्रतिशत जनसंख्या वाली पंचायत समिति (ब्लॉक) को भी इस योजना में शामिल करने का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पाला एवं शीतलहर को सीआरएफ की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किये जाने की आवश्यकता है। पाला व शीतलहर के कारण प्रायः प्रत्येक वर्ष राज्य में रबी की फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं जिसके कारण राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। पाले व शीतलहर को सीआरएफ की अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किये जाने तथा प्रभावितों को अकाल, ओलावृष्टि, बाढ़ इत्यादि अन्य आपदाओं के अनुरूप सहायता मुहैया करवाये जाने का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।

महामहिम राष्ट्रपति ने जिक्र किया कि यूपीए सरकार द्वारा आरंभ की ऐतिहासिक 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' में अब तक 1100 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है। वास्तव में इस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिल रहा है। इस योजना में स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव किये जाने एवं विशेष प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। हस्तशिल्पी, दस्तकारी महिलाओं को मनरेगा योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि ये महिलाएं अपनी पारंपरिक कला को जीवित रख सकें एवं रोजगार भी पा सके। केन्द्र प्रायोजित अन्य स्कीमों को भी व्यवहारिक तौर पर धरातल की आवश्यकता के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है।

मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आशा करता हूं कि सरकार अभिभाषण में आम जन हेतु वर्णित कार्यों को भलीभांति क्रियान्वित कर 'त्वरित वहनीय समावेशी विकास' के लक्ष्य को सभी के सहयोग से प्राप्त करेगी।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, 12 मार्च को महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जो अभिभाषण दिया, उसके ऊपर गिरिजा जी की तरफ से जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं राष्ट्रपति जी को सरकार के कामकाज के संदर्भ में हमें और हमारे माध्यम से पूरे देश को बताने के लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कितने पैरे हैं, आजकल इसकी भी गिनती हो रही है। दो साल जब इस नई लोक सभा का गठन हुआ और राष्ट्रपति महोदया ने पहला अभिभाषण पढ़ा था, तब उसमें 67 पैरे थे और इस बार 106 पैरे आ गए। इस पर भी एतराज हो रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। कृपया शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं।

पैराग्राफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सरकार का कामकाज बढ़ रहा है, सरकार के कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, सरकार की योजनाएं बढ़ रही हैं।...(व्यवधान) मैं तमाम योजनाओं के संदर्भ में बताना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि पूरा बजट सत्र पिछले दिनों जो पांच राज्यों के चुनाव हुए, उनके नतीजों की पृष्ठभूमि में चल रहा है। रिजल्ट 6 मार्च को आए। मैं भी 6 मार्च को अपनी पार्टी की तरफ से नतीजों के ऊपर चर्चा, विश्लेषण करने के लिए टेलीविजन पर था। मैंने देखा हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सुबह 10-11 बजे से ही लगातार बयान देना शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी हार गई, राहुल गांधी फेल हो गए।..(व्यवधान) मैं भी सुन रहा था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री निरूपम के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: मैं भी थोड़ी देर के लिए घबरा रहा था। शाम होते-होते जब सारे नतीजे आ गए, तो मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी उछल-कूद कर रही है, आखिर उसका आधार, कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में हमारी जो अपेक्षा थी, उतना रिजल्ट नहीं आया, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आप भी 185 सीटों की कल्पना करके बैठे थे और 51 से घटकर 47 हो गए। यह उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की

★कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपलब्धि है जिसके ऊपर बीजेपी का नेता, दिल्ली से लेकर गांव में बैठा हुआ कार्यकर्ता पता नहीं क्यों उछल–कूद कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका वोट परसैंटेज घटकर 3 प्रतिशत नीचे आ गया।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपस में बात न करें।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: हमने शाम को उत्तर प्रदेश के विधायकों की संख्या लेनी शुरू की तो पता चला कि पिछले चुनाव में हमारे पास जो विधायक थे, उससे ज्यादा विधायक आ गए। वोटिंग परसेंटेज चैक किया तो 3 प्रतिशत ज्यादा बढ़ गए। अब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी। बिल्कुल मेहनत की थी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दिन–रात मेहनत की। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है। यह कहा गया कि इतनी मेहनत की, इसके बावजूद रिजल्ट नहीं आया। यह डेमोक्रेसी है। हमें लोगों के बीच जाना है, लोगों के समक्ष अपने कार्यक्रम रखने हैं, अपनी बातें रखनी हैं। लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, स्वीकार किया, कोई बात नहीं। फिर प्रयास करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे। ...(व्यवधान) बार–बार सवाल उठाया जाता है कि राहुल गांधी ने मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब क्या करेंगे। वर्ष 2004 में आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोक सभा का चुनाव लड़ा और हार गई। क्या आडवाणी जी घर में बैठ गए? वर्ष 2009 में जब बीजेपी आडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी तब वह हार गई, विपक्ष में जाकर बैठ गई, तो क्या आडवाणी जी घर में बैठ गए? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपस में बातें न करें। कृपया शांति बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, वर्ष 2007 में जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव हुए थे, जो आज पूरी यूपी में जो पार्टी सत्ता में आयी है, उस समय उस पार्टी को लोगों ने रिजेक्ट किया था और बीएसपी सत्ता में आ गयी थी, तो क्या समाजवादी पार्टी घर बैठ गयी? उन्होंने फिर से जनता के लिए संघर्ष शुरू किया और उस संघर्ष का नतीजा यह है कि वर्ष 2012 में यूपी के चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी मैजोरिटी के साथ सत्ता में आयी है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सत्ता उत्तरप्रदेश में संघर्ष करेगी और अगले चुनाव में अपनी सत लाने का प्रयत्न करेगी। यह उत्तर प्रदेश की बात हुई।..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आपस में बात करना बंद करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: उदय जी, एक मिनट सुनिये। आप लोग 24 घंटों कांग्रेस की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी अपनी भी आलोचना सुनिए। यह उत्तर प्रदेश की बात हुई। उसके बाद पंजाब आता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में मर्यादा बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें बोलने का अधिकार है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सच कड़वा होता है। कृपया बैठ जाइए और उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: सभापति जी, मैं पांच राज्यों के चुनाव की चर्चा कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में मेरी जितनी जानकारी थी, उसे मैंने आपके समक्ष रखा। अब मैं पंजाब राज्य पर आता हूं। हमने शाम को पंजाब के नतीजों को देखना शुरू किया। इनके पास पिछले चुनाव के बाद 19 सीटें थीं, लेकिन इस बार जीते तो 12 सीटें हैं। उत्तराखंड में हमारी सरकार आने वाली थी। हमने बहुत प्रयत्न किया, नैट टू नैट चल रहा था। हमारी सरकार बन गयी, लेकिन जितनी आसानी से बननी चाहिए थी, नहीं बन पायी, कोई बात नहीं। हमें इस बात का दुख है, लेकिन आप क्यों प्रसन्न हैं? आपकी जो सीटें

[श्री संजय निरुपम]

थीं, उनमें से चार सीटें घट गयीं। एक मात्र कुछ मिला, तो वह गोवा मिला।...(व्यवधान) उत्तराखंड की सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे आपने ईमानदार बनाकर कुर्सी पर बिठाया, टीका–चंदन लगाया, वही बेचारा हार गया। ऐसी पार्टी जिसका नेता ही चुनाव हार जाये वह पार्टी जश्न मना रही है।...(व्यवधान) गोवा जीते, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। आपको सिर्फ गोवा एक सांत्वना पुरस्कार मिला, लेकिन गोवा विधान सभा के कितने सदस्य हैं?

सभापति जी, वहां 40 सदस्य हैं। आप स्वयं गोवा राज्य से आते हैं। लेकिन उसके बाद...(व्यवधान)

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : सभापति महोदय, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात न करके किसी और विषय पर बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) हम कैसे चुप रहेंगे?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*★

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया इसे अध्यक्षपीठ पर छोड़ दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: गोवा जीते, बहुत प्रसन्न हैं और जश्न मना रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि गोवा के सामने हमने एक प्रदेश तीसरी बार जीता, जहां 40 विधान सभा सदस्य नहीं, 60 विधान सभा सदस्य हैं और वह मणिपुर है। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार सत्ता मिली है। हमारी लड़ाई जो आपसे है, उस लड़ाई में आप कहीं भी आगे नहीं जा रहे हैं। ये बीच वाले लोग आगे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अब जब नतीजे आये, शाम तक बल्कि दूसरे दिन तक टेलीविजन पर शुरू हो गया कि मध्यावधि चुनाव होंगे। मध्यावधि चुनाव होने ही वाले हैं। मैंने कहा कि राज्यों के चुनाव से देश की सरकार का क्या लेना–देना क्यों मिड टर्म पोल होगा? क्या यहां मिड टर्म पोल के लिए तैयार हैं? आरएसएस का बयान आया कि अगर अभी चुनाव हुआ, तो सबसे बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और ऐसी बीजेपी आज मिड टर्म पोल के नाम पर जश्न मना रही है। मुझे इनके जश्न पर एतराज नहीं है, बल्कि शर्म आती है। आपकी तैयारी और जश्न मनाने के ऊपर मुझे दया आती है।

सभापति महोदय, चुनावी नतीजों की पृष्ठभूमि पर हमारा जो सत्र शुरू हुआ है, उस पृष्ठभूमि के संदर्भ में, मैं अपनी टिप्पणी करते हुए आगे बढ़ता हूं। एक सरकार पिछले तीन वर्षों से...(व्यवधान) मुम्बई में हारे। मैंने कब बोला कि नहीं हारे।...*(व्यवधान)* हमने अपनी हार स्वीकार की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब व्यवधान पैदा न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अब मुद्दे पर आइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: अब सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं। ..*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : संजय निरुपम जी, आप आराम से बोलिये। हम आपके शुभचिंतक हैं, आपके मित्र हैं। आप जोर से मत बोलिए, नहीं तो गला खराब हो जायेगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आपस में बात करना बंद करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संजय निरुपम: धन्यवाद। सभापति जी, सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं, लेकिन ये चुनौतियां सिर्फ सरकार की नहीं हैं, देश की चुनौतियां हैं। आतंकवाद का जो प्रश्न है, वह सरकार का प्रश्न नहीं है, कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, यह देश का प्रश्न है। हमने बार–बार कहा कि आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुंबई

★कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और दिल्ली में पिछले साल जो आतंकवादी हमले हुए, उनमें मुंबई और दिल्ली के लोग मारे गए। जब-जब हमले होते हैं, तो बार-बार यही सवाल उठाया जाता है कि हमारे देश की व्यवस्था चुस्त क्यों नहीं होती है? आतंकवादियों की साजिश को हम नाकाम क्यों नहीं कर पाते हैं? मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूं कि नवंबर, 2008 में ताज होटल पर हुए हमले के बाद से, जब से चिदम्बरम जी गृहमंत्री बने हैं, तब से यकीनन हमारे देश में आतंकवाद से निपटने के लिए एक अच्छी व्यवस्था लाई गई और बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आतंकवादी घटनाओं के ऊपर काबू पाया गया, नियंत्रण स्थापित किया गया, इसी सिलसिले में जब एनसीटीसी नाम की एक संस्था की स्थापना की बात हुई तो उसे फेडरल मुद्दा बना दिया गया कि यह राज्यों के मामलों में दखलंदाजी है। मैं मानता हूं कि कानून और व्यवस्था राज्यों के अधिकार-क्षेत्र में आता है, केन्द्र को राज्यों के उस क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आतंकवाद लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर की चीज है। आप कह सकते हैं कि इनवेस्टीगेशन एवं सीजर का अधिकार राज्यों की पुलिस के पास होना चाहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन एनसीटीसी जैसी संस्था का सिरे से विरोध करना और उसको एक फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला बताया, यह कहीं न कहीं आतंकवाद के नाम पर राजनीति हो रही है। आप कह सकते हैं।..(व्यवधान) हमारे देश की कोई भी पार्टी हो, अगर एनसीटीसी की पूरी रचना में कोई कमी है, तो बेशक केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखकर उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच यह संदेश मत जाने दीजिए कि एक सरकार अगर आतंकवाद से निपटने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था बनाना चाहती है, तो उस सरकार के समाने तमाम राज्यों की सरकारें आ रही हैं। यह संदेश नहीं जाना चाहिए क्योंकि बार-बार हम कहते हैं कि अमेरिका में एक बार ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्या यह किसी को पता है? फेडरिलिज्म के मामले में अमेरिका से ज्यादा बायब्रैंट और ताकतवर कोई अन्य देश नहीं होगा, वहां पर भी तमाम राज्यों के अपने अधिकार हैं, लेकिन वहां एनसीटीसी जैसी संस्थाएं हैं।...(व्यवधान) आतंकवाद और सुरक्षा के हिसाब से वहां 75 एजेंसियां काम करती हैं और इन एजेंसियों के माध्यम से दिन-रात अधिकारी लोग काम करते हैं जिसकी वजह से आज हर अमेरिकन महफूज है। अगर हमारी सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करना चाहती है, जिसमें आपके अधिकार अगर आड़े आ रहे हैं, तो आप सरकार से बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन आप आतंकवाद के नाम पर राजनीति मत कीजिए क्योंकि यह आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में या यूपीए-1 से लेकर लगातार हमारे देश में आम आदमी को एक ताकत देने का कार्यक्रम चल रहा है, उसको अधिकार-सम्पन्न करने का कार्यक्रम चल रहा है। उसकी शुरूआत हुई सूचना के अधिकार से, उसके बाद शिक्षा का अधिकार आया, ट्राइबल राइट्स आए, नरेगा बनी, नरेगा के माध्यम से हमने गरीब लोगों को रोजगार का हक दिया। उससे पहले हक नहीं दिया जाता था। शिक्षा की व्यवस्था हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत थी, इस सरकार ने शिक्षा का अधिकार आम बच्चों को दिया। छह से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का हक है और हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उसको यह हक दिलाएं। आज ट्राइबल राइट्स के माध्यम से गरीब आदिवासियों को जमीन के पट्टे दे रहे हैं। मैं अपने साथियों के समक्ष एक जानकारी रखना चाहूंगा। जब से ट्राइबल राइट्स एक्ट आया, वर्ष 2005 से पूरे देश में आदिवासियों को जमीन के पट्टे दिये जा रहे हैं। गुजरात में वर्ष 2005 से लेकर अब तक एक करोड़ 16 हजार आदिवासियों ने जमीन का पट्टा प्राप्त करने के लिए निवेदन किया है, लेकिन अब तक केवल 14 हजार या 15 हजार आदिवासियों को पट्टे देने का फैसला किया गया है।...(व्यवधान) जो सरकार आदिवासियों को पट्टे देने में ना-नुकुर करती है, उस सरकार ने पांच करोड़ वर्ग यार्ड्स जमीन एक व्यापारी को एक रुपये के रेट पर दे दिया। जब यह विषय गुजरात में उठाया गया, तो वहां के लोगों ने कहा कि यह गलत कर रहे हैं आप। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है।

अपराह्न 4.00 बजे

भ्रष्टाचार का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी या समाज का हर व्यक्ति भ्रष्ट है। कोई-कोई भ्रष्टाचारी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को भ्रष्टाचारी कहना बहुत ही आत्मघाती किस्म का बयान है।

एक और बात आजकल हो रही है कि हमारी संसद पर हमला हो रहा है, वैचारिक हमला हो रहा है। कहा जाता है कि संसद में बैठने वाले भ्रष्ट हैं, बलात्कारी हैं, आदि-आदि बातें कही जाती हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम मूल्यांकन करें, आत्मचिंतन करें। जहां-जहां भी भ्रष्टाचार का मामला आया, हमारी सरकार पीछे नहीं रही और तुरंत एक्शन लिया। इसी का नतीजा है कि पहली बार एक केन्द्रीय मंत्री और सांसद जेल में गए।...(व्यवधान) लेकिन आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। कर्नाटक में मुख्य मंत्री और मंत्री तक जेल में गए। गैर-कानूनी ढंग से माइनिंग का काम वहां सरेआम चल रहा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जब

[श्री संजय निरुपम]

एक आईपीएस ने अवैध माइनिंग का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। इसलिए चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और आपकी पार्टी की सरकारों के राज में भी इन तमाम राज्यों में इलीगल माइनिंग हो रही है।

अब समय आ गया है कि हम आमने-सामने बैठे, राजनीति से ऊपर उठें और देश के विकास के लिए काम करें। देश की जनता के सामने जो बेकारी हो, भूख की, गरीबी की समस्याएं हैं, उनसे लड़ें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। चुनाव हो गए, नतीजे भी आ गए, बिना वजह आपने जश्न मना लिया, यह तो वही बात हुई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब बहुत दीवाने बन गए इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर देश के विकास के लिए काम करें।

सभापति जी, इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. भोला सिंह (नवादा) : सभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। हमारे दल की ओर से हमारे नेता ने उसका समर्थन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी आपके आशीर्वाद से उसमें भाग लेना चाहता हूं।

मकतल में आते हैं वो खंजर बदल-बदलकर
यारब कहां से लाऊं मैं सिर बदल-बदलकर।
बुलबुल इस चमन में तेगे निगाह किसकी पड़ गई
जिस फूल को देखता हूं वह जख्मों से चूर है।

सभापति जी, लोक सभा शहादत के सपनों का चिराग है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दिशा-निर्देश है, सरकार का पालिसी स्टेटमेंट है। मुझे पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि जब राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि हे महर्षि! हम कैसे देखते हैं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि राजन्, हम सूरज की रोशनी से देखते हैं। फिर जनक ने पूछा कि अगर सूरज की रोशनी नहीं हो तब, तब चांद की रोशनी से देखेंगे। फिर जनक ने कहा कि अगर चांद न हो, अमावस्या की रात हो, तब कैसे देखेंगे, इस पर याज्ञवलक्य ने कहा कि तब हम किसी का नाम पुकारेंगे। जिसका नाम पुकारेंगे, वह बोलेगा कि मैं आया हूं। इस तरह से देखने की भी ऐसी स्थिति भी न हो, राजन् ने पूछा तब कैसे देखेंगे, महर्षि ने तब कहा आत्मा के दीप को जलाएंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आत्मा के द्वीप नहीं जलते हैं, आत्मा के द्वीप बुझ जाते हैं।

सभापति महोदय, भारत एक महान देश है और यह एक देश नहीं महादेश है। एक ऐसा देश जिसने कभी दुनिया को लूटा नहीं, कभी किसी की सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार नहीं किया, ऐसा देश जो विश्व की महानता की धड़कन को अपनी बाहों में रखता है, उस देश का शासन इस तरह से नहीं चलाया जा सकता है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चला रही है। मैं इस बात को बड़ी पीड़ा से कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी महान अर्थशास्त्री हैं। देश की अस्मिता की पगड़ी उनके माथे पर है। मुझे और राष्ट्र को उनके प्रति सम्मान है लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस महान अर्थशास्त्री का, इस महान नेता का जिस ढंग से उपयोग किया है, वह इस देश के लिए एक दुर्भाग्यजनक बात है। क्या भारत का प्रधानमंत्री निमंत्रण दे और टाटा उसके नियंत्रण को ठुकरा दे, क्या भारत का प्रधानमंत्री जब डिनर दे तो उसके घटक उसमें भाग न लें, जब भारत का प्रधानमंत्री देश का शासक हो और उसके मंत्री-परिषद का सदस्य किसी सभा में जाकर कहे कि आज अगर रात के 12 बजे जरूरत हो, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या ऐसी बात बोल सकता है? क्या इस तरह से प्रधानमंत्री का बदलाव होता है?

सभापति महोदय, देश चारों और से घिरा हुआ है, अंधकार है, हवा विरोधी है, जहाज के लंगर टूटे पड़े हुए हैं, नाविक सो रहा है, चारों ओर चाइना की घेरे-बंदी हो रही है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। इस अवस्था में प्रधानमंत्री जी को अपने दल के बहुमत का एकमात्र शक्ति केन्द्र होना चाहिए। क्या हमारा प्रधानमंत्री एकमात्र शक्ति केन्द्र है? कई शक्ति केन्द्र होना चाहिए। क्या हमारा प्रधानमंत्री एक-मात्र शक्ति केन्द्र है? कई शक्ति-केन्द्र हैं और यह प्रधानमंत्री तो शून्य शक्ति-केन्द्र है, इन्हें तो दया के पात्र बनाकर रखा है। एक शक्ति-केन्द्र है सोनिया जी, सोनिया जी से आगे शक्ति-केन्द्र हो गये राहुल जी। तीसरा शक्ति-केन्द्र है आपका डीएमके और चौथा शक्ति-केन्द्र है आपकी अग्नि-कन्या है। इन चारों शक्ति केन्द्रों ने इस अर्थशास्त्री की दशा निकाल दी है। क्या आप कह सकते हैं कि जो स्थिति इस देश के सामने है, उससे क्या प्रधानमंत्री जी को शक्ति प्राप्त हो रही है?

अन्ना आंदोलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप किया, लेकिन उस हस्तक्षेप को नकारते हुए दूसरे ने हस्तक्षेप किया। इसलिए सभापति महोदय, मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के प्रधानमंत्री को बहुमत दल के नेता के रूप में होना चाहिए लेकिन वे बहुमत दल के नेता नहीं हैं, बहुमत दल की नेता सोनिया जी हैं, सदन के नेता प्रणब बाबू हैं, फिर ये प्रधानमंत्री के

रूप में कैसे काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री बाई–प्रौक्सी हैं, प्रौक्सी प्रधानमंत्री हैं। क्या प्रौक्सी प्रधानमंत्री से देश चलाया जा सकता है? इसलिए सभापति महोदय, मेरा आरोप है कि इस प्रधानमंत्री के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने देश की अस्मिता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसे इतिहास माफ नहीं कर सकता है।

[अनुवाद]

श्री के. बापीराजू (नरसापुरम) : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि शब्द 'छद्म' कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाए।

माननीय सदस्य बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और वयोवृद्धि हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें।

सभापति महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को पढ़ूंगा।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह : सभापति महोदय, मेरा मकसद किसी को अपमानित करना नहीं है, मैं तो तथ्यों को रख रहा हूं। सभापति महोदय, यह संसद सर्व–प्रभुसत्ता सम्पन्न बॉडी है और इस संसद की अस्मिता, सुरक्षा और संविधान खतरे में है। संविधान की अस्मिता पर चोट की जा रही है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे विशालतम संविधान और विशिष्ट संविधान है। संविधान हमारा प्रधान है। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की सरकार संविधान से व्यवहार कर रही है, राज्यों पर हमला कर रही है, संघीय ढांचे पर चोट कर रही है यह दुर्भाग्यजनक है। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपने देश के संघीय ढांचे पर हमला करके संविधान की मर्यादा और अस्मिता पर प्रहार किया है। मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं और आप गवाह हैं तथा शायद उस समय इस लोकसभा के माननीय सदस्य हों कि किस ढंग से लोकसभा पर हमला हुआ। कई राजनेताओं की पीढ़ियां समाप्त होने वाली थीं। जनतंत्र का दीप बुझने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार अपना फैसला दिया। मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का गार्जियन है, सुप्रीम कोर्ट जो तमाम गतिविधियों को सांविधानिक रूप से देखता है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों रोककर रखा है, क्यों नहीं फैसले का कार्यान्वयन कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जनता वोट बैंक है, क्या मुसलमानों को आपने वोट बैंक बनाकर रखा है, क्या दूसरों को भी आपने वोट बैंक बनाकर रखा है, क्या वोट बैंक की राजनीति के द्वारा इस देश का आप शासन करेंगे? मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आलोक में अफजल गुरु का जो फांसी का जजमेंट है, आप उसका कार्यान्वयन करें।

महोदय, तीन लाख किसानों ने आत्महत्या की है। किसान भगवान का रूप है। भगवान को जो याद करता है, उसे फल देता है, लेकिन किसान ऐसे हैं, जो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, जो उनका शोषण करता है, उसे भी अन्न देते हैं। जिस देश में किसान आत्महत्या करे, उस देश का क्या हो सकता है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको याद होगा जब गांधारी भूख से छटपटाने लगी, तो गांधारी ने देखा कि जंगल में आग लगी हुई थी। फल पके हुए थे और गांधारी फलों तक पहुंच नहीं पा रही थी। तब गांधारी आस–पास पड़ी अपने बेटों की लाश को इकट्ठा करके उन पर चढ़ कर फल तोड़ रही थी। तब कृष्ण ने कहा कि गांधारी तुम मां हो कर अपने बेटों की लाश पर खड़ी हो कर क्या रह रही हो। तब गांधारी ने कहा – हे वासुदेव, बुढ़ापा दुख का कारण है और गरीबी भी दुख का कारण है। जवान बेटे का मरना भी बड़े दुख का कारण है, लेकिन भूख से मरना सबसे बड़ा दुख का कारण है। मैं इस भूख से बचना चाहती हूं। जिस देश के तीन लाख किसान भूख से मर जाएं और आत्महत्या कर लें, वह सरकार क्या चैन की बात कर सकती है?

महोदय, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। गंगा राष्ट्रीय नदी है। गंगा की आज क्या दशा है? गंगा विकास प्राधिकरण बनाया गया, लेकिन गंगा का क्या हाल है? आपको पता होगा कि टेम्स नदी के पास हाउस आफ कामन्स है। टेम्स नदी में दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध के कारण हाउस आफ कामन्स की बैठक नहीं हो पा रही थी। इंग्लैंड के लोगों ने टेम्स नदी को साफ किया और एक जीवंत नदी के रूप में प्रस्तुत किया। गंगा केवल नदी नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक मां है।

अंत में मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार पंडित जी जा रहे थे और रास्ते में देखा कि एक मुंड पड़ा है। पंडित जी ने देखा कि मुंड पर लिखा था कि उसकी एक क्रिया बाकी है। पंडित जी उसे उठाकर अपने घर ले गए और अपनी पत्नी से कहा कि इस मुंड को ठीक से रखो, अभी इसकी क्रिया बाकी है। जब पंडित जी आवें, तो उस मुंड को देखें। पंडिताइन की तरफ पंडित जी ध्यान नहीं देते थे। पंडिताइन को लगा कि यह मुंड सौत बन गया है। जब पंडित जी बाहर गए, तो उनकी पत्नी ने मुंड को ओखली में डाल कर पीस दिया और फेंक दिया। जब पंडित जी वापिस आए और मुंड नहीं दिखा तो पूछा कि मुंड कहां है। तब पंडिताइन ने कहा कि क्या मुंड–मुंड कर रहे हैं। हमने उसे ओखली

[श्री भोला सिंह]

में पीस कर फेंक दिया है। मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर आप नहीं बदले, तो इतिहास उसी मुंड की तरह आपकी क्रिया का अंत कर देगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

★**श्री रतन सिंह** (भरतपुर) : भारत के सर्वांगीण और चहुंमुखी विकास एवं सुरक्षा के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा एवं न्यायसंगत, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आतंरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, जो देश के लिए व समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है।

माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार त्वरित विकास व आधुनिकीकरण का नया मार्ग दर्शा रही है। यह इस धारणा में आधारित है कि एक समृद्ध समाज का निर्माण मानवता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है, जिसका सपना हमारे राष्ट्र–निर्माताओं ने देखा था। सरकार समाज की ऐसी तस्वीर पेश कर रही है, जिसमें सुविधा वंचित लाखों लोगों को आजीविका मिल सके और हमारे युवा वर्ग की बेहतर जीवन जीने की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके एक ऐसा समाज – जहां बड़ी विकास परियोजनाओं से पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा प्रभावित न होती हो, एक ऐसा समाज जो उदार, लोकतांत्रिक और पारदर्शी हो और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता हो।

सर्वांगीण विकास के लिए परिवहन, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण व किसानों, आम गरीबों, दलितों, मजदूरों का विकास आवश्यक है, युवाओं को रोजगार आवश्यक है। विकास दर लगभग 9 फीसदी बनी रहे, इसके लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं :–

1 परिवहन – परिवहन के लिए इस वर्ष में 7000 कि.मी. सड़कों के निर्माण के आदेश प्रदान किये जाने है। रेलवे के आधुनिकीकरण के व्यापक कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं। दादरी से नवीं मुंबई के बीच वेस्टर्न डेडिकेटिड रेल फ्रेंट कॉरिडोर के समानांतर आयकॉनिक दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिस पर 5 वर्ष में 17,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत होगी।

2 पानी – राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. और यू.आई. डी.एस.एस.एम.टी. द्वारा छोटे व बड़े शहरों में पेयजल व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

3 सिंचाई – पर्याप्त सिंचाई साधनों के लिए किसानों को उन्नत खेती हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है।

4 बिजली – विकास की आधारभूत आवश्यकता विद्युत प्राप्ति है। 10 वीं योजना अवधि में, 21 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। 11वीं योजना में लगभग 52000 मेगावाट क्षमता बिजली जोड़े जाने की संभावना है। केवल वर्ष 2011–12 में 15000 मेगावाट बिजली वृद्धि प्राप्त हो सकेगी। देश में न्यूक्लियर संयंत्रों की संस्थापित क्षमता बढ़ाकर 4780 मेगावाट हो गई है और 12वीं योजना के अंत तक 10,080 मेगावाट होने की संभावना है, जिससे देश में सभी वर्गों को, उद्योगों को, किसानों व आम आदमी को पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो सकेगी।

5 शिक्षा – देशवासियों को विशेषकर ग्रामवासियों को शिक्षित करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की दरों में पर्याप्त वृद्धि की गई है। अजा./अजजा/ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक समुदायों के 1 करोड़ से अधिक छात्रों को छात्रवृतियां एवं फैलोशिप प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु सरकार उच्च शिक्षा ऋण प्राधिकरण का गठन करेगी।

6 स्वास्थ्य – बेहतर व संतोषपूर्ण जीवनयापन के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी ग्रामवासियों को लाभान्वित कर रही है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के दौरान 1 करोड़ 13 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। 12वीं योजना के अंत तक केन्द्र व राज्यों के कुल योजनागत व गैर–योजनागत व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 2.5 फीसदी तक के ले जाने का

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

प्रयास किया जायेगा। डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए एम.बी.बी.एस की सीटों में 26 प्रतिशत व पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को एलोपैथिक स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है।

7 सुरक्षा – कार्य कौशल, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा हमारे सशस्त्र बलों की पहचान है। भारत सरकार हमारे सभी सैनिकों व पूर्ण सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सेना के तीनों अंगों को आधुनिक व विकसित बनाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा रहे हैं। तटीय सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा संबंधी सभी चुनौतियों का सामना करने में पुलिस व सैनिक बलों को सक्षम बनाया जा रहा है।

8 पर्यावरण – दिसम्बर, 2011 में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर डरबन में हुई शिखर वार्ता में भारत ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में रचनात्मक व अग्रणी भूमिका निभाई है। पर्यावरण व जैव–विविधता के संरक्षण और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई करने के लिए समग्र प्रयासों को मजबूती प्रदान की गई है। 11वीं योजना अवधि के दौरान 1,200 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करके प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम का सुदृढ़ीकरण किया गया है। वन–विस्तार व एक करोड़ हेक्टेयर वन भूमि को हरा–भरा बनाने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन बनाया गया है।

9 रोजगार – सभी नागरिकों को शिक्षा व कौशल विकास के अवसर प्रदान करके उन्हें समर्थ बनाते हुए देश की आजीविका सुरक्षा के लक्ष्य को त्वरित व समावेशी विकास द्वारा बेहतर बनाया जाएगा। वर्ष 2012–13 में 85 लाख लोगों को व 12वीं योजना में 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की संभावना है। 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 5 हजार कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना होगी। भारत सरकार युवाओं को पर्याप्त रोजगार देने की हर संभव प्रयास कर रही है एवं करेगी। सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करने के लिए नया विधेयक लाएगी। सिर पर मैला ढोने वालों के लिए, रेहड़ी–पटरी पर सामान बेचकर जीविका अर्जित करने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवसायों में अवसर प्रदान करने के लिए प्रयास होगा ताकि वे सभी बेहतर जीवन–यापन कर सके।

किसानों को कृषि क्षेत्र में वर्ष 2010–11 में 6.6 फीसदी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 के दौरान चुनिंदा कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में 10–40 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। छोटे किसानों को 4 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दरों में कृषि उपयोग के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2010–11 में 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का कृषि ऋण दिया गया जो लक्ष्य से 22 फीसदी अधिक रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के लाभों को समेकित किया जाएगा, जो देश के सभी वर्गों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। सरकार को विश्वास है कि वह शीघ्र ही देश के आर्थिक विकास को पुनः 8 से 9 फीसदी की उच्च दर पर ले जाएगी।

ऐसे सही सर्वांगीण समग्र विकास के जन कल्याण के, आम आदमी, किसान, गरीब, मजदूर, दलित व युवा वर्ग की प्रगति एवं देश की आंतरिक, बाहरी सुदृढ़ सुरक्षा की नीतियों के लिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

★**श्री तथागत सत्पथी** (ढेंकानाल) : माननीय सभापति, सबसे पहले मैं प्रत्येक सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप उनकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। मेरे बहुत से सहयोगी मुझसे पहले अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। आम तौर पर मैं अंग्रेजी में बोलता हूं परंतु इस बार मैंने अपनी मातृ–भाषा में बोलने की सोची जिसका मूल स्रोत संस्कृत भाषा नहीं बल्कि पाली भाषा है। महोदय, आप भी भाषा को महसूस करेंगे और इसकी खूबसूरती का आनंद लेंगे।

मैं प्रबुद्ध सदस्य, श्री इंदर सिंह नामधारी की बात सुन रहा था जो इस बात पर निराशा व्यक्त कर रहे थे कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। हम संघवाद के अमरीकी मॉडल की नकल कर रहे हैं और उसकी कार्बन कॉपी बनने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे दिल और आत्मा इसमें नहीं हैं।

महोदय, अमरीका के न्यूयार्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दो टावर आतंकवादी हमले में नष्ट कर दिए गए। हमने दुनिया का

★मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर

[श्री तथागत सत्पथी]

ध्यान आकर्षित किया। तब से अमरीकी धरती पर आतंकवाद की और कोई घटना नहीं हुई। इसके विपरीत दुर्भाग्यवश हमारे देश में नियमित आधार पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। माओवाद, नक्सलवाद जैसे उग्रवाद, विभिन्न प्रकार के विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं। जब किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है तो इससे जान–माल की हानि होती है। निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। और लोगों को ही इसका खामिआजा भुगतना पड़ता है। सरकार की प्रतिक्रिया के तौर पर हम टीवी स्क्रीन पर एक लाचार प्रधानमंत्री का एक गृह मंत्री को खेद व्यक्त करते हुए देखते हैं। वे इतने निःसहाय और शांत दिखते हैं कि अब लोगों ने सरकार से किसी चीज की उम्मीद ही छोड़ दी है। उन्हें लगता है कि सरकार उनके साथ नहीं है। सरकार आम आदमी, जिसका जान–माल और जीविका का नुकसान होता है, की पीड़ा नहीं समझती है।

जैसा मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री नामधारी बता रहे थे कि यदि कोई पुल बनाना हो तो सरकार पैसा स्वीकृत कर सकती है और अनुमति प्रदान कर सकती है। परंतु जब तक जंगल में बैठे बॉस अपनी सहमति नहीं देते तब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। नक्सलियों और माओवादियों से प्रभावित बहुत से राज्यों में यही स्थिति है। वे जैसा चाहते हैं, वैसा ही होता है और वे एक समानांतर सरकार चलाते हैं जबकि हमारी सरकार एक मूक दर्शक बनी रहती है। यह सचमुच शर्मनाक है। महोदय, मैं केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए, मुझे गलत न समझे। जो भी सत्ता में होता है, वह देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करता है परंतु इस देश के लोग बेवकूफ नहीं हैं। वे सब समझते हैं। महोदय, हम सब जानते हैं कि राज्य विधान सभाओं में भी राज्यपाल इसी प्रकार विधायकों को संबोधित करते हैं। सामान्यतः राज्य की समस्याओं का उल्लेख उनके भाषण में होता है। महोदय, मैंने बहुत पहले 1998 और 1999 में राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना था। फिर 2004 से पिछले 9 वर्षों से मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण सुन रहा हूं। महोदय, इस बार राष्ट्रपति के अभिभाषण ने हमें निराश ही नहीं किया बल्कि शर्मनाक स्थिति भी पैदा कर दी है। इसमें सच्चाई नहीं थी। लोगों के लिए कोई वास्तविक चिंता नहीं थी। बल्कि लोगों को धोखा देने की लापरवाह कोशिश थी। एक वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा, किसी के लिए लड्डू और कुछ अन्य के लिए जलेबी। परंतु आज इन झूठे वायदों से कब तक लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। लोगों ने ऐसी पेशकश ठुकरा दी और इसके बजाय विकास की बात की। यदि हम उनकी सच्चाई स्वीकार नहीं करते तो हम अपने राष्ट्र को पीछे धकेल देंगे।

बहुत बार केंद्र सरकार स्वयं स्वेच्छाचारी तरीके से कार्य करती है। उदाहरण के लिए हम खनिज अधिनियम को लें। अधिनियम बनाने से पहले खनिज बहुल राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार या गोवा से परामर्श किया जाना चाहिए था। किंतु केंद्र सरकार इतनी अहंवादी हो गई कि इसने उन राज्यों के विचार जानना उचित नहीं समझा जो इस अधिनियम को लागू करेंगे और इसमें वास्तविकता में परिणत करेंगे। महोदय, मैं किसी एक तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूं। हरेक पक्ष में अहं की भावना है।

मैं शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मेरी सहयोगी श्रीमती जयाप्रदा ने समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि वह एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर महिला का आदर्श उदाहरण हैं जिसने बॉलीवुड में नाम कमाया और अब राजनीति में भी अलग स्थान बनाया है। उन्होंने कोई आरक्षण मांगकर यह सब हासिल नहीं किया। हमें उनके जैसी और महिलाओं की जरूरत है जो सचमुच आत्मनिर्भर होंगी और भावी भारत का निर्माण करेंगी।

महोदय, शिक्षा पर वापस आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा बुरी हालत में है। बहुत से स्थानों पर न तो स्कूल भवन हैं और न ही अध्यापक हैं। कभी–कभी छात्रों के लिए पुस्तकें ही नहीं होती। छात्रों के लिए बना मध्याह्न भोजन घटिया होता है। फिर शिक्षा का क्षेत्र कैसे बचेगा? भारत में अधिकांश राज्यों में यही स्थिति है।

केंद्र सरकार स्वयं ही खनिज अधिनियम पारित कर सकती है। यह स्वयं ही एनसीटीसी खोलने का निर्णय ले सकती है। फिर भी जब शिक्षा की बात आती है तो वे कुछ नहीं कर सकते। अब एक घोषणा हुई है कि केंद्र सरकार छात्रों को 'आकाश' टेबलेट (कम्प्यूटर) देगी। महोदय, हम भी अपने बच्चों को शिक्षित और कंप्यूटर में दक्ष बनाना चाहते हैं। परंतु क्या यह थोड़ा आवास्तविक नहीं है? छात्रों को पर्सनल कंप्यूटर के बारे में कौन समझाएगा। हमारे यहां शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित लोगों की कमी है।

यहां केंद्र सरकार पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और योजना के लागू न होने के आरोप राज्यों पर लगाती है। यदि बुनियादी ढांचा ही नही है तो योजना कैसे काम कर सकती है?

जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है तो इस सरकार ने बड़े दावे किए कि परमाणु ऊर्जा हमारी ऊर्जा की सभी जरूरतें पूरी करेंगी

इत्यादि। किंतु अभी तक इस संबंध में प्रगति के बारे में राष्ट्र की जानकारी देने के लिए कोई श्वेत पत्र इस सभा में नहीं रखा गया। उदाहरण के लिए अगले दशक में कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा? क्या इससे अनुमानित आवश्यकता पूरी होगी या नहीं। किसी को नहीं पता कि परमाणु/ताप/ जल विद्युत ऊर्जा से कितनी विद्युत का उत्पादन होगा। हम सब इससे अनभिज्ञ हैं।

महोदय, इसका कारण है नौकरशाही का प्रभुत्व। नार्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। वे ही नियम बना रहे हैं और राष्ट्र को भ्रमित कर रहे हैं।

हाल ही में विपक्ष के माननीय नेता किसी उच्च पदस्थ नौकरशाही के बारे में जिक्र कर रहे थे जो दूसरे राज्य सरकार के अधिकारियों को मुख्य मंत्रियों के स्टेनो कहकर उनका उपहास कर रहे थे। महोदय, वह इससे इंकार कर सकते हैं। परंतु मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा कहा है। इससे नौकरशाही के दृष्टिकोण का पता चलता हैं

महोदय, सत्ताधारी दल का नौकरशाहों पर नियंत्रण नहीं रहा हैं इसी प्रकार इनका शासन भी चला जाएगा। जैसा कि पौराणिक कथाओं में भी वर्णित हैं कि भगवान के अलावा अंतिम दिन तक किसी को पता नहीं था कि 'कंस' को कौन मारेगा। इसी प्रकार केवल भगवान जानता है कि इस देश का नेता कौन होगा। यह नवीन पटनायक होंगे या मुलायम सिंह यादव या कोई और। समय ही बताएगा।

समय आ गया है कि हम इन सब बातों की ओर ध्यान दें। इस देश का आम आदमी बहुत बुद्धिमान और पारखी है। हम उसके निर्णय को कम न आंके।

महोदय, मैंने अपना जीवन लिखने और एक समाचार पत्र के सम्पादन में व्यतीत किया है। श्री बी. महताब यहां बैठे हैं। हम लिखते जा रहे हैं मैं कह सकता हूं कि जिसने भी राष्ट्रपति का भाषण लिखा है उसने घटिया काम किया है भाषण में एनसीटीसी का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए था। यह हमारे संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। हम सब पूर्व सोवियत संघ के बारे में जानते हैं। यह सी.आई.एस. में किस प्रकार विभाजित किया है। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए और राज्य सरकारों के लोकप्रिय नेताओं को उचित सम्मान देना चाहिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करना चाहिए।

महोदय, कल रेल बजट पेश किया गया था। रेल मंत्री ने कहा था कि जब ओडिशा और कर्नाटक ने लौह अयस्क का निर्यात बंद कर दिया तो रेलवे को घाटा हुआ। मैं नहीं जानता कि वह आज रेल मंत्री हैं या नहीं। किंतु यह सच है कि आप राजस्व सृजन के क्षेत्र में ओडिशा और कर्नाटक की भूमिका स्वीकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमारे संसाधनों के कारण इतनी कमाई करती है परंतु हमें सुविधाओं से वंचित रखती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि 'एनसीटीसी' को राष्ट्रपति के अभिभाषण से हटा देना चाहिए और भाषण में समुचित संशोधन करना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, यदि मैं अंग्रेजी में बोलूं तो शायद मुझे कुछ और मिनट मिल जाएं परंतु मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : कृपया आप अपनी महत्वपूर्ण बातें रखें।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, मेरी यही सब बातें हैं। बातें बहुत सारी हैं।

***श्री सी. शिवसामी** (तिरुपुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं, संसद की संयुक्त बैठक में महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आप का धन्यवाद करता हूं।

प्रतिवर्ष राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और उस पर संसद में चर्चा किया जाना एक वार्षिक परंपरा है। परंतु इसका क्या लाभ है? नई दिल्ली की सड़कों पर जहां एक तरफ हमें चमचमाती हुए कारें नजर आती हैं वहीं दूसरी तरफ साइकिल रिक्शा चालक अपने भरण पोषण हेतु शारीरिक पीड़ा सहते हुए भी साइकिल रिक्शा चालक रिक्शा खींचते हुए दिखाई देते हैं। एक ओर लोग वातानुकूलित होटलों में अपने बाल कटवाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम आम लोगों को पेड़ के नीचे एक आइने के सामने कुर्सी पर बैठकर बाल कटवाते हुए भी देखते हैं। ऐसे दृश्य, संसद सदस्यों के आवासीय क्षेत्र नार्थ एवेन्यू में भी देखने को मिलते हैं।

इस अभिभाषण में ऐसी अनेक बातों का उल्लेख किया गया है जिससे समृद्ध लोगों और समृद्ध होंगे। परंतु, ऐसे कदमों की कोई चर्चा नहीं की गई जिससे निर्धन लोग जीवन में कुछ प्रगति कर सकें। मुझे कार से यात्रा करने वाले लोगों को विमान यात्रा सुलभ बनाने संबंधी आपकी योजनाओं से कोई आपत्ति नहीं है। परंतु, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे अवसर पैदा किए गए हैं जिनसे कि एक रिक्शा चालक भी आटो रिक्शा में सफर कर सकें।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री सी. शिवासामी]

हमारे देश में कई राज्य हैं। केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह सभी के साथ एक समान व्यवहार करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पूर्व सरकारों की विफलता के कारण तमिलनाडु में विद्युत की बहुत कमी है। हमने केंद्र सरकार से अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने अनुरोध किया किंतु हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जबकि हम जानते हं कि पश्चिम बंगाल को केंद्र की तरफ से काफी धनराशि मिलती है। हमें इस बात को विरोध नहीं करते बल्कि इस बात का स्वागत करते हैं बशर्ते हमें भी अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे ही उदारतापूर्वक निधियां प्रदान की जाएं। हम अन्य राज्यों के प्रति आपके उदारतापूर्ण कदम की प्रशंसा करते हैं किंतु हमें यह कहते हुए निराशा हो रही है कि धनराशि जारी करने के हमारे अनुरोध को पूरा नहीं किया गया है। जब हमने केरोसीन की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु अनुरोध किया तो आपने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि मौजूदा कोटे की मात्रा को भी कम कर दिया।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया है? आपने इस तर्क के आधार पर कपास के निर्यात की अनुमति दी है कि इससे कपास उत्पादकों को लाभ मिलेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि कपास के निर्यात से वस्तुतः कपास उत्पादकों को लाभ मिलता है? बिल्कुल नहीं, इसका अधिकांश लाभ केवल कपास के व्यापारियों को ही प्राप्त होता है।

यहां तक कि निर्यातित कपास के लिए राजसहायता का वितरण भी एक साल बाद किया जाता है। परंतु वह भी दुर्भाग्यवश कपास का उत्पादन करने वाले किसानों तक नहीं पहुंचती। किसानों को दिए जाने वाले लाभ भी व्यापारियों को ही मिलते हैं। यह सरकार किसानों के हितों के बारे में नहीं सोचती। इस सरकार ने केवल पहले से समृद्ध लोगों को और समृद्ध बनाने का कार्य किया है।

मैं तिरुपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं। बुनाई उद्योग और सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात हेतु प्रसिद्ध औद्योगिक नगर तिरूपुर प्रतिवर्ष दस हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि बुनाई उद्योग से जुड़ा यह शहर जो कि हमारी राष्ट्रीय संपदा में बहुमूल्य योगदान देता है, के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना तैयार की है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस उद्योग को जिसे पाकिस्तान, बंग्लादेश और चीन जैसे पड़ोसी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है अथवा उठाए गए हैं।

सरकार ने छोटे उद्यमियों और स्व रोजगार में लगे युवाओं को अपने लिए व्यवस्था स्वयं करने के लिए छोड़ दिया है। सरकार की ओर से उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता।

आपने हमारी विदेश नीति की रूपरेखा का उल्लेख किया है। उत्तरी सीमा पर चीन हमारे लिए एक खतरा है। क्योंकि पाकिस्तान की चीन के साथ मित्रता बढ़ रही है। अतः इसके चलते हमारी उत्तर पूर्व सीमा पर सुरक्षा एक चिंता का विषय बनी हुई है। चीन की श्रीलंका में कच्चातीयू में उपस्थिति हमारे लिए एक चुनौती है और कथित रूप से हमारा मित्र देश श्रीलंका, हमारा शत्रु भी बन सकता है। हमें सिंहली लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि एक सिंहली सैनिक ने अपनी राइफल की बट से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को मारने का प्रयास किया था। यदि हम सतर्क नहीं रहते हैं और उन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं तो वे आशाओं को झुठला सकते हैं। अतः, मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि कच्चातीयू द्वीप को वापस लेने के उपाय किए जाएं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह जेनेवा में हो रही यू एन एच आर सी की बैठक में एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाए। श्रीलंका के एक राजनितिक ने कथित तौर पर हमारी संसद के सदस्यों द्वारा कल जारी किए गए प्रस्ताव पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। यह बहुत निंदनीय कार्य है और मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह श्रीलंका के उच्चायोग के अधिकारियों के समक्ष रोष व्यक्त करे। यदि यह सरकार इस सभा के सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती तो वह इस देश के लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकती है?

इस समय हमारे देश के सामने संकट है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। तेल के मूल्यों में हो रही वृद्धि को देखते हुए यह सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है? हमें ऊपर से नीचे तक बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार के अतिरिक्त आम आदमी के कल्याण हेतु कोई ठोस उपाय दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सरकार अमीर को और अमीर बनाने के उपाय करती है। मैं इस सरकार से समाज के सीमांत वर्गों और आर्थिक रूप से वंचित लोगों की मदद के लिए समुचित उपाय करने का अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

★**श्री राजेन्द्र अग्रवाल** (मेरठ) : इस अभिभाषण में देश तथा सरकार की जो छवि प्रस्तुत की गई है वह अद्भुत है। कोई व्यक्ति यदि जमीनी सच्चाइयों से अवगत न हो तथा कैबिनेट द्वारा लिखित व अनुमोदित एवं राष्ट्रपति जी द्वारा पढ़े गए इस अभिभाषण को पैरा दर पैरा पढ़ता जाये तो ऐसा लगता है मानो इस देश से गरीबी, अभाव, बेरोजगारी आदि की समस्याएं या तो समाप्त हो चुकी हैं या फिर 'ईमानदारी तथा अधिक कारागार शासन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए' प्रतिबद्ध इस सरकार के असाधारण पुरुषार्थ से बस समाप्त होने वाली हैं। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, सब सुखी हैं। लेकिन, जमीनी सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है।

इस सरकार के कार्यकाल का राष्ट्रपति महोदय द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया गया यह चौथा अभिभाषण है। इस समय मुझे पिछले तीन सम्बोधनों का भी स्मरण आ रहा है। सरकार की योजनाओं, सरकार के संकल्प तथा फिर उनके परिणाम को देखने पर 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' की पुरानी कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। आज अभिभाषण पर चर्चा का यह तीसरा दिन है, माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए हैं। अपनी निराशा, अपेक्षा एवं आशंकाओं को सदन के माध्यम से सम्पूर्ण देश की जनता के सामने रखा है। कुछ बिन्दुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अभिभाषण के पैरा 23 में राष्ट्रपति ने कहा है – "रेहड़ी, पटरी पर सामान बेचकर जीविका अर्जित करने वाले लाखों व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने तथा उनके विकास के लिए सरकार नया कानून बनाने पर कार्य कर रही है"। क्या कानून बनने जा रहा है, अभी हमें पता नहीं है परन्तु हमें यह जरूर पता है कि सरकार रिटेल के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाने के लिए बहुत आतुर है। इस लोक सभा के पिछले सत्र में सम्पूर्ण विपक्ष सहित सरकार के अनेक सहयोगी दलों ने भी खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाने का विरोध किया था जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपना निर्णय स्थगित करना पड़ा परन्तु सत्र के बाद सरकार के मंत्रियों द्वारा विदेशों में जाकर उनके लिए भारत के रिटेल को खोलने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इस निवेश के लिए ऐसी जिद क्यों है। इस निवेश के परिणामस्वरूप रेहड़ी वालों व पटरी वालों सहित लगभग 11 करोड़ की संख्या वाले छोटे–छोटे दुकानदारों की जीविका का क्या होगा। सदन की इच्छा के विपरीत सरकार इन करोड़ों गरीब लोगों का रोजगार छीनने पर क्यों तुली हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार इन छोटे–छोटे रोजगार करने वालों को सुरक्षा देने का इन्तजाम जरूर करे परन्तु उन्हें बर्बाद करने की व्यवस्था करने से सरकार को रोका जाना चाहिए।

आज देश में उर्वरकों की भारी कमी है। किसानों को समय पर यूरिया व डीएपी नहीं मिलता है। मिलता है तो मिलावट के साथ दुगने मूल्य पर ब्लैक में। यह सरकार इसे ठीक करने की क्या व्यवस्था कर रही है। सरकार का कहना है कि किसानों को इन्टरनेट, एस. एम.एस., टेलीफोन के द्वारा उर्वरकों की उपलब्धता की सूचना दी जाएगी।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ऐसा लगता है कि देश के सब किसान इन्टरनेट, एस.एम.एस. आदि जानते हैं? क्या सरकार को यह पता है कि देश के अधिकांश गांवों में बिजली की उपलब्धता बेहद कम है? सरकार किसानों के साथ मजाक न करे। एयरकंडीशंड कमरों में बनाई गई हवाई योजनाओं के स्थान पर जमीनी हकीकत के आधार पर योजना बनाए तथा किसानों की तकलीफ दूर करे।

सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश कर दिया तथा राष्ट्रपति जी के माध्यम से अपनी पीठ भी ठोक ली। किसान मर रहा है और सरकार ने विधेयक पास करके खाद्य सुरक्षा प्रदान कर दी। खाद्य सुरक्षा के लिए केवल विधेयक नहीं किसानों को खुशहाल करने वाली नीतियां चाहिए। लाभकारी मूल्य की हमेशा बात होती है परन्तु वास्तव में हो क्या रहा है। मैं एक उदाहरण रख रहा हूं। कृषि मंत्रालय ने गन्ने का मूल्य घोषित किया। यह मूल्य स्वामीनाथन कमेटी की संस्तुति के अनुसार लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत का लाभ जोड़कर घोषित किया गया था। 2010 में यह 139 रु. क्विंटल था यानी लागत मूल्य 92.66 पैसे माना गया।

मैंने इस लागत मूल्य के बारे में जब मंत्रालय से जानना चाहा कि यह मूल्य आपने कैसे प्राप्त किया, इसका ब्रेक–अप क्या है तो मुझे उत्तर मिला कि मंत्रालय के पास इसका विवरण नहीं है। किसान को दिये जाने वाले तथाकथित लाभकारी मूल्य की यह दशा है। किसान के सभी उत्पादों का यही हाल है। सरकार थोड़ा बहुत मूल्य बढ़ा देती है परन्तु किसानों को सही मायनों में लाभकारी मूल्य दिये जाने के इन्तजाम नहीं करती। उसे क्रूर बाजार के हवाले कर दिया जाता है तथा किसान अपनी मेहनत की उपज को औने पौने दाम पर बेचने करने को मजबूर हो जाता है। गन्ना, आलू, गेहूं, धान कपास, प्याज आदि सभी कृषि उत्पादों का यही हाल है। किसान समर्थ नहीं होगा

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राजेन्द्र अग्रवाल]

तो खाद्य सुरक्षा कैसे आएगी। किसानों पर कर्ज माफी की मेहरबानी करने के स्थान पर उसे उसकी मेहनत का सही दाम दो, किसान को कर्ज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। किसान खुश होगा तो देश खुश होगा, किसान का पेट भरेगा तो देश के किसी भी व्यक्ति को वह भूखा नहीं सोने देगा।

अंत में एक बिन्दु की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा सं. 70 में उल्लेख किया गया है कि सरकार द्वारा आई टी हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय किए जा रहे है। आई टी के क्षेत्र में हार्डवेयर के स्वदेशी उत्पादन की स्थिति अत्यन्त खराब है, अत्यन्त चिन्ताजनक है तथा इसके कारण देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। दूरसंचार उपकरणों की बहुराष्ट्रीय उत्पादक कम्पनियों के लिए हमारा देश दूरसंचार उपकरणों के सबसे बड़े बाजारों में से एक है परन्तु सरकार की नीति स्वदेशी उत्पादन की कीमत पर विदेशी उत्पादों के आयात को प्रोत्साहित करने की रही है। स्वदेशी उत्पादन के नाम पर हम केवल टावर खड़े कर रहे हैं, केबिल का इस्तेमाल करते हैं या छोटा मोटा लोहा लंगड़ का उपयोग करते हैं जबकि ऐसा करते समय सभी महत्वपूर्ण उपकरणों का हम आयात करते हैं। जिन मोबाइल फोनों का हम इस्तेमाल करते हैं उनके सारे पुर्जे विदेश से आते हैं। इन उपकरणों में चीन में निर्मित उपकरणों का लगभग एकाधिकार बनता जा रहा है जिसके कारण हमारी सुरक्षा कभी भी खतरे में पड़ सकती है। पैट्रोल के बाद आईटी हार्डवेयर के आयात पर हम सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं जिसके भविष्य में और भी बढ़ने की संभावना है। इस क्षेत्र में विस्तृत कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता है। इस समय हाल यह है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आईटी हार्डवेयर के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कुल 1100 करोड़ रुपये आबंटित किए गए, विभाग की लापरवाही के चलते उसमें से केवल 61.67 करोड़ रुपये खर्च किए जा सके। इस योजना के वर्ष 2010–11 में इस मद में केवल 2.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए जो उस वर्ष के लिए प्रस्तावित 250 करोड़ रुपए की रकम का केवल 1 प्रतिशत था, यह बानगी है – आई टी क्षेत्र में स्वदेशी हार्डवेयर के उत्पादन के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता की। क्या हम इस तरीके से चीन सहित अपने वैश्विक प्रतियोगियों से मुकाबला कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा, आईटी के क्षेत्र में सम्पूर्ण एवं विस्तृत कार्ययोजना की तुरन्त आवश्यकता है, चीन इत्यादि देश अपने यहां स्वदेशी उत्पादन के लिए उत्पादकों की मदद करते हैं, हमारी सरकार को भी वैसा करना चाहिए।

मैंने कुछ विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा महामहित राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. थोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, वाद–विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा–12 मार्च 2012 को संसद की संयुक्त बैठक के समक्ष दिए गए भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ है।

महोदय, मैं अभिभाषण पर एक संपूर्ण दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आर्थिक, विकास, शासन, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे उन तात्कालिक मुद्दों को लेना चाहता हूं जो कि हमारे लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सभी मुद्दों पर व्यापक तरीके से ध्यान देने का प्रयास किया गया है। हमें इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति का धन्यवाद करना चाहिए।

महोदय, हमारे जैसे विकासशील देश जहां लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, मैं नागरिकों को अधिकारिता प्रदान करना सर्वाधिक मूलभूत मुद्दा है। हमारे सभी प्रयासों का निचोड़ यह है कि यह कैसे किया जाए। मेरे लिए यह एक संभव कार्य है।

महोदय, कृपया अभिभाषण के पैरा 9 का संदर्भ ग्रहण करें। मैं उद्धृत करता हूं :

"वर्ष 2012–13, बारहवीं पंचवर्षीय योजना की प्रारंभिक वर्ष होगा जिसमें तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास का उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा। दृष्टिकोण पत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि । हेतु कृषि क्षेत्र हेतु चार–प्रतिशत विकास दर सहित नौ प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।"

महोदय, अभिभाषण के पैरा 10 में महामहिम राष्ट्रपति ने आज हमारे देश के समक्ष पांच बड़ी चुनौतियों अर्थात आजीविका सुरक्षा हेतु प्रयास, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, हमारी पारिस्थिति की और पर्यावरणीय सुरक्षा पर प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना और विकास संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति करना और हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी देना का उल्लेख किया है।

इनमें सभी बातें सम्मिलित हैं। इसमें हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए सभी के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख किया गया है।

प्रधानमंत्री और संप्रग की अध्यक्ष के नेतृत्व में वर्तमान संप्रग सरकार ने हमारे अग्रीण कार्यक्रमों और महात्मा गांधी नरेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी कुछ कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में सफलतापूर्वक कार्य किया है। इसके लिए हमें, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णायक कदम उठाने होंगे। रास्ता लंबा है लेकिन हमारी यात्रा आरंभ हो चुकी है।

मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रयास में अपना पूर्ण सहयोग दें।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि मैं उठाना चाहता हूं वह आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बारे में है। हम सभी की यह प्रबल इच्छा है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम शीघ्र स्थिर हो जाएं। तथापि, हम सभी को इस बात की जानकारी है कि इस देश के आकार और जनसंख्या को देखते हुए आपूर्ति की तुलना में मांग का अधिक होना स्वाभाविक है।

मांग–आपूर्ति का यह सिद्धांत, बहुत हद तक मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। परंतु, हम इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हम आज भी इस संबंध में राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया है। इस समय हमारी सरकार वस्तुतः, यही कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, संप्रग सरकार के कल्याणकारी उपायों के साथ हमने निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त की है। इस समय मूल्य लगभग स्थिर हैं।

हम सुपुर्दगी व्यवस्था को भी सफल बनाना चाहते हैं। इसका हमारे जैसे देश के लिए बहुत महत्व है। अतः, मैं यहां संघ सरकार और राज्य सरकारों की सम्मिलित जिम्मेदारी का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि संघ सरकार के अनेक भागों में प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव है। केंद्र द्वारा प्रायोजित इन योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों का विवेकपूर्ण तरीके से और संपूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है। अतः, उन्हें भी केंद्र सरकार के नेतृत्व और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। साथ ही, हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि इन योजनाओं का लाभ लक्षित लोगों तक पहुंचे।

इसके अतिरिक्त, मैं देश और विदेशों में आतंकवाद के मुद्दे का भी उल्लेख करना चाहता हूं, जो कि इस समय राष्ट्रीय मुद्दा होने के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा भी है जैसाकि मैं जानता हूं आतंकवाद मानवता के विरूद्ध अपराध है। हमारी सरकार की आतंकवाद को बिल्कुल न सहन करने की नीति का सच्ची भावना से पूर्णतः पालन करना होगा। सभ्यताएं लाखों लोगों की जिंदगी पर विकसित हुई हैं और यह कहावत कि "शासक कभी गलती नहीं करता" आज भी बनी हुई है और यह मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी है। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हम लोगों को एक अच्छे विश्व के लिए एक साथ मिलकर इस विचार और कार्य करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी अपना जीवन अच्छी तरह गुजार सके। हमें एक साथ मिलकर अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहिए।

अंत में, मैं हमारी स्वतंत्र विदेश नीति के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं जो कि आज तक सुदृढ़ बनी हुई है। विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य हमसे सहमत नहीं हैं परंतु, मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति अक्षुण्ण है। भूटान, बंगलादेश, मालदीव नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध सुदृढ़ होते जा रहे हैं और हमारी 'लुक ईस्ट पालिसी' के माध्यम से विशेष रूप से म्यांमार के साथ हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं विपक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा दिए गए संदर्भ का उल्लेख करना चाहता हूं। यह मणिपुर राज्य की गत विधान सभा के चुनाव परिणामों के बारे में है ....*(व्यवधान)* मुझे उनके लिए बहुत खेद है। उनकी पार्टी का वहां खाता भी नहीं खुला। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का चुनाव में 70 प्रतिशत अर्थात 60 में से 40 सीटें मिलीं। इससे आपको संक्षेप में इसका कारण पता चलेगा। निसंदेह यह मेरा कार्य नहीं है परंतु, मैं यह करूंगा। हमारी पार्टी लोगों से जुड़ी हुई है। वह राज्य में कार्य कर रही है। हमारी पार्टी पूरे वर्ष सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। क्योंकि, हम उपद्रव प्रवण राज्य से हैं इसलिए हम चुनावों से काफी पहले ही कार्य करते हैं। इसके लिए पूरे वर्ष 24 घंटे 7 दिन कार्य करना पड़ता है। अतः, यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारी पार्टी पिछले एक दशक से अधिक समय से वहां एक स्थिर सरकार देने में सफल

[श्री थोकचोक कैन्या]

रही है। हमारी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वहां एक कर्मठ सरकार बना सकती है।

अंतः में, मैं माननीय सदस्य डा. गिरिजा व्यास द्वारा प्रस्तुत और डा. शशि थरूर समर्थित प्रस्ताव पूरे दिल से समर्थन करता हूं और इस सम्माननीय सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का समर्थन करने और सर्वसम्मति से उसे पारित करने का अनुरोध करता हूं।

*__श्री एस. एस. रामासुब्बू__ (तिरूनेलवेली) : मैं संसद में भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने का अवसर प्रदान किए जाने पर आभारी हूं।

वैश्विक स्तर पर वित्तीय संकट के बीच इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की उल्लेखनीय दर पर विकसित हुई। अनेक विकसित और अल्प विकसित देश इस संकट से पीड़ित है और पुनर्वास का प्रयास कर रहे हैं। इस पर भी हमारी अर्थव्यवस्था उत्तरोतर विकसित हो रही है।

हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास हेतु बड़ी संख्या में विधेयक प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार और लोकपाल जैसे कुछ ऐसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो कि हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के इतिहास में किसी पार्टी और सरकार ने ऐसे विधेयक प्रस्तुत करने का साहसिक कदम नहीं उठाया है। यह संप्रग सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

हमारे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गंधी हमारे गृह मंत्री भी और केबिनेट मंत्री भी बहुत सक्षम हैं। उनके प्रशासन की कार्यकुशलता की पूरे विश्व में प्रशंसा की जाती है।

जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनके विरूद्ध बिना किसी सहानुभूति के कार्यवाही की जाती है। यद्यपि, वह सरकार का हिस्सा होते हैं। परंतु, राजग सरकार या भाजपा के समर्थन से चल रही कोई राज्य सरकार भ्रष्ट लोगों को हटाने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वे भाजपा के पक्के समर्थक हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो हमारी संप्रग सरकार दोषियों को दंड देने के लिए कड़े कदम उठाती है।

मनरेगा कार्य योजना में ग्रामीण बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसरों का सृजन हो रहा है। इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों व नियंत्राणाधीन हो रहा है। कुछ राज्यों में इस योजना की कुछ विफलताएं हैं जो स्थानीय निकायों की उचित निगरानी के अभाव के कारण है। स्थानीय संसद से सिफारिशें प्राप्त कर प्रत्येक गांव से किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर निगरानी निकाय बनाया जाना चाहिए। कृषि के प्रयोजनार्थ मनरेगा कामगारों का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

निजी कृषक सरकारी भुगतान के अतिरिक्त बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इससे कृषकों और कर्मचारियों दोनों को मदद मिलेगी। इससे कृषि उपज में भी वृद्धि होगी।

कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए। कृषि और कृषकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। सरकार कृषि और किसानों की दशा में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाती है। फिर भी कभी कभी कृषि उत्पादन पर प्राकृतिक संकट और सूखे के कारण प्रभाव पड़ता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केले की खेती को अक्सर नुकसान होता है। यह नकदी फसल है। दस दिन पहले कृषि के क्षेत्र में अप्रत्याशित चक्रवात के कारण केले के पेड़ों को भारी नुकसान हुआ। केले के तीन लाख से अधिक पेड़ नष्ट हो गए। लेकिन चक्रवात के कारण हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चक्रवात को भी प्राकृतिक आपदा शीर्ष के अंतर्गत शामिल करें और कृषि को होने वाले नुकसान हेतु मुआवजा भी प्रदान करें।

विद्युत हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक है। कुडनकुलम परियोजना की दो इकाईयां 2000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन की पूर्ण स्थिति में है।

99 प्रतिशत से अधिक लोग इस परियोजना का स्वागत कर रहे हैं और वे कम समय के भीतर विद्युत उत्पादन की उत्सुकतापूर्वक उम्मीद कर रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को उन लोगों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए जो डर और शंकाएं पैदा कर इस गांव क्षेत्र में लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

शिक्षा संबंधी कानून ग्रामीण पिछड़े और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण और सहायक योजना है जिसकी वजह

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से उन्हें सहायता मिल जाती है। और वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं।

किंतु आजकल अनेक बैंक शिक्षा ऋण देने से हिचकिचा रहे हैं। वे ऋण देने के लिए स्वयं अपने मानदंड और प्रतिबंध निर्धारित करते हैं। यहां तक कि वे अंक पात्रता निर्धारित करते हैं। शिक्षण संस्थाएं छात्रों को उनके प्रवेश के दौरान पात्रता अंक निर्धारित कर छात्रों को प्रवेश दे रहे हैं। एक बार शिक्षा संस्थाओं ने उन्हें प्रवेश दे दिया तो बैंक ऋण प्रावधान के लिए अलग पात्रता मानदंड पर क्यों ध्यान दे रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार को बैंकिंग संस्थाओं को निर्देश देना चाहिए कि वे किसी मानदंडों पर जोर दिए बिना शिक्षा ऋण प्रदान करें।

माफिया समूहों द्वारा नदी की बालू की तस्करी की जाती है। वे स्थानीय सरकारों की सहायता प्राप्त कर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अनेक राज्यों में नदी के बालू की कमी हमारे देश के निर्माण कार्य में अवरोध पैदा कर रही है। कुछ देशों को हमारी नदियों की बालू का निर्यात किया जाता है। बालू की असमान मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए इसका निर्यात बंद किया जाना चाहिए। नदी के बालू की तस्करी से नदी के पानी की उपलब्धता धीरे-धीरे कम हो जाएगी।

यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ छोटी-छोटी समस्याएं व्याप्त हैं फिर भी हमने अपनी संप्रग सरकार में बहुत कुछ हासिल किया है।

*श्री वीरेंद्र कश्यप** (शिमला) : मैं इस बजट सत्र पर राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार के लिए कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं। यहां मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कुछ मांगें रखना चाहता हूं जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने और आने वाले दिनों में पूरा किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि महामहिम राष्ट्रपति जी ने सभी विषयों पर चर्चा की है किंतु मैं कुछ ऐसे मामलों को उठाना चाहता हूं जो मेरे विचार से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जा रहा है तथा शिक्षा में सुधार तथा संकाय विकास के उद्देश्य से शिक्षकों संबंधी राष्ट्रीय मिशन का आरंभ किया जा रहा है। यह एक चिंताजनक विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात् भी राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण, चाहे कोई भी सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई। हम शिक्षा के मानकीकरण और भविष्य के हमारे छात्रों तथा युवा लोगों की पीढ़ी को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के विषय में कभी गंभीर नहीं हुए केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी राजग सरकार के कुछ वर्षों को छोड़कर जिन्होंने 'सर्व शिक्षा अभियान' का आरंभ किया था। इस अभियान के तहत हम प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान कर पाए हैं। सरकार को शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधान में कम से कम 6 प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तभी हम पीढ़ियों को अच्छी और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएंगे जो इस प्रतिस्पर्धत्मक युग में आधारभूत आवश्यकता है। सरकार को अमीर और गरीब के बीच के अंतर को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। यह खुशी की बात है कि हमारी साक्षरता दर में वृद्धि हुई है किंतु शिक्षकों की कमी के कारण हम गुणवत्ता पूर्ण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में ठेका प्रणाली से बचना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थानों को नियंत्रित करना होगा ताकि शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जा सके।

यह देखा गया है कि अक्सर मेधावी छात्रों के गरीब माता-पिता इस स्थिति में नहीं होते कि वे उन्हें उच्च शिक्षा दिला सकें। कुछ छात्र जो अनेक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सफल होते हैं, उन्हें उच्च ब्याज दर के कारण दुगनी से भी अधिक राशि वापिस लौटानी पड़ती है। सरकार को सभी गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना तैयार करनी चाहिए।

जहां तक मनरेगा का संबंध है, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। निस्संदेह, मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है किंतु सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस योजना के कारण निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पनपा है। इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाना चाहिए। मनरेगा योजनाओं के संबंध में मैं सरकार को निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं :

1. मजदूरों को दी जाने वाले मजदूरी को बढ़ा कर 200 रुपये कर दिया जाए।

2. वार्षिक दिवसों की संख्या भी 100 से बढ़ाकर 200 कर दी जाए।

3. पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों को देखते हुए सामान और मजदूरों का अनुपात 40 : 60 हो (अर्थात विपरीत) होना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बीरेन्द्र कश्यप]

4. पककी सड़कें बनाना, किसानों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तथा जंगलों को आग से सुरक्षित रखने के लिए मजदूरों को रोजगार देना आदि को भी मनरेगा के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए।

यद्यपि कृषि के संबंध में सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है किंतु परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं हैं क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की स्थिति और अधिक बदतर हुई है जैसा कि किसानों द्वारा की जाहीर आत्महत्याओं या उनके द्वारा क्रॉप होली डे आदि का सहारा लेने जैसी घटनाओं से विदित होता है। इस संबंध में इस केंद्र सरकार से पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ दिए जाएं। उद्योग क्षेत्र की भांति किसानों को भी 1 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराएं जाएं ताकि खेतों में उत्पादन में वृद्धि हो।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है ''मेरी सरकार समाज के कमजोर और पीड़ित वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हम14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी करने से रोकने के लिए बाल श्रम (प्रतिबंध और विनियमन) अधिनियम में विस्तृत सुधार करेंगे।

उनका स्थान स्कूलों में हैं न कि कार्य स्थलों पर।

इस संबंध में, मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कमजोर और पीड़ित वर्ग की परिभाषा को विस्तृत बनाया जाए तथा समाज के सबसे अधिक पीड़ित वर्ग-किन्नरों तथा हिजड़ों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। क्योंकि देखा गया है कि इस वर्ग को समाज का हिस्सा नहीं समझा जाता। इससे अधिक क्या कहा जाए कि ऐसे लोगों को उनके जन्म के समय ही माता-पिता द्वारा घर से बाहर कर दिया जाता है, उनके माता-पिता भी उन्हें स्वीकार नहीं करते। सरकार ने भी समाज के इस वर्ग की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। अतः मैं केंद्र सरकार से यह अपील करता हूं कि हिजड़ा वर्ग के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए ताकि वे भी समाज का एक मूल्यवान हिस्सा बन सकें और उनकी सामाजिक समस्याएं दूर हो सकें।

आज देश कुपोषण जैसी गंभीर समस्या का भी सामना कर रहा है। बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए पहले से चल रही योजनाओं के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार को इस ओर और अधिक ध्यान देना चाहिए और पांच सालों के अंदर-अंदर सभी बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई गई ''जननी सुरक्षा योजना'' के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को दुंगुना कर देना चाहिए। अभी वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में प्रसूति करवाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में 700 रुपये की राशि तथा शहरी क्षेत्रों में 600 रुपये की राशि दी जाती है जो अपर्याप्त है।

सरकार को निजी अस्पतालों को नियंत्रित करने के लिए भी एक नीति तैयार करनी चाहिए। निजी अस्पतालों में इलाज बहुत महंगा है और गरीब लोग तो क्या, मध्यम वर्गीय लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करवाने की बात सोच भी नहीं सकते। सरकार को निजी अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि वे कम से कम 50 प्रतिशत गरीब लोगों का इलाज अपने अस्पतालों में करेंगे अन्यथा उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

सरकारी और निजी अस्पतालों में डाक्टरों और परा-चिकित्सीय कर्मचारियों का वेतन विनियमित किया जाए क्योंकि यह देखा गया है कि निजी अस्पतालों में बेहतर वेतन मिलने के कारण सरकारी अस्पतालों के अनुभवी डाक्टर और अन्य कर्मचारी सरकारी अस्पताल छोड़ देते हैं। यह निश्चित रूप से सरकारी अस्पतालों के लिए हानिकारक है।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया।

महोदया, आज जिस दौर से हमारा देश गुजर रहा है, वर्ष 2010-11 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.4 थी। मैंने अभिभाषण में पढ़ा कि बहुत सी योजनाओं को लागू करने की सरकार सोच रही है और इस कोशिश में हम जरूर कामयाब होंगे। हमने लोकपाल बिल तो इस सदन से पारित कर दिया है, लेकिन देशवासियों के मन में यह प्रश्न है कि यह कब लागू होगा और कैसे लागू होगा। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए कार्य करना होगा और सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है।

सरकार ने कोशिश की है कि वर्ष 2012-13 में करीब पांच हजार कौशल विकास केन्द्र बने। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की यह योजना अगर अच्छी तरह से लागू की गयी तो इक्कसवीं सदी में लोगों को जिस चीज की जरूरत है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी। वर्ष 2011-12 के दौरान हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। उसकी तुलना में हमने दस से चालीस फीसदी वृद्धि की है। मुझे

लगता है कि यह हमारे सभी देशवासियों के लिए अच्छी बात है। खासकर शहरी विकास के बारे में, मुझे खुशी है कि पिछले दो सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि जेएनएनयूआरएम स्कीम आगे चल कर भी लागू हो जाए। इस साल में भी उसके बारे में कहा गया है। मुझे निश्चित रूप से खुशी इस बात की है कि सरकार पूरे देश के बारे में सोचते वक्त जो शहरी जिले और शहरी गांव हैं, वहां जो गरीबी बढ़ रही है, उसके बारे में भी सोच रही है। मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा कि वह इसके बारे में सोच रही है। लेकिन, जहां तक आवास की बात है, पिछली बार सरकार ने आवास के संबंध में 250 वर्ग फीट से 260 वर्ग फीट की थी, इसको बढ़ाने की बात कही थी। मैं चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी और शहरी इलाके में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से यह बात फायदेमंद होगी।

सरकार ने छोटे-छोटे शहरों, खासकर बीस लाख की आबादी वाले शहरों को मेट्रो से जोड़ने की बात कही है। मैं कहना चाहूंगा कि आगे इसके बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है क्योंकि कुछ ऐसे गांव हैं जो जल्दी-जल्दी शहर बन रहे हैं और कुछ ऐसे शहर हैं जिनका बड़े शहरों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र में ठाणे जिला सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला बना है। मैं कहना चाहूंगा कि इस बारे में आगे आने वाले पच्चीस सालों की सोच कर हमारी सरकार को इस परियोजना को लागू करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी।

रियल स्टेट के क्षेत्र में सरकार ने इस साल कुछ नए सुझाव रखे हैं। खासकर जब एफएसआई के बारे में जब बात होती है तो इस पर अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग राय है। मैं चाहता हूं कि इस विषय में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे और एक ठोस योजना हम लाएंगे तो निश्चित रूप से इसके अंतर्गत आने वाले शहरों को इससे फायदा होगा। खासकर, जिन गांवों में सुविधाओं का अभाव है, उनके बारे में सरकार ने इस साल तो सोचा है। आने वाले साल की बजट सरकार रखने वाली है। पता नहीं उसमें क्या-क्या होने वाला हैं, लेकिन सरकार इस साल के बजट में इन सभी प्रावधानों को रख कर देश को आगे लाने की कोशिश करेगी। मैं एन.सी.पी. पार्टी की ओर से सरकार को पूरा भरोसा दिलाता हूं कि हम और मजबूती से देश को विकसित करेंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे।

आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.) : धन्यवाद, सभापति महोदय। पूरे देश की निगाहें बजट सत्र पर थीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से हमें पता चलता है कि सरकार क्या सोच रही है और क्या उसने पिछले पांच-सात सालों में किया है। मुझे लगा कि शायद चुनाव परिणाम सरकार की आंखें खोलेंगे, लेकिन वह खुली नहीं। आप राष्ट्रपति जी के पिछले कुछ सालों के अभिभाषण को उठा कर देखें तो वह कागजों तक ही सीमित हो कर रह गई हैं। इसमें 65 प्रतिशत बातें ऐसी हैं जो किताबों और उन कागजों से बाहर नहीं निकल पाईं, उन पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी ने कभी गर्व के साथ यह नहीं कहा होगा कि मेरी सरकार ने यह कहा है। उन्हें मजबूरी में सरकार ने जो लिखकर दिया, वह पढ़ने के लिए पढ़ना होगा। लेकिन, सच्चाई यह है कि आज इस देश का आम आदमी त्रस्त है। जो पांच राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें धरातल पर इनकी जो हालत है, वह देश की जनता ने इन्हें दिखायी है। एक-एक केन्द्रीय मंत्री ने प्रयास किया कि देश को बांटा जाए। चाहे करप्शन की बात हो। चाहे संवैधानिक संस्थाओं की बात हो, उसकी धज्जियां उड़ाने तक का प्रयास किया तो केन्द्रीय मंत्रियों ने किया है। उन्होंने बाद में चाहे माफी मांग ली हो, लेकिन उससे भी जनता ने वोट नहीं दिए। जनता जागरूक हो गई है। काम करके देना पड़ता है, 211 से कुछ होने वाला नहीं, 26 सीटें ही आएंगी। क्या अभी भी नहीं जागोगे? रेलवे बजट आता है और शाम को रेल मंत्री जी के इस्तीफे की बात होती है। क्या इस तरफ देश को जाना है? हमें संसद में यह बात तय करनी है कि इस देश को किस दिशा में लेकर जाना है। सदन की एक वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिजा व्यास जी ने अपने भाषण में जब यहां कहा, मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहां बैठा था। एक महिला होने के नाते शायद राष्ट्रपति जी जो नहीं कह पाईं, गिरिजा जी वे बातें कहेंगी। यूपीए की चेयर परसन यहां बैठी हुई थीं। काश, इन्होंने कहा होता कि देश में 70 फीसदी महिलाएं एनिमिक हैं। हमारी सरकार यह करने वाली है, यह बात नहीं आई। यह कहा होता कि 50 परसैंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, हमारी सरकार यह करने वाली है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। केवल राइट टू एजुकेशन बिल लाने से कुछ नहीं होगा, सरकारों पर थोपने से, संघीय ढांचे को तोड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको सरकारों से बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके प्रदेश उत्तराखंड में आज हालत है कि ऊपर से लाकर नेता बैठा दो, नीचे कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसी हालत आज देश में होने वाली है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम जब विदेशों में जाते हैं तो वहां हमसे सब लोग पूछते हैं कि भारत में क्या होने वाला है। क्या आप करप्शन पर कोई कदम उठाने वाले हो, मैं उनसे क्या कहूं कि हमारी जो सत्ता पक्ष की पार्टी

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

है, वह राज्य सभा में मध्य रात्रि में उल्टे पांव भाग लेती है। वहां पर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि आप ही बता दीजिए देश को किस तरफ जाना है। मैं तो एक छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का धन्यवादी हूं, इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू–कश्मीर में नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार थी। केवल प्रेम कुमार धूमल जी के कहने पर भाजपा की सरकार को नहीं दिया, तीनों राज्यों को एक बराबर दस वर्ष के लिए दिया था। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने यहां आने के बाद उसे कम करके दस वर्ष से चार वर्ष कर दिया। हम विपक्ष में थे, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वे नहीं बोले, हम विपक्ष में रह कर बोले। प्रदेश की लड़ाई लड़ी, चार से सात वर्ष किया, फिर भी उसे कम कर दिया। क्या इस तरह से सरकारें चलती हैं? देश क्या कोई केवल देश की सरकार चलाएगी, कि प्रदेश चलेंगे। आप आंकड़े उठा कर देखिए कि कौन से राज्य आगे बढ़ रहे हैं। पहले दस में से अगर सात राज्य आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य आएंगे। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में लगातार दो वर्ष हिमाचल प्रदेश पहले नम्बर पर आया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब रेलवे बजट की बात आती है तो पिछले 64 वर्षों में केवल 44 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई जाती है। प्रधानमंत्री जी दो वर्ष पहले कहते हैं कि लेह तक रेलवे लाइन बननी चाहिए, हजारों–करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए। पिछले दो वर्षों में आप एक रुपया तक भी खर्च नहीं करते। यह मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। अगर भोला सिंह जी ने कह भी दिया, प्रोक्सी प्रधानमंत्री, तो मैं कहना चाहता हूं कि उस शब्द को काटना नहीं चाहिए, उसको रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी के कहने पर देश में कुछ नहीं होता है तो किस के कहने पर होता है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। क्या पहाड़ी राज्य के लोग सीमा पर अपनी केवल जान देने के लिए बने हैं। लेकिन जब सेना में भर्ती की बात आती है तो केन्द्र सरकार तय कर देती है कि जिस प्रदेश में जितनी जनसंख्या होगी, उसके आधार पर सेना में भर्ती की जाएगी।

सभापति महोदय, आप भी पहाड़ी राज्य से आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा क्या कसूर है? हम वनों एवं देश की रक्षा करते हैं और हमें बदले में यह मिलता है कि हमारे नौजवानों को सेना में भर्ती करने के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। वन रैंक, वन पेंशन के नाम पर सरकार पिछले कई वर्षों से कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या सरकार कुछ करने के पक्ष में है या नहीं, यह मैं इनसे जानना चाहता हूं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अगर देश में सात वर्षों में दो लाख किसानों ने आत्महत्या की है, महाराष्ट्र और आंध्र के किसानों ने आत्महत्या की है तो केन्द्र की सरकार ने क्या कर लिया। पिछले चुनाव से पहले 70 हजार करोड़ बांट दिए, लेकिन आज हमारे वहां पर सेब होता है, आपके यहां पर सेब होता है और आज सेब चाइना से इम्पोर्ट किया जाता है। हमारा किसान भूखा मर रहा है। उस किसान का क्या करें, वह कहां जाएगा। ओलावृष्टि होती है, क्या किया जाएगा।

अपराह्न 5.00 बजे

क्या सरकार कोई कदम उठाने के लिए तैयार है? अगर रेलवे में कुछ नहीं दिया, आप भी पहाड़ी राज्य से हैं, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि नेशनल हाइवे 1470 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में है, वहां पर भाजपा की सरकार है तो आपने जीरो बजट दिया है, आपने एक पैसा देने की बात नहीं कही कि उस 1470 किलोमीटर सड़क का रख–रखाव कैसे करेंगे? प्रदेश सरकार ने कहा कि चालीस करोड़ रुपए चाहिए, आपने एक रुपए देने से भी इनकार कर दिया, क्या इस तरह से पक्षपात होगा? केन्द्र की सरकार चीफ सेक्रेटरीज को, डीजीपी को बुलाती है और कहती है कि स्टेनोग्राफर मत बन जाइए। मैं आपसे पूछता हूं कि कैबिनेट सेक्रेटरी क्या यह कहेंगे कि स्टेनोग्राफर मत बन जाइए? मंत्री महोदय, बताइए कि आपके नीचे जो अधिकारी काम करते हैं, क्या वह स्टेनोग्राफर हैं? कौन सरकार चलाएगा, आप चलाएंगे या अधिकारी चलाएंगे? यह कैबिनेट सेक्रेटरी वहां जाकर बोलेंगे कि प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी स्टेनोग्राफर न बन जाएं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? कम्युनल वायलेंस बिल आप लाते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, धार्मिक आरक्षण आप लाते हैं, एनसीटीसी आप लाते हैं, आपकी अपनी सरकारें नहीं मानती हैं और आप थोपने का प्रयास करते हैं। इस तरह की राजनीति इस देश में की जा रही है।

सभापति महोदय: कृपया संक्षिप्त करिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदय, मैं केवल दो मिनट और लूंगा। कोलडेम वर्ष 2000 में बनना शुरू हुआ। हमारी सरकार चली गयी, पिछले बारह वर्षों से केन्द्रीय मंत्री बार–बार खड़े होकर यहां कहते हैं कि हम बिजली के और ज्यादा प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, उसका और

अधिक प्रोडक्शन करेंगे, जबकि 12 वर्षों से 800 मेगावॉट का वह प्रोजैक्ट नहीं बना। विस्थापितों की वहां क्या हालत है, इसकी जांच की जाए। उनकी बहुत बुरी हालत है। जम्मू-कश्मीर के लिए हजार करोड़ रुपये सोलर प्लांट लगाने के लिए दिए जाते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं दिया जा सकता, उत्तराखंड के लिए नहीं दिया जा सकता?

[अनुवाद]

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : जम्मू और कश्मीर का एक विशिष्ट स्थान है....*(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मुझे मालूम है कि इस राज्य का एक विशेष स्थान है। *[हिन्दी]* मैं पंडित नेहरू जी की बात यहां छेड़ना नहीं चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि इस आर्टिकल को जल्द से जल्द विदड्रा किया जाए। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि वहां पर आर्टिकल 370 लगा हुआ है। देश के हजारों करोड़ रुपए वहां पर खर्च किए जाते हैं। ...*(व्यवधान)* हमने कभी विरोध नहीं किया। हमने कभी कश्मीर के नाम पर विरोध नहीं किया। ...*(व्यवधान)* उसे देश का एक हिस्सा माना है, लेकिन आपने इसको देश से अलग करके दिखाया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने और देश के पहले प्रधानमंत्री ने वह करके दिया है।

सभापति महोदय: समय कम है, जल्द समाप्त करिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : महोदय, हिमाचल प्रदेश में मांग की गयी कि शिमला के अलावा बहुत दूर-दूर से कोर्ट के केस लड़ने के लिए शिमला जाना पड़ता है। कांगड़ा में हाई कोर्ट की एक बेंच खुलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने यह कहते हुए इसको मना कर दिया कि हाई कोर्ट नहीं मानेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहाड़ों में ढाई सौ किलोमीटर दूर से जब चंबा से चलकर शिमला लोग आते हैं तो हजारों रुपए किराया खर्च करके आते हैं, उसके लिए एक बेंच और खोल देंगे तो क्या वह सही नहीं है?

महोदय, केवल दो बातें और कहते हुए अपनी बात को मैं समाप्त कर रहा हूं। काले धन की बात और करप्शन की बात राष्ट्रपति जी ने अपनी बात के शुरूआती शब्दों में कही। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी यह बात बार-बार कही जाती है, लेकिन टूजी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, गेम्स, आदर्श हाउसिंग, एनटीआरओ, इसरो, एसबैंड जैसे कितने घोटालों के नाम मैं आपको गिनाऊं, किसके ऊपर क्या कार्रवाई हो पाई है? हमारे केन्द्रीय मंत्री जीरो लॉस की बात कहते हैं। इसका मतलब सरकार उसको ढकना चाहती है, कुछ करना नहीं चाहती है। लोकपाल बिल की बात आती है, आप राज्य सभा से उठ भाग खड़े हो जाते हैं। देश की जनता देखती रहती है, देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। राष्ट्रपति जी के माध्यम से ईमानदार सरकार कहने से यह सरकार ईमानदार नहीं होगी। ईमानदार तब होगी, जब डॉ. शशि थरूर और गिरिजा जी कहतीं कि हां, हमारी सरकार के समय घोटाले हुए, हमारी सरकार के समय किसानों ने आत्महत्या की, हमारी सरकार के समय करोड़ों बच्चे भूख से मरते हैं, लेकिन हम उनके लिए करेंगे, लेकिन वह नहीं कहा, उनका दर्द नहीं सहा, केवल एक राजनीतिक भाषण करके छोड़ दिया।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्हें इस कुंभकरणीय नींद से जगाइए। देश त्रस्त है। दुनिया भर की कंपनीज यहां इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन इस सरकार के रहते हुए नहीं कर सकतीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद होने के कगार पर आ गया है। अंत में केवल इतना कहते हुए कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि यह सरकार जागेगी और देश के लिए कुछ करेगी।

[अनुवाद]

★श्री ओ. एस. मणियन (मईलादुतुरई) : सभापति महोदय, वाणक्रम। वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्रस्तुत करने हेतु बुलाए गए 15वीं लोकसभा के इस सत्र का आरंभ करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और अब सभा को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करनी है। मुझे खुशी है कि अ.भा.अ.द्र.मु.क. की ओर से इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है।

भारत एक घनी जनसंख्या वाला देश है। यहां विशाल मैदान हैं, बड़े-बड़े समुद्र हैं और ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं। यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है। तथापि स्वतंत्रता के 64 वर्षों बाद भी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है। विकास और विकास की कमी दोनों ही स्थितियां हैं। यह विशाल अंतर ऊंचे पहाड़ और गहरे समुद्र जैसा है।

हम अभी भी आर्थिक संपन्नता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, भोजन, कपड़ा, आवास और रोजगार के अवसर जैसी

★मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

[श्री ओ.एस. मणियन]

समस्याओं से संघर्षरत हैं। काला धन, जमाखोरी और भ्रष्टाचार जैसी बुराईयां राष्ट्र के विकास में बाधा डाल रही हैं। तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एम. जी रामचंद्रन अर्थात एम.जी.आर. ने अपनी एक फिल्म में यह गाना गाया था कि कानूनों के माध्यम से चोरी रोकने के प्रयासों के साथ-साथ ठगी और धोखाधड़ी तभी रोकी जा सकती है जबकि ठग या धोखेबाज का हृदय परिवर्तित हो।

आज आंतरिक और बाह्य सुरक्षा खतरे में है। उग्रवाद या आतंकवाद को शुरूआत में ही कुचल देना चाहिए। अपनी युवा शक्ति की सही पथ पर अग्रसर करके और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करके तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देकर हम अपने देश के लिए एक नए युग का सूत्रपात सुनिश्चित कर सकते हैं।

अपराध दिनों दिन बढ़ रहे हैं। बार-बार अपराध करने वाले खतरनाक अपराधी बनते जा रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है कि जो लोग आपराधिक गतिविधियों में पुनः लिप्त हो रहे हैं उनमें से अधिकांश युवा हैं। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना होगा।

किसानों की स्थिति पहले से भी अधिक खराब होती जा रही है। नदी जल विवादों, बिजली की कमी, उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाएं, मौसम में आने वाले बदलावों तथा विफल मानसून, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभाव आदि का किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और हमें इनका उचित हल ढूंढना ही होगा।

यह निराशाजनक बात है कि किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों में वृद्धि हो रही है। हमें इस स्थिति पर काबू पाना होगा।

बुनकर भी कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हथकरघा बुनाई विलुप्त होने के कगार पर है। हथकरघा उद्योग में सहकारी ऋणों को माफ करने की मांग काफी समय से लंबित है। केंद्र सरकार केवल कह रही है और वास्तव में कोई घोषणा नहीं की गई है तथा ऋण अभी माफ किया जाना बाकी है। रेशम के धागे की कमी संबंधी समस्या का भी समाधान किया जाना बाकी है। जरी के मूल्य में भी लगातार वृद्धि हो रही है। उचित मूल्य नियंत्रण संबंधी कोई तंत्र नहीं है। विद्युत करघा और हथकरघे के बीच मुकाबला है और विद्युतकरघा हथकरघे को खत्म कर रहा है। इससे हथकरघा बुनकरों को कठिनाई हो रही है। मेरा केंद्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह हथकरघा बुनकरों के संरक्षण हेतु एक व्यावहारिक नीति बनाए।

गरीब मछुआरों की जीवनयापन स्थिति भी अनिश्चित है। उनके पास सामाजिक सुरक्षा कवर नहीं है। यद्यपि अज्ञानतावश यदि वे खुले समुद्र में सामुद्रिक सीमा रेखा के भीतर भटक जाते हैं तो आक्रमण करके उनकी नृशंसहत्या कर दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में यह विहित है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। विश्व भर में यही प्रथा है। किंतु दुर्भाग्यवश श्रीलंकाई सुरक्षाबल तमिलनाडु के भारतीय मछुआरों को देखते ही गोली मार देते हैं। उन पर बर्बरतापूर्वक हमला किया जाता है। उनकी नौकाएं जब्त कर ली जाती है। उन्हें पानी में धकेल दिया जाता है। वे उनकी संपत्ति पर कब्जा लेते हैं और उन्हें समुद्र के बीचोंबीच नंगा छोड़ देते हैं। यह अत्याचार निर्बाध रूप से जारी है। मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढे।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कुमारी जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से तथा पत्रों के माध्यश्म से राष्ट्रीय ग्रिड से तमिलनाडु के लिए हजार मेगावाट विद्युत जारी करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से तमिलनाडु की गरीब जनता को वितरित करने हेतु केरोसीन के अतिरिक्त कोटे और तमिलनाडु के वित्तीय संकट को दूर करने हेतु एक विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया था। दुर्भाग्यवश, अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और तमिलनाडु के अनुरोध पर विचार करें।

श्रीलंका की तमिल जनता के प्रति युद्ध अपराध, मानवाधिकारों के उल्लंघन और हजारों तमिलों की नृशंस हत्या की समस्त विश्व समुदाय द्वारा भर्त्सना की जा रही है। मैं नहीं जानता कि हमारी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मैं इस नकारात्मक सोच को समझने में असमर्थ हूं। भारत द्वारा अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग द्वारा जेनेवा में प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन किया जाना चाहिए। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह संकल्प के पक्ष में मतदान करे।

तमिलनाडु एक ही समय में बाढ़ और सूखे का सामना कर रहा है। केंद्र को राहत कार्य करने हैं। यह उचित समय है जब हमें नदियों को परस्पर जोड़ने के बारे में कोई निर्णय लेना है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में हस्तक्षेप किया है किंतु सरकार ने अभी तक न तो कोई उत्तर दिया है और न ही कोई समाधान सुझाया है। मैं केंद्र सरकार से इस संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं।

भारत अब एक शक्ति के रूप में विश्व के अन्य देशों के साथ

प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब भारत हथियारों के मामले में भी अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। वह बुद्धिमता, प्रतिभा और कौशल के मामले में किसी से कम नहीं है। जब विकसित देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। जब हमने ऐसी छाप छोड़ दी है तो यह अनिवार्य है कि हम गरीबी पर काबू पाएं, बीमारियों को दूर करें और देश के भीतर तथा बाहर के उग्रवाद का खात्मा कर दें। हमें प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री पी. कुमार** (तिरूचिरापल्ली) : राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण देने और उस पर चर्चा करने की वार्षिक परंपरा जारी है। यह मुख्यतया सरकार द्वारा नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने का प्रदर्शन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ष के इस अभिभाषण में हमारे किसानों या वस्त्र क्षेत्र अथवा शिक्षित बेरोजगारों की दशा सुधारने की कोई रचनात्मक योजना का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे समय में जब किसानों को अपनी फसल का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है तब सरकार को रियायती दर पर उर्ववकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। आप यह दावा कर रहे हें कि आप कपास-उत्पादकों की सहायता कर रहे हैं आप कपास के निर्यात की अनुमति दे रहे हैं जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सरकार द्वारा कपास के निर्यात की अनुमति देने से कपास-उत्पादकों को नहीं अपितु बिचौलियों को लाभ हो रहा है। इसका लाभ कपास के व्यापारी उठा रहे हैं। इससे हमारे वस्त्र क्षेत्र पर प्रभव पड़ रहा है। वस्त्र क्षेत्र के हमारे कामगारों और कपास उत्पादकों को केवल तभी लाभ होगा जब हम कपास से सूत बनाएंगे और उससे कपड़ा और परिधान बनाकर उनका निर्यात करेंगे। केवल इससे ही वस्त्र क्षेत्र के हमारे लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ सकती है। जिस प्रकार बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा सकती है उसी प्रकार बड़े उद्योग छोटी औद्योगिक इकाइयों को समाप्त कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों की उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इससे लघु उद्योग प्रभावित होते हैं।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे शिक्षित बेरोजगारों के स्व-रोजगार हेतु कोई प्रोत्साहन योजना नहीं चलाई गई है। व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

हमारे देश में भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं। यद्यपि हम अनेकता में एकता के साथ रहते हैं फिर भी यह खतरा बना रहता है कि राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे पर विवाद हो सकता है। देश की नदियों को परस्पर जोड़ने के द्वारा ही इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है। इससे हम कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश इस अभिभाषण में ऐसी किसी विशेष योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।

तमिलनाडु भारत का एक राज्य है। दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने प्रधानमंत्री से तमिलनाडु की 'तेन' से प्रभावित जनता के लिए अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति, अतिरिक्त राशि, अतिरिक्त केरोसीन आपूर्ति तथा उनके पुनर्वास हेतु विशेष पैकेज देने का अनुरोध किया था। अभी तक केंद्र से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। जो यह दर्शाता है कि केंद्र लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने की भर्त्सना की जानी चाहिए।

कई देशों के साथ संबंध सुधारने के संबंध में कई तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं। हमें पड़ोसी देश चीन की कार्रवाई पर पैनी नजर रखनी होगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी उत्तरी सीमाओं को चीन से खतरा है। हमारे पश्चिम में भी चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों से खतरा बना हुआ है। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि चीन श्रीलंका से भी नजदीकियां बढ़ा रहा है कि भविष्य में श्रीलंका भी भारत के खिलाफ हो सकता है यद्यपि इस समय वह हमारा मित्रवत देश है।

हमें इस समाचार को संदेह की दृष्टि से देखना होगा कि चीन केचेथीवु में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। जिससे भविष्य में हमारे हितों पर खतरा पड़ सकता है। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या श्रीलंका हमारा मित्र देश है अथवा नहीं। अतः मेरा केंद सरकार से यह अनुरोध है कि वह कचेथीवु को पुनः प्राप्त करने हेतु उचित कदम उठाए। हमें श्रीलंका की सरकार जिसने निर्दयता से निर्दोष श्रीलंकाई तमिल का नरसंहार करके युद्ध अपराध किया है, के विरूद्ध उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अतः भारत को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग द्वारा जेनेवा में प्रस्तुत किए गए श्रीलंका विरोधी संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

मेरा केंद्र सरकार से यह अनुरोध है कि वह तमिलनाडु के विरूद्ध अपने सौतेला बर्ताव को बंद करे और प्रदेश की उन्नति के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति और राशि जारी करे।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी. कुमार]

श्री एन. पीताम्बर कुरुप (कोल्लम) : आदरणीय सभापति महोदय, 12 मार्च, 2012 को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर इस धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, संप्रग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में संप्रग सरकार पंद्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल के उत्तरार्ध में पहुंच चुकी है।

मुझे यह कहते हुए अत्यधिक गौरव का अनुभव हो रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल और अनिश्चितता होने के बावजूद 2010-11 के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था 8.4 प्रतिशत की मजबूत दर से विकसित हुई। हमारी सरकार को यह विश्वास है कि देश की अर्थव्यवस्था 8 से 9 प्रतिशत की उच्च विकास दर से बढ़ेगी। हमारी सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों जैसे लोकहित प्रकटन और प्रकटन करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण विधेयक, विदेशी लोक पदधारी और अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन पदधारी रिश्वत निवारण विधेयक, न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक और लोकपाल विधेयक पुरःस्थापित करने में सफल रही है।

भारत ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध राष्ट्र अभिसमय का भी अनुमोदन किया है। हमारी सरकार लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करना त्वरित और व्यापक विकास के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना और लोगों के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करना; ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना; परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा प्राप्त करना और एक धर्म-निरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के लिए आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की गारंटी देना जैसी पांच चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैं संप्रग सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसका उद्देश्य 2012-13 के दौरान 85 लाख लोगों तथा बारहवीं योजना के दौरान 800 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का है। सरकार का 13,000 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 5000 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करने का विचार है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जवाहर लाल नेहरू, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे अग्रणी कार्यक्रमों से सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने और लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता मिली है। मनरेगा योजना आरंभ होने के पश्चात लगभग 1100 करोड़ श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है और इस संबंध में 1,48,000 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से निर्धन ग्रामीण परिवारों को सतत आधार पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा परित किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सांविधिक ढांचा प्रदान करेगा।

आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास की दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं। गत वर्षों में 3300 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एकीकृत कार्य योजना से देश के सर्वाधिक पिछड़े और हिंसा प्रभावित जिलों के गांवों का विकास हुआ है।

हथकरघा बुनकरों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार ने हाल ही में हथकरघा बुनकरों और उनकी सोसाइटियों के ऋण को माफ करने के लिए 3884 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। बुनकरों को सस्ता ऋण और सस्ती दरों पर धागा प्रदान करने के लिए 2362 करोड़ रुपयों के एक व्यापक पैकेज की भी घोषणा की है।

महोदय, मैं सरकार से मेरे राज्य केरल से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। केरल देश का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। रबर के उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोल्लाम, पुनालुर में एक रबर पार्क विकसित किया जाना चाहिए। केरल में काजू श्रमिकों हेतु एक वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए। केरल देश का काजू उत्पादक राज्य है। इस क्षेत्र में तीन लाख से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं।

मछुआरे जिनको समुद्र में बहुत सी चुनौतियों जैसे हत्याएं, जान लेवा हमलों या अन्य प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, के जीवन की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए।

हाल ही में आपने यह समाचार सुना होगा कि एक पोत केरल के तट, अर्थात् पूर्वी अलपुझा क्षेत्र में घुस गया और उसमें सवार लोगों ने गोलीबारी करके कुछ निर्धन मछुआरों की हत्या कर दी।

केरल में कुट्टानाड के विकास हेतु पूर्व में घोषित वित्तीय पैकेज को तुरंत लागू किया जाए।

कर्ज के बोझ से दबे परिवारों के बच्चों को दिए गए शैक्षिक ऋण पर ब्याज को माफ किया जाना चाहिए।

चूंकि केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत सुदृढ़ और पारदर्शी है अतः केरल को और अधिक चावल और गेहूं का आवंटन किया जाना चाहिए।

केरल में एक आई आई टी की स्थापना की जानी चाहिए। इस बारे में कुछ हो रहा है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। केरल में एक्स के स्तर के एक अस्पताल की स्थापना की जानी चाहिए। केरल के सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लाभार्थ केरल में दो और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

यद्यपि, केरल के सामाजिक का स्वास्थ्य सूचकांक में काफी प्रगति हुई है, तथापि, नियमों में संशोधन करके केरल को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

भारत सरकार को देश की निर्धन विधवाओं हेतु एक आवास कार्यक्रम आरंभ करना चाहिए।

महोदय ये सब बातें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री प्रेम दास राय (सिक्किम) : धन्यवाद सभापति महोदय। मैं संसद के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

मैं दो या तीन बातों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। उनमें से एक है डिजिटल संपर्कता से जुड़ा मुद्दा है। मौजूदा समय में सरकार ने डिजिटल संपर्क सुविधाओं का विस्तार किया है परंतु, जहां तक उत्तर पूर्व क्षेत्र का संबंध है मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां इन सुविधाओं की स्पष्ट रूप से कमी है। अतः वहां इस समय सुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि यह पर्वतीय और दूरदराज क्षेत्र हैं, और बस्तियों की आबादी कम है, और वहां शीघ्र संपर्क सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ताकि इनमें से अधिकांश क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित किया जा सके। मैं इस संबंध में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हाल ही में मैं सत्र आरंभ होने से पहले नागालैंड गया था। मुझे उस क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मिलने का सौभाग्य मिला उनमें से कुछ लोग म्यांमार सीमा पर रहते हैं और मुझे यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के युवाओं को यह तक नहीं पता था कि वे भारत के निवासी हैं, संप्रभु राष्ट्र भारत के नागरिक हैं या म्यांमार के। उस पूरे क्षेत्र में भारत सरकार का कोई प्रशासनिक तंत्र या प्रशासन मौजूद नहीं हैं। वहां बड़े पैमाने पर ऐसे युवा लोग हैं। जिनका हमारे देश से कोई संबंध नहीं है और यह बहुत गंभीर विषय है।

यद्यपि, हम यह दावा करते हैं कि उत्तर पूर्व में विद्रोह और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है और यह बात सही है परंतु, मेरा मानना है कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन दूरदराज के क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंच सके। इसके लिए मैं यह मानता हूं कि डिजिटल संपर्क से बेहतर कोई और माध्यम नहीं हो सकता।

आजीविका के मामले में, मैं आपको पुनः यह बताना चाहता हूं कि मैं वहां उस क्षेत्र के कुछ युवा लोगों से बातचीत करने के लिए गया था। मुझे वहां दो बातों पर आश्चर्य हुआ। पहली बात यह है कि नागालैंड के मुख्य मंत्री श्री रियो ने युवाओं को अपना व्यवसाय लगाने के लिए ऋण के रूप में वितरित करने हेतु एक एनजीओ को 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं। मेरे विचार से यह पूरा मुद्दा इस बात से जुड़ा हुआ है कि बैंक ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं। पूछताछ करने पर मुझे यह पता चला कि नागालैंड का नकदी जमा (सीडी) अनुपात वस्तुतः 30 के आसपास है। मेरे अपने राज्य में सीडी अनुपात 35 के लगभग है। अतः, यहां यह बात सामने आ जाती है कि पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में बैंक आम जनता तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं।

हम यह पाते हैं कि हमारी विरासत, हमारे प्राचीन इतिहास के कारण हमारे आज के युवा लोग जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं – हमसे बहुत आगे हैं और उनकी आकांक्षाएं बहुत अधिक हैं। मेरा मानना है कि हमें वित्तीय समावेश और बैंकिंग प्रणाली के साथ समावेश करने की आवश्यकता है जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है।

महोदय, मैं इस संबंध में विशेष रूप से इस मुद्दे पर बल देना चाहता हूं।

पर्यटन क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। सभापति महोदय, क्योंकि आप स्वयं पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्व क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकीय पर्यटन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैविक प्रणाली से जैविक कृषि की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

[श्री प्रेम दास राय]

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चे से है : हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि एन सी टी सी को उस तरीके से लागू किया जाए जैसे कि उसे वर्तमान में किया जा रहा है। परंतु, हम भारत सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में उन्हें और अधिक भागीदारी की मांग करनी चाहिए क्योंकि हम सबको आंतरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जानकारी है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अभिभाषण के लिए भारत के राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं।

डॉ. तरूण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

महोदय, उन्होंने हमारे देश की बहुत अच्छी तस्वीर पेश की है परंतु वस्तुस्थिति इसके एकदम विपरीत है। पूंजीवादी राजकोषीय और आर्थिक नीतियां अपनाने के कारण देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई में वृद्धि हुई। देश में बहुत बेरोजगारी है। अनेक उद्योग और कारखाने बंद हो गए हैं। कई लाख किसानों ने आत्महत्या की है। देश के लगभग 25 करोड़ लोग रोज भूखे पेट सोते हैं। अतः, ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिए। राजकोषीय नीतियां केवल उद्योग जगत या कारपोरेट जगत के अनुकूल ही नहीं होनी चाहिए। अपितु, वे आम जनता के अनुकूल भी होनी चाहिए और वस्तुतः लोकोन्मुखी नीतियों के माध्यम से लोगों के जीवन की वास्तविक मांगों को पूरा किया जाना चाहिए।

अपराह्न 5.18 बजे

(श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*)

महोदया, कल ही संसद मार्ग पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था। पूरे देश से 50,000 से अधिक लोगों ने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने; लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं के मामले में सरकार द्वारा पूर्ण राज व्यापार किए जाने; विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल क्षेत्र का निजीकरण न करने; एफडीआई की अनुमति न देने की मांग करते हुए इस प्रदर्शन में भाग लिया। लोगों ने महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने की भी मांग की।

महोदया, इस प्रदर्शन का आयोजन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) पार्टी द्वारा किया गया था और उन्होंने पूरे देश से लिए गए 3.57 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर प्रधान मंत्री को सौंपे जिसमें एकमत से इस देश की मौजूदा निराशाजनक स्थिति को बदलने की मांग की गई थी।

महोदया, विशेषरूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जिनका राष्ट्रपति के अभिभाषण में समुचित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 64 वर्षों बाद भी किसी भी क्षेत्र के लिा हमारे राष्ट्रीय बजट का 10 प्रतिशत भाग भी आवंटित नहीं किया गया है, जैसा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में क्रमशः जोसफ बोहरे समिति और मुदालियार समिति का विचार था।

उत्तर प्रदेश में जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) की एक के बाद एक हत्या होने से विशेष रूप से, स्वास्थ्य क्षेत्र में एन आर एच एम घोटाला, राष्ट्र के लिए एक शर्म का विषय बन गया है विभिन्न समाचार पत्रों में इस प्रकार की रिपोर्टें आई हैं कि पुरुषों को भी जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें किसी एक आदमी को बच्चे के जन्म के लिए दो बार धनराशि दी गई है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस प्रकार चल रही है और नौकरशाही किस प्रकार कार्य कर रही है।

महोदया, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार नाममात्र बनकर रह गया है। जब तक आप समुचित धनराशि आवंटित नहीं करते और अवसंरचना का विकास नहीं करते तब तक बलपूर्वक किसी छात्र को स्कूल नहीं ला सकते। यह बिल्कुल संभव नहीं है। अतः इन कारणों से समुचित अवसंरचना, शिक्षण सुविधाओं और अध्यापकों को रोजगार दिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

महोदया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है जो कि तेजी से बढती कीमती के भार तले दबे हमारे निर्धन लोगों पर और भार डाल रहा है।

इसके अतिरिक्त आधार कार्ड और विशिष्ट पहचान संख्या संबंधी परियोजनाएं हमारे नागरिकों के लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों का अतिक्रमण कर रही हैं। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसे सरकार ने जिस रूप में आरंभ किया है वैसे नहीं जारी रखा जा सकता।

महोदया, हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति पर विचार करते हुए,

सरकार द्वारा हाल ही में ईरान के मुद्दे पर लिए गए निर्णय का समर्थन किया जाना चाहिए। अमरीकी साम्राज्यवादी जैसा कोई देश ईरान, उत्तरी कोरिया या किसी अन्य देश की संप्रभुता पर दबाव नहीं डाल सकता, या अपनी मंशा और बाजार आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें अपने अधीन नहीं कर सकता।

महोदया, हमारे देश का विद्युत क्षेत्र बहुत संकट में है। हमारे पास ईधन के पर्याप्त भंडार हैं। लोगों को विद्युत प्रदान करने के नाम पर परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में मैं इस सभा में यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में कुछ एनजीओ के बारे में एक वक्तव्य दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण और अनावश्यक था। जी हां मैं यह बात मानता हूं कि कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो हमारे लोगों के जीवन और संपत्ति से खिलवाड़ कर रहे हैं; उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। परंतु, कुडनकुलम आंदोलन चला रहे एनजीओ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने उस स्थान का दौरा किया है और वहां एक रैली को संबोधित किया है। मैंने उस परियोजना से प्रभावित आम लोगों की स्थिति को देखा है। एनजीओ पर मनमाने तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

महोदया मेरा अंतिम मुद्दा नदी परियोजना से संबंधित है। उदाहरण के लिए तिपाईमुख डैम, फरक्का बराज तीस्ता परियोजना आदि ऐसी कुछ नदियां हैं जो अनेक देशों से गुजरती हैं। भारत सरकार के द्वारा परियोजनाएं तैयार करते समय अंतर्राष्ट्रीय मानक और मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। इन देशों के लोग जो कि पहले से ही पीड़ित हैं उन्हें और पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री मानिक टैगोर** (विरूद्धनगर) : मैं दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे हमें यह समझने का अवसर मिला है कि 15वीं लोकसभा के मध्य में सरकार क्या सोचती है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं।

वर्तमान स्थिति में तमिलनाडु से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे– यूएनएचआरसी में अमरीका द्वारा प्रायोजित संकल्प और कुडनकुलम परमाणु परियोजना है। मेरा यह अनुरोध है कि भारत के लोगों को श्रीलंका में रहने वाले 30 लाख तमिलों का साथ देना चाहिए और उनके हित तथा उनके बच्चों के भविष्य का बहुत महत्व है और हमें उन्हें और अधिकार देने चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें यू एन एच आर सी में अमरीकी संकल्पना के समर्थन में मतदान करना चाहिए ताकि हम श्रीलंकाई तमिलों को अपना समर्थन दे सकें।

तमिलनाडु में विद्युत संकट बहुत अधिक है इसलिए हमें शीघ्र कुडनकुलम परियोजना को आरंभ करना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु में 8 से 10 घंटे बिजली नहीं होती और आजकल परीक्षा के दिनों में छात्रों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिह्न लगा हुआ है।

लघु और मध्यम उद्योगों के सामने बहुत सी समस्याएं आ रही हैं और उनमें से अधिकांश बंद होने की कगार पर हैं। विद्युत की समस्या से तमिलनाडु का विकास रूक जाएगा। इसलिए हमें शीघ्र कुडनकुलम परमाणु परियोजना को आरंभ करना चाहिए। इसके साथ ही मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर) : महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं अत्यंत संक्षेप में बोलूंगा। मेरा केवल ही मुद्दा है और वह है कैंसर रोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो गरीब मरीजों को अपेक्षाकृत अधिक बुरी तरह से प्रभावित करती है। इस संबंध में सरकार से मेरा निवेदन है कि वह तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उपकर शुल्क लगाने के साथ–साथ यदि हम कैंसर के इलाज के लिए उपकर भी लगा दें तो इससे गरीब मरीजों पर कैंसर का प्रभाव कम हो सकता है और हम क्षेत्रीय कैंसर संरचनाओं की स्थापना कर गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान में गरीब मरीजों को भी निजी अस्पतालों में ही इलाज कराना पड़ता है।

निःसंदेह, सदन में उपस्थित मेरे सभी साथी इस बात से अवगत हैं कि कैंसर एक असाध्य रोग है और हम सब इसके सामने विवश हैं। अतः यदि तंबाकू उत्पादों के केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर उपकर लगा दिया जाए, तो इससे बड़ी सहायता मिलेगी वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए उपकर एक प्रभावी माध्यम है।

अतः मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि इस पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाए। मेरे विचार से पहले ही काफी देर हो चुकी है क्योंकि आए दिन हजारों गरीब लोग कैंसर से मर रहे हैं।

[श्री अजय कुमार]

अब समय आ गया है कि हम उचित कार्यवाही करें। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार और आप सभी से इसे समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

*श्री जे. एम. आरुन रशीद (थेनी) : संसद सदस्यों को संबोधित राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आशा की एक नई किरण दिखाई देती है। पिछले तीन वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर थी। आर्थिक मंदी के दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़े। इसी कारण विकास की दूर दो अंकों में लाने के हमारे लक्ष्य में कमी की गई। इस वर्ष पूरे दृढ़ विश्वास से हमने 9 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। यइ इसलिए भी संभव है क्योंकि हमारी औद्योगिक विकास दर में पुनः सुधार हो रहा है।

पूरे विश्व में चल रही आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों के कारण हमारी सरकार भी कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है। इराक के पतन तथा अमरीका और नाटो देशों द्वारा इरान को दी जा रही धमकियों के कारण हमें अपनी तेल आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई आ रही है। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ें अत्यंत मजबूत हैं, अतः उस समय भी जबकि आर्थिक मंदी के कारण अमरीका सहित पूरे विश्व के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से संभाल पाए। किंतु आज रूपये के अवमूल्यन और तेल की कीमतों में वृद्धि का हमारी आर्थिक गतिविधियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी हमारे वित्तमंत्री जी ने एक सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण दिखाया है। इससे यही सिद्ध होता है कि संप्रग सरकार विशेष रूप से कांग्रेस नेताओं की नीतियां समावेशी वृद्धि के अनुकूल हैं।

मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने तथा देशव्यापी इस कार्यक्रम को सुचारू और सुदृढ़ करने के लिए किए गए सफल प्रयासों के लिए सरकार को बधाई देने के साथ–साथ मैं सरकार को सावधान भी करना चाहता हूं कि इस बात की निगरानी रखी जाए कि देश के सभी राज्यों में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन सही ढंग से हो। यह अति आवश्यक है विशेष रूप से ऐसे समय में जबकि हम खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित करने जा रहे हैं जो कि इस सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

सरकार समाज के वंचित वर्गों जैसे दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार लाना चाहती है और इस संबंध में भी पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को बेहतर सुविधाएं मिले, यह अति आवश्यक है। विभिन्न आयोगों या समितियों जैसे सच्चर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अभी पूर्ण रूपेण और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना है। कई वर्षों से केवल पिछड़ापन ही नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव और शिक्षा की कमी मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करती रही है। अल्पसंख्यकों के सभी वर्गों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी इसके लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में देश के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाई जा रही योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को मेरे लोकसभा क्षेत्र जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी विशेष योजनाएं तैयार करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपर्याप्त सड़क और संचार सुविधाओं के साथ–साथ अनिवार्य वस्तुओं का आसानी से उपलब्ध न होना जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहां तक कि प्राथमिक शिक्षा और आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की भी वहां कमी है। दूरस्थ गांवों में पेयजल की समस्या भी है। इस समय जबकि हम आर्थिक प्रगति के प्रयास कर रहे हैं, हमें देश के दूरस्थ स्थलों के उपेक्षित क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरणतः मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के साथ–साथ अत्याधिक गरीबी भी है। अतः कृषि मजदूरों और बागानों में लगे कामगारों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का सकारात्मक हस्तक्षेप अनिवार्य है। मुझे खुशी होगी यदि सरकार देश के पर्वतीय वनों में रहने वाले लोगों के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान करे। वन अधिनियमों तथा वन्यजीव अधिनियमों के कड़े अनुपालन ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। यद्यपि ये अधिनियम उचित हैं किंतु इनके कारण गरीब जनजातीय लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा की हैं।

पर्वतीय वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए तथा जैव विविधता पार्कों तथा जड़ी–बूटी उद्यानों की स्थापना कर उनके लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। मनरेगा के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अंतर्गत अवसंरचना निर्माण संबंधी गतिविधियां जैसे चैक डैम आदि जिनके माध्यम से जल संरक्षण क्षमता में वृद्धि की जाती है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के गरीब लोगों को रोजगार दिया जा सके। इससे न केवल गरीब लोगों को बेहतर जीवन ही प्राप्त होगा बल्कि समग्र विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

श्रीलंका के आंतरिक रूप से विस्थापित तमिल लोगों को अभी पूरी तरह से पुनवर्सित किया जाना है। विदेश मंत्री जी ने कहा है कि श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों में विस्थापित लोगों के लिए आवास निर्माण योजना चलाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि तीन साल बीतने के बाद भी कुछ खास नहीं किया गया है। जब हमने इस संबंध में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है तो इसका कार्यान्वित सुनिश्चिय करना भारत सरकार का दायित्व है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बुरी तरह से प्रभावित श्रीलंकायी तमिलों के पुनर्वास के मामले में हो रही प्रगति की निगरानी हेतु संसद सदस्यों का एक शिष्टमंडल श्रीलंका भेजा जाए।

एक सदस्य के रूप में भारत जेनेवा में यू एन एच सी आर की बैठक में भाग ले रहा है। यू एन रिपोर्ट के आधार पर 2009 में श्रीलंकायी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान हुए युद्ध अपराधों के खिलाफ इस संस्था में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि मीडिया में भी दिखाया गया था, इस तरह के घिनौने युद्ध अपराध मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों में विश्वास रखने वालों के लिए चिंता का विषय है। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में एक स्पष्ट रूख अपनाए। विश्व में यदि कहीं भी मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हमें अपने कर्त्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। पहले भी जहां कहीं भी लोगों का शोषण किया गया है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। आज भी हमें वही करना है। यद्यपि श्रीलंका हमारा मित्र राष्ट्र है किंतु किसी राष्ट्र द्वारा अपने ही देश के लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों को हम मूक रहकर नहीं देख सकते। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अमरीका द्वारा जारी किए गए संकल्प का समर्थन करे।

मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि वह भारत के लोगों और विशेष रूप से तमिलनाडु की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका में रह रहे तमिल भाषी लोगों, जिनका श्रीलंका के साथ अटूट रिश्ता है, को न्याय प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

★**श्री पी.सी. मोहन** (बंगलौर मध्य) : अभिभाषण में सरकार की उपलब्धि की चर्चा की गई लेकिन वे सब आधारहीन हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं मनरेगा क्रियान्वयन के अभाव में असफल साबित हो रही हैं अभिभाषण में विकास दर पर चर्चा करते समय 9 प्रतिशत रहने का जो विश्वास जताया गया है वह किस आधार पर है, यह समझ से परे है। देश के लगभग सभी अर्थशास्त्री, सरकार के आंकड़े स्वयं बोल रहे हैं कि विकास दर 6 प्रतिशत के आस-पास ही रहेगी, फिर भी सरकार 9 फीसदी की बात कहकर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। विकास का आधारहीन चित्र बनाकर देश को बरगलाया जा रहा है। वर्तमान यूपीए सरकार देश की अब तक की सबसे असफल सरकार साबित होती जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र स्थापित करने की जो पहल की उसका यूपीए के सहयोगी दल ही विरोध कर रहे हैं। सरकार के आंतरिक विरोध के कारण ही यह सरकार अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन तक नहीं कर पा रही है। यह सरकार गैर कांग्रेसी राज्यों के साथ पहले ही सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य परियोजनाओं की धनराशि के आबंटन में कर्नाटक सरकार का हिस्सा भी उचित तरीके से नहीं दिया जा रहा है। इससे केन्द्र सरकार समन्वय पर बुरा प्रभाव दिखायी पड़ रहा है। यह सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल को पुलिस अधिकार बहाल करने से प्रदेशों के कानून-व्यवस्था कायम रखने के अधिकार पर अतिक्रमण किया है। यह राज्यों के आंतरिक मामलों में केन्द्र का हस्तक्षेप है जो कि किसी राज्य को भी मंजूर नहीं है। इसी प्रकार आतंकवाद निरोधक केन्द्र के द्वारा राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जायेगा ऐसा कैसे कहा जा सकता है। उसी तरह आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के मामले में सरकार असफल साबित हो रही है। मुंबई-दिल्ली जैसे महानगर आज असुरक्षा में जी रहे हैं। नक्सलवाद अपना दायरा बढ़ा रहा है। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है।

अरुणाचल में चीन, पाकिस्तान से मिलीभगत कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के संरक्षण कार्यालय पेंटागन द्वारा हमारी भारत में उपस्थिति दर्ज है, यह बयान देश की प्रभुसत्ता पर हमला है। लेकिन सरकार इन सभी मामलों पर चुप्पी साधे बैठी है। देश की सुरक्षा और प्रभुसत्ता के बारे में कोई

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.सी. मोहन]

समझौता नहीं हो सकता। हम यह नहीं होने देंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मामलों के निराकरण के लिए उचित कदम उठाये। केन्द्र सरकार की दूसरी असफलता भ्रष्टाचार के मोर्चे पर है।

टू जी स्पैक्ट्रम मामले में उच्चतम न्यायालय ने कटाक्ष कर सभी 122 आबंटन रद्द किये और इसे पुनः नीलामी करने के लिए ट्राई को कहा गया है लेकिन सरकार इसे मानने की बजाय पुनर्विचार याचिका के द्वारा आबंटन पर कायम रहने की अकारण चेष्टा कर रही है। एन्ट्रिक्स-देवास मामले में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ लेकिन देश के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को काली सूची में डालने से वैज्ञानिक जगत की प्रतिष्ठा को चोट लगी है। इस पर भी विचार करना चाहिए। देश में आज महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार महंगाई के बारे में मुद्रास्फीती की दर का हवाला देकर महंगाई को नकार रही है। पैट्रोल-डीजल के साथ रेलवे मालभाड़े के दामों को बढ़ाये जाने से महंगाई और बढ़ सकती है। सरकार की ऑयल कंपनियों के द्वारा पैट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाये जाने की बात चल रही है इससे महंगाई और बढ़ेगी। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के कारण देश के लोग हकलान हो रहे हैं। पर्यटन से रोजगार सृजन संभव है। हमारे कर्नाटक में पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में केन्द्र सरकार की सहायता आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि अब तक केन्द्र सरकार द्वारा उचित सहायता नहीं दी जा रही। कर्नाटक के पर्यटन स्थलों की उचित अवसंरचना बनाने के लिए केन्द्र सरकार को उचित धनराशि का आबंटन करना चाहिए। पूरे देश से सम्पर्क बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क स्थापित करना चाहिए लेकिन कार्रवाई के अभाव से यह पर्यटन केन्द्र उपेक्षित हो रहा है। इस सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। आम आदमी का नाम लेकर सत्ता में आई इस सरकार से आज देश का आम आदमी ही सबसे दुखी है। आज आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। लोगों को इस सरकार से मोहभंग हो चुका है। यह हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनाव में दिखाई दिया है। जनता में वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी रोष है। सरकार की मानसिकता इस प्रकार की बनती जा रही है कि वह विपक्षी दलों से सहयोग लेने की इच्छा नहीं रखती।

श्रीलंका में लिट्टे के अलगाववादी विद्रोहियों का किस तरह कत्लेआम किया जा रहा है निर्दोष तमिलों को किस प्रकार से मौत के घाट उतारा जा रहा है यह आज किसी से छिपा नहीं है परन्तु भारत सरकार इसे रोकने के लिए श्रीलंका सरकार के साथ किसी प्रकार की बातचीत करने की अपेक्षा हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। सरकार को तमिल समुदाय के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

विदेश नीति के मामले में यूपीए सरकार पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। चीन पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया आदि के माध्यम से हमारे चारों ओर लगातार घेराबंदी करने में लगा है। सरकार उससे निपटने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पा रही है।

अमेरिकी सैन्य विभाग पेंटागन का बयान कि हमारी भारत में उपस्थिति है और हम भारत को आतंकवाद से लड़ने में मदद कर रहे हैं। यदि पेंटागन का बयान सत्य है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

★**डॉ. किरोड़ी लाल मीणा** (दौसा) : भारत के सर्वांगीण और चहुमुखी विकास एवं सुरक्षा के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आजीविका सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं न्यायसंगत, पंथनिरपेक्ष तथा समावेशी लोकतंत्र के दायरे में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।

आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने भाषण में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं किया जबकि देश में माफिया राज पनप रहा है। कानून की स्थिति बिगड़ रही है। आतंक के हमले बढ़ रहे हैं। नक्सल चरम पर है, गांव तो दूर बड़े-बड़े शहरों में आम जन में भारी असुरक्षा का भाव है। भाईचारा, समरसता एवं सौहार्द तेजी से बिगड़ रहा है। साम्प्रदायिक सद्भाव भी बिगड़ रहा है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भारी खतरा है लेकिन सरकार ने इस संबंध में देश की जनता के सामने कोई पुख्ता योजना महामहिम के जरिए प्रकट नहीं की?

देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, सीमाओं पर भारी खतरा है, एक ओर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश देश के लिए स्थायी समस्या बन गए वहीं चीन आये दिन देश को आंखें दिखाने से नहीं चूकता। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण करना इसका ताजा उदाहरण है। देश बाह्य दृष्टि से कैसे मजबूत हो सकता है इस बात का जिक्र भी अभिभाषण में नहीं किया गया है।

देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारों को राहत दी जा सके इस पर सरकार का ध्यान नहीं है जो एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के किसान भुखमरी के कगार पर हैं और आये दिन किसानों की आत्महत्या की घटनाएं मीडिया में छपती रहती हैं। किसान की खेती

★भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का धन्धा किसी तरह से अब मुनाफे का धन्धा नहीं रह गया। किसान परेशान है और भारी घाटे में खेती का वजन ढो रहा है। किसान को किस ढंग से सरसब्ज किया जा सके इस बारे में राष्ट्रपति जी के भाषण में चर्चा नहीं की गई। सिंचाई के साधनों को कैसे बढ़ाया जाए, किसान के चप्पे-चप्पे को कैसे पानी उपलब्ध कराया जा सके इसका स्रोत एवं चिन्तन सरकार को नहीं है। सरकार को केवल चिंता है तो केवल उद्योगपतियों की है उनको बढ़ावा दिया जाये उसमें कोई दिक्कत नहीं है किन्तु अच्छे पैकेज देकर सरकार उन्हें लाभान्वित करती है किन्तु किसानों की अनदेखी करती हैं उदाहरण के तौर पर इस वर्ष राजस्थान हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में जबरदस्त पाला पड़ने के कारण किसान की फसल चौपट हो गई। किसान चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सड़कों पर भी उतरा है, यत्र-तत्र आन्दोलन भी हुए हैं, लेकिन सरकार ने किसान की अनदेखी की है। पाला पड़ना किसान के लिए अत्यन्त दुखदायी रहा। मैं राजस्थान का आपदा मंत्री रहा हूं, तबसे इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि पाले के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उसकी भरपाई की जानी चाहिए। भारत सरकार पाले को भी सी.आर.एफ. के मापदण्डों में दर्ज करे तथा भारत सरकार ओलावृष्टि जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की भांति किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराये। इस प्रकार की मांग विभिन्न राज्यों से भी भारत सरकार के पास बार-बार आती रही है लेकिन भारत सरकार इस मामले पर मौन है। सरकार किसान हितैषी नहीं हैं, इसलिए तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के भरपाई की चर्चा अभिभाषण में नहीं की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। इसलिए इसे सी.आर.एफ. के मापदण्डों में अंकित करते हुए जिन-जिन राज्यों में पाला पड़ने के कारण 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां के किसानों को स्पेशल पैकेज दिया जाये तथा उनके बिजली के बिल माफ कर फसल की लागत की राशि भी उपलब्ध कराई जाये।

किसानों का फसल तैयार करना महंगा सौदा है, किसान को कई स्तर पर बिचौलियां लूटते हैं। अतः उसकी उपज की उपयुक्त मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करे तथा उपज का उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। केन्द्र द्वारा जो स्वामीनाथन कमेटी किसानों की बदहाली को देखते हुए बनाई गई थी उस कमेटी ने भी सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है किन्तु खेद है कि सरकार ने किसानों का ध्यान नहीं रखा और कमेटी की रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं किया। मेरी मांग है कि किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी को अविलम्ब लागू किया जाये।

केन्द्र ने सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से कोई विशेष कार्यक्रम घोषित नहीं किया सिंचाई की कमी के कारण जोत घट रही है और किसान अपनी पूरी खेती में उपज नहीं कर पा रहा है, जल स्तर पूरी तरह से नीचे चला जा रहा है। ऐसे में पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की नदी जोड़ो योजना को लागू किया जाना बहुत जरूरी है। राजनैतिक कारणों से केन्द्र ने इसे ठण्डे बस्ते में डाल दिया, यह अफसोसपूर्ण है। राजस्थान में 60 प्रतिशत क्षेत्र मरू क्षेत्र है और समूचा राजस्थान सिंचाई तो दूर की बात पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है ऐसे में यमुना, गंगा, चम्बल, पार्वती आदि नदियों का पानी इस धरती पर पानी लाया जाना बहुत जरूरी है। हर बार बरसात के समय हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में यमुना के पानी की बाढ़ आती है बाढ़ के कारण कई बार तबाही का मंजर देखने को मिलता है, देश के दूसरे भागों में भी बाढ़ के कारण बहुत तबाही होती है और बेशकीमती बरसात का पानी बेकार ही बह कर समुद्र में चला जाता है। यमुना नदी के बाढ़ के इस पानी को अगर राजस्थान की तरफ मोड दिया जाये तो राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग का सिंचाई एवं पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। यमुना के इस पानी को एक कैनाल के द्वारा राजस्थान के सीकर, झुन्झुनू आदि जिले को ले जाया जा सकता है तथा दूसरी ओर इस पानी को अलवर जिले की सोन नदी एवं रूपा रेल नदी में डाल कर समूचे अलवर को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है तथा इसी पानी को जयपुर के जमवारामगढ़ बंधे में डालकर जयपुर जैसे महानगर में पेयजल का स्थायी समाधान किया जा सकता है तथा इस पानी को बाणा गंगा नदी में डालकर जयपुर, दौसा, भरतपुर आदि को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। जमवारामगढ़ बंधे के इसी पानी को ढूंड नदी से मोरेल से बनास को जोड़ते हुए करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, धौलपुर, जयपुर ग्रामीण आदि क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। दूसरी तरफ 12 महीने बहने वाली चम्बल नदी तथा बरसात के समय आने वाले भारी पानी को रामेश्वर घाट पर रोककर ईसरदा एवं बीसलपुर डेम में डाला जा सकता है जिससे सवाईमाधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बून्दी आदि जिलों की समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस हेतु एक वृहद जल योजना इंदिरा गांधी लिफ्ट योजना के नाम से भारत सरकार ने लम्बे समय से लम्बित है जो सी.डब्ल्यू.सी. से भी क्लियर हो चुकी है। केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि इस लम्बित योजना को अविलम्ब स्वीकृति प्रदान कर राजस्थान के किसानों को सरसब्ज करें।

पूरे देश में एक बहुत बड़ी तादाद कुपोषण की शिकार है तथा भुखमरी की ओर है, 2010 में उदयपुर के कोटडा में 33 आदिवासी

[डॉ. किरोड़ी लाल मीणा]

भूख के कारण मर गये। उच्च तकनीकी के इस जमाने में लोग भूख के कारण मर जायें इससे बड़ी शर्मनाक कोई घटना नहीं हो सकती। कोई भूखा सोये नहीं, कोई भूखा मरे नहीं इसकी स्पष्ट योजना सरकार को बनानी चाहिए और सहरिया क्षेत्र, काली हांडी एवं कोटडा से भूख की मौत जैसी पुनरावृत्ति नहीं हो इस कलंक को मिटाया जाना बहुत जरूरी है। किन्तु अभिभाषण में सिर्फ खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र तो किया है किन्तु योजना बनाकर क्रियान्वित कैसे होगी इसकी दिशा सरकार तय नहीं कर पाई है, पिछले कई वर्षों से इस कानून का ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन अभी वही ढाक के तीन पात जैसी स्थिति बनी हुई है। मेरी मांग है कि राजस्थान के विशेष पिछड़ा क्षेत्र जो आदिवासी एवं सहरियाओं का है वहां के लिए सरकार विशेष पैकेज जारी करें और भुखमरी की स्थिति से लोगों को बचाये।

राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। इस राज्य में 13 प्रतिशत पिछड़े एस.टी. है, 40 प्रतिशत मरु भूमि है। पीने के पानी की भयंकर समस्या है। देश का भूभाग की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, गरीबी बहुत ज्यादा है, शिक्षा कम है, स्वास्थ्य सेवाएं भरपूर नहीं हैं, चम्बल के बीहड़ हैं, और पहाड़ी अरावली आदि है। रेल कनेक्टिविटी भी अपर्याप्त है, और लम्बी दूरी की भारत पाक सीमा है। इस प्रकार राजस्थान अपने आपमें एक बहुत बड़ा दयनीय स्थिति वाला राज्य है। अतः इस राज्य को उत्तर-पूर्व की तरह दर्जा दिया जाना नितान्त आवश्यक है। इसकी मांग भी वर्षो से उठ रही है। लेकिन केन्द्र को इस पिछड़े राज्य की चिन्ता नहीं है।

विकास की दृष्टि से राज्य की स्थिति ठीक नहीं है एक बाडमेर में भारी तेल के स्रोत होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार उसको विकसित नहीं कर पा रही है। सौर ऊर्जा का राजस्थान में भरपूर भविष्य है किन्तु उस ओर भी सरकार इस राज्य को प्रोत्साहन नहीं दे रही। सड़कों का ढाणियों में जो जाल बिछना चाहिए था जिसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो राशि उपलब्ध की जानी थी उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है आज भी ढाणियां सड़कों से महरूम है। रेल की दृष्टि से राजस्थान बहुत पिछड़ा है उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में एक रेल लाइन दौसा से गंगापुर का कार्य पिछले 13 साल से कछुए की चाल चल रहा है उसको जो बजट में धनराशि उपलब्ध करानी थी उसमें इस बार तो पाई भी उपलब्ध नही कराई गई। इस बार बजट में राजस्थान व मेरे क्षेत्र मे सरकार ने भारी पक्षपात किया है।

देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात अत्यन्त ही दयनीय हैं। उनमें भी बेरोजगारी भयंकर है। केन्द्र सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन गरीब लोगों को रोजगार दिये जाने की चर्चा कहीं नहीं की है। यूपीए द्वितीय ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि केन्द्रीय सेवा में जितने भी बैकलॉग है उसे भरा जायेगा तथा नई नौकरियां भी दी जायेंगी किन्तु अब सरकार सोयी हुई है। मैं मांग करता हूं कि सरकार एस.सी./एस.टी. के बैकलॉग को भरे तथा नौकरियां प्रदान करें अन्यथा ये गरीबों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

इस प्रकार सरकार ने जो महामहिम राष्ट्रपति के जरिए संसद में भाषण दिलवाया है वह आशा के प्रतिकूल है, निराशाजनक है, और भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है। अतः उक्त बातों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार गरीब एवं राष्ट्र के हित में कदम उठाये ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि इस वाद-विवाद का उत्तर सोमवार को दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : इस वाद-विवाद का उत्तर सोमवार को प्रश्न काल के बाद दिया जाएगा। इसलिए अब हम 'शून्य काल' को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : आज प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना था, क्या कारण है कि आज नहीं देंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: इसमें कोई कारण नहीं होता।

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह: सदन जानना चाहता है कि क्या कारण हो गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : यह क्या एतराज है आपका? रिप्लाई हमेशा अगले दिन 12 बजे होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : शून्यकाल – श्री सतपाल महाराज

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: यह सदन की परम्परा रही है।

श्री पवन कुमार बंसल: आप किस परम्परा की बात कर रहे हैं, परम्परा यह है कि सब बातों पर शोर करते रहो। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया: यह कोई अचानक नहीं हुआ है। *[अनुवाद]* कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*★

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पर्वतीय राज्यों से हो रहे पलायन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के उत्तर में जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवम् हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी एवम् विभिन्न धार्मिक स्थल हैं। परंतु पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में वहां के स्थानीय निवासियों का जीवनयापन मुश्किल हो रहा है। साथ ही कृषि योग्य भूमि भी न्यूनतम होने के कारण कृषि संबंधी रोजगार भी अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पर्वतीय राज्यों में विशेषकर उत्तराखंड राज्य में आजीविका के साधन उपलब्ध कराए जाएं।

सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह पर्वतीय राज्यों से पलायन रोकने के लिए विशेष नीति बनाकर वहां आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराए।

मेरे वतन की बहारें, जवान होने दो।
महान है मेरा भारत, महान होने दो।।

किसी को सींच रहे हो, और किसी पे पानी बंद।
तमाम खेतों की फसलें समान होने दो।।
गुबार दिल से, ख्यालों से गर्द दूर करो।
नई जमीन, नया आसमान होने दो।।
सुभाष, गांधी, जवाहर की रुह भी कहती है।
तमाम देश को एक खानदान होने दो।

★कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री के. सुरेश – वह उपस्थित नहीं हैं।

अब श्री अर्जुन राम मेघवाल

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। मेरे पास पाकिस्तान से मोबाइल पर एक कॉल आई। उसका नम्बर 923325758136 था। फोन करने वाले ने मेरे से कहा कि आप दस हजार रुपए जमा करा दो, आपकी 10 लाख की लॉटरी निकली है। यह फोन कॉल मेरे पास 10 फरवरी, 2012 को आई थी। फिर उस व्यक्ति ने मेरे साथ काफी देर तक बातचीत की। मुझे पता चला कि यह कोई ठगी से संबंधित षड्यंत्र है।

अपराह्न 5.28 बजे

(श्री सतपाल महाराज *पीठासीन हुए।)*

मैंने इसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को दी, जहां का मैं सांसद हूं। उसके बाद मैंने इसकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय को दी। इसके अलावा हमारे राज्य में जो एटीएस बना हुआ है, उसे दी और डीजीपी, पुलिस को भी दी। इन सबको जानकारी देने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब मैंने इसे प्रैस में दिया तो राजस्थान से संबंधित बहुत से लोगों के मुझे फोन कॉल आए। उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे पास भी पाकिस्तान से ऐसे फोन कॉल आते रहते हैं और कहा जाता है कि आप एक बार पांच हजार रुपए या दस हजार रुपए जमा करा दो। वे टोटल एड्रैस पूछते हैं और हमारा पैन कार्ड का नम्बर भी पूछते हैं। अगर एक बार पैसे जमा करा दिए गए तो उसे वह आतंकवादी संगठन से जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि आपका एकाउंट आतंकवादी संगठन में आ गया है, आप हमेशा पैसे जमा कराते रहिए। मैं संसद सदस्य हूं। मेरे पास पाकिस्तान से फोन कॉल आती है और मैं राजस्थान की जितनी भी अथोरिटीज़ हैं, सबको इस बारे में सूचित करता हूं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे कहा जाता है कि आप बीएसएनएल के अधिकारियों से बात करो। तो बीएसएनएल के अधिकारियों से जब मैंने बात की तो पता चला कि बार्डर एरिया और हमारा बीकानेर बार्डर एरिया में आता है, पाकिस्तान से लगा हुआ है, बार्डर एरिया में पुलिस और इंटेलिजेंस के पास जीपीआरएस सिस्टम ही नहीं है और सेटलाइट

फोन काम में लेने वालों का पता ही नहीं चल पाता है। यह विषय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है लेकिन जीपीआरएस सिस्टम ही उनके पास नहीं है। मैंने कहा कि मैं आपको एमपी लैड से दे देता हूं, आप मुझे बताइये कि कहां आपको जीपीआरएस सिस्टम लगाना है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी के पास बंगलौर से कोई फोन गया और फोन करने वाले का इरादा कोई गलत नहीं था लेकिन उसके खिलाफ दूसरे ही दिन भारत सरकार ने कार्रवाई की। मेरे पास फोन आया और हजारों लोगों के पास पाकिस्तान से फोन आये हैं, भारत सरकार क्यों अभी तक जागी नहीं है और क्यों पाकिस्तान सरकार को कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा। मेरी मांग गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्रालय से है कि मेरे जैसे आदमी के पास फोन आने के बाद भी क्यों कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे हजारों आदमी ठगे गये हैं। आप देखें कि 18,000 रुपये जमा करवाये और उसे 10 रुपये भी नहीं मिले। ऐसे कामों से आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ती हैं, आदमी फिर आतंकवाद से भी जुड़ जाता है और फिर पाकिस्तान के लोग उसका शोषण करते हैं। मेरी आपसे मांग है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे और इस बारे में मुझे सूचित भी किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय: डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी जी को अर्जुन राम मेघवाल के विषय के साथ संबद्ध किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीकारा) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाना चाहता हूं जो कि भारत सरकार के सामने काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है।

महोदय, भारत सरकार ने देश में काजू उद्योग के कल्याण हेतु काजू बोर्ड का गठन करने संबंधी मुद्दे को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। देश में रबर बोर्ड, कॉयर बोर्ड और कोकोनट बोर्ड जैसे कई बोर्ड हैं। परंतु, जहां तक काजू उद्योग का संबंध है तो भारत सरकार के किसी भी विभाग के अंतर्गत कोई बोर्ड नहीं है। काजू उद्योग के समग्र विकास हेतु काजू बोर्ड की अत्यंत आवश्यकता है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काजू बोर्ड का गठन किए जाने का प्रस्ताव है। भारत के योजना आयोग ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न कारखानों में लगभग तीन लाख काजू श्रमिक कार्य कर रहे हैं। केरल में काजू उद्योग का मुख्य केंद्र कोल्लम में है। कोल्लम में 250 से अधिक काजू के कारखाने हैं। तीन लाख काजू श्रमिकों में से 80 प्रतिशत महिलाएं हैं निर्धन काजू श्रमिकों के लिए अब तक कोई व्यापक योजना नहीं बनाई गई है। काजू श्रमिकों के लिए कोई आवास योजना शिक्षा योजना या कोई अन्य कल्याण योजना नहीं है। इस प्रकार काजू श्रमिकों को एक साल में केवल 100 से भी कम दिनों के लिए रोजगार मिलता है। इसलिए, यदि भारत सरकार काजू बोर्ड का गठन करती है तो श्रमिकों के साथ-साथ किसानों के हितों की भी सुरक्षा की जा सकती है। भारत सरकार के सामने यह बहुत समय से लंबित पड़ी हुई मांग है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी मांग प्रस्तुत कीजिए।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि काजू उद्योग में कार्यरत 90 प्रतिशत महिला श्रमिकों में से अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से हैं। इसलिए मैं भारत सरकार के सामने इस गंभीर मुद्दे को उठा रहा हूं। भारत सरकार इस उद्योग में लगे काजू श्रमिकों के कारण विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। रबर क्षेत्र नारियल क्षेत्र मसाला क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत बोर्डों का गठन किया गया है परंतु, जहां तक काजू श्रमिकों और काजू उद्योग का प्रश्न है, ऐसे किसी बोर्ड या निगम का गठन नहीं किया गया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार काजू श्रमिकों के कल्याण हेतु यथाशीघ्र काजू बोर्ड का गठन करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं सरकार के ध्यान में धान और कपास किसानों की दुर्दशा को लाना चाहता हूं। संप्रग सरकार के गत आठ वर्षों के कार्यकाल में धान और कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की गई है। पहले धान का समर्थन मूल्य 550 रुपये था अब यह बढ़कर 1100 रुपये हो गया है। कपास की एएसपी 1800 रुपये से बढ़कर 3300 रुपये हो गया हैं उर्वरक मूल्य और कीटनाशक मूल्य में वृद्धि होने से आदान लागत में वृद्धि होने और विशेष रूप मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी के 50 रुपये से बढ़कर लगभग 150-200 रुपये हो जाने के कारण श्रम घटक में वृद्धि होने से यह मूल्य पर्याप्त रूप से लाभकारी नहीं है। यदि धान और कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती है तो किसानों के लिए कृषि लाभकारी नहीं रह गई है।

मेरे क्षेत्र, विजयवाड़ा में बड़ी संख्या में धान और कपास उत्पादक किसान हैं। हम सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

करने की मांग करते रहे हैं। हम कृषि मूल्य आयोग से भी मिले हैं जिसने पिछले सीजन में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपये की वृद्धि करने की सिफ़ारिश की है। परंतु, दुर्भाग्यवश सरकार ने केवल 80 रुपये की वृद्धि करने पर विचार किया, 80 रुपये की और वृद्धि किया जाना तभी से लंबित है। हमें यह बात देखनी है कि किसान जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसका लाभकारी मूल्य क्या है, और उसकी आदान लागत क्या है। परंतु, ऐसा नहीं हो रहा है। हम मूल्यों में वृद्धि कर रहे हैं; परंतु हम किसानों की दशा अथवा आदान लागत को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हम यह बात नहीं देख रहे हैं कि वे कोई लाभ कमा रहे हैं या नहीं। इसलिए आंध्र प्रदेश के अधिकांश संसद सदस्य सामूहिक रूप से संबंधित मंत्री से मिलकर सरकार से धान और कपास के एम एस पी में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं।

गत वर्ष कपास का मूल्य बढ़कर 6000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था और भारतीय उद्योग 6000 रुपये प्रति क्विंटल पर भी कायम रहा। इस वर्ष भी सरकार ने कपास के लिए एम एस पी 3300 रुपये निर्धारित किया है। इसमें वृद्धि करके कम से कम 5000 रुपये किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, धान के संबंध में मिल मालिक जो भी धान खरीदते हैं वह लेवी मूल्य के अंतर्गत जाता है और सरकार एम एस पी मूल्य निर्धारित करके एम एस पी पर लेवी मूल्य की गणना करती है और इसमें मिलिंग शुल्क जोड़ देती है, इस प्रकार वह एम एस पी, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है को नियत मूल्य में परिवर्तित कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ है ऐसा न्यूनतम मूल्य जो किसान को मिले। अधिकांश समय उसे एम एस पी से अधिक मूल्य प्राप्त होना चहिए। यह वह सबसे कम मूल्य है जो किसान को मिलना चाहिए। परंतु, दुर्भाग्यवश, धान के मामले में उन्होंने इसे निर्धारित मूल्य बना दिया है क्योंकि मिलों से 75 प्रतिशत चावल लेवी के रूप में सरकार के पास चला जाता है और सरकार मिल मालिकों को केवल एम एस पी और मिलिंग शुल्क ही भुगतान करती है। सरकार बाजार मूल्य पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि सरकार इस बात पर सहमत हो कि वह बाजार मूल्य और मिलिंग मूल्य पर चावल खरीदेगी तो इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा। अथवा उन्हें कम से कम कपास और धान दोनों का निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सरकार, विपणन श्रृंखला पर रोक लगाती है और उसे विनियमित करती है। इसके परिणामस्वरूप, आदान लागत में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन मूल्य में वृद्धि नहीं की जाती। इस के कारण वे बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार करे और यह सुनिश्चित करें कि धान के लिए न्यूनतम समर्थन भूल्य कम से कम 1500 रुपये प्रति क्विंटल और कपास के लिए 5000 रुपये प्रति क्विंटल हो। कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय भारतीय कपास निगम द्वारा लिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करें। अन्यथा, किसान विपत्ति में रहेंगे। वे वस्तुतः विवश हैं। कृपया किसानों की सहायता करें। मैं चाहता हूं कि सरकार इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरह ले और सत्र समाप्त होने से पहले इसका समाधान करें।

सभापति महोदय : डॉ. के. एस. राव, श्री ए. साई प्रताप, श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी स्वय को श्री एल. राजगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : माननीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में सुजालपुर नगर है, जिसके बिल्कुल मध्य से रेलवे लाइन निकलती है। रोज कम से कम 25 ट्रेनें निकलती हैं और दस घंटे तक शहर असामान्य रहता है। ओवर ब्रिज न होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। मैं कई बार सदन में इस बात को उठा चुका हूं, लेकिन रेल मंत्रालय के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार इस तरफ ध्यान दे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान में पाया कि मालवा बहुत जल्दी मरुस्थल में बदल जाएगा। मेरा जल संसाधन विभाग से अनुरोध है कि नर्मदा नदी मालवा की प्राण नदी है। मालवा और शिप्रा नदी को जोड़ कर किसानों को सूखे से निजात दिलाई जा सकती है। मेरा अनुरोध है कि जल संसाधन विभाग इस योजना पर काम करे।

श्री निनोंग ईरींग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री तथा रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सीमा सड़क बल की अरुणाचल प्रदेश में चीन और म्यांमार की जो सीमाएं हैं, अरुणाचल प्रदेश में 1200 कि.मी. की सीमा है। उसमें खासतौर से अपरसियांग, दिबांग वैली और अंजाउ जिलों में चीन और म्यांमार का प्रभाव तो है ही और वहां किस प्रकार से विकास हो रहा है, इसकी जानकारी आप सबके पास है क्योंकि हर बार इस विषय पर सदन में चर्चा होती है। आपके माध्यम से इन दोनों विभागों को मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में मैं एक दौरे में केलिंग, सिंगा और तूतिंग में गया था

जो 1962 में चीन में केपांगलापास के द्वारा वे लोग आए थे और आक्रमण किया था। वहां जो स्थिति जिस समय हमने देखी थी, वह अभी भी वैसी ही है। वही कारण है कि वहां अभी तक यातायात की सुविधा नहीं है और हम जिस समय वहां गये थे, वहां सेना के नौजवान एवं सीमा सड़क बल के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि यहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग और बजटिंग यहां पर बहुत ही कम है, इसलिए वहां अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जब अरुणाचल प्रदेश गये थे, वहां पर भी इस बारे में चर्चा हुई। विपक्ष के नेताओं से भी इस पर चर्चा हो रही है और अभिभाषण में भी उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे सिक्किम में नाथूलापास से हम चाहते हैं कि दुश्मनी का नहीं लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि इससे वहां पर्यटन बढ़ सकता है और सिर्फ चीन और भारत का दो कि.मी. का एक फासला है जिस जगह की मैं चर्चा कर रहा हूं। इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि यहां अगर हम यातायात के लिए सड़क बना सकेंगे तो दुश्मनी नहीं बल्कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक तरह का ट्रेड सेंटर हम बना सकते हैं। इसलिए तूतिंग एरिया के लिए मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे।

श्री महेन्द्र पी. चौहाण (साबरकांठा) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज मैं श्रमिकों की विशेषकर असंगठित श्रमिकों के बारे में बात करना चाहता हूं जो कम वेतन पर काम करने के लिए बाध्य हैं जिनका शोषण एवं प्रताड़न हो रहा है। हर तरफ उनके साथ अन्याय होता है। वे जहां काम करते हैं, वहां मालिकों की जेबें मोटी होती जा रही हैं जबकि श्रमिकों का जीवन-यापन तकलीफों से भरा जा रहा है। हालांकि देश में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कानूनों का प्रावधान है। लेकिन ठेकेदारों के माध्यम से भाड़े पर लिये गये कामगारों व असंगठित श्रमिकों को लाभ नहीं मिलता। निजी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक शोषण और प्रतिकूल कार्यदिशाओं के कारण निरतर कुंठा का शिकार बनते जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा अधिकतम कार्य आउटसोर्सिंग माध्यम से करवाने के कारण वहां कार्यरत श्रमिकों को नौकरी छूटने का डर रहता है व उन्हें अपने हितों के लिए लड़ने से रोकता है। ऐसे में मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे शोषित, पीड़ित एवं लाचार श्रमिकों की सुरक्षा की जाए। उनके हितों की रक्षा हेतु श्रम कानूनों में जरूरी बदलाव करते हुए ऐसे श्रमिकों को सुरक्षा दी जाए। ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम करने वाले श्रमिकों को भी कंपनी का कर्मचारी माना जाए। ऐसे में श्रमिकों का कंपनी के प्रति नजरिया भी बदलेगा और वे उत्पादन में अधिक वफादारी से काम करेंगे। धन्यवाद।

सभापति महोदयः श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण द्वारा उठाये गये श्रमिक संबंधी विषय के साथ डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी को भी सम्बद्ध किया जाए।

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। संयोग से यहां नए मंत्री भी हैं। मुझे उम्मीद है इनके माध्यम से यह मामला केन्द्र सरकार तक जाएगा। पूरे देश में लाखों आशा कार्यकर्ता बहाल हैं जिन्हें एक पैसे का भी मानदेय नहीं मिलता है। देश में जितने सरकारी कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम हैं, आशा कार्यकर्त्ता इन सब कार्यक्रमों को अंजाम देती हैं। ये सभी महिलाएं हैं जबकि केंद्र सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान की बात कहती है। पूरे देश में लाखों महिला कार्यकर्ता हैं। सभापति महोदय, आपके प्रदेश उत्तराखंड में भी हैं, बिहार में भी हैं, सारे देश में हैं। ये कार्यकर्ता केंद्र सरकार के कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हैं। इनमें अधिकांश दलित, पिछड़े वर्ग और गरीब परिवारों से आती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केन्द्र सरकार ने एक रुपए का भी मानदेय नहीं दिया है। इन सबके बच्चे हैं, अपना परिवार है। मैं थोड़ा समय और लेना चाहता हूं चूंकि यह विषय सदन में अब तक नहीं उठा है। वहां आप भी जाते होंगे, खुर्शीद साहब भी गए होंगे, चुनाव में गए होंगे। मेरा कहना है कि आशा कार्यकर्ताओं को कोई आशा दिलाने वाला नहीं है। कोई बाल-बच्चों के पेट पर लात मारकर सरकारी कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू नहीं कर सकता है?

हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, इनकी आठ लाख संख्या है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप उन्हें बोलने दीजिए। वे आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जगदीश शर्माः हमें बोलना आता है।

सभापति महोदयः आपकी भावना व्यक्त हो रही है। आपने कह दिया है।

श्री जगदीश शर्माः चूंकि यहां न्याय मंत्री बैठे हैं। पूरे देश को न्याय दिलाने वाले हैं। हम आपके माध्यम से न्याय मंत्री जी से गुहार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार में पहल करें ताकि देश की लाखों आशा कार्यकर्ताओं को कम से कम तीन हजार रुपए प्रति माह का मानदेय मिले जिससे वे अपने गुजारे के साथ अपने परिवार का भरणपोषण कर सकें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदयः जो सदस्य संबद्ध करना चाहते हैं, वे लिखकर भेज दें।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवालः महोदय, मैं अपने आपको इस मामले के साथ संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदयः रघुवंश जी, आप ऐसे बोल नहीं सकते हैं।

श्री राम सिंह कासवान।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, इनकी संख्या आठ लाख है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप बोल नहीं सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः नेशनल रूरल हैल्थ मिशन की संचालन समिति ने पारित किया था। ...*(व्यवधान)* उन्हें सर्वसम्मति से मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः दो व्यक्ति एक सब्जेक्ट पर नहीं बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदयः आप अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कुछ रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदयः आप बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः आंगनवाड़ी सहायिका, सेविका को 1500 रुपए और 3000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं जबकि आशा कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* यह दोहरा मापदंड है इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदयः जब आपको मौका मिलेगा तब कहिएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः जो आप बोल रहे हैं क्या आपकी भी यही सब्जेक्ट है?

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः नहीं, हमारा सब्जेक्ट दूसरा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप बैठ जाइए।

श्री राम सिंह कस्वां आप बोलना शुरू कीजिए।

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदयः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी को श्री जगदीश शर्मा जी के मुद्दे के साथ सम्बद्ध किया जाए।

श्री राम सिंह कस्वांः हाल ही में 12 मार्च, 2012 को हावड़ा से जैसलमेर एक ट्रेन का संचालन हुआ है। यह हमारी वर्षों की मांग थी, जिसे सरकार ने मंजूर किया है, इसके लिए हम सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमें पीड़ा तब हुई जब उत्तर–पश्चिम रेलवे का सादुलपुर जंक्शन, जो मेरी गृह तहसील भी है, एक सबसे

*कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

महत्वपूर्ण स्टेशन है, लेकिन उस स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव नहीं हुआ। मैंने पहले इसके लिए मांग की थी, जेडआरयूसीसी की मीटिंग भी हुई थी, महाप्रबंधक ने इसका प्रस्ताव भेजा था। लोगों ने इसके लिए वहां ज्ञापन दिया, धरना दिया और जब ट्रेन आई तो लोग उसके आगे बैठ गये।

मेरा आपसे निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जोधपुर, हिसार, गंगानगर और बीकानेर के लिए ट्रेनें जाती हैं और ऐसे स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव न करना हमारे साथ अन्याय है। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरी सरकार से मांग है कि सादुलपुर स्टेशन पर हावड़ा–जैसलमेर 12371/12372 नम्बर की गाड़ी का ठहराव किया जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदयः श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने आपको उपरोक्त विषय से सम्बद्ध करते हैं। अब श्री नारायण सिंह अमलाबे जी आप बोलिये। लेकिन आप अपने वक्तव्य में कोई एलिगेशन नहीं लगायेंगे।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 'आत्मा प्रोजेक्ट' में मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार व राशि के दुरुपयोग के संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों को कृषि की नई–नई तकनीकी की जानकारी देना व प्रशिक्षित करना है, ताकि रबी और खरीफ की फसलों का कीटनाशक दवाओं के समुचित उपयोग हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग आदि से उत्पादन बढ़ा सकें।

महोदय, उक्त प्रोजेक्ट के संचालन हेतु केन्द्र द्वारा मध्य प्रदेश को दी जाने वाली लगभग 400 से 500 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग इस योजना के मूल उद्देश्य किसानों के हित में न होकर राज्य के इससे संबंधित उन अफसरों की सुख–सुविधाओं पर खर्च किया जा रहा है, जिनके कि खातों में यह धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर जमा करा दी जाती है। अधिकारियों द्वारा फर्जी प्रशिक्षण और उत्पादन बढ़ाने के आंकड़े दर्शाकर इस धनराशि का आहरण कर लिया जाता है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी दिए गए हैं, किन्तु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस संबंध में उच्च स्तर पर जांच करवायें, ताकि दोषी अधिकारियों को भी दंड मिले और किसान भाइयों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का सुचारु रूप से लाभ मिल सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) : महोदय अविलंबनीय लोक महत्व के इस मामले को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। रा.रा.सं. 47–कन्याकुमारी से सेलम, रा.रा.–सं. 17 एडापल्ली से पनवेल और रा.रा.–सं.49 कोच्चि से धनुषकोडी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इसके अतिरिक्त, तिरूवनंतपुरम से अंगामाली तक एम सी रोड भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरती है। अंगामाली में रा.रा.सं. 47 और एम सी रोड के आगामाली शहर में मिलने और कोच्चि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट होने के कारण सुबह के समय गंभीर रूप से ट्रैफिक जाम रहता है। अतः, मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि टेल्क (टीईएलके) जंक्शन से कटयमपरंबु जंक्शन तक रा.रा.सं. 47 पर एक बाइपास का निर्माण कराया जाए। इसके अतिरिक्त, एडापल्ली और मुदाकुन्नम के बीच रा.रा.सं. 17 को चौड़ा करने हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य को तत्काल पूरा किया जाए।

रा.रा.–सं. 49 पर थिरूप्पुनीथुरा से पुथेनकज और कोलेंचेरी, जहाँ ट्रैफिक भीड़–भाड़ की गंभीर समस्या रहती है, में बाईपास बनाया जाना भी अत्यावश्यक है।

[हिन्दी

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 6 नवम्बर, 1903 में कालका–शिमला रेल मार्ग तैयार हुआ, तब से उस पर रेल सेवाएं चल रही हैं। इस 108 वर्ष पुराने तथा 96 किलोमीटर नैरो गेज कालका–शिमला रेल मार्ग को वर्ष 2008 में यूनेस्को टीम द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इस मार्ग पर ब्रिटिश काल की दुर्लभ ऐतिहासिक लग्जरी रेल कारें चल रही थीं, किन्तु अब केवल चार ही ऐसी रेल कारें बची हैं, जिनमें से दो पहले ही बंद की जा चुकी हैं तथा दो में एक के पहिये घिसने के कारण उसे भी बंद करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस प्रकार कल–पुर्जों के अभाव में धीरे–धीरे सभी रेल कारें बंद हो जाएंगी।

महोदय, कालका–शिमला रेल मार्ग विश्व धरोहर का हिस्सा है। उस पर प्राचीन एवं दुर्लभ रेल कारें चलना देशी व विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही हैं। लेकिन रेल प्रशासन द्वारा समय पर कलपुर्जों की व्यवस्था नहीं करने के कारण ये रेल कारें बंद होती

जा रही हैं जिससे पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं रेलवे को भी लाखों रुपये की क्षति पहुंच रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस मार्ग पर विलुप्त होती रेल कारों को पुनः पूर्व की भांति चलाने हेतु रेलवे प्रशासन द्वारा पहियों का निर्माण देश में कराया जाए और यदि यह संभव नहीं हो तो विदेशों में जहां ये पहिए उपलब्ध हों वहां से बल्क क्वांटिटी में मंगाए जाएं ताकि रेल कारें उक्त मार्ग पर चलती रहें और देशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित होते रहें और रेलवे को क्षति नहीं उठानी पड़े।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो लाखों अध्यापकों से संबंधित है जो राज्य के विश्वविद्यालयों और कालेजों में कार्यरत हैं।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केन्द्र सरकार के मंत्री का ध्यान विश्वविद्यालय और राज्य के कालेजों के अध्यापकों के वेतन की बकाया धनराशि का लम्बे समय से भुगतान न करने की समस्या की ओर आकृष्ट करता हूं। वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 से संशोधन किया गया है। निर्णय के अनुसार केंद्र सरकार को वेतन की 80 प्रतिशत शेष 20 प्रतिशत धनराशि की हिस्सेदारी राज्य सरकारों को करनी पड़ती है। हाल ही में एक शर्त लगाई गई है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य को सेवनिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर देनी चाहिए। यह शर्त लगाई गई है। स्वयं मंत्री ने संगठन के सदस्यों से भेट की और मंत्री को समस्याएं बताई गई हैं। यह मामला अभी वित्त विभाग के पास है। यह बताया गया है कि वित्त सचिव फाइल को स्वीकृति देने के इच्छुक नहीं हैं। इस परिदृश्य में देश भर में आंदोलन शुरू करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। राज्य के विश्वविद्यालय और कालेजों के काम करने वाले लाखों अध्यापक सड़कों पर हैं। वे कल से जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले ताकि लम्बे समय से लंबित यह दीर्घकालिक समस्या हल हो सके। अध्यापकों को उसे वास्तविक और वैध मांग को लेकर सड़कों पर नहीं आना चाहिए। वे केन्द्र सरकार से हमारी भीख नहीं मांग रहे हैं। वे ये सब लेने के पात्र हैं। अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करे।

श्री शिव कुमार उदासी (हावेरी) : मैं श्री प्रबोध पांडा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री एम. आई. शानवास (वयनाड) : मैं लोक महत्व के बहुत महत्वपूर्ण और तत्काल मामले पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह मामला जीवन रक्षक औषधों के मूल्य के संबंध में है।

पेटेंट धारक बड़ी और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। वे भारत में गरीब रोगियों का शोषण कर रहे हैं। हाल ही में एक घटना हुई। अब मीड़िया इस महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहा है। नक्सावर एक ऐसी औषधि है जो गुर्दा और तिल्ली के कैंसर के लिए प्रयोग की जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी बेयर यह नेक्सावर औषधि बना रही है। उन्होंने इसका पेटेंण्ट करा लिया है।

सायं 6.00 बजे

वे एक महीने की 120 गोलियों के खुराक के लिए 2.84 लाख रुपये ले रहे हैं। कोई गरीब आदमी इतनी कीमत वहन नहीं कर सकता। तथापि लगभग चार अथवा पांच दिन पहले पेटेंट महानियंत्रक ने नारको फार्या नामक भारतीय फर्म को अनिवार्य लाइसेंस दिया था और नारको फार्मा ऐसी ही औषध का विनिर्माण 8880 रु. में कर रही है। इसीलिए उस औषध की कीमत 2.84 लाख रु. से घटकर 8880 रु. हुई है। यदि ऐसी जीवन को बढ़ाने वाली औषधि का मूल्य इस ढंग से घटाया जा सकता है तो उसी तरह जीवन को बढ़ाने वाली अन्य पेटेंट दवाईयों के मूल्य क्यों नियंत्रित नहीं किए जा सकते? अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार पेटेंट धारकों से चर्चा कर और जीवन रक्षक और जीवन को बढ़ाने वाली औषधियों के मूल्य निर्धारित करे ताकि वे गरीब लोग उनका खर्च वहन कर सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शून्य काल की समाप्ति तक हम सदन का समय बढ़ा रहे हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत की 11 वर्ष पुरानी कंपनी आर. सी.एम. जिसका मुख्य कार्यालय भीलवाड़ा राजस्थान में है की और दिलाना चाहता हूं। उक्त कंपनी के अपने उत्पादों का विपणन सीधी वितरण प्रणाली और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कर रही है। लगभग 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा भारतीय उपभोक्ता एवं वितरक इसका लाभांश ले रहे हैं और स्वरोजगार कर रहे हैं।

सबसे बड़ी बात है कि दिनांक 9.2.2011 को बिना किसी सूचना के मुखबिर का हवाला देते हुए राजस्थान की पुलिस प्रशासन द्वारा

कंपनी का मुख्य सर्वर, मुख्य कार्यालय, उत्पाद इकाई, गोदाम, सारे बैंक खाते सीज कर दिए गए, जबकि 20.12.2002 को लोक सभा में माननीय सदस्य श्री सुबोध मोहिते के अतारांकित प्रश्न के द्वारा केन्द्र सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने नेटवर्किंग मार्केटिंग को धोखाधड़ी नहीं माना है तथा यह आवश्यक है कि देश में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कांट्रेक्ट एक्ट 1972, तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाले कानून के दायरे में रहकर एल.एम.एल. कंपनी अपना काम करती है।

हमारी सरकार से मांग है कि इसमें झारखंड के भी करीब–करीब पांच हजार लोग काम कर रहे हैं और वहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। हमारी विधानसभा के स्पीकर ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, हमने भी पत्र लिखा है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। हमारा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि इस पर अविलंब कार्रवाई करें और इन लोगों को न्याय दिलायें।

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम) : महोदय, मैं वारी, डेल्टा स्टेट, नाईजीरिया में ग्लोबल स्टील लिमिटेड में काम करने वाली प्रवासी भारतीय की दुर्दशा के बारे में भारत सरकार विशेषकर विदेश मंत्री श्री एस. एम. कृष्णा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वारी, डेल्टा स्टेट, नाईजीरिया में तैनात ग्लोबल स्टील होल्डिंग्स लि. के 96 भारतीय निष्कासित कर्मचारियों में से लगभग 10 कर्मचारी दुखद रूप से कर्नाटक से हैं और ऐसा सुना गया है कि वे लगभग पिछले तेरह माह से अपने वेतन और बारह माह से अपने जीवन यापन संबंधी भत्तों से वंचित हैं। यद्यपि वे वर्ष 2005 में अपनी सेवाओं में पद भार ग्रहण करने की शुरूआत से सभी लाभ के (हकदार हैं) यह कहा गया है कि उन्हें नाईजीरिया में स्थायी बंधुआ मजदूरों जैसा माना जा रहा है, उन्हें बिजली बंधुआ मजदूरों जैसा माना जा रहा है, उन्हें बिजली, पानी, पर्याप्त, भोजन, चिकित्सा परिचर्या जैसी कोई सुविधाएं नहीं हैं और उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है। उनके भूख से मरने वाले परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैं ई–मेल के जरिए प्राप्त संदेश की प्रति इसके साथ संलग्न कर रहा हूं। उनकी दशा और इस समय वे जिस बदतरीन स्थिति में हैं, पर विचार करते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार उनकी कठिनाइयां दूर करने और नाईजीरिया में भारतीय कामगारों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करें। मैं माननीय खरगे, श्रम मंत्री और एस. एम. कृष्णा से इन कामगारों की सहायता करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री शिवकुमार उदासी, श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी और श्री संजय धोत्रे को श्री सुरेश अंगड़ी द्वारा उठाए गए मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति दी जा सकती है।

श्री नरहरि महतो (पुरूलिया) : महोदय, मुझे अविलंबनीय लोक महत्व के महत्वपूर्ण मामले को उठाने का अवसर हेतु धन्यवाद। मैं दूर के निर्वाचन क्षेत्र पुरूलिया, पश्चिम बंगाल से हूं। इसे जंगल महल कहा जाता है क्योंकि वहां अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। रांची झारखंड का राजधानी शहर है जो पुरूलिया से 122 किमी दूर है। 122 किमी में से 88 किमी में दोहरी लाइन है और कोटशिला से पुरूलिया तक केवल 33 किमी में एकल लाइन है। कोटथिला से बोकारो की दूरी मात्र 26 किमी है और जमशेदपुर की दूरी 60 किमी है। इस खंड में आसनसोल और दुर्गापुर को रेलगाड़ियां भी चलती हैं। मैंने इससे पहले माननीय रेल मंत्री से अनुरोध किया था कि इसमें दोहरी रेलवे लाइन बनाई जाए लेकिन माननीय मंत्री द्वारा कल प्रस्तुत किए रेल बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कोटशिला से पुरूलिया खंड, जो दक्षिण–पूर्व रेलवे के अंदर मंडल के अंतर्गत आता है, को दोहरी लाइन में परिवर्तित किया जाए ताकि छात्र और मजदूर वर्ग जो पास पड़ोस के कारखानों में अपनी जीविका के लिए इस खंड पर यात्रा करते हैं, लाभान्वित हों। मैं पुनः विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे (हिंगोली) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की एक छोटी सी मांग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप मांग करिए। आप मांग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे : सभापति जी, मेरी बहुत छोटी सी मांग है। मैं दो साल से सरकार से इस संबंध में विनती कर रहा हूं।

सभापति जी, मुम्बई से नांदेड़ जाने वाली जो तपोवन एक्सप्रेस है, यह नांदेड़ में 12 घंटे रुकती है। हमारी मांग है कि इसका विस्तार आदिलाबाद तक होना चाहिए। क्योंकि वहां भोकर विधान सभा क्षेत्र है, इसमें हिमायतनगर है, हदगांव विधान सभा क्षेत्र है, ये सभी इसमें जोड़े जाएंगे। इससे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी आपस में जोड़े जा सकेंगे।

महोदय, मेरी दूसरी मांग है, जिसे मैं पिछले दो–ढाई साल से उठा रहा हूं। मैंने पूर्व रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी से भी मांग की थी और लैटर दिया था। यहां भी मैंने शून्य काल में यह प्रश्न उठाया था कि अकोला से बासिम वाया हिंगोली से मुम्बई जाने वाली ट्रेन चलायी जाए। हम एक नहीं बल्कि तीन–चार सांसद इस मांग को बार–बार उठा रहे हैं। मैं सरकार से यह मांग रख–रख कर थक गया हूं। इसलिए मेरी आपने विनती है कि आप सरकार को निर्देश दें। मेरी यह मांग सरकार के लिए बहुत छोटी सी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : न्याय मंत्री जी, इनके साथ न्याय कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती रमा देवी।

श्री संजय धोत्रे (अकोला) : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मामले से स्वयं को संबद्ध करता हं।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए।

महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिलो में एलपीजी की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है तथा जिन लोगों को नए कनेक्शन मिलते हैं उन लोगों से निर्धारित शुल्क से ज्यादा राशि वसूल की जाती है। इसका विरोध करने पर उनका कनेक्शन रद्द करने की धमकी दी जाती है। इससे ज्यादा तो मनमानी इस कदर तक बढ़ गई है कि जिन लोगों का कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में बाद में होता है उनमें से कई लोगों को प्रतीक्षा सूची में रहते हुए उनकी उपेक्षा कर बाद वाले प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को कनेक्शन दिया जाता है। उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति भी 45–45 दिन बाद की जाती है एवं एलपीजी की कीमत 410 रुपए निर्धारित है, परन्तु उपभोक्ताओं से मनमाने ढंग से रुपए लिए जाते हैं। इस संबंध में मैंने एक शिकायत भी की है, परन्तु आज तक उक्त गैस एजेंसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी जानकारी में आया है कि इन भ्रष्ट गैस एजेंसी वालों की मिलीभगत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के उच्च अधिकारियों से है, जो उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत मिलने के बावजूद दोषी गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। यह भी पता लगा है कि आईओसी के अधिकारी भ्रष्ट वातावरण में इस कदर डूबे हैं कि सांसदों की शिकायतों पर भी कार्यवाही नहीं करते हैं। यही कारण है कि एलपीजी की कालाबाजारी आम बात हो गई है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गैस एजेंसियों द्वारा हो रही काला बाजारी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए एवं सांसदों से एलपीजी के भ्रष्टाचार के संबंध में जो शिकायत मिली है इस संबंध में जो कार्यवाही आईओसी के अधिकारियों द्वारा होती है, उसकी भी जांच की जाए तथा गैस एजेंसियों में लंबित प्रतीक्षा सूची के निष्पादन हेतु ऑयल कपंनियों द्वारा जनहित में गैस कनेक्शन का कोटा बढ़ाया जाए। यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

श्री जे. एम. आरुन रशीद (थेनी) : मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण है। बोदी में इलायची के लिए रेलवे बुकिंग काउंटर बंद कर दिए गए हैं। भारत, इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और बड़ी मात्रा में इलायची का उत्पादन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है। मैं बोदी, थेनी, और कमबम में तत्काल रेलवे बुकिंग काउंटर खोलने का सरकार से अनुरोध करता हूं।

मैदानी क्षेत्रों से ऊंची पहाड़ियों पर प्रतिदिन लगभग 1500 बड़ी जीपें जाती हैं और प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा सरकार से कम्बम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का अनुरोध है। कम्बम में सरकारी अस्पताल है लेकिन यह अपर्याप्त है। ज्यादा सुविधाएं नहीं हैं। उन्हें बेहतर अस्पतालों के लिए मदुरै जाना पड़ता हैं लेकिन अधिकतर पीड़ित रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वे आवेदन कर सकते हैं। और पूछ सकते हैं कि गत एक वर्ष में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उनमें से कितने लोग अपना जीवन खो चुके हैं।

मैं सरकार से मेरे निवार्चन क्षेत्र में पूर्ण एम्स अस्पताल खोलने का अनुरोध है क्योंकि केरल जाने वाले अधिकतर श्रमिक कम्बम और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों के होते हैं। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कम्बम अस्पताल को उन्नत किया जाए।

संप्रग सरकार का धन्यवाद कि हमने एक ई–ऑक्शन केंद्र खोला है। किंतु यह पर्याप्त नहीं है। [हिन्दी] थोड़ा हेराफेरी इधर–उधर चल रही है। [अनुवाद] अतः कम्बम घाटी में एक और ई–ऑक्शन केंद्र खोलने जाने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, बिहार विधानसभा

में अभी बजट सत्र चल रहा है। आज ही के दिन बिहार भर की अति पिछड़ी जातियों के लोग, उनके महासंघ हजारों–हजार की संख्या में जानदार और शानदार ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां भी बराबर वे जंतर–मंतर पर भी आकर प्रदर्शन करते हैं। हम लोग जितने माननीय सदस्य हैं, उनसे वे लोग मिलकर यह आग्रह करते हैं।

बिहार राज्य की नोनिया जाति है। पुराने जमाने में इसने दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ दिया था। उसी तरह से, मल्लाह जाति है, जिसे साहनी, निषाद भी बोला जाता है। वे मछली मारने का काम करते हैं। भगवान राम को उन्होंने पार उतारने का काम किया था। जो दुनिया को पार उतारते, उनको पार उतारने का काम यह केवट–मल्लाह लोगों ने किया। उनको केवट और निषाद भी बोलते हैं।

फिर बिंद, बेलदार, धानुक, तुरहा, लोहार जाति के लोग भी हैं। जैसे यह कहा जाता है कि सौ चोट सुनार की, एक चोट लोहार की, उस लोहार जाति के लोग भी हैं। गनौता, अमात, कहार, हजाम, नागर इन सभी जातियों के महासंघों की मांग है कि उनका नाम अनुसूचित जनजाति में लिखा जाए। ब्रिटिश लेखकों ने भी लिखा है कि वे सभी पुराने जमाने में ट्राइबल थे, अनुसूचित जनजाति में थे। लेकिन, अभी उनको अति पिछड़ी जातियों की सूची में रखा गया है। देश के विभिन्न राज्यों में वे कहीं अनुसूचित जाति में हैं, अनुसूचित जनजाति में हैं।

श्रीमती रमा देवी: उसमें कलवार जाति को भी रखिए।

सभापति महोदय: आप संक्षिप्त में अपनी मांग कर दें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, एक ग्रुप तो वह हुआ। दूसरा ग्रुप है, जिसमें पाल जो गड़ेरिया, भेड़ चराने वाली जाति है, ततवां जाति, तांती, गोढ़ी, कुम्हार, कोल, महाली जाति हैं। ये सभी जातियां कहती हैं कि हमें अनुसूचित जाति में रखिए। इन सभी जातियों की यह मांग है। ये अच्छी संख्या में हैं। उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। समाज अध्ययन संस्थानों ने भी जांच पड़ताल की है।

सभापति महोदय: आप मांग कर दें तो अच्छा रहेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उस समय गृह मंत्रालय में ये सभी विभाग थे। बाद में, सोशल जस्टिस मंत्रालय बना। बाद में ट्राइबल मंत्रालय बना, तब वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1984 तक राज्य सरकार से लिखा–पढ़ी हुई थी। लेकिन, चूंकि यह कागज गृह मंत्रालय में है, इसलिए अभी के ट्राइबल और सोशल जस्टिस विभाग को समझ ही में नहीं आता।

महोदय, मैं इसलिए मांग करता हूं कि ये सारी जातियां हैं – नोनिया, मल्लाह, केवट, बिंद, बेलदार, धानुक, तोरहा, लोहार, गंगौत, हजाम, अमात, कहार, नागर, इन जातियों को अनुसूचित जनजाति में और ततवां, तांती, पाल, गड़ेरिया, गोढ़ी, कुम्हार जातियों को अनुसूचित जाति में रखने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार से लिखा–पढ़ी करे। जिन राज्यों में वे अनुसूचित जाति में और अनुसूचित जनजाति में हैं, उन सभी का पता लगाकर एक सम्यक नीति तैयार करके इन सभी जातियों की मांगें पूरी कर ली जाएं। महोदय, यही हमारी मांग है।

सभापति महोदय: जो सदस्य इससे अपने को संबद्ध करना चाहते हैं, वे चिट भेज दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों से अपने आपको संबद्ध करते हैं।

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं। मनरेगा के तहत मिसिंग लिंक रोड का डामरीकरण करने के लिए मैं आपसे और सरकार से मांग करता हूं। आज मजदूर मिलते नहीं हैं। मनरेगा को किसानों से जोड़ा जाए। किसानों को ज्यादा से ज्यादा खेती करने का मौका मिले। मनरेगा के तहत काम होगा तो उसमें उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन ज्यादा होगा तो देश का विकास होगा और कीमतें कम होंगी।

मैं आपसे मांग करता हूं कि किसानों को मनरेगा से जोड़ा जाए। यही कहने के लिए मैं आपसे मांग करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा 16 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 मार्च, 2012/26 फाल्गुन, 1933 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध–I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	41
	डॉ. संजीव गणेश नाईक	
2.	श्री अनत कुमार हेगड़े	42
	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	
3.	श्री सुदर्शन भगत	43
	श्री बृजभूषण शरण सिंह	
4.	श्री ए. के. एस. विजयन	44
	श्रीमती अन्नू टंडन	
5.	श्री मानिक टैगोर	45
	श्रीमती मीना सिंह	
6.	श्री रमेश बैस	46
	श्रीगोपीनाथ मुंडे	
7.	श्री अम्बिका बनर्जी	47
	श्री माणिकराव होडल्या गावित	
8.	श्रीमती सुप्रिया सुले	48
	श्री संजय दिना पाटील	
9.	श्री नरहरि महतो	49
	श्री नृपेंद्र नाथ राय	
10.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	50
11.	श्री गुरुदास दासगुप्त	51
	श्री पी.लिंगम	
12.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	52
	श्री रामकिशुन	
13.	श्री महाबल मिश्रा	53
	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	
14.	डॉ. शशी थरूर	54
	श्री अर्जुन राम मेघवाल	
15.	श्री संजय भोई	55
	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	
16.	श्री पी. विश्वनाथन	56
17.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	57
18.	श्री महेश्वर हजारी	58
	श्री तथागत सत्पथी	
19.	श्रीएन. एस. वी. चित्तन	59
	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	
20.	श्री मधुसूदन यादव	60

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य कानाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	श्री बसुदेव आचार्य	647
2	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	539, 589, 612, 641, 656
3	श्री आनंदराव अडसुल	539, 612, 641
4	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	609
5	श्री राजेंद्र अग्रवाल	483, 532, 546, 676
6	श्री हंसराज गं. अहीर	514, 546, 652, 655
7	श्री बदरुद्दीन अजमल	569, 648, 655
8	श्री नारायण सिंह अमलाबे	509, 658, 688
9	श्री अनंत कुमार हेगड़े	533
10	श्री सुरेश अंगड़ी	461

1	2	3
11	श्री घनश्याम अनुरागी	648
12	श्री अशोक अर्गल	552, 648
13	श्री जयवंत गंगाराम आवले	546, 551
14	श्री कीर्ति आजाद	500, 566, 659
15	श्री गजानन ध. बाबर	589, 612, 641, 656
16	श्री कामेश्वर बैठा	646
17	श्री प्रताप सिंह बाजवा	516, 641
18	श्री अम्बिका बनर्जी	632, 634, 635, 672
19	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	549, 658
20	श्री अवतार सिंह भडाना	649
21	श्री सुदर्शन भगत	632, 633
22	श्री ताराचंद भगोरा	557, 580, 655
23	श्री संजय भोई	641, 643
24	श्री पी. के. बिजू	591
25	श्री हेमानंद बिसवाल	499
26	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	572, 606
27	श्री जितेन्द्र सिंह बुंदेला	510, 592
28	श्री सी. शिवासामी	465, 537, 570, 654,
29	श्री पी. सी. चाको	470, 666
30	श्री हरीश चौधरी	467, 537, 564
31	श्री दारा सिंह चौहान	554, 576
32	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	468, 537, 665
33	श्री भूदेव चौधरी	599, 625, 633

1	2	3
34	श्री निखिल कुमार चौधरी	542
35	श्रीमती श्रुति चौधरी	491, 609, 632, 681
36	श्री अधीर चौधरी	638
37	श्री भक्त चरण दास	563, 614
38	श्री गुरुदास दासगुप्त	639, 640
39	श्री रमेन डेका	541
40	श्रीमती रमा देवी	492, 553, 600, 610
41	श्री के. पी. धनपालन	517, 600
42	श्री संजय धोत्रे	563, 566, 650
43	श्री आर. ध्रुवनारायण	486, 544, 656, 678
44	श्रीमती ज्योति धुर्वे	476, 572, 657
45	श्री निशिकांत दुबे	609, 648
46	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	582, 659
47	श्रीमती प्रिया दत्त	583
48	श्री पी. सी. गद्दीगौदर	593
49	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	643
50	श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी	548, 647
51	श्रीमती मेनका गांधी	554, 611, 650
52	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	471
53	श्री ए. गणेशमूर्ति	515, 615
54	श्री मणिकराव होडल्या गावित	638
55	श्री राजेन गोहैन	561, 627
56	श्री शिवराम गौडा	540

1	2	3
57	श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा	566, 570, 586, 641, 656
58	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	552, 571, 651
59	शेख. सैदुल हक	647
60	श्री महेश्वर हजारी	641, 685
61	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	561, 590, 599
62	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	600, 683
63	श्री बलीराम जाधव	578
64	डॉ. संजय जायसवाल	555, 632
65	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	553, 610
66	श्री बद्रीराम जाखड़	494, 683
67	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	613
68	श्री हरिभाऊ जावले	484, 571, 599, 632, 677
69	श्री नवीन जिंदल	463, 621, 639, 653, 662
70	श्री महेश जोशी	489
71	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	644
72	श्री प्रहलाद जोशी	497, 686
73	श्री पी. करूणाकरन	559, 647, 653, 660
74	श्री कपिल मुनि करवारिया	495
75	श्री वीरेंद्र कश्यप	570, 645
76	श्री लालचंद कटारिया	546, 607
77	श्री कौशलेंद्र कुमार	636, 641
78	श्री चंद्रकांत खेरे	601, 648

1	2	3
79	श्री हसन खान	655
80	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	493, 563, 682
81	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	620
82	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	554, 561, 634
83	श्री विश्व मोहन कुमार	577
84	श्री अजय कुमार	581, 658
85	श्री पी. कुमार	503, 554, 690
86	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	554, 631
87	श्री यशवंत लागुरी	545
88	श्री सुखेदव सिंह	507
89	श्री पी. लिंगम	639, 640
90	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	518, 572
91	श्रीमती सुमित्रा महाजन	477, 632, 633, 660
92	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	636
93	श्री प्रदीप माझी	536, 579, 632
94	श्री प्रशांत कुमार मजूमदार	469, 546, 634 634
95	श्री मंगनी लाल मंडल	563, 566, 650
96	श्री सदाशिवराज दादोबा मंडलिक	641, 643
97	श्री जोस के. मणि	480, 655, 673
98	श्री रघुवीर सिंह मीणा	552, 557, 647, 649
99	श्री दत्ता मेघे	546, 556
100	श्री अर्जुन राम मेघवाल	651
101	श्री भरत राम मेघवाल	571, 660

1	2	3
102	श्री सोमेन मित्रा	570, 657
103	श्री पी. सी. मोहन	522
104	श्री विलास मुत्तेमवार	561, 616, 655
105	श्री सुरेंद्र सिंह नागर	512, 651, 652
106	श्री इन्दर सिंह नामधारी	546, 565
107	श्री जफर अली नकवी	597, 632
108	श्री नारनभाई कछाड़िया	476, 572, 669
109	कुमारी मीनाक्षी नटराजन	531
110	श्री असादूद्दीन ओवेसी	520, 621, 641, 656
111	श्री पी. आर. नटराजन	532, 547, 552
112	श्री जगदम्बिका पाल	530, 546
113	श्री वैजयंत पांडा	575, 594, 595
114	श्री प्रबोध पांडा	549, 639, 653
115	श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय	584
116	कुमारी सरोज पांडेय	555, 571, 626, 632
117	श्री गोरखनाथ पांडेय	574, 581
118	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	641, 643
119	श्री देवजी एम. पटेल	464, 663
120	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	555, 573, 638
121	श्री बाल कुमार पटेल	603
122	श्री किसनभाई वी. पटेल	579, 632
123	श्री हरिन पाठक	560, 641
124	श्री संजय दिना पाटील	572, 638

1	2	3
125	श्री ए. टी. नाना पाटील	546, 652
126	श्रीमती भावना पाटील गवली	582, 602, 659
127	श्री सी. आर. पाटील	502, 555, 568, 638
128	श्रीमती कमला देवी पटले	498, 552, 658, 660, 687
129	श्री पोन्नम प्रभाकर	529, 554, 575, 590, 655
130	श्री नित्यानंद प्रधान	575, 594
131	श्री प्रेमदास	623
132	श्री पन्ना लाल पुनिया	508, 546, 599, 675
133	श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	505
134	श्री एम. के. राघवन	568
135	श्री सी. राजेंद्रन	582
136	श्री पूर्णमासी राम	633, 650
137	प्रो. रामशंकर	552, 562, 563
138	श्री रामकिशुन	636
139	श्री निलेश नारायण राणे	496, 684
140	डॉ. के. एस. राव	537, 561
141	श्री रायापति सांबासिवा राव	504, 642, 654, 679
142	श्री जे. एम. आरुन रशीद	543, 647, 649
143	श्री रमेश राठौड़	654
144	श्री रामसिंह राठवा	524, 537, 555, 609

1	2	3
145	श्री अशोक कुमार रावत	475
146	श्री अर्जुन राय	533, 641, 644
147	श्री रुद्रमाधव राय	506, 546, 640
148	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	562
149	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	485, 544, 547, 616
150	श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	526, 567, 640
151	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	624
152	श्री नृपेंद्र नाथ राय	674
153	श्री महेंद्र कुमार राय	556, 647
154	श्री एस. अलागिरी	650, 653
155	श्री एस. सेम्मलई	544, 648
156	श्री एस. पक्कीरप्पा	474, 574, 632, 668
157	श्री एस. एस. रामासुब्बू	501, 574, 689
158	श्री ए. सम्पत	554, 576, 619
159	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	629
160	श्रीमती सुशीला सरोज	479, 546, 641
161	श्री तूफानी सरोज	635
162	श्री हमदुल्लाह सईद	482, 546, 555, 572, 675
163	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	585
164	श्री एम. आई. शानवास	644
165	श्रीमती जे. शांता	472, 558, 570, 637, 667
166	श्री जगदीश शर्मा	639, 655

1	2	3
167	श्री नीरज शेखर	541, 633, 640, 641, 646
168	श्री सुरेश कुमार शेटकर	519
169	श्री राजू शेट्टी	466, 664
170	श्री एंटो एंटोनी	575
171	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	567
172	श्री जी. एम. सिद्देश्वर	526, 528, 648
173	डॉ. भोला सिंह	546, 552, 558
174	श्री भूपेंद्र सिंह	511, 650, 651
175	श्री गणेश सिंह	572, 622, 638
176	श्री इज्यराज सिंह	564, 647
177	श्री जगदानंद सिंह	538, 632, 644
178	श्री राधा मोहन सिंह	599, 633
179	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	632, 634, 644
180	श्री राकेश सिंह	521, 655
181	श्री रवनीत सिंह	527, 532
182	श्री यशवीर सिंह	587, 633, 650
183	श्री यशवीर सिंह	541, 633, 640, 641, 646
184	श्री बृजभूषण शरण सिंह	634
185	श्री रेवती रमण सिंह	536, 571, 576, 637, 644
186	श्री राधे मोहन सिंह	618, 653
187	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	596
188	राजकुमारी रत्ना सिंह	478, 545, 546, 550

1	2	3
189	श्री उदय प्रताप सिंह	546, 607
190	डॉ. संजय सिंह	546, 553
191	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	462, 654, 679
192	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	630
193	श्री के. सुधाकरण	547
194	श्री के. सुगुमार	536, 575, 608, 641
195	श्रीमती सुप्रिया सुले	638
196	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	566, 567, 570, 641, 656
197	डॉ. रतन सुशांत	535
198	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	487, 554, 679
199	श्रीमती अन्नू टंडन	661
200	श्री अशोक तंवर	525, 650
201	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	598
202	श्री मनीष तिवारी	604
203	श्री जगदीश ठाकोर	490
204	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	536, 641, 645
205	श्री आर. थामराईसेलवन	523, 574
206	डॉ. एम. तम्बिदुरई	651
207	श्री पी. टी. थॉमस	546, 554, 615
208	श्री मनोहर तिरकी	469, 546, 634

1	2	3
209	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	596, 628
210	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	481, 638
211	श्री लक्ष्मण टुडु	473, 550
212	श्री शिवकुमार उदासी	588
213	श्रीमती सीमा उपाध्याय	641
214	श्री हर्ष वर्धन	532
215	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	488, 537, 558, 680
216	डॉ. पी. वेणुगोपाल	513, 547
217	श्री सज्जन वर्मा	534, 650
218	श्रीमती ऊषा वर्मा	479, 546, 671
219	श्री वीरेन्द्र कुमार	546, 617, 633
220	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	554
221	श्री अंजनकुमार एम. यादव	478, 650, 653, 670
222	श्री धर्मेन्द्र यादव	589, 612, 641, 656
223	श्री दिनेश चन्द्र यादव	641
224	श्री ओम प्रकाश यादव	546, 574
225	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	621, 633, 640
226	योगी आदित्यनाथ	605, 634, 650

अनुबंध–II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

रसयान और उर्वरक	:	42
कॉर्पोरेट कार्य	:	
पेयजल और स्वच्छता	:	59
पृथ्वी विज्ञान	:	49
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	51
विधि और न्याय	:	54
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	47
अल्पसंख्यक कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	43, 46, 52, 53
रेल	:	45, 55, 57
ग्रामीण विकास	:	41, 48, 50, 60
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	44, 56, 58

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

रसासन और उर्वरक	:	466, 478, 499, 506, 516, 520, 527, 528, 532, 591, 617, 628, 632, 635, 637, 644, 664, 686
कॉर्पोरेट कार्य	:	533, 568, 580, 687
पेयजल और स्वच्छता	:	493, 502, 538, 541, 563, 626, 650, 671
पृथ्वी विज्ञान	:	462, 522, 525, 594
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	501, 524, 530, 534, 561, 645,
अल्पसंख्यक कार्य	:	468, 476, 481, 487, 495, 498, 511, 518, 535, 555, 570, 574, 581, 592, 607, 610, 611, 616, 621, 624

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	470, 500, 515, 595, 600, 604, 609, 619, 672
अल्पसंख्यक कार्य	:	490, 504, 507, 508, 569, 642, 669, 679
संसदीय कार्य	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	461, 464, 474, 479, 483, 488, 492, 497, 505, 510, 517, 519, 529, 531, 537, 542, 552, 558, 559, 573, 582, 587, 589, 590, 596, 601, 602, 606, 612, 614, 622, 638, 648, 654, 655, 657, 684, 688
रेल	:	465, 473, 475, 477, 482, 503, 509, 512, 513, 521, 523, 536, 547, 548, 549, 554, 556, 557, 566, 567, 571, 575, 576, 578, 586, 592, 593, 598, 599, 603, 605, 608, 615, 618, 625, 630, 631, 633, 641, 643, 646, 647, 649. 656, 658, 659, 660, 665, 666, 667, 675, 676, 681, 682, 683, 685, 689, 690
ग्रामीण विकास	:	467, 469, 472, 484, 494, 526, 539, 546, 550, 560, 572, 577, 579, 583, 584, 588, 623, 627, 629, 639, 640, 652, 653, 662, 678
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	480, 485, 544, 551, 597, 661, 668, 673, 680
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	463, 636, 663
जल संसाधन	:	471, 486, 489, 491, 496, 514, 540, 543, 545, 553, 562, 565, 585, 613, 620, 634, 651, 670, 674, 677

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

पी.एल.एस.–48/28/04/2011 (एन.)
230

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, नई दिल्ली – 110002 द्वारा मुद्रित।